लोक-सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी-संस्करण

(ग्यारहवां सत्र)

सत्यमेव जयते

52 (23) 2
6. 9. 83.

(खंड 35 में अंक 11 से 20 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली ।

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अंक 19, मंगलवार, 22 मार्च, 1983/1 चैत्र, 1905 (शक)

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	2—27
* तारांकित प्रश्न संख्या : 328, 330 और 332 से 334	2—24
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	27—232
तारांकित प्रश्न संख्या : 335 से 348	27—38
अतारांकित प्रश्न संख्या : 3726 से 3757, 3759 से 3769, 3771 और 3773, से 3957	39—227
सभा पटल पर रखे गए पत्र	232—236
राज्य सभा से संदेश	236—237
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	238—253
आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भारी दवाब	238
श्रीमती किशोरी सिन्हा	238
श्री भागवत झा आजाद	238
श्री रामसिंह शाक्य	242
श्री भीमसिंह	245
प्रो० अजित कुमार मेहता	247
अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति	254
17वां प्रतिवेदन	
विश्व भारती (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव	254
कार्य-मंत्रणा समिति	254
43वां प्रतिवेदन	

* किसी नाम पर अंकित चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	255-257
(एक) आंध्र बैंक और केनरा बैंक द्वारा उत्तरी क्षेत्र में कम पूंजी निवेश श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी	255
(दो) गन्धामार्दन बाक्साइट परियोजना का मुख्यालय श्री रास बिहारी बहेरा	255
(तीन) बैंकों को लूटे जाने को रोकने के लिए कारगर उपाय उठाने की आवश्यकता श्री टी० एस० नेगी	256
(चार) बिहार में सौन्दा कोयला खान में हुई दुर्घटना तथा मृतकों के उत्तराधिकारियों की क्षतिपूर्ति श्री रामविलास पासवान	256
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश के निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प	257
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक	257
तथा	
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक	257
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री गिरधारी लाल व्यास	257
श्री रामअवतार शास्त्री	259
आचार्य भगवान देव	262
श्री हरिवेश बहादुर	264
श्री मूलचन्द डागा	266
श्री चन्द्रपाल सिंह	268
श्री जेवियर अरावकल	269
श्री पी० वेंकटसुब्बय्या	271
श्री एन०के० शेजबलकर	274
दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक, खंड 2 से 4 और 1	280

विषय पृष्ठ

पास करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 280

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक 281

खंड 2, और 1

पास करने का प्रस्ताव

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या 281

वायुयान (संशोधन) विधेयक 282

विचार करने का प्रस्ताव

श्री खुर्शीद आलम खाँ 282

श्री कमला मिश्र मधुकर 283

श्री पी० नाम ग्याल 284

श्री गिरधारी लाल व्यास 287

श्री उत्तम राठौर 289

श्री असल दत्त 290

खंड 2, 3 और 1

पास करने का प्रस्ताव

खुर्शीद आलम खां 294

आसाम के सम्बन्ध में वक्तव्य 298

श्री प्रकाश चन्द सेठी 298

गुट निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव 300

श्री कमल नाथ 300

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती 07

प्रो० के० के० तिवारी 312

श्री बी० डी० सिंह 318

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया 320

प्रो० मधु दण्डवते 321

विषय	पृष्ठ
श्री माधवराव सिंधिया	326
श्री राम जेठमलानी	329
श्री सी० एम० स्टीफन	337
श्री सी० टी० दण्डपाणि	344
श्री भेरावदन के० गधावी	348
श्री इन्द्रजीत गुप्त	350
श्री अब्दुल समद	358
श्री के० पी० उन्नीकृष्णन	359
श्री अशफाक हुसैन	363
श्री चन्द्रजीत यादव	365
श्री पी० वी० नरसिंह राव	368—380

लोक सभा

मंगलवार, 22 मार्च, 1983/1 चैत्र, 1905 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अनेक माननीय सदस्य : नमस्कार।

अध्यक्ष महोदय : नमस्कार

श्री सतीश अग्रवाल : महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि सदन में इस समय गणपूर्ति नहीं नहीं है। यह सरकार का दायित्व है कि वह गणपूर्ति सुनिश्चित करे। पांच मिनट पहले ही खराब हो चुके हैं। आज के दिन गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार नहीं किया जाना है बल्कि आज सरकारी कार्य पर विचार किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : मैं भी यही सोच रहा हूं। पहली बात तो मुझे मार्शल की उंगली की बहुत फिक्र रहती है कि अगर घंटी दबाते-दबाते उसकी उंगली को कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा। बाकी पूरे हा।उस की जिम्मेदारी है कि समय से काम हो।

प्रो० मधु दण्डवते : सरकार न तो शिष्टाचार का ध्यान रखती है और न ही गणपूर्ति का।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मन्त्री (श्री बूटा सिंह) : महोदय, मेरा यह प्रस्ताव है कि हम मिलजुल कर काम करें। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि हम गणपूर्ति बनाए रखेंगे तथा उन्हें शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : हमारा उत्तर यह है कि हम गणपूर्ति तथा शिष्टाचार, दोनों बनाए रखेंगे।

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कोचीन पत्तन पर ग्रेन बकेट अनलोडर

*328. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कोचीन पत्तन पर आयातित राक-फास्फेट और सल्फर को जहाजों से तट पर उतारने के लिए ग्रेन अनलोडर का इस्तेमाल किया जाएगा,

(ख) यदि हां, तो क्या जहाज के तट पर उतरते समय राक-फास्फेट और सल्फर की मात्रा का लगभग 1 प्रतिशत भाग छितर जाएगा जो नौसैनिक अड्डे तथा आसपास के लोगों के लिए प्रदूषण पैदा करेगा, और

(ग) यदि हां, तो क्या माल उतारने के लिए किसी और आधुनिकतर तथा छितराव मुक्त उपकरण का प्रयोग किया जाएगा जिससे उस छितराव से बचा जा सके जो प्रदूषण और सतत हानि उत्पन्न करता है,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, माननीय मन्त्री जी का उत्तर किसी बीमा कंपनी के फार्म जैसा है-जी हां, जी नहीं, जी हां, जी नहीं, । यह आश्चर्य की बात है । मेरा विचार है कि उन्होंने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है ।

अध्यक्ष महोदय : कहीं वह थोड़ी अंग्रेजी जानने वाली बात तो नहीं हो रही है-यस सर, नो सर

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, माननीय मन्त्री द्वारा अपने उत्तर में उन्होंने प्रश्न के पहले भाग को स्वीकार किया है तथा बाद में उन्होंने कहा है कि वहां किसी प्रकार की छितरन नहीं हुई है और उसके परिणामस्वरूप वहां बिल्कुल भी प्रदूषण नहीं हुआ है । यह उनकी धारणा प्रतीत होती है । सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को बताना चाहूंगा कि यदि वे खुद जाकर कोचीन पत्तन में किए जा रहे माल उतारने सम्बन्धी कार्यों को देखेंगे तो उन्हें वहां की स्थिति का पता चलेगा । महोदय, यदि आप मुझे किसी अन्य समय सभा-पटल पर माल उतारने सम्बन्धी कार्यों के चित्रों को रखने की अनुमति देंगे—दुर्भाग्यवश मुझे इस प्रकार की अनुमति कई बार चाहिए तो मैं उन्हें सभा पटल पर रखने को तैयार हूं । इन चित्रों से यह पता चलता है कि वास्तव में सल्फर तथा फास्फेट का कितनी मात्रा में छितरन हो रहा है तथा इनके कण कितने किलोमीटर तक की दूरी तक पहुंचते हैं और उनसे मछलियों को कितना नुकसान हो रहा है तथा यदि वे इसका आकलन करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि उनका उत्तर यद्यपि गलत नहीं है तथापि मैं उनको दोष नहीं देना चाहता क्योंकि उन्होंने इस स्थान का दौरा नहीं किया है ?

श्री बसन्त साठे : क्या आपने किया है ?

प्रो० मधु दण्डवते : केवल तीन दिन पहले मैं कोचीन में था । मैं अपने हवाई यात्रा के टिकट को सभा-पटल रख पर सकता हूं ।

एक माननीय सदस्य : आप कोचीन में रुचि क्यों रखते हैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्योंकि मेरे लिए भारत वर्ष एक है । महोदय, उनके उत्तर को ठीक करने के लिए ही मैं उनसे कुछ पूरक प्रश्न पूछना चाहता हूं । सबसे पहला, क्या वे हमें इस बात का ब्यौरा दे सकते हैं कि प्रत्येक माल उतराई में राक फास्फेट तथा सल्फर की कुल कितनी मात्रा की माल उतराई होती है तथा यदि वे यह आंकड़े देते है तथा हमें माल उतराई कार्यों में प्रयुक्त किए जाने वाली टोकरी की किस्म का विवरण देते है कि उक्त समस्त उपकरण में कोई दरार अथवा छिद्र है तो आपको पता चलेगा कि कुछ मात्रा इसमें से हमेशा निकलती रहती है । इस प्रकार उक्त विवरण के पश्चात मैं उनसे और आगे पूरक प्रश्न पूछने में समर्थ हो सकूंगा ताकि यह पता चल सके कि उनके द्वारा दिया गया यह उत्तर सही है अथवा नहीं ।

श्री बसन्त साठे : महोदय, जहां तक सल्फर तथा फास्फेट की सही मात्रा का सम्बन्ध है, मुझे उनके आंकड़ों का पता नहीं है परन्तु मैं अपने सचिव से उन्हें प्राप्त करने का प्रयास करूंगा ···(**व्यवधान**) मुझे इसका पूरा अधिकार है । महोदय, एक जलपोत की लदान पर हम 40 हजार मीटरी टन तक की ढुलाई कर सकते हैं । जहां तक मैं उनके प्रश्न को ठीक से समझा हूं, उनका मुख्य जोर इस बात पर है कि क्या इसमें छितरन का कोई खतरा है और परिणामस्वरूप मछलियों अथवा मेरे माननीय मित्र जैसे मनुष्यों को किसी प्रकार के प्रदूषण का कोई खतरा है । इसलिए मैं खुद इस प्रदूषण तथा छितरन के प्रति चिन्तित हूं । मैंने सभी सम्बन्धित पक्षों की बैठक बुलाई थी जिनमें दो प्रकार के लदान वाहकों की निविदाओं को देने वाले व्यक्तियों-स्वीडन की कम्पनी द्वारा तैयार किए जाने वाले "स्कू टाइप" तथा "बकट टाइप" एवं "ग्रैब टाइप रोलर" तैयार करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मिलित किया गया था । मैंने वर्तमान छितरन तथा प्रदूषण के बारे में उनके द्वारा तैयार की गई फिल्म को भी देखा था । अतः मैंने सम्पूर्ण प्रश्न की जांच की थी तथा यह पता लगाने की चेष्टा की थी कि क्या "ग्रैब टाइप लीडर" में किसी प्रकार का सुधार किया गया है । इसमें जो सुधार किया गया है, जिसे हम "ग्रैब टाइप" में जोड़ रहे हैं, वह इस अर्थ में प्रायः दोषरहित है कि उसमें कुछ छितरन नहीं होतो क्योंकि उसमें अन्तर्बन्ध प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है ; जब तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं होगी तब तक मशीनों द्वारा सामान नहीं उठाया जायेगा । इस प्रकार इससे सामान पूरी तरह से ढ़क जाता है । वह 'बकट' पूर्णतया ढकी रहती है । छितरन का खतरा तब रहता है जब वह 'बकट' में से गिरने लगता है । अब हमने उसे बन्द कर दिया है जिससे अतिरिक्त कण उसके अन्दर ही रह जाते हैं तथा उन्हें बाद में पुनः बोरों में भरा जा सकता है अतः हम इस प्रकार की व्यवस्था से संतुष्ट है । इनकी सप्लाई करने वाले व्यक्तियों ने अपनी प्रमुख कम्पनियों के माध्यम से हमें इस बात की गारन्टी दी है कि अब मुश्किल से .0005 प्रतिशत का ही छितरन होगा । यह नगण्य है । अतः अब छितरन का कोई खतरा नहीं है । हमें संतोष है कि दोनों प्रकार की किस्मों की लागत को ध्यान में रखते हुए "ग्रैब टाइप" बेहतर है ।

इसकी लागत कम है तथा इसमें मेहनत, विदेशी मुद्रा तथा अन्य सब बातों की बचत होती है क्योंकि इसमें देशी सामग्री का अधिक उपयोग किया गया है। "स्क्रू टाइप" का आयात करना पड़ता है । एडिनबरा के अतिरिक्त विश्व में किसी अन्य स्थान पर इसका परीक्षण नहीं किया गया है तथा उक्त स्थान पर भी दुर्भाग्यवश एक विस्फोट हो गया था क्योंकि स्क्रू टाइप में थोड़ा बहुत तो खतरा है ही, अतः हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। मैं दोनों पक्षों की बैठक बुलाने के बाद पूर्ण रूप से संतुष्ट हूं तथा आशा करता हूं कि मेरे माननीय मित्र भी इससे संतुष्ट होंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : अभी भी आपका उत्तर संतोषजनक नहीं है। माननीय-मन्त्री के उत्तर में बहुत अधिक अन्तर्विरोध है। उन्होंने केवल फिल्म देखी है, हां जाकर वास्तविक कार्य प्रणाली का अवलोकन नही किया है। फिल्म देखने के बाद ही वे इस बात का पता लगा सके होंगे कि विभिन्न प्रकार के ढक्कनों तथा दरारों आदि के माध्यम से बहुत सारी सामग्री का वास्तविक रूप में छितरन होता है। उन्होंने अपने पूववर्ती उत्तर में थोड़ा सा संशोधन किया है परन्तु ऐसा करने में उन्होंने और अधिक अन्यविरोध बढ़ा दिया है। अपने प्रश्न में मैंने यह पूछा था कि क्या एक प्रतिशत से अधिक का छितरन होता है। अभी-अभी मेरे पूर्ववर्ती प्रश्न का उत्तर देते हुए उन्होंने कहा है कि एक प्रतिशत की बजाय केवल .0005 प्रतिशत का ही छितरन होता है (**व्यवधान**). मैंने ·0005 प्रतिशत कहा हैं।

श्री वसंत साठे : इसमें तीन शून्य हैं ।

प्रो० मधु दण्डवते : मैंने तीन बार शून्य कहा है ; आप मुझसे कितनी बार शून्य कहलवाना चाहते है ?

श्री वसंत साठे : जब तक आप का महत्व शून्य नहीं हो जाता।

प्रो० मधु दण्डवते : यह असंभव है, शून्यकाल में भी मेरा महत्व कम नहीं होगा । इसके बाद उन्होंने कहा है कि इसमें कोई छितरन नहीं होता है। उन्हें उस स्थान का दौरा करने के के बाद तथ्यों की जांच करनी चाहिए ; उन्होंने केवल फिल्मों को देखने के बाद ही यह निष्कर्ष निकाला है।

अध्यक्ष महोदय : वे फिल्मों के प्रभारी मन्त्री रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : केवल रंगीन फिल्मों के ही ।

प्रो० मधु दण्डवते : महोदय, इन फिल्मों का रंग कौन सा है ?

अब इन्होंने अपने उत्तर में थोड़ा सा संशोधन कर लिया है तथा कहा है कि .0005 प्रतिशत का ही हो रहा है परन्तु यदि वे उस स्थान का दौरा करेंगे तो इन्हें पता चलेगा कि सामान उतारने के कार्य में इनके द्वारा सदन को सूचित की गई मात्रा से अधिक का छितरन होता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने यह कहा है कि समस्त उपकरणों को इन्होंने वास्तव में देखा है, राक फास्फेट एवं अन्य सामग्री का छितरण नहीं होता है यह कहना भी गलत है।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि क्या यह सच है कि उपर्युक्त .0005 प्रतिशत के छितरन के आधार पर, जिसके बारे में इन्होंने इस सभा में इसे स्वीकार किया है, क्या सामान उतारने के आसपास के क्षेत्र में मछलियां नष्ट नहीं हो रही हैं तथा क्या वहां वायु का प्रदूषण नहीं हो रहा है ? आप चाहें मुझे यह जानकारी न दें परन्तु यहां सत्तारूढ़ पक्ष के अनेक माननीय सदस्य केरल राज्य से निर्वाचित होकर आए हैं तथा वे इस जानकारी की पुष्टि कर सकते हैं कि इस क्षेत्र में प्रदूषण तथा छितरन के कारण मछलियां नष्ट हो रही हैं। यदि ऐसा है तो मैं माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्हें किसी प्रकार के तकनीकी उपकरण की जानकारी है जिससे बिल्कुल भी छितरन होने की संभावना न हो। यदि हाँ, तो क्या वे इस सभा में यह आश्वासन दे सकते हैं कि वे जलपोतों से माल उत्तारने वाले उपकरणों के किस्म की समीक्षा करेंगे ताकि मछलियों, मनुष्यों तथा वातावरण को वायु प्रदूषण से बचाया जा सके ?

श्री बसन्त साठे : जैसा कि मैं कह चुका हूं मैंने जो फिल्म देखी थी तथा जिसका उल्लेख मेरे साथी ने किया है, वह पुराने "ग्रेब टाइप लोडर" के बारे में थी।

मैं मानता हूं कि विद्यमान पुराने "ग्रेब टाइप लोडर" में रिसाब है। यदि आप इस स्थान पर जायें तो आप देखेंगे कि वहां पुराना 'ग्रैब टाइप लोडर' हैं। वहां रिसाब है और केवल इसे ठीक करने के लिए ही हमने नया "ग्रैब टाइप लोडर" खरीदा है जिसके बारे में मैं उन्हें बता रहा था तथा जिसे हमारे इन्जीनियरों ने हम वर्ग में देखा था। यह वहां भली भांति कार्य कर रहा है और उन्होंने उसे देखा है और यह भी देखा कि वहां अब रिसाव नहीं है। इसलिए हम इस नए प्रकार के लोडर से सन्तुष्ट है जिसे अभी स्थापित किया जाना है। यदि अब भी हम दोनों वहां जायें तो हम वहां न तो 'स्वीडिरा सक्रिय टाइप' उपस्कर होगा अथवा न ही नया "ग्रैब टाइप उपस्कर'।

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न वर्तमान ग्रैब टाइप के बारे में है।

श्री बसंत साठे : हम वर्तमान उपस्कर के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। यह प्रश्न नए उपकरण के बारे में है। प्रश्न नए 'ग्रैब टाइप लोडर' के बारे में है। अब यह नया 'ग्रैब टाइप लोडर' है जिसके बारे में मैं बता रहा हूं अभी स्थापित नहीं किया गया है। हम वर्तमान लोडर की बात कैसे कर सकते हैं जो पहले से ही वहां पर काम में लाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उस उपकरण के बारे में बात कर रहे हैं जो लगाया जाने वाला है।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : जो प्रश्न पूछा गया था वह भावी उपकरण के बारे में है जो कि लाया जायेगा। यह इस बारे में है कि इस समय वहां क्या हो रहा है।

श्री बसन्त साठे : मैं आपसे माफी चाहूंगा कि आप कृपया अपने प्रश्न का पहला वाक्य, जो इस प्रकार है:—

"(क) क्या यह सच है कि 'ग्रैब बकर अनलोडर' का प्रयोग किया जाता है...?"

यह वह वस्तु है जिसका अभी हमने आदेश नहीं दिया है। इसी कारण मैंने वह सब कुछ बताया जिसे कि अभी आना है जिसका प्रयोग अभी वहां किया जाना है यह नवीनतम 'ग्रैब टाइप' का है।

श्री जेवियर अराकल : इससे यह दावा प्रमाणित हो जाता है कि उस क्षेत्र में भारी प्रदूषण होता है क्योंकि यह 'ग्रैब बकर' अभी वहां आनी है। विद्यमान उपकरण से उस क्षेत्र में प्रदूषण बढ़ रहा है। अब मेरा प्रश्न यह है कि इन सल्फर और राक फास्फेट रसायनों को फैक्टरी में भेजने हेतु कोचीन पत्तन पर ढुलाई करने की क्या सुविधायें दी गई हैं ? इस समय यह क्षेत्र काफी दूषित है। यदि आप प्रदूषण बोर्ड की रिपोर्ट को पढ़ने का कष्ट करें तो आप इस बात को मान लेंगे कि संपूर्ण भारत में कोचीन क्षेत्र अत्यधिक प्रदूषित है। प्रश्नों का उत्तर "जी हां," "जी, नहीं" और "प्रश्न नहीं उठता" देने से हम क्या जान पाते हैं वह कहते कि "ग्रैब बकर" अभी स्थापित की जानी है। इस हालत में, विद्यमान उपकरण से प्रदूषण बढ़ेगा। इस प्रश्न का वास्तविक उत्तर क्या है ?

श्री बसन्त साठे : नए कोचीन संयंत्र हेतु जो "फैक्ट" के अधीन लगाया जा रहा है, ढुलाई का और इस "अनलोडर" का प्रश्न सामने आया। अब तक हम कोचीन पत्तन पर जहाज से सीधे ढुलाई करते थे। मैं मानता हूं कि वर्तमान प्रणाली से वहां प्रदूषण की समस्या है क्योंकि वर्तमान "ग्रैब लोडरों" में रिसाब-रोधी व्यवस्था नहीं है। इसी कारण हमने टेंडर मंगवाये हैं। दो टेंडर प्राप्त हुए थे, एक तो स्वीडिश कम्पनी का सक्यू प्रकार के लिए था···

अध्यक्ष महोदय : ठीक है ।

अगला प्रश्न ।

एरिथ्रोमाइसीन की लाइसेंस प्राप्त क्षमता

*330. **श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा :**

श्री टी० एस० नेगी : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) एरिथ्रोमाइसीन या इसकी उन मध्यवर्ती सामग्रियों की लाइसेंस-प्राप्त क्षमता कितनी है जिन्हें बिक्री योग्य औषध के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है,

(ख) मूल किण्वन अवस्था से एरिथ्रोमाइसीन के निर्माण की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और निर्माताओं के नाम क्या हैं तथा इसका निर्माण कहां-कहां होता है,

(ग) मूल किण्वन अवस्था से कितनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग किया जा रहा है और इसमें से कितनी क्षमता सरकारी क्षेत्र में है,

(घ) देश में वर्ष 198 -82 और 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर) में एरिथ्रोमाइसीन या

औषधियों के रूप में इसके साल्ट की खपत कितनी थी,

(ङ) क्या सरकार ने एरिथ्रोमाइसीन थायोसाइनाइट के आयात की किसी गैर सरकारी कंपनी या सरकारी कंपनी को अनुमति प्रदान की थी,

(च) यदि हां, तो उन कंपनियों का ब्यौरा क्या है, और

(छ) क्या इनमें से किसी कंपनी के पास मूल किण्वन अवस्था से एरिथ्रोमाइसीन के निर्माण की तकनीकी जानकारी है, यदि, हां तो एरिथ्रोमाइसीन या इसकी मध्यवर्ती सामग्रियों के आयात की अनुमति देने के क्या कारण हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (घ) एरिथ्रोमाइसिन तथा इसके ईस्टरों की लाइसेंस प्राप्त क्षमता, उत्पादन का अनुमोदित स्तर, स्थान, वर्ष 1981-82 और 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान संगठित क्षेत्र में उत्पादन विवरण में दिए गए हैं। उपलब्ध सीमा तक संगठित क्षेत्र में स्थापित क्षमताएं तथा एरिथ्रोमाइसिन के आयात भी दर्शाए गए हैं। किसी मध्यवर्ती के लिए कोई अलग लाइसेंस जारी नहीं किया गया है।

(ङ) से (च) संगठित क्षेत्र में, मैसर्स थैमिस फार्मास्यूटिकल्स ने सूचित किया है कि उन्होंने 1980-81 में 2195 किलो ग्राम और 1981-82 में 10226 किलो ग्राम एरिथ्रोमाइसिन थियोसियानेट का आयात किया है। 1982-83 के लिए आयात आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। इस कंपनी ने एरिथ्रोमाइसिन के पर्याप्त विस्तार के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु अपने आवेदन-पत्र में यह दावा किया है कि उनके पास एरिथ्रोमाइसिन को मूल स्तर से उत्पादन करने की प्रौद्योगिकी है।

एरिथ्रोमाइसिन तथा इसके ईस्टर्स 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान सरणीबद्ध किए गए हैं। एरिथ्रोमाइसिन थियोसियोनेट का आयात इन वर्षों की आयात नीति के परिशिष्ट 5 के अधीन स्वीकृत किया गया है। इसके अन्तर्गत वास्तविक उपभोक्ता पिछले उपयोग के आधार पर इसका आयात करने के हकदार हैं।

विवरण

कम्पनी का नाम	स्थापित क्षमता	स्थापित क्षमता (कम्पनी द्वारा यथा सूचित)	स्थान	अनुमोदित उत्पादन का स्तर	उत्पादन (टनों में) 1981-82 (अप्रैल-दिसम्बर)	उत्पादन (टनों में) 1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
गैर-सरकारी क्षेत्र						
1. मै० थेमिस फार्मास्यूटिकल (अब गुजरात थेमिस बायोसिन लि.)	40 टी. पी. ए.	37 टी. पी. ए. (आर. ई. सी. आवेदन पत्र के अनुसार)	वापी	मूल	10.68	10.03
2. मै. एमम्बिक कैमिकल्स वर्क्स कम्पनी लिमिटेड	12 टी. पी. ए.	15 टी. पी. ए.	बड़ौदा	मूल	17.24	10.94
3. मै. स्टैण्डर्ड फार्मास्यूटिकल्स	6 टी. पी. ए.	.2 टी. पी. ए.	कलकत्ता	मूल	शून्य	शून्य
सरकारी क्षेत्र						
आई. डी. पी. एल.	36 टी. पी. ए.	36 टी. पी. ए.	ऋषिकेश	मूल	3.3	शून्य

	1981-82 (टनों में)	1982-83 (अप्रैल-दिसम्बर) (टनों में)
संगठित क्षेत्र में कुल उत्पादन	31.22	20.97
कुल आयात	0.29	0.85

श्री टी० एस० नेगी : महोदय, 1950 में पैंसलीन का उत्पादन शुरू करने के बाद हम देश में सभी प्रकार की पेचीदा प्रतिजैविकी और औषधियां बना रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि एरिथ्रोमाइसीन के निर्माण हेतु हमने कब, किससे तथा किन शर्तों पर अनुबन्ध किया। क्या ऐसा है कि हम मध्यवर्ती सामग्रियों का आयात सदा ही करते रहेंगे अथवा हम देश में औषधि निर्माण शुरू करेंगे। जिसके लिए हमारे पास काफी सुदृढ़ पृष्ठभूमि है? मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या इस मामले में किसी भारतीय कम्पनी अथवा औषधि निर्माता संस्थान ने सरकार से सम्पर्क किया है अथवा नहीं, और इस संविदा की शर्तें क्या हैं और क्या इनकी पूर्णतः पालना की गई, यदि नहीं तो क्यों नहीं और किसके लाभ के लिए ?···(**व्यवधान**)

श्री बसंत साठे : एरिथ्रोमाइसीन के बारे में स्थिति यह है कि यह एक महत्वपूर्ण प्रतिजैविकी औषधि है आज इस देश में इसका लगभग 35-40 टन उत्पादन हो रहा है यद्यपि 1984-85 तक इसकी अनुमानित अपेक्षा लगभग 50 टन हो जायेगी। अब हमने "अलैम्बिक" को, जो इस क्षेत्र में अग्रणी है, इसकी प्रारम्भिक स्तर से ही निर्माण करने की अनुमति दे दी है। उनको 30 टन उत्पादन करने की अनुमति है। यद्यपि वे अभी इस क्षमता तक उत्पादन करने में समर्थ नहीं हुए हैं। दूसरी कम्पनी जो इस देश में तीसरे स्थान पर है, आई० डी० पी० एल०, को 30 टन उत्पादन करने का लाइसेंस 1977 में दिया गया था। एक और कम्पनी थेमिस जो मूलतः 'टायक' नामक मध्यवर्ती से पटन उत्पादन करती थी। वे इस मध्यवर्ती सामग्री का आयात करके एरिथ्रोमाइसीन बनाते थे। वे बाहर से आयात करते थे। मैं नहीं जानता कि किस···

श्री टी० एस० नेगी : क्या आप यह बताने को तैयार हैं कि किस देश से वे आयात करते थे ?

श्री बसन्त साठे : मूल स्रोत अमरीका हो सकता है।

1981 में उन्हें लाइसेंस दिया गया और 40 टन उत्पादन की अनुमति दी गई। पहले उन्हें 12 टन का आशय पत्र दिया गया किन्तु उन्होंने किया नहीं तत्पश्चात, 1978 में पहले शासन ने एरिथ्रोमाइसीन को सम्पूर्णतः सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित कर दिया। अतः किसी भी निजी क्षेत्र को विस्तार के लिए लाइसेंस नहीं दिया गया। जब 1980 में हमारी सरकार आई हमने फिर से अनारक्षण कर दिया और निजी क्षेत्र को इसका उत्पादन करने की अनुमति दे दी। हमने थेमिस को अनुमति दी तथा 40 टन उत्पादन करने का लाइसेंस दिया। किन्तु, आज तकयद्यपि उन्होंने गुजरात थेमिस नामक एक नयी कम्पनी बना ली है उत्पादन शुरू नहीं किया है। उन्होंने तीन किण्वन स्थापित किए हैं, किन्तु हमारे अनुसार आज तक उन्होंने मूल वस्तु बानी भी शुरू नहीं की है जो कि 12 टन के विस्तार लाइसेंस की शर्त थी। वे अभी भी मध्यवर्ती वस्तु का आयात कर रहे हैं और वही उत्पादन कर रहे हैं जो पहले किया करते थे। यह गैर-कानूनी है और ऐसा नहीं किया जा सकता।

इनके बाद इस देश में कुछ लघु क्षेत्र के उद्योग भी है जो सभी 'टायक' का आयात करते हैं और उत्पादन करके "एबोट" नामक एक बड़ी कम्पनी के नाम से बाजार में माल भेजते हैं।

यदि हम सरकारी क्षेत्र आई० डी० पी० एल० को प्रोत्साहन देते हैं अथवा गैर-सरकारी क्षेत्र थेमिस का मौलिक सामग्री बनाने के लिए कहते हैं तो हमें कुछ कदम उठाने होंगे तथा यह देखना होगा कि "टायक" के आयात का दुरुपयोग न किया जाये।

श्री टी० एस० नेगी : महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या हम देश में एरिथ्रोमाइसीन का निर्माण कर सकते हैं और यदि हाँ तो क्यों नहीं किया जा रहा है ? एरिथ्रोमाइसीन मध्यवर्ती सामग्री के आयात का कुल स्रोत मूल्य क्या है और लाभार्थी कौन है? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन्हें विश्व टेंडरों के आधार पर प्रतियोगी स्तर पर आयात किया जाता है अथवा यह भी "कू आयल" की तरह एक परिवारिक कार्य है ?

श्री बसन्त साठे : आज देश में लगभग 16 टन मध्यवर्ती सामग्री 'टायक' का आयात किया जा रहा है। क्योंकि उपभोग भी समान दर पर है। अतः इतना ही एरिथ्रोमाइसीन का उत्पादन होता है। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है यह मुख्यतः लघु क्षेत्र में होता है और कुछ भाग थेमिस को भी मिलता है जो 'टायक' आयात करते हैं। इसलिए, मौलिक उत्पादन से ही प्रोत्साहन की नीति होनी चाहिए। आजकल आई० डी० पी० एल० की क्षमता बेकार पड़ी है। क्योंकि इनकी लागत अधिक पड़ती है और वे आयातित 'टायक' से परिवर्तित एरिथ्रोमाइसीन के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकते। आयातित 'टायक' काफी सस्ता है और इसलिये वे हमारे बाजार में घुसपैठ करने का प्रयास कर रहे हैं।

डा० कृपा सिंधु भोई : महोदय, माननीय मन्त्री जी ने बताया है कि आई० डी० पी० एल० और अन्य स्वदेशी कम्पनियां आयातित एरिथ्रोमाइसीन मूल कच्ची सामग्री के डिजाइन पैरामीटर के ढांचे में रहते हुए उसके साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकती हैं और इससे उन्हें हानि हो रही है। इसलिए, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मन्त्री महोदय को इसकी जानकारी है कि एरिथ्रोमाइ-सीन, जो कि हमारे देश लिए महत्वपूर्ण औषधि है, के लिए मौलिक कच्ची सामग्री के उत्पादन हेतु डिजाइन पैरामीटर भारतीय मेडिसन और वैज्ञानिक अनुसंधान द्वारा बनाया गया था तथा यह डिजाइन पैरामीटर इन वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए उपलब्ध है। वह इसके आयात पर रोक क्यों नहीं लगा रहे हैं तथा इसके लिए हमारे देश में उत्पादित मूल कच्चे माल का उपयोग किए जाने की अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं ? इस ढंग से वे भारतीय औषध तथा वैज्ञानिक अनु-संधान के साथ संबद्ध वैज्ञानिकों को निरुत्साहित कर रहे हैं।

श्री बसन्त साठे : डिजाइन पैरामीटर में कोई अकुशलता नहीं है तथा हम अपने वैज्ञानिकों तथा अनुसन्धान में लगे आदमियों का पूरा लाभ उठाने के लिए है तथा उन्हें प्रोत्सासन भी देते हैं। जहां तक आई० डी० पीं० एल० का सम्बन्ध है मैं अपने माननीय मित्र तथा इनसे पूर्व बोलने वाले माननीय सदस्य के इन विचारों से पूर्णतया सहमत हूं कि अन्तर्वर्ती वस्तुओं का आयात प्रमुख अड़-चन है। यदि प्रारम्भिक स्तर से ही देशी उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाता है तो उस पर ध्यान देना होगा। यही हमारा उद्देश्य है।

डाले गए मतों के छठे भाग से भी कम मत प्राप्त करने वाले राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त करना

*332. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह :**

श्री के० मालन्ना : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डाले गए कुल मतों के छठे भाग से भी कम मत प्राप्त करने वाले राजनैतिक दलों की मान्यता समाप्त करने का सुझाव सरकार को प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में उपमंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) यद्यपि यह सुझाव सरकार को प्राप्त नहीं हुआ है किंतु सरकार को इसकी जानकारी है। इस सुझाव के क्रियान्वयन के लिए निर्वाचन प्रतीक (आरक्षण और आबंटन) आदेश 1968 को संशोधन अपेक्षित है, जिसमें और बातों के साथ-साथ राजनैतिक दलों की मान्यता का उपबन्ध है। केवल निर्वाचन आयोग ही इस आदेश का प्रशासन करता है और आयोग ने कहा है कि वह इस विषय में जांच कर रहा है और समय आने पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से इस विषय पर विचार-विमर्श करने का उसका विचार है।

श्री कृष्ण प्रताप सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से प्रतिक्रिया जानना चाहता था, जो मान्यता प्रदान करने के संबंध में हैं। 1968 में भी संशोधन हुआ था उसके बाद आज की परिस्थिति में, रोज छोटे-छोटे राजनीतिक दल बन रहे हैं। रोज एक दल का गठन होता है और चुनाव मतदान में जाते हैं। मेरा प्रश्न यह है कि जो कुल मतदान के छठे हिस्से में कम मत प्राप्त कर सके हैं, वैसे राजनीतिक दलों की मान्यता समाप्त कर दी जाए—इसमें सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ? वैसे सरकार का कहना ठीक है कि समय आने पर मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों से इस विषय में विचार विमर्श करेगी। लेकिन मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि कितने ऐसे राजनीतिक दल है, जो कुल मतदान के छठे हिस्से से भी कम मत प्राप्त किए हैं और क्या वे राजनीतिक दलों की सूची में हैं और क्या सरकार उस पर कार्यवाही करने जा रही है ?

विधि न्याय और कंपनी कार्य मत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : अध्यक्ष महोदय, जिस सजैशन का जिक्र माननीय सदस्य ने किया है, यह सजैशन वाइस प्रैजीडेंस ने 1 फरवरी, 1983 को पहली दफा किया था। यह सजैशन इलेक्शन कमीशन के विचाराधीन है। यह आपको मालूम है कि एलाटमेंट आफ सिमबल्स, रिकागनीशन आफ पार्टीज, डि-रिकांगनीशन आफ पार्टीज यह इलैक्शन कमीशन करता है। आपने देखा होगा कि हमने अपने जवाब में कहा है :

"चुनाव आयोग ने कहा है कि वे मामले की जांच कर रहे हैं और उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि इस मामले के बारे में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ निकट भविष्य में चर्चा की जाए।"

यह सुझाव आया है । इसको देखा जा रहा है और यह देखने के बाद जो मत बनेगा, फिर पोलिटिकल पार्टीर्ज से बात करने के बाद कोई कोई निर्णय लिया जा सकता है ।

श्री कृष्ण प्रतापसिंह : क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि इलैक्शन कमीशन और राजनीतिक दलों के नेताओं की बैठक कब तक होगी ? इलैक्शन कमीशन के साथ उनकी वार्ता कब तक होगी तथा इस बारे में कब तक निर्णय हो जायेगा ?

श्री जगन्नाथ कौशल : अभी तो इलैकेशन कमीशन ही कह रहा है कि वह एक्जामिन कर रहा है कि यह बात मानने के लायक है या नहीं है ।

श्री बीजू पटनायक : मैं सरकार से यह जानना चाहूंगा कि क्या वे इस बात के प्रति जाग'क है कि यह चुनाव आयोग का कार्य है और शायद यह है भी । क्या सरकार उन राजनीतिक दलों जो 1/6 मत प्राप्त करते हैं अथवा नहीं अलवा तथाकथित आजाद उम्मीदवार पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाने पर विचार करेगी ।

अध्यक्ष महोदय : तथाकथित आजाद उम्मीदवार ।

श्री बीजू पटनायक : आप किसी दल के 1/6 मतों की बात कर रहे हैं । उन आजाद उम्मीदवारों के बारे में आपकी क्या राय है जो इस देश में कम-कम उस बारे में कोई संशोधन लाकर कुकुरमुत्तो की तरह पैदा हो रहे हैं ।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह सारा मामला इलैक्टोरल रिफार्म्ज का है और विचाराधीन है ।

श्री बीजू पटनायक : यह अलग बात है । हमारे यहां मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसलिये इसमें इण्डिपेन्डेन्ट्स का क्या स्टेट्स है ?

श्री जगन्नाथ कौशल : आपकी यह सजैश्चन नोट कर ली गई है ।

श्री रामविलास पासवान : मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं — इलैक्शन कमीशन क्या करेगा या नहीं करेगा, यह अलग बात है, लेकिन अभी जितनी ऐसी तथाकथित राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां नहीं हैं, लेकिन सारी सुविधायें राष्ट्रीय पार्टी की उनको मिल रही हैं···

श्री जगन्नाथ कौशल : यह सवाल तो इससे पैदा नहीं होता है ।

श्री रामविलास पासवान : क्यों पैदा नहीं होता है ।

श्री जगन्नाथ कौशल : सवाल तो सिर्फ यह है—एक सजैश्चन आई है कि जो पोलिटीकल रिकगनाइज्ड पार्टीज 1/6 से कम वोट लेती हैं उनको डी-रिकगनाइज कर दिया जाय । जो सवाल आप पूछ रहे हैं उसका इस से सम्बन्ध नहीं है ।

श्री रामविलास पासवन : यह उसी का पूरक प्रश्न है—कितनी मान्यता प्राप्त पार्टियां हैं जो मान्यता प्राप्त पार्टियों के लायक नहीं हैं लेकिन उनको सुविधायें दी जा रही हैं ?

श्री के० लकप्पा : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य के अलावा कि यह प्रश्न उन राजनीतिक दलों जो कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग भी प्राप्त नहीं करते, की मान्यता समाप्त करने के सम्बन्ध में है, क्या क्षेत्रीय तथा स्थानीय दलों, जो आज इसे देश की अखण्डता और सार्वभौकिता को खतरे में डालने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं के बनने तथा कुकुरमुत्तों की तरह विकसित होने को रोकने के लिए एक कानून लाने—क्योंकि आप चुनाव सम्बन्धी सुधार लाने के लिए वचन दे रहे हैं पर विचार किया जा रहा है ? ऐसे राजनीतिक दल राष्ट्रीय हितों तथा देश की अखण्डता और सार्वभौकिता के विरुद्ध हैं।

श्री जगन्नाथ कौशल : यह इस प्रश्न से सम्बन्धित नहीं हैं।

श्री के० लकप्पा : आपने कहा, चुनाव सम्बन्धी सुधार—(**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : यह इस प्रश्न का अंग नहीं है। वह कहते हैं उसे एक अलग प्रश्न के रूप में रखा जाना है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : यह एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न है और मैं इस बात से सहमत हूं कि चुनाव आयोग इस मामले पर विचार कर रहा है। राजनीतिक दलों की तरह हमें भी इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना चाहिए। ऐसी गलतफहमी है कि अधिक दलो के होने से समस्याएं पैदा होती हैं। लेकिन अधिक दलों का होना हमारी सामाजिक प्रणाली में परस्पर विरोध पैदा करता है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : लेकिन यदि दलों की संख्या कम करने के नाम से आप वर्तमान दलों की मान्यता समाप्त करना चाहते हैं, तब सरकार का भी तथा सत्ताधारी दल का यह कर्तव्य हो जाता है कि वे इस आशय का एक आश्वासन दें कि वर्तमान दलों, जिनकी मान्यता समाप्त कर दी गई थी, को सबसे पहले मान्यता दी जायेगी।

अध्यक्ष महोदय : चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र निकाय है। यह एक कानूनी निकाय है। वह एक अलग तथा स्वतन्त्र निकाय है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : हमें अपनी राय व्यक्त करने का हक है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी राय व्यक्त कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति आपको अपनी राय देने से रोक नहीं रहा है।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह मामला जनता के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिनियम में सुधार

तथा अन्य बातों से सम्बन्धित है। क्या मैं जनता के प्रतिनिधित्व सम्बन्धी अधिनियम सम्बन्धी एक नया व्यापक कानून बनाए जाने के मामले में की गई प्रगति के बारे में जान सकता हूं ?

श्री जगन्नाथ कौशल : केबिनेट की एक सब कमेटी ने कई बैठकें की हैं और लगातार बातें हो रही हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : यह तो आप कई बार कह चुके हैं। पिछले सैसन में भी आप ने यह कहा था कि केबिनेट की सब कमेटी कंसीडर कर रही है।

श्री जगन्नाथ कौशल : जो स्थिति है, वह तो मैंने बयान करनी ही है।

समाचारपत्रों के पंजीकरण की प्रक्रिया

*333. **श्री गिरिधर गोमांगो** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं, जिनके आवेदन उड़ीसा सरकार ने सिफारिश करके भेजे हैं अथवा जिनके आवेदन उनके मन्त्रालय को सीधे ही प्राप्त हुए हैं ;

(ख) उनमें से उन समाचारों के नाम क्या हैं जिन्हें उनके मन्त्रालय से पंजीकरण पत्र प्राप्त हो चुका है ; और

(ग) समाचारपत्रों के पंजीकरण के लिए उनके मन्त्रालय द्वारा अपनायी गई प्रक्रिया और नीति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) से (ग) समाचारपत्रों के पंजीकरण तथा पंजीकरण प्रमाणपत्रों को जारी करने की प्रक्रिया प्रेस और पुस्तक पंजीकरण अधिनियम, 1867 की धारा 19-ख और 19-ग तथा समाचारपत्र (केन्द्रीय) पंजीकरण नियम, 1956 के नियम 7 और 10 में निहित है। इस प्रक्रिया के अनुसार, प्रेस और पुस्तक अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत मुद्रक/प्रकाशक द्वारा की गई और हस्ताक्षरित तथा संबंधित मजिस्ट्रेट की सरकारी मोहर द्वारा साक्ष्यांकित घोषणा की प्रति के प्राप्त होने पर समाचारपत्र को पंजीकृत किया जाता है। इस प्रकार के पंजीकरण के बाद तथा समाचारपत्र के प्रकाशन पर प्रकाशक को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। राज्य सरकार या किसी अन्य व्यक्ति की सिफारिश की आवश्यकता नहीं होती।

उड़ीसा से प्रकाशित होने वाले उन समाचारपत्रों, जिन्हें 1978 से पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए थे तथा जिन्हें पंजीकरण प्रमाणपत्र अभी जारी किए जाने हैं, की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

विवरण

(क) उड़ीसा राज्य के उन समाचारपत्रों की सूची जिन्हें जनवरी, 1978 से फरवरी, 1983 तक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं।

1. भारत माई नेशन	अंग्रेजी दैनिक
2. दिनालिपि	उड़िया दैनिक
3. खबड़ा कागज	उड़िया दैनिक
4. आभेद	हिन्दी साप्ताहिक
5. अजी	उड़िया साप्ताहिक
6. विपलाव	उड़िया साप्ताहिक
7. दिवदिवी	उड़िया साप्ताहिक
8: गण वार्ता	उड़िया साप्ताहिक
9. गड़ हस्तहार	उड़िया साप्ताहिक
10. हितकखी	उड़िया साप्ताहिक
11. जन समीख्या	उड़िया साप्ताहिक
12. जुवलोक	उड़िया साप्ताहिक
13. खुर्दा बुलेटिन	उड़िया साप्ताहिक
14. नरविका	उड़िया साप्ताहिक
15. नियमिका	उड़िया साप्ताहिक
16. प्रगति सिखा	उड़िया साप्ताहिक
17. रणवेरी	उड़िया साप्ताहिक
18. राउरकेला रिपोर्टर	उड़िया साप्ताहिक
19. समाधान	उड़िया साप्ताहिक
20. सानी	उड़िया साप्ताहिक
21. दि विवारटना	उड़िया साप्ताहिक
22. सुरज्या	द्विभाषी साप्ताहिक
23. ट्यूज्डे	द्विभाषी साप्ताहिक

24. लेबर ब्यूरो	द्विभाषी साप्ताहिक
25. उत्कल भूमि	द्विभाषी साप्ताहिक
26. जयकेपुर समाचार	अंग्रेजी पाक्षिक
27. आदिबासी कल्याण	उड़िया पाक्षिक
28. अनन्य	उड़िया पाक्षिक
29. बाना बाणी	उड़िया पाक्षिक
30. जाग्रत हुआ	उड़िया पाक्षिक
31. खबर	उड़िया पाक्षिक
32. मयूरभंज समाचार	उड़िया पक्षिक
33. माता माता	उड़िया पाक्षिक
34. मानव समाज	उड़िया पाक्षिक
35. महिला वार्ता	उड़िया पाक्षिक
36. न्यायबाती	उड़िया पाक्षिक
37. प्रगति सूर्य	उड़िया पाक्षिक
38. प्रगति पथ	उड़िया पाक्षिक
39. प्रतपड़िका	उड़िया पाक्षिक
40. पुरपल्ली	उड़िया पाक्षिक
41. संपादक	उड़िया पाक्षिक
42. पाल्ली बंधु	उड़िया पाक्षिक
43. सबिता	उड़िया पाक्षिक
44. श्रम शक्ति	उड़िया पाक्षिक
45. सुविचारा	उड़ीसा पाक्षिक
46. अल्यूमीनियम	अंग्रेजी मासिक
47. कोणार्क रिव्यू	अंग्रेजी मासिक
48. प्लेनेट्स एण्ड फोरकास्ट	अंग्रेजी मासिक

49. ड्राफ्ट साइन्स न्यूज	अंग्रेजी मासिक
50. लीगल पब्लिकेशन न्यूज	अंग्रेजी मासिक
51. मार्केट होरिजन	अंग्रेजी मासिक
52. उड़िया मेडिकल जर्नल	अंग्रेजी मासिक
53. स्पोर्ट इन्फार्मेशन	अंग्रेजी मासिक
54. मंगल सूत्र	हिन्दी मासिक
55. अबरता	उड़िया मासिक
56. बैदाहक	उड़िया मासिक
57. बान झारम	उड़िया मासिक
58. विज्ञान ज्योति	उड़िया मासिक
59. भागवत दर्शन	उड़िया मासिक
60. बिजुली	उड़िया मासिक
61. बिलोनाना	उड़िया मासिक
62. बिलुआ विचार	उड़िया मासिक
63. बुनकर	उड़िया मासिक
64. चलचित्र	उड़िया मासिक
65. चलपत्राथ	उड़िया मासिक
66. छात्राडूबया	उड़िया मासिक
67. छाया चित्र	उड़िया मासिक
68. चिकित्सक	उड़िया मासिक
69. चिरतन	उड़िया मासिक
70. चित्रा	उड़िया मासिक
71. दाबने-ओ-दायित्वो	उड़िया मासिक
72. दिव्य संदेश	उड़िया मासिक
73. दिव्य चेतना	उड़िया मासिक
74, गणभूहन	उड़िया मासिक

75. गणा रायजा	उड़िया मासिक
76. गोकर निका	उड़िया मासिक
77. जहानराजा	उड़िया मासिक
78. जनदरबार	उड़िया मासिक
79. कैबल्या	उड़िया मासिक
80. कैवार्ता समाचार	उड़िया मासिक
81. खतिकिया	उड़िया मासिक
82. जीविका	उड़िया मासिक
83. खाद्य कृषि	उड़िया मासिक
84. कुंदा संदेश	उड़िया मासिक
85. कृष्ण चक्र	उड़िया मासिक
86. लास्दा	उड़िया मासिक
87. लोक कल्याण	उड़िया मासिक
88. लोक सिख्या	उड़िया मासिक
89. महल	उड़िया मासिक
90. मनफसल	उड़िया मासिक
91. मशाल (दि)	उड़िया मासिक
92. मोती मणिका	उड़िया मासिक
93. उड़िया विश्वनगरी	उड़िया मासिक
94. प्रसारिणी	उड़िया मासिक
95. पूसी मौसी	उड़िया मासिक
96. समावेश	उड़िया मासिक
97. साहित्य-ओ-समालोचना	उड़िया मासिक
98. संगरमर वार्ता	उड़िया मासिक
99. संघ समाचार	उड़िया मासिक
100. संजोग	उड़िया मासिक

101. शंख	उड़िया मासिक
102. श्रमिक वार्ता	उड़िया मासिक
103. सुभद्रा	उड़िया मासिक
104. श्रमिक एकता	उड़िया मासिक
105. सुनपिला	उड़िया मासिक
106. स्वास्तिक	उड़िया मासिक
107. तत्वघोदा	उड़िया मासिक
108. टिटिख्या	उड़िया मासिक
109. तिमिरलोक	उड़िया मासिक
110. उनमेषा	उड़िया मासिक
111. वारित्का	उड़िया मासिक
112. योग ज्योति	उड़िया मासिक
113. दंडक वार्ता	द्विभाषी मासिक
114. युगधर्म	उर्दू मासिक
115: भंडाफोड़	द्विभाषी मासिक
116. ग्राम शक्ति	द्विभाषी मासिक
117. विनिमय	द्विभाषी मासिक
118. उत्कल हीम्यो संदेश	बहुभाषी मासिक
119, क्रियाबन	अंग्रेजी त्रैमासिक
120. महामदी	अंग्रेजी त्रैमासिक
121. अखिल चक्र पत्रिका	अंग्रेजी त्रैमासिक
122. ईकोरिसा पत्रिका	अंग्रेजी त्रैमासिक
123. इंटिग्रल एजूकेशन	अंग्रेजी त्रैमासिक
124. आर० आर० एल० बुलेटिन	अंग्रेजी त्रैमासिक
125. सिंग सौंग	अंग्रेजी त्रैमासिक
126. वोरटैक्स	अंग्रेजी त्रैमासिक

127. अखिल चक्र पत्रिका	उड़िया त्रैमासिक
128. अमृतयान	उड़िया त्रैमासिक
129. जावाहम्	उड़िया त्रैमासिक
130. बिदोरा	उड़िया त्रैमासिक
131. बुद्ध शासन	उड़िया त्रैमासिक
132. छायानिका	उड़िया त्रैमासिक
133. दल्व्यरहमा	उड़िया त्रैमासिक
134. जिजिसा	उड़िया त्रैमासिक
135. दिगंता	उड़िया त्रैमासिक
136. हिन्दू चेतना	उड़िया त्रैमासिक
137. इस्तबार	उड़िया त्रैमासिक
138. कुमार	उड़िया त्रैमासिक
139. महाप्रभु	उड़िया त्रैमासिक
140. जनपथ	उड़िया त्रैमासिक
141. क्रान्ति पथ	उड़िया मासिक
142. नईवलिपि	उड़िया त्रैमासिक
143. नीला सागर	उड़िया त्रैमासिक
144. नीरमल्य	उड़िया त्रैमासिक
145. पंचन्य	उड़िया त्रैमासिक
146. परिचर्या	उड़िया त्रैमासिक
147. पुराना दर्शन	उड़िया त्रैमासिक
148. पूर्णिमा चांद	उड़िया त्रैमासिक
149. समारोह	उड़िया त्रैमासिक
150. संपर्क	उड़िया त्रैमासिक
151. शिशु लेखा	उड़िया त्रैमासिक
152. उद्मति	उड़िया त्रैमासिक

153. उनमना	उड़िया त्रैमासिक
154. विश्वधारा	उड़िया त्रैमासिक
155. दिग्दर्शनी	संस्कृत त्रैमासिक
156. सर्विस एक्सपीरियन्स	द्विभाषी त्रैमासिक
157. उत्कल प्रगति	द्विभाषी त्रैमासिक
158. एकमाश टाइम्स	अंग्रेजी अन्य आवधिकता
159. जर्नल आफ दि डिप्लोमा इंजिनियर्स एशोसियेशन	अंग्रेजी अन्य आवधिकता
160. कटक रिव्यू	अंग्रेजी अन्य आवधिकता
161. जर्नल आफ कम्पेरेरिव अल्ट्रेचर एण्ड एसथेटिक्स	अंग्रेजी अन्य आवधिकता
162. जर्नल आफ स्टेट पालिटिक्स एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन	अंग्रेजी अन्य आवधिकता
163. मूल्य ज्ञान	अंग्रेजी अन्य आविधकता
164. मल्टिवर्स	अंग्रेजी अन्य आविधकता
165. विज्ञान आलोक	उड़िया अन्य आवधिकता
166. अजीरा विज्ञान	उड़िया अन्य आवधिकता
167. झिलमिली	उड़िया अन्य आवधिकता
168. काकामीना	उड़िया अन्य आवधिकता
169. नीलादी	उड़िया अन्य आवधिकता
170. रुतु	उड़िया अन्य आवधिकता
171. शिशु रायजा	उड़िया अन्य आवधिकता
172. शिशु पर्व	उड़िया अन्य आवधिकता
173. उड़ीसा रिफेन्स एन्नुअल	अंग्रेजी वार्षिक
174. कोणार्क ज्ञान विज्ञान परिचय	उड़िया वार्षिक
175. पाठक	उड़िया वार्षिक
176. भुवनेश्री	द्विभाषी साप्ताहिक
177. डगारो	उड़िया मासिक

विविध श्रेणी

178. कोस्मिक पावर	अंग्रेजी मासिक
179. आफिसर्स न्यूज	अंग्रेजी मासिक
180. श्री जगन्नाथ	वहु अन्य आवधिकता
181. अली प्रदीप	बहु वार्षिक
182. एन्नुअल मेगजीन पदमनशेहरपुर हाई स्कूल	बहु वार्षिक
183. गवर्नमेंट सेंकडरी एण्ड ट्रेनिंग स्कूल फार वूमेन बरह मथुरमैगजीन	बहु वार्षिक
184. जदोसनरुती	बहु वार्षिक

(ख) उड़ीसा राज्य के उन समाचारपत्रों की सूची जिन्हें पंजीकरण प्रमाण-पत्र अभी जारी किए जाने हैं।

1. दि प्रगति संघ	उड़िया पाक्षिक
2. तिलभनाधर	उड़िया मासिक
3. छात्र बंधु	बहुभाषी वार्षिक
4. अनुशीलम	उड़िया त्रैमासिक
5. विश्व रूपा	उड़िया द्विमासिक
6. दिग्विजयी	उड़िया मासिक
7. नील कदरा	उड़िया वार्षिक
8. दि समदर्शी	उड़िया त्रैमासिक
9. दैनिक आशा	उड़िया दैनिक

श्री गिरिधर गोमांगो : 184 समाचार पत्रों में से, जिन्हें उड़ीसा में पंजीकरण के प्रमाण पत्र दिए गए हैं, केवल दो दैनिक समाचार पत्र हैं और 9 समाचार पत्रों में से, जिन पर पंजीकरण के प्रमाण पत्र देने के लिए सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है, केवल एक समाचार पत्र अर्थात 'दैनिक आशा' ही दैनिक समाचार पत्र है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या मजिस्ट्रेट ने इस समाचार पत्र के लिए पंजीकरण का प्रमाण-पत्र देने की सिफारिश की है। यदि हां, तो अब तक पंजीकरण का प्रमाण-पत्र क्यों नहीं दिया गया है?

श्री एच० के० एल० भगत : मैं इस मामले में माननीय सदस्य के साथ व्यक्तिगत रूप से चर्चा करना चाहूंगा किन्तु, सदन में मैं यह बताना चाहूंगा कि 'आशा' के नाम से जाने जाने वाले

एक समाचार पत्र, जिसे पहले पंजीकरण का प्रमाण-पत्र दिया जा चुका है तथा 'दैनिक आशा' के बीच एक विवाद है। ऐसा प्रतीत होता है कि 'आशा' का नाम लोकप्रिय है। मैं भी इसे पसंद करता हूं क्योंकि मेरी पत्नी का नाम भी यही है। (व्यवधान) इन दोनों समाचार-पत्रों के बीच विवाद है। कानून के अन्तर्गत वही नाम अथवा एक जैसा नाम नहीं दिया जा सकता। मामला न्यायलय में जा चुका है। मजिस्ट्रेट ने घोषणा कर दी थी, लेकिन उन्होंने राज्य के समाचार-पत्रों के पंजीयक से परामर्श नहीं किया था। कानून के अन्तर्गत उन्हें परामर्श करना चाहिए था। समाचार पत्रों के पंजीयक ने उन्हें लिखा है कि इस मामले में उनसे परामर्श लिया जाना चाहिए था। 'दैनिक आशा' के संचालक मुन्सिफ के न्यायलय में गए थे। वहां पर दावे को रद्द कर दिया गया था। सारा मामला न्यायलय में विवाद ग्रस्त पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर मैं इस मामले में माननीय सदस्य के साथ चर्चा करना चाहूंगा।

श्री गिरिधर गोमांगो : दोनों नाम एक जैसे नहीं हैं। एक 'आशा' है और दूसरा 'दैनिक आशा' है। क्या किसी व्यक्ति ने सरकार के पास यह शिकायत भेजी है कि इस समाचार पत्र का पंजीकृत न किया जाए ? मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या 'आशा' को नियमित रूप से प्रकाशित नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन समाचार पत्रों के पंजीकरण को रद्द कर देगी जिन्हें नियमित रूप से प्रकाशित नहीं किया जाता है और उनके नामों को उन समाचार पत्रों को दिया जा सकता है जिनकी अधिक प्रतियां बिकती हैं ?

श्री एच० के० एल० भगत : जहां तक 'आशा' और 'दैनिक आशा' का सम्बन्ध है, कानून के अन्तर्गत यदि दोनों नाम वहीं है या एक जैसे हैं उनको पंजीकरण का प्रमाण-पत्र नहीं दिया जा सकता। इसका कारण यही है कि 'दैनिक आशा' और 'आशा' एक जैसे नाम हैं। यदि कोई समाचार पत्र नियमित रूप से नहीं छपता है तो उसे रद्द करने की प्रक्रिया है। यदि उस प्रक्रिया का अनुपालन किया जाता है और घोषणा को रद्द कर दिया जाता है, तो निश्चित रूप से कानून के अन्तर्गत उस नाम को नए समाचार पत्र को दिया जा सकता है। मेरा सादर निवेदन है कि मैं इस मामले में माननीय सदस्य के साथ चर्चा करना चाहता हूं।

डा० कृपा सिन्धु भोई : मेरा श्री पटनायक जी से अनुरोध है कि वे इस मामले में पूरक प्रश्न पूछें।

अध्यक्ष महोदय : उनके पड़ोसी पूछ रहे हैं। वे चाहते हैं कि इनको पूछने दीजिए।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : महोदय, मंत्री महोदय ने अपने जबाब में बताया है कि समाचार पत्रों के पंजीकरण के बारे में राज्य सरकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं है। मैं जानता हूं कि अधिकांश मामलों में समाचार-पत्रों के पंजीकरण को काफी लम्बे समय तक लटकाया जाता है। मैं नहीं जानता यह सब किस लिए होता है। क्या इसमें देरी इसलिए की जाती है क्योंकि उनकी सत्ताधारी राजनीतिक दल द्वारा सिफारिश नहीं की जाती है इसलिये पंजीकरण में विलम्ब किया जाता है अथवा उन समाचार पत्रों, जो तटस्थ समाचार पत्र हैं और जिनकी सत्ताधारी दल द्वारा कोई सिफारिश नहीं की जाती है, के पंजीकरण में देरी करने के क्या कारण हैं। मंत्री महोदय

'आशा' समाचार-पत्र के नाम को मान्यता देने के विरुद्ध हैं। क्यों ? क्या वे उस समाचार-पत्र को मान्यता देने के लिए इसलिए विरुद्ध हैं क्योंकि यह पत्र उनकी पत्नी के नाम पर है ?

श्री एच० के० एल० भगत : महोदय, मैंने प्रारम्भ में यह निवेदन किया था कि इस विषय में स्पष्ट कानून है। किसी समाचार-पत्र को राज्य सरकार की सिफारिश पर पंजीकृत का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि कानून में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है और, अतएव राज्य सरकार की सिफारिश पर पंजीकरण करने अथवा पंजीकरण के लिए मना करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा सम्बन्ध कानूनी उपबन्धों से है और हमने किसी भी राज्य सरकार की सिफारिश पर किसी भी घोषणा को मना नहीं किया है अथवा उसमें विलम्ब नहीं किया है। माननीय सदस्य की जानकारी के लिए मैं यह कर सकता हूं कि इस मामले में जिसके बारे में माननीय सदस्य को जानकारी है, कानून के अन्तर्गत ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है। सम्भवतः इस मामले में राज्य सरकार ने भी अपनी सिफारिश की थी लेकिन कानून अपने ही तरीके से कार्य कर रहा है। अतएव, पंजीकरण करने अथवा पंजीकरण न करने अथवा पंजीकरण करने में विलम्ब करने में राजनीतिक दल द्वारा किसी प्रकार के विचार किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। यदि माननीय सदस्य की जानकारी में कोई विशिष्ट मामला है तो वे उसे मेरी जानकारी में ला सकते हैं और मैं उसकी जांच करूंगा।

धनबाद कोयला खानों से कोयले की चोरी

*334. **कुमारी पुष्पा देवी सिंह** : क्या उर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकरी है कि धनबादं की विभिन्न कोयला खानों से प्रतिदिन लगभग 7000 टन कोयला दिन दहाड़े चोरी हो जाता है;

(ख) क्या इस संबंध में सरकार द्वारा कोई जांच कराई गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस सबंध में केन्द्रीय सरकार का विचार कौन से कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (घ) : धनबाद की कोयला खानों से कोयले की चोरी के कुछ मामले हुए है। इस संबंध में विभिन्न सुरक्षा उपाए किए गए हैं जैसे—केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कार्मिकों द्वारा संयुक्त गश्त, राज्य सरकार द्वारा कोलियरियों के निकट स्थित कोयला डिपो के लाइसेंस रद्द करना, कोयला टालों के आस-पास चार दीवारी का निर्माण, नए पुलिस थाने चौकियां खोलना और कोयला क्षेत्रों में कोयले और कंपनी की अन्य संपत्ति की चोरी में पकड़े गए ट्रकों के मालिकों के नाम काली सूची में लिख देना।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : क्या मैं माननीय मन्त्री महोदय से यह जान सकती हूं कि क्या यह सच है कि धनबाद जिले की विभिन्न कोयला खानों में नियुक्त किये गये केन्द्रीय सुरक्षा बल

के कार्मिकों को यह पहले से पता है कि आसन-सोल रानीगंज कोयला पट्टी तथा अन्य कोयलरीज में कोयलरीज के आस-पास, डिपों तथा रेलवे यार्डों से वैगनों को अच्छी तरह लूटा जाता है और वे कोई उपाय करने में असमर्थ रहते हैं क्योंकि ड्यूटी पर लगाये गये केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के कार्मिक बदमाशों द्वारा कोयले की इस प्रकार की चोरी के विरुद्ध किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं कर सकते हैं चूंकि सरकार ने उन्हें कोई शक्तियां नहीं दी हैं ? दूसरी बात यह है कि क्षेत्र के स्थानीय युवक तथा समाज विरोधी तत्व जो कोयला क्षेत्र से वैगन ले रहे हैं वे बैलगाड़ियों में कोयले का लदान करते हैं जिसके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय ने उत्तर नहीं दिया है। अतः मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहती हूं कि अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 तक इस तरीके से स्थानीय युवकों तथा समाज विरोधी तत्वों द्वारा कितना कोयला चोरी किया गया और इससे सरकार को प्रतिदिन कितने राजस्व की हानि हो रही है ?

श्री दलबीर सिंह : धनबाद 455 किलोमीटर का एक लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है। वहां चोरी की सम्भावनाएं हैं क्योंकि वहां रेलवे स्टेशनों के पास खुले ढेर लगे होते हैं और कुछ स्थानों पर दीवारे भी नहीं होती हैं। कोयले की सुरक्षा के लिये विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं । सरकार ने इस क्षेत्र में सतर्कता कार्य को बढ़ाने के सम्बन्ध में भी कार्यवाहियां की हैं । कोयला कम्पनियों ने पुलिस और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल दोनों के द्वारा संयुक्त सुरक्षा शुरू की हैं।

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : पुलिस और कोलमाइंस के जितने भी आफिसर्स हैं सब मिले रहते हैं। मन्त्री महोदय को शायद यह नहीं मालूम कि आफिसर्स ही चोरी करते हैं और करवाते हैं।

श्री दलबीर सिंह : बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया है कि सरकार उन क्षेत्रों में कोल डिपों की अनुमति नहीं देगी जहां समाज विरोधी तत्वों द्वारा कोयले की अत्यधिक चोरी की जाती है। सरकार उन क्षेत्रों में डीपुओं को समाप्त कर रही है। जब कभी कोई शिकायत मिलती है या कोई व्यक्ति पकड़ा जाता है प्रथम सूचना रपट सम्बन्धित थाने में दर्ज करा दी जाती है। आठ थाने 14 पुलिस चौकिया उन क्षेत्रों में खोली गयी हैं। वर्ष 198 -83 के दौरान 1962 मीटरी टन कोयले की चोरी की गयी है। क्रय तथा विक्रय असुरक्षित स्थान हैं। अतः हमने उन्हें वहां से स्थानान्तरित कर दिया है। हमने बहुत से व्यक्तियों को स्थानान्तरित करने के आदेश कर दिये हैं। 540 व्यक्तियों को पहले ही मुक्त कर दिया है। अतः विभिन्न कार्यवाहियां की गई हैं हम इन क्षेत्रों में कोयले की सुरक्षा तथा चोरी को रोकने के संबंध में सभी संभव कार्यवाहियां कर रहे हैं।

कुमारी पुष्पा देवी सिंह : मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहती हूं कि क्या यह भी सच है कि मध्य प्रदेश तथा अन्य राज्यों में समाज विरोधी तत्वों द्वारा कोयले को इसी किस्म की चोरी की जाती है। क्या यह भी सच है कि स्थानीय युवक ट्रक मालिकों से उन्हें डिपुओं तक जाने की अनुमति देकर उनसे अवैध रूप से रुपया इकट्ठा कर रहे हैं और कोयला खानों के सामान्य कार्यों को इस प्रकार धन दिये बगैर नहीं करने दे रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि पूर्वी कोयला क्षेत्र को इस प्रकार की खुली चोरी से 2 मि० टन० कोयले का नुकसान हो रहा है जिसके कारण

हम देश में कोयला उत्पादन में बहुत पीछे है ? यदि हां तो सरकार ने इसे रोकने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : मैं इस बात से सहमत हूं किस क्षेत्र की एक विशाल पट्टी में कोयले की चोरी होती रही है और मध्य प्रदेश भी अपवाद नहीं है। चोरी को रोकने के लिये की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में हमने उन्हें उत्तर के ही मुख्य भाग में बता दिया है। वर्तमान परिस्थियों में वास्तविकता यह है कि सुस्पष्ट उपाय विकसित करना संभव नहीं है। हानि को रोकने के लिये यथासंभव कार्यवाही की जा रही है। वस्तुत: भारी मात्रा में चोरी को रोकने के लिये ही स्वतन्त्र बिक्री प्रणाली की शुरूआत की गई है। अन्यथा यह होती रहती। मैं इस बात को दृढ़तापूर्वक नहीं कहता कि जो कुछ कार्यवाही हम कर रहे हैं वह पर्याप्त है लेकिन अपनी ओर से हम वे उपाय कर रहे हैं जो संभवतया किये जा सकते हैं।

इस सभा में जो कुछ निवेदन कर सकता हूं कि वह सब यही है।

श्री शिवेन्द्र बहादुर सिंह : आपके पूर्ववर्ती ने कोयला क्षेत्रों में उपग्रह उतारना शुरू करने के बारे में अनेकों बात घोषणा की थी।

आजकल मजदूरों को कोयले की सप्लाई मुक्त की जा रही है।

अब मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या चोरी वाहकों द्वारा की जाती है चूंकि आपने ये उपग्रह उतारे नही हैं या मजदूरों की स्थानीय प्रबन्ध और वाहकों से सांठ-गांठ होती है जिसके कारण ये चोरियां होती हैं।

श्री पी० शिवशंकर : विभिन्न स्थानों पर उपग्रह जमाव बनाये गये हैं। विभिन्न प्रक्रियाएं हैं। जिनके माध्यम से कोयले की चोरी होती है।

श्री राम विलास पासवान : 2, 4 अधिकारियों को अपने विभाग से सस्पेंड कीजिए

श्री पी० शिव शंकर : मैंने सस्पेंड किया है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : कितने अधिकारियों को मुअत्तल किया गया है।

श्री पी० शिवशंकर : यदि माननीय सदस्यों की किन्हीं विशिष्ट मामलों की जानकारी है, वे उसे मेरे पास भिजवा दें। मैं उनका अत्यन्त आभारी रहूंगा। हमने सख्त उपाय करने शुरू कर दिये हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि हम इसकी पूरी तरह रोकथाम करने में सफल नहीं हुए है। जो स्थिति पैदा हुई है वह यह है कि यह काफी लम्बे समय से होती रही है। कानूनी-दल कार्य करता रहा है। अल्प समय में ही कार्य पूरा करना तथा पूर्ण बातों को रोकना संभव नहीं है। प्रणाली को मजबूत करना है। अपराधियों को पकड़ने के लिये हम सतर्कता प्रणाली को भी मजबूत कर रहे हैं। सभी उपाय किये जायेंगे। मैं सभा को आश्वासन देता हूं कि हम अपनी ओर से कमी नहीं रखेंगे।

श्री जमीलुर्रहमान : मोहतरम सदर साहब, मैं आपके जरिये मोहतरम वजीर से जानना चाहता हूं कि कोयले का मसला निहायत संगीन है और इसकी पिलफरेज के जो आंकड़े दिये गये हैं वह मसला भी संगीन है, तो मंत्री जी यह बतायें कि धनबाद एरिया में 1982-83 में चाहे माफिया गैंग का हो, चाहे अफसर या ट्रक वाले हों या वर्कर्स की कनाइवेंस से हो, कितने कैसेज इंस्टीट्यूट किये गये और एक साल के अन्दर कितने लोग पकड़े गये ?

श्री पी० शिव शंकर : सी० सी० एल० से जहां तक अप्रैल 1982 से जुलाई 1982 का सवाल है 29 रेड्स हुए हैं और करीब 359 टन कोयला वसूल किया गया । साथ-साथ 15 साइकिलें भी कब्जे में ले ली गई हैं । इसी तरह 1981-82 में 43 रेड्स किये गये, 145 टन कोयला हासिल किया गया और 31 साइकिलों को कब्जे में लिया गया, और 29 मुकदमें रजिस्टर किये गये हैं ।

जैसा मैंने पहले अर्ज किया यह सही है कि यह काफी नहीं है । मैंने यह बात कही है । लेकिन हमारी तरफ से पूरी कोशिश होगी कि जितना हो सके इस तरह की चोरियों को रोका जाय ।

श्री नारायण चौबे : कुछ महीने पहले यह पता लगाने के लिये कि धनबाद क्षेत्र में क्या होता रहा है, कलकत्ता से एक लेखा परीक्षक भेजा गया था । उस व्यक्ति को मार दिया गया । मैं गृह मन्त्री की बजाय इस विभाग के प्रभारी मन्त्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि इस व्यक्ति को क्यों मार दिया गया । लेखा परीक्षा रिपोर्ट क्या था जिसके कारण इस व्यक्ति को मार दिया गया था । और उन रिपोर्टों के संबंध में उन्होंने क्या कार्यवाही की है ।

श्री पी० शिव शंकर : सभी मामला पूछताछ तथा जांचाधीन है । मैं उनसे सहमत हूं । लेकिन मैं सभा को पूछताछ पूरी होने के पश्चात ही बताने की स्थिति में हूंगा ।

———

प्रश्नों के लिखित उत्तर

विद्युत परियोजनाओं में विदेशी सहभागिता

*335. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग 20 शीर्ष विद्युत उपकरण निर्माता फर्मों ने लगभग दो वर्ष पूर्व भारत को रियायती दर पर उपकरण सप्लाई करने का प्रस्ताव किया था;

(ख) क्या यह भी सच है कि कम हो रहे वित्त और तेजी से बढ़ती हुई लागत के कारण विद्युत परियोजनाओं की प्रगति धीमी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार पहले किये गए प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने

और देश में विद्युत उत्पादन को तेज करने के लिए विदेशी सहभागिता के संबंध में नीति निर्णय लेने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विदेशों/विदेशी कम्पनियों से भारत को विद्युत उपस्कर सप्लाई करने की इच्छा व्यक्त करने वाले व्यापक प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । अधिकांश प्रस्तावों में यह नहीं बताया गया है कि उपस्कर रियायती शर्तों पर सप्लाई किया जायेगा ।

(ख) विद्युत परियोजनाओं की कार्यक्रमानुसार चालू करने में अन्य पहलुओं के साथ-साथ स्रोतों की सीमितता तथा लागत में वृद्धि आदि का प्रभाव पड़ रहा है ।

(ग) बाहरी सहायता का उपयोग करते हुए दो परियोजनाओं नामशः रिहन्द तथा विन्ध्याचल को स्वीकृति दे दी गई है । अन्य मामलों में कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

हल्दिया में इंडियन आयल कार्पोरेशन की यूनिट का विस्तार

*336. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** :

श्री ईरा अनबारासु : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हल्दिया स्थित इंडियन आयल कार्पोरेशन की यूनिट के विस्तार की क्या योजना है;

(ख) उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन की हल्दिया यूनिट के विस्तार कार्यक्रम को आरम्भ करने, चलाने तथा पूरा करने का क्या कार्यक्रम है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) देश की पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा करने के लिए प्रतिवर्ष अशोधित तेल के उत्पादन में 3 मिलियन मी० टन की वृद्धि से हल्दिया शोधनशाला का विस्तार करने के लिए इंडियन आयल कार्पोरेशन ने एक संभाव्यता रिपोर्ट तैयार की है । इसमें चार विभिन्न उत्पाद पेटर्नों के लिए चार विभिन्न संसाधन योजनाएं हैं । विकल्पों में हटमौसफैरिक रेजिड्यू फ्लूइड केटालिटिक क्रेकिंग, डिस्टीलेट फ्लूइड केटालिटिक क्रेकिंग, डिस्टीलेट हाइड्रोक्रेकिंग तथा लब्रीकेकिंग आयल बेस स्टाक उत्पादन सुविधाओं में विस्तार शामिल है । सम्बन्धित विभागों के परामर्श से इस संभाव्यता रिपोर्ट की पहले से ही जांच की जा रही है ।

हल्दिया बन्दरगाह में तेल जेटियों तथा रख-रखाव सुविधाओं में विस्तार जिसकी संभाव्यता रिपोर्ट कलकत्ता बन्दरगाह आयोग/जहाजरानी तथा परिवहन मंत्रालय द्वारा तैयार की जा रही है, के साथ हल्दिया शोधनशाला की इस परियोजना को समकालिक बनाना पड़ेगा । इन दोनों को सातवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

कुजू कोयला क्षेत्र में कुछ ग्राम पंचायतों के लोगों को विकास का लाभ

* 337. **श्री रीत लाल प्रसाद वर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० के अंतर्गत कुजू कोयला क्षेत्र में आरा, शेरूबाड़ी तथा अन्य सात कोयला परियोजनाओं के आस पास ग्राम पंचायत चैनपुर, सौंडिह, मोरपा बड़गांव आदि लोगों को अभी भी विकास का लाभ नहीं मिल रहा है ;

(ख) क्या कोयला खान कर्मचारी संघ ने कुजू क्षेत्र के महाप्रबंधक तथा सभापति एवं प्रबंध निदेशक रांची को ग्रामों के विद्युतीकरण, पक्की सड़कें, स्कूल भवन बनाने तथा पेयजल, सिंचाई और अस्पताल की सुविधा देने और अन्य ग्राम पंचायत में बच्चों के लिए बसों की सुविधा देने के बारे में कई बार लिखा है ;

(ग) क्या अन्य संघ सामुदायिक विकास योजना (कुजू परियोजना के अन्तर्गत) को क्रियान्विति के लिए मांगों के समर्थन में 7 मार्च, 1983 से भूख हड़ताल पर हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उन्हें तुरन्त परिसरीय विकास योजना में शामिल करने के बारे में विचार करने का है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) गांवों के लिए विकास और कल्याण कार्यक्रम मुख्यत: राज्य सरकारों का विषय है । फिर भी, कोयला कंपनियों ने निकटवर्ती क्षेत्रों के लाभ के कुछ लिए सीमित पैमाने पर विकास और कल्याण कार्यक्रम कुछ प्रतिमानों के आधार पर शुरू किया है । सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में कंपनी का सामुदायिक विकास कार्यक्रम से० को० लि० प्रतिष्ठानों के चारों ओर 8 कि०मी० की परिधि में स्थित गांवों तक लागू होता है जहां से कंपनी के अधिकांश कामगार आते हैं । इन प्रतिमानों के आधार पर केवल चैनपुर गांव कंपनी के सामुदायिक विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है ।

(ख) जी, हां ।

(ग) जी, नहीं ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

छठी योजना में उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र के लिए निर्धारित धनराशि

*338. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या ऊर्जा मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी योजना अवधि में उड़ीसा में विद्युत क्षेत्र के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गयी है ;

(ख) उक्त योजना अवधि में उड़ीसा में विद्युत उत्पादन के लिए कौन-सी परियोजनाए आरम्भ की गई हैं अथवा निष्पादित करने का विचार है ; और

(ग) इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में क्या प्रगति हुई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) छठी योजना के दौरान उड़ीसा में विद्युत सैक्टर के लिए परिव्यय 410 करोड़ रुपये है।

(ख) और (ग) उड़ीसा में निर्माणाधीन विद्युत रकियोजनाओं का ब्यौरा और उनके कार्यान्वयन की प्रगति संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

उड़ीसा में निर्माणाधीन विद्युत परियोनाए

क्रम सं० परियोजना का नाम	प्रतिष्ठापित क्षमता	चालू करने का प्रत्याशित महीना	कार्य की वर्तमान स्थिति
1 2	3	4	5
ताप विद्युत			
1. तलचेर विस्तार परियोजना (छटी यूनिट)	110	3/83	इसे, यह मार्च, 1983 में चालू करने का कार्यक्रम है।
जल विद्युत			
2. अपर कोलाब	3×8०	यूनिट। 12/84 यूतिट 2 3/85 यूनिट 3 85-86	बांध की नींव की खुदाई का कार्य पूरा हो चुका है तथा मैसनरी तथा कंक्रीट ब्लाकों का निर्माणकार्य चल रहा है। हैड रेस सुरंग का खुदाई कार्य चल रहा है। पेनस्टाक सुरंग की खुदाई की जा चुकी है तथा इसकी लाइनिंग का कार्य हैडरेस सुरंग की लाईनिंग के साथ-साथ आरम्भ किया जाएगा। पावर हाऊस

1	2	3	4	5
				की खुदाई समाप्त होने वाली है तथा कंक्रीट कार्य चल रहा है।
		— एमबेडिड		यूनिट-1 के लिए पुर्जे स्थल पर प्राप्त हो गए हैं।
3. रेंगाली	2×50	यूनिट 1 यूनिट 2	10/84 3/85	बांध कार्य चल रहे हैं। पेन-स्टाक का उत्थापन कर दिया गया है और वेल्डिंग का कार्य चल रहा है। बिजली घर की खुदाई पूरी होने वाली है। यूनिठ बेज में खम्बों को उठाया जा रहा है। यूनिट-1 के लिए ड्राफ्ट ट्यूब का उत्थापन कर दिया गया है।
4. अपर इन्द्रावती	4×150	यूनिट 1 और 2 88-89 यूनिट 3 और 4 89-90		परियोजना स्थल पर अवसंरचा-नात्मक सुविधाएं पूरा होने की अग्रिम अवस्था में हैं। इन्द्रावती बांध पर चार मैंशनरी ब्लाकों में कार्य हाथ में ले लिया गया है और चल रहा है। अन्य बांधों और डाइकों पर खुदाई का कार्य चल रहा है।
5. हीराकुंड चरण-3	1×37.5	9/85		उत्पादन यूनिट के लिए आर्डर मैसर्ज हिताची जापान को अप्रैल 1982 में दिया गया है।

ताप संयंत्र लगाने में पोलैंड द्वारा सहायता

* 339. **श्री पी० एम० सईद :**

श्री बी० बी० देसाई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोलैण्ड के विदेश मंत्री ने नवम्बर, 1982 में अपनी भारत यात्रा के दौरान इस बात का संकेत दिया था कि पोलैण्ड भारत में ताप विद्युत संयंत्र लगाने में भारत की सहायता करने को तैयार है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत इस पर सहमत हो गया है और इस सम्बन्ध में ब्यौरे के लिए पोलैण्ड से बातचीत की है;

(ग) क्या कोई भारतीय प्रतिनिधि मण्डल पोलैण्ड गया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या कोई समझौता हो गया है; और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) पोलैण्ड के विदेश मन्त्री ने, अपने भारत के दौरे के दौरान, भारत में टर्न-की आधार पर 4×210 मेगावट तथा 2×540 मेगा०की यूनिटों के एक सुपर ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना करने के सम्बन्ध में पोलैण्ड की इच्छा व्यक्त की है।

(ख) से (घ) : जी, नहीं ।

सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन

* 340. **श्री सज्जन कुमार** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की प्रथा बन्द कर दी है;

(ख) यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं और क्या सरकार को पता है कि इससे सामाजिक कार्यकर्ताओं को बहुत परेशानी हो रही है; और

(ग) क्या सरकार का विचार सामाजिक कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर टेलीफोन कनेक्शन देने की प्रथा पुन: आरम्भ करने का है और यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वी० एन० गाडगिल) : (क) समाज के जाने-माने प्रतिष्ठित व्यक्ति "विशेष" श्रेणी के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन कराने के पात्र होते हैं।

(ख) और (ग) : सामाजिक कार्यकर्ताओं पर भी प्रतिष्ठित व्यक्तियों के रूप में "विशेष" श्रेणी के अंतर्गत नाम रजिस्टर कराने पर विचार किया जा सकता है ।

भारत में सौर ऊर्जा का प्रयोग

* 341. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में सौर ऊर्जा का किन-किन क्षेत्रों में प्रयोग हो रहा है;

(ख) अन्य क्षेत्रों में इसका प्रयोग शुरु करने तथा विद्यमान क्षेत्रों में इसके प्रयोग को बढ़ाने की क्या योजनायें हैं; और

(ग) क्या पवन शक्ति जैसे ऊर्जा के अन्य गैर पारम्परिक स्रोतों का भी लाभ उठाने की कोई योजना है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारत में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल कई प्रकार से किया जाने लगा है । ऐसी सौर युक्तियों में जिनका उपयोग व्यावसायिक स्तर पर किया जा रहा है अथवा शीघ्र ही किया जा सकेगा, सौर कुकर सौर जल तापन प्रणालियां और सौर शुष्कन एकक आदि शामिल हैं । जल पम्पन, प्रकाश, टेलीविजन सैटों आदि में इस्तेमाल करने की प्रणालियों को देश के कई भागों में अधिष्ठापित किया जा रहा है ताकि इनका प्रदर्शन तथा क्षेत्रीय परीक्षण किया जा सके । रैफरीजरेशन, औद्योगिक व्यवहार के लिए वाष्प बनाने और विद्युत उत्पन्न करने आदि के लिए प्रणालियों का विकास किया जा रहा है । गैरपारंपरिक ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग के अन्य कार्यक्रमों को भी कार्यान्वित किया जा रहा है । इनमें जल पम्पन, पवन चक्कियों, लघु जल प्रौद्योगिकियों, बैटरी चालित वाहन महासागर और भूतापीय ऊर्जा प्रणालियों आदि का विकास और प्रदर्शन शामिल है । पारिवारिक आकार के बायोगैस संयंत्रों के अधिष्ठापन की एक देश व्यापी परियोजना पहले ही चलाई जा रही है । विभिन्न स्थानों पर सामुदायिक/संस्थागत जैव गैस संयंत्रों को प्रयोगिक आधार पर स्थापित किया जा रहा है ।

देश में नवीकरणीय उर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग को तेज करने के लिए कई एक वित्तीय प्रोत्साहन और संवर्धन उपाय किए गए हैं ।

"भेल" के 210 मेगावाट के सेटों का असन्तोषजनक कार्य निष्पादन

* 342. **श्री एस० बी चन्द्रशेखर मूर्ति** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उद्योग मन्त्रालय और भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (भेल)

द्वारा तत्संबंधी दावा किए जाने के बावजूद 210 मेगावाट के सेटों का कार्यनिष्पादन असन्तोष-जनक है ;

(ख) क्या वर्ष 1981-82 और 1982-83 के बीच चालू किये गये 13 सेटों के असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण केन्द्र और राज्य बिजली बोर्डों को 44 करोड़ रुपए की हानि हुई है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि ऊर्जा मंत्रालय, जो अधिक-से-अधिक संख्या में 210 मेगा-वाट के सेटों को अधिष्ठापित कर रहा है, इन यूनिटों के कार्यनिष्पादन पर चिन्तित है; और

(घ) यदि हां, तो इन यूनिटों के असन्तोषजनक कार्यनिष्पादन के मुख्य कारण क्या हैं तथा इस सम्बन्ध में सरकार का विचार क्या उपचारात्मक कदम उठाने का है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) वस्तुत: यह सत्य नहीं है ।

(ख) राजस्व की हानि की ठीक-ठीक मात्रा बता पाना मुश्किल है परन्तु यह मोटे तौर पर लगभग 6 करोड़ रुपये हैं ।

(ग) जी, नहीं । बल्कि, 210 मेगा० सेटों के कार्य-नित्पादन में नियमित रूप से सुधार हो रहा है ।

(घ) उपस्करों की गुणवत्ता और प्रचालन तथा रख-रखाव में कमियों के कारण प्रारम्भ में परेशानियां हुई थीं । टास्क-फोर्सों के संगठन, भ्रमणकारी दलों के दौरों तथा समयबद्ध संयंत्र सुधार कार्यक्रमों के कार्यान्वियन के द्वारा कार्य-निष्पादन में सुधार लाने के लिए उठाये गये कदमों के फलस्वरूप, इन सेटों के कार्य-निष्पादन में नियमित रूप से वृद्धि हुई है ।

टेलेक्स द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों को नई दिल्ली से जोड़ना

*343 **श्री के० प्रधानी** : क्या **संचार** मन्त्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा सभी राज्यों की राजधानियों को टेलेक्स द्वारा नई दिल्ली से जोड़ने के लिए कोई योजना तैयार की गई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार कितने जिला मुख्यालयों को टेलेक्स द्वारा नई दिल्ली से जोड़ा गया है; और

(ग) इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और सरकार को अपना निर्धारित लक्ष्य प्राप्त करने में कहां तक सफलता प्राप्त हुई है ?

संचार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री वी० रन० गाडगिल) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड

* 344. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन जांच चल रही है;

(ख) यदि हां, तो कितने मामलों में जांच चल रही है तथा तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उनमें क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या यह सच है कि इन जांचों के मामले में व्यापारिक क्षेत्र की कुछ जिम्मेदार एजेंसियों और अन्य सम्बन्धित सार्वजनिक संस्थानों ने सकार की सहायता करने की पेशकश की है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी सहायता का यदि कोई उपयोग किया गया है तो क्या ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) हां, श्रीमान् जी । मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड के विरुद्ध निम्नांकित मामलों में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार आयोग द्वारा जांच प्रवर्तमान है :—

(1) दिनांक 21-5-1982 को मै० चीप जनरल स्टोर रैवाड़ी से प्राप्त यह आरोपयुक्त शिकायत कि मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड, अपने कम बिकने वाले पदार्थ लाइफबाय को अपने तेजी मे बिकने वाले पदार्थ लक्स साबुन के साथ उपभोक्ताओं को खरीदने के लिए बाध्य करके, बंधित विक्रियों सम्बन्धी अवरोधक व्यवहारों में लिप्त है ।

(2) मै० रामचन्द्र सा गुलाबचन्द सा जैन, खण्डवा, मध्य प्रदेश से दिनांक 21-5-1982 को नहाने के साबुनों के साथ डिटरजैन्ट सामान खरीदने के लिए, खुदरा व्यापारियों को वाध्य करने सम्बन्धी बंधक बिक्रियों के आरोपयुक्त शिकायत प्राप्त हुई थी ।

(3) माननीय विधि, न्याय एवं कम्पनी कार्य मन्त्री को लिखे गये दिनांक 13-11-1982 के पत्र के अन्तर्गत श्री इन्द्रजीत गुप्ता संसद सदस्य ने आरोप लगाया कि मै० हिन्दुस्तान लीवर लिमिटेड संतत रेखा थोपने, बंधक विक्रियों तथा मूल्यों की एकरूपता, में लिप्त है ।

(4) आयोग ने भी "इण्डिया टुडे" (सितम्बर 1-15-1982) नामक पत्रिका में प्रकाशित "स्पुरियस पैकिट्स आफ निरमा वाशिंग पाउडर "समाचार की बाबत, दिनांक 19-10-1982 को उत्तरित लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2674 के आधार पर एक जांच संस्थापित की है।

(ग) तथा (घ) : नहीं श्रीमान् जी, केवल श्री इन्द्रजीत गुप्ता संसद सदस्य ने माननीय कानून मन्त्री को लिये गये दिनांक 13-11-1982 के पत्र में साथ-साथ बताया है कि यदि आयोग एक अथवा दूसरे कारण से अपनी जांचों को अवरुद्ध हुई अनुभव करे, तो वह मुझसे सम्पर्क कर सकता है। आयोग इस प्रस्ताव से परिचित है।

बम्बई हाई के सम्बन्ध में शैल इण्टरनेशनल के साथ समझौता

* 345. **श्री माधव राव सिंधिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने बम्बई हाई से निकलने वाले 10 लाख टन अशोधित तेल के सम्बन्ध में शैल इण्टरनेशनल के साथ किसी "स्विच" करार पर हस्ताक्षर किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी शर्तों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1982 में बम्बई हाई से निकलने वाले अशोधित तेल का निर्यात करने के लिए किये गये ठेकों की शर्तों के साथ उनकी किस प्रकार से तुलना की जा सकती है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) मार्च 1983 से फरवरी, 1984 की अवधि के दौरान अरब के हल्के अशोधित तेल के साथ लगभग एक मिलियन मी० टन बम्बई हाई अशोधित तेल से विनिमय करने के लिए, इण्डियन आयल कारपोरेशन ने शैल इण्टर नेशनल ट्रेडिंग कम्पनी, लन्दन के साथ एक आवधिक संविदा की है। अरब के अशोधित तेल के साथ बम्बई हाई के अशोधित तेल की लगभग 1 मिलियन मी० टन का विनिमय करने के लिए वर्ष 1982 में की गई अवधिक संविदा के अन्तर्गत प्राप्त की गई शर्तें इस संविदा की शर्तों से अनुकूल रूप में मिलती हैं।

महानदी बेसिन के विकास के लिए आयल इण्डिया लिमिटेड की आकस्मिक योजना

* 346. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयल इण्डिया लिमिटेड ने पेट्रोलियम के विकास के लिए तट महानदी बेसिन का विकास करने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की आकस्मिक योजना तैयार की है;

(ख) यदि हाँ, तो आकस्मिक योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने उनका समर्थन किया है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) आयल इण्डिया लिमिटेड ने महानदी अपतटीय बेसिन सहित आबंटित विभिन्न क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बनों के अन्वेषण के लिये एक सापेक्ष योजना तैयार की है। वर्तमान में, 122 करोड़ रुपये की स्वीकृत लागत पर एक छह-कूप अन्वेषण कार्यक्रम महानदी अपतटीय क्षेत्र में चल रहा है।

1880-82 से 1989-90 तक की अवधि के लिये सापेक्ष योजना में असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, महानदी तटीय एवं अपतटीय क्षेत्र तथा बंगाल की खाड़ी में एक अपतटीय क्षेत्र और साथ ही अन्वेषण में वास्तव में पाये गये हाइड्रोकार्बनों का विकास शामिल हैं। इस सापेक्ष कार्यक्रम की सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

क्षय रोग की दवाओं के मूल्य में वृद्धि

* 347 **श्री वृद्धि चन्द्र जैन : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या एलोपैथिक दवाओं द्वारा खास तौर पर क्षय रोग के उपचार के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं के मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ रहे हैं, जिन्हें औसत आय वाले व्यक्ति खरीद नहीं सकते, और

(ख) यदि हां, तो इन दवाओं को सस्ता करने के लिए विभाग द्वारा क्या सक्रिय एवं ठोस कदम उठाये जा रहे हैं,

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसंत साठे) : (क) जी, नहीं। औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1979 के अधीन मूल्य निर्धारण की प्रक्रिया में कुछ औषधों के मूल्य बढ़ गये हैं जबकि अन्य औषधों के मूल्य घट गये हैं। तपेदिक के इलाज में उपयोग की जाने वाली कुछ महत्वपूर्ण दवाइयों के मूल्य भी कम किये गये हैं।

(ख) सरकार औषधों के मूल्य को उचित स्तर पर कम रखने की ओर पूर्ण ध्यान दे रही है और जहाँ उन्हें कम करने की गुंजाइश है कम कर रही है। तपेदिक निवारक इलाज में उपयोग की जाने वाली औषधों के मूल्यों की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। मूल्य में कमी करने लिये कुछ उपाय किये गये हैं। अन्य उपाय पहले ही किये जा चुके हैं, उदाहरणार्थ—

1. देश में उत्पादित किये जाने वाले अधिकांश टी० बी० निवारक फार्मूलेशनों को उत्पादक-शुल्क से छूट दी गई है।
2. रिफेमपिसिन (प्रपुंज औषध) को सीमा शुल्क से पूर्णतया छूट दी गई है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि इस औषध से तैयार किये जाने वाले फार्मूलेशन भी मरीजों को सस्ते मूल्यों पर उपलब्ध हो जाते हैं।

3. सरकार ने हाल ही में फरवरी, 1983 में रिफेमपिसिन पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्यों में भारी कमी की है। कुछ मामलों में कमी की प्रतिशतता 25 प्रतिशत से अधिक थी।

4. डी एल-2 अमीनोबुटानोल, इथमबुटोल के उत्पादन के लिये अपेक्षित मध्यवर्ती, पर 25 प्रतिशत का रियायती दर का उत्पादक शुल्क लगाया जाता है जबकि सामान्य दर मूल्य अनुसार 90 प्रतिशत/100 प्रतिशत है।

5. पी० ए० एस०, स्ट्रेप्टोमाइसिन, थियासेटाजोन, आई० एन० एच० आदि पर आधारित महत्वपूर्ण तपेदिक निवारक फार्मूलेशनों पर फेक्ट्री से बाहर लागत पर केवल 40 प्रतिशत के मार्क-अप की अनुमति दी जाती है।

6. तपेदिक के इलाज में उपयोग किये जाने वाले फार्मूलेशनों के उत्पादन के लिये उपयोग की जाने वाली प्रपुंज औषधों के मूल्यों की समय-समय पर जांच की जाती है। इथमबुटोल के मूल्य के सम्बन्ध में हाल ही में की गई जांच के फलस्वरूप इसका मूल्य रुपये 837/-प्रति कि० ग्रा० से घटकर रुपये 804/- प्रति कि० ग्रा० हो गया है।

सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड

* 348 **श्री रेणुपद दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार के लाभ अर्जित करने वाले सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० दूसरे पर आया है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन-सी बातें हैं जिनसे इसे मुनाफा कमाने में सहायता मिली; और

(ग) करों की राशि निकालने के बाद इसके मुनाफे की दर क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) 1981-82 के लिए लाभ कमाने वाले सरकारी उपक्रमों में सेंट्रल कोलफील्ड् लि० ने तीसरा स्थान प्राप्त किया।

(ख) सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० में लाभ का मुख्य कारण यह है कि से० को० लि० में कोयले के उत्पादन का बड़ा भाग यंत्रीकृत ओपेनकास्ट खानों में से होता है जिनके उत्पादन की लागत, कोयले की उस कीमत से काफी कम है जो कोल इण्डिया लि० की सभी खानों में उत्पादन की औसत लागत के आधार पर निर्धारित की जाती है।

(ग) पिछले वर्षों के संचित घाटे के कारण वर्ष 1981-82 के दौरान सेंट्रल कोलफील्ड्स लि० को ऐसा लाभ नहीं हुआ जिस पर कर देना पड़े। वर्ष 1981-82 में सेंट्रल कोलफल्ड्स लि० को हुये लाभ की दर उत्पादित कोयले पर रु० 40.35 प्रति टन आती है।

वर्द्धमान महावीर ग्रुप टेक्सटायल मिल्स, लुधियाना में श्रमिक

* 3726 **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री मिल द्वारा रूई की सप्लाई स्वीकार करने से इन्कार किये जाने के बारे में 22 अक्तूबर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3267 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वद्र्धमान महावीर ग्रुप टेक्सटाइल्स मिल्स, लुधियाना को प्रत्येक मिल में मासिक तथा दैनिक मजूरी पर कार्य कर रहे मजदूरों की संख्या कितनी है;

(ख) उपरोक्त मिलों ने कर्मचारी भविष्य निधि और राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत कितनी धनराशि जमा कराया जाना बकाया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी-ब्यौरा क्या है और बकाया राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकरणों ने सूचित किया है कि **वर्द्धमान** ग्रुप टैक्सटाइल मिल्स की छ: मिलें हैं जो कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत आती हैं। इन मिलों के नाम, उनके कर्मचारियों की संख्या, कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया राशि कीं बाबत जमा की गई राशि और अभी भी देय राशि के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

कारखाने का नाम	कर्मचारियों की संख्या	जमा की गई राशि	बकाया राशि
1. महावीर स्पिनिंग मिल्स नि०, होशियारपुर	6306	34,42,111.95	80,804.58
2. वर्धमान स्पिनिंग एंड जनरल मिल्स लुधियाना ।	4960	31,06,794.40	44,102.05
3. अधीनाथ टैक्सटाइल लि०, लुधियाना ।	333	2,25,444.70	49.50
4. अरीहंत फैब्रिक्स लि०, लुधियाना	287	1,33,531.00	617.25

5.	मालवा काटन स्पिनिंग मिल्स, बरनाला।	2137	2,79,025.75	—
6.	अरीहंत स्पिनिंग मिल्स, मालेरकोटला	2707	5,89,114,05	18,986.90
	जोड़		77,76,021.85	1,44,560.28

दैनिक मजदूरी पर काम करने वाले कर्मचारियों के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के अन्तर्गत लाए जाने के प्रयोजन हेतु मासिक दर पर और दैनिक दर पर काम करने वाले कर्मचारियों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाता।

कर्मचारी राज्य बीमा की बाबत देय राशि की वसूली के लिए की गई कार्यवाही और कर्मचारी भविष्य निधि की बाबत देय राशि के ब्यौरों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की रिक्तियां

3727. **श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव :**

डा० बसन्त कुमार पण्डित : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक उच्च न्यायालय में 1 जनवरी, 1983 को कितने मामले लम्बित थे;

(ख) क्या केन्द्रीय विधि मन्त्री ने कुछ मास पूर्व सार्वजनिक रूप से यह घोषणा की है कि सरकार का विचार भारी बकाया कार्य को निपटाने के लिए विभिन्न उच्च न्यायालयों में "तदर्थ न्यायाधीश" नियुक्त करने का है; और

(ग) क्या सरकार ने कुछ न्यायालयों में तदर्थ न्ययाधीश नियुक्त किए हैं यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) उच्च न्यायालयों की रजिस्ट्रियों द्वारा भेजी गई जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) कुछ मास पहले प्रैस से भेंट के समय मैं इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार बकाया मामलों के निपटारे के लिए तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त करने पर विचार कर रही है।

(ग) इस समय पटना उच्च न्यायालय में दो तदर्थ न्यायाधीश और मद्रास उच्च न्यायालय में एक तदर्थ न्यायाधीस कार्य कर रहे हैं।

30-6-1982 **को विभिन्न उच्च न्यायालयों में लम्बित मामलों की संख्या**

उच्च न्यायालय का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1. इलाहाबाद	1,85,962
2. आंध्र प्रदेश	65,700
3. बम्बई	78,742
4, कलकत्ता	95,663
5. दिल्ली	45,512
6. गोहाटी	11,614
7. गुजरात	26,661
8. हिमाचल प्रदेश	8,139
9. जम्मू कश्मीर	15,193
10. कर्नाटक	1,10,701
11. केरल	39,764
12. मध्य प्रदेश	40,652
13. मद्रास	81,528
14. उड़ीसा	13,306
15। पटना*	46,896
16. पंजाब और हरियाणा	35,682
17. राजस्थान	36,102
18. सिक्किम	101
योग	9,37,818

* केवल मुख्य मामले।

राज्यों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के बेरोजगार लोग

3728. **श्री बाजूबन रियान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विभिन्न रोजगार केन्द्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मैट्रिकपूर्व मैट्रिकोत्तर, स्नातक मास्टर्स डिग्री प्राप्त और अन्य बेरोजगार उम्मीदवारों की, राज्यवार, संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : संगत सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०** 6/99/83

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों में संकट

3729. **श्री अनन्त रामुलु मल्लु** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योग गत तीन वर्षों से संकट के दौर से गुजर रहा है,

(ख) क्या यह सच है कि गत वर्ष अल्कोहल की कमी और इस वर्ष बड़ी मात्रा में उपलब्ध होने पर भी अभाव उद्योग द्वारा अनुभव की जा रही मुख्य समस्याएं हैं, और

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने अल्कोहल बाहुल्य और अल्कोहल की कमी वाले राज्य में अल्कोहल के उपलब्ध न होने के कारणों का पता लगाया है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामचन्द्र रथ) : (क) दि आल इण्डिया अल्कोहल वेस्ड इन्डस्ट्रीज एसोसियेशन ने निम्नलिखित समस्याओं का उल्लेख करते हुए अभ्यावेदन किया है—

(1) विभिन्न राज्यों में औद्योगिक अल्कोहल पर शुल्कों की अधिकता और विविधता के कारण अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों द्वारा अल्कोहल के उठान में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कर व्यवस्था के सुव्यवस्थीकरण की आवश्यकता,

(2) शीरे पर लागू अत्यधिक उत्पादक शुल्क की समीक्षा की आवश्यकता जिससे अल्कोहल के मूल्य में तीव्र वृद्धि होती है।

(3) शीरे के लिए पर्याप्त भण्डारण टैंकों का निर्माण।

(4) कुछ आसवनियों में उपलब्ध अधिक शीरे का निर्यात करने की बजाए एक सामान्य पूल में भण्डारण करना।

(5) अल्कोहल के उत्पादन और उपलब्धता में अधिकतम वृद्धि करने और अल्कोहल पर आधारित रसायन उद्योगों के विकास में तीव्रता लाने के लिए एक "राष्ट्रीय अल्कोहल नीति" का विकास करने की आवश्यकता।

(ख) और (ग) . 19.1.1983 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की पिछली बैठक के दौरान की गई समीक्षा से प्रकट होता है कि गत अल्कोहल वर्ष (1981-82 दिसम्बर 1981-नवम्बर 1982 तक) के दौरान देश में मांग की तुलना में 452.14 लाख लिटर अल्कोहल अधिक उपलब्ध था। चालू अल्कोहल वर्ष 1982-83 के लिए अल्कोहल की अनुमानित उपलब्धता और मांग ने देश में अल्कोहल की समग्र कमी दर्शाई है।

केन्द्रीय शीरा बोर्ड की दिनांक 19.1.83 को हुई बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार सरकार ने अल्कोहल उद्योग और अल्कोहल पर आधारित उद्योगों की समस्याओं की जांच करने के लिए तीन कार्य-कारी दल गठित किए हैं।

नौकरी चाहने वालों को छलना

3730. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने को कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सऊदी अरब में नौकरी चाहने वाले भारतीयों की बम्बई में बीसा बेचने का घोटाला करने वालों की गतिविधियों के बारे में सरकार को जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों में ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है।

तमिलनाडु के फिल्म निर्देशक और कलाकारों की विदेशों की यात्रा

3731. **श्री एन० डेनिस** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु के उन फिल्म निर्देशकों का क्या ब्यौरा है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान फिल्म शूटिंग के लिए विदेशों की यात्राएं की हैं;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान उनके साथ गये (1) महिला (2) पुरुष कलाकारों का क्या ब्यौरा है;

(ग) इन विदेश यात्राओं में उनके साथ गए अन्य तकनीशियनों का क्या ब्यौरा है; और

(घ) उन्होंने किन-किन देशों की यात्रा की और वे प्रत्येक देश में कितनी अवधि तक रहे?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में संसदीय कार्य विभाग में मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन]

(क) से (घ) : गत 3 वर्षों के दौरान इस मन्त्रालय द्वारा मद्रास स्थित निम्नलिखित फिल्म निर्माताओं को विदेशों में फिल्मों के निर्माण के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा स्वीकृत और रिलीज करने की सिफारिश की गई थी।

(1) निर्देशक व कैमरामैन श्री आई० वी० ससि, रतीश—नायक, चिरंजीवी—नायक, ममुटरी, बालन के० नायर, प्रताप प्रोथन, लक्ष्मी—नायिका, सीमा—नायिका के एक शूटिंग दल के साथ मैसर्स विजय तारा मूवीज को अमरीका और कनाडा की 5 दिन की यात्रा के लिए।

(2) शूटिंग दल, जिसमें निर्देशक, कैमरामैन, निर्माता, कैमरा सहायक और निम्नलिखित कलाकार अर्थात् प्रेम नजीर, मम्मुट्टी, जनार्धनन्, अजीज, रेनुका और कु० अनीता शामिल थे, के साथ मैसर्स रीता इन्टरनेशनल को मालदीव में शूटिंग के लिए 7 दिन के लिए।

(3) मैसर्स शिव शंकर क्रीएशन्स को, एक शूटिंग दल, जिसमें के. शंकर निर्देशक, एस. मीनाक्षी सुन्दरम—फोटोग्राफी निर्देशक, एस. जगदीशन—सहायक निर्देशक/कथा-संवाद लेखक और प्रोम्पट्र, शिवकुमार—कलाकार, एम. एन. अम्बियार—कलाकार, कुमारी राधा—कलाकार शामिल थे, के साथ मलेशिया में (3 दिन) और सिंगापुर में (1 दिन) शूटिंग करने के लिए अनुमति दी गई थी।

(4) मैसर्स सेटेनरी प्रोडक्शन्स को 8 कलाकारों और तकनीशियनों, जोशी—निर्देशक, प्रेम नजीर—कलाकार, राजकुमार, रविन्द्रन, कु० स्वपना, जयशंकर, तारा—कैमरामैन और रोन्ज़्स मैथ्यू—निर्माता के एक दल के साथ श्रीलंका में दो दिन की शूटिंग करने के लिए अनुमति दी गई थी।

फिल्मों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार

3732. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार लोगों को राष्ट्रीय पुरस्कार देने से पूर्व यह सुनिश्चित करती है कि उन लोगों ने, विशेषकर जो फिल्म क्षेत्र में हैं, अपने देय आयकर का भुगतान कर दिया है;

(ख) पीछे कितने मामलों में इस बात पर बल नहीं दिया गया; और यदि हां, तो उनके नाम क्या हैं; और

(ग) क्या भविष्य में ऐसा किया जाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विनियमों में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जिसमें यह शर्त हो कि पूर्व-शर्त के रूप में पुरस्कारों के प्राप्तकर्ता देय आय-कर का भुगतान करें।

(ग) इस प्रकार का कोई प्रस्ताव सरकार के सम्मुख नहीं है।

1982 में स्थापित गोबर गैस संयंत्र

733. **श्री चिन्तामणि जैना** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के उन ग्रामीण क्षेत्रों में गोबर गैस संयन्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं जहां इन्हें अभी तक स्थापित नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी०शिव शंकर) : जैव गैस संयन्त्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिये, लाभार्थियों को केन्द्रीय राज्य सहायता प्रदान की जाती है और बकाया पूंजीगत व्यय के लिए बैंकों द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है। ग्राम के पदाधिकारी, जो जैव गैस संयन्त्रों के अधिष्ठापन में सहायता करते हैं, उन्हें 30 रुपयें प्रति संयन्त्र की दर से प्रोत्साहन दिया जाता है। जैव गैस संयन्त्रों को लोकप्रिय बनाने के लिये राज्य सरकारें और खादी ग्राम उद्योग आयोग सार्वजनिक सूचना प्रसारित करते हैं और महिला शिक्षा कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं।

कोयले को तेल में बदलने के लिए विशेषज्ञ दल का गठन

3734. **श्री नवीन रावणी**

(**श्री के० मालन्ना**) : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयले को तेल में बदलने की एक उपयुक्त प्रौद्योगिकी शुरु करने के लिए एक कार्योन्मुखी कार्यक्रम बनाने हेतु विशेषज्ञों का एक दल गठित किया है,

(ख) यह दल कब गठित किया गया था और इस दल में कौन-कौन व्यक्ति हैं,

(ग) क्या इस दल ने कोयले को तेल में बदलने के लिए कोई परीक्षण किये हैं,

(घ) यदि हां, तो उसके निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है,

(ङ) क्या इस सम्बन्ध में कोई विदेशी सहायता ली गई है,

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और

(छ) इसकी रिपोर्ट कब तक प्रस्तुत किये जाने की सम्भावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) सरकार ने एक विशेषज्ञ दल गठित किया है जो अन्य बातों के साथ-साथ परिवर्तन के लिए कोयले से तेल बनाने की सर्वाधिक उचित प्रक्रिया प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन के लिये पायलट संयन्त्र या प्रक्रिया प्रदर्शन यूनिट की स्थापना की तकनीकी और आर्थिक साध्यता पर रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(ख) यह "दल" 23.2.1983 को गठित किया गया था और इसके निम्नलिखित सदस्य हैं—

1.	महा-निदेशक, **वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसन्धान परिषद्**	अध्यक्ष
2.	आर्थिक कार्य विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
3.	पेट्रोलियम विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
4.	रसायन और उर्वरक मन्त्रालय (उर्वरक प्रभाग) से एक प्रतिनिधि	सदस्य
5.	विद्युत विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य

6.	भारी उद्योग विभाग से एक प्रतिनिधि	सदस्य
7.	कोल इण्डिया लि॰ से एक प्रतिनिधि	सदस्य
8.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड से एक प्रतिनिधि	सदस्य
9.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण लि॰ से एक प्रतिनिधि	सदस्य
10.	सलाहकार (परियोजनाएं) कोयला विभाग	सदस्य-सचिव

सम्बधित मन्त्रालयों और संगठनों से कहा गया है कि वह "दल" के लिए अपने प्रतिनिधि नामित कर दें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) इस "दल" को अपनी पहली रिपोर्ट छः महीने की अवधि में प्रस्तुत करने के लिए कहा गया है।

कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादकों की आवश्यकता

3735. श्री डी॰ पी॰ अदेजा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 के दौरान कच्चे तेल तथा पेट्रोलियम उत्पादों की अनुमानित आवश्यकता कितनी होगी;

(ख) इसमें से अनुमानतः कितनी मात्रा देश में ही उत्पादित हो जायेगी और मांग को पूरा करने हेतु कितनी मात्रा का आयात किये जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या इस आशय का कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि पेट्रोलियम तथा पेट्रोलियम उत्पादों के मामले में भारत कब तक आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी॰ शिव शंकर) : (क) वर्ष 1983-84 के लिए तेल आर्थिक बजट को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है। अस्थायी प्रारम्भिक अनुमानों के अनुसार वर्ष 1983-84 के दौरान पेट्रोलियम क्रूड और पेट्रोलियम उत्पादों की आवश्यकताओं का अनुमान क्रमशः करीब 35 मि॰ मी॰ टन एवं 37 मि॰ मी॰ टन है।

(ख) वर्ष 1983-84 के लिए खनिज तेल के स्वदेशी उत्पादन का अनुमान करीब 26.8 मि॰ मी॰ टन है और खनिज तेल की शुद्ध आयात करीब 9 मि॰ मी॰ टन होने की सम्भावना है। वर्ष 1983-84 के दौरान पेट्रोलियम उत्पादकों का देशी उत्पादन करीब 6 मि॰ मी॰ टन का है।

(ग) जी नहीं। जबकि दोनों स्वदेशी खनिज तेल के उत्पादन और शोधन क्षमता को बढ़ाने के लिए कई उपाय किये गए हैं जो खनिज तेल और पेट्रोलियम के आयात की सम्पूर्ण आवश्यकता को कम कर देंगे, इस सम्बध में आत्मनिर्भरता पेट्रोलियम उत्पादों की मांग और स्वदेशी कच्चे तेल के पहले से ही खोजे गये और नये क्षेत्रों जो भविष्य में खोजे जाने हैं, से वास्तव में प्राप्त उत्पादन स्तरों की वृद्धि दर पर निर्भर करेंगे।

तमिलनाडु सरकार द्वारा प्रशिक्षु अधिनियम में सुझाया गया संशोधन

3736. **श्री के० राममूर्ति** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने प्रशिक्षु अधिनियम में संशोधन की मांग की है ताकि इंजीनियरिंग और अन्य व्यवसायिक अध्ययनों में डिप्लोमा-धारियों को और अधिक अवसर दिये जा सकें ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

बिहार के कुछ जिलों में लघु ऊर्जा उपयोग और बिजली की उपलब्धता

*3737. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या ऊर्जा मन्त्री नलकूपों और जलपातों से पन-बिजली के बारे में 2? फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न सं०, 259 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स तथा अन्य एजेन्सियां लघु ऊर्जा उपयोग के नए तरीकों में से किसी तरीके का बड़े पैमाने पर विशेष रूप से बिहार जैसे विद्युत संकटग्रस्त राज्यों के लिये प्रयोग पर जोर दे रही है ; यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान हड़ताल के दिनों को छोड़कर उत्तर बिहार के मधुबनी, दरभगा तथा अन्य राज्यों में सिंचाई, कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिए प्रतिदिन कितने घन्टे बिजली उपलब्ध रही है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) "भेल" आदि द्वारा जो तरीके विकसित किए जा रहे हैं वे व्यापाक उपयोग की सम्भावनाओं के लिए वाणिज्यिक स्तर पर नहीं पहुंचे हैं। तथापि, उपस्करों का विकास करने के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। छोटे पैमाने पर लो हैड जल विद्युत प्रणालियों पर अनुसंधान और विकास कार्य के लिये ऊर्जा के अतिरिक्त स्रोतों के आयोग ने रुड़की विश्वविद्यालय में वैकल्पिक जल-विद्युत ऊर्जा केन्द्र की स्थापना की है।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

खेरसोल में ताप बिजलीघर

3738. **श्री पीयूष तिरकी** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप बिजली निगम (एन० टी० पी० सी०) पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले के खेरसोल क्षेत्र में 600 मेगावाट का ताप बिजलीघर स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

(ख) यदि हां, तो यह ताप बिजलीघर कब तक बिजली उत्पादन शुरु करेगा और इसके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) और (ख) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में 4×210 मेगावाट के ताप विद्युत केन्द्र की स्थापना की व्यवहार्यता के बारे में अन्वेषण कर रहा है। व्यवहार्यता रिपोर्ट सुनिश्चित हो जाने के बाद ही आगे कार्यवाही की जा सकती है।

राज्यों में कम्पनी पंजीयक के लिए कार्यालय भवन

3739. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने विभिन्न राज्यों में कम्पनी पंजीयक के सभी कार्यालयों के लिए अपने भवन बनाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) तथा (ख) विभिन्न राज्यों में कम्पनी रजिस्ट्रारों के सभी कार्यालयों के लिए भवन बनाने के लिये किसी सामान्य नीति का निर्णय नहीं किया गया है। तथापि, उन स्थानों पर, जहां स्थान, जनरल पुल के बाहर उपलब्ध नहीं कराया गया है अथवा अपर्याप्त है, तथा परिस्थितियां अन्य बातों के साथ-साथ अलग भवन बनाना तर्कसंगत सिद्ध करता हो, वहां सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ, उनसे समुचित भूखण्ड प्राप्त करने के लिए परामर्श किये गये हैं। तथापि. अभी तक किसी भी स्थान पर भूमि अधिग्रहण नहीं की गई हैं।

मध्य प्रदेश में खाना बनाने की गैस एजेंसियों की संख्या

3740. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय मध्य प्रदेश में खाना बनाने की गैस की कुल कितनी एजेन्सियां हैं ;

(ख) आम जनता में से उन आदिवासी और हरिजन व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें खाना बनाने की गैस की एजेंसियां आबंटित की गई हैं तथा उन्हे किन-किन जिलों में खाना बनाने की गैस एजेंसियां आबंटित की गई हैं ; और

(ग) क्या खाना बनाने की गैस की एजेंसियों के आबंटन में आदिवासियों को प्राथमिकता देने के प्रश्न पर सरकार विचार करेगी ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर प्रस्तुत कर दी जायेगी,

(ग) तेल कम्पनियों द्वारा सभी पेट्रोलियम उत्पादों को प्रदान की जाने वाली डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का 25 प्रतिशत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सम्मिलित समुदायों के व्यक्तियों के लिए आरक्षित हैं। यह कोटा राज्य/संघ शासित प्रदेश में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की आबादी के अनुपात के आधार पर उनमें वितरित किया जाता है। आरक्षित विधान सभा चुनाव क्षेत्रों अथवा इन समुदायों के प्रमुख रूप में अधिक आबादी वाले क्षेत्रों को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजति के लिए निर्धारित किया जा रहा है।

सिंदरी उर्वरक संयंत्र के लिए हार्ड कोक का उत्पादन करने हेतु अच्छी किस्म के कोयले की सप्लाई

3741. **श्री ए० के राय** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी उर्वरक संयत्र के भीतर नवीकृत कोक भट्टी में हार्ड कोक का उत्पादन करने के लिए अच्छी किस्म के कोकिंग कोयले की सप्लाई करने का बी० सी० सी० एल० से अनुरोध किया गया है ; यदि हां तो अनुमानित वार्षिक मांग कितनी होगी और किन-किन कोयला खदानों से यह को .ला दिया जायेगा ;

(ख) क्या यह सच है कि पर्याप्त मात्रा में अच्छी किस्म का कोकिंग कोयला प्राप्त करने में अनिश्चितता के कारण भारतीय उर्वरक निगम की सिंदरी एकक को अपनी आधी भट्टियों का नवीकरण करना पड़ा है ; और

(ग) यदि हां, तो सिंदरी को कोकिंग कोयले को पर्याप्त मात्रा में सप्लाई करने में कठिनाईयों को, यदि कोई है, बताते हुए इस संबंध में विस्तृत तथ्य क्या है और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मन्त्रालय कोयला के विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण

3742. **श्री मोहन लाल पटेल** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को दिये जा रहे वेतनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) ये वेतन कब से दिए जा रहे हैं ;

(ग) क्या न्यायाधीशों के वेतनों का पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतन, संविधान की दूसरी अनुसूची के भाग घ के साथ पठित अनुच्छेद 125 और 221 में विहित हैं। इन उपबन्धों द्वारा उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के निम्नलिखित वेतन नियत किए गए हैं :

उच्चतम न्यायालय	
मुख्य न्यायमूर्ति	5000/—रु० प्रति मास
कोई अन्य न्यायाधीश	4000/—रु० प्रति मास
उच्च न्यायालय	
मुख्य न्यायमूर्ति	4000/—रु० प्रति मास
कोई अन्य न्यायाधीश	3500/—रु० प्रति मास

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के वेतनों के पुनरीक्षण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नही है।

वाराणसी के कुछ टेलीफोन केन्द्रों की टेलीफोन सेवा के बारे में शिकायतें

3743. **श्री जैनुल बशर** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि वाराणसी में 7 और 8 संख्या के टेलीफोन केन्द्र ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रहे हैं और इस बारे में बड़ी संख्या में शिकायतें मिली हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनके सम्बन्ध में क्या उपचारात्मक उपाय किए जा रहे हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) वाराणसी में "7" और "8" नंबर के टेलीफोन एक्सचेंज संतोषजनक ढंग से काम कर रहे हैं। जब कभी भी शिकायतें मिलती हैं, उन पर तुरन्त कार्रवाही की जाती है।

(ख) इन टेलीफोन एक्सचेंजों के कार्यकरण में आगे और सुधार करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) उपभोक्ता के अहाते का निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण के दौरान जो कमियां ध्यान में आती हैं, उन्हें दूर कर दिया जाता है।

(2) जहां कहीं आवश्यक हो, उपभोक्ता के अहातों में घातक वायर लूपों को इन्स्युलेटेड ड्राप वायर द्वारा बदलना।

(3) उपभोक्ताओं के अहातों पर लगी एल्यूमिनियम की तारों को तांबे की तारों में बदला जा रहा है।

(4) महत्वपूर्ण टेलीफोन कनेक्शनों की प्रतिदिन जांच की जाती है।

'मेल ओवर सीयर' के अधीन शाखा डाकघरों के बारे में विभागीय नियम

3744. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागीय नियमों के अनुसार राजस्थान के विशाल रेगिस्तानी क्षेत्रों में एक "मेल ओवर सीयर" के अधीन 18 शाखा डाकघरों से अधिक नहीं होने चाहिए;

(ख) क्या उस क्षेत्र में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है और वहां एक 'मेल ओवर सीयर" के अधीन 30-35 शाखा डाकघर हैं; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ठीक-ठीक तारीख सहित, व्यवस्था में सुधार करने और नियमों का पालन करने के लिए कदम उठाए जाएंगे ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन• पाटील) : (क) राजस्थान के रेगिस्तानी क्षेत्रों में डाक ओवरसियरों की मंजूरी 18 शाखा डाकघर प्रति ओवरसियर के आधार पर दी जाती है।

(ख) और (ग) राजस्थान सर्किल के रेगिस्तानी क्षेत्रों में डाक ओवरसियरों की मंजूरी मानकों के अनुसार दी गई है। केवल बाड़मेर जिले में ही एक डाक ओवरसियर के अधीन निर्धारित संख्या से अधिक शाखा डाकघर रखे गए हैं क्योंकि डाक ओवरसियरों के 4 पद योग्य कर्मचारी न मिलने के कारण रिक्त पड़े थे ! परंतु योग्यता की शर्तों में छूट देकर रिक्त पदों को भरने के लिए शीघ्र कार्रवाई की जा रही है।

एर्नाकुलम में भविष्य निधि संगठन के उपकार्यालय वाले भवन का मासिक किराया

3745 **श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम में भविष्य निधि संगठन उप कार्यालय वाले भवन के लिए कितने मासिक किराए का भुगतान किया जाता है;

(ख) क्या यह सच नहीं है कि एक गैर सरकारी फर्म मैसर्स वोल्टास लिमिटेड ने उसी भवन को अधिक किराये के कारण छोड़ दिया था; और

(ग) जब एक व्यापार गृह ने अत्यधिक किराए के कारण उसे छोड़ दिया था तो इस भवन को किराए पर लेने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकरणों ने निम्नलिखित बताया है :—

(क) उप क्षेत्रीय कार्यालय, एर्नाकुलम द्वारा लिए गए भवन के लिए दिया गया मासिक किराया 23,525/रुपये प्रति माह है जो कि केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग ने निर्धारित किया है।

(ख) मैसर्स वोल्टास लिमिटेड ने इस भवन पर कभी कब्जा नहीं किया।

(ग) उपर्युक्त (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

मध्य प्रदेश में कोलफील्ड्स के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना

3746. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या **ऊर्जा** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में वेस्टर्न कोलफील्ड्स का क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से इसे अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) कोयले के विकास की समस्याओं और साथ ही बिक्री और विपणन संबंधी मामलों को निपटाने के लिए सरकार ने फरवरी, 1980 में वेस्टर्न कोलफील्ड्स लि० का एक क्षेत्रीय कार्यालय छींदवाड़ा (मध्य प्रदेश) में खोलने का निर्णय लिया था। यह कार्यालय अब स्थापित कर दिया गया है।

बहुमार्गी (मल्टी-एक्सैस) ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली शुरू करना

3747. **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पहाड़ी और दूरस्थ क्षेत्रों के विकास के लिए देश में बहुमार्गी ग्रामीण रेडियो टेलीफोन प्रणाली का कार्यक्रम शुरू किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की दूरसंचार प्रणाली स्थापित करने के लिए मशीनरी आयात की जानी है ;

(ग) यदि हां, तो इस प्रकार की कितनी बहुमार्गी ग्रामीण टेलीफोन प्रणाली देश में स्थापित की जानी है और इस प्रयोजन के लिए कितनी विदेशी मुद्रा अपेक्षित है ; और

(ख) देश में इस प्रकार की टेलीफोन की व्यापक व्यवस्था स्थापित करने की प्रस्तावित योजना के बारे में क्या ब्यौरा है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटील) : (क) जी हां।

(ख) इन प्रणालियों की संस्थापना विभाग द्वारा की जा रही है, जिसके लिए आयातित मशीनों की आवश्यकता नहीं है।

(ग) अनुमानतः 300 लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघरों के लिए 19 प्रणालियों का आयात किया जा रहा है इन्हें देश भर में 12 स्थानों में संस्थापित किया जाना है। इसके लिए 1.5 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है।

(घ) मल्टी-एक्सेस रेडियो प्रणाली का विदेशी सहयोग से देश में ही उत्पादन करने के लिए कार्रवाई प्रारम्भ की गई है। वित्तीय और साज-सामान की व्यवस्था होने पर ही रेडियो प्रणाली का प्रयोग करते हुए बहुत से ऐसे स्थानों पर लंबी दूरी के सार्वजनिक टेलीफोनघर खोलने का प्रस्ताव है जहां पर परंपरागत खुली तार लाइनों का प्रयोग करने में कठिनाई होती है या अपेक्षाकृत अधिक व्यय होता है।

समाचार पत्रों को नेपामिल्स के कागज 15% का अधिक हकदार बनाना

3748. **श्री डी० एस० ए० शिवप्रकाशम** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपा मिल्स से समाचार पत्रों को 15% और कागज के हकदार बनाए जाने के क्या कारण हैं ; और

(ख) नेपा मिल्स से इस आवंटन प्राप्त करने वाले समाचार पत्रों के विवरण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) नेपा मिल्स द्वारा तैयार किए जाने वाले अखबारी कागज की मात्रा अन्य भारतीय मिलों द्वारा तैयार किए जाने वाले अखबारी कागज की मात्रा से अधिक है।

(ख) 1982-83 के लिए अखबारी कागज आवंटन नीति के अनुसार, 300 मीट्रिक टन और इससे अधिक की वार्षिक हकदारी वाले समाचारपत्रों को उनकी हकदारी का 20%अखबारी कागज नेपा अखबारी कागज में आवश्यक रूप से दिया जाना होता था। कम स्वदेशी उत्पादन के कारण, इस प्रतिशतता को बाद में कम करके 15 कर दिया गया था। 300 टन से कम का वार्षिक हकदारी वाले समाचार पत्रों को यह छूट है कि वे स्वदेशी अखबारी कागज (नेपा मिल्स द्वारा तैयार किये जाने वाले अखबारी कागज सहित) को या आयातित अखबारी कागज को भाग में या पूरा, जैसा भी चाहें लें।

वैशाली जिले के गांवों को टेलीविजन सेटों की सप्लाई।

3749. **श्री रामविलास पासवान** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा बिहार में वैशाली जिले में, स्थानावर, गांवों, पंचायतों और स्कूलों आदि को कुल कितने टेलीविजन सेट सप्लाई किए गए;

(ख) किन-किन स्थानों पर टेलीविजन सेट खराब पड़े हुए हैं और ये सेट कब से खराब पड़े हैं। और इन सेटों की मरम्मत न करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार इन सभी स्थानों के टेलीविजन सेटों की मरम्मत कराने की कब तक व्यवस्था करेगी अथवा वहां नए टेलीविजन सेट लगाएगी ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन की मेज पर रख दिया जायेगा।

1983-84 में अखबारी कागज की मांग

3750. **श्री हरिहर सोरेन** :

श्री चिंतामणि जैन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन तथा ईस्टर्न न्यूज पेपर्स सोसाइटी के प्रेजिडेन्ट ने यह आशंका व्यक्त की है कि देश में आगामी महीनों में अखबारी कागज की कमी हो सकती है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या निर्णय लिया गया है ;

(ग) देश में अखबारी कागज की वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(घ) आगामी वर्ष 1983-84 में अखबारी कागज की मांग को पूरा करने के लिए क्या

कदम उठाए जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां ।

(ख) सरकार आगामी महीनों में अखबारी कागज की कमी के बारे में इन्डियन एन्ड ईस्टर्न न्यूजपेपर सोसाइटी के आकलन से सहमत नहीं है ।

(ग) वर्ष 1982-83 के दौरान समाचारपत्र उद्योग की मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त अखवारी कागज उपलब्ध है ।

(घ) 1983-84 में समाचारपत्रों की आवश्यकता को आंशिक रूप से देशी उत्पादन द्वारा और आंशिक रूप से आयातित अखबारी कागज द्वारा पूरा किया जायेगा ।

राजस्थान में शतप्रतिशत विद्युतीकरण वाले गांव

3751. **कृष्ण कुमार गोयल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में जिलावार उन गांवों की संख्या कितनी है जिनमें शतप्रतिशत विद्युतीकरण हो गया है ; और

(ख) शेष जिले, गांवों में कब तक शतप्रतिशत विद्युतीकरण कर दिया जायेगा ।

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राजस्थान में गणना किए गए कुल 33,305 आबाद गांवों में से जनवरी, 1983 के अन्त तक 16,967 गांव विद्युतीकरण किए गए थे । विद्युती कृत किए गए गांवों के जिलेवार ब्यौरा नवम्बर, 1982 के अन्त तक की स्थिति के अनुसार उपलब्ध है और ब्यौरा दिखाने वाला एक विवरण संलग्न है । केवल एक जिला नामशः सीकर जिले ने अपने शतप्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण कर लिया है ।

(ख) राजस्थान राज्य के शतप्रतिशत गांवों का विद्युतीकरण 1991-92 तक हो जाने की आशा है बशर्ते अपेक्षित निधियां उपलब्ध होंगी ।

विवरण

30-11-1982 की स्थिति के अनुसार राजस्थान राज्य में विद्युतीकृत गांवों का जिलेवार ब्यौरा दिखाने वाला विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	गांवों की कुल संख्या	विद्युतीकृत गांवों की संख्या	विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता

1.	2.	3.	4.	5.
1.	अजमेर	954	560	58.7
2.	अलवर	1869	1155	61.8
3.	बांसवाड़ा	1439	451	31.3
4.	बाड़मेर	837	113	13.5
5.	भरतपुर	1868	660	41.9
6.	धोलपुर		122	
7.	भीलवाड़ा	1508	960	63.7
8.	बीकानेर	540	297	55.0
9	बूंदी	729	381	52.3
10.	चित्तौड़गढ़	2123	1040	49.0
11.	चुरु	850	283	33.3
12.	डूंगरपुर	825	354	42.9
13.	जयपुर	2683	1698	63.3
14.	जैसलमेर	432	27	6.3
15.	जालोर	595	387	65.0
16.	झुन्झुनू	593	595	85.9
17	झालावाड़	1441	565	39.2
18.	जोधपुर	702	356	50.7
19.	कोटा	1905	915	48.0
20.	नागोर	1216	667	54.9
21.	पाली	824	688	83.5
22	सवाई माधोपुर	1531	739	48.3
23	सीकर	810	810	100.0
24	सिरोही	423	400	94.6

1	2	3	4	5
25.	श्रीगंगानगर	2386	866	36.3
26.	टोंक	1006	304	30.2
27.	उदयपुर	3116	1369	43.9
	जोड़:	33305	16762	50.3

गुरू नानक देव ताप संयंत्र, भटिंडा में कम विद्युत उत्पादन के लिए जिम्मेदार घटिया किस्म का कोयला

3752. **श्री रघुनन्दन लाल भाटिया** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि गुरु नानक देव ताप संयंत्र भटिंडा में ताप बिजली उत्पादन की कमी के लिए बड़े पैमाने पर जिम्मेदार कारणों में से एक है संयंत्र में प्राप्त किए गए कोयले की किस्म;

(ख) क्या कोयले की सप्लाई भी अनिश्चित रहती है;

(ग) क्या राज्य के मुख्य मन्त्री ने उन्हें मई, 1982 में इस सम्बन्ध में लिखा था; और

(घ) यदि हां, तो मामले को ठीक करने के लिए क्या कार्यवाही की गई ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) अप्रैल 82 से जनवरी 83 तक की अवधि के दौरान भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र में प्राप्त कोयले की क्लोरीफिक ऊष्मा 4000-5500 के केल./किलोग्राम की सीमा में हो रही है। इसकी तुलना में बायलरों के डिजाइन पैरामीटर 4300-4700 के केल०/किलोग्राम की सीमा में बैठते हैं। यहां पर 1982-83 के पहले महीनों के दौरान बड़े साइज के कोयले की सप्लाई के बारे में कुछ शिकायतें थीं। स्थिति में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र में कम उत्पादन के मुख्य कारण उपस्करों में कमियां, कोयला मिलों से कम उत्पादन, बार-बार बन्दियां होना और आई० डी० पंखों पर अधिक भार पड़ना आदि हैं। इन कमियों को यूनिट एक में अधिकांशतः दूर कर दिया गया है, जिसके कार्य-निष्पादन में काफी सुधार हो गया है। शेष तीन यूनिटों में परिशोधन किए जा रहे हैं।

पंजाब के मुख्य मन्त्री ने कोयले की गुणवत्ता सम्बन्धी समस्या के बारे में 25 मई, 1982 के अपने पत्र में उल्लेख किया था। भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र सहित विभिन्न ताप विद्युत केन्द्रों को गुणवत्ता और मात्रा में कोयले की सप्लाई की केन्द्रीय सरकार द्वारा लगातार मानीटरिंग की जा

रही है और इस बारे में केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा है ।

अप्रैल, 1982 से जनवरी, 1983 के दौरान भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र का संयंत्र भार अनुपात 49.4% रहा है जबकि इसकी तुलना में पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान यह 41.3% था। सितम्बर, 1982 से भटिण्डा ताप विद्युत केन्द्र को कोयले की सप्लाई सामान्यतः संतोषजनक रही है। सितम्बर, 82—मार्च,83 (14.3.83 तक) के बीच विद्युत केन्द्र पर 944-000 मीट्रिक टन कोयला प्राप्त हुआ। इसकी तुलना में 15 मार्च, 1983 को 4 दिन की खपत के बराबर भण्डार के साथ 929000 मीट्रिक टन खपत हुई।

अन्य बातों के साथ-साथ ताप विद्युत केन्द्रों को गुणवत्ता के रूप में कोयले की आवश्यकताओं की जांच करने और जहां आवश्यक हो, सुधार के लिए उपाय सुझाने के लिए श्री मोहम्मद फजल सदस्य, योजना आयोग की अध्यक्षता में सरकार ने हाल ही में एक समिति का गठन किया है।

आसाम सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता हेतु अनुरोध

3753. **श्री एम० एस० के० सतियेन्द्रन** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आसाम सरकार ने हाल के उपद्रवों के शिकार व्यक्तियों की राहत और पुनर्वास हेतु 25 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो राहत और पुनर्वास के लिए दी गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीधर्म वीर) : (क) फरवरी 1983 के अन्त में केन्द्रीय दल ने आसाम का दौरा किया था और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तृत विचार-विमर्श के पश्चात् हाल में हुए दंगों से प्रभावित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए (जिसमें राजमार्गों पर पुलों की मरम्मत, राज्य में सड़कों की मरम्मत और लोक निर्माण विभाग की सम्पत्तियां शामिल हैं) 23.16 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता आंकी गई है। यह मूल्यांकन इस अनुमान पर आधारित था कि लगभग 1.66 लाख प्रभावित व्यक्तियों को राहत और पुनर्वास सहायता की आवश्यकता होगी। आसाम सरकार की 11 मार्च, 1983 की जानकारी के अनुसार प्रभावित व्यक्तियों की संख्या लगभग 3.11 लाख हो गई है और राज्य सरकार ने 44.64 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता का अनुमान लगाया है।

(ख) प्रभावित व्यक्तियों को चावल, दालें, नमक, खाने वाला तेल, चीनी दुग्ध चूर्ण बाला हार, नकद बेकारी अनुदान, बर्तन, कम्बल और कपड़ों के रूप में राहत सहायता प्रदान की जा रही है। उनके घर लौटने पर उन्हें घरों के पुन निर्माण, बीजों की खरीद, खोए बैलों की जगह दूसरे बैलों और दुधारू पशुओं तथा थोड़े समय के लिए भरण-पोषण सहातयता भी दी जाती है।

डिप्लोमा इन क्राफ्टमैनशिप और नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट

3754. **श्री नरसिंह सूर्यवंशी** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में सफलतापूर्वक प्रशिक्षण पूरा करने पर भारत सरकार (श्रम मंत्रालय) द्वारा दिए जाने वाले डिप्लोमा सर्टीफिकेट को वर्ष 1959 तक "डिप्लोमा इन क्राफ्टमैनशिप" कहा जाता था और उसके बाद से इसे "नेशनल ट्रेड सर्टीफिकेट" कहा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या दोनों सर्टीफिकेट समकक्ष हैं अथवा दोनों पाठ्क्रमों में कोई अन्तर है ।

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) जी, हां ।

(ख) जहां शिक्षा मन्त्रालय द्वारा डिप्लोमे पालिटेक्निक्स में संचालित किए जा रहे तीन वर्ष की अवधि के पाठ्क्रमों के लिए दिए जाते हैं, वहाँ शिल्पकार प्रशिक्षण योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे पाठ्क्रमों की अवधि एक वर्ष तथा दो वर्ष है । दोनों प्रकार के पाठ्यक्रमों में स्पष्ट अन्तर स्थापित करने के लिए नामावली में परिवर्तन किया गया था ।

(ग) "शिल्पकारिता में डिप्लोमा और "राष्ट्रीय व्यवसाय प्रमाण-पत्र" नामक दोनों प्रमाण पत्र समकक्ष हैं ।

इथमबुटोल के मूल्यों का पुनरीक्षण

3755. **श्री एन० ई० होरी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या यह सच है कि सरकार इथमबुटोल तथा उन मूल औषधियों के मूल्यों का पुनरीक्षण कर रही है जिनसे फोर्मुलेशन तैयार किया जाता है,

(ख) क्या यह भी सच है कि इस समय इथमबुटोल बनाने वाले औषधि एककों को उसका उत्पादन करने में हानि हो रही है,

(ग) यदि हां, तो कितरी, और

(घ) इस संबंध में कुल मूल्यांकन क्या है तथा देश में इथमबुटोल की कुल खपत क्या है,

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी हां । सरकार इथमबुटोल और इस औषध पर आधारित फार्मूलेशनों के मूल्य की पहले ही समीक्षा कर रही है ।

(ख) से (घ) : उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर इथमबुटोल एच. सी. एल. का उत्पादन

वर्ष 1980-81 के दौरान 35.06 टन से बढ़कर 1981-82 के दौरान 78.3 टन हो गया है। वर्ष 1980-81 में इस औषध का आयात भी 29.15 टन से घटकर 1981-82 के दौरान 27 टन हो गया है। औषध और भेषज पर कार्यकारी दल ने 1982-83 के दौरान 132 टन की मांग का अनुमान लगाया है।

अप्रयुक्त ऊर्जा संसाधनों का बेहतर उपयोग

3756. **श्री जी० वाई० कृष्णन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार की यह जानकारी है कि भारत के पास प्रयोग में न लाये गए ऊर्जा स्रोतों के भंडार तथा शहरों और गांवों में समुचित मात्रा में इस्तेमाल में लाई जाने वाली ऐसी सामग्री उपलब्ध है जिस का ऊर्जा स्रोतों के रूप में अब तक प्रयोग किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार ने ऊर्जा स्रोतों के बेहतर उपयोग के लिए क्या योजनाएं बनाई है ताकि देश ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बन सकें ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) देश के ऊर्जा संसाधनों का इष्टतम समुपयोजन करने के लिए सरकार प्रभावशाली कदम उठा रही है। इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा अपनाई गई नीति छठी योजना के द्वारा स्पष्ट हो जाती है। ऊर्जा योजना नीति के मुख्य अंग निम्नानुसार हैं :

(1) घरेलू परम्परागत ऊर्जा स्रोतों का तेजी से समुपयोजन।

(2) तेल की मांग का प्रबन्ध।

(3) ऊर्जा संरक्षण को प्रोत्साहन देना।

ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों का समुपयोजन।

देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विभिन्न ऊर्जा स्रोतों का शीघ्रता से समुपयोजन करने के लिए सरकार का कार्यक्रम है। छठी योजना के अन्तर्गत कोयले के उत्पादन के लिए 165 मिलियन टन का लक्ष्य रखा गया है। 1979-80 में 11.8 मिलियन टन की तुलना में 1984-85 तक तेल के उत्पादन को बढ़ाकर 29.5 मिलियन टन तक कर देने के प्रयास किए जा रहे हैं। योजनावधि के दौरान विद्युत उत्पादन क्षमता में 19666 मेगावाट की वृद्धि करने का लक्ष्य है।

पर्याप्त मात्रा में कूड़ा-करकट इकट्ठा किया गया है। वह इस समय बेकार पड़ा है। इस कूड़ा-करकट को विभिन्न तरीकों से ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए, ठोस कूड़ा-करकट के उपभोग हेतु दिल्ली में भसमीकरण पायलट संयंत्र प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा बम्बई के लिए पायरोलिसिस प्रक्रिया का समुपयोजन करने के लिए एक पायलट संयंत्र को

लिए विचार किया जा रहा है। प्रस्तावित पायलट संयंत्रों के प्रचालन से जो अनुभव प्राप्त होगा उससे इस क्षेत्र में भावी कार्रवाई के निर्धारण में सहायता मिलेगी।

देश में तेल के भण्डार

3757. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लुरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सर्वेक्षण से पता चला है कि देश में कच्चे तेल के पर्याप्त भण्डार हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उनकी खोज की व्यवस्था करने का है ;

(ग) इस संबंध में अनुसंधान और विकास के कार्यों में लगे हुए संस्थानों के नाम क्या हैं और वह कहां-कहां स्थित हैं ; और

(घ) उन पर कितना व्यय किया जा रहा है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) क्षेत्र/थाले की सम्भावनाएं केवल भूकम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा नहीं बल्कि भूकम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा सम्भव संरचनाओं का पता लगाने के बाद की जाने वाली खुदाई के परिणामों के आधार पर निश्चित की जाती है।

(ख) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग/आयल इन्डिया लिमिटेड लि० क्षेत्रों में भूकम्पीय सर्वेक्षणों द्वारा हाइड्रोकार्बनों के लिए प्रत्याशित संरचनाओं/स्थलों का पता लगा लेने के पश्चात नये क्षेत्रों तेल/गैस के लिए खुदाई/अन्वेषण करने के लिए निरन्तर प्रयास कर रहे हैं।

(ग) निम्नलिखित संस्थानों में अन्वेषण के सम्बन्ध में अनुसंधान एवं विकास कार्य किया जा रहा है ;

—केशवदेव मालवीया इंस्टीयूट आफ पेट्रोलियम ऐक्सप्लोरेशन देहरादून।

—इंस्टीट्यूट आफ रिजवार्यर स्टडीज अहमदाबाद

—इंस्टीटयूट आफ ड्रिलिंग टैक्नालोजी, देहरादून

—डिविजन आफ ओशन टैक्नालोजी रीसर्च (इसकी स्थापना की जा रही है) बम्बई।

—आयल इंडिया लि० का भी दुलियाजन में अपने क्षेत्रीय मुख्यालय में एक लघु अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान है।

(घ) वर्ष 1981-82 के दौरान, भाग (ग) में उल्लिखित प्रथम 4 संस्थानों पर किया गया वास्तविक व्यय 2,63 करोड़ रुपये था। अनुमान है कि इस वर्ष इन 4 संस्थानों पर कुल योजना एवं योजनेतर व्यय 8,07 करोड़ रुपये होगा। चालू योजना अवधि के दौरान आयल इन्डिया लि०

के अपने मुख्यालय में लघु प्रतिष्ठान के लिए अनुसंधान एवं विकास पर अनुमानित परिव्यय 1 करोड़ रुपये का है।

जलपाईगुड़ी (पश्चिम बंगाल) में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन का उपक्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना

3759. **श्री सुबोध सेन :** क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय समिति, कर्मचारी भविष्य निधि, पश्चिम बंगाल ने यह निर्णय किया है कि पश्चिम बंगाल जलपाईगुड़ी में एक उप-क्षेत्रीय कार्यालय खोला जाना चाहिए ; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्मवीर सिंह) : कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने निम्नलिखित बताया है :

(क) जी, हां।

(ख) इस प्रस्ताव को केन्द्रीय भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के समक्ष रखा जा रहा है।

क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों, प्रदर्शनी निरीक्षकों को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करना

3760. **श्री के० लकप्पा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या क्षेत्रीय प्रदर्शनी अधिकारियों प्रदर्शन, निरीक्षकों आदि को केन्द्रीय सूचना सेवा में शामिल करने संबंधी मामला सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस मामले को संघ के सेवा आयोग कार्मिक विभाग तथा सूचना और प्रसारण मन्त्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है ; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें केन्द्रीय सूचना सेवा में कब तक शामिल कर लिया जाएगा ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी. हां। तथापि कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

खेलों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने पर व्यय

3761. **श्री सी० पलानी अप्पन :** क्या **सूचना ओर प्रशारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक दिवसीय क्रिकेट, फुटबाल, हाकी मैचों और अन्य समारोहों का आंखों देखा हाल प्रसारित करने पर कितना व्यय किया गया ;

(ख) पिछले पांच वर्षों में प्रत्येक केन्द्र से ऐसे कितने आंखों देखा हाल प्रसारित किए गए, और

(ग) दूरदर्शन पर तथा देश के बाहर दोनों से क्रिकेट मैच (टेस्ट) के प्रसारण पर कितना व्यय किया गया ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) एकदिवसीय क्रिकेट, फुटबाल मैचों, हाकी मैचों और अन्य समारोहों के आंखों देखे हाल को रिले करने पर हुए खर्च का परिमाणन नहीं किया जा सकता, क्योंकि लगाए जाने वाले कर्मचारियों की संख्या और उपकरणों की मात्रा घटना के स्वरुप पर निर्भर करती है और वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न होती है। इसके अलावा, विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों पर कर्मचारियों के उसी समूह का और उन्हीं उपकरणों का उपयोग अन्य कार्यक्रमों को तैयार करने के लिए भी किया जाता है और इसलिए खेलों, मैचों आदि के कवरेज पर व्यय को ठीक-ठीक अलग नहीं किया जा सकता।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और उसको सदन को मेज पर रख दिया जायेगा।

(ग) देश के भीतर और देश के बाहर क्रिकेट मैचों (टेस्ट) को रिले करने में अन्तर्निहित व्यय भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भिन्न-भिन्न होता है। किसी विशिष्ट घटना/घटनाओं के संदर्भ की अनुपस्थिति में कोई निश्चित राशि नहीं बताई जा सकती ।

उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ से मुद्रित-प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्रों को श्रव्य एवम् दृश्यप्रचार निदेशालय के विज्ञापन

3762. **श्री जयनारायण रौत :** क्या **सूचना और प्रशारण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ नगर से कौन-कौन से दैनिक समाचार-पत्र मुद्रित और प्रकाशित होटे हैं ;

(ख) वर्ष 1981 में इन समाचार पत्रों की दैनिक विक्री क्या थी ;

(ग) इन समाचार-पत्रों में से प्रत्येक का आकार और पृष्ठ संख्या क्या थी ;

(घ) क्या ये समाचार-पत्र श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली से विज्ञापन प्राप्त करने के पात्र हो गए हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं तथा श्रव्य एवं दृश्य प्रचार निदेशालय, नई दिल्ली से विज्ञापन प्राप्त करने के लिए वे कब पात्र हो जायेंगे ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना विवरण में दी हुई है।

(घ) और (ङ) सरकारी विज्ञापनों के लिए पात्र बनने के लिए, समाचारपत्र की नियमितता, प्रसार संख्या, मुद्रण क्षेत्र, आदि के निर्धारित मानदंड को पूरा करना होता है और औपचारिक आवेदन पत्र भी प्रस्तुत करना होता है। परिशिष्ट में दिए गए ? पत्रों में से, केवल २ (क्रम संख्या 1 और 2) ही इस समय विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल हैं। दो अन्य दैनिकों (क्रम संख्या 3 और 4) का उपयोग "सिद्ध नहीं हुई" या "बढ़ी चढ़ी" प्रसार संख्या के कारण बन्द कर दिया गया है। शेष पत्रों के विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय की सूची में शामिल किए जाने के लिए निदेशालय से औपचारिक रुप से आवेदन नहीं किया है।

विवरण

अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) से प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्र

क्रम सं०	समाचार-पत्र का नाम	प्रसार संख्या (1981 के लिए)	आकार वर्ग कालम सेन्टीमीटर में	औसत पृष्ठ (1981)
हिन्दी				
1.	जनता युग	20,582*	2342	6*
2,	युग टाइम्स	11,450	50 सेन्टीमीटर ×7 कालम	4
3.	प्रकाश	12,453	1935	प्रकाशक द्वारा उपलब्ध नहीं की गई।

* 1982 में

4.	प्रवदा	14,763	2296	4
5.	अलीगढ़ मेल	2, 872	1935	4
6.	नव समाचार पत्रिका	1,200	1935	4
7.	भीष्म प्रतिज्ञा	प्रकाशक द्वारा उपलब्ध नहीं की गई	प्रकाशक द्वारा उपलब्ध नहीं की गई	प्रकाशक द्वारा उपलब्ध नहीं की गई
8.	देश आदेश	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—
उर्दू				
9.	युग सैनिक	—तथैव—	—तथैव—	—तथैव—

बंगलौर में प्राथमिकता के आधार पर एल० पी० जी० कनेक्शनों की स्वीकृति

3763. **श्री इब्राहीम सुलेमान सेट** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके द्वारा नवम्बर और दिसम्बर, 1982 और जनवरी, 1983 के महीनो के दौरान बंगलौर में रहने वाले परिवारों के लिए प्राथमिकता के आधार पर अनेक एल० पी० जी० कनेक्शनों की स्वीकृति दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसे लोगों की संख्या और ब्यौरा क्या है जिनके लिए एल० पी० जी० कनेक्शनों की स्वीकृति दी गई है ;

(ग) क्या इंडियन आयल उनके द्वारा जारी किये गये आदेशों का पालन करने में असफल रही है और यदि हां, तो बिलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(घ) ऐसे सभी आदेशों का इंडियन आयल कम्पनी द्वारा कब तक पालन कर दिया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिवशंकर) : (क) जी नहीं। परन्तु कुछ थोड़े से प्रदान किए गये थे।

(ख) छः।

(ग) और (घ) इंडियन आयल कारपोरेशन लि० द्वारा मंजूरी-पत्र की प्राप्ति होने पर कनेक्शन शीघ्र लगाये जाते हैं, परंतु तथ्य यह है कि मंजूरी-पत्र इंडियन आयल कारपोरेशन लि० नई दिल्ली को भी भेजे जाते हैं जो बाद में उन्हें अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को भेजते हैं, इसमें थोड़ा समय लगाना अनिवार्य है।

कास्टिक सोडा और उर्वरकों की मांग में कमी।

3764. **श्री रामनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में कास्टिक सोडा, साडा ऐश और उर्वरकों की मांग में कुछ कमी अनुभव की गई है,

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार का विचार अपनी आर्थिक और वित्तीय नीतियों में कुछ ऐसा परिवर्तन करने का है जिससे मंदी से प्रभावित उद्योगों की स्थिति में सुधार हो सके, ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कास्टिक सोडा, सोडाक्षार और उर्वरकों की मांग में कोई सुस्पष्ट कमी ध्यान में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) कास्टिक सोडा और सोडाक्षार के आयात की नीति की निरंतर समीक्षा होती है और आयातों का विनियमन स्वदेशी उपलब्धता और मांग को ध्यान में रखकर, किया जाता है।

एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को दी गई छूटों की पुनरीक्षा

3765. **श्री आर० एन० राकेश** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या सरकार का विचार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन बहुराष्ट्रिक कम्पनियों को दी जाने वाली अनुचित छूटों के सम्बन्ध में निर्धारित की गई नई नीतियों और निर्णयों की पुनरीक्षा करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : "बहुराष्ट्रिक" शब्द की साधारण तौर पर कोई स्वीकार्य परिभाषा नहीं है। तथापि, वे कम्पनियां जिनकी गैर आवासीय इक्यूटी का 40 प्रतिशत से अधिक है, उनको विदेशी कम्पनियां समझा जाता है तथा वे विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1973 (फेरा) में उल्लिखत उपबन्धों के अन्तर्गत आती हैं। फेरा के अन्तर्गत आने वाली इस प्रकार की विदेशी कम्पनियां, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 (एम० आर० टी० पी०) के उपबन्धों के अन्तर्गत स्वतः नहीं आती हैं जब तक कि वे बाद वाले अधिनियम को धारा 20 में उल्लिखित उपबन्धों के अनुसार एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार की कम्पनिया भी हों।

विदेशी कम्पनियों या बहुराष्ट्रिक, जो एकाधिकारी तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत आती हैं, के पक्ष में एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अन्तर्गत मुक्ति देने की स्वीकृति का कोई प्रस्ताव नहीं है। इसके अतिरिक्त बुरह बैलक,-

मस, प्ली अनएक्सप्टेबल, फाइजर, जे० एण्ड जे०, साइनामिड एण्ड ई० मर्क एस्केप डाइलुशन "शीर्षक" के अन्तर्गत 5 फरवरी, 1983 के इक्नोमिक टाइम्स में प्रकाशित समाचार, जिसको कि माननीय सदस्य सम्भवतः अपने मन में रखते हैं, उसमें केवल विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के अन्तर्गत शैथल्यि से मुक्ति के सम्बन्ध में उल्लेख है, किन्तु एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के उपबन्धों के संचालन से नहीं।

वर्ष 1982-83 के दौरान खान दुर्घटनाओं में मारे गये श्रमिक

3766. **श्री जगपाल सिंह :**

श्री मंगल राम प्रमी : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 के दौरान अब तक खान-दुर्घनाओं में कितने व्यक्ति मारे गये हैं; और

(ख) उनेक आश्रितों को क्या सरकारी सहायता प्रदान की गई है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) वर्ष 1982 और 1983 (जनवरी तक) के दौरान खान दुर्घटनाओं में मारे गए श्रमिकों की संख्या के सम्बन्ध में नवीनतम सूचना नीचे दी गई है :

वर्ष	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
× 1982	253
× 1983 (जनवरी तक)	[illegible]2

× आंकड़े अनंतिम

(ख) घायल और मृतक श्रमिकों के कानूनी वारिसों को कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 के अधीन मुआवजा दिया जाता है। इस अधिनियम का प्रशासन राज्य सरकार द्वारा किया जाता है।

ताप विद्युत केन्द्रों की पूंजीगत लागत में वृद्धि

3767. **श्री गुलाम रसूल कोचक :**

श्री० बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के वर्षों में भारत में ताप विद्युत केन्द्रों की पूंजीगत लागत में तेजी से वृद्धि हुई है ; और

(ख) परियोजनाओं को शीघ्र पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) परियोजनाओं को शीघ्रता से पूरा करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। परियोजनाओं की मानीटरिंग करने के कार्य को काफी बढ़ाया गया है। परियोजनाओं को विभिन्न कार्य-कलापों की ध्यानपूर्वक मानीटरिंग करने के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में निर्माण मानीटरिंग निदेशालयों की स्थापना की गई है। परियोजना प्राधिकारियों, उपस्कर सप्लाईकर्ताओं, निर्माताओं, निर्माण एजेन्सियों आदि के साथ केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में समन्वय तथा समीक्षा बैठकें नियमित रूप से की जाती हैं। सभी बाधाओं के लिए उपचारी उपाय करने के लिए बराबर ध्यान रखा जाता है केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के वरिष्ठ अधिकारी परियोजना स्थलों का दौरा करते हैं और कठिनाइयों को दूर करने के लिए मामले को उपयुक्त प्राधिकारियों के साथ उठाते हैं। राज्य के साथ-साथ केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनाओं की प्रगति पर बारीकी से मानीटर करने के लिए विद्युत विभाग में समीक्षा बैठकें भी की जाती हैं। राज्यों के विद्युत मंत्रियों के साथ बैठकें भी की जाती है जिनमें निर्माणाधीन परियोजनाओं की उपचारी उपाय करने के लिए समीक्षा की जाती है। परियोजना स्तर प्रबन्ध में सुधार करने के लिए जुलाई, 1980 में राज्य बिजली बोर्डों को मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए थे। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों में अन्य बातों के साथ-साथ परि-योजनाओं के विभिन्न कार्यकलापों पर ध्यानपूर्वक नजर रखने के लिए विभिन्न तारजाल और फार्मेट भी शामिल हैं।

शीरे और अल्कोहल का निर्यात

3768. **श्री एम० एम० लारेंस** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी राज्य सरकार ने शीरे और अल्कोहल के निर्यात की स्वीकृति के लिए सरकार से अनुरोध किया है,

(ख) यदि हां, तो उन राज्य सरकारो के नाम क्या हैं और शीरे तथा अल्कोहल की कितनी मात्रा के निर्यात किए जाने का सुझाव दिया गया है, और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है,

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमिल नाडू, आन्ध्र प्रदेश, तथा कर्नाटक, राज्यों ने शीरे के निर्यात के लिए अनुमति मांगी है जबकि अलकोहल के निर्यात की स्वीकृति केवल महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश ने मांगी।

19.1.83 को हुई केन्द्रीय शीरा बोर्ड की बैठक, जिसमें सभी राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, ने अन्य बातों के साथ वर्तमान अल्कोहल वर्ष 1982-83 (दिसम्बर-नवम्बर) में निर्यात के लिए उपलब्ध संभावित शीरा और अल्कोहल की अतिरिक्त मात्रा

का पुनरीक्षण किया। इसके आधार पर, इस समय 4.75 लाख टन शीरे का निर्यात स्वीकृत करने का निर्णय किया गया। निर्यात के लिए अल्कोहल की कोई अतिरिक्त मात्रा आवंटित नहीं की गई थी। तथापि पिछले अल्कोहल वर्ष में 100 लाख लीटर अल्कोहल के निर्यात के लिए दी गई मंजूरी को कायम रखने की अनुमति दी गई है।

मोहिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा के साथ इण्डियन अल्युमीनियम का विलय

3769. **श्री भिखाभाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इन्डियन अल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड के साथ मोहिन्द्रा एण्ड मोहिन्द्रा लिमिटेड का विलय वित्तीय दबावों के कारण था ;

(ख) श्रमिकों और कर्मचारियों पर इस विलय का क्या प्रभाव पड़ा ;

(ग) कितने और उद्योगों का विलय होना है ; और

(घ) मिलाए गए उद्योग की कुल कितनी देयता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) मैं० इण्डियन अल्युमिनियम लिमिटेड के साथ महिन्द्रा एन्ड महिन्द्रा लिमिटेड के विलय के लिए, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अपेक्षित होगा। तथापि अभी तक इस प्रकार का कोई आवेदन पत्र प्राप्त नहीं किया गया है।

(ख) प्रश्न के भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) 1-3-1983 तक केन्द्रीय सरकार के पास एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 के अन्तर्गत 13 प्रस्ताव विचाराधीन थे।

(घ) कुल प्रदत्त पूंजी और विलय की गई कम्पनियों की संचय राशि को छोड़कर जिसके लिए एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम, 1969 की धारा 23 (2) के अन्तर्गत अनुमोदनों को वर्ष 1982 में स्वीकृति दी गई थी, उनको कुल देयता 16,504.92 लाख रुपये अनुमोदित की गई थी।

बिहार में बिजली का उत्पादन और आवश्यकता

3771. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में बिजली की कुल आवश्यकता और उत्पादन कितना है ; और

(ख) राज्य में बिजली के उत्पादन बढ़ाने के लिए बनाए गए कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) बिहार में इस समय विद्युत की औसत आवश्यकता लगभग 11 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है। औसत उपलब्धता लगभग 8 मिलियन यूनिट प्रतिदिन है।

(ख) बिहार में विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं :

(1) विद्युत उत्पादन में सुधार लाने के लिए पतरातू और बरौनी की ताप विद्युत यूनिटों के नवीकरण का कार्य हाथ में लिया गया है।

(2) नई क्षमता को शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(3) प्रणाली की परिस्थितियों पर निर्भर करते हुए उत्तरी ग्रिड से सहायता दी जा रही है।

(4) फरक्का में केन्द्रीय विद्युत उत्पादन परियोजना में बिहार का हिस्सा है, जिसे शीघ्र चालू किया जा रहा है।

(5) दामोदर घाटी में निगम से अधिकतम सहायता देने के लिए कहा गया है।

महिलाओं का रोजगार और उनकी आदमियों पर आर्थिक रूप से निर्भरता

3773. **श्रीमती माधुरी सिंह** :

श्री के० मालन्ना : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को महिलाओं के रोजगार की निरन्तर गिरावट और उनकी आर्थिक रूप से आदमियों पर निर्भरता के सम्बन्ध में राष्ट्रीय भारतीय महिला महासंघ द्वारा व्यक्त चिंता की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो महिलाओं को अधिक रोजगार के अवसर और बेहतर कार्य दशाएं उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) सरकार का इस मामले में प्रेस रिपोर्टों की जानकारी है। तथापि, 1975 से उद्योगों के संगठित क्षेत्र में नियोजित महिलाओं के सम्बन्ध में 1972 से उपलब्ध आंकड़ों से उनकी संख्या में वृद्धि के स्थान का पता चलता है जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	संबंधित वर्ष के 31 मार्च की स्थिति के अनुसार नियोजित महिलाओं की संख्या (लाख में)
1975	22.3
1976	24.0

1	2
1977	24.5
1978	25.6
1979	26.1
1980	27.0
1981	27.9
1982	•29.0 (अनन्तिम)

असम में निर्वाचित अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त मत

3774. **श्रीमती प्रमिला दण्डवते : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम में कुछ निर्वाचित अभ्यर्थियों को 1000 से भी कम मत प्राप्त हुए हैं ;

(ख) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या कितनी हैं जिन्हें 1000 से कम, 5000 से कम और 10,000 से कम मत प्राप्त हुए हैं ; और

(ग) इन अभ्यर्थियों द्वारा इतने कम मत प्राप्त करने के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी हां।

(ख) निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई जानकारी इस प्रकार है :

(1) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें 1000 से कम मत प्राप्त हुए—11

(2) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें 5000 से कम किन्तु 1000 से अधिक मत प्राप्त हुए—23

(3) ऐसे निर्वाचित अभ्यर्थियों की संख्या जिन्हें 10,000 से कम किन्तु 5000 अधिक मत प्राप्त हुए —19

(ग) आयोग ने सूचित किया है कि मतदान का प्रतिशत कम होने का कारण यह था कि मतदाताओं ने कई कारणों से कम चेष्टा दिखाई, जिनके अन्तर्गत मतदाताओं का अभिकथित धमकाया जाना, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाना, निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा राज्य में हिंसा का वातावरण पैदा किया जाना है ।

फ्रांसीसी कम्पनी द्वारा हाईब्रिड टेलीफोन एक्सचेन्जों की सप्लाई

3775. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस की सी० आई० टी० एलकाटेल कम्पनी, जिसको देश में हाईब्रिड टेलीफोन एक्सचेन्जों की सप्लाई सम्बन्धी ठेका दिया गया है, 2400/रुपये प्रति लाईन की दर से वसूली कर रही है, जबकि अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में यह 1500/रुपये प्रति लाईन की दर से उपलब्ध है ;

(ख) क्या यह सच भी है कि जापान की हिताची और फुर्जात्शु ने बेहतर और अधिक आधुनिक टेलीफोन प्रणाली इससे काफी कम दर पर बेचने की पेशकश की थी ; और

(ग) यदि हां, तो इस बात के क्या कारण हैं कि कम लागत पर उपलब्ध अधिक आधुनिक औद्योगिकी को अस्वीकार करके हमने ज्यादा लागत का पिछड़ी औद्योगिकी के लिए समझौता किया है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) फ्रांस सरकार के द्विपक्षीय प्रस्ताव के आधार पर मैसर्स सी० आई० टी० अल्कातेल के साथ किए गए एक करार के अनुसार अंकीय इलैक्ट्रॉनिक एक्सचेंज/उपस्कर की औसत लागत, जिसमें विद्युत संयंत्र मुख्य वितरण फ्रेम, रख-रखाब उपस्कर और अतिरिक्त पुर्जे भी शामिल हैं, 2185 रुपये (पोत पर्यंत निःशुल्क) प्रति लाईन है। यह लागत करार पर हस्ताक्षर करने तक प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों में ऐसे ही अंकीय उपस्कर के लिए बताई गई लागत से कम है। परन्तु एक्सचेंज उपस्कर की लागत विभिन्न बातों के कारण अलग-अलग होती है, जैसे एक्सचेंज का आकार, परियात वहन करने की क्षमता, प्रदान की गई सुविधाएं आदि। सी० आई० टी० अल्कातेल के साथ किए गए करार के बाद अंकीय एक्सचेंज के लिए मूल्य सम्बन्धी कोई प्रस्ताव नही खोले गये हैं और इसलिए अन्य सप्लायरों से प्राप्त तुल्नात्मक मूल्य उपलब्ध नहीं है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

उर्वरक कारखानों को सरकार द्वारा दी गई वित्तीय सहायता

3776. **श्री फूलचन्द्र वर्मा** :

श्रीमती किशोरी शिन्हा : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उर्वरक कारखानों को प्रतिवर्ष सरकार द्वारा वित्तीय सहायता दी जाती है ;

(ख) यदि हां तो, सहायता किस ढंग से तथा कितनी धनराशि की दी जाती है ;

(ग) क्या इस सहायता की राशि कम करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या उनके उत्पादों के मूल्यों में वृद्धि करके सहायता सम्बन्धी क्षति को पूरा करने का कोई प्रस्ताव है ;

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) और (ख) चूंकि सरकार द्वारा मुख्य उर्वरकों के उपभोक्ता मूल्यों को नियंत्रित और उचित स्तर पर रखा जाता है, ऐसे उर्वरकों के बारे में उत्पादकों के लिए प्रतिधारण मूल्य की एक योजना चालू की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत कारखाना वसूली और प्रतिधारण मूल्य के अन्तर को सम्बद्ध इकाई से वसूल कर लिया जाता है अथवा सहायता के रूप में भुगतान कर दिया जाता है। 1982-83 में प्रतिधारण मूल्य योजना के अन्तर्गत सहायता की मात्रा 550 करोड़ रुपये होने की आशा है।

(ग) और (घ) जी नहीं।

उत्पाद-शुल्क और सीमा शुल्क की रकम मुकदमेबाजी के कारण फंसी

3777. **श्री सुनील मैत्रा :**

श्रीमती कृष्णा साही : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क की वह रकम कुल कितनी हैं जो मुकदमेबाजी के कारण फंसी हुई है ;

(ख) इसमें से कितनी रकम उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के रोकादेशों के कारण फंसी हुई है ;

(ग) सरकार ने न्यायालयों से कम से कम उन मुख्य मामलों का निपटारा करने का अनुरोध करने के क्या उपाय किए हैं, जो अन्य मामलों का निपटारा करने में मार्गदर्शक के रूप में काम आ सकते हैं ; और

(घ) उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में रोकादेशों को समाप्त कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

पेट्रो कैमिकल काम्पलेक्स, तमिलनाडु

3778. **श्री एस० टी० के० जक्कायन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की तमिलनाडू सरकार की ओर से वहां सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रो-केमिकल काम्पलेक्स की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संम्बन्ध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) (क) जी, हां।

(ख) तामिलनाडू में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में एक पेट्रो-केमिकल्स उद्योग समूह की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

नवादा और गया जिलों में विद्युतीकृत हरिजन कालोनियां

3779. **श्री कुंवर राम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में कितनी हरिजन कालोनियों को बिजली दी गई है ; और

(ख) इस सम्बन्ध में बिहार के नवादा और गया जिलों की स्थिति क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शीघ्र न्याय के लिए दिल्ली का न्यायिक जिलों में विभाजन

3780. **श्री छोटे सिंह यादव** :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या निधि न्यास और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शीघ्र न्याय के लिए दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र को कुल न्यायिक जिलों में विभाजित करने की स्कीम तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा इस स्कीम को अन्तिम रूप कब दिया गया था और इस स्कीम को कार्यान्वित करने में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारत सरकार ने मार्च, 1982 में दिल्ली उच्च न्यायालय का वह प्रस्ताव सिद्धान्त रूप में स्वीकार कर लिया है जिसमें न्याय के अधिक दक्ष प्रशासन के प्रयोजन के लिए दिल्ली का 5 पृथक न्यायिक जिलों में विभाजन करने के लिए कहा गया था। ये जिले, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर और मध्य के रूप में जाने जाएंगे और प्रत्येक का प्रधान जिला तथा सेशन न्यायाधीश होगा। दिल्ली प्रशासन ने दिल्ली उच्च न्यायालय के परामर्श से दंड प्रक्रिया सहिता, 1973 दिल्ली किराया नियन्त्रण अधिनियम, 1958, दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में औपचारिक प्रकृति के ऐसे संशोधन करने का प्रस्ताव भेजा है जो स्कीम आरम्भ करने के लिए आवश्यक समझे गए हैं। दिल्ली प्रशासन से कहा जा रहा

है कि वह दिल्ली महा नगर षरिषद की, जिसका अब गठन हो रहा है, सिफारिशें प्राप्त करे।

श्री गंगानगर को दिल्ली तथा बम्बई के लिए एस० टी० डी० सुविधायें

3781. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री गंगानगर से बुक किए गए सभी ट्रंककाल समय पर कार्यान्वित हो जाते हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो गत वर्ष के कितने मामले हैं जिनके सम्बन्ध में वे कार्यान्वित नहीं हुए हैं ; और

(ग) क्या श्रीगंगानगर को दिल्ली तथा बम्बई के लिए एस० टी० डी० सेवा उपलब्ध कराई जा सकती है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। श्रीगंगानगर से बुक की गई कुछ ट्रंक कालें समय पर अर्थात आवश्यक ट्रंक कालों की बुकिंग के एक घंटे और सामान्य ट्रंक कालों की बुकिंग के दो घंटे की सामान्य संभावित अवधि के भीतर नहीं मिल पाती है।

(ख) पिछले एक वर्ष अर्थात कैलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान श्री गंगानगर से बुक की गई ऐसी ट्रंक कालों की सं० 91,001 है जो विभिन्न कारणों के लगाई नहीं जा सकी।

(ग) जी हां। जयपुर और श्रीगंगानगर के बीच अपेक्षित संचारण सर्किटों के चालू हो जाने के बाद और श्रीगंगानगर के करचल टेलीफोन एक्सचेंज का स्वचलीकरण करने के पश्चात ही श्री गंगानगर को दिल्ली और बम्बई के साथ उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग (एस० टी० डी०) सेवा के अन्तर्गत लाया जा सकता है।

चीन गणराज्य के ढंग पर अस्थिर मजूरी प्रणाली

3782. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन गणराज्य ने एक ऐसी अस्थिर मजूरी प्रणाली शुरू की है, जिसमें श्रमिकों की आय उनके काम की मात्रा और किस्म पर निर्भर करती है ; और

(ख) क्या वर्ल्ड इकानापिक हैरल्ड, संघाई द्वारा प्रसारित इस व्यवस्था के बारे में श्रम मन्त्रालय ने कोई अध्ययन किया है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) 29 जनवरी, 1983 के "इकानामिक टाइम्स" में प्रकाशित समाचार के अनुसार, यह बताया गया है कि चीन अस्थिर मजूरी प्रणाली

का परिक्षण कर रहा है, जिसके अनुसार श्रमिकों की आय उनके कार्य के स्तर तथा कार्य की मात्रा पर निर्भर करती है।

(ख) जी, नहीं।

राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा नई ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए सहायता का अनुरोध

3783. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द वर्मा : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने दो नई ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये की केन्द्रीय सहायता का अनुरोध किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या उक्त निगम ने सरकार को परियोजनाओं का पूरा ब्यौरा भी भेजा था ; और

(घ) यदि हां, तो उन परियोजनाओं की रूप रेखा क्या है तथा तत्सम्बन्धी पूर्ण विवरण क्याहै ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) मध्य प्रदेश में सीधी जिले में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 (1260 मे० वा०) तथा उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले में रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 (1000 मेगावाट) को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गई है। सम्बद्ध पारेषण प्रणाली सहित विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 का अनुमोदित लागत 1110.42 करोड़ रुपये हैं। इस परियोजना के 210 मेगावाट के प्रथम यूनिट को 1987 के दौरान चालू करने का कार्यक्रम है। रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के चरण-1 की अनुमोदित लागत 1033 करोड़ रुपये हैं (सम्बद्ध पारेषण प्रणाली की लागत को छोड़कर)। इस परियोजना के 500 मेगावाट प्रथम यूनिट को भी 1987 में चालू करने का कार्यक्रम है। इन दोनों परियोजनाओं के लिए प्रारम्भिक कार्य हाथ में ले लिए गए हैं।

1982-83 के लिए संशोधित अनुमानों में राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इन दोनों परियोजनाओं की आवश्यकतओं को पूरा करने के लिए 140 करोड़ रुपये का प्रावधान करने के लिए कहा है 9 वित्तीय बाधाओं के कारण, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को किया गया बजटीय आबंटन उनके द्वारा सूचित की गई आवश्यकताओं के लिए कम पड़ गया है उपलब्ध स्रोतों के साथ सभी परियोजनाओं पर यथासंभव अधिकतम गति को बनाए रखने की सुनश्चितता के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा बम्बई-हाई में प्लेट-फार्म के निर्माण के लिए लिया गया ऋण

3784. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :**
श्री भीम सिंह :
श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई हाई में नए प्लेटफार्मों के निर्माण के लिए तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल में भारी ऋण प्राप्त किया है ;

(ख) यदि हां, तो इन प्लेटफार्मों के निर्माण के बाद होने वाली उत्पादन में वृद्धि और उत्पादन लागत में कमी का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यह ऋण किस स्रोत/एजेंसी से प्राप्त किया गया है तथा उसकी शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग अनुमोदित योजना के अनुसार बम्बई हाई से उत्पादन कर रहा है इस योजना के अनुसार कूप-एवं-उत्पादन प्लेटफार्मों प्रोसेसिंग प्लेटफार्मों और जल अन्तःक्षेपण प्लेटफार्मों की स्थापना की जा रही है। अतिरिक्त प्लेटफार्मों से उत्पादन में वृद्धि होगी और जल अन्तः क्षेपण प्लेटफार्म अधिक अवधि के लिए इस्टतम उत्पादन स्तर बनाये रखने में सहायता करेंगे। जहां तक सम्भव होता है विभिन्न अर्न्तराष्ट्रीय वित्तीय पोषण संस्थानों और वाणिज्यिक बैंकों आदि से उपयुक्त ऋण सुविधाओं को उपयोग में लाया जाता है।

"गांधी" फिल्म पर खर्च

3785. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फिल्म "गांधी" पर सरकार की विभिन्न एजेंसियों ने कुल कितनी राशि का निवेश किया तथा विभिन्न संस्थानों और उनके द्वारा किए गए निवेश का ब्यौरा क्या है ;

(ख) विभिन्न एजेंसियों द्वारा तैयार किए गए आंकड़ों के अनुसार "गांधी" फिल्म पर वस्तुतः कितनी लागत आयी है ;

(ग) इस फिल्म से अब तक कितनी आय हो चुकी है ;

(घ) इस फिल्म पर सरकार ने कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की ; और

(ङ) वास्तविक निर्माण लागत, और इससे होने वाली वास्तविक आय आदि की रूप रेखा का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, जो सर रिचर्ड एटनबरो द्वारा निर्मित "गांधी" नामक फिल्म का सह निर्माता है, ने इस फिल्म में 6.36 करोड़ रुपये की धनराशि लगाई।

(ख) इस फिल्म के निर्माण पर अब तक खर्च की गई कुल धनराशि 17.34 करोड़ रुपये जमा आई० एफ० आई०/जी० एफ० आई० का अधिक लागत अंशदान है जिसका संकलन और आडिट किया जा रहा है।

(ग) इस फिल्म के सही आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(घ) इस फिल्म पर सरकार द्वारा कोई विदेशी मुद्रा खर्च नहीं की गई है। विदेशी मुद्रा संबंधी व्यय आई० एफ० आई०/जी० एफ० आई० द्वारा वहन किया गया जो इस फिल्म के विदेशी वित्त-पोषक हैं।

(ङ) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम को निर्माण लागत का केवल अन्तिम विवरण ही प्राप्त हुआ है जिसकी छानबीन की जा रही है। इसलिए इस समय विशिष्ट आंकड़े देना सम्भव नहीं है।

कोसल, जिला सीकर, राजस्थान में बेरोजगार स्नातकों के लिए डीजल पम्पों का आरक्षण

3786. **श्री दौलत राम सारण** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीकर जिले में (राजस्थान) सीकर से 43 कि० मी० दूर म्यूनिसीपल नगर कोसल में कृषि उपकरणों, ट्रैक्टरों, बसों और ट्रकों की बड़ी सं० को ध्यान में रखते हुए, सरकार का विचार सीकर-जोधपुर मेन रोड़ पर 43-44 कि० मी० की दूरी पर बेरोजगार स्नातकों को डीजल पम्प का कोटा आरक्षित करने का है; और

(ख) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) लोसल की वर्तमान खपत इतनी नहीं है कि कम लागत वाले पेट्रोल बिक्री केन्द्र के खोलने का भी कोई औचित्य हो। तथापि, ज्योंहि व्यापार क्षमता बेहतर हो जाएगी, तेल कम्पनियां अपनी भावी योजनाओं के प्रति इस क्षेत्र में पेट्रोल बिक्री केन्द्र की स्थापना करने पर विचार करेंगी।

रूस द्वारा कोयला परियोजनाओं का विकास

3787. **श्री आनन्द सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रूस विस्तृत कोयला परियोजना रिपोर्ट तैयार करने में भारत की सहायता करेगा ;

(ख) यदि हां, तो रूस में भारतीय विशेषज्ञों को दिये जाने वाले विशिष्ट प्रशिक्षण का

ब्यौरा, प्रशिक्षण की अवधि क्या है और प्रशिक्षण कब दिया जायेगा और एक समय में कितने लोगों को प्रशिक्षण दिया जायेगा ;

(ग) विभिन्न कोयला क्षेत्रों में छोटी पहाड़ियों को हटाने के लिए परियोजना रिपोर्ट में कतनी "नई वाशरीज" "डायरेक्शनल बलास्टिंग" का पता लगाया जायेगा ;

(घ) क्या इस उद्देश्य के लिए रूस द्वारा कुछ परिरक्षक उपकरण भी दिये जायेंगे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कब ; और

(ङ) क्या इसी प्रकार की परियोजना रिपोर्ट अन्य विकसित देशों अर्थात अमेरिका, इंगलैंड, फ्रांस, पश्चिम जर्मनी और पश्चिम के अन्य देशों, से भी मांगी गई है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) इस प्रकार के प्रशिक्षण के लिए अभी तक कोई संबिदा नहीं की गई है ।

(ग) वाशरियों का निर्देशन परियोजना रिपोर्टों के पूरा हो जाने के बाद ही होगा । सिंगरौली कोयला क्षेत्र की झींगुर्दा खान के लिए दिशा निर्देशित विस्फोट द्वारा टीले हटाना तय किया गया है ।

(घ) खनन की शील्ड पद्धति के लिए जो खनन उपकरण देश में उपलब्ध नहीं है उन्हें सोवियत संघ से सप्लाई किए जाने का प्रस्ताव है । इस सम्बन्ध में संविदा को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

(ङ) जी, हां । इंग्लैण्ड फ्रांस कनाडा और पश्चिम जर्मनी भी परियोजना रिपोर्टें तैयार करने में और जो उपकरण देश में उपलब्ध नहीं हैं उनकी सप्लाई में सहायता प्रदान कर रहे हैं । इनके ब्यौरे निम्नलिखित हैं :

इंग्लैंड :

तंत्रीकृत लांगबाल प्रौद्योगिकी शुरू करने के लिए चूसिक और अपनापानी भूमिगत खानों की साध्यता रिपोर्ट तैयार करना ।

फ्रांस :

खनन की लांगवाल उप-स्तर केविंग और विस्फोटन गैलरी पद्धति शुरु करने के लिए नंदिरा, पीपराडीह, अनंता, चोरा, मोयरा, परासिया, पूर्वी कटराम और केंडवाडीह के सम्बन्ध में साध्यता रिपोर्ट तैयार करना । अमलाबाद में अगैसाकरण स्कीम के लिए विस्तृत इंजीनियरी ।

संधीय जर्मन गणराज्य :

भा० को० को० लि० की गोपालीचक खान में हाइड्रालिक खनन शुरू करने के लिए और

घूसिक में अगैसीकरण स्कीम की डिजाइन और संस्थापन के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।

कनाडा :

बरगोलाई और पूर्वी कटरास में हाइड्रालिक खनन शुरू करने के लिए साध्यता रिपोर्ट तैयार करना।

पश्चिम बंगाल में पटसन मिल श्रमिकों के साथ हुए समझौते को लागू न करना

3788. **श्री नारायण चौबे** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के पटसन श्रमिक के साथ कार्यभार ग्रेड और वेतन मानों में संशोधनों के बारे में किये गए समझौतों को लागू न करने, पटसन मिलों को बन्द करने तथा तालाबन्दी पटसन मिलों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (के) का उल्लंघन और कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशि को पटसन मिलों से वसूल करने के लिए बातचीत करने हेतु कोई कदम उठाये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम निकले ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इन बिषयों पर 31 जनवरी, 1983 को हुई पुनर्गठित औद्योगिक समिति के प्रथम सत्र में विचार-विमर्श किया गया था।

(ख) इन मद्दों के सम्बन्ध में लिए गए निर्णयों का विवरण संलग्न है।

विवरण

विषय	निर्णय
1. पश्चिम बंगाल के पटसन मिल श्रमिकों के कार्यभार, ग्रेडों और वेतनमानों में संशोधन के संबंध में समझौतों/पंचाटों का कार्यान्वयन न किया जाना।	समिति ने निर्णय किया कि पश्चिम बंगाल सरकार को पटसन उद्योगों की ट्रेड यूनियनों तथा नियोजक संगठनों की त्रिपक्षीय बैठक तत्काल बुलानी चाहिए, ताकि पटसन मिल श्रमिकों के मांग-पत्र तथा उनके कार्यभार, ग्रेडों तथा वेतन-मानों में संशोधन के संबंध में हुए समझौतों, तथा राज्य श्रम मन्त्री द्वारा 1979 में दिए गए पंचाटों को लागू न किए जाने के संबंध में विचार

	विमर्श किया जा सके और मामले पर छः मास के भीतर निर्णय लिया जा सके। यदि प्रस्तावित त्रिपक्षीय बैठक में कोई निर्णय नहीं हो पाता, तो इस मामले का फैसला औद्योगिक विवाद अधिनियम के अधीन किया जाए।
2. पटसन मिलों में कामबन्दी और तालाबन्दी, पटसन मिलों द्वारा औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 2 (ट) का उल्लंघन।	समिति ने निर्णय किया कि पश्चिम बंगाल के श्रम मन्त्री जी को पश्चिम बंगाल की पटसन मिलों में कामबन्दी, तालाबन्दी तथा जबरी छुट्टी के वाद-विषय को तय करने के लिए एक बैठक बुलाई और इस मामले के संबंध में केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दें।
3. पटसन मिलों से नियोजकों के हिस्से का भविष्य निधि अंशदान वसूल करना।	समिति ने निर्णय लिया कि इस संबंध में सभी संभव कदम उठाए जाएं। इनमें पश्चिम बंगाल में विधि मन्त्रालय के अधीन एक कानूनी सैल स्थापित करना तथा उस राशि का समायोजन करना भी शामिल है, जो दोषी मिलों द्वारा भविष्य निधि देय बकाया राशियों के संबंध में पटसन मिलों को आर्थिक सहायता के रूप में भुगतान हेतु आयात और निर्यात मुख्य नियन्त्रक के पास पड़ी है।

आन्ध्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध

3789. **डा० कृपा सिन्धु भोई :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने दिल्ली से रोजाना रात को दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले 90 मिनट के राष्ट्रीय कार्यक्रम के आधार और विषय-वस्तु के बारे में केन्द्र से विरोध प्रकट किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस विरोध का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या कुछ अन्य राज्यों ने भी राष्ट्रीय कार्यक्रम का विरोध किया है ; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) किसी भी राज्य सरकार ने राष्ट्रीय कार्यक्रम को जारी रखने का विरोध नहीं किया है । तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की राज्य सरकारों ने पहले कुल सुझाव दिये थे । इन सुझावों को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कार्यक्रम की विषय-वस्तु और उसके समय में अनेक संमंजन किए गए थे । हाल ही में मसाराष्ट्र की राज सरकार के साथ विचार-विमर्श किया गया है और जम्मू व काश्मीर की राज्य सरकार से भी सुझाव प्राप्त हुए हैं । कुछ अन्य सरकारों, जिन्हें इस संबंध में अनुरोध किया गया है, से सुझावों की प्रतीक्षा है । राष्ट्रीय कार्यक्रम को टेलीकास्ट करने में विभिन्न दूरदर्शन केन्द्रों द्वारा तैयार किए जाने वाले प्रादेशिक कार्यक्रमों को कम करने या केन्द्रीय रूप से तैयार किए जाने वाले कार्यक्रमों को राज्यों पर थोपने का कोई इरादा नहीं है । राष्ट्रीय कार्यक्रम में और परिवर्वन करने पर विचार शेष राज्यों से सुझावों के प्राप्त होने और उन से विचार-विमर्श करने के बाद किया जायगा ।

बदरपुर तापीय बिजली घर से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को बिजली की सप्लाई

3790. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बदरपुर तापीय बिजलीघर से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को प्रतिमाह कितने मूल्य की बिजली सप्लाई की जाती है ;

(ख) क्या बदरपुर तापीय बिजलीघर से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सप्लाई की जाने वाली विजली की कीमत की अदायगी नियमित रूप से की जा रही है ;

(ग) यदि नहीं, तो बदरपुर तापीय बिजलीघर की कितनी धनराशि दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर वकाया है और प्रतिमाह बकाया धनराशि में कितनी वृद्धि हो जाती है ; और

(घ) इस अप्रियकर स्थिति में सुधार लाने के लिए मंत्रालय क्या कदम उठा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) पिछले छः महीनों के दौरान (अगस्त, 82 से जनवरी, 83 तक) बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान को सप्लाई की गई बिजली का मूल्य औसतन लगभग 700 लाख रु० प्रति माह है ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) जनवरी, 1983 तक सप्लाई की गई उर्जा के लिए दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान की ओर

बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र की कुल बकाया राशि लगभग 114,55 लाख रु० है। पिछले 6 महीनों के दौरान (अगस्त, 82 से जनवरी, 83 तक) बकाया राशि में औसत मासिक वृद्धि लगभग 665.5 लाख रु० थी।

(घ) ऊर्जा मंत्रालय तथा राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने इस मामले को दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के प्राधिकारियों के साथ उच्चतम स्तर पर उठाया है इस पर नियमित रूप से कार्रवाई की जा रही है।

प्रज्वलित होने वाली बम्बई गैस के उपयोग के लिए संयुक्त क्षेत्र की कम्पनी

3791. **श्री आर० आर० भोले** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार का विचार बम्बई में प्रतिदिन भारी मात्रा में गैस के प्रज्वलन को रोकने के लिए भारत सरकार, महाराष्ट्र सरकार और बम्बई नगर निगम की एक संयुक्त कम्पनी बनाने का है ;

(ख) क्या यह कम्पनी 32 मिलियन क्यू० मीटर गैस की मांग पैदा करने में समर्थ होगी और कब, और

(ग) क्या भारत सरकार को "सीकोम" (एस० आई० सी० ओ० एम०) का उपयोगिता कार्यक्रम प्राप्त हुआ है जिसमें यह दिखाया गया है कि तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग बम्बई के लिए मिलियन क्यू० मी० गैस का उत्पादन कर सकता है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र सरकार द्वारा एक ज्ञापन, जिसमें महाराष्ट्र में विभिन्न उपभोक्ताओं की प्राकृतिक गैस की आवश्यकतायें जो कुल करीब 32 मि० घन मीटर प्रतिदिन की सूचीबद्ध की गयी है, भेजा गया था। कुछ उपभोक्ताओं की आवश्यकताए जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा पहले सूचीबद्ध की गयी थी, को पहले से ही पूरा किया जा रहा है।

सरकार बम्बई में घरेलू उपभोक्ताओं और औद्योगिक एककों को पाइप द्वारा प्राकृतिक गैस की सप्लाई करने के प्रश्न पर विचार कर रही है। एजेन्सी, जिसके माध्यम से ऐसा विवरण किया जायेगा, भी सरकार के विचारधीन है। ग्रेटर बम्बई में विभिन्न उपभोक्ताओं को गैस की अधिकतम मात्रा, जो स्पष्टदर्शी भविश्य में वितरित की जा सकती है, का अनुमान प्रतिदिन लगभग 4 मि० धन गैस लगाया गया है।

सिंगरौली कोयला क्षेत्र में सुपर ताप बिजली घर की स्थापना का प्रस्ताव

3792. **श्री रणजीत सिंह** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर रिहाड़ घाटी के सिंगरौली कोयला क्षेत्र में कितने सुपर ताप बिजली घर स्थापित करने का विचार है ;

(घ) प्रस्तावित सुपर ताप बिजली परियोजनाओं में से उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं जिन्हें सरकार ने स्वीकृति प्रदान की है ;

(ग) पैरा 9 की सिफारिशसों के अनुसार पूरी हो चुकी सुपर तापीय बिजली परियोजनाओं, निर्माणाधीन परियोजनाओं और स्थापित की जाने वाली परियोजनाओं को कितने पानी की आवश्यकता होगी ;

(घ) पैरा 3 में उल्लिखित ताप बिजली परियोजनाओं के लिए पानी की सप्लाई के संसाधन क्या हैं ; और

(ङ) क्या उक्त ताप बिजली परियोजनाओं को पानी की सप्लाई के कारण बिहार की 100 वर्ष पुरानी सिंचाई पद्धति प्रभावित होगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र (2000 मेगाबाट) का क्रियान्वयन इस समय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा किया जा रहा है, विंध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1200 मेगावाट) तथा रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना के प्रथम चरण (1000 मेगावाट) को सरकार द्वारा स्वीकृति दे दी गईहै और इन परियोजनाओं पर राष्ट्रीय ताप विद्युत केन्द्र द्वारा प्रारम्भिक कार्य शुरू कर दिए गए हैं ।

(ग) से (ङ) इन सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के लिए अपेक्षित जल की कुल मात्रा लगभग 250 क्यूसिक है । ये आवश्यकताएं रिहन्द जलाशय से पूरी की जाएंगी ।

इन परियोजनाओं को स्वीकृति देते समय सिंचाई की आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया था ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड के कर्मचारियों के सेवाकाल का सेवा निवृत्ति आयु के बाद बढ़ाया जाना

3793. **श्री रशीद मसूद** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड अपने कर्मचारियों के सेवा काल में सेवा निवृति की आयु के बाद प्रायः वृद्धि करता रहा है और यदि हां, तो उसके कारण क्या हैं ;

(ख) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम निगम लिमिटेड में सेवाकाल में वृद्धि पर कार्य कर रहे सभी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है और उनकी योग्यता, ग्रेड और पद क्या हैं ; और

(ग) एच• पी० सी० एल. में अप्रैल/मई, 1983 तक सेवा निवृत होने वाले कर्मचारियों की संख्या कितनी है और ग्रेडों और पदों संहित उनका ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1 मार्च, 1983 को मैसर्स एच० पी० सी० एल० द्वारा केवल दो अधिकारी पुनः नियुक्ति के आधार पर लगाये गए थे जिनके विवरण निम्न प्रकार हैं :

नाम	शैक्षिक योग्यतायें	सेवा निवृति के समय (पूर्व संशोधित) वेतन ग्रेड	पद	सेवा निवृति की तिथि	पुनः दिये गये रोजगार के समाप्त होने की तिथि
श्री आर० जी नायक	मैट्रिक	1450-60-1690-65—1950 रुपये	इस समय तेल समन्वय समिति में ओ० एस० डी०	28-2-82	31-3-83
श्री आर० एस० नायडू	मिडल	1450-60-1960-65 1950 रुपये	वितरण समन्वयक	31.12.82	31-3-83

(ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

मैसर्स स्मिथ एण्ड स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता

3794. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि मैं स्मिथ एण्ड स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्युटिकल्स लि० कलकत्ता की कर्मचारी यूनियन ने कम्पनी के प्रशासन में भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रबन्ध समिति को एक ज्ञापन दिया है ;

(ख) यदि हां, तो अगस्त, 1981 से प्रबन्ध समिति का ध्यान अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के कौन से मामलों की ओर दिलाया गया है ;

(ग) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर कोई कार्यवाही की है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट वर्कर्स यूनियन ने पत्र के रूप में प्रबन्ध को एक ज्ञापन दिया है जिसमें कम्पनी के प्रशासन के सम्बन्ध में शिकायत की गई है।

(ग) और (घ) आरोपों के सम्बन्ध में कम्पनी को लिखा गया था। कम्पनी ने सूचित किया है कि सभी तथ्यों का पता लगाने के लिए एक आंतरिक जांच की जा रही है।

अन्तर्राष्ट्रीय तेल मल्य

3795. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य तेजी से गिर रहे हैं ?

(ख) यदि हां, तो तेल मूल्यों में गिरावट को ध्यान में रख कर हमारी सरकार का भविष्य के समझोते के बारे में क्या करने का है ; और

(ग) बम्बई हाई से निकाले जाने वाले तेल का प्रति बैरल उत्पादन और बिक्री का मूल्य क्या है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) समाचार पत्रों की खबरों के अनुसार, ओ. पी. ई. सी. ने अशोधित तेल के अधिकृत मूल्य में लगभग प्रति बैरल पांच डालर की कमी है।

(ख) सरकार की यह नीति रही है कि अशोधित तेल के आयातों के प्रबन्ध मुख्यतः तेल निर्यात करने वाले देशों की राष्ट्रीय तेल कम्पनियों के साथ आवधिक संविदाओं के माध्यम से अधिकृत मूल्यों पर किये जायें जिससे कि जब विश्व बाजार में अशोधित तेल की कमी हो जैसा कि कई बार हुआ है, सप्लाईयों की उचित सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुल मिलाकर यह नीति लाभप्रद भी रही है क्योंकि प्रायः स्थल बाजार मूल्य अधिकृत विक्रय मूल्यों से अधिक रहे है। इसके साथ ही, ऐसे प्रबन्धों में अधिकृत विक्रय मूल्य के सन्दर्भ में मूल्यों में वृद्धि/गिरावट के लिए भी व्यवस्था रहती है। इस प्रकार इन मूल्यों में गिरावट ऐसे प्रबन्धों के अन्तर्गत प्राप्त की गयी सप्लाईयों पर लागू होती है।

(ग) बम्बई हाई क्षेत्रों से डरान स्थित अपने टैंक फार्म में डिलीवरी दिये गये अन्शोधित तेल का विक्रय मूल्य 1390/रुपये प्रति मी. टन है ; इसमें प्रति मीटरी टन 300 रुपये का उपकर (उत्पादन शुल्क) तथा 61 रुपये प्रति मीटरी टन की रायल्टी शामिल है।

बम्बई हाई क्षेत्र में अनेक क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों का अभी विकास किया जा रहा है और इनमें से कुछ में अभी अन्वेषण कार्य चल रहा है। अतः अशोधित तेल के उत्पादन की अनुमानित लागतों का निकालना असामयिक होगा।

पनबिजली क्षमता

3796. **श्री चित्त बसु** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश की कुल बिजली उत्पादन व्यवस्था में पन बिजली की मात्रा में कमी हो रही है।

(ख) यदि हां, तो क्या असन्तुलन कम करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) छठी योजना में कुल 5567 मेगावाट की प्रतिष्ठापित क्षमता की 43 जल विद्युत स्कीमों से 4768 मेगावाट जल विद्युत क्षमता की वृद्धि की जानती है। इसके अतिरिक्त कुल 7313 मेगावाट प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की जल विद्युत स्कीमें क्रियान्वयनाधीन है, योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर दी गई है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 3990 मेगावाट प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता की जल विद्युत स्कीमों को तकनीकी आर्थिक अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके अतिरिक्त, राज्य/केन्द्रीय एजेन्सियों द्वारा कई जल विद्युत स्कीमों का अन्वेषण किया जा रहा है, तैयार की जा रही है। इसके अलावा प्रधान मंत्री के 20 सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में देश में जल विद्युत संसाधनों के विकास पर भी जोर दिया जा रहा है। छोटी जल विद्युत परियोजनाओं, विशेषकर दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक, पारिस्थित विज्ञान तथा कल्याण सम्बन्धी दृष्टिकोणों को ध्यान में रखते हुए, का पत्ता लगाने तथा इनका विकास करने के लिए एक सुव्यवस्थित योजना तैयार करने हेतु राज्य सरकारों/बिजली संगठनों को सलाह दी गई है। तदनुसार राज्य सरकारों ने परियोजनाओं का पता लगाने/परियोजना रिपोर्टें तैयार करने का कार्य हाथ में लिया है।

डिस्पेंसरी/अस्पतालों रहित कोयला खानें

3797. **श्री अटल बिहारी बाजपेयी** :
श्री राम प्रसाद अहिरवार :
श्री सूरज भान : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इन्डिया आफिसर्स एसोसिएशन ने किन-किन कोयला खानों को खतरनाक घोषित किया है और उनमें से कितनी खानों में अभी भी कार्य चल रहा है ;

(ख उन कोयला खानों के क्या नाम हैं जिनमें खान अधिनियम के अधीन अपेक्षित कोई डिस्पैंसरी/अस्पताल नहीं है ;

(ग) क्या खनिक छोड़ दिए गए गड्ढों में से साफ न किया हुआ पानी लाते हैं जिससे रोग पैदा होने की संभावना रहती है ; और

(घ) सभी कोयला खानों में डिस्पेंसरी/अस्पताल, जो कि खान अधिनियम के अधीन अपेक्षित हैं, कब तक स्थापित हो जायेंगे ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) एक विवरण-पत्र संलग्न है।

(ख) और (ग) खान अधिनियम के अनुसार यह आवश्यक नहीं है कि सभी कोयला खानों में औषधालय/अस्पताल उपलब्ध कराया जाए। फिर भी प्रत्येक कोयला खान में कोयला कम्पनियों अथवा कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा संचालित औषधालय/अस्पताल की सेवायें उपलब्ध हैं।

(ग) परित्यक्त गर्तों से बिना छना हुआ ऐसा पानी खनिकों को सप्लाई नहीं किया जाता है जिससे बीमारियां पैदा होने की सम्भावना हो।

विवरण

जिस प्रेस विज्ञप्ति को कोल माइन्स आफिसर्स ऐसोसिएशन द्वारा 1 सितम्बर 1982 को जारी बताया गया है, उसके अनुसार उन्होंने 99 खानों को असुरक्षित घोषित किया था। इसमें से 25 भा. को. को. लि. में, 15 से. को. लि. में, 44 ई. को. लि. में, 13 वे. को. लि. में, 2 इस्को में और 1 ना. ई. को. में है। प्रेस विज्ञापित में उल्लिखित खानों के नाम नीचे दिए गए हैं। इन खानों में से कोई भी खान चूंकि पूर्णतः असुरक्षित नहीं है, अतः सभी 99 खानों में उस अवधि को छोड़कर काम जारी रहता है जब कोई खान या खान का कोई भाग असुरक्षित समझा जाता है और खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा खान अधिनियम, 1952 की धारा 22 (3) के अधीन निषेध आदेश लगा दिया जाता है।

आसाम (उत्तरी कोलफील्ड्स)

1. बारागोलाई कोलियरी

ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

2. चीनाकुरी 1, 2 और 3 पिट्स
3. सीतलपुर कोलियरी
4. सोदेपुर कोलियरी
5. परबेलिया कोलियरी
6. रानीपुर कोयियरी
7. घेमोमेन कोलियरी
8. पटमोहना कोलियरी
9. घुसिक कोलियरी
10. दामरा कोलियरी
11. कालीपहाड़ी कोलियरी
12. तौरत कोलियरी
24. परासिया कोलियरी
25. न्यू केन्द्रा कोलियरी
26. कृष्णानगर कोलियरी
27. बहुला कोलियरी
28. सिघुली कोलियरी
29. पारसकोली कोलियरी
30. मधुसूदनपुर कोलियरी
31. मधुजोरी कोलियरी
32. जम्बाद कोलियरी
33. बंकोला कोलियरी
34. केन्द्रा कोलियरी

13. श्रीपुर कोलियरी
14. श्रीपुर (इन्वलाइन) कोलियरी
15. निघा कोलियरी
16. निमचा कोलियरी
17. रतीबती कोलियरी
18. जे. के. नगर कोलियरी
19. न्यू सतग्राम कोलियरी
20. मार्डन सतग्राम कोलियरी
21. अमृतनगर कोलियरी
22. कुनुस्टोरिया कोयियरी
23' बनारा कोलियरी
35. मोरिया कोलियरी
36. श्यामसुन्दरपुर कोलियरी
37. मन्दरबौनी कोलियरी
38. नुतनदंगा कोलियरी
39. पांडेश्वर कोलियरी
40. दरुला कोलियरी
41. कोटाडीह कोलियरी
42. बदजना कोलियरी
43. हरियाजाम कोलियरी
44. खोउडीया कोलियरी
45. लाखीमाटा कोलियरी

भारत कोकिंग कोल लि०

46. अमलावाद कोलियरी
47. भंवरा कोलियरी
48. लोयाबाद कोलियरी
49. कटरास कोलियरी
50. सुदामडीह कोलियरी
51. मूनीडीह कोलियरी
52. घानोडीह कोलियरी
53. पाथरडीह कोलियरी
54. इन्डस्ट्री कोलियरी
55. भुरगगतडीह कोलियरी
56. जीलगोरा कोलियरी
57- लोडना कोलियरी
58. बसारी कोलियरी
59. पुटकी कोलियरी
60. बेगुनिया कोलियरी
61. चंच कोलियरी
61. विक्टोरिया कोलियरी
63. केसरगढ़ कोलियरी
64 भट्टडीह कोलियरी
65. कुस्टोर कोन्नियरी
66. बेरा कोलियरी
67. धनसर कोलियरी
68. बस्ताकोला कोलियरी
69. मधुबन कोलियरी
70. भागबंद कोलियरी

सेंट्रल कोलफील्ड्स लि०

71. भुरकुंदा कोलियरी
72. अरगदा कोलियरी
73. गिडी "सी" कोलियरी
74. साउंदा कोलियरी
75, सवांग कोलियरी
76, सालूबेरा कोलियरी
77. टोपा कोलियरी
78. लेयो कोलियरी
79. धोरी कोलियरी
80. सयाल कोलियरी
81. सिरका कोलियरी
82, रेलीगारा कोलियरी
83, तालचेर कोलियरी
84. *ओरिएंज्ज कोलियरी*

वेस्टर्न कोलफाल्ड्स लि०

85. रीवर कोलियरी
86. कोरवा कोलियरी
87. परासिया कोलियरी
88. चिरीमिरि कोलियरी
89. बल्लारपुर कोलियरी
90. मजरी कोलियरी
91. सिलेवाड़ा कोलियरी
92. पाथरखेरा कोलियरी
93. कोटमा कोलियरी
94. उमरेर कोलियरी
95. चांदामेटा कोलियरी
96. चूर्चा कोलियरी
97. इकलेहरा कोलियरी

इस्को की कोलियरिलां

98. जीतपुर कोलियरी (धनवाद)
99. रामनगर कोलियरी (धनवाद)

जीवन रक्षक औषधियों के मूल्यों में कमी

3798. **श्री रामलाल राही** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन रक्षक औषधियों के मूल्य सरकार द्वारा कम कर दिए गए हैं ;

(ख) यदि हां, तो औषधिवार मूल्य कितने कम किए गए हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो मूल्य को कम न करने के क्या कारण हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) कुछ आवश्यक औषधियों के मूल्य हाल ही में सरकार द्वारा घटाए गए हैं।

(ख) औषधों में से कुछ के नाम जिनमें मूल्यों में कमी लागू की गई है, उनके संशोधित मूल्य और संशोधन पूर्व मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

क्र० सं०	फार्मूलेशन का नाम और शक्ति	पैक का आकार	संशोधन से पूर्व मूल्य	संशोधित मूल्य
1.	कोमिटिडीन गोली 200 मिग्रा/ मीलि.	10 स्ट्रिप/ बोतल	20.58	10.86
2.	—वही—	500 की बोतल/ टिन	1029.00	512.58
3.	रिफाम्पिसिन कैपसुल्स 150 मिग्राम/कैप.	100 की बोतल/	207.30	153.18
4.	रिफाम्पिसिन कैपसुल्स 300 मिग्रा/कैप.	100 की बोतलें	411.08	299.70
5.	रिफाम्पिसिन कैपसुल्स 150 मिग्रा/कैप	12 की बोतलें/ स्ट्रिप	25.66	19.18
6.	कोमोटीडीन गोलियां 200 मिग्रा/गोलियां	30 की बोतलें	55.75	26.05
7.	ट्राइमेथोप्रिम+सल्फामेथोक्साजोल गोलियां ट्राइमेथोप्रिम 80 मिग्रा+सल्फामेथोक्साजोल 400 मिग्रा/गोलियां	100 की बोतलें	74.08	44.26
8.	—वही— ट्राइमेथोप्रिम 20 मिग्रा+ सल्फामेथोक्साजोल 100 मिग्रा गोलियां	100 की बोतलें	२0.16	12.38
9.	ट्राइमेथोप्रिम+सल्फामेथोक्साजोल डबल स्ट्रेन्थ गोलियां	10 की स्ट्रिप	16.80	9.50

थाल वैशट उर्वरक संयंत्र से सम्बद्ध भारी जल परियोजना।

3799. **श्री ए० टी० पाटिल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) थालवैशट उर्वरक संयंत्र से संबद्ध भारी जल परियोजना में विशेषकर भूमि अधिग्रहण और संयंत्र के निर्माण कार्य में क्या प्रगति हुई है ; और

(ख) सरकार ने (एक) प्रदूषण के खतरे और (दो) परियोजना से प्रभावित लोगों के स्थानान्तरण और पुनर्वास के लिए क्या कार्यवाही की है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) थाल फर्टिलाइजर प्रोजेक्ट के लिए अधिकृत भूमि के अन्तर्गत ही भारी पानी परियोजना स्थापित की जा रही है। डिजाइन इंजीनियरिंग तथा उपस्कर प्राप्ति का कार्य प्रगति पर है। सिविल निर्माण कार्य के जून, 1983 में आरम्भ होने की संभावना है।

(ख) महाराष्ट्र जल प्रदूषण निवारक बोर्ड के विनिर्देशों के अनुसार निस्सारी के एकत्रीकरण सुधार तथा निपटान, सब मेरीन पाइपलाइन के निर्माण, ताकि समुद्रीय जीवन पर प्रभाव न पड़े और स्टेक एमिशन की वायु प्रदूषण सीमा के संबंध में पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

2. महाराष्ट्र सरकार ने परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए भूमि दी है। पुनर्वास बस्ती में बिजली की आपूर्ति सहित आवश्यक सिविल सुविधाएं प्रदान करने के लिए पर्याप्त निधियां उपलब्ध कराई गई हैं।

उपर्युक्त के अतिरिक्त प्रत्येक प्रभावित परिवार के कम से कम एक मात्र सदस्य को रोजगार के मामले में प्राथमिकता दी जाती है। अब तक 240 व्यक्तियों को ऐसा रोजगार दिया गया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से अमर शरणार्थियों का भारत में पुनर्वास

3800. **श्री सुधीर कुमार गिरी** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी पाकिस्तान से कितने शरणार्थी 1964 से 1970 की अवधि में भारत आए हैं ;

(ख) क्या वे शरणार्थी देश के विभिन्न भागों में स्थायी रूप से बस गए हैं ;

(ग) विभिन्न राज्यों में (राज्य-वार) इस प्रकार बसे शरणार्थियों की संख्या कितनी है ; और

(घ) हरियाणा राज्य को भेजी गई विधवा-शरणार्थियों के न बसाये जाने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मबीर सिंह) : (क) 1.1.1964 से 25.3.1971 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से लगभग 11.14 लाख व्यक्ति आए थे। इनमें से लगभग 11.06 लाख व्यक्ति 1.1.1964 से 31.12.1970 की अवधि के दौरान आए थे।

(ख) जिन प्रवासियों ने राहत शिविरों में प्रवेश ले लिया था, उन्हें आवश्यक राहत तथा पुनर्वास सहायता दे दी गई थी। विभिन्न राज्यों में कर्मीशिविरों/स्थायी दायित्व गृहों में पुनर्वास की प्रतीक्षा कर रहे लगभग 774 परिवारों को छोड़कर शेष सभी परिवार बसा दिए गए हैं।

(ग) एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है।

(घ) करनाल (हरियाणा) में महिला आश्रम, जिसमें पाकिस्तान तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए स्थायी दायित्व परिवारों को रखा जाता है। का संचालन तथा प्रबन्ध राज्य सरकार द्वारा किया जाता है गृह में रह रहे स्थायी दायित्व परिवार के किसी सशक्त पुरुष बच्चे की जब 16 वर्ष की आयु हो जाती है तो वह परिवार पुनर्वास-योग्य परिवार हो जाता है। भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए आश्रम में रह रहे स्थायी दायित्व परिवार, जो पुनर्वास योग्य हो गए हैं, उनके पुनर्वास के लिए हरियाणा सरकार से योजना तैयार करने के लिए कहा गया है।

विवरण

क्रम सं.	राज्य का नाम	बसाए गए विस्थापित परिवारों की संख्या
1.	आन्ध्र प्रदेश	1,921
2.	अरुणाचल प्रदेश	2.902
3.	असम	15,498
4.	बिहार	2,508
5.	कर्नाटक	707
6.	महाराष्ट्र	6,179
7.	मध्य प्रदेश	6,898
8.	मणिपुर	145
9.	मेघालय	2,150
10.	उड़ीसा	259

1	2	3
11.	पंजाब	3
12.	त्रिपुरा	6,374
13.	उत्तर प्रदेश	1,945
14.	राजस्थान	908
15.	अण्डमान	805
16.	दण्डकारण्य	19,187
	योग :—	68,386

राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की जांच के लिए उच्चस्तरीय समिति

3801. **डा० ए० यू० आजमी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राज्य विद्युत बोर्डों और बिजली उत्पादन ट्रांसमिशन और वितरण में लगे केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण की जांच के लिए कोई उच्चस्तरीय समिति बनाई गई थी; और

(ख) यदि हां, तो उसकी सिफारिशें क्या हैं और क्या सुधार किए गए हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : जी, हां। राज्य बिजली बोर्डों और बिजली उत्पादन, पारेषण एवं वितरण में लगे केन्द्रीय संगठनों के कार्यकरण संबंधी सभी पहलुओं तथा इनके संगठनात्मक ढांचे, प्रबन्ध पद्धतियों, विद्युत प्रणालियों की आयोजना, प्रचालन कार्यकुशलता, वित्तीय कार्य निष्पादन, टैरिफ ढांचे और वैधानिक व्यवस्था की जांच करने और इनमें सुधार करने के लिए सिफारिशे करने हेतु भारत सरकार ने श्री वी० जी० राजाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय "विद्युत समिति" का गठन किया था।

(ख) विद्युत सेक्टर की आयोजना, परियोजना तैयार करने और क्रियान्वयन करने, उत्पादन का प्रचालन और अनुरक्षण करने, पारेषण और वितरण सुविधाओं, ग्राम विद्युतीकरण, राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य-निष्पादन, विद्युत सप्लाई उद्योग का संगठन एवं प्रबन्ध और विद्युत क्षेत्र के लिए आवश्यक अनुसंधान और विकास प्रयासों के संबंध में समिति ने कई सिफारिशें की थीं। विद्युत सप्लाई उद्योग के समग्र प्रचालनात्मक कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए भी समिति ने कई सिफारिशें की हैं। इनमें से कई सिफारिशें राज्यों के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत हैं तथा इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए उन्हें समुचित मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर दिए गए हैं। इन सिफारिशों में दीर्घकालिन तकनीकी तथा प्रशासनिक उपाय शामिल होने की दृष्टि से इनके

कार्यान्वयन में कुछ समय लगेगा तथा उसके पश्चात् ही ये सिफारिशें कारगर हो सकती है। विद्युत उत्पादन और अति उच्च वोल्टता पोरषण में केन्द्र की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यता, क्षेत्रीय स्तर पर सांविधिक मिकायों के रूप में क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों का सृजन करके विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठन को सशक्त बनाने की आवश्यकता और राज्य बिजली बोर्डों में उच्च स्तर के अधिकारियों की भर्ती, सेवा-अवधि और कार्य से मुक्त करने की वस्तुपरक प्रक्रिया को लागू करके राज्य बिजली बोर्डों के समग्र प्रबन्ध में सुधार करने की आवश्यकता के संबंध में समिति ने कुछ वृहत् सिफारिशें की हैं। टैरिफ ढाँचे को युक्तिसंगत बनाने और बोर्डों द्वारा प्राप्त किए जाने वाले लाभ की उच्च वित्तीय दर के सम्बन्ध में भी समिति ने कुछेक सिफारिशें की है।

विद्युत समिति की मुख्य सिफारिशों के सम्बन्ध में राज्यों के साथ कई बार विचार-विमर्श किया गया है। समिति द्वारा सिफारिश किए गए संगठनात्मक परिवर्तनों को क्रियान्वित करने के बारे में राज्यों ने अपनी आशंका व्यक्त की हैं। इन सिफारिशों के क्रियान्वयन के लिए आगे कार्र-वाई आरम्भ करने से पूर्व राज्यों के साथ मतैक्य बनाने के लिए उनसे विचार-विमर्श जारी रखना वांछनीय समझा गया है।

श्रम कानूनों का मूल्यांकन

3802. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में इस समय लागू सभी श्रम कानूनों के क्रियान्वयन का पिछले पांच वर्षों के दौरान मूल्यांकन किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं ;

(ग) उन श्रम कानूनों का ब्यौरा क्या है जिन्हें अब तक लागू नहीं किया गया है ; और

(घ) इन कानूनों के अन्तर्गत कितने व्यक्ति दोषी पाए गए ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (ी वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) श्रम कानूनों के कार्यान्वि-यन की पुनरीक्षा समय-समय पर विभिन्न मंचों, अर्थात संगत अधिनियमों के अधीन गठित सलाह-कार बोर्डों, इस उद्देश्य के लिए विशेष रूप से नियुक्त की गई पुनरीक्षा समितियों, जैसे कर्मचारी भविष्य निधि पुनरीक्षा समिति, कर्मचारी राज्य बीमा पुनरीक्षा समिति आदि, श्रम मंत्रियों और सचिवों के सम्मेलनों तथा अन्य त्रिपक्षीय समितियों और सम्मेलनों में की जाती है। इन पुनरी-क्षणों के परिणामस्वरूप इन कानूनों के कार्यान्वयन में जहाँ कहीं कमियाँ पाई जाती हैं, वहाँ उनके बेहतर कार्यान्वयन के लिए आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। अधिनियमों की कमियों को दूर करने के लिए कानूनों में संशोधन करने हेतु प्रस्ताव पेश करने के लिए भी कार्यवाही की जाती है।

(ग) उन श्रम कानूनों की सूची विवरण -I में दी गई है जिन्हें अभी तक विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में लागू नहीं किया गया है। **(ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6200/83)**

(घ) पिछले पाँच वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम कानूनों के अन्तर्गत केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र द्वारा किए गए निरीक्षणों, दायर किए गए अभियोजनों, दोष्-सिद्धि के मामलों की संख्या विवरण -II में दी गई है। (**ग्रंथालय में रखा गया देखिए संख्या एल० टी०** 6200/83)

छोटी बिजली परियोजनाओं के लिए निधियों का नियतन

3803. **श्री चिरंजीलाल शर्मा :**
श्री विजय कुमार यादव :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री के० ए० राजन :
श्री मोहन लाल पटेल : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ऊर्जा मंत्रालय ने देश में छोटी बिजली परियोजनाओं के विकास के लिए 100 करोड़ रुपये के नियतन के लिए योजना आयोग को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या उस प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया गया है और धन राशि नियत कर दी गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) जी, हां,

(ख) और (ग) मामला योजना आयोग के विचाराधीन है।

रंगीन टेलीविजन केन्द्र की स्थापना के लिए व्यय

3804. **श्री अमल दत्त** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा **करेंगे** कि :

(क) भारत में रंगीन टेलीविजन केन्द्रों की स्थापना करने के लिए, केन्द्र-वार ब्यौरे सहित अनुमानतः कितनी धनराशि खर्च होगी ; और

(ख) एशियाई खेलों के सम्बन्ध में दूरदर्शन विभाग के लिए रंगीन टी० वी० प्राप्त और उन्हें प्रसारण गाड़ियों के बाहर लगाने पर कितनी धनराशि खर्च की गई थी ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) एक स्टूडियो और 10 किलोवाट के एक ट्रांसमीटर से युक्त एक रंगीन दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने की अनुमानित लागत 9 करोड़ रुपए है। छठी योजना में शामिल दूरदर्शन केन्द्रों का केन्द्र-वार ब्यौरा अभी तैयार और मंजूर किया जाना है।

(ख) एशियाई खेलों के लिए चार रंगीन बाह्य प्रसारण वैनों के हासिल करने पर हुआ व्यय लगभग 8 करोड़ रु० था।

विशाखापत्तनम में दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की स्थापना

3805. **श्री० के० ए० स्वामी :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम में एक दूरदर्शन रिले ट्रांसमीटर की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हाँ तो उसकी प्रगति की स्थिति क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय तथा संसदीय कार्य विभागों में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) से (ग) संसाधनों के अभाव के कारण, दूरदर्शन सम्बन्धी छठी योजना की अनुमोदित परि-योजनाओं में विशाखापत्तनम् में दूरदर्शन रिले केन्द्र स्थापित करने के किसी भी प्रस्ताव को शामिल करना संभव नहीं हुआ है।

राज्यों द्वारा तेल पर उच्चतर रायल्टी की मांग

3806. **श्री नरसिंह मकवाना :** क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने कच्चे तेल पर उच्चतर रायल्टी की मांग की है और कब इस पर निर्णय लिया जायेगा ;

(ख) वर्तमान जो रायल्टी अदा की जा रही है उसका आधार क्या है और राज्य सरकार किस आधार पर वर्धित रायल्टी की मांग कर रही है ;

(ग) क्या एक टन कच्चे तेल पर रायल्टी रु०61 /- थी जबकि कच्चे तेल का मूल्य 305 प्रति टन था और रायल्टी की दर वहीं रु० 61/- है जबकि कच्चे तेल का मूल्य रु1182/- प्रति टन तक बढ़ चुका है। इसका क्या औचित्य हैं ; और

(घ) कितने समय के अन्दर रायल्टी की दर पुनरीक्षित की जायेगी और किस तारीख में यह कार्यकारी होगी ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) असम तथा गुजरात राज्यों ने बढ़ी हुई रायल्टी की मांग की है।

(ख) और (ग) मांग का मुख्य आधार उत्पादकों के देय कूड के मूल्य में वृद्धि और दूसरी ओर रायल्टी को कूड के अन्तराष्ट्रीय मूल्य के साथ सम्बन्ध करना है।

तेल क्षेत्र (विनयम एवं विकास) अधिनियम, 1948 के अनुसार, रायल्टी की दर, तेल क्षेत्रों

या तेल-कूप शीर्ष (वैड-हैड) पर जैसा भी उचित हो, खनिज तेल के बिक्रय मूल्य से 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। किसी भी खनिज तेल के सम्बन्ध में रायल्टी की दर को किन्हीं चार वर्षों की अवधि के दौरान एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। रायल्टी की दर को दिनांक 1-4-1981 से 42 रुपये प्रति मीट्रिक टन से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति मीट्रिक टन किया गया था।

(घ) इस प्रश्न पर सरकार सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

ऊर्जा के विकल्प स्रोतों का विकास करने के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम द्वारा सुझाये गये तरीके

3807. **श्री स्कारिया थामस :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण विद्युतीकरण निगम ने हाल में हुई बैठक में ऊर्जा के विकल्प स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा मिनी/माइक्रो पनबिजली परियोजनाओं आदि के विकास हेतु तरीके सुझाये गये हैं; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में योजना का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) 24-25 फरवरी, 1983 को ग्राम विद्युतीकरण निगम द्वारा आयोजित किए गए राज्य विद्युत बोर्डों के अध्यक्षों के सम्मेलन में मिनी/माइक्रो जल विद्युत सहित ऊर्जा के गैर-परम्परागत साधनों का विकास करने की आवश्यता पर विचार किया गया था। सम्मेलन में ग्राम विद्युतीकरण निगम ने इस बात का उल्लेख किया था कि ऐसी स्कीमों की वित्त व्यवस्था करने के लिए कोई विशिष्ठ निधि आबंटित नहीं की गई है यद्यपि माइक्रो जल विद्युत साधनों को विकसित करने के लिए कुछ राशि आबंटित करने का मामला सरकार के विचाराधीन था। इस बात का भी उल्लेख किया गया था कि आयोग द्वारा ऊर्जा के अतिरिक्त साधनों के लिए इस प्रयोजन के लिए पता लगाए गये क्षेत्रों का पायलट परियोजनों के लिए वित्त व्यवस्था पहले ही की जा रही थी।

3883-84 में प्रारम्भ की जाने वाली विद्युत परियोजनाएं

1908. **श्री आनादि चरण दास :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1983-84 में फितनी नई विद्युत पारयोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया जाना है;

(ख) राज्यवार उनके नाम तथा संस्या क्या है ;

(ग) इनमें से प्रत्येक परियोजना के लिए कितना वित्तीय परिव्यय है ; और

(घ) उनकी विद्युत उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (घ) 1983-84 में विद्युत

क्षेत्र के लिए अनन्तिम परिव्यय 4546 करोड़ रुपए हैं। राज्य में नई परियोजनाओं पर कार्य के लिए लगभग 81 करोड़ रुपए की एकमुश्त अनन्तिम राशि का प्रावधान भी इसमें शामिल है। राज्य में सभी नई परियोजनाओं का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

"ब्लू फिल्मों" का आयात और प्रदर्शन

3809. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 जनवरी, 1983 के अंग्रेजी दैनिक "इंडियन एक्सप्रेस" में "टू हैल्ड फॉर लेंडिंग ब्लू फिल्म" शीर्षक समाचार, की ओर दिलाया गया है, यदि हां, तो इस घटना, पकड़े गये माल और गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार ने देश को ऐसी फिल्मों से पड़ते वाले अनैतिक प्रभाव से बचाने के लिए "ब्लू फिल्मों" का आयात, निर्माण और प्रदर्शन पर रोक लगाने हेतु, कोई योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि, नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): (क) सरकार ने समाचार को देखा है। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा को यह खबर मिली थी कि एक व्यक्ति श्री देविन्द्र कुमार कोहली द्वारा करोल बाग में वीडियो कैसेट लाइब्रेरी चलाई जा रही है। उक्त लाइब्रेरी की सदस्यता एक डेकोय (प्रलोभन देकर फंसाने वाला) द्वारा 400/- रुपए की जमानत का भुगतान करके 2-1-83 को प्राप्त की गई थी। डेकोय ने श्री देविन्द्र कुमार कोहली का विश्वास प्राप्त करने के लिए उनसे 10 रुपए/- प्रतिदिन की दर पर किराए पर एक सामान्य हिन्दी फिल्म वीडियो कैसेट प्राप्त किया। 23-1-83 को डेकोय ने एक ब्लू कैसेट 30 रुपए प्रतिदिन की दर पर किराये पर प्राप्त किया। कैसेट को अश्लील पाया गया। 25-1-83 को छापा मारा गया और डेकोय को ब्लू केसेट प्राप्त करने के लिए 100/- रुपये दिए गए। एक व्यक्ति श्री अजय कुमार कोहली द्वारा डेकोय को एक ब्लू फिल्म कैसेट दिया गया और श्री देविन्द्र कुमार कोहली द्वारा सौ रुपए का एक नोट और पहले का कैसेट प्राप्त किया गया। छापा मारा गया तथा श्री देविन्द्र कुमार कोहली तथा अजय कुमार कोहलों से दो और ब्लू फिल्म कैसेट बरामद किए गए। तीन कैसेटों में से, दो कैसेटों को अश्लील पाया गया। सर्वश्री देविन्द्र कुमार कोहली तथा अजय कुमार कोहली दोनों को भारतीय दंड सहिता की धारा 292 के अन्तर्गत आरोपों के लिए गिरफ्तार कर लिया गया है। मामला न्यायालय में पेंडिंग है।

(ख) किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री का भारत में आयात करना सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना के अनुसार निषेध है। भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के अन्तर्गत, किसी भी प्रकार की अश्लील सामग्री को बेचना, किराये पर देना, वितरण करना, सार्वजनिक प्रदर्शन करना या किसी भी ढंग से परिचालन करना या बेचने, किराये पर देने वितरण करने, सार्वजनिक प्रदर्शन करने या परिचालन करने के प्रयोजन से उसका प्रकाशन करना'

तैयार करना या कब्जे में रखना या उपरिउल्लिखित किसी भी प्रयोजन के लिए किसी भी अश्लील सामग्री का आयात करना एक संज्ञेय अपराध है ।

चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 500 मेगावाट की यूनिटों के निर्माण के लिए निविदाएं

3810. **श्री सुशील भट्टाचार्य** : क्या **ऊर्जा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चन्द्रपुर ताप विद्युत केन्द्र के लिए 500 मेगावाट की यूनिटो के निर्माण हेतु विश्व-व्यापी निविदाएं आमंत्रित की गई थीं ; और

(ख) यदि हां; तो निविदा का जवाब कितनी फर्मों ने दिया है ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

द्वितीय प्रेस आयोग की रिपोर्ट-डी०ए०वी०पी० का विभाजन

3811. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को द्वितीय प्रेम आयोग की रिपोर्ट प्राप्त हो गई है; यदि हां, तो कब ;

(ख) क्या उक्त रिपोर्ट में समक्ष तथा प्रभावी कार्यचालन के लिए श्रव्य दृष्टि प्रचार निदेशालय विभाग के विभाजन का सुझाव दिया गया है ;

(ग) क्या रिपोर्ट में केन्द्रीय और राज्य स्तर दोनों पर ही सरकारी विज्ञापनों तथा सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से प्राप्त विज्ञापनों के लिए सरकारी क्षेत्र में एक स्वतंत्र स्वायत्त निगम की स्थापना की सिफारिश की है ;

(घ) क्या छोटे तथा मध्यम समाचारपत्रों की सहायता के लिए एक समाचार पत्र विकास आयोग की स्थापना की सिफारिश की गई है ; और

(ङ) इन विशिष्ट सिफारिशों पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है; यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) द्वितीय प्रेस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को 3 अप्रैल, 1982 को प्रस्तुत की।

(ख) और (ग) जी, हां ।

(घ) द्वितीय प्रेस आयोग ने समूचे प्रेस विकास के लिए एक समाचारपत्र विकास आयोग

की स्थापना की सिफारिश की है।

(ङ) प्रेस आयोग की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

गया में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना

3812. **श्री चतुर्भुज** : क्या संचार मन्त्री गया में स्वचालित टेलीफोन केन्द्र की स्थापना के बारे 23.3.82 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4826 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गया (बिहार) में आयातित इलेक्टानिक टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित करने के बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है ;

(ख) क्या यह एक्सचेंज दूरदर्शन सुविधा भी प्रदान करेगा ; और

(ग) यदि हां, तो कब तक इस टेलीफोन केन्द्र द्वारा कार्य शुरु कर दिये जाने की संभावना है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विदेशी सप्लाईकर्त्ताओं को एक्सचेंज उपस्कर के लिए आर्डर शीघ्र ही दिये जा रहे हैं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इसके 1984-85 में चालू हो जाने की संभावना है।

उड़ीसा में एल० पी० जी० कनेक्शन के लम्बित आवेदन पत्र

3813. **श्री अर्जुनसेठी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 को उड़ीसा में ईंधन गैस के लिए कितने प्रतिवेदन लम्बित हैं ;

(ख) कितने समय के अन्दर कम से कम 50 प्रतिशत आवेदनकों को गैस कनैक्शन मिलने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार को यह पता है कि उन राज्य में उचित्त प्रयोगकत्ताओं को भी ईंधन गैस नहीं मिल पा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) 31 मार्च, 1982 की यथा स्थिति को उड़ीसा राज्य में खाना पकाने की गैस के लम्बित पड़े आवेदन-पत्रों की कुल संख्या 26291 थी।

(ख) सितम्बर, 1983 तक उड़ीसा में 50 प्रतिशत से अधिक प्रतीक्षा सूची को पूरा कर दिये जाने की आशा है।

(ग) विभाग-शोधनशाला के बन्द रहने की अवधि के दौरान विगत में कुछ सप्ताहों में उड़ीसा में कुछ बकाया है। अब इसका स्थाई उत्पादन है। बकाया अब कम हो रहा है जिसके शीघ्र ही सामान्य होने की आशा है।

बढ़े हुए टेलीफोन बिल

3814. **श्री तारिक अनवर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाया गया है कि उपभोक्ताओं को पिछली अवधि की तुलना में अत्यधिक बढ़े हुए टेलीफोन बिल भेजे जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को समय-समय पर संसद सदस्यों/विधायकों/*अन्य संगठनों* के साथ-साथ उपभोक्ताओं से इस सम्बन्ध में आवेदन/अभ्यावेदन प्राप्त हो रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार संसद सदस्यों द्वारा पिछले दो वर्षों के दौरान समस्त पिछली अवधि की तुलना में बढ़े हुए अनुपात में भेजे गए टेलीफोन बिलों के सम्बन्ध में की गई शिकायतों का व्यौरा उपलब्ध कराएगी;

(घ) यदि हां, तो अब तक सरकार ने इस संबन्ध में क्या कार्यवाही की है; और

(ङ) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उपभोक्ताओं को अधिक राशि के कोई बिल नहीं भेजे जाते हैं। उपभोक्ताओं को वास्तव में मीटर की गई स्थानीय कालों के बिल भेजे जाते हैं। तथापि, विभाग को उपभोक्ताओं से उनके बिलों में संभावित कालों की संख्या से अधिक कालों के संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) शिकायतें अलग-अलग व्यक्तियों से प्राप्त होती हैं और कुछ शिकायतें संसद सदस्यों, विधायकों आदि के माध्यम से भी भेजी जाती हैं।

(ग) चूंकि अधिक राशि के बिलों के सम्बन्ध में संसद सदस्यों द्वारा भेजी गई शिकायतों का अलग से कोई रिकार्ड नहीं रखा जाता है, अतः मांगी गई विस्तृत जानकारी समूचे भारत की यूनिटों से एकत्र की जाती है, जो कि उनके निर्वाचन क्षेत्रों के टेलीफोनों के सम्बन्ध में मूल रिकार्ड रखते हैं। अतः यह जानकारी प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं है और इस कार्य में जितनी मेहनत लगेगी उसके उतने परिणाम नहीं निकलेंगे। तथापित, यदि किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में जानकारी मांगी जाए, तो उसे प्रस्तुत किया जा सकता है।

(घ) संसद सदस्य सहित उपभोक्ता से प्राप्त अधिक राशि के बिलों की प्रत्येक शिकायत की सभी पहलुओं से सावधानी पूर्वक जांच की जाती है और जहां उचित समझा जाता है, वहां छूट दे दी जाती है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

डाक की छंटाई/वितरण के लिए नया प्रबन्ध

3815. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों और चालू वित्तीय वर्ष के दौरान डाक प्राधिकारियों ने डाक की छंटाई/वितरण के लिए अथवा रेल डाक सेवाप्रणाली को युक्तिसंगत बनाने के लिये कोई नया प्रबंध किया है;

(ख) यदि हां, तो नये प्रबंध/युक्तिसंगत बनाने की प्रणाली की विस्तृत रूपरेखा क्या है और किस तारीख से उसे लागू किया गया;

(ग) क्या किसी छंटाई सेक्शन को समाप्त कर उसे अन्तरण सेक्शन में परिवर्तित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो किस तारीख से किस छंटाई सेक्शन को समाप्त/अन्तरण सेक्शन में परिवर्तित किया गया और उनके क्या-क्या नाम हैं,

(ङ) क्या नये प्रबन्ध को लागू करने के बाद डाक वितरण में देरी होने की कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(च) यदि हां, तो कितनी और किस प्रकार की शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उन्हें दूर करने के लिये क्या कदम उठाये गये ?

संचार मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी हां। डाक परियात में वृद्धि तथा डाक की ढुलाई के लिये रेलगाड़ियों में अपर्याप्त स्थान को देखते हुए, रेल डाक सेवा के कार्यकरण को सरल और कारगर करने के लिये विभाग ने कार्रवाई की है।

(ख) कुछ चुनिंदें मार्गों पर चलती रेलगाड़ियों में डाक छंटाई का कार्य समाप्त किया गया तथा कुछ छंटाई अनुभागों को पारगमन अनुभागों में परिवर्तित किया गया है। छंटाई अनुभागों से वापस लिया गया कार्य सम्बन्धित स्थिर डाक कार्यालयों में किया जाने लगा है, जहां बेहतर स्थान, देखरेख तथा कार्य दशा मौजूद है। परिवर्तन का यह कार्य पिछले ढाई वर्षों में देश भर में विभिन्न तारीखों को किया गया तथा ये तारीखें इस समय उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) जी हां।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

(ङ) जी हां।

(च) देशभर में केवल 419 शिकायतें प्राप्त हुई थीं। नई व्यवस्था की देखरेख में सुधार लाने के लिए अनुदेश जारी कर दिये गये हैं ताकि डाक अन्य कार्यालयों तथा अनुभागों को गलत न भेजी जाएं और वहां इकट्ठी न होने पाए।

विवरण

परिवर्तित/समाप्त किए गए अनुभागों के ब्यौरे

क्रम सं० अनुभाग का नाम	लागू होने की तारीख	टिप्पणी
	आन्ध्र प्रदेश	
1. टीपी-2	8.4.82	—
2. जेड-8	7.11.81	—
3. वाई-17	15.12.82	समाप्त
4. वाई-18	15.12.82	समाप्त
5. जेड-3	10.1.83	—
6. टीपी-11	-वही-	—
7. एजी-10	-वही-	—
8. एजी-15	-वही-	समाप्त
9. एजी-3	17.1.83	—
10. एजी-6	-वही-	समाप्त
	बिहार	
11. एनबी-2	15.4.82	—
12. टीपी-11	10.2.82	—
13. यू-4	25.2.82	—
14. पीटी-6	1.10.82	—
15. सी-17	16.10.82	—
16. पी-18	31.12.82	—
17. पी-1	10.1.83	—
	गुजरात सर्किल	
18. एसआर-12	9.9.82	
19. आरजे-13	16.12.82	

1 2	3	4
20. एएम-4	9.12.82	
21. एएम-6	23.12.82	
22. एएम-1	20.1.83	
	केरल सर्किल	
23. सीटी-4	30.3.82	—
24. टीवी-17	13-5-82	—
25. टीवी-7	21 मई 82	अस्थाई रूप से परिवर्तित
26. ईके-5	5.5.82	-वही-
27. सीटी-6	4.5.82	-वही-
28. टीवी-8	20.12.82	-वही-
29. इके-1	-वही-	-वही-
30. सीटी-2	23.1.83	-वही-
	कर्नाटक सर्किल	
31. एचबी-2	1.4.82	—
32. एचबी-3	1.4.82	—
33. क्यू-4	-वही-	
34. एचबी-9	18.12.82	
35. एचबी-8	24.1.83	—
	मध्य प्रदेश सर्किल	
36. एमपी-18	1.6.82	
37. जेबी-10	-वही-	
38. आरपी-2	-वही-	
39. आईडी-14	16.8.82	—
40. जेबी-4	20.9.82	

1 2	3	4
41. आरपी-1	22.9.82	
42. एमपी-4	25.9.82	
43. एमपी-5	15.12.82	समाप्त
44. एमपी-20	-वही-	-वही-
उत्तर पूर्व सर्किल		
45. एस-2	25.12.82	समाप्त
46. जी एच-4	15.1.81	—
47. एस-10	16.11.82	—
48. जी एच-2	20.11.82	समाप्त
49. जी एच-1	13.11.82	समाप्त
50. जी एच-3	10.1.83	समाप्त
51. एस-9	24.1.83	समाप्त
उत्तर पश्चिम सर्किल		
52. एल डी-2	1.4.82	समाप्त
53. एलडी-4	1.10.82	—
54. एलडी-5	15.9.82	—
55. एल डी-1	15.12.82	—
56. आई-3	1.4.82	—
57. आई-5	15.12.82	—
58. आई-6	1.9.82	—
59. आई-7	-वही-	—
60. डी-4	15.9.82	—
61. एच आर-1	15.10.82	—
62. एच आर-4	1.10.82	—

उड़ीसा सर्किल		
63. के-2	14.11.81	
64. बीजी-3	1.9.82	
65. एन-5	24.1.83	
राजस्थान		
66. जे-5	1.10.82	—
67. जे-21	29.11.82	—
68. जे-10	27.11.82	—
तमिलनाडु		
69. टी-1	1.4.82	—
70. टी-3	-वही-	—
71. टी-14	-वही-	—
72. एमए-13	15.3.81	—
73. सीबी-3	4.12.82	समाप्त
74. टी-6	27.11.82	समाप्त
75. एम-1	4.12.82	-वही-
उत्तर प्रदेश सर्किल		
76. ए-8	27.4.82	—
77. ए-9	-वही-	—
78. ए-15	-वही-	—
79. एक्स-2	15.12.82	समाप्त
80. जी-5	1.1.83	—
81. जी-4	-वही-	—
82. एसएच-2	-वही-	—
83. एलडबल्यू-2	10.1.83	—
84. ओ-8	-वही-	—

1	2	3	4
85.	ओ-12	17.1.83	—
86.	एक्स-4	-वही-	—
	पश्चिमी बंगाल		
87.	एच-5	1.4.82	—
88.	एसजी-6	6.12.82	—

नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों में खाना पकाने की गैस की कमी

3816. **श्री केशवराय पारधी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस की कमी के कारण नागपुर और विदर्भ क्षेत्रों के वितरण और उपभोक्ता कठिनाईयों का सामना कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो कमी के कारण क्या हैं जबकि सरकार हर महीने में दो लाख नया गैस कनेक्शन देने की घोषणा कर चुकी है और उपयुक्त क्षेत्रों में गैस की कमी के संबंध में सरकार क्या कार्रवाई कर रही है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि गैस भरने वाली फैक्टरियां अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर रही है जिसके कारण उपभोक्ताओं को गैस सिलिण्डर की पूर्ति करने में कठिनाई हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सबंध में सरकार क्या कदम उठा रही है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) पिछले कुछ समय से नागपुर तथा महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्रों में भरने के लिए पर्याप्त संख्या में सिलेण्डरों के उपलब्ध न होने; बिजली की कटौती/प्रतिबन्धों के कारण जिन्होंने उपरी भरण संयत्र के भरण प्रचालनों पर समय-समय पर प्रभाव डाला है तथा परिवहन गत्यावरोधों के कारण खाना पकाने की गैस के उपभोक्ताओं को सिलेण्डर रिफिलों की सप्लाई में बैंक लॉक (पिछले आडरों का ढ़ेर) रहा है। इसके अतिरिक्त, लगभग 5000 उपभोक्ताओं को, जिन्हें कि हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड (एच०पी० सी०) की ग्रही कम्पनी मैसर्ज नागपुर गैस तथा डोमेस्टिक अपलायन्सीज, नागपुर द्वारा सेवाए थीं, डीलर के पास अण्पर्याप्त संख्या में सिलेण्डरों के कारण तथा चूंकि उस कम्पनी के सिलेण्डरों को प्रदान की जा रही हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा अपने अधिकार में लेना के मामले पर समझौता होना बाकी है, बैंक लॉगों का सामना करना पड़ा था। उपभोक्ताओं की कठिनाई को कम करने के लिए, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तरिम उपाय के रूप में इस पार्टी को लगभग छ: छ: हजार सिलेण्डर प्रदान किए हैं।

(ग) और (घ) बम्बई स्थित भरण संयंत्र तीन-पारियों के आधार पर कार्य कर रहा है। हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड विद्यमान उपभोक्ताओं और साथ ही क्षेत्र में दर्ज नए उपभोक्ताओं की बढ़ी हुई घरेलू मांग को पूरा करने के लिए खपरी स्थित संयंत्र में एक जेनरेटर स्थापित करने के लिए तथा इसे दो पारियों के आधार पर चलाने के प्रबन्ध कर रहा है।

वित्तीय अड़चनों के कारण केन्द्रीय सेक्टर में नई परियोजनाएं शुरु न किया जाना

3817. **श्री दीन बंधु वर्मा :**
श्री बी० वी० देसाई : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने निर्णय किया है कि वित्तीय अड़चनों के कारण अगले वित्तीय वर्ष में केन्द्रीय सेक्टर में कोई नई बिजली परियोजना कार्यान्वित नहीं की जाएगी ; और

(ख) यदि हां, तो जब बिजली की कमी के कारण उद्योगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है तो इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की उपेक्षा करने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) सीमित स्रोतों के कारण, केन्द्रीय क्षेत्र के सम्बन्ध में किए गए बजटीय आबंटन आवश्यकता से कम पड़ जाते हैं। 1983-84 के लिए केन्द्रीय क्षेत्र के परिव्यय में नई ब्रहत परियोजनाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है क्योंकि चालू परियोजनाओं को अपेक्षाकृत अधिक प्राथमिकता प्रदान की गई है।

छोटे पन बिजली केन्द्रों का विकास

3818. **श्री जगदीश टाईटलर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विशेष रूप से देश के दूरदराज के क्षेत्रों में लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए छोटे पन बिजली केन्द्रों के विकास के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति की आवश्यकता पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सिचाई तथा बिजली बोर्ड ने छोटे पन बिजली केन्द्रों के लिए अपेक्षित उपकरण सहित विशिष्टि मानकों के सम्बन्ध में कोई अध्ययन किया गया है ;

(ग) इन पन बिजली केन्द्रों को देश में कहां बनाने का प्रस्ताव है ; और

(घ) छोटे पन बिजली केन्द्रों के निर्माण को तेजी से करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) अलग-थलग पड़े क्षेत्रों की विद्युत संबंधी छोटी-छोटी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये वर्तमान पारेषण तार जाल के विस्तार की उच्च लागत, घुमावदार एवं असुविधाजनक क्षेत्रों में विद्युत के विश्वासनीय स्रोत

उपलब्ध कराने और विद्युत उत्पादन के अन्य वैकल्पिक प्रणालियों की बहुत अधिक लागत जैसे विचारों को ध्यान में रखते हुए सरकार, माइक्रो, मिनी तथा लघु जल विद्युत स्कीमों की आवश्यकता को पहले ही स्वीकार कर चुकी है। तदनुसार प्रधानमंत्री के 20-सूत्री कार्यक्रम के एक भाग के रूप में सरकार, देश में लघु जल विद्युत संसाधनों के विकास पर जोर दे रही है।

(ख) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा जनवरी, 1983 में लघु जल विद्युत केन्द्रों के लिए आयोजित किए गए सेमीनार में अन्य बातों के साथ-साथ यह सिफारिश की गई थी कि लघु जल विद्युत केन्द्रों के लिए अपेक्षित विशिष्टियों तथा उपस्करों के मानकीकरण के लिये केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड के तत्वावधान में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, केन्द्रीय जल आयोग, राज्य बिजली बोर्डों और निर्माताओं के प्रतिनिधियों को शामिल करके एक समिति का गठन किया जाए। ऐसी समिति का गठन करने के लिए केन्द्रीय सिंचाई एवं विद्युत बोर्ड द्वारा कार्रवाई आरम्भ कर दी गई है।

(ग) और (घ) इस समय देश में 77 लघु जल विद्युत केन्द्र प्रचालन में हैं जिनकी कुल प्रतिष्ठापित क्षमता 135 मेगावाट है। इसके अतिरिक्त विस्तार की जाने वाली तथा आंशिक रूप से चालू की गई परियोजनाओं सहित 125 मेगावाट की कुल प्रतिष्ठापित क्षमता वाली 54 परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं। ये परियोजनाएं सामान्यतः या तो अलग-थलग क्षेत्रों में स्थित हैं जहां बारहमासी पहाड़ी सरिताओं से उपलब्ध पानी का विद्युत उत्पादन के लिए उपयोग होता है या वे ऐसी जगह स्थित है जहां पर सिंचाई नहरों में उपलब्ध लघु प्रपातों का विकास करके विद्युत उत्पादन किया जाता है। इन स्कीमों का तेजी से कार्यान्वियन सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय स्तर पर ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जाती है।

तारों का देर से पहुंचना

3819. **श्री शंकर सिंह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारण है कि तार द्वारा भेजे गये संदेश अपने गंतव्य स्थान पर इतने विलंब से पहुंचते हैं कि उन्हें तार द्वारा भेजे जाने का मुख्य उद्देश्य ही बेकार हो जाता है;

(ख) क्या उन्हें मालूम है कि कभी साधारण डाक से भेजा गया पत्र अपने गंतव्य स्थान पर तार से भी पहले पहुंच जाता है जबकि दोनों को ही भेजे जाने की तारीख तथा समय एक ही होता है;

(ग) क्या टेलीग्रामों की दरों में लगातार तथा असाधारण वृद्धि की दृष्टि से टेलीग्रामों को उनके गंतव्य स्थान पर शीघ्र दिये जाने को सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना या उपाय सरकार के विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो क्या इनका ब्यौरा सदन के पटल पर रखा जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) यह कहना

ठीक नहीं है कि तार अक्सर देर से वितरित किए जाते हैं। फिर भी, हो सकता है कि यदाकदा निम्नलिखित किसी एक अथवा अनेक कारणों से तारों का वितरण विलंब से हुआ हो—

(1) दूरसंचार संपर्क टूट जाने के कारण सीमित सर्किटों का उपलब्ध होना ;

(2) ऐसे तारों के मार्ग में बाधा उत्पन्न होना जिन्हें दो अथवा अधिक तारघरों से होकर जाना पड़ा हो ;

(3) कुछ क्षेत्रों में बिजली का बार-बार फेल होना जिसकी वजह से तारों के शीघ्रता से वितरण में अड़चन पैदा होना ;

(4) तारघरों में स्वीकृत संख्या से कम कर्मचारियों का होना और एकाएक कर्मचारियों की अनुपस्थिति, खासकर-रविवार छुट्टी के दिन और त्यौहारों के अवसर पर

(5) त्यौहारों अथवा विवाह-शादियों के अवसर पर परियात में बेहिसाब वृद्धि।

(ग) और (घ) तारों के वितरण में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं—

1. लम्बी दूरी के तार सर्किटों के कार्य पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

2. तार सेवाओं के स्तर में जो खामियां देखी जाती हैं उन्हें मानीटर किया जाता है तथा उसमें सुधार करने के लिए कार्यवाही की जाती है।

3. मार्ग में तारों के प्रेषण में विलंब कम करने के लिए तार प्रणाली को अधुनातन बनाने की दृष्टि से कार्यवाही आरम्भ की गई है। तार प्रणाली में जैनटैक्स तथा स्टार और फारवर्ड प्रणाली उत्तरोत्तर प्रयोग में लाई जा रही है ताकि मार्ग में प्रेषण में विलंब कम किया जा सके।

4. स्टैंड-बाई पावर सप्लाई व्यवस्था के बतौर तारघरों में चरणबद्ध तरीके से इंजन आल्टरनेटर दिए जा रहे हैं।

5. कर्मचारियों की कमी पूरी करने के नियमित कर्मचारियों तथा इसके साथ ही अल्प-ड्यूटी स्टाफ की नियुक्ति के लिए कार्रवाई तेज कर दी गई है।

6. तारों के वितरण तथा प्रेषण में तेजी लाने के लिए कार्य-प्रणाली में परिवर्तन किए गए हैं।

कोयला खानों में हड़तालें

3820. श्री हन्नान मोल्लाह :
श्री मूलचंद डागा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पिछले वर्ष और इस वर्ष कोयला खनिक हड़ताल पर थे ;

(ख) कितने कामगारों ने हड़तालों में भाग लिया था ;

(ग) देश में कोयला खानों की दैनिक उत्पादन क्षमता क्या है ; और

(घ) हड़ताल के दिनों प्रतिदिन कितना उत्पादन होता था ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, हां। दो हड़तालें हुई एक 8 नवम्बर, 1982 को और दूसरी 17 से 19 जनवरी, 1983 तक।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) दिनांक 17 से 19 जनवरी, 1983 की अवधि के लिए कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन कोयला कंपनियों का औसत सामान्य दैनिक उत्पादन लगभग *3, 37, 156 टन है।*

(घ) हड़ताल के दिनों के उत्पादन की मात्रा निम्नलिखित है :

8-11-1982	2,56,900 टन
17-1-1983	2,47,030 टन
18-1-1983	2,46,630 टन
19-1-1983	2,68,404 टन

पैर और मुंह की वैक्सीन का निर्माण

3821. **श्री विश्वनाथ शर्मा :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आई. आर. बी. ए. आई. एफ. और होक्स्ट पैर तथा मुंह की वैक्सीन का निर्माण कर रहे हैं और यदि हां तो पिछले पांच वर्षों से उनकी उत्पादन क्षमतायें तथा खुराकों की वास्तविक बिक्री कितनी है और निवेश का अनुमान क्या है ?

(ख) क्या एन. डी. डी. बी. आई. डी. सी. भी उसी तरह की पैर और मुंह की वैक्सीन बना रहे हैं जिसमें 25 करोड़ रुपये की लागत है और यदि हां तो उनकी अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और खुराकों की वास्तविक बिक्री कितनी है ?

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि ओ. एफ. 1 जो 1975 में समाप्त होना था 1981 में समाप्त हुआ और ओ. एफ. II 1985 में समाप्त होना है और यदि हां, तो चौथा कारखाना स्थापित करने के क्या कानण हैं जबकि मौजूदा तीन कारखाने पर्याप्त मांग न होने के कारण अपनी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग नहीं कर सके हैं ; और

(घ) क्या सरकार का विचार सरकारी धन की अत्यधिक लागत वाली एफ. एण्ड एम.

परियोजनाओं में एन. डी. डी. बी/ आई. डी. सी. के असन्तोषजनक कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई समिति गठित करने का है।

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, हां। उत्पादन क्षमता तथा बिक्री के ब्यौरे एकत्र किए जा रहे हैं और सभा-पटल पर रख दिए जायेंगे।

(ख) इन्डियन डेरी कार्पोरेशन को पैर और मुंह की वैक्सीन के उत्पादन के लिये प्रतिवर्ष 25 मिलियन चतु: संयोनक डोज की क्षमता का लाइसेंस प्रदान किया गया है। वे क्षमता स्थापित करने की प्रक्रिया में हैं। कुल अनुमोदित परियोजना लागत 18.1 करोड़ रुपये है।

(ग) और (घ) सूचना एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

प्रभागीय इंजीनियर (टेलीग्राफ) अलीगढ़ के कार्यालय को दूसरे स्थान पर ले जाना

3822. **श्री दयाराम शाक्य** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रभागीय इंजीनियर (टेलीग्राफ), अलीगढ़ का कार्यालय टेलीफोन एक्सचेंज के भवन में ही स्थित है जिसके परिणामस्वरूप इसके गुप्त मामले प्रकट हो जाते हैं और कर्मचारियों द्वारा अनावश्यक रूप से दबाव डाला जाता है जिसके कारण उनमें असुरक्षा की भावना बनी रहती है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारियों ने कार्यालय को किसी और स्थान पर ले जाने की मांग की है; और

(ग) यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल): (क) यह सच है कि अलीगढ़ के मंडल इंजीनियर तार का कार्यालय, टी. आर. ए. यूनिट को छोड़कर जोकि किराये की इमारत में स्थित है, विभागीय टेलीफोन एक्सचेंज की इमारत में ही है ! इससे कार्यालय के कार्य की गोपनीयता भंग नहीं हुई है। कर्मचारियों पर अनावश्यक रूप से दबाव डालने की कोई विशेष शिकायत नहीं मिली है जिसकी वजह से उनमें असुरक्षा की भावना पैदा हुई हो।

(ख) जी हां।

(ग) अलीगढ़ के मण्डल इंजीनियर तार ने मंडल कार्यालय के लिए किराये के उपयुक्त आवास के वास्ते दिनांक 7, 24 और 31 अक्तूबर, 1982 के स्थानीय समाचार-पत्रों में विज्ञापन दिया था, किन्तु कोई उपयुक्त प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ। फिर चौथी बार जांच करने पर मंडल कार्यालय को स्थानांतरित करने के प्रस्ताव को फिलहाल स्थगित कर दिया गया। कार्यालय के रिकार्ड की सुरक्षा की दृष्टि से वहां F कर्मचारियों को कप-बोर्ड और ताले उपलब्ध कराए गए हैं।

डाक व तार निदेशालय तथा दूर संचार अनुसंधान केन्द्र में अधिकारियों की पदोन्नति

3823. **श्री चन्द्रपाल शैलानी** : क्या संचार मन्त्री डाक-तार विभाग तथा दूरसंचार

अनुसंधान केन्द्र में ग्रुप "बी" अधिकारियों की पदोन्नति के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अन्तरांकित प्रश्न संख्या 3610 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अपेक्षित जानकारी के सभा-पटल पर न रखे जाने के क्या कारण हैं और डाक-तार निदेशालय के एक ही अनुभाग से कितनी जानकारी अभी एकत्र की जानी है; और

(ख) अपेक्षित जानकारी एकत्र करने में कितना और समय लगेगा और अपेक्षित जानकारी सभा-पटल पर रखने की प्रत्याशित तारीख क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) ऐसे कुछ रिकार्ड, जिनसे अपेक्षित जानकारी एकत्र की जानी थी, तुरन्त उपलब्ध नहीं थे जिसके कारण उपर्युक्त जानकारी को एकत्र करने में कुछ विलंब हो गया । अतः संसदीय कार्य विभाग से 2.5.83 तक तीन महीने का समय बढ़ाने का निवेदन किया गया है ।

(ख) 2.5.83 तक बढ़ाई गई तीन महीने की निर्धारित अवधि के भीतर आश्वासन पूरा करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं ।

श्रम, विधि, किराया नियंत्रण आदि मामलों के लिए उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ

3824. **श्री आर० प्रभु** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम, विधि, किराया नियन्त्रण आदि विशिष्ट विषयों को निपटाने के लिये उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठें स्थापित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) जी नहीं । ऐसी न्यायपीठों को गठित करने का प्रश्न भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के कार्य-क्षेत्र में आता है ।

सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं की लागत में वृद्धि

3825. **श्री बी०डी० सिंह** :

श्री रशीद मसूद : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सभी सुपर ताप विद्युत परियोजनाएं लागत में वृद्धि का सामना कर रही हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक सुपर ताप विद्युत परियोजना के सम्बन्ध में प्राक्कलित मूल लागत की तुलना में हुई प्राक्कलित लागत का विवरण बताते हुए उसका ब्यौरा क्या है तथा उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन परियोजनाओं को प्रारम्भ करने की अनुसूची में किस सीमा तक परिवर्तन किया जायेगा तथा मूल्य में और वृद्धि को रोकने तथा इन परियोजनाओं को समबद्ध अनुसूची के भीतर ही पूरा किए जाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ख) : विंध्याचल और रिहन्द विद्युत परियोजनाओं, जो कि अभी निर्माण की प्रारम्भिक अवस्था में है, के अतिरिक्त राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम सिंगरौली (2000 मेगावाट), कोरबा (2100 मेगावाट), रामागुण्डम (2100 मेगावाट), तथा फरक्का (600 मेगावाट, चरण एक), सुपर ताप विद्युत परियोजनाओं के साथ सम्बद्ध पारेषण लाइनों का निर्माण कर रहा है। इन परियोजनाओं की लागत में, विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार वृद्धि हुई है।

परियोजना लागतों में वृद्धि मुख्यतः उपस्करों और निर्माण सामग्री के मूल्य में वृद्धि होने तथा मजदूरी के स्तर में भी वृद्धि होने के कारण हुई है। इसमें अन्य सहायक पहलू विस्तृत इंजीनियरी के आधार पर कार्य क्षेत्र में परिवर्तन होना तथा 400 के. वी. पारेषण प्रणाली में उप-केन्द्र को शामिल करना और आयातित उपस्करों पर सीमा शुल्क का भार पड़ना है।

इन परियोजनाओं के कार्यान्वियन की प्रगति की दोनों ही लागतों और निर्माण कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए, ध्यानपूर्वक मानीटरिंग की जा रही है। छठी योजना के दौरान पूर्ण की जाने वाले सभी यूनिटें कार्यक्रम के अनुसार चालू की जाएगी। अन्य यूनिटों पर अधिकतम गति बनाए रखने के लिए उपलब्ध संसाधनों के साथ सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

परियोजना सम्बद्ध पारेषण लाइनों सहित)	क्षमता (मेगावाट)	लागत (करोड़ रु०) मूल अनुमोदित लागत/संशोधित अनुमोदित लागत	अद्यतन अनुमानित लागत (नव०, 82)
1. सिंगरौली	600	287.30/341.39	362.17
2. सिंगरौली विस्तार	1400	659.78	994.61
3. कोरबा	1100	551.70/632.72	879.57
4. कोरबा विस्तार	1000	505.72	756.28
5. रामागुण्डम	1100	575.28	1167.54
6. रामागुण्डम विस्तार	1000	549.98	732.94
7. फरक्का	600	320.80	636.85

मन्त्रालय में सरकारी कागजात की चोरी

3826. **श्री रामप्रसाद अहिरवार** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मन्त्रालय से संबन्धित सरकारी कागजात की चोरी/रहस्योद्‌घाटन के कितने मामले गत एक वर्ष के दौरान हुए और इनमें कितने व्यक्ति शामिल थे,

(ख) क्या इस प्रकार के मामलों में शामिल उन सभी कर्मचारियों से, जिन्हें आरोपप-त्र दिए गये थे उत्तर मिल गए हैं और क्या मामलों को अन्तिम निपटान हेतु सतर्कता विभाग को सौंप दिया गया है, और

(ग) इस प्रकार के मामलों में शामिल व्यक्तियों से आरोप पत्रों का उत्तर प्राप्त होने के बाद उपयुक्त समय के भीतर इस प्रकार के मामलों को अन्तिम रूप दिए जाने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क)से(ग) गत एक वर्ष के दौरान इस मन्त्रालय से सम्बन्धित ऐसा केवल एक मामला है। इस मामले में दो अधिकारी शामिल हैं। उन दोनों को निलम्बित किया हुआ है। सी०सी०एस० (सी०सी०ए०) नियम, 1965 के अधीन इन अधिकारिओं को दिये गये आरोप-पत्रों के उत्तर प्राप्त हो गये हैं और अन्तिम निर्णय के लिये मामले पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

दिल्ली छावनी एक्सचेंज के अन्तर्गत नये टेलीफोन कनेक्शनों की सूची

3827. **श्री मनोहर लाल सैनी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में और संघशासी क्षेत्रों में, राज्यवार और संघशासी क्षेत्र-वार कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा सूची में हैं और कब से;

(ख) ये सूचियां कब तक समाप्त हो जाने की आशा है; और

(ग) दिल्ली छावनी एक्सचेंज के अन्तर्गत कितने व्यक्ति टेलीफोन कनेक्शन हेतु प्रतीक्षा कर रहे हैं और उन्हें कब तक टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जाने की संभावना है ?

संचार मंत्रालय में उप-मन्त्री(श्री विजय एन० पाटिल) : (क) विभिन्न दूरसंचार प्रशासनिक यूनिटों में 1.2.1983 तक प्रतीक्षा सूची में दर्ज टेलीफोन आवेदकों की संख्या दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। ये आवेदक जिन तारीखों से प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं, वे तारीखें विभिन्न टेलीफोन क्षेत्रों में अलग-अलग हैं।

(ख) ऐसी संभावना है कि कुछ अव्यवहार्य और कुछ सामान्य श्रेणी में दर्ज आवेदकों के मामलों को छोड़कर 1.2.83 तक दर्ज अधिकाँश आवेदकों को सातवीं पंचवर्षीय योजना की

प्रारम्भिक अवधि तक टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर प्रदान कर दिए जायेंगे ।

(ग) दिल्ली कैंट एक्सचेंज में 1.3.1983 तक 64 आवेदक प्रतीक्षा-सूची में दर्ज हैं। उन्हें 1983-84 के दौरान टेलीफोन कनेक्शन प्रदान किए जाने की संभावना है ।

विवरण

क्रम सं० राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1.2.1983 को प्रतीक्षा सूची
1. आन्ध्र प्रदेश	37,235
2. बिहार	7,509
3. गुजरात (दमन द्विव और सलवासा संघ शासित क्षेत्र)	57,968
4. जम्मू एवं कश्मीर	4,422
5. कर्नाटक	13,572
6. केरल (माहे एवं लक्षद्वीप संघ शासित क्षेत्र)	36,436
7. महाराष्ट्र, गोवा (संघ शासित क्षेत्र)	2,02,150
8. मध्य प्रदेश	17,867
9. उत्तर पूर्वी राज्य, असम, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, एवं अरुणाचल प्रदेश (उत्तर पूर्वी दूरसंचार सर्किल)	5,439
10. उत्तर पश्चिमी राज्य, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश एवं चंढीगढ़ (उत्तर पश्चिमी दूर संचार सर्किल)	40,726
11. उड़ीसा	4,148
12. राजस्थान	16,523
13. तमिलनाडू, पांडिचेरी (संघ शासित क्षेत्र)	49,266
14. उत्तर प्रदेश	27,277
15. पश्चिम बंगाल, सिक्किम, एवं अन्डमान निकोबार (संघ शासित क्षेत्र)	33,022
16. दिल्ली (संघ शासित क्षेत्र)	1,02,715
योग :	6,66,274

फिल्म गाँधी पर व्यय

3828. **श्री सबत कुमार मंडल**

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या **सूचना तौर प्रसारण** मंत्री **यह** बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने श्री रिचर्ड एटनबरो की फिल्स "गाँधी" के निर्माण पर देश और विदेश (विदेशी मुद्रा में) में कुल कितनी धनराशि खर्च की है (हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं का अलग-अलग) ;

(ख) इस फिल्म को भारत में किस प्रकार और किस एजेंसी के माध्यम से रिलीज किया गया है और इसके विनियम की शर्तें क्या हैं ; और

(ग) विदेशों में यह फिल्म किस एजेंसी के माध्यम से प्रदर्शित की जा रही है और क्या इससे अर्जित धनराशि को भारत को दिया जाएगा और यदि हां, तो इसमें सरकार का हिस्सा कितना होगा ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभागों में उपमन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) सर रिचर्ड एटनबरो की "गाँधी" नामक फिल्म पर हुआ कुल व्यय 17.34• करोड़ रुपये जमा आई० एफ०आई०/जी० एफ० आई० का अधिक लागत अंशदान है । आंकड़ों का संकलन और आडिट किया जा रहा है । फिल्म को डब्ब करने पर हुआ व्यय अलग से उपलब्ध नहीं है ।

(ख) इस फिल्म के भारत में वितरण के अधिकार मैसर्स कोलम्बिया पिक्चर्स को दिये गए हैं जो मैसर्स म्यूजिक इन्डिया लि० के माध्यम से इस फिल्म का वितरण कर रहा है । मैसर्स कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा 20,75,000 पोंड अग्रिम में दिए जाने हैं । इस राशि में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम का हिस्सा 36.64 प्रतिशत है । वितरक का कमीशन 22.50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा ।

(ग) राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के क्षेत्रों को छोड़कर विदेशों में फिल्म का वितरण मैसर्स कोलम्बिया पिक्चर्स द्वारा किया जाएगा । इस प्राप्तियों में राष्टीय फिल्म विकास निगम का समरूप हिस्सा भारत में भेजा जाएगा ।

विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 में संशोधन

3829. **श्री गुलाम मोहम्मद खान** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में विद्युत पूर्ति की प्रणाली को पुनर्गठित सुदृढ़ करने के लिए केन्द्रीय विद्युत पूर्ति अधिनियम, 1948 में सांविधिक परिवर्तनों हेतु सरकार के विचाराधीन कोई प्रस्ताव है,

(ख) क्या केन्द्र सरकार ने विद्युत उद्योग के संगठनात्मक ढाँचे की पुनरीक्षा करने के लिए राज्यों को कोई निर्देश दिए हैं ; और

(ग) यदि हां, तो इससे देश में क्षेत्रीय विद्युत बोर्डों के कार्यकरण पर किस सीमा तक प्रभाव पड़ेगा ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राज्य बिजली बोर्डों द्वारा प्राप्त की जाने वाली लाभ की निम्नतम दर तथा उनके लिए एक जैसी वाणिज्यिक लेखा प्रणाली को लागू करने के बारे में विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 में कुछ सांविधिक परिवर्तनों के बारे में सरकार द्वारा राज्यों के साथ परामर्श से विचार किया गया है।

(ख) और (ग) 26-27 अगस्त, 1982 को हुए विद्युत मंत्रियों के वार्षिक सम्मेलन में, अन्य बातों के साथ-साथ राज्यों के साथ क्षेत्रीय विद्युत प्रणालियों के समेकित प्रचालन की सुनिश्चितता के लिए केन्द्र को अधिक अधिकार उपलब्ध कराने की आवश्यकता के बारे में, सांविधिक शक्तियों के क्षेत्रीय बिजली प्राधिकरणों के सृजन के जरिए स्तर पर विद्युत सप्लाई उद्योग के संगठनात्मक ढांचे को सशक्त बनाने की आवश्यकता तथा राज्य बिजली बोर्डों के वित्तीय कार्य निष्पादन सहित समग्र प्रबन्ध को सशक्त करने की आवश्यकता के बारे में विचार-विमर्श किया गया था। इन प्रस्तावों के कार्यान्वियन में सांविधिक परिवर्तन किए जाने शामिल हैं। बहुत से राज्यों ने इस बारे में आशंकाएं व्यक्त की हैं। इस प्रस्ताव पर कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्यों के साथ परामर्श करना और उनके बीच मतैक्य बनाना आवश्यक समझा गया है।

छोटे पन-बिजली स्टेशनों पर राष्ट्रीय सेमिनार में दिए गए सुझाव

3830. **श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1983 में देश में छोटे पनबिजली स्टेशनों पर हुए राष्ट्रीय सेमिनार में क्या मुख्य सुझाव आये ; और

(ख) उन्हें कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जनवरी, 1983 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण और केन्द्रीय सिंचाई और विद्युत बोर्ड द्वारा आयोजित लघु जल विद्युत केन्द्रों पर सेमिनार में दिए गए मुख्य सुझाव निम्नलिखित हैं ।

(1) सभी राज्यों को अपने राज्यों में लघु जल-विद्युत शक्यता का निर्धारण करने के लिए प्राथमिकता देनी चाहिए तथा अति लघु स्कीमों अर्थात माइक्रों स्कीमों का पता लगाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए जिनको सुदूरवर्ती गावों के लाभ के लिए विकसित किया जा सकता हो।

(2) राज्यों द्वारा राज्य में सभी संगठनों को शामिल करके अति लघु स्वतंत्र स्कीमों का विशेष रूप से माइक्रों स्कीमों के पता लगाने ओर क्रियान्वयन करने के कार्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

(3) लघु जल-विद्युत स्कीमों के लिए सही परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य

प्राधिकारियों को विशेष महत्व देना चाहिए जिसके लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

(4) लघु जल-विद्युत का विकास ग्राम विद्युतीकरण कार्यक्रम के अनुरुप सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को बिजली प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय कार्य के रूप में किया जाना चाहिए तथा लघु जल विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए जरूरी रियायतें दे कर ऊर्जा के वैकल्पिक संसाधन को श्रणी में समझा जाना चाहिए ।

(5) हरेक स्कीमों की आर्थिक दृष्टि से जीबन क्षमता के बारे में व्यापक और उदार दृष्टिकोण अपना करके लघु जल-विद्युत के विकास करने के लिए निधियां विशेष रूप से निर्धारित की जानी चाहिए।

(ख) उपरोक्त सिफारिशें सभी राज्य बिजली बोर्डों/राज्य सरकारों/परियोजना प्राधिकारियों को भेज दी गई हैं जो इस मामले पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य रूप से सम्बन्धित हैं।

तेल की खोज के लिए बेसिन-वार आयोजना

3831. **श्री के० टी० कोतलराम** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्राकृतिक तेल और गैस आयोग द्वारा क्रियान्वित की जा रही तेल की खोज के मामले में भौगोलिक महत्व पर आधारित बेसिन-वार आयोजना की नई धारणा का ब्यौरा क्या है ;

(ख) बन्द पड़े कुओं की कुल संख्या कितनी है और उन्हें चालू करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ग) जहां तक तेल की खोज और दोहन का संबंध है स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास को तेज करने और भविष्य में आयात बन्द करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) विगत में हुई भूगर्भीय घटनाओं के साथ वर्तमान समुद्र-तट-रेखा का कोई सम्बन्ध नहीं है। भूगर्भीय बेसिन एक वह स्थल है जिसमें तलछटे जमा होते हैं जो कि उनमें से अनेकों में जमा होते आ रहे थे। एक विशेष बेसिन जिसका तटीय से अपतटीय तक विस्तार किया जा सकता है में जमा हुए तलछटों की किस्म में भूगर्भीय दृष्टि में उनके अस्तित्व का समय पर्यावरण आदि में अधिकांश रूप में समानता है। नई विचारधारा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक बेसिन को अन्वेषण तथा दोहन के लिए एक संयुक्त यूनिट के रूप में मानने की योजना है। यह अन्वेषण की नीति में एक अधिक समान ढंग से सुनिश्चित करेगी।

(ख) 1.3.1983 को 457 रुग्ण कूप हैं। रुग्ण कूपों की मरम्मत करने और उन्हें सक्रिय बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किये जा रहे हैं ;

1. वर्क ओवर एवं जेक अप और तटीय वर्क ओवर रिगों की संख्या बढ़ाना और इन सब रिगों को दिन रात काम में लगाना।

2. रुग्ण रिगों की मरम्मत के लिए विदेशी जानकारी प्राप्त करना ।

3. रुग्ण कूपों की उद्दीपन करना ।

4. कूपों को क्रमिक रूप से कृत्रिम लिफ्ट पर रखना ।

(ग) सरकार ने जुलाई 1981 में तेल उपकरण और सेवाओं के देशी विकास के लिए एक अध्ययन दल स्थापित किया था। इस दल द्वारा विभिन्न उप-समितियों का गठन किया गया है जहां अन्य सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रमों अर्थात भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लि०, भारत पम्पस एंड कम्प्रैसर्स लि० मझगांव डाक लि० आदि की भागीदारी है। उप-समितियों द्वारा जिन मदों को स्वदेशीकरण करने के लिए विचार किया जा रहा है वे केसिंग और उत्पादन ट्यूनिंगस, उपतटीय प्लेटफार्म जिनमें टाप डेक उपकरण शामिल हैं, तेल कूप सीमेंट, तेल कूप रसायन आदि हैं। हाल ही में, सरकार ने तेल क्षेत्र उपकरणों और सेवाओं के लिए स्वदेशी उत्पादन और प्रौद्योगिकी के स्वदेशी विकास सम्बन्धी दीर्घावधि नीत्ति तैयार करने के लिए सचिवों की अधिकार प्राप्त समिति की स्थापना भी की है ।

दिल्ली दूरदर्शन में प्रादेशिक चित्रहार का प्रसारण न किया जाना

3832. **श्री सी. चिन्नास्वामी :** क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली दूरदर्शन ने प्रादेशिक चित्रहार का प्रसारण हमेशा के लिए बन्द कर दिया है ;

(ख) इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या प्रादेशिक चित्रहार को पुनः आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है ;

(घ) इसे कब पुनः आरम्भ किया जायेगा ;

(ङ) हिन्दी चित्रहार में पुराने गीत बार-बार प्रसारित दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(च) बहुत पुरानी फिल्में प्रसारित किये जाने के भी क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालयों तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) और (ख) प्रादेशिक फीचर फिल्मों से फिल्मी गीतों के अनुक्रमों को प्राप्त करने सम्बन्धी अनुबंध की रीतियों को अन्तिम रूप दिए जाने तक दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली द्वारा प्रादेशिक चित्रहार को लगभग दो महीनों के लिए टेलीकास्ट नहीं किया जा सका ।

(ग) और (घ) दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली ने 18 मार्च, 1983 से प्रादेशिक चित्रहार को टेलीकास्ट करना पुनः शुरू कर दिया है ।

(ङ) पुराने गीतों के उन अनुक्रमों को, जो संगीत और दृश्यों में समृद्ध होते हैं, को पुनः टेली कास्ट किया जाता है ।

(च) आपवादिक विशिष्ट गुणों वाली पुरानी फीचर फिल्में महीने में केवल एक बार शनिवार को टेलीकास्ट की जाती हैं।

कैमरा मैनों की पदोन्नति संबंधी नीति

3833. **श्री बासुदेव आचार्य** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दूरदर्शन के कैमरा मैनों को गठित की जाने वाली भारतीय प्रसारण सेवा (आई०-बी० एस०) में शामिल न किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या कैमरा मैनों की पदोन्नति नीति, चयन ग्रेड नीति और स्थानान्तरण नीति तथा नियुक्ति नीति का निर्णय फिल्म डिवीजन के साथ बाद में किया जायेगा, तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) अखिल भारतीय प्रसारण (कार्यक्रम) सेवा के गठन के बारे में सरकार द्वारा अभी कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) और (ग) दूरदर्शन में कैमरा मैनों की पदोन्नति, स्थानान्तरण, भर्ती, इत्यादि के बारे में नीति दूरदर्शन की कार्यात्मक आवश्यकताओं, जो फिल्म प्रभाग की कार्यात्मक आवश्यकताओं से भिन्न हैं, पर आधारित है ।

"टाक्स फार सोवियत एड बिगिन-बिहार थर्मल यूनिट" शीर्षक समाचार

3834. **श्री एन० के० शेजवलकर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिनांक 29 दिसम्बर, 1982 के "फाइनेंसियर एक्सप्रेस" में "टाक्स फार सोवियत एड विगिन-विहार थर्मल यूनिट" शीर्षक समाचार के बारे में सरकार को जानकारी प्राप्त है ;

(ख) यदि हां, तो भारत का दौरा करने वाले सोवियत शिष्टमण्डल और इसके समकक्ष भारतीय प्रतिनिधीमण्डल के नेताओं तथा अन्य सदस्यों के नाम तथा पद क्या हैं जिनके साथ शिष्टमन्डल ने बातचीत की तथा उसके निष्कर्ष क्या है ;

(ग) सोवियत संघ द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाले सहायता का ब्यौरा क्या है तथा यह किस हैसियत से दी जा रही है ;

(घ) संयत्र के पूरा होने के उपरान्त इसकी उत्पादन क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा इसके कब तक पूरा होने तथा उत्पादन करने की संभावना है ;

(ङ) क्या भारत सरकार ने व्यवहार्यता प्रतिवेदन प्राप्त कर लिया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है, और यदि नहीं तो इनको कब तक प्राप्त करने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) 9 से 14 दिसम्बर, 1982 तक नई दिल्ली में हुई विद्युत पर भारत-सोवियत कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में जिन सोवियत और भारतीय दलों ने भाग लिया, उनका संगठन विवरण में दिया गया है । बैठक के अन्त में एक प्रोतोकोल पर तथा 1981-85 के लिए भारत और यू० एस० एस० आर० के बीच सहयोग के कार्यों के एक कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए । प्रोतोकोल में अन्य बातों के साथ-साथ भारतीय इंजीनियरों और विशेषज्ञों को कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में उनकी कार्य-कुशलता और कार्यक्षमता में सुधार लाने के लिए सहायता हेतु यू० एस० एस०-आर० भेजे जाने का भी प्रावधान है। विशिष्ट समस्याओं पर भारतीय संगठनों को सलाह देने के लिए सोवियत विशेषज्ञों को भारत में तैनात करने का भी प्रावधान है ।

(ग) से (ङ) 210-210 मेगावाट की 6 यूनिटों के विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक का इस समय सोवियत सहायता से निर्माण किया जा रहा है और इसके लिए वित्त व्यवस्था 10-11-1980 के 520मिलियन रुबल की सोवियत ऋण के अन्तर्गत की जा रही है। परियोजना की पहली यूनिट जून, 1987 तक चालू किए जाने की आशा है ।

एक नई ताप विद्युत परियोजना के लिए यू० एस० एस० आर० और भारत के बीच सहयोग की संभाव्यताओं के बारे में विद्युत पर कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में प्रारम्भिक विचार-विमर्श किया गया था। दोनों पक्ष इस संबंध में प्रारम्भिक विचारों और सूचना के आदान-प्रदान के लिए सहमत हो गए हैं ।

विवरण

9 से 14 दिसम्बर, 1982 तक नई दिल्ली में हुई विद्युत पर भारत-सोवियत कार्यकारी दल की दूसरी बैठक में जिन सोवियत तथा भारतीय दलों ने भाग लिया था, उनका संगठन निम्नानुसार है :

सोवियत दल

1.	मि० एन० ए० लोपाटीन	सोवियत रूस से के विद्युत नेता बिद्युतीकरण उप-मंत्री
2.	मि० ए० एफ० शौकिन	मुख्य इंजीनियर, वी०/ओ०' 'जमरनेनेरगोस्तरो-मांताझ''

3.	मि० एल० वी० शेरमेतीव	उपाध्यक्ष, वी०/ओ० "टॅक्नोप्रोमएक्सपोर्ट"
4.	मि०बी० ए० कतचीगिन	उप-विभाग के उपाध्यक्ष, सोवियत रुस की राज्य योजना समिति
5.	मि० ई० वाई० डेमेंटिव	वरिष्ठ विशेषज्ञ, विदेशी आर्थिक संबंधों के लिए सोवियत रुस की राज्य समिति
6.	मि० आई० ए० निझनिक	निदेशक, संस्थान "टेपलोकेक्ट्रोप्रोक्त, एल० वी० ओ० वी०
7.	मि० ए० वी० व्रिजगालोव	वी०/ओ०विभाग के चीफ "स्लावाजाग्रानेनेगो"
8.	मि० ई० ए० लटकिन	विशेषज्ञ, वी०/ओ० "टेक्नोप्रोमएक्पोर्ट"

सोवियत रूस दूतावास

1.	मि० एन० डी० रोडिओनोव	आर्थिक कार्यों के सलाहकार
2.	मि. जी. वी. दमितरेंको	आर्थिक कार्यो के उप सलाहकार
3.	मि. एन. एन. गयोरेंकों	विभागाध्यक्ष
4.	मि. वी. एन. वोरोनेव	वरिप्ट अर्थशास्त्री

भारतीय बल

1.	श्री टी. आर. सतीशचन्द्रन	सचिव, ऊर्जा मंत्रालय नेता, विद्युत विभाग
2.	श्री एस. एन. राय	अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
3.	श्री ए. के. साहू	अध्यक्ष, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम
4.	श्री बी. एस. कोचर	अध्यक्ष, राष्ट्रीय जल विद्युत निगम
5.	श्री ए. एन. सिंह	सदस्य (जल-विद्युत), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
6.	श्री एल. सी. जैन	सदस्य (विद्युत प्रणाली) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
7.	श्री बी. एन. बोस	सदस्य (प्रचालन), केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण
8.	श्री कमलाकर मिश्र	संयुक्त सचिव, ऊर्जा मंत्रालय विद्युत विभाग
9.	श्री एम. सी. गुप्ता	संयुक्त सचिव, भारी उद्योग विभाग
10.	श्री वी. पी. भाटिया	वरिष्ठ महाप्रबन्धक, भारत हैवी इलेक्ट्रीकल्स

विद्युत विभाग में वर्गवार पद

3835. **श्री कमला मिश्र मधुकर** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विद्युत विभाग तथा उसके संबंद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में पदों की वर्गवार संख्या कितनी है ;

(ख) वर्गवार कितने पद रिक्त पड़ हैं ?

(ग) उनमें से ऐसे कितने पद हैं जिन्हें विभाग द्वारा तदर्थ/नियमित नियुक्त के आधार पर भरा जा सकता है ,

(घ) क्या यह सच है कि उन पदों पर कोई नियुक्तियां किए बिना सरकार अपना कार्य सुचारु ढंग से चला सकती है ;

(ङ) यदि हां, तो किन कारणों से उन पदों को बनाये रखना जरूरी समझा गया और उन्हें अभी तक बनाये रखने के क्या कारण हैं ; और

(च) यदि नहीं, तो सरकार किन कारणों से उन पदों को भरने में उदासीन रवैया अपनाये हुए हैं और उनके कार्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने दे रही है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना देने वाला विवरण संलग्न है ।

(घ) से (च) विद्यमान खाली पदों को भरने की दृष्टि से 279 उम्मीदवारों का चयन पहले ही कर लिया गया है जिसमें से 105 उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र भेजे जा चुके हैं । शेष रिक्त पदों को निम्नलिखित माध्यमों के जरिए सामान्य प्रक्रिया से भरा जाएगा ।

(1) संघ लोक सेवा आयोग

(2) कर्मचारी चयन आयोग

(3) रोजगार कार्यालय

(4) प्रोन्नति से

(5) प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

विवरण

पद की श्रेणी	पदों की स्वीकृत	कुल संख्या खाली	तदर्थ/नियमित नियुक्त द्वारा भरे जा सकने वाले पदों की संख्या
1.	विद्युत विभाग		
समूह क	29	—	—
समूह ख	81	2	2
समूह ग	112	5	5
समूह घ	67	17	17
2.	सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालय		
समूह क	634	99	99
समूह ख	367	31	31
समूह ग	1147	277	277
समूह घ	371	42	43

मालवीय नगर (दिल्ली) में टेलफोनों के जंकशन बाक्स की चोरी

3836. **श्री के० ए० राजन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालवीय नगर (दिल्ली) में टेलीफोन का जंक्शन बाक्स जनवरी, 1983 में किसी समय चुरा लिया गया था ;

(ख) यदि हां, तो इस बात का कब पता चला कि जंक्शन बाक्स चोरी हो गया है;

(ग) क्या यह सच है कि जंक्शन बाक्स गायब होने का पता लगनेसे पूर्व मालवीय नगर के निवासियों ने अपने टेलीफोनों के काम न करने के बारे में बार-बार शिकायत की थी लेकिन उन्हें यही कहा गया कि केबल में खराबी है ; और

(घ) यदि हां, तो इस आशय की कि जंक्शन बाक्स चोरी हो गया है, सही जानकारी न देने देने के लिए कौन जिम्मेदार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां।

(ख) : 31-2-83 को लगभग 12.40 बजे इसका पता लगा था।

(ग) "198" नर केवल तीन शिकायतें 31.1.83 को इस क्षेत्र से प्राप्त हुई थीं, जहां इस डी० पी० (जंक्शन बाक्स) से सेवा प्रदान की जाती थी। उपभोक्ताओं को यह बतलाया गया था कि ऐसा केबिल दोष के कारण हुआ है।

(घ) इस प्रकार के दोष भी "केबिल दोष" के अन्तर्गत आते हैं और केबिल कर्मचारी ही ऐसे दोष दूर करते हैं। अतः जो जानकारी दी गई वह सामान्य पद्धति के अनुसार ही थी।

पेट्रोलियम उत्पादों के विक्रेताओं के चयन हेतु चयन बोर्ड का गठन

3837. **श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि खाना पकाने की गैस, पेट्रोल, डीजल और मिट्टी के तेल के लिए विक्रेताओं का चयन करने हेतु तेल कम्पनियों ने चयन बोर्ड गठित किए हैं;

(ख) क्या विक्रेताओं के चयन के लिए नए मार्ग निर्देश जारी किए गए हैं और

(ग) देश के प्रत्येक राज्य और संघ क्षेत्र में, जिलावार, उन विभिन्न स्थानों के नाम क्या हैं जिनके लिए विक्रेताओं का चयन अभी किया जाना है?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/वितरकों का चयन करने नये मार्गदर्शी सिद्धांतों की एक प्रतिलिपि संलग्न है। (**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 6201/83**)

(ग) 31-12-1982 की यथा स्थिति को तेल कम्पनियों द्वारा अपनी 1980-81 तथा 1981-82 की योजनाओं के प्रति देशभर में 292 पेट्रोल/डीजल रिटेल आउट लेट डीलरशिपें, 62 तरालीकृत पेट्रोलियम गैस डिस्ट्रीब्यूटरशिपें और 87 एस० के० ओ०/एल० डी० ओ० डीलरशिपें निर्णय लिए जाने लिए लम्बित पड़ी थी। स्थानों तथा जिलों के सम्बन्ध में ब्यौरे तत्काल उपलब्ध नहीं हैं।

सारणीबद्ध औषधियां

3838. **श्री जेवियर अराकल** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन औषधियों को सरणीबद्ध किया गया है तथा उनका आयात रोक दिया है; भारत में इन औषधियों की आयात लागत और विक्रय मूल्य कितना है; और

(ख) क्या सरकार के ध्यान में आया है कि फार्मास्युटिकल के क्षेत्र में हम कहीं नहीं है और इस क्षेत्र में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, इसके क्या कारण हैं इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहें हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : (क) राज्य व्यापार निगम द्वारा आयातित सरणीकृत प्रपुंज औषध की औसत अवतरित लागत, अंतिम आयात का वर्ष और एस० टी० सी० के बिक्री मूल्य को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

(ख) आमतौर पर यह पाया गया है कि देश में उत्पादित बड़ी संख्या में, औषधों की उत्पादन लागत उनकी अन्तराष्ट्रीय कीमतों से अधिक है। मुख्य कारण निम्न प्रकार हैं :—

(1) देश में किए जाने वाले उत्पादन के अधिकतर मामलों में उत्पादन स्तर बहुत लघु है संयंत्र के अलाभकारी आकार के कारण बहुत से मामलों में उत्पादन लागत ऊंची है।

(2) औषधों के उत्पादन के लिए आवश्यक सभी रसायनों, जो देश में उत्पादित होते हैं, के मूल्य भी ऊंचे हैं।

(3) अधिकतर मामलों में औषधों के उत्पादन के लिए देश में उपलब्ध तकनीकी कुशल और उचित नहीं है।

विवरण

क्र सं०	प्रपुंज औषधों के नाम	औषध की बिक्री के लिए निश्चित सरकारी मूल्य [रु० में]	प्रति किलो अवतरित लागत जहाँ एस.टी.सी. के पास भण्डार हो [रु० में[	एस० टी० सी० द्वारा अन्तिम आयात का वर्ष
1	2	3	4	5
आयात से सेवाएं				
स्वदेशी उत्पादक				
1.	एमोक्सीसिलिन ट्राईहाइड्रेट	1909.55	1899.37	1982-83
2.	एम्पीसिलिन एनहाइड्रस	1953.00	1533.33	1979-80
3.	एम्पीसिलिन ट्राइहाईड्रेट	1475.00	1406.30	1982-83
4.	क्लोरमफेनिकोल पाल्मीटेट	806.00	674.95	1980-81
5.	क्लोरमफेनिकोल पाउडर	622.00	687.87	1980-81
6.	क्लोरोक्वीन फास्फेट	476.00	488.70	1982-83

1	2	3	4	5
7.	डेप्सोन	250.00	408.75	1982-83
8.	डाक्सीसाइक्लिन एच.सी.एल.			
	और इसके इन्टरमीडीएट्स	4000.00	2411.01	1981-82
9.	इथम्बूटोल (एच० सी० एल०)	837.00	842.50	1982-83
10.	इन्डोमेथासिन	918.70	530.00	1982-83
11.	मिथाइल डोपा	1345.00	996.08	1981-83
12.	पिपराजाइन एन्हाईड्स	137.52	भण्डार नहीं	1979-80
13.	पिपराजाइन हेक्साहाड्रेट	61.00	39.45	1982-83
14.	स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट	847.42	भण्डार नहीं	1981-82
15.	टेट्रासाइक्लिन बेस	746.36	भण्डार नही	1981-82
16.	टेट्रासाइक्लिन(एच०सी० एल०)	801.49	640.40	1981-82
17.	विटामिन ए-पाल्मीटेट-एसिटेट	716.00*)	921.26	1982-83
		730.00*)	1000 एम.आई.यू. में	
18.	विटामिन बी०(एच.सी.एल.)			
	सम्पयूल	858.99	भण्डार नहीं	1981-82
	ओरल	816.73	भण्डार नहीं	—
19.	बिटामिन बी 1 (मोनो)	845.03	भण्डार नहीं	1978-79
20.	विटामिन बी 2 (रिबो)	1100.00	725.32	1982-83
21.	6-ए० पी० ए०	—	—	3.1.83 से सरणीकृत। अभी तक एस० टी.सी. ने कोई आयात नहीं किया है न ही सरकार द्वारा बिक्री मूल्य निर्धारित किया है।

चालू वित्त वर्ष के दौरान ऊर्जा उत्पादन का लक्ष्य

3839. **श्री उत्तम राठौड़** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(* प्रति 1000 एम० आई० यू०)

(क) चालू वित्त वर्ष के दौरान समस्त संसाधनों से उर्जा के उत्पादन का क्या लक्ष्य रखा गया है ;

(ख) क्या यह लक्ष्य पूरा हो जाने की आशा है; और

(ग) यदि नहीं, तो उस में कमी होने के क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) (1) 1982-83 के लिए सभी स्रोतों से विद्युत उत्पादन के लिए लक्ष्य जल विद्युत, ताप विद्युत न्यूक्लीय विद्युत समेत 132 मिलियन यूनिट निर्धारित किया गया है।

(2) 1982-83 के लिए कच्चे तेल के उत्पादन के लिए लक्ष्य 21.4 मिलियन टन निर्धारित किया गया है ।

(3) 1982-83 के लिए कोयला उत्पादन के लिए लक्ष्य 133 मिलियन टन निर्धारित किया गया है।

(ख) और (ग) विद्युत उत्पादन का लक्ष्य, न्यूक्लीय यूनिटों से अपर्याप्त उत्पादन के कारण मामूली कमी को छोड़कर, प्रायः प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है ।

(2) कच्चे तेल के लिए उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है।

(3) कोयला उत्पादन के लिए संभावित उपलब्धि का अभी तक निर्धारण नहीं किया गया है।

पश्चिम बंगाल में तेल की खोज

3840. **श्री नीरेन घोष** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में तेल की खोज जारी रहेगी ; और

(ख) यदि हां, तो उन स्थलों के नाम तथा संख्या कितनी है जहां तेल की खोज की जायेगी और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क)जी, हां । पश्चिम बंगाल में तेल एवम् प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा तेल अन्वेषण का कार्य जारी रखा जा रहा है।

(ख) वर्तमान में बोदरा-2 कूप की खुदाई की जा रही है। हावड़ा, नदिया और 24 परगना जिलों में आठ और स्थलों की खुदाई के लिए पता लगाया गया है ।

कसौली हिमाचल प्रदेश में दूरदर्शन रिले केन्द्र

3841. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश में कसौली में दूरदर्शन कार्यक्रम रिले करने के बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन): हिमाचल प्रदेश में कसौली में दूरदर्शन रिले केन्द्र छठी योजना के दौरान स्थापित किया जा रहा है। इस प्रयोजन के लिए, अपेक्षित भूमि का बड़ा भाग कब्जे में ले लिया गया है और रक्षा मंत्रालय से शेष क्षेत्र रिलीज कर देने के लिए अनुरोध किया गया है। 10 किलोवाट का एक टी० वी० ट्रांसमीटर प्राप्त हो चुका है। 120 मीटर ऊंचा मास्ट लगाने के लिए सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है। भवन के लिए सिविल प्राक्कलन मंजूर हो गए हैं। इस केन्द्र के 1984-85 तक चालू हो जाने की उम्मीद है।

दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की न्यायपीठ स्थापित करना

3842. **श्री वी० एस० विजयराघवन : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण में उच्चतम न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ स्थापित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो कब तक निर्णय किए जाने की संभावना है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 130 में उपबन्ध है कि "उच्चतम न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ठ होगा जिन्हें भारत का मुख्य न्यायमूर्ति, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।" भारत के मुख्य न्यामूर्ति से दक्षिण में न्यायपीठ स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

गुजरात उच्च न्यायालय में निर्णयाधीन मामलों का निपटान

3843. **श्री छीतूभाई गामित :**

श्री आर० पी० गायकवाड़ : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात उच्च न्यायालय में 1982 के अन्त तक कुल कितने मामले विचाराधीन थे और वे मामले किस प्रकार के थे तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से 1 से 5 वर्ष, 5 से 10 वर्ष तथा 10 से 15 वर्ष पुराने कितने मामले हैं तथा 15 से अधिक पुराने मामलों की संख्या कितनी है ;

(ग) किन कारणों से वे मामले लंबित हैं तथा उन्हें कब तक निपटा दिया जाएगा और क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में कोई ठोस कार्यक्रम तैयार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख) गुजरात उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री द्वारा भेजी गई जानकारी संलग्न विवरण संख्या I में दी गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल. टी. 6202/83)

(ग) मामलों के निपटारे में विलंब होने और बकाया मामलों के इकट्ठा होने के कई जटिल कारण हैं। उनके निपटारे के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती। साधारणतः उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या को कम करने के लिए जो कार्रवाई की गई है वह संग्लन विवरण संख्या II में बताई गई है। (ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3202/83)

वर्ष 1982 और जनवरी 1983 के दौरान शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को दिये गये रोज़गार

3844. **श्री जयपाल सिंह कश्यप** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 तथा जनवरी, 1983 के अन्त तक कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगारों को रोजगार दिए गए हैं :

(ख) इस समय देश में कितने शिक्षित और अशिक्षित बेरोजगार व्यक्ति हैं ; और

(ग) यह संख्या वर्ष 1981 के आंकड़ों की तुलना में कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर सिंह) : (क) से (ग) रोजगार कार्यालय के आंकडों पर निर्धारित संगत,सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

रोजगार कार्यालयों के माध्यम से रोजगार में लगाए गए नौकरी चाहने वाले व्यक्तियों की संख्या और रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टर पर संख्या I

लाखों में

दिलाई गई नौकरियों की संख्या				अवधि के अन्त में चालू रजिस्टर पर संख्या		
वर्ष	शिक्षित (मैट्रिक	अशिक्षित (मैट्रिक से	कुल	शिक्षित (मैट्रिक	अशिक्षित (मैट्रिक	कुल

	और इससे ऊपर)	नीचे और अशिक्षित)		और इससे ऊपर	से नीचे और अशिक्षित)	
1981	1.72	3.32	5.04	90.18	88.20	178.38
1982 (जनवरी—जून)	0.79	1.60	2.39	90.40	92.96	183.36
1982 (जुलाई—दिसम्बर)	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	2.34	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	197.53
1983 (1-1-83 से 3-1.83 तक)	उपलब्ध नही	उपलब्ध नहीं	0.34	उपलब्ध नहीं	उपलब्ध नहीं	198.69

टिप्पणी : 1. शिक्षित उम्मीदवारों (मैट्रिक और इससे ऊपर) सम्बन्धी सूचना प्रति वर्ष जून और दिसम्बर को समाप्त होने वाले अर्ध-वर्ष के अन्तरालों पर एकत्र की जाती है। नवीनतम उपलब्ध सूचना जून, 1982 को समाप्त हुई अवधि के लिए है।

2. रोजगार कार्यालयों में दर्ज सभी नौकरी चाहने वाले अनिवार्यतः बेरोजगार नहीं है।

एशियाड 82 रिकार्डिंग से आय

3845. **श्री बालकृष्ण वासनिक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश से बाहर विभिन्न टेलीविजन प्रणालियों को एशियाड 82 रिकार्डिंग से अलग-अलग कुल कितनी आय हुई है ; और

(ख) क्या भाग (क) में लिखे स्रोत से निकट भविष्य म रायल्टीज की और आय होने की आशा है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) एशियाड, 82 के दौरान विभिन्न विदेशी टेलीविजन संगठनों को दूरदर्शन द्वारा उपघलब्ध की

गिई तकनीकी सुविधाओं से 85,920 अमरीकी डालर की कुल आय हुई है। इसका ब्योरा ववरण में दिया गया है।

(ख) और आय होने की आशा नहीं है। तथापि, जैसा कि विवरण में दिया गया है, 85,920 अमरीकी डालर में से कुछ राशि अभी प्राप्त होनी है।

विवरण

एशियाड के दौरान दूरदर्शन द्वारा उपलब्ध की गई तकनीकी सुविधाओं से विदेशी मुद्रा में हुई आय का देश-वार ब्योरा।

क्र. सं.	टी. वी. संगठन और देश	अमरीकी डालर में देय राशि	अमरीकी डालर में अदा की गई राशि	अमरीकी डालर में शेष राशि
1.	जापान	6345	6345	शून्य
2.	एच. के. टी. वी. हांगकांग	3725	3725	शून्य
3.	ए. टी. वी. हांगकांग	900	900	शून्य
4.	टी. वी. आर. आई. इन्डोनेशिया	4575	4575	शून्य
5.	के. बी. एस. कोरिया	9300	9300	शून्य
6.	पी. बी. एस. फिलीपीन	450	450	शून्य
7.	ए. एस. बी. यू.	23575	23575	शून्य
8.	चीन	4800	4800	शून्य
9.	आर. टी. एम. मलयेशिया	4000	4000	शून्य
10.	पाकिस्तान	3325	शून्य	3325
11.	ईरान	10250	10250	शून्य
12.	थाईलैंड	900	900	शून्य
13.	बंगलादेश	1775	शून्य	1775
14.	सिडनी	4000	शून्य	4000

1	2	3	4	5
15.	श्री लंका	4000	4000	शून्य
16.	कनाडा	4000	शून्य	4000
	योग	85,020	72,820	13,100

मेजिया में बिजली परियोजना

3846. **श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती :**

श्री चित्त बसु : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पश्चिमी बंगाल में बांकुरा में मेजिया में ताप बिजली परियोजना तत्काल स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मेजिया ताप विद्युत परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं, कोयला लिंक, निधियों की उपलब्धता जैसी कुछ शर्तों के अधीन, तकनीकी आर्थिक दृष्टि से स्वीकृति अप्रैल, 1982 में की गई थी। विभिन्न सामग्रियों की व्यवस्था के लिए बातचीत चल रही है।

बिहार के जिला समस्तीपुर के बांदा गांव में बंधुआ मजदूर

3847. **श्री हरीश कुमार गंगवार** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है बिहार में समस्तीपुर जिले के बांदा गांव में लगभग चार हजार बंधुआ मजदूर है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि काफी समय पूर्व उनका पता चलने के बाद भी उन्हें मुक्त नहीं किया गया है; और

(ग) यदि हां, तो उन्हें अभी तक मुक्त न करने और उनका पुनर्वास न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) सरकार का ध्यान अखबारी रिपोर्टों की ओर दिलाया गया था जिनमें बिहार के समस्तीपुर जिले के बांदा गांव में लगभग 4000 बंधुआ श्रमिकों के होने का आरोप लगाया गया था। यह मामला बिहार सरकार के साथ उठाया गया जिन्होंने सूचित किया है कि जिला मजिस्ट्रेट समस्तीपुर ने इस मामले की जांच करवाई और उनकी रिपोर्ट के अनुसार, समस्तीपुर जिले में बांदा ग्राम में कोई बंधुआ श्रमिक नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते ।

गर्मी के महीनों के दौरान राजधानी में बिजली की जरूरत

2848. **श्री भीकू राम जैन** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गर्मी के महीनों के दौरान राजधानी में बिजली की जरूरत अनुमानतः कितनी है और यह जरूरत पूरी करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : गर्मी के महीनों के दौरान राजधानी में विद्युत की अनुमानित आवश्यकताओं का 700-725 मेगावाट का पुर्वानुमान है। इनको डेसू के अपने उत्पादन केन्द्रों, इन्द्रप्रस्थ विद्युत केन्द्र और राजघाट विद्युत गृह, बदरपुर ताप विद्युत केन्द्र से और केन्द्रीय परियोजनाओं, बैरा स्यूल जल विद्युत केन्द्र एवं सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र से आयात करके पूरा करने का प्रस्ताव है ।

विभिन्न वोल्टता स्तरों पर अतिरिक्त ट्रांसफार्मेशन की व्यवस्था की गई है । भारत की बढ़ी हुई आवश्यकता को पूरा करने के लिए आगामी ग्रीम ऋतु से पहले पारेषण और वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने का कार्य भी पूरा किया जा रहा है ।

आर० एम० एस० कर्मचारियों की मांगें

3849. **श्री जी० एम० बनातवाला** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेल डाक सेवा (आर० एम० एस०) को समाप्त करने अथवा उसमें संशोधन करने हेतु किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ;

(ख) प्रस्ताव की विशेषताएं क्या हैं और ऐसी कार्यवाही करने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या रेल डाक सेवा के कर्मचारियों के साथ कोई परामर्श किया गया है ;

(घ) कर्मचारियों की मांगें और विचार क्या है ; और

(ङ) उक्त मांगों को स्वीकार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) और (ख) रेल डाक सेवा को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। डाक परियात में वृद्धि तथा डाक की ढुलाई के लिए रेलगाड़ियों में अपर्याप्त स्थान को देखते हुए, रेल डाक सेवा के कार्यकरण को सरल और कारगर बनाने के लिए विभाग ने कुछ कार्रवाही की है। कुछ चुनिंदे मार्गों पर चलती रेलगाड़ियों में डाकछंटाई कार्य समाप्त किया गया है तथा कुछ छंटाई अनुभागों को बन्द थैलें ढोने के लिए पारगमन अनुभागों में परिवर्तित किया गया है । छंटाई अनुभागों से लिया गया कार्य, संबंधित स्थित डाक कार्यालयों में किया जाने लगा है, जहां बेहतर स्थान देखरेख तथा कार्य-दशा मौजूद है ।

(ग) जी हां।

(घ) कर्मचारियों के एक वर्ग ने इसका विरोध किया था।

(ङ) सभी डाक सर्किलों को, कर्मचारियों, के न्यायसंगत हित की रक्षा के लिए अनुदेश जारी कर दिए गए हैं ताकि उनको पदोन्नति, परिलब्धि संबंधी कठिनाई न हो, और जहां तक संभव हो उन्हें उनके वर्तमान मुख्यालय से अन्यत्र न भेजा जाए।

केरल में 19 जनवरी के श्रमिक आन्दोलनों के संबंध में दंडित डाकव तार कर्मचारी

3850. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल राज्य में 19 जनवरी, 1982 के श्रमिक आन्दोलन के सम्बन्ध में कितने डाक व तार कर्मचारियों को स्थानान्तरित सेवा में व्यवधान आदि करके दंडित किया है ; और

(ख) क्या सरकार यह समझती है कि कर्मचारी को दंडस्वरूप स्थानान्तरित करना औचित्य पूर्ण है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 19 जनवरी, 1882 को श्रमिक आन्दोलन के कारण केरल राज्य में स्थानान्तरण तथा सेवा में व्यवधान आदि के रूप में दंडित किए गए डाक-तार कर्मचारियों की सं० निम्न प्रकार है :

(एक) सेवा में व्यवधान—513

(दो) अकार्य दिवस —290

(ख) स्थानान्तरण सेवा हित में किए जाते हैं इसे दंड नहीं कहा जा सकता।

समुद्र तटीय क्षेत्रों में पनचक्की की स्थापना

3851. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समुद्र तटीय क्षेत्रों में एक पनचक्की स्थापित करने हेतु कोई प्रयास हो रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस प्रकार की पनचक्की स्थापित करने हेतु महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की समुद्रतटीय पट्टी के दावे पर विचार किया जाएगा ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) महाराष्ट्र के तटीय क्षेत्रों सहित देश के विभिन्न भागों में क्षेत्रीय परीक्षण एवं प्रदर्शन किए जा रहे हैं एवं जल पम्पन पवन चक्कियां स्थापित की जा रही हैं। महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र की समुद्रतटीय पट्टी पर कुछ एकक पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य सरकार से परामर्श करके कुछ और भी स्थान चुने जा रहे हैं।

कास्टिक सोडा के आयात पर प्रतिबंध

3852. **श्री के० मालन्ना** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कास्टिक सोडा उत्पादकों ने निर्यात के लिए उपयोग करने वाले कुछ यूनिटों को स्वीकृत किए गए रसायन के आयात पर तत्काल रोक लगाने हेतु रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में उनके द्वारा रखे गए तर्कों के बारे में ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ;

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) जी, हां।

(ख) उत्पादकों की यह राय है कि स्वदेशी क्षमता और उत्पादन भविष्य की मांग को पूरा कर सकते हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि विश्व व्यापी मन्दी के कारण विदेशी सप्लायर इस मद के उत्पादन लागत से भी कम कीमत पर उपलब्ध करा रहे हैं।

(ग) आयात नीति की निरन्तर समीक्षा होती है और आयातों का विनियमन, स्वदेशी उपलब्धता और मांग को ध्यान में रख कर किया जाता है। कास्टिक सोडा की भावी आयात नीति पर सरकार को अभी निर्णय लेना है।

बिना डाकघर की सुविधा वाले गांव

3853. **श्री नवीन रावणी** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1982 की स्थिति के अनुसार देश में, राज्य-वार, कितने गांवों में डाकघर सुविधाएं नहीं है।

(ख) वर्ष 1982-83 के दौरान राज्य-वार, विशेषकर गुजरात में कितने नए डाकघर खोले गए हैं ;

(ग) अगले वर्ष, अर्थात्, 1983-84 में ऐसे कितने गांवों में डाकघर सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) 31 मार्च, 1982 को बिना डाकघर वाले ग्रामों की संख्या 4,62,271 थी। (विस्तृत जानकारी विवरण एक में दी गई है) फिर भी अपवाद स्वरूप दूरदराज के कुछ ग्रामों को छोड़कर इस प्रकार के ग्रामों में ग्राम डाकिए/अतिरिक्त विभागीय वितरण एजेंट जाते हैं तथा डाक वस्तुओं का वितरण, मानीआर्डरों का भुगतान, डाक टिकटों तथा स्टेशनरी की बिक्री के साथ-साथ डाक द्वारा भेजे जाने वाली डाक डाक वस्तुएं भी स्वीकार करते हैं। इसके अतिरिक्त, एक योजना यह भी है जिसके अन्तर्गत शाखा पोस्टमास्टर कुछ विशेष ग्रामों में जाकर डाक सुविधाएं प्रदान करते हैं।

(ख) 1982-83 के दौरान खोले गए नए डाकघरों के राज्यवार आंकड़े (गुजरात में खोले गए डाकघरों सहित) विवरणो में दिए गए हैं।

(ग) देश के ग्रामीण इलाकों में 1983-84 के दौरान 2,500 अतिरिक्त डाकघर खोले जाने का प्रस्ताव है।

विवरण—एक

31 मार्च, 1983 को बिना डाकघर वाले ग्रामों के आंकड़े

एक-राज्य	बिना डाकघर वाले ग्राम
1. आन्ध्र प्रदेश	12,731
2. असम	19,055
3. बिहार	57,703
4. गुजरात	10,684
5. हरयाणा	4,628
6. हिमाचल प्रदेश	14,633
7. जम्मू तथा काश्मीर	5,257
8. कर्नाटक	18,663
9. केरल	2
10. मध्य प्रदेश	68,380
11. महाराष्ट्र	25,595
12. मनीपुर	1,453
13. मेघालय	4,188
14. नागालैंड	760
15. उड़ीसा	40,299
16. पंजाब	8,925
17. राजस्थान	26,526
18. सिक्कम	100

19. तमिलनाडु	7,348
20. त्रिपुरा	4,187
21. उत्तर प्रदेश	96,745
22. पश्चिम बंगाल	31,188
दो संघ शासित प्रदेश	
1. अण्डमान निकोबार द्वीप समूह	325
2. अरुणाचल प्रदेश	2,782
2. चंडीगढ़	19
4. दादर और नागर हवेली	43
5. दिल्ली	111
6. गोवा, दमन और दियु	194
7. लक्षद्वीप	—
8. मिजोरम	498
9. पांडिचेरी	269
	4,62,271

विवरण-दो

देश में 1982-83 के दौरान राज्यवार खोले गए नए डाकघरों के आंकड़े

क्रम सं० राज्य/संघ शासित प्रदेश	1982-83 की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में खोले गए डाकघर	गैर योजना शीर्षकों अन्तर्गत शहरी इलाकों में खोले गए डाकघर
(1) (2)	(3)	(4)
1. आन्ध्र प्रदेश	49	16
2. असम	13	—
3. बिहार	121	12
4. गुजरात	45	12

(1) (2)	(3)	(4)
5. हरियाणा	13	11
6. हिमाचल प्रदेश	22	1
7. जम्मू एवं काश्मीर	12	2
8. कर्नाटक	45	16
9. केरल	15	14
10. मध्यप्रदेश	100	5
11. महाराष्ट्र	78	13
12. मणिपुर	29	—
13. मेघालय	6	—
14. नागालैंड	6	—
15. उड़ीसा	15	28
16. पंजाब	13	6
17. राजस्थान	55	9
18. सिक्किम	1	—
19. तमिलनाडु	39	30
20. त्रिपुरा	5	—
21. उत्तर प्रदेश	161	2
22. पश्चिमी बंगाल	56	26
दो-संघ शासित क्षेत्र		
1. अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	9	—
3. चंडीगढ़	—	1
4. दादर और नागर हवेली	—	—
5. दिल्ली	3	11

1	2	3	4
6.	गोवा दमन और दियु	1	4
7.	लक्षद्वीप	—	—
8.	मिजोरम	6	—
9.	पांडिचेरी	1	—

बिहार में बंधुआ श्रमिकों का पता लगाना और उनका पुनर्वास

3854. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में अब तक कितने बंधुआ मजदूरों का पता लगाया गया है; और

(ख) उनमें से कितने बंधुआ मजदूरों का पुनर्वास किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री : (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) : बिहार सरकार से उपलब्ध नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, राज्य में पता लगाए गए और मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों की 15 फरवरी, 1983 को कुल संख्या 7823 थी जिनमें से 559 बंधुआ श्रमिक अन्य राज्यों के हैं। शेष 7264 बंधुआ श्रमिकों में से, जिनका बिहार में पता लगाया गया और उन्हें मुक्त कराया गया, 3671 बंधुआ श्रमिकों को 15 फरवरी, 1983 तक पुनर्वासित किया गया और 1398 बंधुआ श्रमिकों के बारे में पुनर्वास योजनायें चल रही हैं।

भेषज निर्माता कम्पनियों द्वारा क्षमता में वृद्धि

3855. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुछ बड़ी भेषज कम्पनियों ने अपनी क्षमताओं में गैर-कानूनी तरीके से वृद्धि कर ली थी और बाद में उन्हें कानूनी मान्यता प्राप्त करा ली; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को मालूम है कि इसके एकाधिकार और प्रतिबंधात्मक व्यापार व्यवहार अधिनियम के उद्देश्य ही पूरे नहीं होते हैं तथा भेषज उद्योग में छोटे उद्यमियों को नुकसान होता है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) अधिक/स्थापित क्षमता के विनियमन के बारे में सरकार की नीति को 1978 की औषध नीति उद्योग मन्त्रालय के अगस्त, 1980 के प्रेस नोट जिसे इस मन्त्रालय के 17.10.81 के प्रेस नोट के जरिये से संशोधित किया गया है, में

दिया गया है। बाद में अप्रैल, 1982 में सरकार ने भी क्षमताओं के पुनः पृष्ठाकन के बारे में एक अधिक उदार नीति की घोषणा की है।

(ख) एम०आर०टी०पी० कम्पनियों (फैरा -व- एम०आर०टी०पी० सहित) के आवेदन पत्रों को लघु क्षेत्र के हित को ध्यान में रखते हुए कम्पनी कार्य विभाग के परामर्श से अन्तिम रूप दिया जाता है।

दूरदर्शन पर "श्री पीलू मोदी को श्रद्धांजलि" शीर्षक कार्यक्रम का प्रसारण

3856. **प्रो० मधु दण्डवते** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सभा के जनता पार्टी के नेता श्री पीलू मोदी की स्मृति में श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए 29 जनवरी, 1983 को दूरदर्शन पर "पीलू मोदी को श्रद्धांजलि" शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन लोगों की ओर से उनकी श्रद्धांजलि रिकार्ड की गई थी और वे किन-किन राजनीतिक दलों के हैं;

(ग) क्या यह सच है कि राज्य सभा में जनता पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि देने के इस कार्यक्रम में जनता पार्टी के किसी प्रतिनिधि को शामिल नहीं किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन पर टेलीकास्ट करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की श्रद्धाँजलियां रिकार्ड की गई थी :

1. श्री एम० हिदायतउल्ला, भारत के उप-राष्ट्रपति और सभापति राज्य सभा।
2. श्री प्रणव मुखर्जी, वित्त मंत्री
3. श्री अटल बिहारी वाजपेयी, संसद सदस्य (भारतीय जनता पार्टी)
4. श्री जगजीवन राम, संसद सदस्य (कांग्रेस-जे)
5. श्री लालकृष्ण आडवानी, संसद सदस्य (भारतीय जनता पार्टी)
6. श्री सी०एस० पंडित, पत्रकार।

(ग) और (घ) दूरदर्शन ने जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री चन्द्रशेखर की श्रद्धांजलि रिकार्ड

करने के लिए जनता पार्टी के दिल्ली स्थित कार्यालय से सम्पर्क किया था। न तो श्री चन्द्रशेखर से सम्पर्क किया जा सका सका और न ही जनता पार्टी के कार्यालय ने श्रद्धांजलियों के कार्यक्रम में उनके द्वारा भाग लिए जाने की पुष्टि की। विभिन्न नेताओं की श्रद्धांजलियों को रिकार्ड करने के लिए उपलब्ध समय बहुत ही कम था, क्योंकि कार्यक्रम को उसी शाम रिकार्ड करके टेलीकास्ट किया जाना था।

सूरत के समीप गैस पर आधारित बिजली घर स्थापित करने हेतु अभ्यावेदन

3857. **श्री डी०पी० जदेजा :**

श्री नवीन रावणी : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात राज्य ने सूरत के समीप गैस पर आधारित बिजलीघर स्थापित करने के लिए प्राकृतिक गैस का उपयोग करने हेतु भारत सरकार को अभ्यावेदन दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में एक प्रस्ताव केन्द्र को भेजा है,

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या यह भी सच है कि भारत सरकार उसके समीप महाराष्ट्र में बिजली उत्पादन हेतु प्राकृतिक गैस देने के लिए सहमत हो गई है; और

(ङ) क्या सरकार इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि इस सम्बन्ध में महाराष्ट्र का अनुरोध स्वीकार कर लिया गया है, गुजरात में गैस पर आधारित बिजली संयंत्र स्थापित करने के लिए गुजरात के प्रस्ताव पर विचार करेगी ?

उर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क से (ङ) सरकार की वर्तमान नीति के अनुसार जहां तक व्यवहार्य हो गैस का उपयोग उर्वरक, पैट्रो-कैमिकल्स आदि के उत्पादन के लिए फीड-स्टाक के रूप में किया जाता है। जहां तक इन प्रयोजनों के लिए गैस का उपयोग न करने के लिए उर्वरक और पैट्रो-कैमिकल्स संयंत्रों के तैयार होने तक गैस को पूर्णतः अस्थाई तौर पर फाल-बैक व्यवस्था के रूप में विद्युत उत्पादन जैसे अन्य प्रयोजनों के लिए गैस का व्यपर्तन किया जा सकता है।

बम्बई हाई से गैस का उपयोग करते हुए महाराष्ट्र में उरण में 4×60 मेगावाट की क्षमता का एक गैस टरबाईन विद्युत केन्द्र बेरन लोड पर प्रचालन में है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ने 4×60 मेगावाट का एक अतिरिक्त गैस टरबाईन परियोजना को तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति दे दी है तथा इसका निवेश के सम्बन्ध में मूल्यांकन किया जाना है। गैस टरबाईनें एल०एस०एच० एस० तथा बम्बई हाई से सम्बद्ध गैस दोनों को जलाने के लिए सक्षम है। उरण गैस टरबाईनों की गैस केवल फाल-बैक व्यवस्था के रूप में ही उपलब्ध कराई गई है जब तक कि इसका व्यपवर्तन उर्वरकों तथा पैट्रो-कैमिकल कम्पलेक्स जैसे अन्य उपयोग कर्त्ताओं द्वारा नहीं किया जाता है। इसके

पश्चात्, व्यस्ततम कालीन प्रयोजनों के लिए गैस टरबाईनों को एल॰एस॰एच॰एस॰ पर प्रचलित किया जा सकता है।

बम्बई हाई से उपतटीय गैस का उपयोग करने के लिए गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने सूरत जिले में कावास के निकट 3×130 मेगावाट के कम्बाईंड साईकल पैकेज संयंत्र की प्रतिष्ठापना के लिए एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की है। केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए स्कीम का मूल्यांकन करने से पूर्व गैस की उपलब्धता जैसे आवश्यक निवेशों, पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति आदि सुनिश्चित की जानी है।

दिल्ली में कस्टोडियन की भूमि और मकानों पर अनधिकृत कब्जा

3858. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) उन व्यक्तियों की संख्या क्या है जिन्होंने दिल्ली में कस्टोडियम की भूमि और मकानों पर अनधिकृत कब्जा किया हुआ है और उन्होंने इस भूमि तथा इन मकानों पर कब से कब्जा किया हुआ है तथा कुल कितने क्षेत्र पर कब्जा किया हुआ है; और

(ख) सरकार द्वारा उनसे कब्जा हटाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) और (ख) दिल्ली में 487 शहरी निष्क्रांत सम्पत्तियों और 172 ग्रामीण निष्क्रान्त मकानों का अभी निपटान किया जाना है। इनमें से कुछ सम्पत्तियां अनधिकृत कब्जे में है। वर्तमान नीति के अनुसार, पुनर्वास विभाग द्वारा निर्धारित कीमत पर ये सम्पत्तियाँ इनमें रह रहे प्राधिकृत अथवा अप्राधिकृत कब्जेधारियों को दी जा रही है।

इसके अतिरिक्त, 120 मानक एकड़ निष्क्रांत कृषि भूमि अनधिकृत कब्जे में है। यह भूमि उन विस्थापित व्यक्तियों के आवन्टन के लिए रखी गई हैं जिनके भूमि के दावे मुकदमेबाजी अथवा अन्य किसी कारण से निपटाए नहीं गए हैं। ज्योंही भूमि के दावेदारों को ऐसी भूमि का आवन्टन कर दिया जाएगा, कृषि भूमि के अनधिकृत कब्जेधारियों के विरुद्ध बेदखली संबन्धी कार्यवाही की जाएगी।

विभिन्न कम्पनियों द्वारा इराक को भेजे गए मजदूरों की संख्या और मृत श्रमिकों के संबन्ध में की गई क्षतिपूर्ति

3859. **श्री चिन्तामणि जेना** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजधानी में कार्य कर रही विभिन्न कम्पनियों के माध्यम से वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान इराक को कितने व्यक्ति (श्रमिक) भेजे गए; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्तियों की इराक में मृत्यु हो गई और प्रत्येक शोक-सन्तप्त परि-

वार को क्षतिपूर्ति की कितनी राशि का भुगतान किया गया है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री : (**श्री वीरेन्द्र पाटिल**) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है।

मैसर्ज अल्का फ्लेम्स, आनन्द निकेतन, नई दिल्ली के पास एल० पी० जी० कनेक्शन के लिए पंजीकरण

3860. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या ऊर्जा मंत्री एल. पी. जी. वितरकों की नियुक्ति के बारे में 22 फरवरी, 1983 के अतारांकित प्रश्न संख्या 234 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसर्ज अल्का फ्लेम्स, जिनके पास गैस कनेक्शनों के लिए बुकिंग अत्याधिक हो गई है, को देय आबंटन न करने से उन लोगों का क्या होगा जो इसके पास एल. पी. गैस कनेक्शन के लिए फरवरी 1979 से पंजीकृत हैं और जिनकी नौकरी स्थानान्तरणीय है, उनका स्थानान्तरण हो जाता है तथा यदि उन्हें अगले 5-6 महीनों में स्थानान्तरित कर दिया जाता है क्योंकि इस एजेंसी के पास पंजीकृत 3284 पंजीकरणों के लिए नए वितरक नियुक्त करने में तो काफी समय लगेगा ;

(ख) क्या सरकार का बिचार ऐसे व्यक्तियों को तीन वर्ष की प्रतीक्षा का लाभ देने और उनकी नई नियुक्ति के स्थान पर कनेक्शन मुजुर करने में प्राथमिकता देने का है, विशेषकर उस हालत में जबकि उन लोगों को पहले ही कनेक्शन दिए जा चुके हैं जो राजधानी में अन्य स्थानों पर पंजीकृत है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) क्षेत्र में इन्डियन आयल कारपोरेशन की नई वितरण एजेन्सियों जिनकी जून 1983 तक आरम्भ किए जाने की आशा है के चालू होने तक यह निर्णय लिया गया है कि मैसर्ज अल्का फ्लेम्स की कुछ प्रतीक्षा सूचियों को हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० के वितरक अर्थात मैसर्स आनन्द स्टोर, नेताजी नगर, नई दिल्ली को स्थानान्तरित की जाए।

(ख) और (ग) सरकारी कर्मचारी/ रक्षा कार्मिक अपने स्थानांतरण के समय अपने नए तैनात किए गए स्थान पर गैस कनेक्शन ले सकते हैं अगर उनके पिछले स्थान पर कराई गई बुकिंग का नम्बर आ जाता है।

बिहार में त्रुटिपूर्ण दूरसंचार सेवा

3861. **श्री योगेन्द्र झा** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहारमें दूरसंचार सेवा के त्रुटिपूर्ण होने के क्या विशिष्ट कारण हैं और उन त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ;

(ख) क्या उन कमियों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तथा "लीव रिजर्व" न होना, औजारों फालतू पुर्जों अथवा उपकरणों का घटिया किस्म का होना, बिजली की सप्लाई बंद होन आदि कारण भी जिम्मेदार हैं ;

(ग) यदि हां, तो इसके लिए क्या सुधारात्मक उपाय किए गए हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) बार-बार और बड़ी देर तक बिजली की सप्लाई फेल हो जाने तथा फाल्तू पुर्जों और स्टाफ की कमी के कारण कभी-कभी दूरसंचार सेवाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है ।

बार-बार बिजली की सप्लाई फेल हो जाने की समस्या से निपटने के लिए इंजिन आल्टरा नेटर लगाए जा रहे हैं । फालतू पुर्जों की व्यवस्था करने तथा पर्याप्त संख्या में स्टाफ की भर्ती करने तथा उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(ख) जी, हां ।

(ग) साज-सामान और फालतू पुर्जे प्राप्त करने तथा पर्याप्त संख्या में स्टाफ की भर्ती करने और उन्हें प्रशिक्षित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं ।

(घ) उपर्युक्त (ग) में दिए गए उत्तर को मद्देनजर रखते हुए प्रश्न ही नहीं उठता ।

तेल उत्पादन में तेल और प्राकृकिक गैस आयोग का सहयोग कर रहे देशों/कम्पनियों के नाम

3862. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कौन-कौन से देश और कम्पनियां कच्चे तेल के उत्पादन में तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को सहायता दे रहे हैं ; और

(ख) वे किस प्रकार की सहायता दे रहे हैं और कब से ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) खनिज तेल के उत्पादन में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग (औ. एल. जी. सी.) विभिन्न देशों जैसे जर्मनी, इटली, जापान, दक्षिणी कोरिया, रुमानिया, फ्रांस, यू. एस. एस. यू. के. आदि की कई कम्पनियों और संगठनों से परामर्शी ठेके देने उपकरणों की सर्विस सप्लाई आदि के क्षेत्रों में अपेक्षित आधार पर इसके लिए अदायगी करने के पश्चात सहायता प्रदान कर रहा है । सामान्यतः ऐसी सहायता उन क्षेत्रों में प्रयोग में

लाई जाती है जहां अपेक्षित प्रौद्योगिकी स्वदेशी तौर पर उपलब्ध नहीं है अथवा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के पास कार्य करने के लिए जनशक्ति उपलब्ध नहीं होती है। कुछ क्षेत्र जहां तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग ने ऐसे परामर्श लिये हैं निम्न प्रकार हैं :

1. फ्रांस की मैसर्स सी. एफ. पी. से बम्बई हाई और उपग्रह क्षेत्रों के हाईड्रोकार्बन भण्डारों के विकास और अन्वेषण के लिए ।

2. मैसर्स डी. आर. मेक कोर्ड एण्ड राईट से दक्षिणी बाले और पन्ना तेल एवं गैस क्षेत्रों के विकास के लिए ।

3. यू. के. की मैसर्स डेवी मेकी से बम्बई हाई में जल अन्तःक्षेपण सुविधाओं की स्थापना के लिए।

4. मैसर्स किंग विलकिनसन से इन्जीनियरी और बम्बई हाई में निर्माण गतिविधियों के लिये परियोजना प्रबन्ध के लिये।

5. मैसर्स नावस्को वैल सर्विस से तटीय कूए उद्दीपन सेवाओं के लिग ।

इसके अतिरिक्त दो देशों के बीच समय-समय पर किए गये विभिन्न संलग्नों के अनुसार यू. एस. एस. आर. से भी सहायता ली जा रही है। कुछ मुख्य क्षेत्र जहां तेल उत्पादन के क्षेत्र में यू. एस. एस. आर. से सहायता ली गई है निम्न प्रकार हैं :

(i) अंकलेश्वर तेल क्षेत्र के लिये अन्तिम विकास योजना तैयार करना ।

(ii) गुजरात में रुग्ण कूपों की मरम्मत के लिये ठेके ।

(iii) गुजरात में स्कर शड पम्पिग यूनिटों के रख रखाव और प्रतिस्थापना

बिजली उत्पादन मशीनरी के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण बिजली की कमी

3863. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अधिकांश राज्य बिजली उत्पादन मशीनरी के असंतोषजनक कार्य-निष्पादन के कारण विजली की नितान्त कमी का सामना कर रहे हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय सरकार से उन्हें बिजली उत्पादन सेटों के आयात करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस मामले में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्रशेखर सिंह) : (क) देश में विद्युत सप्लाई की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है, 1979-80 में 16.1%, 1981 में 12.6% और 1981-82

में 10.9% की कमी की तुलना में अप्रैल 1982 जनवरी, 1983 की अवधि के दौरान विद्युत कमी घटकर 8.6 प्रतिशत रह गई है। विद्युत की वर्तमान कमी के कई कारण हैं, जैसे मानसून का फेल होना पम्प भारों की बढ़ोत्तरी, कुछ ताप विद्युत उत्पादन केन्द्रों का असन्तोषजनक कार्य-निष्पादन आदि ।

(ख) जी, हां ।

(ग) विदेशी कम्पनियों ने विद्युत उपस्करों की सप्लाई करने के लिये कई प्रस्ताव दिये हैं । आवश्यकता को पूरा करने के लिये पर्याप्त देशी क्षमता उपलब्ध है। तथापि, इन प्रस्तावों पर अभी तक अन्तिम रूप से निश्चय नहीं किया गया है ।

अनुसंधान प्रयोजन के लिए "बेसिन" की नई अवधारणा

3864. **श्री अनन्त रामुल मल्ल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग ने हाल ही में तेल की खोज के मामले में भू-वैज्ञानिक आधारों पर "बेसिन" की नई अवधारणा अपनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस नई अवधारणा का ब्यौरा क्या है और उसके क्या मानदंड (नई विशेषतायें) हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी हां, ।

(ख) विगत में हुई भूगर्भीय घटनाओं के साथ वर्तमान समुद्र तट-रेखा का कोई सम्बन्ध नहीं है । भूगर्भीय बेसिन एक वह स्थल है जिसमें तलछटे जमा होते हैं जो कि उनमें से अनेकों में जमा होते आ रहे थे । एक विशेष बेसिन जो तटीय से अपतटीय क्षेत्र तक फैला हुआ हो सकता है, में जमा हुये तलछटों की किस्म में, भूगर्भीय दृष्टि से उनके अस्तित्व का समय, पर्यावरण आदि में, अधिकांश रूप में समानता है । नई विचारधारा में तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग के एक बेसिन को अन्वेषण तथा दोहन के लिये एक संयुक्त यूनिट के रूप में मानने की योजना है । यह अन्वेषण की नीति में एक अधिक समान सुनिश्चित करेगी ।

बिहार में कम्पनी रजिस्टार द्वारा कार्यालय के लिए अधिक किराये का भुगतान

3865. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार कम्पनी रजिस्टार बिहार के कार्यालय के लिये पहले के किराये से तीन गुना किराये का भगतान कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण और औचित्य क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) हां, श्रीमान जी।

(ग) जनरल पूल से स्थान उपलब्ध न होने के कारण, कम्पनी रजिस्ट्रार तथा शासकीय समयक, बिहार, पटना के कार्यालयों के लिये, 14 अक्तूबर, 1974 से 4,908 वर्ग फीट क्षेत्र सहित एक प्राइवेट भवन 2,700 रुपये प्रतिमास की दर के किराये पर लिया गया था। यह पहले का परिसर भूस्वामी द्वारा अबिलम्ब वैयक्तिक अपेक्षाके आधार पर, दिये गये अधिनिष्कासन नोटिस के अनुसरण में छोड़ देना पड़ा था ; एवं 9 अक्तूबर, 1982 से एक अन्य प्राईवेट भवन किराये पर लेना पड़ा था। नवीन पारिसर में 4,400 वर्ग फीट स्थान है, जिसके लिये 8,800 रुपये मासिक किराया दिया जा रहा है। किराया स्थानीय केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा न्याय संगत होना, प्रमाणित किया गया है।

दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत बस्तर जिले में आदिवासी और हरिजनों सहित पुनर्वासित व्यक्तियों की संख्या

3866. **श्री लक्ष्मण कर्मा** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्डय परियोजना के अन्तर्गत बस्तर और कोरापुट जिलों में अब तक कितने व्यक्तियों का पुनर्वास किया गया है और उनमें से कितने हरिजन परिवार हैं ;

(ख) परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने मील की पक्की सड़कें बनाई गई हैं और कितने सिंचाई बांधों का निर्माण हुआ है तथा उनसे कुल कितने क्षेत्र की भूमि में सिंचाई हो रही है ; और

(ग) क्या यह सच है कि दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत जितना कार्य उड़ीसा में किया गया है उतना कार्य मध्य प्रदेश के बस्तर जिले में नहीं किया गया है और यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री धर्म वीर) : (क) दण्डकारण्य परियोजना में अब तक बसाए गए भूतपूर्व पूर्वी पकिस्तान से आए प्रवासी परिवारो की संख्या और वर्तमान में रह रहे ऐसे परिवारों की संख्या, तथा साथ ही 25 प्रतिशत उद्धार किए गए क्षेत्र में भूमिहीन अदिवासी परिवारों की संख्या, जिन्हें दण्डकारण्य परियोजा के अन्तर्गत बस्तर और कोरापुट जिलों में बसाया गया है, नीचे दी गई हैं :—

	जिला बस्तर	जिला कोरा पुट	योग
(1) प्रवासी परिवारों की संख्या			
(1) पुनर्वास हेतु भेजे गए परिवार	12,248	24,161	36,409
(2) इस समय रह रहे			

	परिवार	8,640	16,285	24,925
(2)	बसाए गए भूमिहीन परिवारों की संख्या	1.603	3,167	4,770

हरिजनों के सम्बन्ध में हमारे पास अलग आँकड़े नहीं हैं।

(ख) दण्डकारण्य परियोजना द्वारा 578.10 कि० मी० मुख्य सड़कें और 905.80 किलो मीटर सम्पर्क सड़के निर्मित की गई हैं। 2 मध्यम सिंचाई योजनाएं और 50 लघु सिंचाई योजनाएं पहले ही पूरी कर ली गई हैं। 2 मुख्य सिंचाई योजनाएं और 9 लघु सिंचाई योजनाएं निष्पादनाधीन है। पूर्ण की गई सिंचाई योजनाओं से पहले ही 43,100 एकड़ भूमि में सिंचाई सुविधाएं प्रदान की जा चुकी हैं।

(ग) दण्डकारण्य परियोजना के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के बस्तर जिले और उड़ीसा के कोरापुट जिले के क्षेत्र में किए गए विभिन्न विकासशील कार्यों में प्रति विस्थापित व्यक्ति परिवार पर किए गए व्यय का अन्तर नगण्य है।

सिंहभूम (बिहार) जिले में चूना पत्थर, एसबस्टोस और लौह अयस्क खानों के श्रमिकों को मंजूरी की अदायगी न करना

3867. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें यह जानकारी है कि बिहार के सिंहभूम जिले में विभिन्न चूना पत्थर, एसबस्टोस और लौह अयस्क खानों में गैर सरकारी मालिकों और ठेकेदारों द्वारा खान श्रमिकों की न्यूनतम मंजूरी की अदायगी भी नहीं की जाती, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि कोई सही रिकार्ड, अदायगी रजिस्टर नहीं रखा जाता और श्रमिकों का बहुत थोड़ा प्रतिशत भविष्य निधि का सदस्य हैं; यदि हां, तो तथ्यपरक ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है कि श्रमिकों को चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है;

(घ) क्या यह सच है कि अधिकतर श्रमिक आदिवासी हैं जो कि अपनी जमीन में ही रोजगार करते है जिससे इस क्षेत्र में भारी रोष व्याप्त है;

(ङ) क्या सरकार ने वहां के काम करने की स्थिति का पूर्ण सर्वेक्षण किया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (च) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

बाड़मेर डाक प्रभाग में खाली पड़े डाक निरीक्षकों (ओवरसियर) के पद

3868. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान मंडल के बाड़मेर डाक प्रभाग में पिछले चार वर्षों से डाक निरीक्षकों (ओवरसियरों) के पांच पद खाली पड़े हुए हैं ;

(ख) क्या यह भी सच है कि उक्त प्रभाग में पाँच वर्ष की सेवा वाले डाकिये उपलब्ध नहीं हैं और अन्य प्रभागों के डाक निरीक्षक इस प्रभाग में अपनी तैनाती के इच्छुक नही हैं?

(ग) क्या राजस्थान मंडल के महा डाक पाल ने लगभग एक वर्ष पूर्व उक्त मंडल में पाँच वर्ष से कम सेवा वाले डाकियों की डाक निरीक्षक के रूप में पदोन्नति के लिए संबद्ध अधिकारियों को सिफारिश की थी ; और

(घ) उक्त सिफारिश पर निर्णय लेकर अथवा अन्य प्रभागों के डाक निरीक्षकों को तैनात करके उक्त पदों को कब तक भर दिया जायेगा और इस संबंध में विशिष्ट तारीख क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) राजस्थान सर्किल के बाड़मेर डिवीजन में कुछ समय से डाक ओवरसियर के चार पद खाली हैं ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी हां ।

(घ) तदर्थ पदोन्नति के लिए डाक सेवा सीमा को 5 वर्ष से 3 वर्ष करने का निर्णय ले लिया गया है और इस संबंध में सर्किलों को अनुदेश जारी कर दिए गए हैं। ऐसी उम्मीद है कि ये पद शीघ्र ही भर दिए जाएंगे ।

विशाल ताप विद्युत परियोजनाएं

3869. **श्री शान्तु भाई पटेल** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में स्थापित की जा रही विशाल विद्युत परियोजनाओं के नाम हैं क्या और उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां पर ये स्थापित की जा रही हैं और उनमें प्रत्येक की क्षमता कितनी है और उनके कब तक पूरे हो जाने की संभावना है;

(ख) उनमें से प्रत्येक परियोजना की लागत कितनी है और उनकी स्थापना में सहायता देने वाले देशों के नाम क्या हैं, और

(ग) क्या वे देश किसी प्रकार की वित्तीय सहायता भी दे रहे हैं और कितनी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) सन्दर्भ संभवत: केन्द्रीय क्षेत्र में प्रतिष्ठापित की जा रहीं छः सुपर ताप विधुत परियोजनाओं के सम्बन्ध में है। केन्द्रीय क्षेत्र प्रतिष्ठापित किए जा रहे सुपर ताप विद्युत केन्द्रों के सम्बन्ध में मांगे गए ब्यौरे संलग्न में उपबन्ध दिए गए हैं।

विवरण

सुपर ताप विद्युत परियोजना

परियोजना का नाम	क्षमता (मेगावाट)	परियोजना का स्थल	अनुमोदित लागत (संबद्ध पारेषण लाईनों समेत) रु० /करोड़	विश्वबैंक सहायता (अमरीकी मिलियन डालर)	अन्य सहायता	पूरा होने की संभावित तारीख
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
सिंगरौली	2000	जिला मिर्जापुर [उत्तर प्रदेश]	1001.17	450 (आई डी ए)	21.8 मिलियन अमरीकी डालर (ओपेक × 240 मिलियन डी एम (प० जर्मनी)	1987-88
कोरबा	2100	जिला बिलासपुर (मध्य प्रदेश)	1138.44	600 (आई डी ए)	20 मिलियन अमरीकी डालर (ओपेक)	1989-90
रामागुण्डम	2100	जिला करीमनगर (आंध्र प्रदेश)	1125.26	550(200 आई डी ए × 350 आई बी आर डी	50 मिलियन अमरीकी डालर (ओपेक)	1988-90

1	2	3	4			5
फरक्का चरण-एक	600	जिला मुर्शीदाबाद (प० बंगाल)	320.80	250(225 आई डी ए × 25 आई बी आर डी	—	1985-86
विन्ध्याचल × चरण-एक	260	जिला सीधी (मध्य प्रदेश)	1110.42	—	305 मिलियन रुबल (यू एस एस आर)	1989-90
रिहन्द चरण-एक	1000	जिला मिर्जापुर (उत्तर प्रदेश)	1033.00*	—	454 मिलियन पौंड(यू. के.) (लगभग)	1988-89

*सम्बन्द्ध पारेषण तार जाल को छोड़कर

बड़ोदा में टेलीफोन क्षमता का विस्तार

3870 **श्री आर० पी० गायकवाड़** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1982-83 और 1983-84 के दौरान अंतरिम बिस्तार योजना को दृष्टि में रखते हुए गुजरात के फतेहगंज में 1200 लाइनों की प्रारंभिक क्षमता का नया टेलीफोन एक्सचेंज खोलने तथा बड़ौदा के कासबार एक्सचेंज में अतिरिक्त 2000 लाइनें प्रतिष्ठापित करने का कोई प्रस्ताव विभाग के विचाराधीन है ;

(ख) क्या इस समय बड़ोदा के अल्कापुरी क्षेत्र में नये टेलीफोन एक्सचेंज के भवन का निर्माण हो रहा है तथा उस में मशीनें लगाई जा रहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो बड़ौदा में टेलीफोन क्षमताओं की विस्तार संबंधी नवीनतम स्थिति का ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां ।

(ख) इमारत का निर्माण कार्य चल रहा है तथा उपस्कर की स्थापना का कार्य 1983 के दौरान आरंभ होने की संभावना है ।

(ग) बड़ौदा टेलीफोन प्रणाली के विस्तार की निम्नलिखित योजना बनाई गई है जिसके लिए स्थापना कार्य अभी आरंभ किया जाना है :

1. बड़ौदा शहर	2000 लाइनें, विस्तार
2. फतेहगंज	1२00 लइनें, नई
3. अल्कापुरी	7000 लाइनें,
4. गोरवा	400 लाइनें, विस्तार
5. माकरपुरी	200 लाइनें, विस्तार
6. कोयाली	100 लाइनें, विस्तार

सिन्दरी उर्वरक संयंत्र के उपयोग के लिए बढ़िया कोयले की सप्लाई

3871. **श्री ए० के० राय : क्या रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय उर्वरक निगम को सिन्दरी यूनिट में केवल 50 प्रतिशत कोक भट्टियों के नवीकरण किए जाने का एक कारण यह है कि वहां अच्छी किस्म का कोकिंग कोयला पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होता है ;

(ख) क्या भारतीय उर्वरक निगम के प्रबन्ध ने अच्छी किस्म का कोकिंग कोयला प्राप्त करने के मसले को कभी भारत कोकिंग कोल लि० के प्रबन्ध के साथ उठाया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) जी, हां। अन्य कठिनाइयों के साथ पर्याप्त मात्रा में अच्छे किस्म के कोकिंग कोयले का उपलब्धन न होना, केवल 50 प्रतिशत कोक ओवन बेटरी के नवीकरण करने के कारणों में से एक है।

(ख) और (ग) जी, हां। बी० सी०सी० एल० ने फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इण्डिया के प्रबन्धकों को आश्वासन दिया है कि नवीकरण के बाद 50 प्रतिशत भट्टियों को चलाने के लिए अच्छे किस्म के कोकिंग कोयले की अपेक्षित मात्रा की आपूर्ति की जाएगी।

आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिनिधियों की उत्तर प्रदेश के जिलों में नियुक्ति

3872. **श्री जैनुल बशर : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के उन जिलों के नाम क्या हैं जहां आकाशवाणी और दूरदर्शन के प्रतिनिधि नियुक्त किए गए हैं ;

(ख) उन जिलों के विकास और सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में खबर कैसे प्रसारित की जाती हैं जहां प्रतिनिधि नियुक्त नहीं किए गए हैं ; और

(ग) राज्य के सभी जिलों में प्रतिनिधियों को कब तक नियुक्त करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) आकाशवाणी के बारे में सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। दूरदर्शन का राज्य के किसी भी जिले में कोई अलग संवाददाता नहीं है।

(ख) जिन जिलों में आकाशवाणी का कोई संवाददाता तैनात नहीं है उनसे समाचार अन्य स्रोतों यथा समाचार एजेंसियों, राज्य के सूचना विभाग हैंड आऊटों, आदि के माध्यम से प्राप्त होते हैं।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मद (ख) के कारण यह आवश्यक नहीं है कि आकाशवाणी के सवाददाता अनन्य रूप से सभी जिलों में होने चाहिए।

विवरण

जिले का नाम	प्रतिनिधि/संवाददाता का स्वरूप अर्थात् क्या वह निमित है या अंशकालिक
1. लखनऊ	नियमित
2. गोरखपुर	नियमित
3. कानपुर	नियमित
4. वाराणसी	नियमित
5. इलाहबाद	नियमित
6. पौडी (अग्रवाल)	नियमित
7. आगरा	नियमित
8. नैनीताल	अंशकालिक
9. फतेहगढ़ (जिला फरूखाबाद)	अंशकालिक
10. झांसी (उत्तरप्रदेश)	अंशकालिक
11. देहरादून	अंशकालिक
12. बरेली	अंशकालिक
13. नजीमाबाद	अंशकालिक
14. फैजाबाद	अंशकालिक

15. मेरठ	अशंकालिक
16. प्रतापगढ़	अशंकालिक
17. सहारनपुर	अशंकालिक
18. टेहरी गढ़वाल	अशंकालिक
19. मथुरा	अशंकालिक
20. हरदोई	अशंकालिक
21. बांदा	अशंकालिक
22. अल्मोड़ा	अशंकालिक
23. रायबरेली	अशंकालिक
24. सुल्तानपुर	अशंकालिक
25. आजमगढ़	अशंकालिक

भारत में तापीय और परमाणु ऊर्जा के मुकाबले बल विद्युत की प्रतिशतता

3873. **श्री बी० आर० नहाटा** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न राज्यों में 31 दिसम्बर, 1982 से तापीय, सुपर तापीय और परमाणु उर्जा के मुकाबले जल विद्युत की प्रतिशतता क्या है और प्रत्येक में कुल कितना उत्पादन होता है तथा उनकी (अधिष्ठापित) क्षमता क्या है,

(ख) प्रत्येक राज्य में केन्द्रीय बिजली प्राधिकरण द्वारा कितनी और किन-किन-पन-बिजली परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है ; उनमें से कितनी परियोजनाएं चालू की गई हैं और कितनी निर्माण की प्रक्रिया में है, कितनी परियोजनाओं में निर्माण कार्य आरम्भ नहीं किया गया है, कितनों ने प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पूरे नहीं किए हैं और किनके लिए कोई प्रावधान नहीं बनाए गए हैं तथा कब से ; और

(ग) वे राज्य कौन से हैं जहां अन्य राज्य के अनुपात में पन बिजली की सबसे कम प्रतिशतता है ; उन राज्यों में पन बिजली उत्पादन के अनुपात में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाए गए है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ग) 31 दिसम्बर, 1982 की स्थिति के अनुसार देश में जल-विद्युत परियोजनाओं की (राज्यवार) प्रतिष्ठापित विद्युत उत्पादन क्षमता तथा कुल क्षमता में जल-विद्युत क्षमता की प्रतिशतता विवरण में दी गई है। जल विद्युत क्षमता का बिकास जल साधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

विवरण

31.12.1982 की स्थिति के अनुसार विभिन्न राज्यों में प्रति० क्षमता

राज्यों का नाम	जल विद्युत	प्रतिष्ठापित क्षमता (मेगा०), ताप विद्युत न्यूक्लीय विद्युत तथा अन्य	कुल क्षमता में जल विद्युत की प्रतिशतता
1	2	3	4
उत्तरी क्षेत्र			
हरियाणा	569.11	481.42	58.16
हिमाचल प्रदेश	126.02	2.51	98
जम्मू कश्मीर	176.92	6.76	96.30
पंजाब	1156.26	454.08	71.80
राजस्थान	684.73	161.49	80.90
उत्तर प्रदेश	1219.94	2591.72	38.10
चण्डीगढ़	—	2	—
दिल्ली	—	275.80	—
केन्द्रीय क्षेत्र	180	1370	11.60
जोड़ :	4212.98	5345.78	44
पश्चिमी क्षेत्र			
गुजरात	300	2106.66	12.50
मध्य प्रदेश	193	1437.50	11.80
महाराष्ट्र	1317.30	3335	28.30
केन्द्रीय क्षेत्र	—	516	—
जोड़ :	1810.30	7395.16	19.70

1	2	3	4
दक्षिणी क्षेत्र			
आन्ध्र प्रदेश	1297.93	1262.50	50.70
कर्नाटक	1739.38	—	100
केरल	1011.50	—	100
तमिलनाडु	1369	1170	53.90
केन्द्रीय क्षेत्र व संघ रा० क्षेत्र	—	601.58	—
जोड़ :	5418.23	3034.08	64.10
पूर्वी क्षेत्र			
बिहार	150	791.45	15.90
उड़ीसा	664.42	368.50	64
पश्चिम बंगाल	38.51	1957.47	2
दा० वा० नि०	104	1527.50	6.40
सिक्किम	2.95	0.37	88.80
केंद्रीय क्षेत्र तथा संघ रा. क्षेत्र	12	6.93	63.40
जोड़ :	971.88	4652.22	17.20
उत्तर पूर्वी क्षेत्र			
असम	1	332.78	—
मणिपुर	0.60	14.40	4
मेघालय	126.71	4.45	96.6
नागालैंड	1.50	3.62	36.40
त्रिपुरा	10	5.98	6.50
अरुणाचल प्रदेश	8.62	2:10	80.40
मिजोरम	—	4.39	—
जोड़ उ० पू० क्षे०	147.43	367.72	25.60
अखिल भारत	12560.82	20794.96	37.6

सिंगरौली और ओबरा को कोयले की आवश्यकता

3874. **श्री बी० आर० महाटा :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंगरौली और ओबरा के लिए कोयला मध्य प्रदेश की कोयला खानों से प्राप्त किया जाता है ;

(ख) यदि हां, इनतो ऊर्जा परियोजनाओं को प्रति वर्ष कितनी आवश्यकता होती है और उन्हें कितना कोयला सप्लाई किया जा रहा है तथा यह सप्लाई प्रति वर्ष किस राज्य की किन कोयला खानों से की जाती है ; और

(ग) क्या इन नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशनों पारियोजनाओं से ऊर्जा का कुछ भाग मध्य प्रदेश को आबंटिक किया जा रहा है ; यदि हां तो, किस सीमा तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र के लिए ओबरा ताप विद्युत केन्द्र के लिए कोयला सिंगरौली कोयला क्षेत्रों से प्राप्त किया जाता है जिनका कुछ भाग मध्य प्रदेश में है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ओबरा विद्युत केन्द्र को कोयले की कुछ मात्रा बिहार में उत्तरी कर्णपुरा कोयला क्षेत्रों से भी सप्लाई की जा रही है।

(ख) सिंगरौली सुपर ताप विद्युत केन्द्र की 210-210 मेगावाट की दो यूनिटें क्रमशः 14.2.82 तथा 25.11.82 को चालू की गई थीं। अप्रैल, 82 से फरवरी, 83 तक की अवधि के लिए इस विद्युत केन्द्र की खपत आवश्यकता 5.61 लाख मीट्रिक टन थी। 1982-83 के दौरान इस विद्युत केन्द्र की खपत 6.30 लाख मीट्रिकटन होने की संभावना है। अप्रैल, 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि के दौरान ओबरा ताप विद्युत केन्द्र में 38.7 लाख मीट्रिक टन कोयले की खपत हुई। 1982-83 के दोरान इस विद्युत केन्द्र की खपत 42.33 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है। विभिन्न खानों से प्राप्त हुए कोयले के संबंध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

(ग) मध्य प्रदेश में स्थित कोरबा सुपर ताप विद्युत केन्द्र की कुल 2100 मेगावाट की क्षमता में से मध्य प्रदेश को 610 मेगावाट का आबंटन किया गया है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल सुपर ताप विद्युत केन्द्र के चरण-एक (1260 मेगावाट) की विद्युत का अभी आबंटन तय नहीं किया गया है।

महानगरों में अन्य टेलीफोनों को एस० टी० डी० सुविधा देने क लिए लाइनें बदलने की प्रथा

3875. **श्री के. प्रधानी :**
श्री अमल दत्त : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि महानगरों में अन्य टेलीफोन को एस॰ टी॰ डी॰ सुविधा देने के लिए लाइनों को बदलना एक आम प्रथा बन गई है ;

(ख) क्या किसी भी महानगर में इस संबंध में विभाग को कोई आरोप/ शिकायत प्राप्त हुई है और क्या कोई जांच कराई गई है ;

(ग) यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि एस॰ टी॰ डी॰ प्रणाली के इस दुरुपयोग को संदेश मिलने के लिए स्वचालित प्रणाली की स्थापना से रोका जा सकता है ; और

(ङ) यदि हां, तो इसे स्थापित न करने के कारण क्या हैं ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) दिल्ली, बम्बई और कलकत्ता में इस सम्बन्ध में बहुत कम शिकायतें प्राप्त हुई हैं, महानगरों में सतर्कता दस्ते इस प्रकार की शिकायतों की जांच करते हैं तथा शिकायतें दूर करते हैं।

(घ) स्वचलित संदेश लेखा प्रणाली के माध्यम से उपभोक्ता द्वारा किए टेलीफोन कालों के ब्यौरों का रिकार्ड रखा जाता है। इससे अधिक राशि के टेलीफोन बिलों की शिकायतों के निपटान में सहायता मिलेगी।

(ङ) स्वचालित संदेश लेखा प्रणाली की प्रोटोटाइप यूनिट का बंगलूर टेलीफोन जिले में परीक्षण किया गया था। देश के दस और स्थानों पर विस्तृत परीक्षण करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

उपक्रमों में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या।

3876. **श्री राम विलास पासवान** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के नियंत्रणाधीन प्रत्येक उपक्रमों में कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या कितनी है;

(ख) उनमें से श्रेणीवार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या आरम्भिक नियुक्ति और पदोन्नति दोनों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण देने के आदेश प्रत्येक उपक्रम को जारी कर दिए गए हैं; और

(घ) क्या अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित...कोटा पूरा कर

दिया गया है, यदि नहीं, तो कोटे को शीघ्र भरने के लिए क्या कदम उठाए गए है और कोटे को किस समय तक पूरा कर दिए जाने की सम्भावना है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

वैशाली जिला, बिहार में माहनार में पेट्रोल पम्प

3877. **श्री राम विलास पासवान** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार राज्य के वैशाली जिले में माहनार नगर में इसकी सीमा में कहीं भी कोई पेट्रोल पम्प नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो वहां पर पेट्रोल पम्प स्थापित करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

उर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां ।

(ख) माहनार में ग्राहक संख्या के आधार पर तेल कम्पनियों का वर्ष 1683-84 की अपनी योजना में एक पेट्रोल पम्प स्थापित करने का प्रस्ताव है ।

उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी

3878. **श्री जैनल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय को उत्तर प्रदेश में बिजली की अत्यधिक कमी की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसका कारण बिजली बोर्ड की अक्षमता है अथवा केन्द्रीय ग्रिड से अधिक बिजली उपलब्ध कराने की केन्द्र की अनिच्छा है; और

(ग) उत्तर प्रदेश को इस गम्भीर संकट से उबारने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) यद्यपि विद्युत उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है तथापि उत्तर प्रदेश में विद्युत की कुछ कमी की स्थिति अभी भी बनी हुई है ।

(ख) और (ग) : उत्तर प्रदेश में विद्युत की कमी का कारण, राज्य में ताप विद्युत यूनिटों

का घटिया कार्य निष्पादन है। उत्तर प्रदेश में विद्युत की स्थिति में सुधार लाने के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

(1) केन्द्रीय स्टेशनों बदरपुर और सिंगरौली से अधिकतम सहायता की जा रही है।

(2) ताप विद्युत यूनिटों के कार्य निष्पादन में सुधार करने के लिए संयन्त्र सुधारात्मक कार्यक्रम आरम्भ किए गए हैं।

(3) नई परियोजनाओं के शीघ्र चालू करने के लिए कार्रवाई की जा रही है।

मुक्त कराए गए बन्धुआ मजदूरों को "कनजम्पशन" ऋणों का प्रावधान

3879. **श्री के० प्रधानी : क्या श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार मुक्त कराए गये बंधुआ मजदूरों को पुनः बंधुआ बनने से रोकने के लिए कुछ समय तक "कनजम्पशन" ऋण अथवा गुजारा भत्ता देने का प्रावधान करने पर विचार कर रही है ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए उद्देश्यपरक तरीकों का प्रयोग करने का है जहां पर बन्धुआ मजदूर सबसे अधिक हैं ताकि उस क्षेत्र के लिए कोई विशेष परियोजनायें आरम्भ की जा सकें ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की योजना के बारे में ब्यौरा क्या है ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस सम्बन्ध में सुझाव बन्धुआ श्रमिक संबंधी राष्ट्रीय गोष्ठी में दिए गए थे। यह गोष्ठी 7 से 9 फरवरी, 1983 तक नई दिल्ली में श्रम मंत्रालय और राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की गई थी। इन सुझावों को संबंधित प्राधिकरण के साथ परामर्श करके विचार करने के लिए नोट कर लिया गया है।

(ख) और (ग) बन्धित श्रम पद्धति (उत्पादन) अधिनियम, 1976 के अधीन बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने की जिम्मेवारी पूर्णतयः संबंधित राज्य सरकारों की है। चूंकि भिन्न-भिन्न राज्यों में और एक ही राज्य के भीतर भिन्न-भिन्न दशायें होती है, इसलिए बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिए कोई एक समान तरीका निर्धारित नहीं किया जा सकता। राज्य सरकारों के समय-समय पर अनुरोध किया गया है कि वे बन्धुआ श्रमिकों का पता लगाने के लिये अपने वर्तमान अभिकरणों के माध्यम से संवेदनशील क्षेत्रों और अलग-थलग पड़े क्षेत्रों में गहन सर्वेक्षण करें और बन्धुआ श्रमिकों को, जहां कहीं वे विद्यमान हैं, शीघ्र मुक्त कराने और पुनर्वासित करने के लिए तत्काल और प्रभावी कदम उठाए जायें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि वे ईंट भट्टों और पत्थर क्वारियों में प्रायोगिक अध्ययन और सर्वेक्षण प्रारम्भ करें, ताकि इन उद्योगों के रोजगारों में बन्धुआ श्रमिकों की संख्या का पता लग सके और यह कि वे बन्धुआ श्रमिकों की विद्यमानता और उनकी समस्याओं को प्रकाश में लाने वाली समाचार-पत्र रिपोर्टों पर ध्यान दें तथा उपयुक्त उपचारी कार्यवाही करें।

भुवनेश्वर के लिए दूरदर्शन केन्द्र

3880. **श्री के० प्रधानी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भुवनेश्वर में पूरी सुविधा वाला दूरदर्शन केन्द्र स्थापित करने के स्थान का चयन कर लिया गया है और उन्होंने उसका निरीक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में उपमंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) (क) और (ख) भुवनेश्वर में 5.75 एकड़ के स्थान का चयन दूरदर्शन द्वारा कर लिया गया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री ने इस स्थान का निरीक्षण नहीं किया है। भूमि को राज्य सरकार द्वारा शीघ्र ही उपलब्ध कर दिए जाने की उम्मीद है।

गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के लिए निर्माणाधीन परियोजनायें

3881. **श्री आर. पी. गायकवाड़** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोतों के उपयोग के लिए निर्माणाधीन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

(ख) क्या पवन और गैर-ऊर्जा बड़े पैमाने पर उपयोग के कार्यक्रमों के लिए किसी प्रकार की बाधा का पता लगाया गया है ; और

(ग) उपर्युक्त क्षेत्रों में ऐसे एककों के प्रतिबन्धों और गहनता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) गैर-पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने के लिए देश में काफी संख्या में अनुसंधान एवं विकास तथा प्रदर्शन परियोजनायें चलाई जा रही हैं। इनमें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जीव ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, महासागर ऊर्जा ऊर्जा के रसायनिक स्रोत मैग्नेटों हाईड्रो डायनामिक्स (एम० एच० डी०) आदि विभिन्न प्रकार की प्रणालियां शामिल हैं। परीक्षण/प्रदर्शन कार्यक्रमों के अधीन सौर जल तापन प्रणालियां, सौर टिम्बर भट्टियां, सौर कुकर, सौर आसवन एकक, सौर फसल शुष्कन प्रणालियां, प्रकाश वोल्टेक पंप, प्रकाश वोल्टेक अन्य प्रयोग (प्रकाश संचार आदि) सामुदायिक/संस्थागत जैव गैस संयंत्र, जलपल गैस संयंत्र, पवन चालित पंप, पवन जनरेटर आदि को देश के विभिन्न भागों में अधिष्ठाथित किया जा रहा है। पारिवारिक आकार के जैव-गैस एककों और सौर कुकरों को राजसहायता योजनाओं के अधीन लाया जा रहा है।

(ख) पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा कार्यक्रमों के व्यापक उपयोग में जो मुख्य बाधायें हैं वे इस प्रकार हैं : प्रारम्भिक पूंजीगत व्यय प्रौद्योगिकियों का नयापन और सामाजिक सांस्कृतिक कारण।

(ग) सरकार द्वारा उठाये जा रहे मुख्य कदम इस प्रकार हैं :

अनुसंधान एवं विकास को तेज करना, परिपक्व प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन एवं क्षेत्रीय अधिष्ठापन, इन के उत्पादन और इस्तेमाल को तेज करने के लिए वित्तीय और संवर्धन उपाय करना, पर्याप्त तंत्र स्थापित करने के लिए राज्य सरकारों और अन्य अभिकरणों से परामर्श करना, और सार्वजनिक कार्यक्रम बनाना।

पवन और सौर ऊर्जा का उपयोग

3882. **श्री कृष्ण कुमार गोयल :**
श्री वृद्धि चन्द्र जैन :
श्री तारिक अनवर : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सहायता से पवन और सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उपयोग और देश के उपयुक्त क्षेत्रों में एकक स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) इस सम्बन्ध में ब्यौरा क्या है ; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान पारिवारिक बायो-गैस संयंत्रों के उपयोग को कहां तक बढ़ाया गया ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सरकार द्वारा जो मुख्य कदम उठाये गये हैं इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

अनुसंधान एवं विकास को तेज करना, परिव्यय प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन और क्षेत्रीय अधिष्ठापन, औद्योगिक उत्पादन और इस्तेमाल को तेज करने के लिए वित्तीय और संवर्धन उपाय ; निश्चित अवधि के लक्ष्यमुखी अनुसंधान और विकास के लिये विशेषज्ञ केन्द्र स्थापित करना, इनका उत्पादन तथा इसके परिरूप का विकास करना और इन प्रौद्योगिकियों के बारे में जनता में रुचि बढ़ाने के लिए सार्वजनिक सूचना कार्यक्रम बनाना।

(ग) 1981-82 और 1982-83 के दौरान मार्च, 1983 के प्रारम्भ तक जैव-गैस विकास की राष्ट्रीय परियोजना के अधीन लगभग 55 हजार पारिवारिक आकार के जैव गैस संयंत्रों का निर्माण किया जा चुका है।

बिहार कोयला खानों में आग के कारण राष्ट्रीय संसाधनों की हानि

3883. **श्री ए० नीलालोहिथा दसन नाडार** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार कोयला खानों में भूमिगत आग पर नियन्त्रण न किये जा सकने के कारण भारी मात्रा में राष्ट्रीय संसाधनों की हानि हो रही है (बिजनेस स्टैंडर्ड दिनांक

15 फरवरी, 1983) ;

(ख) यदि हां, तो इससे हुई हानि का अनुमान और पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कोयला बोर्ड जो कोयले के संरक्षण के लिये जिम्मेदार है, को क्या उपलब्धियां हुई हैं और सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) जी, नहीं। वास्तविक तो यह है कि कोल इन्डिला लि० के विशेष और सराहनीय प्रयासों से उन अग्निस्थलों पर आग पर नियन्त्रण पाना सम्भव हो सका है जहां राष्ट्रीय कारण के पहले आग पर नियंत्रण नहीं किया जा सका था।

(ख) पुरानी लगी आग के कारण 37 मिलियन टन कोयले की हानि हुई है।

(ग) कोयला बोर्ड की उपलब्धि के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी। पुरानी लगी आग के नियन्त्रण के लिये रु० 62 करोड़ की लागत पर 12 परियोजनायें शुरु की गई हैं।

भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध आपराधिक मामले

3884. **श्री० ए०के०राय** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान, धनवाद में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड में केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के प्रतिनियुक्त कर्मचारियों के विरुद्ध कितने आपराधिक मामले दायर किये गये हैं ; और तत्सम्बन्धी तथ्यों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या इन मामलों से उक्त सुरक्षा बल की विश्वासनीयता पर प्रभाव पड़ रहा है ;

(ग) क्या उक्त सुरक्षा बल में अनुशासनहीनता और आपराधिक कार्यों में वृद्धि हो रही है ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री दलबीर सिंह) (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

खाड़ी देशों को जनशक्ति की सप्लाई के लिए ठेका

3885. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बतानें की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनशक्ति की सप्लाई के लिए खाड़ी देशों के साथ कोई करार/समझौता करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) अभी तक ऐसी आवश्यकता महसूस नहीं हुई है।

बल्क औषधियों का उत्पादन/आयात

3886. **श्री बी०वी० देसाई** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि भारत का औषधि निर्माता उद्योग बड़ी मात्रा में बल्क औषधियों और इन्टर मीडियरिज का उत्पादन करती है तथापि देश को 1980-81 में 112,80 करोड़ रुपये की बल्क औषधियों और इन्टर मीडियरिज का आयात करना पड़ा;

(ख) क्या भारत में औषधि और भेषज उद्योग पर गुजरात सरकार उद्यम के इन्डस्ट्रियल एक्सटेन्शन ब्यूरो ने जो गुजरात सरकार का एक उपक्रम है रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें यह कहा गया है कि देश में 1980-81 में क्रमश; 240 करोड़ रुपये और 1200 करोड़ रुपये की बल्क औषधियों और इन्टरमीडियेरिज का उत्पादन हुआ था;

(ग) क्या रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति औषधि उपयोग केवल 14 रुपये प्रति वर्ष है जो कि विश्व में न्यूनतम उपयोग वाले देशों में से एक है, और

(घ) सरकार देश में बल्क औषधियों का आयात किस सीमा तक कम करने वाली है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसन्त साठे) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट के बारे में यद्यपि मेरे मन्त्रालय में कोई जानकारी नहीं है किन्तु यह पुष्टि की जा सकती है कि 1980-81 के दौरान देश में 240 करोड़ रुपये के बल्क औषधियों का उत्पादन हुआ था। फार्मूलेशनों का उत्पादन 1200 करोड़ रुपये का हुआ था। मध्यवर्तियों के उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है। इस आधार पर प्रति व्यक्ति खपत (फार्मूलेशनों की) लगभग 18 रुपये बैठती है।

(घ) सरकार देश में विभिन्न बल्क औषधों के स्वदेशी उत्पादन और घरेलू मांग की निरन्तर समीक्षा करती है। घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहन देने हेतु जहां आवश्यक समझा जाता है, आयात को सीमित करने के लिए उपयुक्त कार्यवाही की जाती है।

सरणीवद्ध औषधों के मामले में सरणीकरण एजेन्सियों द्वारा सरकार द्वारा निर्धारित की

गई आयात योजना के आधार पर आयात किया जाता है। आयात योजना बनाते समय सरकार स्वदेशी स्रोतों से औषधों की उपलब्धता को ध्यान में रखती है। आयात औषधों की अनुमानित मांग और प्रत्याशित स्वदेशी सप्लाई के मध्य अन्तर को पूरा करने के लिए ही किया जाता है। यदि आयात योजना निर्धारित कर दिये जाने के पश्चात भी यह पाया जाता है कि किसी भी औषध की स्वदेशी सप्लाई में वृद्धि हो गई है तो चालू आयात योजना में उपयुक्त परिवर्तन कर दिए जाते हैं।

अनपरा द्वितीय चरण की स्थापना हेतु जापान का प्रस्ताव

3887. **श्री चिंतामणि पाणिग्रही** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उत्तर प्रदेश में अनपरा, द्वितीय चरण की स्थापना हेतु जापान के प्रस्ताव पर पुनर्विचार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त जापानी प्रस्ताव पर पुनर्विचार करने के क्या कारण हैं; और

(ग) छठी योजनावधि में अनपरा, फेज-दो विस्तार योजना के क्रियान्वयन हेतु क्या व्यवस्था करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा स्थापना के लिए प्रस्तावित अनपरा "ख" ताप विद्युत परियोजना के लिए जापान सरकार ने सहायता देना स्वीकार कर लिया है और प्रारम्भ में 24.1 बिलियन येन की राशि के लिए वचन दिया है। परियोजना को कार्यान्वयन करने से पूर्व परियोजना के लिए वित्तीय सहायता सहित कई निवेशों की व्यवस्था की जानी है।

विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय

3888. **श्री बिरदा राम फुलवारिया** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशों में कार्य कर रहे भारतीय इन्जीनियरों, डाक्टरों और मजदूरों की देशवार संख्या कितनी है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : इन्जीनियरों और डाक्टरों को विदेशों में काम करने के लिए उत्प्रवास की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती। विदेशों में काम कर रहे श्रमिकों की संख्या (देशवार) एकत्र की जाएगी और सदन की मेज पर रख दी जाएगी :

एल०पी०जी० सिलेण्डरों के रेग्यूलेटरों का निर्माण

3889. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एल०पी०जी० सिलेण्डर रेग्यूलेटरों के निर्माण के लिए दिए गए अनेक लाइसेंसों को क्रियान्वित करने की अनुमति नहीं दी गई है;

(ख) क्या इसका प्रमुख निर्माता मैसर्स बैनाज इन्जीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अपना उत्पादन बढ़ाना चाहता था परन्तु सरकार ने उसकी अनुमति रोक ली और बैनाज से तकनीकी जानकारी से उत्पादन आरम्भ करने के लिए मैसर्स इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी को भी अनुमति नहीं दी; और

(ग) क्या ऐसा विदेशों से 50 लाख रेग्यूलेटरों के आयात करने के सरकार के अचानक निर्णय के कारण हुआ है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) अगस्त, 1981 से तकनीकी विकास (डी. जी. टी. डी.) महा निर्देशालय के पास एल. पी. जी. वाल्वों और प्रैशर रेग्यूलेटरों के निर्माण के लिए बड़ी संख्या में फर्मों का पंजीकरण किया गया है परन्तु इनमें से किसी के द्वारा परियोजना को अभी तक कार्यान्वित नहीं किया गया है।

(ख) मैसर्स बैनाज इन्जीनियर्स प्राइवेट लि० द्वारा अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए आवेदन किया गया था जिसे डी०जी०टी०डी० द्वारा स्वीकृति दी गई है। मैसर्स इन्डो बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी लि० को डी. जी. टी. डी. द्वारा वार्षिक 10 लाख की संख्या में एल. पी. जी. वाल्वों और 8 लाख की संख्या में रेग्यूलेटरों का निर्माण करने के लिए आशय-पत्र जारी किया गया था।

कम्पनी द्वारा मैसर्स बैनाज इन्जीनियर्स प्राइवेट लि० के साथ एक करार किया गया है। परन्तु वाल्वों और प्रैशर रेग्यूलेटरों के डिजाइन के मानकीकरण के लिए उद्योग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, उनका उत्पादन अभी आरम्भ नहीं हुआ है।

(ग) तेल उद्योग की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 17 लाख की संख्या में वाल्वों और रेगूलेटरों के आयात के लिए 1981 में स्वदेशी दृष्टिकोण से स्वीकृति दी गई थी। आगे और तेल उद्योग ने हाल ही में 3.5 लाख की संख्या में स्वयं बन्द होने वाले वाल्व और 6.9 लाख की संख्या में "क्विक-आन-टाइप" प्रैशर रेग्यूलेटर के आयात के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। इस प्रस्ताव पर अभी सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

पश्चिम बंगाल में बोडरा में ड्रिलिंग

3890. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में बोडरा में नम्बर 2 कुएं का तेल के लिए छिद्रण आरम्भ हो गया है;

(ख) नए आधुनिकतम उपकरणों की सहायता से इसका कितनी गहराई तक छिद्रण करने का विचार है;

(ग) क्या नाडिया जिले में जापुली में 5,655 मीटर तक और नालदाह में लक्ष्य गहराई 3,500 मीटर तक ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां पर तेल मिला है ?

उर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, हाँ।

(ख) बोदरा-2 कूप की प्रायोजित गहराई 5550 मीटर है।

(ग) जी, हां।

(घ) जागुली और नलदाह दोनों कूप इस समय उत्पादन परीक्षणाधीन है।

दक्षिण दिल्ली में भट्टी खानों के बन्द होने के कारण बेरोजगार हुए श्रमिक

3891. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्री अरविन्द नेताम : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनेक दुर्घटनाओं के कारण दिल्ली में महरौली की भट्टी खानें 28 जनवरी, 1983 से बन्द कर दी गई हैं जिससे लगभग 15,000 श्रमिक बेरोजगार हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और इन श्रमिकों को रोजगार देने के लिए नई सुरक्षित खानें खोलने हेतु क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्मवीर) : (क) और (ख) दिल्ली प्रशासन ने सूचित किया है कि 28 जनवरी, 1983 से भट्टी और अन्य खानों जिन्हें कि खान सुरक्षा महानिदेशालय द्वारा खतरनाक घोषित किया गया है, में खनन प्रक्रियायें बन्द कर दी गई हैं। असुरक्षित खानों में कामबन्दी के परिणामस्वरूप, लगभग 5,000 श्रमिक प्रभावित हुए हैं। ऐसी खानों में हुई कामबन्दी के परिणामस्वरूप, जिन श्रमिकों ने अपना रोजगार खो दिया है, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम ने एक सुव्यवस्थित और वैज्ञानिक तरीके से खनन प्रक्रियायें शुरु करने के लिए नये क्षेत्रों का पता लगाया है।

दिल्ली में राशन कार्ड धारियों के लिए मिट्टी के तेल के कोटे में कटौती

3892. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली के राशन कार्ड धारियों के लिए, मिट्टी के तेल का कोटा काफी घटा दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार को मालूम है कि इस समय उन्हें दी जा रही मिट्टी के तेल की मात्रा सर्वथा अपर्याप्त है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को दी जा रही मिट्टी के तेल की मात्रा पर्याप्त समझी जाती है।

असम के निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत

3893. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) असम विधान सभा और लोक सभा के लिए असम में हुए हाल के निर्वाचनों में कितने प्रतिशत मतदान हुआ था;

(ख) उस राज्य में उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम क्या हैं जहां अधिक और कम प्रतिशत मतदान हुआ; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन आफिसर, असम द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, असम विधान सभा के लिए हाल ही के निर्वाचन में मतदान का प्रतिशत 32.76 था।

(ख) ऐसे निर्वाचनक्षेत्रों के नाम जहां उस राज्य में मतदान का प्रतिशत बहुत ऊंचा और नीचा था, निर्वाचन आयोग द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित है :

निर्वाचन क्षेत्र का नाम	मतदान का प्रतिशत
21-मनकछार विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	79.43
61-धरमपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र	0.38
4-धुब्री संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	56.72
12-जोरहट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र	6.95

(ग) सरकार निर्वाचन आयोग के इस मूल्यांकन से सहमत है कि मतदान का प्रतिशत कम होने का कारण यह था कि मतदाताओं ने कई कारणों से कम चेष्टा दिखाई, जिनके अन्तर्गत मतदाताओं का अभिकथित धमकाया जाना, कुछ राजनीतिक दलों द्वारा मतदान का बहिष्कार किया जाना, निहित स्वार्थ वाले लोगों द्वारा राज्य में हिंसा का वातावरण पैदा किया जाना है।

वर्तमान फिल्म सेंसरशिप नीति का संशोधन

3894. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) क्या यह सच है कि फिल्म सेंसरशिप के विरुद्ध जनता द्वारा कटु आलोचना को देखते हुये सरकार वर्तमान फिल्म सेंसरशिप नीति को संशोधित करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और इस पर फिल्म उद्योग की प्रतिक्रिया क्या है?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप-मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क), (ख) सभी फिल्मों को चलचित्र अधिनियम, 1952 और उसके अन्तर्गत जारी किए गये मार्गदर्शी सिद्धान्तों के उपबन्धों के अनुसार फिल्म सेंसर बोर्ड द्वारा सेंसर किया जाता है। सरकार मार्गदर्शी सिद्धान्तों में एक ऐसा उपलब्ध शामिल करने के केन्द्रीय फिल्म सेंसर बोर्ड के प्रस्ताव की जांच कर रही है जिससे फिल्मों में भारतीय महिलाओं के पुरुष की अधम दासी के रूप में चित्रण को निरुत्साहित किया जा सके। चलचित्र (संशोधन) अधिनियम 1981, जिसे संसद द्वारा दिसम्बर, 1981 में पारित किया गया था, में अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित की भी व्यवस्था है :

(1) मौजूदा "यू" और "ए" प्रमाण-पत्रों के अलावा, प्रमाण-पत्रों की दो और श्रेणियां चालू करना अर्थात 12 वर्ष से कम की आयु के बच्चों के लिये माता-पिता के मार्ग दर्शन के अधीन अनिबन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये "यू ए" और डाक्टरों आदि जैसे विशिष्ट दर्शकों के लिये निर्बन्धित सार्वजनिक प्रदर्शन के लिये "एस";

(2) फिल्म सेंसर बोर्ड के निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिये अपील अधिकरण का गठन;

(3) अधिनियम में फिल्मों के प्रमाणीकरण से संबन्धित उपबन्धों का उल्लंघन करने पर दिए जाने वाले सभी दंडों को संज्ञेय बनाना;

(4) सेंसरशिप उल्लंघनों के मामले में सेंसर प्रमाणपत्र को निलम्बित या रद्द करना।

संशोधित अधिनियम के शीघ्र ही प्रवृत हो जाने की उम्मीद है। फिल्म उद्योग से कोई निश्चित प्रतिक्रियायें अभी उपलब्ध नहीं हैं।

दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास बेकार पड़े उच्च "फ्रीक्वेन्सी" वाले रेडियो संचार सैट

3895. **श्री चित्त महटा :**
श्री हरीश रावत :
श्री सुशील भट्टाचार्य :
श्री डी०एम० पुत्ते गौडा :
श्री एस० एन० नन्जे गौडा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि आयात किए गए अत्यधिक उच्च फ्रीक्वेंसी वाले रेडियो संचार सेट दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान के पास बेकार पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उन उपकरणों की लागत कितनी होगी और यदि नहीं, तो इन उपकरणों की खरीद के बाद इन सेटों को कहाँ पर प्रयुक्त किया जा रहा है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) : दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान ने 10,01 200,50 रुपये की लागत बीमा तथा भाड़ा मूल्य +5,00,640.25 रुपये की सीमा शुल्क पर 40 वी०एच०एफ० सेटों का आयात किया था । इन 40 सेटों में से 19 सेटों को पहले ही स्थापित किया जा चुका है तथा शेष सेटों के प्रति स्थापना की कार्रवाई चल रही है । 19 सेट निम्न स्थानों पर स्थापित किए गए है :

	संख्या
1. प्रणाली प्रचालन, शक्ति सदन	2
2. अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ग्रिड उपकेन्द्र	1
3. लीधी रोड ग्रिड उपकेन्द्र	1
4. श्री फोर्ट रोड ग्रिड उपकेन्द्र	1
5. किलोकरी ग्रिड उपकेन्द्र	1
6. रिज वैली ग्रिड उपकेन्द्र	1
7. मस्जिद मोठ ग्रिड उपकेन्द्र	1
8. तुगलकाबाद ग्रिड उपकेन्द्र	1
9. तिलक मार्ग ग्रिड उपकेन्द्र	1
10. निजामुद्दीन ग्रिड उपकेन्द्र	1
11. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय ग्रिड उपकेन्द्र	1
12. कनाट प्लेस ग्रिड उपकेन्द्र	1
13. रामकृष्णपुरम् उपकेन्द्र	1
14. बैयर्ड रोड ग्रिड उपकेन्द्र	1
15. उत्तरी क्षेत्र विद्युत बोर्ड ग्रिड उपकेन्द्र	1
16. सेवा भवन (पी. एस. सदस्य)—केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कार्यालय	1
17. श्रम शक्ति भवन (ऊर्जा मन्त्रालय)	1
18. नेहरू प्लेस ग्रिड उपकेन्द्र	1

उड़िया भाषा में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन

3896. **श्री गिरिधर गोमांगों** : क्या सूचना और प्रसारण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़िया भाषा के समाचार-पत्रों और पत्रिकाओं की संख्या बहुत कम है और भारत की अन्य भाषाओं की तुलना में उनका प्रकाशन बहुत ही कम है ;

(ख) भारतीय भाषा में राज्यवार कुल कितने समाचार-पत्र ओर पत्रिकायें प्रकाशित होती हैं और उनकी प्रसार संख्या कितनी है ;

(ग) क्या उनके मन्त्रालय ने भारतीय भाषा में समाचारपत्रों और पत्रिकओं, विशेषकर उड़िया भाषा में समाचार-पत्रों के कम प्रकाशन से सम्बन्धित कारण का सर्वेक्षण और अध्ययन किया है ;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उड़ीसा सरकार और उनके मन्त्रालय में उड़िया समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का प्रकाशन और परिचालन बढ़ाने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं ; और

(ङ) उड़ीसा सरकार ने उड़िया भाषा के दैनिक पत्रों के प्रकाशन के लिए क्या कार्यवाही की है और उन्हें जीवित रखने तथा उनका परिचालन बढ़ाने के लिए उनके मंत्रालय द्वारा क्या प्रोत्साहन दिये जा रहे हैं ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) से (ग) जी. नहीं।

(ख) दो विवरण संलग्न हैं।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० डी० 6202/83]

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जैसा कि अन्य भाषाओं में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के मामले में है, उड़िया के समाचार-पत्रों को भी अखबारी कागज, विज्ञापन, प्रेस सामग्री आदि सूचना और प्रसारण मन्त्रालय द्वारा दी जाती है। उड़ीसा सरकार द्वारा यदि कोई पहल की गई हो तो उसके बारे में सूचना इस मन्त्रालय में उपलब्ध नहीं है।

नागार्जुन उर्वरक परियोजना

3897. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की

कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागार्जुन उर्वरक परियोजना निर्णय लेने में टालमटोल कर रही है क्योंकि कुछ विदेशी भागीदार इस परियोजना में अपने शामिल होने के लिए अनुचित शर्तें लगा रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो वर्तमान स्थिति क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में कोई अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार, जो कम्पनी के संस्थापक हैं, को कुछ संभव सह-संथापकों से प्रस्ताव प्राप्त हुए, हैं परन्तु ये स्वीकार्य नहीं पाए गए । इन परिस्थितियों में राज्य सरकार परियोजना के लिए उपयुक्त सह-संस्थापकों को पाने की संभावनाओं की जांच कर रही है ।

हल्दिया की संचार प्रणाली में सुधार

3898. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1983-84 तथा 1984-85 में हल्दिया की संचार प्रणाली को सुधारने के लिए सरकार का क्या कार्यक्रम है ; और

(ख) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) हल्दिया की टेलीफोन सेवा में और अधिक सुधार करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाया गया है :

(एक) 1983-84 के दौरान मौजूदा यू. एच. एफ. कलकत्ता-हल्दिया प्रणाली को नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली में बदलने का कार्यक्रम बनाया गया है ।

(दो) दूर्गाचक एक्सचेंज में नए चैनलों के माध्यम से एस० टी० डी० सेवा प्रदान करने का कार्यक्रम है।

(तीन) हल्दिया एक्चेंजों से नए चैनलों वाले कलकत्ता इलैक्ट्रानिक टी० ए० एक्स से जोड़ने के लिए एस० टी० डी० जंक्शनों का कार्यक्रम बनाया गया है।

(चार) हल्दिया में वर्ष 1984-85 के दौरान टेलेक्स की 20 से 40 लाइनों में विस्तार का अस्थाई कार्यक्रम बनाया गया है ।

(ख) कलकत्ता और हल्दिया के बीच यू. एच. एफ. प्रणाली के स्थान पर नैरो बैंड माइक्रोवेव प्रणाली की स्थापना कार्य चल रहा है । हल्दिया टेलेक्स का 29 से 40 लाइनों में विस्तार करने की परियोजना की जांच की जा रही है ।

हल्दिया में रक्षित विद्युत संयंत्र

3899. **श्री सत्य गपाल मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान उर्वरक निगम की हल्दिया यूनिट में एक 30 मेगावाट के रक्षित **विद्युत** संयंत्र की स्थापना के सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति क्या है ;

(ख) क्या यह संयंत्र मूल लक्ष्य तिथि अर्थात् मई, 1985 तक कार्यकरण आरम्भ कर देगा; और

(ग) (क) और (ख) का ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) और (ख) मैसर्स हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड के हल्दिया यूनिट के लिए 30 मेगावाट वाले कैप्टिप पावर प्लांट के लिए सरकार द्वारा नवम्बर, 1981 में मंजूरी दी गई थी। परियोजना के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति कर ली गई है। बायसर और टर्बो-जनरेटर सैट के लिए मैर्सस भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड से मार्च, 1983 के अन्त तक बोलियां प्राप्त होने की आशा है। भूमि परीक्षण का काय दे दिया गया है और कार्य शीघ्र शुरू होने की आशा है।

(ख) जी, हां।

हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित किया जाना

3900. **श्री सत्य गोपाल मिश्र** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान उर्वरक निगम के मुख्यालय को दिल्ली से कलकत्ता स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि पश्चिम बंगाल की राज्य सरकार ने इस कार्यालय को कलकत्ता स्थानान्तरित करने में केन्द्र सरकार को अपनी सहायता देने का पूरा प्रयास किया है ;

(ग) यदि हां, तो पिछली सरकार द्वारा निर्णय लिए जाने के बावजूद उक्त कार्यालय को तीन वर्ष की अवधि के बाद भी स्थानान्तरित करने का निर्णय न लेने के कारण क्या हैं ; और

(घ) इस सम्बन्ध में सरकार कब तक अन्तिम निर्णय लेने में समर्थ होगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) से (घ) मार्च, 1979 में अस्थाई रुप से यह निर्णय लिया गया था कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लिमिटेड (एच० एफ० सी०) के मुख्यालय को कलकत्ता में स्थानान्तरित किया जाना चाहिए।

परिणामस्वरुप स्थानान्तरण के विरुद्ध सरकार को कर्मचारियों से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। इसी दौरान गैस की अत्याधिक मात्रा में उपलब्धता के आधार पर एक उर्वरक संयंत्र राजस्थान में एक मध्य प्रदेश में और 4 उत्तर प्रदेश में स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इन संयंत्रों के स्वामित्व का निर्णय अभी किया जाना है चूंकि स्वामित्व के स्थापित के निर्णयों का कुछ विद्यमान कम्पनियों के मुख्यालय से सम्बन्ध है, अतः एच. एफ. सी. के मुख्यालय को स्थानान्तरित करने के सम्बन्ध में कोई अन्तिम दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सका। तब से यह भी महसूस किया गया है कि हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इण्डिया द्वारा उठाई जा रही भारी हानियों के कारण पुनर्गठन सहित कुछ सुधारात्मक कार्यवाही की जानी अपेक्षित है ताकि इन कम्पनियों के कार्यकरण में सुधार किया जा सके। इन कम्पनियों के कार्यकलापों में सुधार करने के लिए विभिन्न सुझावों, जिन पर अन्तिम निर्णय लिया जाना है, को ध्यान में रखते हुए मुख्यालय के स्थानान्तरण को लम्बित रखा गया है।

गिडी वाशरी और गिडी "क" कोयला खान मजदूरों की मांगें

3901. श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बी. एम. एस. और गिडी "क" कोयला खानों (हजारीबाग) में संबद्ध कोयला मजदूर संघ ने केन्द्रीय श्रम मंत्रालय और सी. सी. एल. (रांची) को सीधी कार्रवाई के लिए 26 जनवरी, 1983 को नोटिस दिया था चूंकि गिडी वाशरी और गिडी "क" कोयला खान मजदूरों द्वारा दिए गए मांगपत्र पर प्रबन्धकों ने कोई ध्यान नहीं दिया है ;

(ख) यदि हाँ, तो सरकार ने उनकी मांगों पर विचार किया है ; और

(ग) यदि हां, तो श्रमिक असंतोष को दूर करने के लिए श्रम मंत्रालय का क्या कार्रवाई करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) और (ख) गिडी "क" कोलियरी में कोलयरी कर्मचारी संघ ने एक 22-सूची मांगों का चार्टर महाप्रबन्धक, अरगदा को दिनांक 26-1-1983 को प्रस्तुत किया था और सीधी कार्रवाई की धमकी दी थी। रांची के सहायक श्रम आयुक्त (सं०) ने इस मामले में हस्तक्षेप किया और संराधन कार्रवाई के लिए 18.2.1983 तारीख नियत की गई। उस तारीख को उन्होंने संघ के प्रतिनिधियों को सलाह दी कि वे मांगों पर परियोजना स्तर पर चर्चा करके मामला तल कर लें। गिडी "क" कोलियरी से संबंधित मांगों पर चर्चा उनके साथ दिनांक 17.2.1983 को की गई थी। गिडी वाशरी से संबंधित मांगों पर चर्चा परियोजना स्तर पर दिनांक 24.2.1983 को हुई थी। अनसुलझे मामलों पर एरिया स्तर पर अन्तिम रूप से चर्चा 26.2. 1983 को की गई। यह रिपोर्ट है कि इन वार्ताओं के बाद संघ संतुष्ट हो गया।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

उडीसा में मिट्टी के तेल की कमी

3902. **श्री लक्ष्मण मलिक : क्या ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उडीसा में मिट्टी के तेल की गम्भीर कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हाँ, तो उड़ीसा को पर्याप्त मात्रा में मिट्टी का तेल सप्लाई करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?.

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) उड़ीसा में मिट्टी के तेल के अत्याधिक अभाव की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

बल्क ड्रग्स का उत्पादन करने वाली कम्पनियां

3903. **श्री लक्ष्मण सिंह** :क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बल्क ड्रग्स का उत्पादन करने वाली (भारतीय और विदेशी) कम्पनियों के नाम क्या हैं ?

(ख) पिछले तीन वर्षों में इनमें से प्रत्येक कम्पनो के (वस्तु-वार) उत्पादन आंकड़े क्या हैं, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसन्त साठे) : (क) संगठित क्षेत्र में प्रपुंजऔषधों का उत्पादन करने वाली कंपनियों के नाम विवरण -I में दिए गए हैं । **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी०** 6204/83)

(ख) और (ग) 86 अनिवार्य प्रपुंज औषधों के उत्पादन पर इस मंत्रालय में निगरानी रखी जाती है । पिछले तीन वर्षों के दौरान उनके कंपनी वार उत्पादन के ब्यौरे विवरण -II में दिए गए हैं **(ग्रन्थालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी०** 6204/83)

उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की नियुक्ति

3904. **श्री पी० एम० सईद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुख्य न्यायमूर्ति और प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तिहाई न्यायाधीश अन्य राज्य से नियुक्त करने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित नीति पर चर्चा करने के लिए

दिल्ली में 3 से 5 फरवरी, 1983 तक उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस बैठक की अध्यक्षता भारत के मुख्य न्यायमूर्ति ने की थी ;

(ग) इसमें किन-किन विशयों पर चर्चा की गई थी और कौन सी सिफारिशे कार्यान्वयन के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजी गई थीं ;और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ख),(ग) और (घ) उच्चतम न्वायालय की रजिस्ट्री में प्रात्त जानकारी के अनुसार भारत के मुख्य यायमूर्ति न्की अध्यक्षता में उच्च न्यायलयों के मुख्य न्यायमूर्तियों का सम्मेलन 3 से 5 फरवरी 1983 तक दिल्ली में हुआ था। रजिस्ट्री ने यह भी सूचित किया है कि सम्मेलन की कार्यवाहीगोपनीय है। सरकार को कार्यवाही अभी तक प्राप्त नहीं हुई है ।

बल प्रयोग के विधि इतर तरीकों के मामले पर द्वितीय प्रेस आयोग क्षुब्ध

3905. **श्री पी. एम. सईद : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या द्वितीय प्रेस आयोग ने प्रचार माध्यमों के सहयोग न करने वाले वर्ग को चुप कराने अथवा बश में करने के लिए सरकार द्वारा अपनाए गए विधि इतर तरीकों के मामलों के सम्बन्ध में अपना क्षोभ व्यक्त किया है;

(ख) क्या आयोग ने, इस बात का ध्यान किये बिना कि वे गैर-सरकारी व्यापार हितों की ओर से प्रयोग में लाये गये थे, अथवा सरकारी अधिकारियों की ओर से उनसे सम्पादकीय कार्य को प्रथक करने की मांग की है ;

(ग) क्या आयोग ने विभिन्न गत्रोतों से/विभिन्न प्रकार के दबावों का पता लगाया है ;

(घ) क्या आयोग ने विभिन्न उपाय भी बताए हैं जो राजनीतिक दलों और गैर-सरकारी व्यापारिक व्यक्तियों द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए जा सकते हैं ; और

(ङ) यदि हाँ, तो सरकार प्रेस आयोग द्वारा दिए गए इन सुझावों से कहा तक सहमत हुई है ?

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन : (क) से (घ) जी, हां ।

(ङ) इन सिफारिशों पर विस्तार से विचार किया गया है, किन्तु अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

दिल्ली में और एल० पी० जी० गैस एजेंसियां खोलने की योजना

3906. **श्री सज्जन कुमार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली की बढ़ती हुई जनसंख्या को देखते हुए वर्तमान गैस एजेंसियां अपर्याप्त हैं ; और

(ख) यदि हां, तो निकट भविष्य में दिल्ली में और गैस एजेंसियां खोलने की सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है और इसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) जी, हां।

(ख) पिछले वर्ष की योजनाओं के प्रति चालू की गई/चालू की जा रही एल० पी० जी० वितरण एजेंसियों के अतिरिक्त, तेल कम्पनियों ने वर्ष 1883-84 के दौरान दिल्ली में 17 और वितरण एजेंसियां स्थापित करने की योजना बनाई है।

दिल्ली में पाइप लाईन के जरिये कुकिंग गैस सप्लाई करने की योजना

907. **श्री सज्जन कुमार :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने समूची दिल्ली में पाइप लाईनों द्वारा लोगों के घरों तक कुकिंग गैस पहुंचने की एक योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) किन-किन क्षेत्रों में कुकिंग गैस पाइप लाईनों द्वारा भेजी जा रही है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) दिल्ली में उपभोक्ताओं को पाइप लाईन से एल. पी. जी (खाना पकाने की गैस) की सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि दिल्ली जल आपूर्ति और मल व्ययन उपक्रम सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्र, ओखला से सीवेज गैस की सप्लाई समीप के क्षेत्रों को करने की योजना बना रहा है। इस कार्य के पूर्ण होने पर लगभग 10000 कनेक्शन उपलब्ध होंगे। ओखला मल व्ययन निर्माण कार्य के समीप के क्षेत्र में कुछ गैस कनेक्शन पहले ही विद्यमान हैं। उपक्रम का दिल्ली में अन्य सीवेज ट्रीटमेंट संयंत्रों से सीवेज गैस के उपयोग का भी प्रस्ताव है।

कच्चे तेल का निर्यात

3908. **श्री शान्तुभाई पटेल :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 5 मिलियन टन कच्चा तेल निर्यात करने का सरकार का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो किन कारणों से भारत अपने कच्चे तेल का निर्यात करना चाहता है जबकि यहां तेल की कमी है और बड़ी मात्रा में तेल का आयात करना होता है ?

ऊर्जा मंत्रालय में पेट्रोलियम विभाग में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) वर्तमान अनुभावों के अनुसार, 1983 में लगभग 4.8 मिलियन मीट्रिक टन बम्बई हाई अशोधित तेल का निर्यात किये जाने की आशा है। इस अशोधित तेल को संसाधित/शोधित न किए जाने के कारण दो प्रकार के हैं :

(1) बम्बई हाई अशोधित तेल में से कुछ ऐसी कुछ किस्म के उत्पाद जिनकी देश में आवश्यकता होती है, उत्पावित नहीं किए जा सकते हैं, (2) देश में कुछ शोधनशालाओं में उपलब्ध विद्यमान संसाधन सुविधाओं से उत्पादित सारे बम्बई हाई अशोधित तेल को वर्तमान में संसाधित करना संभव नहीं है जिससे कि वह पेट्रोलियम उत्पादों की मांग के वर्तमान प्रतिमान को पूरा कर सके। तथापि, कोचीन, मद्रास विभाग में स्थित शोधनशालाओं तथा बम्बई स्थित भारत पेट्रोलियम शोधनशाला के विस्तार तथा आधुनिकीकरण के लिए पहले ही कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि 1984-85 के अन्त तक उस समय उत्पादित बम्बई हाई अशोधित तेल के संसाधन में वृद्धि की जा सके।

भारतीय उर्वरक निगम तथा हिंदुस्तान उर्वरक निगम का पुनर्गठन।

3909. **श्री एम० वी० चन्द्रशेखर मूर्ति**
श्री माधवराव सिंधियां
श्री चिंतामणि पाणिग्रही
श्री वृद्धि चंद्र जैन : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारी हानि उठा रही सरकारी क्षेत्र की दो कंपनियों भारतीय उर्वरक निगम तथा हिंदुस्तान उर्वरक निगम को पुर्गठित किया जा रहा है,

(ख) यदि हां, तो क्या सचिव समिति ने योजना की क्रिया विधियों को अन्तिम रूप दे दिया ;

(ग) क्या भारतीय उर्वरक निगम तथा हिंदुस्तान उर्वरक निगम को हुई भारी हानि को ध्यान में रखते हुए सरकार इन परिवर्तनों को कार्यान्वित करने की इच्छुक है ; और

(घ) ये उपाय उक्त निगमों को कहां तक सहायक हुए हैं ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) से (घ) सरकारी क्षेत्र की उर्वरक

कम्पनियों के कार्य निष्पादन में सुधार लाने के उद्देश्य से सरकार कम्पनियों के पुनर्गठन सहित बहुत से प्रस्तावों की जांच कर रही है।

महिलाओं के रोजगार

3910. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री महिलाओं को संगठित उद्योग, केन्द्रीय और राज्य सरकार के कार्यालयों, सरकारी उपक्रमों और ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के बारे में दिनांक 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3487 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी पहलुओं अथवा किसी पहलू के सम्बन्ध में अपेक्षित सूचना इस बीच एकत्र कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा पटल-पर रखी जाएगी ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) पूरी सूचना जब एकत्र हो जाएगी, तो वह सदन की मेज पर रख दी जायेगी।

कच्चे तेल का निर्यात

3911. **श्री माधवराव सिंधियां** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 में अब तक कच्चे तेल की कितनी मात्रा का निर्यात किया जा चुका है, इसकी लागत क्या है तथा इससे कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई है; और

(ख) इस वर्ष के दौरान कच्चे तेल की कितनी मात्रा का निर्यात करने का विचार किया किया गया है तथा यह निर्यात किन-किन देशों को किया जायेगा ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गर्गी शंकर मिश्र) : (क) और (ख) अप्रैल 1982 से फरवरी, 1983 की अवधि के दौरान लगभग 900 करोड़ रुपये मूल्य लगभग 3.8 मिलियन मी० टन बम्बई हाई खनिज तेल का निर्यात किया गया है। यह अनुमान है कि मार्च, 1983 में बम्बई हाई के 0.75 मिलियन मी0 टन और खनिज तेल का निर्यात किया जायेगा।

खनिज तेल के निर्यात का निर्णय टेण्डर आमंत्रित करने के पश्चात किया जाता है अप्रैल, 1982 से फरवरी 1983 की अवधि के दौरान, बम्बई हाई अशोधित तेल का निर्यात फ्रांसअम रीका स्पेन, आस्टेलिया तथा सिंगापुर को किया गया है।

बीकानेर के लिए एस० टी० डी० सुविधा

3912. **श्री मनफूल सिंह चौधरी** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बीकानेर से बुक कराई गई सभी ट्रंक कालें समय पर मिल जाती हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो गत वर्ष के दौरान कितने मामलों में कालें नहीं मिलीं ;

(ग) क्या बीकानेर से दिल्ली और बम्बई से एस० टी० डी० सेवा के माध्यम से जोड़ा जा सकता है ; और

(घ) क्या टेलीविजन रिले केन्द्र के लिए बीकानेर में माक्रो-बेव सर्कट व्यवस्था की जा सकती है ?

संचार मन्त्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी नहीं। बीकानेर से बुक की गई कुछ ट्रंक कालें समय पर अर्थात् अत्यावश्यक ट्रंक कालें बुकिंग के एक घन्टे और सामान्य ट्रंक कालें बुकिंग के दो घन्टे की संभावित अवधि के भीतर नहीं मिल पाती।

(ख) पिछले एक वर्ष अर्थात् केलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान बीकानेर से बुक की गई ऐसी ट्रंक कालें जो विभिन्न कारणों से नहीं मिल पाई, 1,17,200 थीं।

(ग) जी हां, जयपुर और बीकानेर के बीच अपेक्षित संचारण सर्किल चालू करने के बाद ही बीकानेर से दिल्ली और बम्बई के लिए एस. टी. डी. सेवा प्रदान की जा सकती है।

(घ) टेलीविजन प्रसारण-केन्द्रों की योजना बनाने तथा स्थापना कार्य सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा किया जाता है। दूरदर्शन से ठोस मांग प्राप्त होने पर अतिरिक्त उपस्कर प्राप्त करके तथा उन्हें स्थापित करके बीकानेर में टेलीविजन प्रसारण केन्द्र के लिए माइक्रोवेव चैनल प्रदान किया जायेगा। अभी तक दूरदर्शन से ऐसी कोई ठोस मांग प्राप्त नहीं हुई है,

विदेशी इक्विटी वाली औषध एककों द्वारा प्रेषण

3913. **श्री आर. टी. दास** : क्या रसायन और उर्वरक मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विदेशी इक्विटी वाले महत्वपूर्ण औषध एककों की मूल इक्विटी तनूकरण के पश्चात् विदेशी इक्विटी भारतीय राजसहायता की कुल दत्त पूजी रक्षित राशि तथा विदेशों को भेजी गई राशियों के रूप में आस्तियों तथा विदेशो में भेजी जानी वाली राशियों में गत तीन वर्षों के दौराम कितनी वृद्धि हुई ?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री बसंत साठे) : विदेशी औषध कम्पनियों (40 प्रतिशत से अधिक सीधा विदेशी साम्य वाली कम्पनियां) के सम्बन्ध में उपलब्ध सीमा तक सम्बद्ध सूचना अनुबन्ध और I और II दो में दी गई हैं। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6205/63

मैसर्स स्पोर्टस इक्विपमेन्ट (प्रा०) लिमिटेड आगरा पर कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा की बकाया धनराशि

3914. **श्री निहाल सिंह** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मन्त्री स्पोर्टस, इक्विपमेन्ट (प्रा०) लि०, जीवन मन्डी आगरा में कार्य करने वाले कर्मचारियों के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 3564 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्पोर्टस इक्विपमेंट (प्रा०) लिमिटेड, जीवममन्डी आगरा (उत्तर प्रदेश) कर्मचारी राज्य बीमा निगम अधिनियम के प्रावधानों का फरवरी, 1982 से पालन नहीं कर रही है तथा उसने मार्च, 1982 से 31 जनवरी, 1983 तक की अवधि की कर्मचारी भविष्य निधि की धनराशि को जमा नहीं किया है ; और

(ख) उपर्युक्त कम्पनी के विरुद्ध कर्मचारी भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजना की कितनी धनराशि अब तक बकाया है तथा इस राशि को वसूल करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) कर्मचारी राज्य बीमा प्राधिकारियों ने सूचित किया है कि इस प्रतिष्ठान ने नवम्बर, 1982 तक की अवधि के लिए 4,086.75 रुपये की बकाया राशि देनी है और बकाया राशि वसूल करने के लिए आवश्यक वसूली कार्यवाही आरम्भ की गई है ।

कर्मचारी भविष्य निधि की बाबत देय राशियों के सम्बन्ध में सूचना एकत्र की जा रही है और वह यथा समय सभा की मेज पर रख दी जाएगी ।

नए डाकघरों का खोला जाना

3915. **श्री अरविन्द नेताम** : क्या **संचार** मन्त्री यह बताये की कृपा करेंगे कि :

(क) एक नया डाकघर खोलने के लिए सरकार द्वारा क्या मानदन्ड निर्धारित किए गए हैं ;

(ख) देश में ऐसे कितने स्थान हैं जहां डाकघरों के खोले जाने पर भी सभी नियम तथा शर्तें पूरी किए जाने पर भी नए डाकघर नहीं खोले गए हैं तथा उनका पूरा ब्यौरा क्या है ;

(ग) चालू वित्त वर्ष के दौरान सरकार ने कितने नए डाकघर खोले हैं तथा उनका ब्यौरा क्या है ?

(घ) 1983-84 के दौरान सरकार का कितने नए डाकघर खोलने का विचार है तथा उनका पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि निकट भविष्य में कोई नए डाकघर खोले जाने का विचार नहीं है तो उसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए डाकघर खोलने के बारे में निर्धारित मानदंड विवरण-एक में दिए गए हैं।

(ख) ग्रामीण क्षेत्रों में एक विशेष वर्ष के दौरान खोले जाने वाले डाकघरों की संख्या पहले निर्धारित कर ली जाती है और वार्षिक योजना में उसकी व्यवस्था कर दी जाती है। 1982-83 के दौरान ग्रामीण क्षेत्र में 1,000 डाकघर खोले जाने हैं। इसके साथ-साथ 973 ग्रामों में डाकघर खोलने के प्रस्तावों की जांच की गई है और वहां डाकघर खोलने का औचित्य बनता है। इन आंकड़ों का सर्किलवार ब्यौरा विवरण-दो में किया गया है। शहरी क्षेत्रों में डाकघर आर्थिक दृष्टि से स्वयं पर निर्भर होने चाहिए अतः वे योजना के अतिरिक्त खोले जाते हैं। वर्षवार कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है। किसी प्रस्ताव की जांच के बाद यदि डाकघर का औचित्य बनता है तो वे खोल दिए जाते हैं बशर्ते की धन उपलब्ध हो।

(ग) अपेक्षित जानकारी विवरण-तीन में दी गई है।

(घ) 1983-84 की वार्षिक योजना में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 2500 नए डाकघर खोलने का प्रस्ताव है सर्किलवार ब्यौरे तैयार किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्रों के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया जाता है क्योंकि दूसरी डाकघरों के खोलने का कार्य योजना से अतिरिक्त है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

(1) देहाती इलाकों में डाकघर खोलने के लिए मानदंड

ग्रामीण इलाकों में खोले जाने वाले डाकघरों को अब दो मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया गया है :

1. सामान्य इलाकों में डाकघर और
2. आदिवासी या पिछड़े इलाकों में डाकघर।

(i) सामान्य ग्रामीण इलाकों में डाकघर

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत की आय होने की संभावना हो।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-ग्राम-पंचायत वाले ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) उस गांव की आबादी 2,009 या इसे अधिक होनी चाहिए ।

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उस अनुमानित लागत की कम से कम 25 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

2. **आदिवासी और पिछड़े इलाकों में डाकघर :**

(i) निम्नलिखित शर्तों के अधीन ग्राम पंचायत वाले गांव में डाकघर खोले जा सकते हैं :

(क) प्रस्तावित डाकघर से 3 किलोमीटर के घेरे में कोई दूसरा डाकघर न हो, और

(ख) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमामित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक की आय होने की आशा हो ।

(ii) निम्नलिखित शर्तों के अधीन गैर-पंचायती ग्रामों में डाकघर खोले जा सकते हैं, बशर्ते कि :

(क) ग्राम (अथवा 1.5 कि० मी० के घेरे के अन्दर ग्रामो का समूह) की जनसंख्या 1,000 अथवा अधिक हो ;

(ख) प्रस्तावित डाकघर से 3 कि० मी० के घेरे में कोई डाकघर न हो ; और

(ग) प्रस्तावित डाकघर से उसकी अनुमानित लागत की कम से कम 10 प्रतिशत तक आय होने की संभावना हो ।

3. उपरोक्त पोस्टमास्टर जनरल प्रत्येक डाकघर खोलने के लिए 10 प्रतिशत मामलों में उपरोक्त मानदण्डों में (आंतरित वित्त सलाहकार के साथ परामर्श करके) छुट दे सकते हैं ।

(II) **शहरी क्षेत्रों में डाकघर खोलने हेतु मानदण्ड :**

(i) डाकघर को आत्म निर्भर होना चाहिए।

(ii) 20 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले शहरों में दो डाकघरों के बीच की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर होनी चाहिए । अन्य शहरों में दो, डाकघरों के बीच कम से कम दूरी 1,5 किलोमीटर होनी चाहिए ।

(iii) पोस्टमास्टर जनरल प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत मामलों में दूरी की शर्तों के मामले में छूट दे सकते हैं ।

(iv) शहरी क्षेत्र में अतिरिक्त विभागीय शाखा डाकघर केवल अपवाद स्वरूप मामलों में ही खोले जा सकते हैं। जैसे गंदी बस्तियां जहां समुचित किराये पर उपयुक्त विभागीय भवन उपलब्ध नहीं होते।,

विवरण-दो

भारत में उन ग्रामों की सर्किल-वार संख्या जो इस समय डाकघर खोलने के मानदंडों को पूरा करते हैं।

1. आन्ध्र प्रदेश	112
2. बिहार	107
3. दिल्ली	—
4. गुजरात	8
5. जम्मू और कश्मीर	—
6. कर्नाटक	—
7. केरल	123
8. मध्य प्रदेश	114
9. उत्तर पूर्वी	42
10. उत्तर पश्चिम	66
11. उड़ीसा	45
12. राजस्थान	58
13. तमिलनाडु	17
14. उत्तर प्रदेश	231
15. पश्चिम बंगाल	50
16. महाराष्ट्र	—
जोड़ :	973

विवरण-तीन

देश में 1982-83 के दौरान राज्यवार खोले गए नए डाकघरों के आंकड़े

क्रम सं० राज्य/संघ शासित प्रदेश	वर्ष 1982-83 की योजना के अन्तर्गत ग्रामीण इलाकों में खोले गए डाकघर	गैर योजना शीर्षकों के अन्तर्गत शहरी क्षेत्रों में खोले गए डाकघर
1. आन्ध्र प्रदेश	49	16
2. असम	17	—
3. बिहार	121	12
4. गुजरात	45	12
5. हरियाणा	13	11
6. हिमाचल प्रदेश	22	1
7. जम्मू एवं कश्मीर	12	2
8. कर्नाटक	45	16
9. केरल	15	14
10. मध्य प्रदेश	100	5
11. महाराष्ट्र	79	18
12. मणिपुर	29	—
13. मेघालय	6	—
14. नागालैंड	6	—
15. उड़ीसा	45	29
16. पंजाब	13	6
17. राजस्थान	55	9
18. सिक्किम	1	—
19. तमिलनाडु	39	30

1	2	3
20. त्रिपुरा	5	—
21. उत्तर प्रदेश	161	2
22. पश्चिम बंगाल	56	26
दो संघ शासित प्रदेश		
1. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	—	—
2. अरुणाचल प्रदेश	9	—
3. चंडीगढ़	—	1
4. दादर और नागर हवेली	—	—
5. दिल्ली	3	11
6. गोवा दमन और द्विव	1	4
7. लक्षद्वीप	—	—
8. मिजोरम	6	—
9. पांडिचेरी	1	...

बिजली कर्मचारियों के लिए मजूरी बोर्ड

3916. **श्री सत्यनारायण जटिया** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में सभी बिजली कर्मचारियों को सम कार्य के लिए समवेतन देने की नीति से सहमत है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा तैयार किए जा रहे प्रस्तावों की रूप रेखा क्या है ? और

(ख) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों के वेतन में सुधार करने के लिए आगामी मजूरी बोर्ड की स्थापना कब की जानी थी तथा इसकी घोषणा कब की जाएगी ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विभिन्न राज्य विद्युत बोर्डों की आर्थिक स्थित, क्षेत्र में अन्य समान संगठनों के वेतन तथा अन्य सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण सहित राज्य विद्युत बोर्डों की वेतन संरचनाओं में विभिन्नता होने के अन्य कई कारण है फिलहाल राज्य सरकारें /राज्य विद्युत बोर्ड, राज्य विद्युत बोर्डों के कर्मचारियों के वेतन आदि के मामले निबटा रही है । केंद्र सरकार इस समय देश के सभी बिजली कर्मचारियों को समान काम के लिए समान वेतन देने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है

बिहार में क्योलकारो पन बिजली परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण

3917. **श्रीमती किशोरी सिन्हा :**

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री कुंवर राम : क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय पनविजली निगम के अधीन क्योलकारो पनबिजली परियोजना की स्थापना के लिए बिहार में आदिवासियों की भूमि अधिग्रहित की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो कितनी एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है और इसके परिणाम स्वरुप बेघर होने वाले आदिवासी परिवारों की संख्या कितनी है ; और

(ग) उन आदिवासियों के पुनर्वास के लिए तैयार की गई योजना का पूरा ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) और (ख) कोयल कारों जल विद्युत परियोजना को केन्द्रीय क्षेत्र में क्रियान्वयन के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम लि० को सौंपे जाने से पूर्व बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने इस परियोजना के लिए लगभग 190 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया था। आवासिय कोलोनियों और रेलवे साईडिंग के निर्माण के लिए बिहार राज्य बिजली बोर्ड ने यह भूमि राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को सौंप दी है। इस भूमि में से कितनी भूमि आदिवासियों की थी और उनकी भूमि का अधिग्रहण करने के परिणामस्वरुप कितने आदिवासी परिवार बेघर हुए इसके बारे में सूचना बिहार सरकार से एकत्र की जा रही है।

(ग) बिहार सरकार ने आदिवासियों सहित विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए एक स्कीम तैयार की थी। इस स्कीम में, प्रभावित परिवारों के सदस्यों को रोजगार देना, अधिग्रहण की गई भूमि के लिए मुआवजा देना तथा पुनर्वास आदि शामिल हैं।

गैर सरकारी क्षेत्र में ऊर्जा का उत्पादन

3918. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को गैर सरकारी क्षेत्र में ऊर्जा के उत्पादन के लिए सुविधाएं देने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके संबंध में ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या राज्य सरकारों ने इस सम्बन्ध में कोई योजना बनाई है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) राज्य सरकारों को इस प्रकार

के कोई अनुदेश नहीं भेजे गए हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) और (घ) बिहार और कर्नाटक सरकार ने कुछ समय पूर्व सूचित किया था कि कुछ निजी क्षेत्र के उद्योगों ने विद्युत उत्पादन कार्यक्रम में हिस्सा लेने की इच्छा व्यक्त की है । चूंकि राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए प्रस्ताव ठोस किस्म के नहीं थे और इनमें तकनीकी-आर्थिक एवं वित्तपोषण के पूर्णब्यौरे नहीं दिये गए थे अत उन्हें इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत करने की सलाह दी गई थी।

विधान सभा स्थानों का बारी-बारी से आरक्षण

3919. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विभिन्न राज्यों में विधान सभा स्थानों का आरक्षण जारी रखने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ;

(ख) इस स्थिति में सुधार करने में क्या विशिष्ट विधिक समस्या है जो विभिन्न राज्य विधान सभाओं में निरन्तर आरक्षित विभिन्न स्थानों का बारी-बारी से आरक्षण करने से निर्वाचन आयोग को रोकती है ; और

(ग) केरल, आन्ध्रप्रदेश और कर्नाटक राज्यों में विधान सभा के ऐसे कितने स्थान है जो पिछले 10 वर्ष से अधिक समय से निरन्तर आरक्षित रहे हैं उनके नाम क्या हैं और वे कितने कितने समय से आरक्षित हैं ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) जी, हां ।

(ख) विद्यमान विधि में इस प्रकार बारी-बारी से आरक्षण किए जाने का उपबंध नहीं है ।

(ग) निर्वाचन आयोग ने बताया है कि उसके लिए ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों की ठीक-ठीक संख्या बताना संभव नहीं है जो 10 वर्ष से अधिक समय से आरक्षित चली आ रही हैं यद्यपि परिसीमन आदेश 1966 और 1976 में अन्तर्विष्ट रुप में उन निर्वाचन क्षेत्रों के नाम और स्वरुप वही बने हुए हैं । उक्त परिसीमन आदेश में यथावर्णित निर्वाचन क्षेत्रों के वास्तविक विस्तार में व्यापक अन्तर हो सकता है। आयोग द्वारा दिया गया एक विवरण संलग्न है जिसमें संसद और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रपरिसीमन आदेश, 1966 द्वारा अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची दी गई है जो संसद और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1976 के अनुसार अभी भी आरक्षित किए जा रहे हैं।

विवरण

संसद और विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र परिसीमन आदेश, 1966 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिए आरक्षित और परिसीमन आदेश, 1976 में इस प्रकार आरक्षित बने रहे विधान सधा निर्वाचन क्षेत्रों की सूची

राज्य का नाम	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	14. पालाकोंडा	7. मोथुरु
	35. पायाकारओपेरा	8. नागुरु
	54. अलावारम्	10. सालूर
	57. नागाराम	29. पांडेरु
	61. अचंता	37. चिंटापल्ली
	71. गोपालपुरम्	38. येलायरम्
	81. तिरुवुरु	73. पालावरम्
	90. निहुमोलु	237. बोऊथ (241)
	102. सांथानुयालापाटु (116)	268. भद्राचलम् (274)
	130. सुल्लुरपेट (133)	289. बुर्गमपहाड़ (275)
	133. सत्यवेदु (136)	योग = 10
	136. वेपनजेरी (139)	
	147. कोडुर (150)	
	164. कल्याणदृग (167)	
	172. अलुर (175)	
	175. कोहुतुर (178)	
	187. अचम्पेट (188)	
	190. सादनगर (191)	

	201. विकाराबाद (202)	
	215. सिकंदराबाद छावनी (211)	
	219. गजबल (222)	
	222. अनरोले (229)	
	239. आसिफाबाद (244)	
	242. चिन्नूर (247)	
	245. म्याडारान (250)	
	255. नरेल्ला (260)	
	275. पालेयर (279)	
	279. सूर्यपेट (284)	
	योग = 28	
2. कर्नाटक	3. हुल्सूर	120. चिराजपेट (120)
	16. गुर्मित्कल	192. मोकाक (200)
	37. हारापानाहल्ली (39)	योग = 2
	40. भारामासागारा (43)	
	45. हिरियुर (48)	
	48. पावागाड़ा (51)	
	68. कोलारगोल्डफील्ड (71)	
	95. अनेकाल (100)	
	99. मालावल्ली (104)	
	105. कोल्लेगल (111)	
	113. संथेमराहल्ली (119)	
	116. हेगाडादेवनकोटे (112)	
	123. बेलुर (129)	
	131. सुल्लिया (137)	
	146. मुद्गेरे (153)	

	160. सिरसी (168)	
	198. चिक्कोडी (206)	
	214. बाल्लोली (?22)	
	योग = 18	
3. केरल	36. थ्रीथाला (45)	14. उत्तरवायनाद (16)
	48. कोयलमन्नम (*52)	योग = 1
	49. चेलाक्कारा (54)	
	77. देवीकोलम (83)	
	104. पंडालम् (110)	
	112. कुन्नाथुर (120)	
	122. किलिमनूर (129)	
	योग = 7	

* इस विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को परिसीमन आदेश, 1678 में "52 गोयालमन्नम" वर्णित किया गया है।

टिप्पणी : विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों से पहले दिये गए संख्यांक 1966 में दर्शित संख्यांक हैं और जो संख्यांक कोष्ठकों में दर्शित हैं वे परिसीमन आदेश, 1976 में दर्शित रूप में हैं।

राजस्थान के सीकर जिले में डीजल पम्प लगाने का प्रस्ताव

3920. **श्री दौलत राम सारण :** क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सीकर जिले (राजस्थान) में सीकर से 25 किलो मीटर दूर ग्राम पंचायत मुख्यालय खुर की महत्ता को ध्यान में रखकर, जहाँ से एक सड़क, अजमेर, दूसरी रेनवाल और चीमू तथा एक और सड़क जीनमाटा से होकर मन्डा तक जाती है, तथा वहां बड़ी संख्या में कृषि मशीनों, बसों तथा ट्रकों के आने जाने को भी ध्यान में रखकर वहां 25 और 26 किलोमीटर के बीच एक डीजल पम्प लगाने और उसे बेरोजगार स्नातकों के लिए आरक्षित रखने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उनके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) तेल कंपनियों ने अपनी वर्ष 1982-83 की

योजना के प्रति सर्वसाधारण श्रेणी के अधीन खुर (खुड) के स्थान को एक फुटकर पेट्रोल बिक्री केन्द्र खोलने के लिए शामिल कर लिया है । विज्ञापन के उत्तर में बेरोजगार स्नातक भी अन्यों के साथ आवेदन करने के लिए पात्र होंगे ।

(ख) इस एजेन्सी के विज्ञापन शीघ्र जारी किये जायेंगे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

ईरान द्वारा तेल का निर्यात

3921. श्री क्षे० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान ने भारत को तेल का निर्यात पुनः प्रारम्भ कर दिया है ।

(ख) यदि हां, तो इस वित्तीय वर्ष के दौरान उस देश से कितना तेल आयात किया गया है ; और

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस विषय पर ईरान से वातचीत करने का विचार है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी. शिव शंकर) : (क) से (ग) ईरान आवधिक करार के अन्तर्गत भारत को खनिज तेल का नियमित सप्लाई कर्ता है ।

अप्रैल 1982 से फरवरी की अवधि के लिए आवधिक करारों के अधीन ईरान से करीब 2.9 मि० टन खनिज तेल का आयात किया गया है ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के लिए हेली कोप्टर निगम की स्थापना का प्रस्ताव

3922. श्री के० लकप्पा : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में प्रयोग के लिए हेली-कोप्टर प्राप्त करने और चलाने के लिए एक हेली कोप्टर निगम की स्थापना करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या योजनाएं बनाई गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) इस प्रकार की कार्पोरेशन की स्थापना करने का कोई प्रस्ताव पेट्रोलियम विभाग के विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

डाक वितरण में देरी

3923. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुलजार अहमद :

श्री डूंगर सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश भर में व्याप्त डाक वितरण सेवा में चल रही अकुशलता और डाक वितरण में विशेष, कर हाल ही में डाक और नव वर्ष बधाई पत्रों के वितरण में हुई असाधारण देरी के बारे में पता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ; और

(ग) क्या हाल में लागू की गई पिन कोड योजना सफल रही है, यदि नहीं तो इस योजना को सफल बनाने के लिये क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) डाक और बधाई पत्रों के वितरण में विलंब के कुछ मामलों की जानकारी मिली है।

(ख) डाक ले जाने वाली रेलगाड़ियों, वायु सेवाओं या बसों का देर से चलना, अत्यधिक मात्रा में डाक का प्राप्त होना, कर्मचारियों द्वारा "धीमे कार्य करो" आन्दोलन आदि कारणों से डाक वितरण में विलंब होता है। इस सम्बन्ध में डाक के निपटान के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना कर्मचारियों पर कड़ी निगरानी, कर्मचारियों की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियो का रिजर्व पूल तैयार करना जैसे उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं।

(ग) जी हां।

मैसर्स मेकिनान एण्ड मेकेंजी कंपनी लिमिटेड

3924. **श्री के० लकप्पा :**

श्री गुलशेर अहमद : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री मैसर्स मेकिनान एण्ड मेकेंजी कम्पनी लिमिटेड के संबंध में दिनांक 22 दिसम्बर, 1981 के तारांकित प्रश्न संख्या 443 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेकिनान मेकेंजी एण्ड कम्पनी लिमिटेड के लेखाओं की निरीक्षण रिपोर्ट की विभाग द्वारा जांच कर ली गई है ;

(ख) यदि नां, तो कब और निरीक्षण अधिकारी के प्रतिकूल-निष्कर्षों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रसिद्ध निष्कर्षों पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) यदि कोई कार्यवाही नहीं की गई है तो इसके क्या कारण हैं ;

(ङ) उक्त कंपनी के कार्यों की वर्तमान स्थिति क्या है और उसके कर्मचारियों, ऋण-दातायों तथा शेयरधारियों के हितों की रक्षा के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ; और

(च) क्या सकार का विचार बड़ी सरकारी कम्पनियों के कार्य निष्पादन पर राष्ट्रीय हित में निगरानी रखने के लिए विशेषज्ञों की शीर्ष समितियां नियुक्त करने का है ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मन्त्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) से (ग) एक विवरण-पत्र संलग्न किया जाता है ।

(घ) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता ।

(ङ) दिनांक 31 दिसम्बर, 1981 तक तैयार कम्पनी के नवीनतम लेखा परीक्षित तुलना-पत्र के अनुसार, कंपनी ने 249 लाख रु० की प्रदत्त-पूंजी की तुलना में 719 लाख रु० की कुल पुंजी-भूत हानि उठाई थी । यह अनिवार्य रुप से कम्पनी की वित्तीय स्थिति में वृद्धि करने के लिए कंपनी के प्रबन्ध का आन्तरिक कार्य और उत्तरदायित्व है ।

(च) कम्पनी अधिनियम में कम्पनियों के कार्य-निष्पादन की देखभाल करने के लिए विशेषज्ञों की शीर्ष समितियों की नियुक्ति के लिए कोई प्रावधान नहीं है । तथापि, निगमित क्षेत्र के सम्पूर्ण कार्य की कम्पनी कानून के ढांचे के अन्तर्गत देखभाल की जाती है, जिसमें स्थिति से संभलने के लिए विशेष प्रावधानों की भी व्यवस्था है, जहां सरकार को सम्पूर्ण जनहित में कार्य करना चाहिए ।

विवरण

कम्पनी अधिनियम की धारा 209-क के अन्तर्गत लिखी गई निरीक्षण रिपोर्ट की दिसम्बर 1981/जनवरी, 1982 की अवधि में परीक्षा की गई थी । मुख्य संकेतों का नीचे ब्यौरा दिया जाता है ।

1. कम्पनी अधिनियम की धारा 198/309 के अन्तर्गत प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशकों को निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक की जायेगी ।	इम मामले में कम्पनी के साथ पत्राचार किया गया था और अधिक राशि को वापिस लिया जा चुका है ।
2, ऋण की अवधि की बजाय जहाजों की कार्यगत आयु के ऊपर जहाजों की खरीद करने के लिए प्राप्त दीर्घकालिक ऋणों पर ब्याज और देय गारन्टी कमीशन लेना अधिनियय, की धारा 211 का पालन न करना ।	अन्य सरकारी विभागों के परामर्श पर इस मामले की परीक्षा की जा रही है ।
3. दो अधिकारियों द्वारा अपने त्याग पत्र/रिटायर होने	मामले पर कम्पनी से पत्राचार

के पश्चात कम्पनी द्वारा दिये गये आवासीय गृह को रखना।

किया गया था, जिसने यह सूचना दी है कि कम्पनी को उस गृह का कब्जा मिल गया है।

इसके अतिरिक्त, निरीक्षण रिपोर्टने भी प्रथम दृश्या, कम्पनी अधिनियम की धारा 143, 193, 212, 297 और 301 के पालन न करने और लोरी ठेकेदारों को देय दरों के निर्धारण की निवेदित दरों/निविदाओं के प्राप्त न करने का संकेत किया है। इन मामलों पर कम्पनी के साथ पत्र।चार रिया गया है और उनके उत्तर पर विचार करने के पश्चात् इनको समाप्त कर दिया गया।

सिंगरौली में कोयला खानों से कोयला निकाला जाना

3925. **श्री निहाल सिंह** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के कोयला क्षेत्र सिंगरौली में कितनी कोयला खानें हैं ;

(ख) मार्च, 1980 से सितम्बर, 1982 तक इन कोयला खानों में से प्रत्येक खान से महीने-वार कितना कोयला निकाला गया है ; और

(ग) कोयला उत्पादन में लगातार कमी होने के क्या कारण हैं और इस संबंध में सरकार द्वारा कराई गई जाँच पड़ताल का क्या परिणाम निकला ?

ऊर्जा मन्त्रालय के कोयला विभाग में राज्य मन्त्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से० को० लि० के सिंगरौली एरिया में चार कोलियरियां काम कर रही हैं अर्थात् (क) झिंगुरदा, (ख) गोरबी, (ग) बीना और (घ) जयन्त।

(ख) से० को० लि० के सिंगरौली एरिया की इन चार कार्यरत कोलियरियों में कोयले के उत्पादन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान सिंगरौली एरिया में उत्पादन लक्ष्यों से अधिक था। वर्ष 1982-83 में उत्पादन लक्ष्य प्राप्त कर लेने की आशा है।

चूँकि सिंगरौली में उत्पादन में कोई कमी नहीं हुई है, अतः उत्पादन में कमी के बारे में जांच का प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

विववरण-पत्र जिसमें मार्च,1981 से दिसम्बर,1982 तक से० को० लि० के सिंगरौली उत्पादन का ब्यौरा दिया है,

(आंकड़े '000' टनों में)

	झिगुर्दा	गोरबी	बीना	जयन्त
मार्च 1980	217	101	124	87
अप्रैल	165	65	136	119
मई	150	57	133	127
जून	131	52	132	120
जुलाई	110	34	127	121
अगस्त	130	25	115	112
सितम्बर	100	23	123	104
अक्तूबर	122	38	111	113
नवम्बर	155	57	137	125
दिसम्बर	195	80	175	170
जनवरी, 1981	195	81	200	155
फरवरी	206	110	198	158
मार्च	167	125	164	146
अप्रैल	210	50	185	80
मई	185	70	175	70
जून	175	73	150	92
जुलाई	175	68	145	70
अगस्त	175	65	160	70
सितम्बर	180	68	165	70

1	2	3	4	5
अक्तूबर	185	75	173	118
नवम्बर	195	87	190	135
दिसम्बर	200	101	190	79
जनवरी, 1982	210	107	186	83
फरवरी	206	105	177	133
मार्च	209	81	160	173
अप्रैल	185	96	170	162
मई	194	71	185	110
जून	200	80	180	140
जुलाई	200	72	165	85
अगस्त	172	62	200	103
सितम्बर	220	70	180	150
अक्तूबर	225	90	180	150
नवम्बर	218	90	192	162
दिसम्बर	235	100	220	105

आंध्र प्रदेश में विद्युतीकृत गांव

3926. **श्री सुभाष चंद्र बोस अल्लुरी :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्रप्रदेश में विद्युतीकृत गांवों की प्रतिशतता क्या है और राज्य में अब तक कितने हरिजन गांवों का विद्युतीकरण किया गया है;

(ख) क्या सरकार ने हरिजनों के मकानों के लिए बिजली कनेक्शन देने हेतु कोई रियायत दी है; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) 1971 की जनगणना के अनुसार आन्ध्र प्रदेश राज्य में कुल मिलाकर 27,221 आबाद गांव हैं। इनमें से 31.12.1982 की स्थिति के अनुसार 19,970 गांवों का विद्युतीकरण किया जा चुका है जो कि कुल गांवों का

73.4 प्रतिशत है। 30.7.1982 की स्थिति के अनुसार उन गांवों की संख्या, जिनमें हरिजन और अन्य पिछड़े समुदायों के आबाद इलाकों में सड़क पर रोशनी की सुविधा का विस्तार किया गया है, 15,344 है।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण स्कीमें, राज्य बिजली बोर्डों और ग्राम बिजली सहकारिताओं द्वारा एवं जिन राज्यों में बिजली बोर्ड नहीं है वहां पर राज्य सरकारों के सम्बन्धित बिजली विभागों द्वारा बनाई जाती हैं और क्रियान्वित की जाती हैं। ग्राम विद्युतीकरण निगम वित्तीय सहायता हरिजन बस्ती विद्युतीकरण स्कीमों के लिए अन्य स्कीमों की तुलना में रियायती शर्तों पर उपलब्ध कराता है। हरिजन के घरों को बिजली के कनेक्शन देने के लिए कुछ राज्य बिजली बोर्ड रियायतें देते हैं और उनके उपलब्ध ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

1. आंध्र प्रदेश : हरिजनों के घरों का मुफ्त बिजली की सप्लाई करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में कोई स्कीम नहीं है। हरिजनों के घरों को रियायती दरों पर बिजली की सप्लाई भी नहीं दी जाती है। यद्यपि अनुसूचित जाति के परिवारों की सुविधा के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए घरों के अन्दर की वायरिंग सोपानबद्ध तरीके से आंध्र प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा मुफ्त की गई है और प्रत्येक घर में 40 वाट का एक बल्ब भी निःशुल्क लगाया गया है। इन घरों के लिए मुख्य लाइनों से आवश्यक लाइनें भी दी गई हैं और विद्युत सप्लाई दे दी गई है। अब तक 30,256 घरों के लिए इस सुविधा का विस्तार किया गया है। मासिक खपत प्रभार दरों के अनुसार लिए जाते हैं।

2. असम : इस समय असम में इस प्रकार की कोई स्कीम लागू नहीं है और न ही इस प्रकार की कोई स्कीम विचाराधीन है।

3. बिहार : बिहार में हरिजनों के घरों को निःशुल्क बिजली की सप्लाई देने के लिए कोई स्कीम नहीं है। यद्यपि हरिजनों के घरों का विद्युतीकरण करने के लिए कुछ रियायतें यथा प्रतिभूति राशि वसूल न करना, निःशुल्क सर्विस कनेक्शन देना, प्रत्येक सर्विस कनेक्शन के लिए अधिकतम 40-40 वाट के 2 प्वाइन्टों के लिए प्रत्येक प्वाइंट पर प्रतिमास मासिक ऊर्जा उपभोग एक समान दर से 3/-रु० (बिजली शुल्क समेत) वसूल किए जाते हैं और घरों में 2 प्वाइन्ट तक की वायरिंग बोर्ड की लागत से कराई जाती है।

इसके अन्तर्गत लाभभोगियों की संख्या इस समय सुलभ नहीं है। यद्यपि 31 मार्च, 1982 तक 5705 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया गया है।

4. गुजरात : हरिजनों के घरों को निःशुल्क या रियायती दरों पर विद्युत सप्लाई करने के लिए गुजरात राज्य बिजली बोर्ड ने कोई स्कीम लागू नहीं की है।

5. हरियाणा : हरिजनों के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने या ऊर्जा प्रभारों में रियायत देने के लिए हरियाणा में कोई स्कीम नहीं है। समाज के कमजोर वर्गों की सहायता करने के लिए हरिजन के निवास स्थान में सिंगल प्वाइंट कनेक्शन देने हेतु एक स्कीम आरम्भ की गई है। इस स्कीम के अनुसार 50/-रु० जमा कराने पर राज्य बिजली बोर्ड हरिजन के निवास में मीटर एवं कनेक्शन सहित एक लाइट प्वाइन्ट और एक प्लग प्वाइन्ट की सुविधा देता है। बिना लाभ बिना हानि के आधार पर 50/रु० में से 15/-रु० मीटर की प्रतिभूति के रूप में लिए जाते हैं। और 35/-रु० सिंगल लाइट प्वाइन्ट और प्लग प्वाइन्ट के लिए वायरिंग और बोर्ड के लिए वास्तविक प्रभारों के रूप में लिए जाते हैं। हरियाणा में घरेलू कनेक्शन के लिए सामान्य मीटर प्रतिभूति 30/- रु० है। इस प्रकार हरिजनों को मीटर प्रतिभूति प्रहारों में 15/- रुपये की रियायत दी जाती है। इस प्रकार मई, 1982 तक हरिजन के निवासों में लगभग 32860 सिंगल प्वाइन्ट घरेलू कनेक्शन दिये गये।

6. हिमाचल प्रदेश : हरिजन के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने की कोई स्कीम नहीं है लेकिन कुछ रियायतें दी जा रही हैं। हरिजनों के घरों का विद्युतीकरण करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार आर्थिक सहायता दे रही है और इस आर्थिक सहायता से 1980-81 और 1981-82 के दौरान क्रमशः 2268 और 5147 हरिजनों के घरों को विद्युतीकृत किया गया।

7. कर्नाटक : हरिजनों के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नही है।

8. केरल : हरिजनों के घरों को निशुल्क विद्युत सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

9. मध्य प्रदेश : हरिजन के घरों को निशुल्क विद्युत सप्लाई करने की कोई स्कीम नहीं है। यद्यपि एक स्कीम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को बोर्ड द्वारा बगैर मीटर के सिंगल लाइट प्वाइन्ट कनेक्शन दिया जाता है। हरिजन या आदिवासी जो कि सिंगल लाइट प्वाइंट का उपभोक्ता है, उसे किसी प्रकार के

सर्विस कनेक्शन और प्रतिभूति राशि अग्रिम भुगतान के रूप में नहीं देनी पड़ती। इसके अतिरिक्त प्रारम्भिक 12 महीनों के दौरान विद्युत सप्लाई की सुविधा का लाभ उठाने पर, सिंगल लाइट प्वाइंट कनेक्शन के लिए आन्तरिक वायरिंग की सुविधा हेतु ऐसे उपभोक्ताओं द्वारा प्रतिमाह 1.65 रु० का भुगतान करना अपेक्षित होता है। इसके अतिरिक्त ऊर्जा उपभोग के लिए ऐसे उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 1.35 रु० की निर्धारित नाममात्र राशि देनी पड़ती है जिसमें वर्तमान दर के अनुसार 26 पैसे प्रतिमाह बिजली शुल्क की राशि शामिल नहीं है। मई, 1982 तक हरिजनों को इस प्रकार के लगभग 25075 कनेक्शन दिए गए।

10. महाराष्ट्र : हरिजनों के घरों के लिए निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने हेतु कोई स्कीम नहीं है। अनुसूचित जाति और नवबुद्ध के घरेलू कनेक्शनों के लिए विद्युत सप्लाई हेतु सर्विस कनेक्शन प्रभारों के भुगतान की छूट दी गई है। मार्च, 82 के अन्त तक इस प्रकार के लगभग 1,58,231 कनेक्शन दिए गए।

11. मेघालय : हरिजनों के घरों के लिए निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने या किसी प्रकार की रियायत देने की कोई स्कीम नहीं है।

12. उड़ीसा : हरिजनों के घरों के लिए निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने की कोई स्कीम नहीं हैं।

13. पंजाब : हरिजन के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने के लिए पंजाब राज्य बिजली बोर्ड की कोई स्कीम नहीं है। फिर भी कुछेक रियायतें, यथा वर्तमान दरों से प्रतिभूति की आधी राशि लेना और 20/- रु० मीटर प्रतिभूति राशि की बजाय केवल 2/- रु० मीटर प्रतिभूति राशि लेना; दी जा रही है। इसके अतिरिक्त हरिजनों को सर्विस कनेक्शन प्रभारों की भुगतान से छूट दी गई है और वे सर्विस कनेक्शन प्रभारों के स्थान पर किराया देने का विकल्प दे सकते हैं। अनुसूचित जाति के सदस्यों को घरेलू कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिए जाते हैं। 1,46,336 हरिजनों के घरों को बिजली के कनेक्शन दिए गये हैं।

14. राजस्थान : हरिजन के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

15. तमिलनाडु : 40 वाट के प्रत्येक लैम्प पर 2.50 रु० प्रतिमाह की एक जैसी दर पर

जुलाई, 1979 से ग्रामीण क्षेत्रों में झोंपड़ियों में विद्युत कनेक्शन देने के लिए समाज के सभी कमजोर वर्गों के लिए स्कीम है। इस स्कीम के प्रयोजन के लिए 200 वर्ग फुट से कम क्षेत्र की, कच्ची दीवारों वाली और छप्पर की छत वाले निवास को झोंपड़ी माना गया है। जुलाई, 1982 तक इस स्कीम के अन्तर्गत 4.57 लाख से अधिक झोंपड़ियों का विद्युतीकरण किया गया है।

16. उत्तर प्रदेश : हरिजन के घरों को निःशुल्क विद्युत सप्लाई करने की कोई स्कीम नहीं है। हरिजनों, भूमिहीन मजदूरों और एक एकड़ या इससे कम भूमि वाले किसानों को रियायती दर पर बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1976 में "जनतासर्विस कनेक्शन स्कीम" के नाम से स्कीम चालू की गई है। "जनतासर्विस कनेक्शन स्कीम" के अन्तर्गत मार्च, 1982 तक 28009 कनेक्शन दिए गए हैं।

एल्फिनस्टोन स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स बम्बई

3927. **श्री निहाल सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एल्फिनस्टोन स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल्स बम्बई में मासिक तथा दैनिक मजदूरी पर पर कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं और मिल ने कर्मचारी राज्य बीमा योजना और कर्मचारी भविष्य निधि के रूप में, गत तीन वर्षों के दौरान अपने हिस्से की कितनी राशि जमा कराई है, और कितनी जमा करनी शेष है;

(ख) क्या यह सच है कि इस मिल की दोनों शाखाओं ने भारतीय रुई निगम के साथ 70 लाख 54 हजार रुपये की धोखाधड़ी की है तथा बहुत सी अन्य अनियमितायें की हैं; और

(ग) यदि हाँ, तो इस मिल के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों के अनुसार इस मिल में दिसम्बर, 1982 में 1164 कर्मचारी मासिक मजदूरी पर और 69 कर्मचारी दैनिक मजदूरी पर नियोजित थे। देय राशियों की अदायगी के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों द्वारा बनाई गई स्थिति इस प्रकार है :

कर्मचारी राज्य बीमा की देय राशियां

नियोजक ने पिछले तीन सालों के दौरान 59,45,653 रुपये की राशि का भुगतान किया है और 8, 460 रुपये की राशि अभी बकाया थी।

कर्मचारी भविष्य निधि की देय राशियाँ

इस प्रतिष्ठान को कर्मचारी भविष्य निधि और प्रकीर्ण उपबन्ध अधिनियम, 1952 के अधीन छूट प्राप्त है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, इस प्रतिष्ठान ने अपने न्यासी बोर्ड को 82.51 लाख रुपये की राशि का हस्तांतरण किया और 3.43 लाख रुपये की राशि प्रतिष्ठान की ओर बकाया थी।

(ख) इस मामले के सम्बन्ध में श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय के पास कोई सूचना नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

डाक-दरों में वृद्धि

3928. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** :

श्रीमति माधुरी सिंह : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पत्रिकाओं और किताबी पैकटों पर डाक दरों में कितनी वृद्धि की गई है;

(ख) क्या इंडियन एन्ड ईस्टर्न न्यूज-पेपर सोसाइटी ने सरकार से सभी पत्रिकाओं की डाक-दरों की वृद्धि से मुक्त रखने का अनुरोध किया है क्योंकि इससे विशेष रूप से ग्रामीण और अर्द्ध ग्रामीण क्षेत्रों में पत्रिकाओं के परिचालन पर बुरा असर पड़ेगा; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

संचार मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) उन बुक पैकेटों की डाक-दरों में, जिनमें पत्रिकाएं भेजी जाती हैं, पहले 100 ग्राम के लिए 10 पैसे और प्रत्येक अतिरिक्त 50 ग्राम या उसके किसी अंश के लिए जो 100 ग्राम से अधिक भी हो, में इसी प्रकार 10 पैसे की वृद्धि की गई है।

(ख) जी हां।

(ग) किसी सीमा तक डाक सेवाओं की प्रचालन लागत में हुई वृद्धि को पूरा करने के लिए डाक-दरों में वृद्धि करनी पड़ी। अतः इन पत्रिकाओं को डाक-दरों में की गई वृद्धि से छूट देना संभव न था।

अल्कोहल पर आधारित उद्योगों सम्बन्धी समितियों की सिफारिश

3929. **श्री ए० नीलालोहितादसन नाडार** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अल्कोहल पर आधारित उद्योगों सम्बन्धी श्री ए० स्वामीनाथन समिति और श्री एस० पी० भट्टाचार्य समिति की सिफारिशें क्या थीं। और

(ख) उक्त समिति की सिफारिशों पर भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ)(क) : डा० स्वामीनाथन समिति ने अल्कोहल पर आधारित उपयोगों के लिए पृथक सिफारिशें की हैं जो इस प्रकार हैं :

1. नए यूनिटों को लाइसेंस देने से पहले अल्कोहल पर आधारित उद्योगों को अल्कोहल की उनकी पूर्ण आवश्यकतायें सुनिश्चित करनी चाहिए। अल्कोहल की कमी वाले राज्यों के मामले में अधिक्यता वाले उन राज्यों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर दिया जाना चाहिए जिनके लिए अल्कोहल की सप्लाई करना अपेक्षित है और अल्कोहल के परिवहन के लिए अत्याधिक दूरी को समाप्त किया जाना चाहिए।

2. उद्योगों को अल्कोहल की सप्लाई नियमित होनी चाहिए और मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने तथा नया कोटा प्राप्त करने की पद्धति समाप्त की जानी चाहिए वार्षिक कोटा दिया जाना चाहिए। इस महत्व को समझा जाना चाहिए कि अल्कोहल पर आधारित सभी उद्योग अनवरत उद्योग हैं और यदि ये किसी कारण से बन्द हो जाते हैं तो प्रारम्भ करने और बन्द करने में दक्षता की हानि और अल्कोहल को हानि होगी। यह राष्ट्रीय बरबादी है।

3. अलग-अलग आसवनियों के कुल उत्पादन को समय-समय पर कम से कम एक वर्ष की अवधि के लिए अल्कोहल पर आधरित अलग-अलग उद्योग को आवंटन करना बेहतर है ताकि विगुणक, परिवहन परमिट और रिलीज आर्डर जैसी औपचारिकताओं की योजना बनाई जा सके।

4. उन उद्योगों को कम महत्व दिया जाना चाहिए जिनको प्रतिटन उत्पाद के लिए अपेक्षाकृत अल्कोहल की अधिक आवश्यकता होती है। तथापि, विद्यमान यूनिटो को 3 से 4 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि दर की अनुमति दी जाए। दूरस्थ स्थानों में जहां पेट्रोलियम पर आधारित एथिलीन उपलब्ध नहीं है अल्कोहल पर आधारित एथिलीन यूनिटों को अनुमति दी जाए।

5. अल्कोहल के वैकल्पिक स्त्रोतों का पता लगाने और विद्यमान परम्परागत स्त्रोतों से अल्कोहल का अधिकतम उत्पादन करने के लिए गहन अनुसंधान और विकास कार्य के अलावा गति-हीन एन्जाइम की क्रान्तिकारी नई तकनीकी का प्रयोग करने वाली चुनिदा फर्मन्टेशन प्रक्रियाओं में फर्मन्टेशन प्रौद्योगिकी के नए स्त्रोतों के लिए अनुसंधान और विकास कार्य प्रारम्भ किया जाना चाहिए। अल्कोहल को प्रत्यक्षतः रसायन बूटानोल और एसीटोन में बदला जा सकता है। भारत के लिए गतिहीन प्रौद्योगिकीयों का उपयोग करने के बजाए निम्न ऊर्जाप्रौद्योगिकी का प्रयोग करना ज्यादा उपयुक्त है।

डा० भट्टाचार्य समिति द्वारा की गई सिफारिशें निम्न प्रकार हैं :

1. चीनी कारखानों और आसवनियों को शीरे के लिए पकने और ढके हुए पर्याप्त भण्डारों की व्यवस्था करने के लिये विवश किया जाना चाहिये जिनमें कम से कम चीनी कारखानों में चार महीने के उत्पादन और आसवनी में चार माह की खपत का भण्डार किया जा सके।

2. अल्कोहल के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु निम्न लिखित कदम उठाए जाने अनिवार्य हैं :

(क) अल्कोहल उद्योग को प्राथमिक महत्व दिया जाना चाहिये।

(ख) अल्कोहल के नियन्त्रित मूल्य को संशोधित किया जाना चाहिए और इसे लाभप्रद बनाए रखने के लिए मूल्य फार्मूला में स्वतः वृद्धि की व्यवस्था की जानी चाहिए ।

(ग) उत्पादन की दक्षता में सुधार करने हेतु नए उपकरण और मशीनरी लगाने और नई प्रौद्योगिकी प्रारम्भ करने की प्रेरणा के लिये निवेश और अन्य वित्तीय प्रोत्साहन दिये जाने चाहिए । किसी मामले में यदि नई प्रौद्योगिकीयों का आयात करना पड़े तो केन्द्रीकृत आधार पर उनका आयात किया जाना चाहिए ।

(घ) अल्कोहल की बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये शीरे की कुल उपलब्धता में वृद्धि करने हेतु अल्कोहल के उत्पादन के लिये सभी राज्यों में खण्डसारी शीरे पर भी ध्यान दिया जाना चाहिये

3. उच्च मूल्य वाले रसायन उत्पाद बनाने के लिये अल्कोहल का प्रयोग वरीयता के आधार पर किया जाना चाहिये और ओटोमोटिव ईधन के रूप में इसके प्रयोग पर विचार नहीं किया जाना चाहिये।

4. अल्कोहल के उत्पादन के लिये शीरे के अलावा अन्य अधिक खर्चीले कच्चे मालों के प्रयोग पर केवल तभी विचार किया जाना चाहिये जब शीरे की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध न हो ।

5. विभिन्न निस्त्राव उपचार पद्धतियों का विस्तृत आर्थिक मूल्यांकन एक सक्षम इन्जिनियरिंग फर्म द्वारा कराये जाने का सुझाव दिया है। अल्कोहल के संशोधित मूल्य निर्धारित करते समय निस्त्राव उपचार की अचल और परिवर्तनशील लागतों को ध्यान में रखा जाना चाहिये ।

6. अल्कोहल पर आधारित रसायनों के लिये सुझाई गई भावी योजना में आने वाले दस वर्ष की अवधि के आगे अल्कोहल में उत्पादन में वर्तमान स्तर से 1985-86 तक 900 मिलियन लिटर तक और 1990-91 तक 1400 मिलियन लिटर तक वृद्धि करने की आवश्यकता है । यह केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब एक समयबद्ध राष्ट्रीय अल्कोहल कार्यक्रम तैयार किया जाये जिनको पूरा करने के लिये अपेक्षित दीर्घावधि नीतियां, प्राथमिकतायें और प्रोत्साहन शामिल हों ।

(ख) स्वामीनाथन समिति और डा० भट्टाचार्य समिति की सिफारिशें उपयुक्त कार्यवाही हेतु सभी राज्य सरकारों के ध्यान में लाई जा चुकी हैं ।

कटक, उड़ीसा में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की व्यवस्था

3930. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी योजना के दौरान कटक तथा उड़ीसा के अन्य नगरों व उप नगरों में आकाशवाणी तथा दूरदर्शन केन्द्रों की व्यवस्था करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो उपरोक्त योज ावधि में, उड़ीसा में प्रस्तावित आक शवाणी तथा दूरदर्शन नेटवर्क का स्वरूप क्या है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

·ा और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) :

(क) जी, हां।

(ख) और (ग)

दूरदर्शन

छठी योजनावधि (1980-85) के दौरान कटक में 10 किलोवाट का एक दूरदर्शर ट्रांसमीटर स्थापित किया जाना है। एक कार्यक्रम निर्माण केन्द्र भी भुवनेश्वर में स्थापित करने का प्रस्ताव है। इसके लिये स्थान का चयन कर लिया गया है। अंतरिम उपाय के रूप में नवम्बर, 1982 में भुवनेश्वर में अल्प शक्ति वाला ट्रांसमीटर चालू कर दिया गया है।

इन्सेट योजना के अन्तर्गत कटक में कार्यक्रम निर्माण केन्द्र को क्षेत्र आधारित दूरदर्शन कार्य-मक्र तैयार करने के लिये सुदृढ़ किया जा रहा है।

400 सीधे संग्रहण सामुदायिक अवलोकन सैट, जिन्हें इन्सेट-1 बी के माध्यम से कार्यक्रम प्राप्त होंगे, इन्सेट-1 बी के चालू हो जाने के बाद बोलंगीर, ढेकानल और सम्बलपुर के जिलों में उपलब्ध करने का प्रस्ताव है ।

आकाशवाणी

उड़ीसा में, आकाशवाणी के तीन केन्द्र पहले ही कार्य कर रहे हैं जो 83 प्रतिशत जन-संख्या को सेवा प्रदान करते हैं। कटक का ट्रांसमीटर 100 किलोवाट मीडियम वेव का उच्च शक्ति वाला ट्रांसमीटर है। कवरेश को अधिक से अधिक बढ़ाने के लिये यह दिशिक वरियल पद्धती पर काम कर रहा है। एक किलोवाट मीडियम वेव की क्षमता वाले एक नये केन्द्र को क्योंझर में भी स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। इसके 1985 तक मुकम्मल हो जाने की उम्मीद है।

बिजली के क्षेत्र में विदेशों से सहायता

3931. **श्रीमती जयन्ती पटनायक :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिजली क्षेत्र में विदेशों से सहायता मांगने का है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिए कुछ देशों के साथ बातचीत शुरु की गई है ;

(ग) क्या कुछ देशों ने बिजली के विकास के लिए अपनी पूंजी लगाने की पेशकश की है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार की प्रति क्रिया क्या है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) विद्युत क्षेत्र के लिए इस प्रकार की बाहरी सहायता करने का कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विद्युत क्षेत्र सहित अन्य विभिन्न क्षेत्रों की विशिष्ट परियोजनाओं के समय-समय पर विश्व बैंक तथा अन्य बाहरी एजेन्सियों को वित्त-व्यवस्था प्रदान करने तथा द्विपक्षीय आधार पर सहायता के लिए प्रस्तुत किया जाता है ।

(ख) विश्व बैंक को सहायता के लिए प्रस्तुत की गई परियोजनाओं का विश्व बैंक द्वारा मूल्यांकन किया जा रहा रहा है । इस सम्बन्ध में, मूल्यांकन प्रक्रिया के एक भाग के रूप में, विश्व बैंक के पदाधिकारियों के साथ विचार-विमर्श चल रहा है ।

एक नई ताप विद्युत परियोजना के बारे में यू० एस० एस० आर० तथा भारत के बीच सहयोग की संभाव्यता के बारे में यू० एस० एस० आर० से प्रारम्भिक विचार-विमर्श हो चुका है ।

अनपारा "बी" ताप विद्युत परियोजना तथा तमिलनाडु में माईक्रो जल विद्युत परियोजना के लिए 1982-83 के लिए जापान ने 26.1 येन बिलियन की ऋण सहायता देने का वचन दिया है । जापान के साथ बातचीत प्रारम्भ हो गई है ।

(ग) और (घ) विद्युत परियोजनाओं के लिए उपस्कर की सप्लाई करने के लिए विदेशों/ विदेशी कम्पनियों से अनेकों प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं । इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

उड़ीसा में औषधि यूनिट की स्थापना

3932. **श्रीमती जयन्ती पटनायक**

श्री चिंतामणि पाणिग्रही : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में प्राथमिक औषधि यूनिट की स्थापना करने का प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिए कौन सा स्थान चुना गया है ; और

(ग) उक्त प्रस्ताव को कब क्रियान्वित किया जा रहा है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री वसंत साठे) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता ।

तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को ओ० एस० वी० की आवश्यकता

3933. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अपनी तेल खोज परियोजनाओं के लिये तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को कितने ओ० एस० वी० की आवश्यकता है ;

(ख) सरकार ने उन पोतों की खरीद के लिये क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) ओ. एस. वी. की किसी भी समय आवश्यकता कार्यरत अपतटीय रिगों और प्लेफामों की संख्या पर निर्भर होती है इसलिए वह समय समय पर बदलती रहती है ।

(ख) और (ग) इस समय ओ. एन. जी. सी. के पास 1 ओ. एस. सी. है और 8 ओ. एस. वी. के निर्माण के लिए मैसर्स मजगांव डाक लि० को आदेश दिये हैं । पहले किस्म की ओ. एस. वी. के लिए विड्स (बोलियाँ) प्राप्त हुई हैं जिनका मूल्यांकन किया जा रहा है तथा दूसरी किस्म के लिए विड्स (वोलियां) प्राप्त करने की अन्तिम तिथि 29.4.1983 है ।

विदेशी सहयोग से तटदूर "रिग्ज" बनाना

3934. **डा० कृपा सिंधु भोई** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेशी सहयोग से अब तक "रिग्ज" बनाने के प्रस्ताव को अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और यदि कोई करार हुआ है तो उसकी शर्तें क्या हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय के पेट्रोलियम विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गार्गी शंकर मिश्र) : (क) जी, नहीं, ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के पास अन्धेरिया, क्रोसिंग पर भट्ठी खान श्रमिकों के जलूस पर लाठी चार्ज

3035. **श्री कृपा सिंधु भोई** :

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या दिल्ली पुलिश ने हाल ही में दक्षिण दिल्ली में छतरपुर के निकट अन्धेरिया कोसिंग पर भट्टी खान श्रमिकों के जलूस पर लाठी चार्ज किया था ;

(ख) यदि हां, तो कितने व्यक्तियों को चोट आई ;

(ग) भट्टी खानों के श्रमिकों की क्या मांगें हैं ; और

(घ) उन पर विचार करने और जोखिम से श्रमिकों की रक्षा के लिए खानों में सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय खान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष ने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था। इस ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ भट्टी खानों में हुई दुर्घटनाओं के कारणों की न्यायिक जांच करने, खान अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने, प्रतिकर की अदायगी करने आदि की मांग की गई थी।

(घ) दिल्ली उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायमूर्ति श्री वी. एस. देशपाण्डे की अध्यक्षता में एक जांच न्यायालय नियुक्त किया गया है, ताकि वह अन्य बातों के साथ खानों में दुर्घटनाओं के कारण/कारणों की जांच करे और सुधारात्मक उपायों का सुझाव दें।

इस बीच, अधिकारी तथा मंत्री स्तरों पर हुई बैठकों के बाद, दिल्ली प्रशासन को निम्नलिखित कार्यवाही करने को कहा गया है :

1. ऐसे स्थानों पर खनन प्रक्रिया रोक दी जाये जहां खतरनाक स्थिति पाई जाये।

2. पुलिश टुकड़ियां बैठाई जानी चाहिये और ऐसे क्षेत्रों को, जहां निशेधाज्ञायें लागू हैं, छान डालना चाहिये ताकि खनन प्रक्रियायें रोकी जा सके।

3. उन व्यक्तियों को, जो कुछ खानों के बन्द हो जाने पर बेकार हो गये हैं, रोजगार देने के लिये नए खनन क्षेत्रों का पता लगाया जाये और दिल्ली राज्य औद्योगिक विकास निगम बिना किन्हीं बिचौलियों के इन क्षेत्रों में स्वयं व्यवस्थित और वैज्ञानिक ढंग से खनन संक्रियायें आरम्भ करे।

4. दिल्ली प्रशासन खानों में काम-काज की दशाओं को सुधारने, विशेषकर उस अधिभार इत्यादि, जो खतरनाक हैं, को हटाने के लिए तुरन्त कार्यवाही करे और पीने के पानी तथा अन्य अनिवार्य सुविधाओं की पर्याप्त व्यवस्था करे।

5. दिल्ली प्रशासन कानून के अनुसार मुआवजे के भुगतान के लिए शीघ्र व्यवस्था करे।

इसके अतिरिक्त, मुख्य श्रमायुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशक को निदेश दिए गए हैं

कि वे अपने निरीक्षण तेज कर दें और श्रम कानूनों के उल्लंघन के लिए उत्तरदायी सभी व्यक्तियों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही आरम्भ करें ।

केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मानीटरिंग निदेशालय

3936. **श्री हरीश रावत** : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में मानीटरिंग निदेशालय गठित किया है जिसमें तत्सम्बन्धी विभिन्न "डिसिपलिन" विभाग शामिल किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो इस निदेशालय की मुख्य गतिविधियां क्या होंगी; और

(ग) क्या यह नवगठित निदेशालय उन परियोजनाओं के कार्यकरण की भी निगरानी करेगा जो राज्य बिजली बोर्डों के सीधे नियन्त्रण में हैं ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में एक निर्माण मानीटरिंग संगठन की स्थापना की गई है इसमें जल विद्युत, ताप विद्युत तथा पारेषण प्रणालियों के लिए दो-दो निदेशालय शामिल हैं ।

(ख) इस संगठन के मुख्य कार्य ये होंगे :

(1) कार्यक्रम के अनुसार सभी विद्युत परियोजनाओं को पूरा करने तथा चालू करने में सहायता देना ।

(2) समय तथा लागत के सम्बन्ध में वास्तविक या प्रत्याशित कमियों के बारे में सामयिक तथा संगत सूचना प्राप्त करना ।

(3) ऐसी कमियों के लिए उचित प्रबन्ध स्तरों पर सुधारात्मक कार्रवाई प्रारम्भ करने हेतु घटनाओं या बदली हुई स्थितियों तथा उत्तरदायी एजेन्सियों का पता लगाना ।

(4) चालू करने से पहले किए जाने वाले परीक्षाओं से पहले प्रचालन तथा अनुरक्षण स्टाफ की नियुक्ति, प्रशिक्षण तथा उनके द्वारा कार्यभार सम्भालने की सुनिश्चितता ।

(5) समय अवधि पर एक केन्द्रीय डाटा बैंक की स्थापना करना तथा विभिन्न कार्यकलापों और प्रचालन कार्यकलापों के लिए संसाधनों का अनुमान लगाना । इस डाटा आधार को भविष्य में नई परियोजनाओं की कारगर आयोजना करने तथा अनुभव का लाभ उठाने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।

(ग) जी, हां ।

अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ में विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत की गई नई योजनाएं

3937. **श्री हरीश रावत** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982 के दौरान उत्तर प्रदेश के अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जिलों के लिए आर. ई. सी. योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई नई योजना का ब्यौरा क्या है तथा उनके क्या नाम हैं; और उन पर कितनी राशि व्यय होगी और वे कब तक पूरी हो जाएगी;

(ख) उनके मन्त्रालय में विचाराधीन अन्य और कितनी योजनायें हैं; और

(ग) इन योजनाओं को कब तक स्वीकृति दी जाएंगी ?

उर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्र शेखर सिंह) : (क) ग्राम विद्युतीकरण निगम ने कलेण्डर वर्ष 1982 के दौरान 99.25 लाख रु० की ऋण सहायता सहित जिला अल्मोड़ा में एक ग्राम विद्युतीकरण स्कीम तथा उत्तर-प्रदेश के जिला पिथौरा गढ़ में 3 स्कीमों की मंजूरी 281,55 लाख रुपये की ऋण सहायता के साथ दी है।

स्कीमों के नाम तथा ब्यौरे निम्नानुसार हैं :

क्रम सं० स्कीम का नाम (ब्लाक/जिला)	ऋण राशि (लाख रुपये में)	विद्युतीकरण किए जाने वाले गांवों की संख्या
जिला अल्मोड़ा		
1. बागेश्वर	99.25	143
जिला पिथौरागढ़		
1. कनालीहिनाई	95.97	163
2. मुनाकोट	88.41	117
3. पट्टी	97.17	127

उपरोक्त स्कीमें प्रत्येक स्कीम के अन्तर्गत परिकल्पित कार्यक्रम के अनुसार 1987-88 में पूरे हो जाने की सम्भावना है।

(ख) और (ग) ग्राम विद्युतीकरण निगम के अनुसार, 260.88 लाख रु० को वित्तीय परिव्यय पर अल्मोड़ा के लिए तीन स्कीमें, तथा 185.47 लाख रु० के वित्तीय परिव्यय सहित जिला अल्मोड़ा के लिए 2 स्कीमें, उत्तर प्रदेश विद्युत बोर्ड से वित्तीय सहायता की मंजूरी के लिए प्राप्त हुई है तथा ग्रा०वि०नि० में इनका परीक्षण विभिन्न चरणों में किया जा रहा है तथा इन

स्कीमों को चालू वित्तीय वर्ष के समाप्त होने तक या अगले वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ में स्वीकृत किए जाने की सम्भावना है।

आकाशवाणी में कार्य कर रहे, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

3938. **श्री लक्ष्मण मलिक** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1980 से 1982 तक की अवधि के दौरान देश के आकाशवाणी केन्द्रों में कार्य कर रहे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या कितनी थी और क्या उन्हें प्रथम, दूसरी और तीसरी श्रेणी के रोस्टरों के अनुसार प्रतिनिधित्व दिया गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस सम्बन्ध में सरकार का आगे क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन) : (क) और (ख) आकाशवाणी और इसके कार्यालयों तथा केन्द्रों में कार्यरत समूह "क", "ख" और "ग" के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या इस प्रकार है :

समूह	अनुसूचित जाति के कर्मचारी			अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी		
	1980	1981	1982	1980	1981	1982
"क"	32	35	39	7	15	16
"ख"	167	181	207	54	56	79
"ग"	1030	1021	1023	412	400	403

यह उल्लेखनीय है कि आरक्षण सम्बन्धी आदेश इन सभी कार्यालयों में विभिन्न ग्रेडों में होने वाली रिक्तियों पर लागू होते हैं। रिक्तियों को आरक्षण सम्बन्धी आदेशों के अनुसार विधिवत् भरा भी जाता है। तथापि, जब भर्ती स्रोतों अर्थात् कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार कार्यालय आदि से उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते तो सरकार के आदेशों के अनुसार, रिक्तियों को विधिवत् अनारक्षित करवाया जाता है और उनको आगे ले जाया जाता है।

विद्युत विभाग को केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन लाने के बारे में राज्यों के विचार

3939. **श्री जैनुल बशर** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विद्युत विभाग को केन्द्रीय क्षेत्र के अधीन लाने के बारे में राज्य सरकारों के विचार पूछे गए हैं और क्या उनकी प्रतिक्रिया प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, विद्युत के उत्पादन और पारेषण में केन्द्र की अधिक भूमिका के सम्बन्ध में विद्युत समिति की सिफारिशें राज्य सरकारों को उनके विचार जानने के लिए भेजी गई हैं। कुछ राज्यों ने इन सिफारिशों पर आशंकाएं व्यक्त की हैं। इसमें निहित नीति सम्बन्धी प्रभारों को ध्यान में रखते हुए, आगे कोई कार्रवाई करने से पूर्व राज्यों के बीच मतैक्य बनाने की दृष्टि से उनके साथ परामर्श जारी रखना आवश्यक समझा गया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोडा ऐस पर आयात शुल्क

3940. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि 6.1.81, 13.1.81 तथा 28.2.82 को सोडा ऐश पर आयात शुल्क में वृद्धि के लिए निवेश करने के क्या कारण थे जबकि सरकार ने सदन को आश्वन किया था कि मूल्यों को औद्योगिक लागत और शूल्य ब्यूरों से जिसे लागत अध्ययन के लिए पहले ही कह दिया गया है, लागत अध्ययन रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उपभोक्ता एशोसिएशनों से परामर्श कर निर्धारित किया जाएगा ?

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : सोडा क्षार पर आयात शुल्क की दरों में मद की अन्तर्राष्ट्रीय और स्वदेशी बाजार में विद्यमान कीमतों और मांग को पूरा करने के लिए उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर संशोधन किया जाता है। मन्त्री महोदय ने यह वक्तव्य दिया था कि मूल्य निर्धारण का निर्णय लेने से पूर्व उपभोक्ता सघों से भी परामर्श किया जायेगा। यह स्वदेशी उत्पादकों के मूल्यों के बारे में था। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध करा दी गई है और अन्तरग्रस्त विभिन्न मामले विचाराधीन हैं।

"तमिलनाडु मुख्य न्यायमूर्तियों के स्थानांतरण के विरुद्ध" शीर्षक समाचार

3941. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान "हिन्दू" के बंगलौर से प्रकाशित संस्करण में तारीख 12 फरवरी, 1983 को प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि तमिलनाडु मुख्य न्याय-

मूर्तियों के स्थानान्तरण के विरुद्ध है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) सरकार ने इस सम्बन्ध में प्रैस रिपोर्ट देखी है ।

(ख) सरकार सब उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायमूर्तियों को बाहर से लेने की नीति पर दृढ़ है ।

हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड के कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते का भुगतान

3942. **श्री रशीद मसूद** : क्या ऊर्जा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड उन कर्मचारियों को, 40 रुपये प्रतिमाह मंहगाई भत्ते का भुगतान कर रहा है, जो कारपोरेशन के रोल में जून, 1980 में थे और उन कर्मचारियों को इससे वांचित कर रहा है जो हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन में जून 1980के बाद आए थे; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन की वार्षिक विवरणियां

3943. **श्री भीखा भाई** : क्या श्रम और पुनर्वास मन्त्री ट्रेड यूनियनों द्वारा वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत करने के बारे में 2 नवम्बर, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3608 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय खाद्य निगम कर्मचारी यूनियन के सदस्यों की 31 दिसम्बर, 1980 को संख्या कितनी थी; और

(ख) इस यूनियन द्वारा 31 दिसम्बर, 1981 को समाप्त होने वाले वर्ष की वार्षिक विवरणियां प्रस्तुत न करने के क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना सम्बन्धित प्राधिकरणों से मांगी गई है और वह यथा-समय सदन की मेज पर रख दी जाएगी ।

आंध्र प्रदेश में टेलीफोन के पुराने उपकरणों का बदला जाना

3944. **श्रीमती विद्या चेन्नुपति** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे

कि :

(क) आंध्र प्रदेश में टेलीफोन केन्द्रों के उपकरण और सम्बन्धित मशीनरी कितनी पुरानी है;

(ख) क्या यह सच है कि उस राज्य में टेलीफोन प्रणाली के कार्य में विफलता की शिकायतें वहां टेलीफोन केन्द्रों में अप्रचलित उपकरणों के कारण होती हैं;

(ग) क्या पुराने उपकरण बदलने का विचार है; और

(घ) इस सम्बन्ध में बनाई गई योजना का ब्यौरा क्या है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) आंध्र प्रदेश के कुल 1500 टेलीफोन एक्सचेंजों में से लगभग आधे टेलीफोन एक्सचेंज गत 5 वर्षों के दौरान स्थापित किए गये हैं। सबसे पुराना एसक्चेंज विशाखापटनम में स्थित है जो 1965 में स्थापित किया गया था।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जी, नहीं। किसी भी एक्सचेंज को अभी नहीं बदला जाना है क्योंकि टेलीफोन एक्सचेंज उपस्कर की सामान्य कार्य-अवधि 25 वर्ष है।

(घ) निजामाबाद, एलूरू और कुरनूल हस्तचल एक्सचेंजों के स्थान पर स्वचल एक्सचेंज स्थापित करने की योजनाएं तैयार की गई हैं।

टेलीफोन कालों के गलत बिल भेजना

3945. **श्री गुलशेर अहमद** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि टेलीफोन कालों, ट्रंक कालों और फोनोग्राम के गलत बिल बनाने की सिकायतें आई हैं; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कुशलता के स्तर को सुधारने के लिए क्या उपाय करने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : (क) जी हां, हमें उपभोक्ताओं से कुछ शिकायतें प्राप्त होती हैं।

(ख) जहां तक प्रतिलेखन और मीटर-पठन में लिपिकीय आदि में त्रुटियां होने का सम्बन्ध है, सभी फील्ड यूनिटों को इस कार्य में अत्यधिक सतर्कता बरतने के लिए उचित अनुदेश दे दिये गए हैं। महानगरीय जिलों में, गणितीय गलतियों को दूर करने के लिए टेलीफोनों के बिल बनाने

का कार्य कम्प्यूटरों द्वारा किया जा रहा है। तकनीकी दोषों के कारण गलत। अधिक राशि के बिलों की घटनाओं में कमी करने के उद्देश्य से अनेक कदम भी उठाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं :

(एक) क्रासबार एक्सचेंजों में पोजिटिव बैटरी मीटरिंग शुरू करना।

(दो) दिन-रात के परियात पर स्वचल स्विच की व्यवस्था।

(तीन) यदि उपभोक्ता द्वारा किसी अन्य उपभोक्ता को ट्रंक काल की गई हो, तो हैल्ड कन्डीशन पर फोसर्ड रिलीज पीरियड को घटाकर 1 से 2 मिनट के स्थान पर 10 से 20 सैकण्ड करना।

(चार) जिस उपभोक्ता को काल की गई है, जवाब देने की स्थिति में उसकी पहचान के के लिए स्वचल ट्रंक एक्सचेंजों में 500 मिली सैकण्ड का समय देना शुरू करना।

(पांच) उपभोक्ताओं के मीटरों का नैत्यिक परीक्षण।

हेरा-फेरी को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं, जिनकी वजह से मीटर पर अधिक बिल आने की शिकायतें होती हैं :

(क) मीटरों पर शील लगाना।

(ख) मीटर कक्षों पर ताला लगाना।

(ग) एम०डी०एफ० कक्ष (मुख्य वितरण फ्रेम कक्ष) में प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाना।

(घ) विवरण प्वाइंटों को ऊंचा करना।

(ङ) वितरण प्वाइंटों पर ताला लगाना।

मीटर पर अधिक राशि के बिल आने से सम्बन्धित घटनाओं में कमी करने और बिल सम्बन्धी शिकायतों को निपटाने में मदद देने के लिए भी आगे और कदम उठाए जाने के प्रस्ताव हैं, जो नीचे दिए गए हैं :

(एक) प्रभार विश्लेषण उपस्करों की व्यवस्था।

(दो) लाइनों के विपथन को एक दण्डनीय अपराध बनाने के लिए तार अधिनियम का संशोधन।

(तीन) एक्सचेंज में एक विशेष नम्बर की व्यवस्था करना जिस पर एल. टी. डी. के हैल्ड-अप मामलों के सम्बन्ध में शिकायत की जा सके।

(चार) स्वचल सन्देश लेखाविधि सुविधा की व्यवस्था ताकि टेलीफोन उपभोक्ताओं को

ब्यौरे वार बिल जारी किए जा सकें।

(पांच) उपभोक्ताओं द्वारा की गई कालों को मानीटर करने के लिए सिंगल-लाइन प्रेक्षण उपस्कर और मल्टी-लाइन प्रेक्षण उपस्कर प्राप्त किए जा रहे हैं।

पालामाऊ जिले (बिहार) में बालमाथी खण्ड के फायरक्ले खानों के श्रमिकों द्वारा न्यूनतम मंजूरी, बोनस तथा कानूनी अधिकारों की मांग

3946. **श्री शिव प्रसाद साहू** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार के पालामाऊ जिले के बालूमाथी खण्ड के नवादा, चुताम, सरका, यूनाइटेड सरका तथा छापर फायर-क्ले खानों में काम करने वाले मजदूर लम्बे समय से न्यूनतम मजदूरी, बोनस तथा कानूनी अधिकारों की मांग कर रहे हैं ;

(ख) क्या उक्त खानों के मालिकों द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम तथा बोनस अदायगी सम्बन्धी नियमों के उल्लंघन के बारे में केन्द्रीय श्रम विभाग के अधिकारियों को जानकारी दी गई है;

(ग) क्या अब तक न तो कोई अधिकारी इन खानों में गया है और न ही खान-मालिकों के विरुद्ध कोई मामला दर्ज किया गया है जिससे कि स्थिति विस्फोटक होती जा रही है और मजदूर श्रम विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध आन्दोलन का रवैया अपना रहे हैं ;

(घ) यदि उपरोक्त (ख) भाग का उत्तर स्वीकारात्मक है तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) से (घ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और यथाशीघ्र सदन की मेज पर रख दी जाएगी।

सोडा ऐश का मूल्य

3947. **श्री रत्न सिंह राजदा** : क्या **रसायन और उर्वरक** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने हाल ही में 3 फरवरी, 1983 को हुई इन्डियन कैमिकल्स मेनु-फैक्चरर्स एसोसिएशन की बैठक में कहा है कि सरकार-सोडा ऐश के निर्माताओं को उचित मूल्य देने की अनुमति के बारे में चिन्तित है ;

(ख) क्या यह सच है कि उपभोक्ता एसोसिएशन सोडा ऐश की कीमत में कमी के लिए सरकार से अनुरोध कर रही है ;

(ग) क्या यह सच है कि उन्होंने स्वीकार किया है कि कुछेक निर्माता असामान्य लाभ कमा रहे हैं ; और

(घ) यह देखते हुए कि मन्त्रालय ने यह स्वीकार किया है कि निर्माता लाभ कमा रहे हैं सोडा ऐस की कीमतों में कमी करने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) से (घ) उपभोक्ता संघ सरकार से अभ्यावेदन कर रहे हैं कि स्वदेशी उत्पादकों के सोडा ऐश के मूल्यों को कम किया जाए। अभिभाषण में सोडा ऐश से सम्बन्धित पैरा, ग्राफ नीचे उद्धृत किए जाते हैं।

जहां तक सोडा ऐश का सम्बन्ध है, स्वदेशी उत्पादन 6 लाख टन का है। जबकि मांग लगभग 7 लाख टन की है। मांग की कमी तथा स्टाक जमा हो जाने के कारण कुछ उत्पादकों ने उत्पादन में कटौतियां भी की हैं। तथापि, यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि 1982 की अन्तिम तिमाही के दौरान उत्पादन में वृद्धि हुई है। सोडा ऐश के मामले में भी आयात शुल्कों की कुल मात्रा 100 प्रतिशत से अधिक हो जाती है। इस समय शुल्कों को पुनरीक्षित करने या आयातों को सीमित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, विशेषकर वर्तमान मांग तथा स्वदेशी उत्पादन को ध्यान में रखते हुए। ग्लास तथा सोलियम सिंडिकेट के निर्माताओं के अतिरिक्त, सोडा ऐश बड़ी मात्रा में उपभोग की जाने वाली मद है। इसका धोबियों द्वारा तथा घरों की धुलाई की सामग्री के रूप में उपयोग किया जाता है। स्वदेशी उत्पादकों द्वारा लिया जाने वाला मूल्य भी एक सम्बद्ध पहलू है। इनको ध्यान में रखते हुए, शुल्कों के पुनरीक्षण तथा आयात का प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में सरकार सतर्कता का रवैया अपनाना चाहेगी। वे फिर कमी नहीं होने देंगे, जैसे कि वर्ष 1978 में हुई थी।

सरकार सोडा ऐश के स्वदेशी उत्पादकों को उचित मूल्य स्वीकृत करने के बारे में समान रूप से चिन्तित है। औद्योगिक लागत और मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) ने मामले की जांच की है और अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि सरकार यथाशीघ्र इस मामले में निर्णय लेगी।

266 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में कालों का न मिलना

3 48. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या संचार मन्त्री बिहार के जिलों में नए पब्लिक काल आफिस खोलने के बारे में 10 अगस्त, 1982 के अतारांकित प्रश्न सं० 4761 के उत्तर के सम्बन्ध में और 22.2.83 को सभा पटल पर रखे गए आश्वासन के क्रियान्वयन का विवरण देते हुए यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान 266 सार्वजनिक टेलीफोन कार्यालयों में किसी काल के न मिलने के विशिष्ट कारण क्या है और इस कमी को दूर करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाए गए हैं ; और

(ख) उन कार्यालयों की वर्ष 1982 में कार्य निष्पादन कैसा रहा है ?

संचार मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री विजय एन. पाटिल) : (क) और (ख) जानकारी एकत्र की जा रही है और बाद में सभा-पटल पर रख दी जाएगी।

औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत असफलता प्रतिवेदन

3949. **श्री ए० के० राय** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्री दुर्गा प्रसाद बनाम भारत सरकार तथा अन्य के 1982 के सी० डब्लू० जे० सी० संख्या 103 में दिनांक 2.7.1982 के पटना उच्च न्यायालय की रांची पीठ के उस आदेश की ओर मंत्रालय का ध्यान आकर्षित किया गया है जिसमें सहायक श्रम आयुक्त (सी) धनबाद को औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 12 के संदर्भ में उपयुक्त सरकार को असफलता प्रतिवेदन पेश करने हेतु निदेश दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या मंत्रालय द्वारा सहायक श्रम आयुक्त (सी) धनबाद को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि वह उसी आधार पर, जो श्री दुर्गा प्रसाद के मामले में था, सहायक श्रम-आयुक्त (सी) धनबाद द्वारा बंद किए गए अन्य मामलों के असफलता प्रतिवेदन भेजे; और

(ग) उच्च न्यायालय के उपरोक्त आदेश के अनुसार औद्योगिक विवाद अधिनियम के अंतर्गत रेल विवादों से निपटने के लिए रेलवे श्रमायुक्त (सी), धनवाद को परामर्श न देने के कारण क्या हैं ?

श्रम और पुनर्वास मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) जी हां।

(ख) पटना उच्च न्यायालय (रांची पीठ) का दिनांक 2-7-1982 के आदेश केवल श्री दुर्गा प्रसाद के मामले पर विशिष्ट रूप से लागू होते हैं। तदानुसार श्री दुर्गा प्रसाद सम्बन्धी औद्योगिक विवाद पर आवश्यक कार्यवाही के लिए धनबाद स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) को निर्देश जारी किए गए थे और धनबाद स्थित सहायक श्रमायुक्त (केन्द्रीय) द्वारा संराधन विफलता रिपोर्ट को प्रस्तुत किए जाने के परिणामस्वरूप, श्री दुर्गा प्रसाद के मामले की जांच की गई और 2-12-1982 को यह मामला केन्द्रीय सरकार ने औद्योगिक अधिकरण एवं श्रम न्यायालय संख्या II, धनबाद को भेजा चूंकि पटना उच्च न्यायालय (रांची पीठ) ने कोई सामान्य निर्देश नहीं दिये, इसलिए कोई सामान्य निर्देश आवश्यक नहीं समझे गए।

(ग) रेलवे में नियोजित कर्मकार औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के उपबन्धों के अंतर्गत आते हैं। रेलवे कर्मचारियों को रेलवे कर्मचारियों और रेलवे प्रबन्धतंत्र के बीच उत्पन्न विवाद सुलझाने के लिए रेल मन्त्रालय द्वारा गठित एक तीन स्तरीय स्थायी वार्ताकारी तंत्र के भी लाभ प्राप्त होते हैं। स्थायी वार्ता तंत्र में आल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन और नेशनल फेडरेशन आफ इंडियन रेलवेमेन के प्रतिनिधि हैं। इसके अलावा, रेलवे कर्मकार अपने विवाद निपटाने के लिए संयुक्त संराधन तंत्र (जे० सी० एम०) में भी भाग ले रहे हैं। जब कभी विभागीय तंत्र सफल नहीं होता है तो श्रम मंत्रालय के अधीन केन्द्रीय औद्योगिक संबंध तंत्र रेलवे कर्मकारों से सम्बन्धित विवादों में मध्यस्थता करता है।

सौर ऊर्जा पर आधारित फोटो-वोलटेक प्लाटों के उत्पादन के लिए तकनीकी सहयोग तथा जानकारी

3950. **श्री प्रताप भानु शर्मा** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारत में सौर ऊर्जा पर आधारित फोटो-वोल्टेक प्लाटों का वाणिज्यिक स्तर पर उत्पादन करने पर सक्रियता से विचार कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उपरोक्त प्रणाली के प्रस्ताव क्या हैं ?

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) से (ग) भारत में सौर फोटो-वोल्टेक सैलों, पैनालों और प्रणालियों के निर्माण अतिरिक्त ऊर्जा स्त्रोत आयोग द्वारा प्रायोजित एक कार्यक्रम के अधीन एक प्रायोगिक संयंत्र में केन्द्रीय इलैक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा किया जाता है। प्रकाश जलम्पन दूर संचार, रेडियों और टेलीविजन सेटों आदि के लिए कई फोटो-वोल्टेक प्रणालियां देश के विभिन्न भागों में स्थापित कर दी गई हैं ताकि इनका प्रदर्शन और क्षेत्रीय परीक्षण किया जा सके। इन पैनलों और प्रणालियों का उत्पादन धीरे-धीरे बढ़ रहा है। अन्य देशों में भी सरकार को समय-समय पर तकनीकी सहयोग के लिए सुझाव प्रस्ताव मिलते रहते हैं। सरकार इन पर खर्च, मांग, प्रौद्योगिकी स्तर और अन्य बातों को देखते हुए विचार करती है। इस सम्बन्ध में अन्य देशों में जो विकाश हो रहा है सरकार उसकी भी जानकारी रखती है।

मतदान की इलेक्ट्रानिक मशीन की लागत

3951. **श्रीमती जयंती पटनायक** :

श्री चिरंजी लाल शर्मा : क्या विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निर्वाचनों में मतदान की इलेक्ट्रानिक मशीन का अधिक क्षेत्रों में उपयोग किए जाने के बारे में क्या कार्यक्रम है;

(ख) परम्परागत ढंग की तुलना में नई प्रणाली से प्रति निर्वाचन-क्षेत्र कितना खर्च आता है ; और

(ग) इस प्रणाली को पूरे देश में लागू करना कब तक संभव हो सकेगा ?

विधि, न्याय और कंपनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : (क) और (ग) निर्वाचन आयोग का विचार धीरे-धीरे सभी निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की इलेक्ट्रानिक मशीन का प्रयोग प्रारंभ करने और इस प्रयोजन के लिए यथासमय लगभग 3 लाख मशीन प्राप्त करने का है। किन्तु यह बात मशीनों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने और उनकी खरीद के लिए आवश्यक धन होने पर निर्भर करती है। तब तक निर्वाचन आयोग राज्य विधान सभाओं और लोक सभा, दोनों के सुविधाजनक

उप-निर्वाचनों में इस मशीन की परिक्षा करना चाहता है। इस सम्बन्ध में स्पष्ट रूप से कोई ऐसी समय सीमा बतलाना कठिन है जिस तक सारे देश में मतदान की इलेक्ट्रानिक मशीन का प्रयोग संभव हो सकेगा।

(ख) निर्वाचन आयोग ने प्रति निर्वाचन क्षेत्र में मतदान की इलेट्रानिक मशीन से निर्वाचन की लागत की गणना नहीं की है। इस समय इस सम्बन्ध में वास्तविक ब्यौरे की गणना करना कठिन है कि मतदान की परम्परागत प्रणाली की तुलना में बचत कितनी होगी। निर्वाचन आयोग के के अनुसार हमारे निर्वाचनों में यदि मतदान की इलेक्ट्रानिक मशीन का प्रयोग किया जाता है तो मूर्त और अमूर्त दोनों प्रकार के व्यय में पर्याप्त बचत हो सकेगी।'

विदेशों में श्रमिकों की नियुक्ति को नियमित किया जाना

3952. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या **श्रम और पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि जनशक्ति के निर्यात का दावा करने वाली एजेंसियों की सेवाओं का उपयोग करके देश में तकनीकी दृष्टि से कुशल और अकुशल व्यक्तियों को भरती करने के लिये एक अरब प्रति-निधि मण्डल ने देश की यात्रा की थीं ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की भी जानकारी है कि भरती में आपत्तिजनक तरीके अपनाए गये थे और इसमें बड़ी धनराशि का अवैध लेन-देन हुआ था और भारतीय राष्ट्रिकों के साथ अपमान-जनक व्यवहार किया गया था ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार का ऐसी नियुक्तियों को नियमित करने के लिए और इन एजेंसियों के समक्ष अपमान करने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) जी, हां। सऊदी अरब के स्वास्थ्य मन्त्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का एक अरब प्रतिनिधि-मंडल दिसम्बर, 1982 में दिल्ली में आया था, जिसका उद्देश्य सऊदी अरब सरकार के स्वास्थ्य विभाग में नियोजन हेतु साक्षात्कार आयोजित करना तथा कार्मिकों को भर्ती करना था। सरकार की सूचना के अनुसार ये साक्षात्कार उक्त सरकारी प्रतिनिधि-मण्डल ने स्वयं आयोजित किए प्रतिनिधि-मंडल ने कतिपय स्थानीय भर्ती एजेंटों को मुख्तार-नामा दिया था ताकि वे उत्प्रवास औपचारिकताओं को पूरा करने के काम में सहायता दे सकें। तथापि, श्रम मंत्रालय के हस्तक्षेप करने पर. भर्ती ऐजेन्टों को दिया गया मुख्तार-नामा वापिस ले लिया गया और प्रत्येक व्यक्ति उत्प्रवास की अनुमति लेने के लिए सीधे उत्प्रवास संरक्षी के पास गया।

(ख) भर्ती के मामले में गैर-कानूनी कार्य किए जाने के बारे में सरकार को एक रिपोर्ट मिली थी, जिसमें तीन उत्प्रवासी और दो ऐजेन्ट अन्तर्ग्रस्त थे और इस रिपोर्ट की जांच के लिए पुलिस प्राधिकारियों को भेज दिया गया था। भारतीय नागरिकों के प्रति किसी प्रकार का अपमान-जनक बरताव किए जाने के बारे में कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई।

(ग) विदेश में रोजगार के लिए भारतीयों की भर्ती में शोषण और गैर-कानूनी कार्य किए जाने की सभी शिकायतों की श्रम मंत्रालय द्वारा भारतके पुलिस प्राधिकारियों तथा विदेश में स्थित भारतीय मिशनों से परामर्श करके तत्काल जांच की जाती है। उत्प्रवास संबंधी नया विधान पेश करने सम्बन्धी एक प्रस्ताव विचाराधीन है।

सरकार द्वारा कामगार कल्याण निधि योजना को देय धनराशि के हिस्से का भुगतान

3953. **श्री बी० वी० देसाई :**

श्री पी०एम० सईद : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार उन चूक-कर्ताओं में से एक है, जिन्होंने कामगार कल्याण निधि योजना को देय धनराशि के अपने हिस्से का भुगतान नहीं किया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की 1981-82 की रिपोर्ट के अनुसार कल्याण योजना के अन्तर्गत 111.301 स्थापनाएं आती हैं और कर्मचारी भविष्य निधि के अन्तर्गत कुल अंशदाताओं की संख्या 11.56 मिलियन है ;

(ग) इस रिपोर्ट में अन्य किन बातों का उल्लेख किया गया है; और

(घ) पूरा भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : (क) सरकार परिवार पेंशन योजना, 1971 और कर्मचारी जमा-सम्बद्ध बीमा योजना 1976 के लिए अंशदानों के अपने हिस्से का, इन दो योजनाओं के लेखों के लेखा परीक्षा होने तक अनंतिम आधार पर भुगतान कर रही है। 1981-82 तक इन दोनों योजनाओं के लेखों की लेखा-परीक्षा की जा चुकी है और कर्मचारी भविष्य निधि प्राधिकारियों ने सरकार द्वारा देय शेष राशि के भुगतान के लिए दावे पेश किए हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) वर्ष 1981-82 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की वार्षिक रिपोर्ट को 22-2-1983 को सभा की मेज पर रख दी गई। इसमें वर्ष के दौरान संगठन के विभिन्न कार्यकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया गया है।

(घ) यह प्रस्ताव है कि कर्मचारी परिवार पेंशन योजना तथा कर्मचारी जमा सम्बद्ध बीमा योजना के लिए सरकार के अंशदान के हिस्से की शेष राशि का आगामी वित्तीय वर्ष से यथोचित किस्तों में भुगतान किया जाए।

सोडा ऐश का मूल्य निर्धारण

3954. **प्रो० अजित कुमार मेहता** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा सोडा ऐश पर आयात शुल्क में वृद्धि करके उसके मूल्य को लगातार

समर्थन देने के क्या कारण हैं जबकि मन्त्री द्वारा सदन में बताये गये अनुसार कुछ उत्पादन असामान्य लाभ कमा रहे हैं और सरकार इस प्रकार की घटनाओं को किस प्रकार रोकने का विचार कर रही है ; और

(ख) मंत्री द्वारा दिये गये आश्वासन के अनुसार सोड़ा ऐश का मूल्य निर्धारित करने के लिये उपभोक्ता एसोसिएशनों के साथ प्रस्तावित बैठक कब तक होगी ?

रसायन और उर्वरक मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री राम चन्द्र रथ) : (क) सोड़ा ऐश पर आयात शुल्क की दर को प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय तथा स्वदेशी मूल्यों तथा मांग की पूर्ति के लिए मद की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुये समय-समय पर संशोधन किया गया है। सोड़ा ऐश के मूल्य पर कोई सर्वाधिक नियंत्रण नहीं है। इसलिये सोड़ा ऐश के उत्पादकों को मूल्य समर्थन देने का प्रश्न नहीं उठता।

(ख) औद्योगिक लागत तथा मूल्य ब्यूरो (बी. आई. सी. पी.) की सोडा ऐश की उत्पादन लागत से संबंधित रिपोर्ट सरकार को उपलब्ध कराई गई है। सरकार ने विभिन्न अन्तर्ग्रस्त मामलों पर सोच-विचार करना है। अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व उपभोक्ताओं की एसोसिएशनों को भी अपने सुझाव देने के लिये आमन्त्रित किया जायेगा।

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक संयंत्रों को हुई हानि

3955. **श्री जी. नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उसके अधीन कुछ उर्वरक यूनिटों को लगातार हो रही हानि को कम करने में सफल रही है और 1982 तक की स्थिति क्या है ;

(ख) यदि हां, तो वे यूनिट कौन सी हैं जिन्हें हानि हो रही है तथा क्या इन वर्षों में हानि में वृद्धि हुई है या उसमें कमी आई है और उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) हानि को काफी हद तक कम करने को सुनिश्चित करने के लिए क्या विशिष्ट कदम उठाये जा रहे हैं ?

रसायन और उर्वरक मन्त्री (श्री बसन्त साठे) : (क) और (ख) नेशनल फर्टिलाईजर्स लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और राष्ट्रीय कैमिकल्स एन्ड फर्टिलाइजर्स लि० लाभ कमाने वाली कम्पनियां हैं। फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इन्डिया लि०, हिन्दुस्तन फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० और फर्टिलाइजर एण्ड कैमिकल ट्रावणकौर लि० को हानि हो रही है। ब्यौरे संलग्न विवरण-पत्र में दिये गए हैं। उपकरण और पावर समस्याओं के कारण कम क्षमता उपयोग के परिणाम स्वरूप हानियां हो रही हैं।

(ग) सरकारी संयंत्रों के बेहतरीन वित्तीय परिणाम प्राप्त करने हेतु उत्पादन कार्य निष्पा-

दन में सुधार करने के लिए उपकरण का परिवर्तन/प्रतिस्थापन, रक्षित विद्युत प्रजनन सुविधाओं की स्थापना आदि जैसे विभिन्न उपचारी कदम उठाए जा रहे हैं।

विवरण

(रु० लाखों से)

कंपनी का नाम	1978-79	1979-80	1680-81	1981-82
1. फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि०	(—) 2184	(—) 4867	(—) 10099	(—) 12679
2. नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	(+) 94	(—) 1432	(—) 5406	(+) 5975
3. हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर्स कारपोरेशन लिमिटेड	(—) 2252	(—) 3623	(-) 42'3	(—) 4813
4. राष्ट्रीय कैमिकल्स एण्ड फर्टिलाईजर्स लि०	(+) 814	(+) 1104	(+) 1853	(+) 2126
5. फर्टिलाईजर एण्ड कैमिकल्स ट्रावनकोर लि०	(—) 554	(+) 65	(+) 160	(—) 1099
6. मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	(+) 1815	(—) 881	(+) 693	(+) 465

तालाबन्दी और हड़तालों के कारण औद्योगिक उत्पादन की हानि

3956. **श्री कृष्ण प्रताप सिंह** : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ;

(क) पिछले वर्ष देश में हड़तालों तथा तालबन्दी के कारण औद्योगिक उत्पादन को कितनी हानि हुई ; और

(ख) श्रमिकों तथा प्रबंन्ध अधिकारियों के बीच बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या नए कदम उठाए गये हैं ?

श्रम और पुनर्वास मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री धर्म वीर) : (क) श्रम ब्यूरो में 18-2-1983 तक प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्ष 1982 के दौरान हड़तालों और तालाबन्दियों के कारण उत्पादन में अनुमानतः 179.69 करोड़ रुपये का नुकशान हुआ : ये आंकड़े बम्बई में

सूती कपड़ा मिलों में हड़ताल के कारण उत्पादन में हुए नुकसान को पूर्णतः प्रदर्शित नहीं करते, जो 14-10-82 तक अनुमानतः 750 करोड़ रुपये था।

(ख) सरकार देश में औद्योगिक सम्बन्ध स्थिति पर लगातार नजर रख रही है। औद्योगिक संबंध तन्त्र, आवश्यकतानुसार वर्तमान सांवधिक प्रावधानों और स्वैच्छिक व्यवस्थाओं के अन्तर्गत, निवारक मध्यस्थता, संसाधन, न्याय निर्णयन और पंच फैसले के माध्यम से कामबन्दियों के और उत्पादन की हानि को कम करने के लिए प्रयास करता रहता है। केन्द्र तथा राज्यों में संसाधन और न्याय-निर्णयन तत्रों को सुदृढ़ किया जा रहा है। अतिरिक्त क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित करने, अतिरिक्त पदों का सृजन करने और निपटान के स्तर पर उचित ध्यान देते हुए मामलों के निपटान में तेजी करने हेतु मानदंडों को निर्धारित करने के लिए भी कार्यवाही की जा रही है।

कमजोर वर्गों के लिए मिट्टी के तेल की दरें तथा वितरण नीतियां

3957. **श्री उत्तम भाई एच० पटेल** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मिट्टी के तेल की दरों में तथा कमजोर वर्गों के लिए वितरण हेतु नया फार्मूला और नीतियां घोषित की हैं ;

(ख) इन नीति तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत दिल्ली तथा गुजरात में कितने व्यक्तियों को शामिल किया गया है ; और

(ग) उपर्युक्त नीति और फार्मूला को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं।

ऊर्जा मन्त्री (श्री पी० शिव शंकर) : (क) 15 फरवरी 1983 से लागू की गई मिट्टी के तेल के वितरण और मूल्य की नई योजना 18 मार्च 1983 से वापस ले ली गई है ;

(ख) दिल्ली और गुजरात में सभी राशन कार्डधारी इस नई योजना में सम्मिलित थे।

(ग) प्रश्न नहीं उठता क्योंकि मिट्टी के तेल के लिए नई योजना अब वापस ले ली गई है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्रीमन् मैंने ध्यानाकर्षण नोटिस दिया है दक्षिण भारत के कतिपय मुख्य मंत्रियों तथा कुछ अन्य नेताओं द्वारा भारत का विभाजन करने के बारे में एक प्रयास किया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे किसी प्रस्ताव का नोटिस दीजिए।

प्रो० के० के० तिवारी : इस मामले पर चर्चा की जाये (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास किसी प्रस्ताव का नोटिस आना चाहिए।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिणी) : इसे रिकार्ड में आने देना चाहिए कि हम उन मुख्य मन्त्रियों को बधाई देते रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : मैंने नोटिस दे दिया है। क्या स्थिति है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं इस पर विचार करूंगा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा को उन्हें बधाई देनी चाहिए।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : दिल्ली में भी और देश के कई हिस्सों में, पटना समेत जूनियर डाक्टर्स...

अध्यक्ष महोदय : यह तरीका नहीं है। आप कालिंग अटेंशन दीजिए।

श्री रामावतार शास्त्री : देते हैं, आप देखते नहीं हैं।

अध्यक्ष महोदय : एक दिन में कैसे हो सकता है ?

श्री रामावतार शास्त्री : सीरियस मामला है।

अध्यक्ष महोदय : हरेक यही कहता है कि मामला आखिर सीरियस है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : आप नहीं समझ पाते हैं।

अध्यक्ष महोदय : : रोज समझता हूं।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : हर दिन आता है कि हरिजनों की सरकार की तरफ से और बड़े लोगों की तरफ से हत्याएं हो रही हैं, डिस्कशन होता है, लेकिन सरकार को इस पर कार्यवाही करनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं हैं (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : यह बिल्कुल ठीक है।

श्री नारायण चौबे (मिदनापुर) : श्रीमन्, जब मैं आ रहा था, मुझे बनारस से टेलीफोन आया कि कल से विश्व विद्यालय के लगभग 7000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह एक अलग मामला है।

श्री नारायण चौबे : इस पर चर्चा की जानी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि आप मुझे किसी प्रस्ताव का नोटिस दें तो हम इस पर विचार करेंगे।

श्री हरकेश बहादुर (गोरखपुर) : श्रीमन् बनारस विश्व विद्यालय एक केन्द्रीय विश्व विद्यालय है। हमने बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय तथा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के बारे पहले ही नोटिस दिये हुए हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि उन पर चर्चा की जाये। हमने पहले ही चर्चा के लिए नोटिस दे दिए हैं। सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं।

अध्यक्ष महोदय : सुन लिया मैं देखूंगा।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मैंने आपसे चैम्बर में मिलकर भी आग्रह किया था कि हमको 1000 रुपया मिलता है और हमारा 500, 700 रुपये का बिजली का बिल आता है,

अध्यक्ष महोदय : भगत जी, यह हमारे मैम्बरों की शिकायत है, इस पर ध्यान दें।

श्री जमिलुर्रहमान (किशनगंज) : बहुत रंगीन मामला है। हमें पानी नहीं मिल रहा है

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं यही बात कर रहा हूं। भगत जी से कह रहा हूं कि हमारे मैम्बर शिकायत करते हैं आप बिजली के बिल और पानी की तरफ भी ध्यान करें।

श्री राम विलास पासवान : हम क्या करें ?

अध्यक्ष महोदय : अब आप ज्यादा ज्यादती मत करो।

श्री राम विलास पासवान : यह इन्क्वारी करवालेंगे; उससे हमें क्या फायदा होगा ?

अध्यक्ष महोदय : मैं और क्या करूं।

श्री राम विलास पासवान : मीटर खराब है - इन्क्वारी क्या होगी। किसी भी एम० पी० से पूछिये। क्या किसी का टेलीफोन का बिल ठीक आ रहा है ? जब एम० पी० जी की यह हालत है तो औरों की क्या होगी ?

(व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : 708 रुपए का बिजली का बिल है।

अध्यक्ष महोदय : अब आप बन्द भी करें।

श्री आर० एन राकेश (चैल) : जितने कौमुनल राइट्स हो रहे हैं,

अध्यक्ष महोदय : इसके लिए हो मिनिस्ट्री की मांगें आ रही हैं, उसमें डिस्कशन करें।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है। यह कोई तरीका नही है।

श्री कृष्ण चन्द्र हाल्दर : अधिक शक्तियां मांगने के सम्बन्ध में मैं दक्षिण भारत के चार मुख्य मंत्रियों को बधाई देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मुझे कोई प्रस्ताव दीजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : रिकार्ड मत कीजिए। इसकी अनुमती नही है।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : श्री हाल्दर, बैठ जाइये।

(व्यवधान) *

अध्यक्ष महोदय : आप बुजुर्ग हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

(व्यवधान)

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी में 13 हजार गैर शिक्षक कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हुए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर देंगे तो मैं देखूंगा।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बहुत सीरियस मामला है।

अध्यक्ष महोदय : मैं कंसिडर करूंगा।

श्री कृष्ण कुमार गोयल (कोटा) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि राजकोट के जो एक्स रूलर थे उनसे लाखों रुपए इन्कम टैक्स की वसूली के लिए कार्यवाही की गई है लेकिन स्टेट गवर्नमेन्ट इसमें इन्टरफीयर कर रही है।

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं है, वे अपने आप देख लेंगे। नाट एलाउड

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अगर कार्यवाही नहीं करते तो नीलामी कैसे शुरू होती।

* कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : राजस्थान में जोधपुर में खराब पोषक तत्वों के कारण रहस्यमयी मौतें हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : इसकी अनुमति नहीं दी जाती है। इसको रखने का यह तरीका नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैंने एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया है।

श्री राजेश पाईलट (भरतपुर) : चीनी मिलों द्वारा गन्ना उत्पादकों को भुगतान किये जाने के बारे में आपने यह आश्वासन दिया था कि उस पर चर्चा की जायेगी।

डा० कृपा सिन्धु सोई (सम्बलपुर) : आरियंट कागज मिल तथा बी० टी० मिल तीन महीने के लिए बन्द कर दिये गए हैं और लगभग 10,000 मजदूर बेरोजगार हो गए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए।

डा० कृपा सिन्धु सोई : दूसरी बात यह है कि दक्षिण भारत राज्यों के चार मुख्य मन्त्री देश की एकता के विरुद्ध षडयंत्र रच रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा (टुमकुर) : दक्षिणी राज्यों के चार मुख्य मन्त्रियों की एक सभा बन गई है **(व्यवधान)** क्या आप इस पर चर्चा करने की अनुमती दे रहे हैं? आप एक आश्वासन दजिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरे विचाराधीन है। मैं किसी बात का आश्वासन नहीं देता हूं।

रखे जाने वाले दस्तावेज। श्री पी० शिव शंकर।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : आदेश पत्र के सम्बन्ध में मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मैं आदेश पत्र को पढ़ता हूं। मद सं० 24 है वह निर्गुट शिखर सम्मेलन के सम्बन्ध में रखा जाने वाला संकल्प है। यह प्रस्ताविक पारित किये जाने वाली मद संख्या 16 पर आश्रित है। यह एक पूरी अशुद्धि है।

अध्यक्ष महोदय : आप उस समय प्रश्न उठाते हैं जब हम वहां तक पहुंचते हैं।

डा० सुब्रह्मण्डयम स्वामी : लेकिन प्रश्न यह है कि यह पहले आदेश पत्र में दिखाया गया है। आप इसे कैसे ले सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय सदस्य श्री लकप्पा जी ने बोलते हुए अभिव्यक्ति का प्रयोग किया था। **(व्यवधान)**

वह इसका राजनैतिक रूप से विरोध कर सकते हैं। लेकिन वह उस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : मैंने अनुमती नहीं दी है **(व्यवधान)**

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : लेकिन आपने इसे केवल काटा ही नहीं है बल्कि उसे इसे वापिस लेना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए **(व्यवधान)** ।

श्री के० लकप्पा : मैंने वैसा नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : उसने यह कहा था। जो कुछ कह रहा है वह वही है।

श्री के० लकप्पा : मैंने वैसा कभी नहीं कहा था।

अध्यक्ष महोदय : रखे जाने वाले दस्तावेज। श्री पी० शिवशंकर।

ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1980-81 **के**

और पेट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड बड़ौदा के वर्ष 1981-82 **के**

सभा पटल पर रखे गए पत्र

वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा विलम्ब के कारण बताने वाला विवरण

ऊर्जा मंत्री (श्री पी० शिव शंकर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) ब्रिज एण्ड रूफ कम्पनी (इंडिया) लिमिटेड कलकत्ता के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिज एन्ड रूफ कम्पनी (इण्डिया) लिमिटेड कलकत्ता का वर्ष 1980-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उस पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रन्थालय में रखे गए देखिए। संख्या एल० टी०-6147/83]

(3) (एक) पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड, बड़ोदा के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) पैट्रोफिल्स कोआपरेटिव लिमिटेड बड़ौदा के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल० टी० 6148/83]

कंपनी अधिनियम, 1956 के कार्यकरण तथा प्रवर्तन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्री (श्री जगन्नाथ कौशल) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 638 के अन्तर्गत, वर्ष 1981-82 के दौरान उक्त अधिनियम के कार्यकरण और प्रवर्तन सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं, [ग्रन्थालय में रखे गए। **देखिए** संख्या एल. टी.-6148/83]

मजदूरी संदाय (खान) संशोधन नियम, 1983 रिहेबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड कलकत्ता का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा रिपेट्रियेटस कोआपरेटिव फाइनेंस एण्ड डिवलपमैंट बैंक लि० मद्रास के वर्ष 1981-82 को वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखा परीक्षित लेखे और विलंब का विवरण

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 की धारा 26 की उपधारा (6) के अन्तर्गत मजदूरी संदाय (खान) संशोधन निगम 1983 ऐी एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)जो 23 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशिल हुई अधिसूचना सा० का० नि० 99 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रंथायय में रखं गए। **देखिए** संख्या एल. टी. 6150/83]

(2) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) रिहेबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारपोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) रिहेबिलिटेशन इन्डस्ट्रीज कारगोरेशन लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण

बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6151/83]

(4) रिपेट्रियेट्स कोआपरेटिव फाइनेंस एन्ड डैवलेपमेंट बैंक लिमिटेड, मद्रास के वर्ष 1981-82 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे। [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6152/83]

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों की मांगें

खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री भागवत झा आजाद) : मैं खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय की वर्ष 1983-84 की अनुदानों के ब्यौरेवार मांगों की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं [ग्रंथालय में खी गई। देखिए संख्या एल. टी. 6153/83]

टेलिकम्यूनिकेशन कसलटेंट्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा विलंब का विवरण

संचार मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री विजय एन. पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारारा 619 क की उपधा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(एक) टेलीकम्यूनिकेशन कन्सलटेंट्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) टेलीकम्यूनिकेशंस कंसलटेंट्स इन्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परिक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षिक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6154/83]

राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और विलंब के कारणों का विवरण

ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्र शेखर सिंह) : मैं निम्नलिखित सभा-पटल पर पत्र रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 क की उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय पन-बिजली निगम लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल. टी. 6155/83]

कंपनी अधिनियम, 1956 के अधीन अधिसूचना

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 620 क के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा. का. नि. 164 दि. 24 फरवरी, 1983 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं जो 26 फरवरी, 1983 के भारत के राजपत्र के भाग 2, खंड 3, उपखंड (एक) में प्रकाशित हुई थी और उसके द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 620क (1) के अन्तर्गत मैसर्स क्रोमेट स्वास्थ निधि लिमिटेड को "निधि" घोषित किया गया है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 6156/83]

इन्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और विलंब के कारणों का विवरण

सचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री विजय एन० पाटिल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं।

(1) कम्पनी अधिनिय, 1956 की धारा 169क उपधारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 1981-82 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) इन्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, बंगलौर का वर्ष 1981-82 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल. टी. 6157/83]

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम 1944 के अन्तर्गत अधिसूचना

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री जनार्दना पुजारी) : मैं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा. का. नि 272 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं जो 16 मार्च, 1983 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक टिप्पणी जिसके द्वारा 1 मार्च, 1983 की अधिसूचना संख्या 63/83 केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि 100 क्यूबिक सेंटीमीटर की इन्जन क्षमता (10 हार्स पावर की बजाय) वाले डीजल इन्जनों को उत्पादशुल्क से छूट प्रदान करने के बारे में पूर्व स्थिति कायम की जा सके। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल. टी. 6158/83]

राज्य सभा से संदेश

सचिव : महोदय मैं राज्यसभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेश की सूचना देता हूं :

"मुझे लोकसभा को यह बताने का निर्देश हुआ है कि राज्य सभा ने अपनी आज दिनांक 21 मार्च 1983 की बैठक में भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक, 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव स्वीकार किया है :

"कि भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद विधेयक 1981 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय राज्य सभा के 127 वें सत्र के अन्तिम सप्ताह के प्रथम दिन तक बढ़ाया गया है।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती किशोरी सिंहा।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : क्या आप अपना निर्णय कल दे रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : हां, कल।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : मैं तो कल यहां नहीं रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : थोड़ा सा बाकी था। कल कर दूंगा। निश्चित रूप से कल। आप यहां

हैं नहीं कल ?

श्री अटल बिहारी वाज्पेयी : मैं कल फिरोजपुर चला जाऊँगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा-अच्छा फिर परसों कर देंगे। तैयार हैं। थोड़ा सा बाकी था। मैंने अन्तिम रूप से देख लिया है कि कल काम रात 11 बजे तक चला।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप सीधे-सीधे उनसे माफी मंगवाईये दूंगा। उसमें ज्यादा बीमारी नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माफी मंगवा दूंगा।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : आप उन्हें तकनीकता का सहारा लेने की अनुमति न दें।

अध्यक्ष महोदय : कोई तकनीकता नहीं। मैं तकनीकता को नहीं मानता हूं। मैं स्वयं सन्तुष्ट हूंगा।

संसदीय कार्य, खेल तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : उन्हें भी अपने कारणों पर अटल रहना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : (बसीरहाट)कार्य सूची में दो मदें हैं और दोनों 4 बजे सायं हैं। एक मद 4 बजे सायं असम के सम्बन्ध में मंत्री महोदय का वक्तव्य है और दूसरी मद निर्गुट सम्मेलन के सम्बन्ध में 4 बजे सायं चर्चा भी है। यह क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : पहले स्टेटमेंट करवा देंगे।

श्री रामअवतार शास्त्री (पटना) : उसमें टाइम चला जायेगा।

श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे विचार से सचिवालय में अत्यधिक काम है। उन्हें कुछ आराम दिया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : आपको कुछ आराम देना चाहिए जैसाकि आप यहां सभी दिनों में न आकर आराम करते हैं।

श्री डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : भोजन करने के पश्चात मैं हमेशा सोता हूं।

श्री भगवत झा आजाद : आप एक बुद्धिमान व्यक्ति हैं।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा मिट्टी के तेल की उपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली

ीमती किशोरी सिन्हा (वैशाली) : श्रीमन मैं निम्नलिखित अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री का ध्यानाकर्षण करती हूं और उनसे यह निवेदन करती हूं कि वे उनके सम्बन्ध में वक्तव्य दें

"आवश्यक वस्तुओं की कमी तथा मिट्टी के तेल की अनुपलब्धता के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली पर भारी दबाव के समाचार"।

खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री भभवत झा आजाद) : जैसा कि सदन को मालूम ही है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली देश के विभिन्न भागों में कार्य कर रही है। इस प्रणाली का मूल उद्देश्य उपभोक्ताओं की आवश्यक वस्तुओं की जरूरतों को पूरा करने में खुली बाजार व्यवस्था की सहायता करना है। केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए राज्यों को जिन वस्तुओं की सिफारिश की है वे हैं—गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेल तथा मिट्टी का तेल। इनके अलावा साफ्ट कोक तथा कंट्रोल का कपड़ा भी है। राज्य सरकारों को इस बात का विकल्प दिया गया है कि जिन अन्य वस्तुओं को वे आम खपत के लिए आवश्यक समझती है उनकी आपूर्ति की व्यवस्था स्वयं करके उन्हें इनमें शामिल कर सकती हैं।

2. राज्य सरकारों को जिन सात वस्तुओं का वितरण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से करने की सिफारिश की गई है, राज्यों को उनका आबन्टन तथा उनकी आपूर्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ पदनामित अभिकरणों के माध्यम से की जाती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का इस समय जो स्वरूप है उसके अन्तर्गत राज्यों की सम्पूर्ण की खपत सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ण रूप में पूर्ति करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है। इन सात वस्तुओं का आबन्टम केन्द्रीय सरकार द्वारा केन्द्रीय पूल में इनकी कुल उपलभ्यता, विभिन्न राज्यों की तुलनात्मक आवश्यकताओं, बाजार में इनकी उपलभ्यता और अन्य सम्बन्धित बातों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। तथापि, यह कहना सही नहीं होगा कि देश में आवश्यक वस्तुओं की कोई व्यापक कमी है। केन्द्रीय सरकार इन वस्तुओं के आपूर्ति-प्रबन्ध के मामले में पहले से योजना बनाती है तथा कार्यवाही करती है। इतने बड़े पैमाने की इस प्रणाली में कभी-कभी कुछ अस्थाई तथा स्थानीय कमियों के होने से इंकार नहीं किया जा सकता है। तथापि, ऐसे मामलों में सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय सरकार के परामर्श से समुचित उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है। मैं इस बात पर जोर देना चाहूंगा कि अपने-अपने इलाकों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के प्रशा-

सन तथा पर्यवेक्षण की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से सम्बन्धित राज्य सरकारों की है। उन्हें यह सुनिश्चित करना है कि आबन्टित की गई मात्रा उपभोक्ताओं को वितरित करने के लिए उचित दर की दुकानों में पहुंचे और उन्हें आमतौर पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के काम की भी समय-समय पर समीक्षा करनी होती है।

3. केन्द्रीय सरकार को मिली सूचनाओं के अनुसार इन आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता तथा इनके मूल्यों का रुख नियन्त्रण में है। हाल के महीनों में मिट्टी के तेल सहित इन वस्तुओं की पर्याप्त मात्रा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से देने के लिए आबन्टित तथा नियुक्त की जा रही है। मिट्टी के तेल के बारे में दोहरी मूल्य नीति को वापिस ले लिए जाने से, उपभोक्ताओं को उनकी पात्रता का मिट्टी का तेल मिलने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।

4. अन्त में, मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार आवश्यक वस्तुओं की उपलभ्यता और उनके मूल्यों पर लगातार तथा पूरी-पूरी नजर रखे हुए है और इस बात के लिए समय-समय पर समुचित उपाय करती रहेगी कि यह स्थिति सन्तोषजनक बनी रहे।

श्रीमती किशोरी सिन्हा : माननीय मन्त्री महोदय ने बताया है कि केन्द्रीय सरकार से राज्यों के सम्पूर्ण उपभोग आवश्यकताओं को पूरा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है और केन्द्र सरकार अपने स्टाक राज्यों की अपनी-अपनी मांगों तथा बाजार में स्टाक की उपलब्धता को ध्यान में रखकर आबन्टन करती है।

माननीय मन्त्री महोदय बिहार को होने के नाते बिहार में सूखे की स्थिति और उसकी गहनता के बारे में जानते हैं। दुर्भाग्यवश बिहार वर्ष 1972 को छोड़कर लगभग निरन्तर सूखा और बाढ़ ग्रस्त रहा है। जिसके परिणामस्वरुप गेहूं तथा चावल जैसे खाद्यानों की उपलब्धता बहुत सीमित रही है और राज्य सरकार या यहां तक कि निजी व्यापार भी आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं रहा है। इसलिए बिहार के सप्लाई मन्त्री ने बिहार के संसद सदस्यों को आवश्यकताओं तथा आवन्टनों के बारे में बताया है। ऐसा प्रतीत होता है कि 1 लाख टन गेहूं, 50,000 टन चावल और 40 000 टन चीनी की प्रति माह मांग में से प्रतिमाह केवल 50,000 टन गेहूं, 15,000 टन चावल और 29,000 टन चीनी का आवन्टन किया है। इसी प्रकार मिट्टी के तेल की 50,000 टन की मांग में से केवल 23,000 टन का आवन्टन किया गया है। तमिलनाडु जैसे राज्य जो सूखाग्रस्त रहे हैं उनके मामलों में भी ऐसा ही होगा अतः क्या मैं यह जान सकती हूं कि क्या सरकार का इस प्रकार के राज्यों के आवंटन में बढ़ोतरी करने का प्रस्ताव है जिससे वे अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

दूसरी बात यह है कि मैं यह कहना चाहूंगी कि दिल्ली प्रशासन ने यह निर्णय लिया है कि जिस परिसरों में उचित दर की दुकानें खोली गई हैं वहां कोई आटा मिल नही होंगे। लेकिन बहुत से मामलों के इस आदेश का उल्लंघन किया गया है और एक ही बिल्डिंग जिसमें उचित दर की दूकानें चल रही हैं उसी में आटा मिल भी चल रही है।

इसका परिणाम यह है कि जो अच्छी किस्म का गेहूं कार्डधारियों के यिए था उसे मिल में

उपयोग किया जाता है और इस नमूने की तरह का घटिया किस्म का खराब गेहूं जो मेरे हाथ में है, कार्डधारियों को सप्लाई किया जाता है। क्या यह बात सरकार की जानकारी में आई है और क्या सरकार इस प्रकार के कदाचार को रोकने के लिए कोई आवश्यक दंडात्मक कार्यवाही करने पर विचार कर रही है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहती हूं, यदि उपाध्यक्ष महोदय, आप मुझे अनुमति दें, कि दिल्ली में हमारा यह अनुभव रहा है कि कई बार राशन की दूकानों पर गेहूं और चावल के न आने के कारण, हमें खाली निराश होकर लौटना पड़ता है और हमें खुले बाजार से अधिक मूल्य पर गेहूं खरीदना पड़ता है। क्या सरकार इन वस्तुओं की सप्लाई को सुनिश्चित करेगी ?

एक माननीय सदस्य : नमूने को मन्त्री महोदय को दे दीजिए या इसे पटल पर रख दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि इसे सभा-पटल पर रख दिया जाता है तो इसकी जांच की जाएगी।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर पूर्व) : यह शिकायत पूरी दिल्ली में है। लेकिन सरकार इसकी ओर पूरी तरह से ध्यान नहीं दे रही है।

श्री भागवत झा आजाद : जो कुछ महिला सदस्य ने कहा है वह सत्य है। देश के बहुत से राज्यों में सूखा है। उदाहरण के रूप में जैसा कि उन्होंने कहा है कि यह सूखा बिहार तमिलनाडु तथा अन्य राज्यों में है। यह इस कारण से है कि इस वर्ष सूखा व्यापक है। इसलिए हम उतने उदार नहीं हो सके जितने कि हम उस समय हुए थे जबकि सूखा देश के केवल एक भाग में था। मैं यह चाहूंगा कि माननीय सदस्या दो महत्वपूर्ण बातों की सराहना करेंगी। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि देश में पैदा हुए गेहूं और चावल में से हम केन्द्रीय भंडारण के लिए वसूली करते हैं और उसी में से राज्य सरकारें भी खरीदती हैं। इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि हम देश के कुल उत्पादन के लगभग साढ़े 12 प्रतिशत की ही खरीद करते हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्यों ?

श्री भगवत झा आजाद : क्योंकि यदि आप व्यापार को पूरा हड़पना चाहते है जैसा मेरे बहुत मित्र चाहते हैं तो मैं सीधे यह कहूंगा कि यह केवल कुछ माननीय सदस्यों को ही सन्तुष्ट कर सकता है। लेकिन इसके दूसरे रूप भी हैं। अतः आज हम जितनी खरीद कर रहे हैं वह केवल उत्पादन का साढ़े 12 प्रतिशत है और पिछले वर्षों के अनुभव से यह देखने में आया है कि मुशीवत के समय में विभिन्न राज्यों को केन्द्रीय पूल से खाद्यानों की सप्लाई करने में हम सफल रहे हैं और हमने उन्हें सूखा, बाढ़ या अन्य प्राकृतिक आपदाओं के समय में इसकी सप्लाई की है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : आप उन्हें ज्यादा कीमत दे सकते हैं और वे आपको ज्यादा बेचेंगे।

श्री भगवत झा आजाद : अधिक गेहूं खरीदने के लिए ऊंचा मूल्य देना ही रामबाण नहीं है। यह बाजार में कुल उपलब्धता का प्रश्न है। यदि मैं अधिक मूल्य पर भी केन्द्रीय पूल के लिए अधिक खरीदता हूं अन्तिम रूप से जो आज साढ़े 87 प्रतिशत बाजार में छोड़ दिया जाता है, वह घट जाएगा।

दूसरे तरीके से यदि मैं अधिक खरीदता हूं तो बाजार में इसकी कुल उपलब्धता कम होगी। जो माननीय सदस्य अर्थशास्त्र जानते हैं वे इसे समझ सकते हैं। जब हम यह देखते हैं कि केन्द्रीय पूल और बाजार दोनों में कुल उपलब्धता इतनी कम है कि कभी-कभी सरकार को विदेशों से आयात करके व्यवस्था करने की कोशिश करनी पड़ती है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि जब मैं, बिहार जैसे राज्य जिसने एक लाख टन की मांग की है, की परेशानी को महसूस करता हूं; मैं उन्हें तथा तमिलनाडु और उड़ीसा को उतना देने के समक्ष नहीं हूं। लेकिन केन्द्रीय पूल में उपलब्धता के अनुसार—अवधि में मैं उन्हें यथासम्भव अधिक से अधिक देने का प्रयास कर रहा हूं। मैं इसके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा मैं फिर कह रहा हूं कि तमिलनाडु और उड़ीसा जो मुझसे हर समय कहते रहते हैं उनके लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। मैं अपने मित्रों से चावल के बारे में एक बात कहना चाहता हूं···(व्यवधान) आप भी चावल खाने वाले हैं। अब ऐसा समय आ गया है जब आपको अपने चावल और गेहूं दोनों के खाने की आदत में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा। एक समय ऐसा था जब बिहार के लोग दोनों वक्त सुबह और शाम चावल खाते थे। अब वे एक समय गेहूं खाते हैं···तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और उड़ीसा से मेरे ऊपर चावल के सम्बन्ध में अत्यधिक दवाब पड़ा है और वे केवल एक विशेष राज्य का ही चावल भी चाहते हैं। यह सम्भव नहीं होगा। उन्हें जो कुछ देश में पैदा होता है लेना पड़ेगा और उन्हें अपने में गेहूं खाने की भी आदत डालनी पड़ेगी। अतः मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा।

चावल के सम्बन्ध एक दूसरी कठिनाई है। इस वर्ष चावल की फसल को सूखा से बहुत नुकसान हुआ है और मेरा यह विश्वास है कि मैं इसे गेहूं की फसल से पूरा कर दूंगा जो बाजार में अप्रैल से आने वाली है।

अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि हमें इन मुद्दों पर विचार करना पड़ेगा यह राज्यों के मांगने और केन्द्र द्वारा सप्लाई करने का ही प्रश्न नहीं है।

राज्य और केन्द्र जो खाद्यान्न की भरसक अधिकाधिक मात्रा खरीदने की कोशिश कर रहे उसे अभाव के समय वे किस तरह यथासम्भव उचित रूप में वितरित कर सकेंगे यह प्रश्न इसी से सम्बन्धित है। और इस बात को ध्यान में भी रखना चाहिए। सदस्यों ने कहा है कि राज्यों ने जितने की मांग की है उतना उन्हें क्यों नहीं दिया जाता ? मेरा उत्तर यह है कि मांग और पूर्ति सम्बन्धी खाद्यान्न प्रबन्ध राज्यों और केन्द्र की संयुक्त जिम्मेदारी है इसके लिए उन्हें खरीदारी के बाद समुचित वितरण करना चाहिए। तब कोई दिक्कत नहीं होगी और माननीय सदस्य केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकार की भी कठिनाई को समझेंगे।

दूसरी बात माननीय सदस्य ने दिल्ली की उचित दर दुकानों के बारे में उठाया है। मैं कहूंगा कि हमने आटा मिलों के अहाते के आस-पास उचित दर की दूकानों की खोले जाने की अनुमति नहीं दी है। यदि कुछ हैं भी, तो वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं और यदि हमें यह जानकारी मिल जाए जिन लोगों ने ये दूकानें खोली हैं तो हम उन पर कार्यवाही करना चाहेंगे। मैं इसके लिए अनुमति नहीं दूंगा। मैं माननीय सदस्य के इस सुझाव से सहमत हूं कि यदि एक ही अहाते में आटे की मिल और उचित दर की दूकान होगी तो यह सम्भव है ऐसी शिकायतें मिलें कि दूकानों से अच्छा गेहूं मिल में पाया जाता है। इसीलिए यदि ऐसी कोई बात हमारे नोटिस में आती है, तो हम कार्यवाही करना चाहेंगे···

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : क्या इसके लिए आपने कोई व्यवस्था की है ?

श्री भागवत झा आजाद : माननीय सदस्य का मुद्दा सं० 3 दिल्ली की उचित दर की दूकानों में समय पर पूर्ति के बारे में है।

महोदय दिल्ली के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि देश के अन्य भागों की अपेक्षा बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहां परचून की दूकानों को खाद्यान्न की पूर्ति सीधे भारतीय खाद्य निगम से होती है। अतः उन्हें समय पर तो पहुंचना ही चाहिए। इसीलिए···

श्री एन. के. शेज वलकर (ग्वालियर) : यह नमूना शाहदरा से आया है बिहार से नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय : मिट्टी के तेल की क्या स्थिति है ?

श्री भागवत झा आजाद : महोदय यह उत्तर मैंने दोनों के लिए ही दिया है, चाहे वह गेहूं चावल हो या मिट्टी का तेल ही क्यों न हो, क्योंकि इन सबकी उपलब्धता को देखते हुए समुचित वितरण के प्रश्न का पाना तो आवश्यक है ही।

उपाध्यक्ष महोदय : जी शायद।

(व्यवधान)

श्री राम सिंह शाक्य (इटावा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी से पूछना चाहूंगा कि देश की जनगणना आबादी के अनुसार दूसरी है और राशन कार्डों के अनुसार दूसरी है। इसका उदाहरण मैं देना चाहूंगा कि दिल्ली की 1981 की जनगणना के अनुसार 61 लाख जनसंख्या है और राशन कार्डों के अनुसार 71 लाख तो यह दस लाख का फर्क क्यों था क्या इस बारे में माननीय मंत्री जी बताएंगे। इसके लिए वे क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं।

दूसरा मेरा प्रश्न यह है कि जब किसानों से गेहूं खरीदा जाता है तो बहुत देख परख कर और साफ सुथरा गेहूं खरीदा जाता है और जब गेहूं राशन की दूकानों पर बिकने के लिए जाता है सड़ा गला और कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ ऐसा गेहूं उपभोक्ता को दिया जाता है जो खाने लायक

नहीं होता । इस बारे में मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि वह साफ सुथरा गेहूं कहां चला जाता है ?

इसी प्रकार राशन कार्डों की दोहरी नीति चलाई जा रही है। शहरों में यूनिट के हिसाब से राशन दिया जाता है और गांवों में कार्ड के हिसाब से राशन दिया जाता है । चाहे उस कार्ड में दो व्यक्तियों का नाम हो या दस व्यक्तियों का नाम हो उसको राशन बराबर मिलता है । इस तरह की दोहरी नीति के क्या कारण हैं ?

इसी प्रकार मिट्टी के तेल की समस्या चल रही है। मिट्टी का तेल जहां से आता है "ओपेक" वहाँ पर कीमत कम हो रही है लेकिन यहां पर कीमत बढ़ी है। इससे उपभोक्ताओं की परेशानी बढ़ी है। इसी प्रकार जब दोहरी मूल्य नीति की घोषणा की गई थी तब तो उसी दिन से सारे हिन्दुस्तान में वह लागू हो गई थी लेकिन जब इस नीति को समाप्त किया गया तो अभी तक वही दोहरी नीति चल रही है। आज भी वह व्यवस्था बनी हुई है।

खासतौर से उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेशों के बारे में कह रहा हूं जहां पर मिट्टी का तेल उपलब्ध नहीं है और बेचारे गरीब विद्यार्थी जिनके घर में और कोई व्यवस्था नहीं है केवल मिट्टी के तेल का प्रयोग करके ही परीक्षा दे सकते हैं, आज उनको मिट्टी का तेल नहीं मिल रहा है। क्या मंत्री जी इसकी व्यवस्था करेंगे और बतायेंगे कि इस तरह की व्यवस्था कैसे होगी ? एक अच्छी व्यवस्था कैसे होगी जिससे सबको समान रूप से मिट्टी का तेल और सब चीजें मिल सकें इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री भागवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने पहला प्रश्न दिल्ली की जनसंख्या और कार्ड के सम्बन्ध में किया है। उनके कहने का अर्थ यह है कि जनसंख्या कम और कार्ड पर अधिक क्यों दिखाया गया है, अर्थात दिल्ली में बोगस कार्ड हैं। हमने दिल्ली प्रशासन का ध्यान अभी कुछ दिन पूर्व ही जब उनके मुख्य कार्यकारी पार्षद और कार्यकारी पार्षद मुझसे मिले थे तो इस ओर आकर्षित किया था। उन्होंने मुझसे कहा कि हमें और कार्ड झुग्गी-झोपड़ी एरियाज के लिए बनवाने हैं। मैंने कहा, अवश्य बनवाइये मगर साथ-साथ आप यह भी कीजिए कि जिन को आवश्यकता है उनको दीजिए। और आप दिल्ली में यह भी पता लगाइए कि अगर बोगस कार्ड हों, जो कुछ लोगों ने अपने पास रखे हैं उन्हें कैंसल कर इन गरीब लोगों को दिए जाए ताकि आप जो राशन देते हैं उसका सम्पूर्ण रूप से उचित उपयोग हो सके। दिल्ली में आबादी फ्लोटिंग है इस कारण से कठिनाई रहती है।

दूसरा प्रश्न आपने यह किया कि प्रोक्युरमेंट स्टेज पर किसानों से अच्छे गेहूँ लिए जाते हैं लेकिन दुकानों में कंकड़-पत्थर कैसे मिल जाते हैं। सब दुकानों में ऐसी बात नहीं है लेकिन जहां भी ऐसी बातें होती हैं वहां हम जांच कर सकते हैं और करते भी हैं। प्रश्न मैं छिपाना नहीं चाहता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि किसानों से जब पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या देश के विभिन्न भागों में गेहूं लिया जाता है, वहां सबसे पहली बात उसको खरीदने की है, दूसरी-ट्रान्सपोर्ट, तीसरी-स्टोरेज और चौथी बात आनी है जब हर राज्य सरकार को हेन्ड-औवर करते हैं फिर, राज्य

सरकार अपने माध्यम से उनको बिभिन्न स्थानों पर भेजती है। इस लम्बी प्रक्रिया में आप कल्पना कीजिए हर महीने लगभग सवा करोड़ बैग्स का मूव होता है। इसमें जो कठिनाई है वह मानवीय कमजोरी या लालच के कारण हो सकती है। लेकिन जिन स्थानों पर ऐसी गल्तियां होती हैं, उसके लिए मैंने राज्य सरकारों को निर्देश दिए हैं और आपके सहयोग से भी कोशिश करूंगा जहां पर कंकड़-पत्थर होते हैं उनको सुधार सकूं। एफ० सी० आई० सबसे बड़ा है, जिसके नाम पर हर व्यक्ति नाराज हो जाता है। मैं कोशिश करूंगा कि उसमें जहां-कहीं भी ऐसी घटनाएं होती हैं वह ठीक हो जाए। लेकिन उस समय आपकी बहुत बड़ी सहायता चाहिए।

श्री राम सिंह शाक्य : कहाँ पर मिलाए जाते हैं ?

मैं यही बता रहा हूं। किसान से लिया, ट्रान्सपोर्ट हुआ, फिर स्टोरेज हुआ और फिर वहां से स्टेट गवर्मेन्ट को दिया गया है। ये पांच-दस प्रक्रियाएं हैं।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (नई दिल्ली) : दिल्ली की बात हो रही है।

श्री भागवत झा आजाद : वाजपेयी जी, दिल्ली में तो गेहूं उगता नहीं है। यहां पंजाब और हरियाणा से आता है। वहां भी खरीदने के बाद ट्रान्सपोर्ट होता है और फिर स्टोरेज में दिया जाता है उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मैं यह कहना चाहता हूं कि जिन स्थानों पर ऐसी बातें होती हैं उनकी रोकथाम के लिए विभिन्न स्तरों पर प्रयत्न करते हैं। दिल्ली प्रशासन और राज्य सरकारें भी कोशिश करती हैं कि इस प्रकार की दुर्व्यवस्था दूर हो।

तीसरा प्रश्न आपने गांव और शहर के बारे में कहा है। गाँव और शहर में हम कोई भेद नहीं करना चाहते हैं। क्वान्टीटी में फर्क हो सकता है क्योंकि राज्य सरकार ही ट्रान्सपोर्ट करती हैं। लेकिन केन्द्र सरकार की नजर में गाँव और शहर में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, अगर है तो उसे सुधारने की कोशिश करेंगे।

चौथी बात आपने मिट्टी के तेल की कही। तो दोहरी नीति हट गई है क्योंकि इससे कष्ट होता था।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : कष्ट अभी भी है।

श्री भागवत झा आजाद : माननीय वाजपेयी जी, यह बात बारबार छिपाने की नहीं है। बात यह है कि देश में चाहें चावल हो, गेहूं हो, तेल हो या और ऐसेंशियल कमोडिटीज हों उनकी मांग और उपलब्धता में फर्क पड़ता है। जैसे गेहूं और चावल में पड़ता है। कभी डाउट हो गया जिससे पैदावार पर असर पड़ता है। इसी तरह से किरोसिन तेल बाहर से भी आता है जिसके लिए विदेशी मुद्रा की क्षमता पर निर्भर करना होता है। जो जितना यहां पैदा करते हैं और बाहर से मंगा सकते हैं उसके अनुसार बांटते हैं। हां यह जरूर है कि जितना भी उपलब्ध है उसका वितरण ठीक से हो और आपका इस बात पर जोर है तो इससे हम सहमत हैं और हम जोर भी देते हैं और राज्य सरकारों से कहते हैं। किसीकी मांग 30 हजार की है और मिला 20 हजार तो उसका

वितरण सही हो जिससे सभी को मिल सके। हम विभिन्न सरकारों और दिल्ली प्रशासन से कहते हैं कि सही वितरण पर अधिक ध्यान दिया जाय।

श्री राम सिंह शाक्य : बच्चों के इम्तहान चल रहे हैं और मिट्टी का तेल जलाने को नहीं मिल रहा है।

श्री भागवत झा आजाद : मैंने कहा जितनी हमारी क्षमता है उसके अनुसार राज्यों सरकारों को देते हैं और उनको चाहिए कि उसका ठीक से वितरण करें जिससे कुछ न कुछ सबको मिल सकता है। अगर कहीं पर कोई गड़बड़ी है तो उसको देखना चाहिये और दुरुस्त करना चाहिए।

यहीं पांच प्रश्न माननीय सदस्य ने किये थे।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : मान्यवर, मैं मंत्री जी के स्टेटमेंट की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा जिसमें उन्होंने लिखा है :

> "केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय पूल में भंडार की समग्र उपलब्धता और विभिन्न राज्यों की सापेक्ष आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए इन सातों जिन्सों का आवंटन करती है।"

तो सीड्स के बारे में जो उन्होंने खासतौर से कहा है, मैं कहना चाहता हूं कि जितना अनाज है वह देहात से आप प्रोक्योर करते हैं। और उसकी सप्लाई पूरे देश में करते हैं। तो क्या खाली शहर में सप्लाई करना ही आपकी जिम्मेदारी है ? क्या देहात वालों को जब अनाज की कमी आती है उसकी पूर्ति करने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है क्या ?

मिशाल के तौर पर मैं बताना चाहता हूं राजस्थान के अन्दर जिला बाड़मेर, तहसील शेरगढ़, और बाड़मेर जिले में पिछले 5 साल से भयंकर अकाल पड़ रहा है और हालत यह है कि खाने का अनाज लोगों के यहाँ नहीं है। और शेरगढ़ तहसील में एक, डेढ़ महीने में 200 आदमी भूख से मरे हैं। और उस तहसील में ग्राम सोलनकिया, तहशील शेरगढ़ में हनुमाना राम नाम के 35 वर्षीय आदमी की मृत्यु हो गई, अपने पीछे वह 3 लड़कियां। पुत्र और अपनी विधवा को छोड़ गया वहाँ जब कलेक्टर दौरा करने गये तो उसके घर में एक दाना अन्न का नहीं था, गांव वालों ने चन्दा करके उसकी लाश का दाह संस्कार किया और कलेक्टर ने अपने पास से 50 रु० दिये। यह इसलिए होता है कि फैमीन वर्कस पर डेढ़ रु० मंजूरी मिलती है और परिवार का एक आदमी ही काम पर रखा जाता है। तो डेढ़ रु० में पूरे परिवार का खाना कैसे हो सकता है। इसलिए पिछले पांच साल से वहां के लोग एक टाइम ही खाना खा रहे हैं, और वह भी पेट भर नहीं है। राजस्थान के फूड और सिविल सप्लाईज मिनिस्टर का कहना है कि बीमारी से मर गया। तो बीमारी भी उसी को होती है जो कमजोर हो, जिसकी हालत गिरी हुई हो। तो वहां पर आप फूड रश क्यों नहीं करते हैं। और इन्हीं कलेक्टर साहब ने ग्राम सोलनकिया को 10 क्विंटल अनाज भेजा था, वहां पहुंचा केवल 5 क्विंटल ही 5 क्विंटल बीच में कहाँ रह गया ?

इसलिये देहात में जब अनाज की जरूरत होती है तो आप क्यों नहीं व्यवस्था करते हैं ? अगर डिटेल में आपको जानकारी करनी है तो राजस्थान के 20 मार्च के न्यूज पेपर देख लीजिए

आपको सारी डिटेल्स मिलेगी। अभी आपने शार्टेज के बारे में कहा है। आपने अपने 82-83 के इकानामिक सर्वे में कंट्री के आंकड़े प्रोडक्शन के दिये हैं और आपके पास 81-82 का जो प्रोडक्शन आया है, उसका स्टाक है। 81-82 में सारे का सारा प्रोडक्शन दूसरे सालों से कहीं ज्यादा हुआ है। आपने फरमाया कि हमारे चावल के प्रोडक्शन में गड़बड़ी थी। अभी आप 81-82 के प्रोक्योरमेंट का सप्लाई कर रहे हैं। उसमें आपके चावल का प्रोडक्शन 53, 59 मिलियन टन था, जबकि 80-81 में 53,63 मिलियन टन था और उससे पहले 42;में3 मिलियन टन था।

आपका प्रोडक्शन जब इम्प्रूव हुआ है तो आप यह नहीं कह सकते कि हमारे पास प्रोक्योरमेंट में शार्ट सप्लाई है या स्टाक में कमी है, बल्कि आपकी व्यवस्था में कमी है।

दिल्ली के बारे में जो चर्चा हो रही थी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब एशियाड गेम चल रहे थे तो उस वक्त बहुत बढ़िया क्वालिटी का माल सब दुकानों पर था। सप्लाई खूब थी, मैटीरियल कम नहीं था। उसके बाद क्वालिटी और क्वान्टिटी गिर गई। क्वालिटी इसलिये गिर गई क्योंकि हरियाणा के अन्दर चुनाव थे। उस समय मई में जो आपने प्राक्योरमेंट किया तो वहां बरसात हुई थी, गेंहू उस समय भीगा हुआ था। वहां उस वक्त आपने लोगों को राजी करने के लिए, खुश करने के लिए प्रोक्योरमेंट किया और वह भीगा हुआ गेहूं सप्लाई में आ गया। वास्तविक कारण यह है कि गेहूं खराब था। जो आप मैटीरियल दे रहे हैं, उसकी व्यवस्था आप सही करें।

हमें राजस्थान में खासतौर से गेहूं नहीं चाहिए, अगर आप बाजरा भी दे दें तो हम खुश हैं। कम से कम लोगों को जिन्दा रहने के लिए अनाज दें। आप देहात से आनाज इकट्ठा करते हैं तो आपकी यह जिम्मेवारी है कि जब वह भूखे मरते हैं तो उनको अनाज दें। आप लेना जानते हैं, देना नहीं जानते। इस पर आप ध्यान दें।

श्री भागवत झा आजाद : हम देहात या शहर के नाम पर एलाटमैंट नहीं करते हैं। जैसा मैंने अपने स्टेटमैंट में कहा है, विभिन्न राज्य सरकारें जब अपनी मागें भेजती है, उसमें कितना उन्होंने मांगा है, वह देखते हैं। हमारे पास स्वयं उसको पूरा करने के लिए सेंट्रल पूल में कितना है, यह भी देखते हैं। साथ ही साथ यह भी देखते हैं कि एवेलेलिब्टी मार्केक में क्या है, कमी क्या है ?

जैसा मैंने निवेदन किया कि हमारे पास सेंट्रल पूल को सम्पूर्ण उत्पादन का वहुत थोड़ा हिस्सा रहता है और उसी हिस्सा से हम विभिन्न राज्य सरकारों की मांग पर विचार करते हैं। इस बात से आप अन्दाजा लगा लीजिये कि पिछले वर्ष राज्य सरकार की मांग 250 लाख टन थी और हमारे पास प्रोक्योरमेंट का स्टाक 150 लाख टन था। इसलिए मैंने शुरू में ही निवेदन किया कि यह प्रश्न राज्य सरकारों के मांगमें जाने का, जितना वह चाहें और हमारे देने का नहीं है। यह प्रश्न इस बात पर निर्भर करता है कि कितना उसके सहयोग से प्रोक्योरमेंट हुआ और कितना हम राजस्थान, तमिलनाडु या बिहार में ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए दे सकते हैं जुडिशसली।

यह बात हो सकती है, माननीय सदस्य कह रहे हैं, सही हो सकती है कि इनके क्षेत्र में शेरगढ़ तहसील में पार्टिकुलर गांव में चली दुर्घटना हुई। कलेक्टर ने 10 भेजा और 5 नहीं पहुंचा। मैं तो यहां से इस संबंध में कोई विचार नहीं दे सकता हूं। यह मेरे लिए संभव नही है।

मैं यह विचार दे सकता हूं कि जब हमारे पास किसी सरकार की मांग आती है तो उसके अनुसार हम विचार कर, अपनी स्थिति को देखते हुए, अधिक से अधिकदे ने का प्रयत्न करते हैं। आपने शहर और देहात की बात कही। हमारे फेअर प्राइस शाप्स सिर्फ शहर में नहीं हैं वल्कि 2 लाख 81 हजार दुकानें हैं उनमें से कुल 60,61 हजार शहर में हैं और बाकी 2, 19049 दुकानें देहात में हैं। हम राज्य सरकारों से निवेदन करते हैं और वह जानते हैं कि जो उन्हें एलाटमेंट दिया जाता है, वह सिर्फ शहर के लिए नहीं होता देहात के लिए भी होता है।

मैं इसी संदर्भ में यह कहना चाहता हूं कि यह प्रश्न सिर्फ मेरे पत्र लिखने से या एलाटमेंट करने से हल नहीं होगा।

फेयर प्राइस शाप्स के बारे में जो शिकायतें आती हैं कि वह खुलती नहीं हैं तो उसके लिए आवश्यक है कि इस सदन के माननीय सदस्य, एम. एल. एज. तथा अन्य सोशलकर्ता जो हैं वे अपनी-अपनी लेविल पर मदद करने के लिए जन आन्दोलन तैयार करें। मैं यह क्लेम नहीं करता कि हमने सब दे दिया है लेकिन जितना भी मिलता है उसके विवरण की सही व्यवस्था होनी चाहिए। अपने-अपने क्षेत्र में सही बटवारा करने के लिए जन आन्दोलन तैयार करें और अगर कहीं कोई गड़बड़ी होती है तो देखें उसका जिम्मेदार कौन है। तभी इसमें सुधार आने की संभावना है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही आंकड़े दिए कि अधिकांश दुकानें देहाती क्षेत्र मे ही हैं।

आपने जो प्रोडक्शन की बात कही, इस साल ड्राउट के कारण चावला के उत्पादन में बहुत कमी हुई है। गेहूं का जो क्राप ईयर है वह अप्रैल से गेहूं आयेगा, अप्रैल से लेकर मार्च तक चलेगा और चावल अक्तूबर से आयेगा, उसका क्राप ईयर अक्तूबर से सितम्बर तक है। जो पुराने साल की प्रोक्योरमेंट हैं उसके देखते हुए हम कोशिश करते हैं कि अधिक से अधिक जहां तक सम्भव हो सके हम गेहूं और चावल मिलाकर दें। और हम कोशिश करते हैं कि जहां तक संभव हो सके हर स्टेट को दें।

जहां तक इस साल के प्रोडक्शन की बात है, अगर असामयिक वर्षा नहीं हुई और मौसम ठीक रहा तो गेहूं की क्राप अच्छी होगी। हरियाणा की बात आपने कही तो गेहूं के लिए हमारे पास नियम हैं कि किस परसेन्ट तक हम ले लेंगे। कभी-कभी ऐसा होता है कि गेहूं का कोनेल खराब नहीं हैं, सिर्फ ऊपर वाला रंग ही बिगड़ा है और जो किसान हैं उनका भी हमारे ऊपर दबाव है तो दस-बीस परसेन्ट नहीं बहुत कम में हम उसको ले लेते हैं। अब यह खाद्यान्न उत्पादन लेकर वितरण तक की अपनी यात्रा पर जो चलता है उसमें कहीं-कहीं गड़बड़ी होती है और उसको हम ठीक करने की कोशिश करेंगे।

श्री प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बिहार

से आते हैं और मैं भी बिहार से आया हूं। बिहार की समस्याओं का जितना ज्ञान मंत्री जी को है उतना ही मुझे भी है। अन्तर केवल इतना ही है कि वह उस ओर हैं और मैं इस ओर हूं। आज बिहार में जितनी मांग है उसको पूरा करने में कोई अड़चन है तो उसके लिए कोई न कोई तर्क मन्त्री जी जरूर ढूंढ लेंगे। लेकिन मैं आग्रह करूंगा कि आप बिहार के हैं इसलिए तर्कों में न जाकर वहां की जो कठिनाईयां हैं उनको समझने का प्रयास करें।

उपाध्यक्ष महोदय : वह केवल बिहार के ही नहीं हैं, वरन पूरे भारत के हैं

श्री प्रो० अजित कुमार मेहता : सारे हिन्दुस्तान में उनके घर नहीं हो सकते हैं। उनका घर खास स्थान पर होगा।

मैं कह रहा था कि अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि पिछली दफा अकाल की छाया सारे हिन्दुस्तान में नहीं, सारे भारत में नहीं खास जगहों पर थी। इसलिए उन जगहों पर सहायता देने में, राहत देने में, इन्होंने उदारता से काम लिया, लेकिन उतनी उदारता अभी नहीं बरत सकते हैं। मैं आपको याद दिलाऊंगा। बिहार एक ऐसा राज्य है, जहां से लगभग सारे भारत की खनिज पदार्थ की आवश्यकता की पूर्ति की जाती है। इसलिए कम से कम इतना तो ख्याल करना चाहिए कि जब सारे भारत की खनिज पदार्थ की पूर्ति बिहार से होती है तो बिहार के मामले में, अगर वहां खाद्यान्न की कमी है, तो आप कहीं न कहीं से उसकी पूर्ति करें। आप अभी भी विदेशों से खाद्यान्न आयात कर रहे हैं। आपकी आवश्यकता जितनी होगी, जिसमें कि बिहार की पूरी आवश्यकता को शामिल करें, तो समस्या का समाधान करने में मदद मिलेगी। मैं यह कहना चाहता था कि जनता सरकार ने जिस समय में अपना कार्यभार आपके ऊपर दिया, उस समय काफी बफर-स्टाक था। जहां तक मुझे याद है, उस समय में 16 मिलियन टन खाद्यान्न का बफर-स्टाक था। आप भी आज क्यों नहीं वैसा ही बफर-स्टाक बनाने का प्रयास करते हैं। खास करके जब आप विदेशों से आयात कर रहे हैं, तो आपको बफर-स्टाक बनाने में सुविधा रहेगी आप ने कहा है कि 12.5 प्रतिशत आप वसूल करते हैं, प्रोक्योर करते हैं और 87.5 प्रतिशत निजी क्षेत्रों में छोड़ देते हैं और अधिक प्रोक्योर करने से निजी क्षेत्रों में कुछ कम जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपके पास कोई आंकड़े हैं जिससे यह पता लग सके कि बिहार सरकार केन्द्रीय पूल कितना अंशदान कर रही है ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : सही आंकड़े तो नहीं जानते हैं फिर भी बिहार ने कुछ अंशदान तो किया ही है।

उपाध्यक्ष महोदय : कितनी सफाई से बच गए। आप यह बताइये कि केन्द्रीय पूल को आपने क्या अंशदान किया था ?

प्रो० अजित कुमार मेहता : जब बिहार में इतना अभाव है तो इसका कोई महत्व नहीं रह जाता कि उसने कितना अंशदान किया है।

प्रो० अजित कुमार मेहता : मैं उसको उनके विवेक पर छोड़ देता हूं कि उसको कितनी आवश्यकता है। यह तो आप जानते हैं कि बिहार में कमी है। जब कमी है तो उसमें कितना कन्ट्रीब्यूशन किया, यह कोई अर्थ नहीं रखता है, इस बात को जानने का। अर्थ यह रखता है कि आप कितना कन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं। मैं यह कह रहा था कि 12.5 प्रतिशत से आप अधिक नहीं करना चाहते हैं, मेरी दृष्टि में यह विचार गलत है। वह इस मायने में कि जब स्केयरसिटी है, तब आप उसकी पूर्ति करना चाहते हैं। तो पूर्ति करने के समय में आपको यह सोचना चाहिए कि 87.5 प्रतिशत प्रोक्योरमेंट जब आप निजी क्षेत्रों में छोड़ दे रहे हैं तो उससे आपकी आवश्यकता में पूर्ति नहीं होती है, उससे सकेयरसिटी बनी रहती है। उसके कारण आप ऊपर से सहायता दे रहे हैं। इसलिए आप इतना निश्चित जान लीजिए कि वह इस पूर्ति में अक्षय है। आप अधिक प्रोक्योर कीजिए। 87.5 परसेंट निजी क्षेत्र में रखकर आप आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं। आपने कहा है कि हम अधिक प्रोक्योर करेंगे तो निजी क्षेत्र में नहीं जाएगा और उससे कठिनाई उत्पन्न होगी। इस बात को मैं नहीं मानता हूं। जहां तक स्केयरसिटी की बात है वहां पर आपको पूरी की पूरी आवश्यकता की पूर्ति करनी चाहिए। मेरे ख्याल में स्केयरसिटी का मतलब यही है। जब आप पूरी आवश्यकता की पूर्ति करेंगे तो स्केयरसिटी स्वयं समाप्त हो जाएगी और वहां परमैल-प्रेक्टिस, ब्लैक-मार्केटिंग की जो समस्या है, वह स्वयं दूर हो जाएगी। आप इस पर विचार करें।

अभी तक कुछ सदस्यों ने क्वालिटी के बारे में चर्चा की थी। मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं—क्या सरकार के पास भण्डारन और यातायात की कोई अच्छी व्यवस्था है ? मैं तो यह समझता हूं—चूंकि आपके पास खाद्यान्न के भण्डारन और यातायात की अच्छी व्यवस्था न रहने के कारण भण्डारन और यातायात की प्रतिक्रिया में बहुत सा अन्न खराब हो जाता है, पानी में भीग जाता है, बरबाद हो जाता है और उसी अन्न की आपूर्ति फेअर-प्राइस-शाप्स के द्वारा कर दी जाती है, जिसके कारण लोगों को खराब खाद्यान्न मिलता है। क्या आप इस पर विचार कर इस व्यवस्था को दुरुस्त बनाने का प्रयास करेंगे ?

आपने यह भी कहा है कि राज्यों को अपना खाद्यान्न स्वयं पैदा करना होगा और उसी पर भरोसा करना चाहिए। आप जानते हैं, विगत 36 सालों में, स्वतन्त्रता के बाद, आप प्रयास करते हुए भी बिहार में सिंचाई की उपयुक्त व्यवस्था नहीं बना पाये हैं। अभी भी हमारी खेती, हमारी सब कुछ, मानसून की कृपा पर निर्भर है। यदि मानसून का रोष हमारे उपर हो तो हमारी खेती चौपट हो जाती है। आप इस समस्या को नजर अन्दाज करके कैसे यह कह सकते हैं कि हमें स्वयं उत्पादन करना होगा। हम तो चाहते हैं कि आप हमें सिंचाई की उचित व्यवस्था दे दें, तो हम स्वयं आसरे पर नहीं रहेंगे, स्वयं अपना उत्पादन कर लेंगे। बिहार की जमीन बहुत उपजाऊ है, यदि इस चीज की व्यवस्था हो जाये तो हम दूसरे राज्यों को खाद्यान्न की पूर्ति कर सकते हैं। इसका मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन चूंकि इन्फास्ट्रक्चर ही हमारे यहां नहीं हैं—आज, उपाध्यक्ष महोदय, बिहार में जितने भी स्टेट ट्यूबवैल हैं उनमें बिजली के अभाव के कारण अधिकांश समय वे नहीं चलते हैं—जब हमारे यहां सिंचाई की व्यवस्था न हो, उर्वरक न मिले, बीज की आपूर्ति समय के बाद हो—पिछली मर्तबा मैंने एग्रीकल्चर मिनिस्टर से यही पूछा

था कि बीज की आपूर्ति आप समय पर नहीं कर पाए हैं, ऐसी स्थिति में उपज कैसे अच्छी होगी, यदि समय पर बीज मिल जाए तो स्वय समस्या का समाधान निकल जायगा। क्या इसकी तरफ आपने कुछ सोचा-विचारा है ?

अन्तिम सवाल, यहां पर अभी दिल्ली के बारे में चर्चा हुई है और उसी सिलसिले में यह कहा गया है कि सरकार की नीति है कि कैरोसीन तेल और खाद्यान्न इन दोनों के लाइसेंस एक ही प्रेमिजेज में, दोनों का स्टाक एक ही प्रेमिजेंज में न रहे। लेकिन देखा यह गया है कि किसी भूल के कारण ये दोनों लाइसेंस एक ही प्रेमिजेज में एक ही प्रांगण में···

श्री भागवत झा आजाद : कौन से लाइसेंस ?

श्री अजित कुमार मेहता : कैरोसीन और खाद्यन्न के। ऐसा पाया गया है कि अब दोनों लाइसेंस एक ही प्रांगण में हो, तो राशनकार्ड पर खाद्यान्न और कैरोसीन की प्राप्ति दी जाती है; लेकिन वास्तविक उपभोक्ता को यह बता दिया जाता है कि कैरोसीन का स्टाक समाप्त हो गया इसलिए उपलब्ध नहीं है। इस तरह के मैलप्रेक्टिस चलती है। क्या आपके सामने दिल्ली एरिया में इस तरह की समस्या लाई गई है ? और अगर लायी गयी है तो उस पर आपने क्या किया है ?

एक और खामी की ओर मैं आपका ध्यान दिलाऊंगा। फ्लोर मिल और खाद्यान्न का लाइसेंस एक ही प्रमिसिस में रहने पर यह होता है कि जो फेयर प्राइस शास का स्टाक होता है, फ्लोर मिल उसका आटा बनाकर बेच देती है। क्या आपने इस पर कभी ध्यान दिया है ? अगर इस तरह की समस्या है तो उसका आप क्या समाधान निकालेंगे ?

आप जानते हैं कि बिहार में मुख्य रूप से 26 जिले हैं जो अकाल की छाया में ग्रसित हैं जिनसे हमारा जिला भी सम्मिलित है। ये जिले हैं—पटना, भोजपुर, गया, औरंगाबाद, रोहतास, नालन्दा, नवादा मुगेंर, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, सीतामढ़ी,ईस्ट चम्पारण, वेस्ट चम्पारण, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, सारन, सीवान, गोपालगंज, बेगुसराय, खगरिया, पूर्णिया, कटिहार, सहर्षा, मधेपुरा। इन जिलों में अकाल की छाया है। क्या आप इन जिलों के बारे में विशेष रूप से ध्यान रख कर, इन जिलों की खाद्यान्न आपूर्ति करने का आश्वासन बिहार राज्य को देंगे जिससे इन जिलों की खाद्यान्न की कमी दूर हो सके ?

अभी आपका एक दल बिहार में घूम रहा है और कुछ ही दिनों में वह अपना प्रतिवेदन भी प्रस्तुत कर देगा। पिछली दफा इस टीम ने केवल 25 करोड़ रुपये बिहार राज्य को सहायता के रूप में देने के बारे में रिकमण्ड किया था। मैं समझता हूं कि इस साल समस्या और भी कठिन है। इसलिए बिहार राज्य की प्रतिमाह डेढ़ लाख टन खाद्यान्न आपूर्ति की जो मांग है, उस पर विशेष रूप से ध्यान रखकर, क्या आप उसकी आपूर्ति करेंगे ?

मेरे इन प्रश्नों का मन्त्री जी उत्तर देने की कृपा करें।

श्री भगवत झा आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की समस्या का जितना ज्ञान प्रोफेसर साहब को है उतना मेरा भी है। आपके उस तरफ रहने से और मेरे इस तरफ रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए इस बात को आप अपने मन से निकाल दीजिए कि कोई फर्क है।

आपने बिहार के जिन 26 जिलों का नाम लिया है, उनको मैं भी जानता हूं क्योंकि उनमें से कुछ के बारे में तो मैं व्यक्तिगत रूप से भी परिचित हूं। लेकिन हिन्दुस्तान का खाद्य मन्त्री होने के कारण मेरे सामने और भी जिले हैं। उत्तर प्रदेश में हैं, तमिलनाडु में हैं, उड़ीसा में हैं जहां की अकाल की छाया है और उनको भी मैं उसी रूप में समझता हूं। इसलिए इन 26 जिलों में और भी अनेक 26 जिले जुड़ जाते हैं।

प्रो० अजित कुमार मेहता : जो आप 65 हजार टन खाद्यान्न की आपूर्ति कर रहे हैं, क्या इससे आप यह सोचते हैं कि वहां की आपूर्ति हो जायेगी ?

श्री भगवत झा आजाद : यह आपने कहा है और इसका मैं जावाब देने वाला हूं। आप अपने सब प्रश्नों का जवाब सुनिए।

मैंने पहले ही कहा कि जिन राज्य सरकारों की मांग मेरे पास आती है उन मांगों के बारे में मुझे कई बातों को देखना होता है। बिहार की ही मांग नहीं, तमाम राज्यों की मिली-जुली मांगों को देखना और फिर हमारे पास सैन्ट्रल पूल में कितना खाद्यान्न है इसको भी देखना पड़ता है। तीसरे मार्केट में कितना खाद्यान्न उपलब्ध है, चौथे कहां क्या कीमतें हैं, इन तमाम बातों को देखकर ही हम कुछ करते हैं।

इसी सन्दर्भ में आपका ध्यान आकर्षण करता हूं कि पिछले वर्ष, 1982 में तमाम राज्यों में 250 लाख टन खाद्यान्न की मांग थी। केन्द्रीय पूल के पास 150 लाख टन था। मगर इतना कम रहने पर भी जिस प्रकार से वितरण हुआ उससे देश की कठिनायों का हल हुआ। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें कि यह काम राज्य सरकारों का है जितना चाहें मांगें, जितनी उनकी कठिनाई हो। लेकिन देना इस पर निर्भर करता है कि हमारे पास कितना है। भारत सरकार जरूर देगी। हम चाहते हैं।

मेरी भी यह चाह विलासित, सुंदरता को शीष झुकाऊं
जहां-जहां मधुमयी वसी हो, वहां बसंतानिल बन धाऊं।

पर कठिनाई यह है कि—

पर नभ में न कुटि बन पाती, मैंने भीसौ युक्ति लगाई,
कभी कल्पना मिटती आधी, कभी बिगड़ती बनी बनाई।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि मैं चाहता तो हूं पर चाहने के बावजूद केन्द्रीय पूल में जो प्रोक्योरमेंट करते हैं साढ़े बारह परसेंट उनके अनुसार जो रहता है वह दिया जाता है। आपने कहा कि मैं साढ़े 12 परसेंट ही करता हूं। मैंने यह कहा है कि पिछले वर्ष साढ़े 12 परसेंट किया

गया है इसका अर्थ वह नहीं है कि अब भी इतना ही करेंगे। अधिक भी कर सकते हैं लेकिन यह सारी बात निर्भर करती है कि प्रोक्योरमेंट कितना संभव है और इससे ज्यादा उसकी क्षमता पर, उसकी उपयोगिता पर, काय कुशलता पर। उसको बढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूं लेकिन यह बात भी सही है कि अगर साढ़े बारह परसेंट से 20 परसेंट भी कर दिया तो हिन्दुस्तान की आबादी तो बढ़ेगी, वह तो कम नहीं होगी। लेकिन टोटल प्रोडक्शन तो उतना है तो परसेंट बढ़ाने से बाजार में कमी होगी।

आपने यह भी कहा है कि अगर ऐसी बात है तो आयात बढ़ा दीजिए। हमने पिछले वर्ष आयात किया। आप कहते हैं कि और अधिक आयात कर लो और बिहार की आवश्यकता की पूर्ति कर दो। लेकिन अब बिहार की मांग को जोड़ेंगे तो सारे हिन्दुस्तान की मांग भी उसमें जुड़ेगी। इसके लिए भी वही बात लागू होती है कि हम चाहते तो हैं लेकिन इतनी विदेशी मुद्रा हमारे पास नहीं है विदेशी मुद्रा से और भी बहुत सी चीजें आयात करनी होती हैं। जितना संभव होता है उतना बाहर से मगांकर दिया जाता है।

प्रो. अजित कुमार मेहता : लोगों को भूखों मरने से तो रोकिए।

श्री भगवत झा आजाद : वही तो कर रहे हैं। किसी को भूखों नहीं मरने दिया गया है। आपने अपनी सरकार का प्रसन्नता पूर्वक हवाला दिया। 1979 में जब भयंकरड़ा उट था तो आपके बस की बात नहीं रही थी और 1980 में जब इंदिरा जी आई तो उस वर्ष डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से सबसे अधिक अनाज लोगों को दिया। आपको याद होगा कि आपके चरण इतने अच्छे थे कि हिन्दुस्तान के टोटल प्रोडक्शन में उस वर्ष लगभग 200 लाख टन की कमी आई। किसानों को गन्ना जलाना पड़ा '

श्री रामविलास पासवान (हाजीपुर) : किसी से कर्जा तो नहीं लिया।

श्री भागवत झा आजाद : यह इस कारण से है कि राम विलास जी को अर्थ शास्त्र का पूरा ज्ञान नहीं है।

हम व्यक्तिगत जीवन में भी कर्ज लेते हैं, कौआपरेटिव सोसायटीज से कर्ज लेते हैं और बाद में चुका देते हैं। इसी प्रकार सरकार भी देश की उन्नति के लिए कर्ज लेती है वर्ल्ड बैंक से। यह अच्छी बात है। पासवान जी लेमिज इकनामिक्स में विश्वास करते हैं कि किसी से कर्ज नहीं लेना चाहिए लेकिन हम सोशलिस्ट इकनामिक्स में विश्वास करते हैं कि कर्ज लेकर उसका सही उपयोग करके कर्ज वापिस कर दो। **(व्यवधान)**

प्रोफेसर साहब ने भण्डारण और यातायात के बारे में कहा। मैं उनको बताना चाहता हूं कि भण्डारण में वृद्धि के कारण ही हमारे टोटल स्टाक में 172 लाख टन अनाज रहा। 168 लाख टन अनाज रहा और इस साल भी अभी तक 125 लाख टन भण्डारण है। जो विभिन्न ऐजेन्सीज के पास है, इस बात का प्रतीक है कि हमारी भण्डारण क्षमता बढ़ रही है। आपने यातायात के

बारे में कहा है मैंने पहले भी बताया था कि सवा करोड़ बोरियों का इधर से उधर चलन किया जाता है ।

1978 में हमने 96 लाख टन फूड ग्रेन मूव किया था और 1982 में 54 लाख टन किया । सारे आंकड़े इस बात के प्रतीक हैं कि चाहे उत्पादन, भण्डारण या यातायात की बात हो, जैसा कि प्रोफेसर सहाब ने ध्यान आकर्षित किया है, उन सभी में वृद्धि हुई है । हम चाहते हैं कि हमारी क्षमता बढ़ती जाए । आपने सिंचाई, ट्यूबवैल और बिजली पर प्रश्न किया है । मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को जो सम्बधित मंत्री हैं, उनसे ही पूछिए । हम तो सब बातों के इनसाइक्लोपीडिया नहीं है वैसे मैं बता सकता हूं लेकिन यह ठीक नहीं होगा ।

प्रो० अजित कुमार मेहता : बफर स्टाक के बारे में मैंने पूछा था ?

श्री भागवत झा आजाद : अभी हमको बफर स्टाक चाहिए और अभी हमने रखा हुआ भी है । एक तरफ आप कहते हैं कि सबको खिलाओ, कोई भूखा न मरे । लेकिन हमारे पास इतना प्रचुर उत्पादन हो और मिनिमम स्टाक हम रख पाए जिससे सबको खिला सकें तो यह सबसे अच्छी स्थिति होगी । लेकिन जब कठिनाई डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के समय आती है तब बफर स्टाक से निकालकर देते हैं और अगली बार के लिए रख लेते हैं क्योंकि आपरेशनल और बफर स्टाक दोनों ही आवश्यक हैं । पाईप लाईन में कम से कम रहता है जो हम आपरेट करते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं ।

आपने केरोसीन तेल के बारे में कहा है । एक दुकान में खाद्यान्न तथा और चीजों के रखने में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन आपकी शिकायत थी कि लोग नहीं देते हैं बल्कि और भर लेते हैं, इसको दूर करना चाहिए। इस सम्बन्ध में कोई लीगल काठनाई नहीं है । दूसरी बात आपने कही कि जिस प्रेमीस में फ्लोर मिल हैं वहीं पर फेअर प्राइस शाप है । जैसा मैंने कहा है यह बिल्कुल गलत है । हमने कोई लाइसेंस ऐसा नहीं दिया है । अगर ऐसी बात की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो हम निश्चित ही कार्यवाही करते हैं और एक प्रेमीस में नहीं रहने देते हैं मैं समझता हूं एक प्रेमीस में रहने पर गेहूं इधर से उधर चला जाता है यह बात हमारे ध्यान में है ।

श्री राम विलास पासवान : बिहार में दस रुपये लीटर केरोसीन तेल मिल रहा है ।

श्री भागवत झा आजाद : मुझे यह नहीं मालूम कि कहां कितने रुपये लीटर मिल रहा है ? मैं तो सिर्फ आपके प्रश्न का जवाब दे रहा हूं । इसका जवाब ऊर्जा मंत्री के पास है स्टाक उनके पास है और कितना राज्य सरकारें उनसे मांगती हैं और कितना-कितना दिया जाता है। इसकी डिटेल पूछनी हो तो उर्जा मंत्री से ही पूछ लिया करें तो अच्छा रहेगा । मैं नहीं बता सकता कि उर्जा मंत्री के पास कितना स्टाक रहता है । इसके बाद आपने विवरण के सम्बन्ध में पूछा है । हमारी जो फेअर प्राइस शाप्स हैं उनकी संख्या दो लाख 81 हजार है जिनमें से 62 हजार तकरीबन शहरी क्षेत्रों में और दो लाख 19 हजार, 39 देहातों में । इन तमाम दुकानों के जरिये बटवाने की कोशिश करते हैं, यही हमारा प्रयत्न रहता है ।

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी प्रतिवेदन

17 वां प्रतिवेदन

श्री मूल चन्द डागा (पाली): मैं अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का सत्रहवां प्रतिवेदन (हिन्दी और अंग्रजी संस्करण) पेश करता हूं।

विश्व भारती (संशोधन) विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव

शिक्षा, संस्कृति और समाज कल्याण विभाग में उप-मंत्री (श्री पी० के० थुंग न) : मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं

"कि यह सभा राज्य सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि लोक सभा श्री ए० ए० रहीम के त्याग-पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य नियुक्त करे और यह सभा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर श्री अहमद मोहम्द पटेल को नाम निर्दिष्ट किया जाय।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है

"कि यह सभा राज्य सभा की सिफाकिश से सहमत है कि लोक सभा श्री ए० ए० रहीम के त्याग-पत्र के कारण रिक्त हुए स्थान पर विश्व-भारती (संशोधन) विधेयक, 1978 सम्बन्धी दोनों सभाओं की संयुक्त समिति के लिए एक सदस्य नियुक्त करे और यह सभा संकल्प करती है कि उक्त संयुक्त समिति में रिक्त हुए स्थान पर श्री अहमद मोहम्मद पटेल को निर्दिष्ट किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कार्य मन्त्रणा समिति

43 वां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य, खेल, निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि यह सभा 21 मार्च 1983 को सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य मंत्रणा समिति के तेंतालिसवे प्रतिवेदन से सहमत है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न है :

"कि यह सभा 21 मार्च, 1983 की सभा में प्रस्तुत किए गए कार्य-मंत्रणा समिति के तेंतालिसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

नियम 377 अधीन मामले

(एक) आंध्र बैंक और कैनरा बैंक द्वारा उत्तरी क्षेत्र में कम पूंजी निवेश

श्री कृष्ण प्रकाश तिवारी (इलाहाबाद) : मान्यवर, समूचे उत्तर भारत में आंध्र बैंक तथा कैनरा बैंक की एवं अन्य दक्षिण भारतीय बैंकों की अनेक शाखाएं हैं जिनमें उत्तर भारत के नागरिकों का करोड़ों रुपया जमा है किन्तु आश्चर्य है कि सभी नियमों की अवहेलना करके दक्षिण भारतीय बैंक जिस अनुपात में उत्तर भारत के नागरिकों का धन जमा है उसके अनुपात में बहुत कम इन्वेस्टमेंट उत्तर भारत में करते हैं तथा कर्जा भी उत्तर भारत में कम देते हैं बल्कि उत्तर भारत में जमा धनराशि का उपयोग अन्यत्र करते हैं जो मान्य सिद्धान्तों के प्रतिकूल है।

मेरी वित्त मन्त्री जी से अपील है कि वे यह सुनिश्चित करें कि जिस अनुपात में उपरोक्त बैंकों की उत्तर भारत स्थित शाखाओं में धन जमा है उसी अनुपात में उसका इन्वेस्टमेंट उत्तर भारत में हो तथा यहां के नागरिकों को लोन भी दिया जाए।

(दो) गधंमार्दन बाक्साइट परियोजना का मुख्यालय

श्री रासबिहारी बहेरा (कालाहांडी) : नियम 377 के अन्तर्गत मैं निम्नलिखित वक्तव्य देता हूं :

सरकार ने पश्चिमी उड़ीसा में बोलनगीर के गंधमार्दन पर्वतों से बाक्साइट के विशाल भंडार के उपयोग के लिए कार्यक्रम हाथ में लिया है, नेल्को (एन. एल. सी. ओ.) और बाल्को (बी. ए. एल. सी. ओ.) जैसे सरकारी क्षेत्र के एकक इस उपयोग सम्बन्धी कार्यक्रम के संचालन के लिए योजना तैयार कर रहे हैं। भारत सरकार ने एक सर्वेक्षण किया था उससे यह स्पष्ट है कि यदि उन वाक्साइट खानों में काम शुरू कर दिया गया तो खनिज पर आधारित अनेक उद्योग भारी संख्या में शुरू हो जाएगे। उपर्युक्त कार्यक्रम को लागू किए जाने से पूरे उड़ीसा को लाभान्वित किया जा सकता है।

किन्तु बड़े आश्चर्य की बात है कि उपर्युक्त गन्धमार्दन वाक्साइट परियोजना के मुख्यालय को मध्यप्रदेश में रायपुर में स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। यदि मुख्यालय किसी अन्य राज्य में स्थापित किया गया, तो भरती सम्बन्धी काम में और दिन प्रतिदिन के काम में अनेक

अनियमितताएं आ जाएंगी । उन खानों में विभिन्न काम करने वाले कर्मचारियों से समुचित न्याय नहीं हो पाएगा । कामगारों की भी अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ेगा ।

इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे गंधमार्दन बाक्साइट परियोजना का मुख्यालय उडीसा में हरिशंकर या पाईक्माल में स्थापित करें ।

(तीन) बैंकों के लटे जाने को रोकने के लिए कारगर उपाय करने की आवश्यकता

श्री टी० ए० नेगी (टिहरी गढ़वाल) : मान्यवर, देश के बैंकों का जबसे राष्ट्रीयकरण हुआ है तब से बराबर चोरियां; डकैतियां एवं घोटालों के मामले हजारों की तादाद में सरकार के सामने आए हैं लेकिन बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ रहा है कि कोई भी कारगर कदम सरकार ने अभी तक नहीं उठाया है । पिछले वर्ष सरकारी बैंकों की 70 शाखाओं में डाके पड़े और डकैत उप-वित्त मन्त्री के अनुसार डेढ़ करोड़ रुपये और नगदी लूट ले गए। हर वर्ष बैंक डकैतियां एवं चोरियां बढ़ती ही जा रही हैं । तब यह कैसे मान लिया जाए कि बैंकों की डकैतियां रोकने के लिए सरकार सतर्कता बरत रही है । क्या अन्धाधुन्ध कमाई करने वाले बैंकों के लिए यह सम्भव नहीं है कि बही खाते लिखने वाले दर्जनों कर्मचारियों की नियुक्ति के साथ-साथ एक, दो उनकी रक्षा के लिए गार्डों की भी नियुक्ति करें ? यह करना चाहिए । कई बैंकों में डकैतियाँ ऐसी पड़ी जिनसे पता चलता है कि बैंक कर्मचारियों की ओर से डकैतों को प्रत्यक्ष या परोक्ष शह देने की सम्भावना है । जहां कोई आदमी जा नहीं सकता वहां अनजाने डकैत को पहुंच कर डकैती डाल कर चले जाते हैं और यह डकैत उसी समय आते हैं जब बैंक में ग्राहक नहीं होते हैं ।

दूसरी तरह से भी बैंकों से धन लूटा जा रहा है, फर्जी कागजातों के बल पर करोड़ों रुपए का घपला किया जा रहा है । बैंकों को बाहरी एवं अन्दरूनी दोनों तरह की सुरक्षा की आवश्यकता है जिसका ताजा उदाहरण अभी हाल में एक बैंक में दो करोड़ रुपये की हेराफेरी का पता चला है जिसमें बैंक के एक अधिकारी का ही दोष है । यह लोक महत्व का मामला है इस पर सरकार को तुरन्त कार्यवाही करने से कतराना नहीं चाहिए ।

(चार) बिहार में सौंदा कोयला खान में हुई दुर्घटनाएं तथा मृतकों के अधिकारियों को क्षतिपूर्ति

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के हजारीबाग जिलान्तर्गत सौंदा कोलियरी में श्रमिक संगठन के मांग एवं आन्दोलन करने के बावजूद भी मैनेजमैंट द्वारा खान-सुरक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, फलस्वरूप बराबर खान-दुर्घटनाएं घट रही हैं और मजदूर मर रहे हैं ।

एक घटना 16-7-82 को घटी जिसमें एक मजदूर मारा गया, जबकि उस घटना के पहले ही 12-7-82 को मजदूरों ने प्रदर्शन कर खान सुरक्षा की मांग की थी । बजाय खान सुरक्षा पर

ध्यान देने के मैनेजमैंट ने यूनियन के सचिव को निलम्बित कर दिया। पुन: 16-8-82 को दूसरी घटना घट गई और उसमें भी मजदूर मरे।

उस घटना के पहले भी मजदूरों ने लिखकर दिया था कि घटना घट सकती है। उसके बाद पुन: घटना घटी जिसमें एक मजदूर मारा गया। अभी ताजी घटना 18-3-83 को घटी, जिसमें एक मजदूर मारा गया और दूसरा गम्भीर रूप से घायल है। उसकी भी हालत चिंताजनक है। मैं 19-3-83 को वहां गया था। मजदूरों ने मुझे बताया कि वे लोग खान की स्थिति को देखकर काम पर जाने से इन्कार कर दिए थे, लेकिन मैनेजमैंट ने जबरदस्ती दबाव डालकर मजदूरों को काम पर भेजा और दुर्घटना घटी। आम मजदूरों में इस घटना एवं असुरक्षा को लेकर काफी रोष है।

अत: सरकार से मांग है कि सरकार खान सुरक्षा हेतु कारगर कदम उठावें। मृत मजदूरों के परिवारों को एक लाख रुपया मुआवजा दे तथा दोषी अधिकारी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे।

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश को निरनुमोदन के बारे में सांविधिक संकल्प दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक तथा दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

उपाध्यक्ष महोदय : अगला विषय, श्री जी. एल. व्यास कल आप पांच मिनट का समय ले चुके हैं। इस समय केवल 20 मिनट बचे हैं। आप अपनी बात 5 मिनट में ही खत्म कर लीजिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भलवाड़ा) : महोदय, दस मिनट।

उपाध्यक्ष महोदय: फिर आप यहां आ जाइए और मैं वहां चला जाऊंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : उपाध्यक्ष महोदय, मैं बी०जे०पी० के बारे में जिक्र कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए बड़ा हल्ला मचाया कि दिल्ली में चुनाव नहीं कराते, कांग्रेस के लोग डरते हैं। जब चुनाव यसां कराया गया तो बी०जे०पी० का क्या हाल हुआ, जैसे अभी यहाँ पर हैं—एक भी बी० जे० पी० का सदस्य यहां मौजूद नहीं है।

श्री बाबूराम परांजप (जबलपुर) : मैं यहां बैठा हुआ हूं बी० जे० पी० की तरफ से।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इन्होंने रैज्यूलेशन रखा है और अब विरोध करते हैं, लेकिन इनके विरोध में कोई तत्व नहीं है। श्री शेजवाल्कर जी ने विरोध करते हुए कहा है कि बिना डीलिमिटेशन किए गलत तरीके से यहां चुनाव करा दिया। उस बारे में हमारे माननीय मन्त्री महो-

दय ने बिल्कुल साफ कहा है कि संविधान अमेंडमैंट एक्ट 4., जिसके जरिए मांग की है, वह सारे प्रदेशों के लिए है, 2000 तक हम किसी प्रकार का कोई डी-लिमिटेशन नहीं करेंगे। तो क्या दिल्ली हिन्दुस्तान से अलग है जिससे कि डि-लिमिटेशन कर दिया जाए? इसीलिए डि-लिमिटेशन नहीं किया गया। उनकी माँग के अनुसार ही यहां पर जल्दी चुनाव कराए गए हैं।

यहां सी०पी०आई०, सी०पी०एम०, लोक दल आदि सब के लोग बैठे हुए हैं। इन पार्टियो के अलग-अलग टुकड़े हो चुके हैं, वह सब लोग जितने भी अलग-अलग थे जो कि अपने आपको सोशलिस्ट मानते थे, मजदूरों और गरीबों का मसीहा मानते थे, वह सब एकजुट होकर मैदान में आए, मगर ये लोग ऐसे डाउन हुए कि आज इनका नाम लेने वाला कोई नहीं है। दिल्ली मैंट्रोपोलिटन काउंसिल और दिल्ली कार्पोरेशन में एक भी प्रतिनिधि इनका नहीं गया। इस तरीके की हालत इन राजनीतिक पार्टियों की है।

ऐसी अवस्था में हमारी सरकार ने जो कुछ भी कदम उठाए हैं, वह जनता के हित में ही उठाए हैं। जनता को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व देकर उनकी आकाक्षाओं की पूर्ति के लिए यह किया है।

मैं माननीय मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि दिल्ली में डी. डी. ए. की जो अथौरिटी है, इसने पिछले वर्षों में किस प्रकार से काम किया है, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यवता है।

डी. डी. ए. ने जो हाउसिंग कालोनीज बनाई हैं उनकी क्या हालत हुई है? मन्त्री जी को उस तरफ विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारी सरकार को बदनाम करने वाले ये अधिकारी लोग जो हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। जो अधिकारी गड़बड़-घोटाला करते हैं और पैसा खा गए उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। हमारी सरकार और हमारी नेता, श्रीमती इन्दिरा गांधी सही प्रशासन देना चाहती हैं लेकिन ऐसे अधिकारी जो वहां पर बैठ जाते हैं, उनसे बड़ी बदनामी होती है। सरकार को उनपर पूरा अंकुश रखना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि यहां दिल्ली में कम से कम दस लाख शेड्यूल्ड कास्ट के लोग ऐसे रहते हैं जो कि राजस्थान के हैं। वे मजदूर पेशा लोग हैं। अलग-अलग कालोनीज में वे रहते हैं। झुग्गी-झोंपड़ी में रहते हैं। अभी हाल के चुनाव में उन्हीं लोगों ने आपको बहुमत दिलवाया है। उन लोगों के लिए पूरी माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए। उनकी कालोनीज में सड़कों की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली और अस्पताल की व्यवस्था होनी चाहिए। उनके बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। सफाई की व्यवस्था भी की जानी चाहिए। यदि आप उन लोगों के लिए पूरा इन्तजाम नहीं करेंगे तो उनके दिल-दिमाग में निराशा पैदा होगी। बीससूत्री कार्यक्रम में मुख्य रूप से इन्ही लोगों की मदद करने और इम्पलायनेन्ट देने की बात कही गई है। इन लोगों को मकान और प्लाट देने की व्यवस्था की गई है। ऐसे लोग जो कांग्रेस की नीतियों में पूरा

विश्वास रखते हैं उनके लिए पूरी कोशिश करके उनको आर्थिक स्तर हर ज्यादा से ज्यादा सम्पन्न बनाया जाना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में उनके बच्चों के लिए पढ़ाई-लिखाई की पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए। उनके लिए मेडिकल फैमिलिटीज की व्यस्वस्था होनी चाहिए। दिल्ली में आपने जो एशियाड का आयोजन किया, उससे सम्बन्धित निर्माण-कार्यों में इन्हीं लोगों का सबसे बड़ा योग-दान रहा है। इसलिए इन लोगों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए।

यह सारी राजनीनिक पार्टियां जो हैं जिन्होंने दिल्ली के चुनाव के सम्बन्ध में बहुत ढोल बजाया था, उनको मुंह की खानी पड़ी है। ये ऐसे लोग हैं जो कि देश में गलत प्रकार की धारणाएं पैदा करते हैं। खास तौर से जो बी० जे० पी० है वह असम में कुछ कहती है, पंजाब में कुछ कहती है और दिल्ली में कुछ कहती है। ये लोग कम्युनल भावनायें फैलाकर साम्प्रदायिक दंगे और गलत हालात पैदा करने की कोशिश करते हैं। इनसे हमें बहुत सतर्क रहने की आवश्यकता है जिस प्रकार से* काम करते हैं उसी तरह से ये भी अलग-अलग संगठन बनाकर काम करते हैं। इसलिए इनसे सतर्क रहने की जरूरत है। वे भी देश में निराशा का संचार करते हैं और मजदूरों को भड़काते हैं। इनके पास भी विकास की गति को खत्म करने के अलावा और कोई कार्यक्रम नहीं है। एक राईटिस्ट हैं और दूसरे लैफ्टिस्ट हैं। दोनों से ही सावधान रहने की जरूरत है। इनके खिलाफ बहुत सतर्कता से काम करें, तब जाकर हमारी व्यवस्था मजबूत होगी। हमारा समाजवादी कार्य-क्रम है---गरीब को ऊंचा उठाना, गरीब की ज्यादा से ज्यादा मदद करना। ये कार्यक्रम निश्चित तरीके से इस देश के आर्थिक उत्थान में ज्यादा से ज्यादा योगदान देंगे। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी जी के नेतृत्व में पूरा विश्वास है। इस देश को खुशहाल बनाने में, इस देश से गरीबी मिटाने में, बेकारी और बेरोजगारी को दूर करने में—उनके सिवाय और ऐसा नेतृत्व नहीं दे सकता है। इस-लिए उन्हीं के नेतृत्व में यह देश खुशहाल होगा। इसलिए हम जितना ज्यादा से ज्यादा उनको शक्ति देंगे, सहयोग करेंगे, उतना ही ज्यादा देश तरक्की के रास्ते पर बढ़ेगा।

इन शब्दों के साथ में इन बिलों का समर्थन करता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : उपाध्यक्ष जी, दिल्ली नगर-निगम संशोधन विधेयक, 1983 और दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक, 1983—इन दोनों विधेयकों पर हम लोग एक साथ विचार कर रहे हैं। मैं इन दोनों का विरोध करता हूं।

विरोध क्यों करता हूं, इस बारे में मैं दो-तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। चुनाव तो हो गए। किसी भी चुनाव के लिए वोटर लिस्ट तो जरूर बनाई जानी है, पाबन्दी तो है ही नहीं। हर साल वोटर लिस्ट में संशोधन किए जाते हैं, केवल दिल्ली में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में इसके लिए बाकायदा चुनाव कार्यालय बने हुए हैं। चुनाव के लिए तो बहुत दिनों से आवाज लग रही थी, तमाम विरोधी दल के लोग मांग कर रहे थे। जब आपने 1980 में चुनाव कराया, उस समय भी मांग कर रहे थे और उसके बाद भी लगातार मांग करते आ रहे हैं। आप जानते थे, किसी न किसी दिन आपको चुनाव कराना होगा। चुनाव के पहले कायदे के मुताबिक

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

वोटर लिस्ट का संशोधन होना चाहिए था, यह नहीं हुआ। ठीक उसी प्रकार से जब आबादी में परिवर्तन होता है, रोज आबादी बढ़ रही है, कहीं पर हरिजन की आबादी ज्यादा हो जाती है और कही दूसरों की आबादी ज्यादा हो जाती है, इस बात को ध्यान में रखकर चुनाव क्षेत्रों की सीमा बांधी जाती है। उसमें जरूरत पड़ने पर जहाँ पहले जनरल सीट है, उसको अनुसूचित जाति की सीट में बदल देते हैं और हरिजन की सीट को साधारण सीट में कर देते हैं। यही एक-दो सवाल पेश हैं, जिसके लिए यह आर्डिनेंस जारी किया गया था। आर्डिनेंस को हटाकर अब यह दो विधेयक सदन के सामने पेश किए गए हैं। इस विधेयक में इन्होंने लिखा है :

> "चूंकि 1981 की जनगणना के आंकड़े उपलब्ध हैं, अतः उक्त के आधार पर वार्डों की सीमा समाप्त करना आवश्यक है, किंतु इस प्रक्रिया में बहुत समय लग जाता है और दिल्ली नगर निगम में तुरन्त चुनाव कराना आवश्यक हो गया है, अतः चुनाव की सुविधा के लिए दिल्ली नगर निगम (संशोधन) अध्यादेश, 1983 प्रस्थापित किया गया था..."

ठीक है, यही बात दूसरे विधेयकों में भी कही गई है। किसी भी देश के लिए, जहा जनतन्त्र है, यह आवश्यक शर्त है। जनतन्त्र को आप लुन्ज-पुन्ज नहीं कर सकते हैं। उसकी रिक्वायरमैंट, उसकी बाध्यता को आपको पूरा करना होगा।

यदि आप सचमुच में जनतंत्र को और मजबूत करना चाहते हैं, उसमें आपका यकीन है, तो आप जिस तरह से तर्क दे रहें हैं मैं इन दोनों तर्कों को लचर मानता हूं। समय तो लगता ही है-डिलिमिटेशन में भी समय लगेगा और वोटर लिस्ट बनाने में भी समय लगेगा। किसी भी चुनाव के पहले इन दोनों चीजों की आपके लिए बाज्ध्यता है। लेकिन इस तरफ आप ने ध्यान नहीं दिया। इस का मतलब है कि आप ने लोगों के जनतंन्त्रिक अधिकारों पर चोट की है; इस तरह का अधिकार आपको या किसी भी सरकार को नहीं दिया जा सकता कि वह जनतन्त्र को तोड़े। इसी अर्थ में मैं इसका विरोध कर रहा हूं। समय तो बहुत था, 1980 के बाद और 1981 के बाद भी समय बहुत था। 1983 में आपने चुनाव करवाये, क्या इस बीच में डिलिमिटेशन नहीं हो सकता था ? लेकिन आप ऐसा नहीं चाहते थे। इस बारे में आपकी क्या मंशा थी, आपने क्यों नहीं करवाया, क्या कारण था ? क्या वही कारण था जिसका अभी व्यास जी ने जिक्र किया था कि जनता पार्टी ने 20 साल का समय बढ़ा दिया इसलिए नहीं किया ? अगर ऐसा था तो एम्ज एण्ड-आब्जैक्ट्स में कहना चाहिए था। ऐसा आपने नहीं किया है; इसलिए हम जानना चाहते हैं कि डिलिमिटेशन नहीं करने का क्या कोई कारण था या टाइम का फैक्टर की वजह से नहीं किया वोटर लिस्ट का संशोधन क्यों नहीं किया ? वोटर लिस्ट का संशोधन तो और भी ज्यादा आवश्यक था और नये सिरे से करना था बिलकुल एक्सटेन्सिव तौर पर, बड़े पैमाने पर घर-घर जा कर नई वोटर लिस्ट बनानी चाहिये थी और उसी की बुनियाद पर चुनाव होना चाहिये था, जैसा कि आम चुनावों में आप बराबर करते हैं, वह पद्धति इस दफा क्यों नहीं अपनाई गई ? इसके पीछे क्या राज था, क्या कठिनाई थी इन दोनों बातों के बारे में मैं जानना चाहता हूं। इन दोनों के

बातों के बारे में आपने अपने एम्ज एण्ड आब्जैक्टस में ठीक से नहीं बतलाया है। इसलिये जो लोग जनतंत्र में विश्वास करने वाले हैं उनके सामने इन दोनों विधेयकों का विरोध करने के सिवाय दूसरा कोई रास्ता नहीं है।

आप यहां पर कारपोरेशन भी रखे हुए हैं और मैट्रोकान्सिल भी रखे हुए हैं - क्यों ? क्या मट्रोपालिटन कान्सिल के लोग बड़े लोग हैं, ज्यादा साधन सम्पन्न हैं, ज्यादा सामर्थ् वान लोग हैं, इसलिए उनके वास्ते अलग से व्यवस्था करनी है और कारपोरेशन के अन्दर गरीब-गुरबा, रिक्सा चलाने वाले, टांगा चलाने वाले, भूख से मरने वाले, गन्दगी में रहने वाले, मच्छरों से जूझने वाले ऐसे लोग रहते हैं, इसलिए उनके वास्ते दूसरी व्यवस्था रखना चाहते हैं। आप दोनों को मिला-कर असम्बली की स्थापना क्यों नहीं करते हैं। इसको राज्य का दर्जा दीजिये। दोनों को बराबर का अधिकार दीजिये, जिसका मैट्रोपोलिटन कान्सिल के लोग भी उपयोग कर सकें और कारपो-रेशन के अन्दर रहने वाले भी एक समान सरकार के अन्दर रहें। अलग-अलग विभेद करने की क्या आवश्यकता है। यह इसलिए भी जरूरी है कि दिल्ली हमारी राजधानी है, हमें गर्व है कि दिल्ली हमारे देश की राजधानी है, इसकी तरक्की होनी चाहिये, यहां से गरीबी मिटनी चाहिये, झुग्गी-झोपड़ी वालों की समस्यायें भी सुलझनी चाहियें, बेकारी नहीं रहनी चाहिये, अनाज तथा अन्य सभी वस्तुयें मिलनी चाहिये। इसको एक आदर्श शहर बनाना होगा ताकि इसका अनुकरण हमारे राज्यों के दूसरे शहर भी कर सके। आ । जरूरत है कि दिल्ली का समयक विकास हो, इस दृष्टि से जरूरी है कि यहां असेम्बली (विधान सभा) बनाई जाए। दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाय आप इससे क्यों कतरा रहे हैं ? आप सदन को अपने बिश्वास में लीजिये क्या बात है कि आप ऐसा नहीं कर रहे हैं, इसको राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे रहे हैं ?

श्री एन० के० शेजवल्कर (ग्वालियर) : अब तो वहां इनके लोग आ गये हैं, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रामवतार शास्त्री (पटना) : कोई दिक्कत नहीं है, इनका बहुमत है।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि राज्य का दर्जा दिया जाता है तो दिल्ली निगम तो बरकार रहेगा आप उसका भी विरोध कर रहे हैं ?

श्री रामावतार शास्त्री : मैं यह कह रहा हूं कि स्टेट असेम्बली रहे। मेरा यह प्रपोजल है कि सब को मिलाकर आप स्टेट असेम्बली बनाइये। असेम्बली के लिए जो लोग चुने गये वे ही इस बारे में सब कुछ तो कहे। इसको आप देखते नहीं हैं। आप दिल्ली को राज्य का दर्जा दीजिए और यहां के लिए असेम्बली दीजिये। लेकिन इस पर आपका ध्यान नहीं जाता। आप दो तरह का व्यवहार करते हैं। आप सभी के साथ एक तरह का व्यवहार कीजिए।

दिल्ली के नये मास्टरप्लान की बात आई है। अखबारों में भी आया था कि सरकार दिल्ली के लिए नया मास्टरप्लान बनाना चाहती है। उसको को शीघ्र बनाया जाना चाहिए जिससे कि तमाम

दिल्ली का अच्छे ढंग से विकास हो। इस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि दिल्ली में असेम्बली रहने से यहां के नागरिकों का अधिकार बढ़ेगा और असेम्बली की काम करने की क्षमता भी ज्यादा होगी। इसलिए भी यहां स्टेटहुड मिलना चाहिए।

अचार्य भगवान देव (अजमेर) उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन संशोधन विधेयक जो हमारे माननीय मन्त्री जी ने प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

अभी विरोधी पार्टी के लोगों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दिल्ली में विधान सभा बनाने की मांग की। परन्तु हकीकत यह है कि जब ये लोग स्वयं यहां सत्ता में रहे-1977 से 1979 के बीच ये यहां शासन करते थे तब इन्होंने दिल्ली में विधान सभा नहीं बनाई। दिल्ली के बारे में चुनाव होने से पहले घोषणा की थी और दिल्ली में विधान सभा बनाने के बारे में वचन भी दिया था। परन्तु वह करके भी इन्होंने दिल्ली में विधान सभा नहीं बनायी। इससे किसीको इंकार नहीं है कि दिल्ली एक आदर्श नगरी बननी चाहिए। दिल्ली इस देश की, राजधानी भी है। परन्तु अपने शासन काल में उन लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। ये विरोधी पार्टी के लोग अपने घरों को भरने में लगे रहे।

इसके साथ यह भी हकीकत है कि जब 1980 में हमारी पार्टी सत्ता में आई, उसके बाद से दिल्ली का नक्शा ही बदल गया है। उसके बाद से दिल्ली का जितना सुन्दर विकास किया गया है उसकी न केवल दिल्ली की और देश की जनता ने भी प्रशंसा की, बल्कि सारे विश्व के नेताओं ने, उन बड़े-बड़े नेताओं ने भी जो कि निर्गुट सम्मेलन के समय में दिल्ली आये, भी दिल्ली के कायाकल्प को देखकर उसकी प्रशंसा की। यह भी हकीकत है कि गरीबों ने हमारी पार्टी की मदद की। जो मदद गरीबों ने हमारी पार्टी की, उसका एक कारण यह भी है कि 1976 में, जो लोग झोपड़ियों में रहते थे, गन्दियों बस्तियों में रहते थे, उनके लिए हमारी सरकार ने नई-नई कालोनियां बनाई थीं, लाखों की संख्या में उनके लिए क्वार्टर और तीन मंजिला मकान बनाकर दिये थे। इस प्रकार से उनको एक स्वच्छ वातावरण प्रदान किया था और उनके लिए बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल वगैरह: की व्यवस्था की थी। उस समय लोगों ने आवेश में आकर विरोध जरूर किया, लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपनी गलती को महसूस किया। इसी का परिणाम था कि अब की बार उन्होंने चुनावों में हमारी पार्टी को बहुमत प्रदान किया।

कम्युनिस्ट पार्टी के हमारे शास्त्री जी ने जो विचार व्यक्त किये, उनसे लगता है कि वे निराश व्यक्ति हैं। दिल्ली में कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। (**व्यवधान**) आप जो कुछ बोलते हैं उसमें कुछ दम नहीं है।

आपने यहां पर लिस्ट की बात की। आपने जब हमारी पार्टी को विजय प्राप्त हो गयी, यहां पर चुनाव हो गये तब लिस्ट की बात की। अब आपकी तीसरी आंख खुली है, इसके पहले तो आपने कभी नहीं कहा कि वोटर लिस्ट में संशोधन होना चाहिए। आप लोगों ने यहाँ चुनाव

की मांग की तो यहां चुनाव करा दिये गये । आपने असम में चुनाव की माँग की तो वहां चुनाव करा दिये गये ।

भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अन्दर चुनाव की बात करती रही किन्तु उसने असम में चुनावों का विरोध किया । उन चुनावों के विरोध के पीछे उनका उद्देश क्या था ? यह जग प्रसिद्ध है । एक तरफ वे चुनावों की बात करते हैं और दूसरी तरफ वे चुनावों का विरोध करते हैं । मुझे यह समझ में नहीं आती कि आप यहां चुनावों का विरोध क्यों करते रहे ? आप चुनावों के आधार पर निर्णय होने दीजिये, परिवर्तन होने दीजिए । परन्तु ये हमेशा दुरंगी चाल चलते रहे हैं यहां पर वे मुसलमानों के साथ रहे और असम में मुसलमानों का विरोध करते रहे । ये न हिन्दु रहे, न मुसलमान रहे और न साम्प्रदायिक रहे । इनको लोग अब जान गये हैं ।

अब ये गांधीवादी बन गये । 30 जनवरी को गांधी जी की समाधि पर भारतीय जनता पार्टी के डीलर फूल चढ़ाने के लिए गये । गाधी जी के साथ उनका रवैया क्या रहा और उसके बाद भी गांधी जी के स बन्ध में इनके नेता लोग क्ता कहते रहे । 35 साल के बाद वे अब गांधी जी को स्वीकार करने लगे हैं । उपाध्यक्ष महोदय, गाँधी जी हत्या के 37 साल के बाद इनको गांधी जी की नीतियाँ समझ में आई हैं । आज ये राष्ट्रपिता की नीतियों की हिमायत कर रहे हैं । जब महात्मा गाँधी जी को ये 37 वर्षों के बाद समझ पाए हैं तो देश की महान माता श्रीमती इंदिरा गाँधी जी की नीतियों को समझने के लिए तो इनको कई जन्म लेने पड़ेंगे । वे क्या सोचती हैं किस तरह के राष्ट्र के गरीब और मजदूरों को भला करना चाहती हैं, उनकी क्या योजनाएं हैं, इसकी गहराई में जाने के लिए इनको कई जन्म लेने होंगे ।

अभी साम्यवादी नेता बोल रहे थे । साम्यवाद को पनपाने वाले श्री अमृत डाँगे हैं । बाकी सब उनके बाद पैदा हो गए हैं । उस व्यक्ति ने स्वयं स्वीकार किया कि इस देश के मजदूर, गरीब और पिछड़े वर्ग का यदि कोई भला कर सकता है तो श्रीमती इंदिरा गांधी ही कर सकती हैं । यही कारण है कि इन लोगों को सारे देश की जनता ने फैंक दिया है । जनता इनको समझ चुकी है कम्युनिस्ट पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली है। इनकी पालसी क्या है-ये चाहते क्या हैं ।इनकी कथनी और करनी में फर्क है । ये रहते है यहां परन्तु प्रेरणा दूसरे देशों से लेते हैं । इस देश को अनेक कुरबानियों के बाद आजादी मिली है । लेकिन ये लोग खाते यहां का है और बात दूसरे देश की करते हैं । जनता इनको कभी भी वोट नहीं दे सकती ।

आज दिल्ली का इतना विकास हुआ है । इतने पुल बने हैं, इतने स्टेडियम बने हैं । करोड़ों रुपया खर्च किया गया है । इन्होंने चुनाव में यह मुद्दा खड़ा किया परन्तु ये इस बात को भूल गए कि 1980, 1981 और 1982 में दिल्ली का जो कायाकल्प किया गया है उसमें पूरे देश से आए हुए 80 हजार मजदूरों को रोजी-रोटी भी मिली है । पुलों के निर्माण होने से लोगों के समय की बचत हुई है । लोग अपने गंतव्य स्थानों को सही समय पर पहुंच सकते हैं पैट्रोल और डीजल की बचत हुई है जो ट्रैफिक जाम होने के कारण जलता रहता था । ट्रैफिक में सुधार आया है । अब ट्रैफिक जाम नहीं होता । वायु प्रदूषण भी कम हुआ है। स्टेडियमों पर जो खर्चा हुआ है उन

से आने वाले सालों में जो प्रदर्शन होंगे उनसे हमारे देश को विदेश मुद्रा प्राप्त होगी। इन बातों की कल्पना विरोधी पार्टी के लोग नहीं कर सकते।

मैं नौजवान नेता श्री राजीव गांधी को बधाई देता हूं। कोई जिम्मेदारी न होते हुए भी दिल्ली का कायाकल्प करने में इनका काफी योगदान रहा है। जितना हो सकता था उन्होंने इसमें काम किया है। यहां से चुने हुए श्री वाजपेयी जी भी किसी गली में किसी गरीब आदमी से उसका सुख-दुख पूछने नहीं गए होंगे लेकिन अमेठी से चुनकर आए राजीव गांधी हर गली में मजदूरों और किसानों से मिलते रहे। उन्होंने दिल्ली के विकास के लिए काफी काम किया है इसके लिए मैं उनको बधाई देता हूं। आज विरोधी पार्टी के लोगों को परेशानी हो रही है क्योंकि दिल्ली में इनकी दूकानदारी बंद हो गई है। लोकप्रिय नेता को लोगों ने चुना है। श्री राजीवगांधी ने बरसात और कीचड़ में जाकर दिल्ली के विकास कार्य में योगदान दिया है। उन्होंने लोगों को ज्यादा राहत दिलाने की कोशिश की है। जितना उन्होंने किया है उतना ही वाजपेयी जी ने अपने पूरे जीवन में भी नहीं किया होगा।

दिल्ली का सर्वांगीय विकास हमारी पार्टी कांग्रेस "आई" ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में उनके बीस-सूत्री कार्यक्रम को अपनाकर किया है जिसको विरोधी पार्टी लोगों खासतौर से रवीद्र वर्मा जी ने अमर आत्मा की संज्ञा दी। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह निश्चित ही अमर आत्मा है। देश के हर व्यक्ति और हर वर्ग के आदमी को फायदा पहुंचाने वाली, उनके दुःख दर्द को दूर करने वाली सिर्फ हमारी कांग्रेस पार्टी ही है। इसके अलावा और कोई पार्टी नहीं है। जनता ने अपने चुनाव में इस बात का फैसला कर दिया कि 20 सूत्रीय कार्यक्रम के माध्यम से ही इस देश के गरीब और पिछड़े हुए वर्ग का भला हो सकता है। कोई भी विरोधी पार्टी का व्यक्ति संसार का वाद-विवाद पढ़कर के अपना सत्यानाश कर सकता है लेकिन 20 सूत्रीय कार्यक्रम का विरोध नहीं कर सकता क्योंकि विरोध करने के लिए कोई दम नहीं है। इन शब्दों के साथ आपने जो यह संशोधन बिल पेश किया है इसका हृदय से स्वागत करता हूं और इसके लिए माननीय मन्त्री महोदय को धन्यवाद देता हूं।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इतनी अप्रांसगिक बातें नहीं करना चाहता जैसे कि मेरी पूर्व-वक्ता ने की है। ऐसा लग रहा था कि ये इस विधेयक पर नहीं बल्कि राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव होना है, उस पर बोल रहे हैं। मैं थोड़े शब्दों में अपनी बात व्यक्त करना चाहूंगा। स्टेटमेंट आफ आबजेक्ट्स एण्ड रिजन्स के बारे में कहना चाहता हूं। सन् 1981 में सेन्सस हो गया था और अभी कुछ महीने पहले ही दिल्ली में किसी प्रकार चुनाव कराए गए। ऐसी आशा थी कि शायद चुनाव ही न कराए जाए। सारे दबावों को छोड़कर, सारी बातों को नजर-अन्दाज करके यहां पर केन्द्र सरकार का शासन चलता रहा। जब यह देखा कि आगे नहीं चलेगा तो जल्दबाजी में तमाम कालाधन खर्च कर दिया रिगींग किया और चुनाव करवा दिए। (व्यवधान)

जहां भी चुनाव होते हैं वहां कुछ न कुछ संवैधानिक गड़बड़ी करने की कोशिश होती है।

संवैधानिक या कानूनी जैसी भी हो, उदाहरण के लिए जैसे आसाम में हुआ। वहां के लिए संविधान में संशोधन हो सकता था लेकिन उसको करवाने की कोई आवश्यकता नहीं समझी गई और उसके पहले ही चुनाव की घोषणा कर दी गई। इसलिए, जैसे भी अपने को लाभ हो सकता है वैसे करने की आदत पर सरकार चल रही है। जब 1981 में सेन्सस हो गया तो ऐसी कौन-सी कठिनाई थी कि डी-लिमिटेशन का काम नहीं हो सकता था। हो सकता था लेकिन उसको करने की सरकार में प्रतिबद्धता नहीं थी। अगर ऐसा करते तो उससे हार सकते थे। सारा देश जानता है कि ये किस प्रकार जीते हैं और काला धन किस प्रकार पानी की तरह से बहाया गया है। एक चुनाव क्षेत्र की स्थिति यह रही कि जिस पोलिंग स्टेशन पर एक उम्मीदवार ने अपना वोट दिया था वहां पर गणना के बाद में कहा कि मेरा वोट भी नहीं मिला है। जबकि उसे उम्मीद थी कि वह भी जीतेगा। लेकिन रिगींग हुआ और बोगस वोट पाए गए।

आचार्य भगवान देव : ये इतना* बड़ा बोलते हैं।

श्री हरिकेश बहादुर : इनसे यही उम्मीद की जाती है कि ये इस प्रकार बोलेंगे। मेरी आपसे प्रार्थना है कि जब भी ये असंसदीय शब्द का प्रयोग करें उसको रिकार्ड में रहने दिया जाए ताकि भविष्य में लोगों को पता लग सके कि ये किस प्रकार के व्यक्ति हैं।

आचार्य भगवान देव : इनका कहना है कि ये सत्यवादी हैं।...(**व्यवधान**)

मैं कहना चाहता हूं कि डीलिमिटेशन का काम जानबूझकर नहीं किया गया और वोटर लिस्ट का रिवीजन भी ठीक ढंग से नहीं हुआ। बहुत से नए वोटर्स इस प्रक्रिया में छोड़ दिये गए जो इस सकार के बनने में बाधक होते।

जो शैडयूल्ड कास्ट्स के लिए सीट्स रीजर्व की जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होने कुछ शब्द कहे। मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा।

श्री हरिकेश बहादुर : महोदय, उन्होंने * शब्द का प्रयोग किया था परन्तु उसे वृतांत में रहने दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : जैसा आप चाह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता।

श्री हरिकेश बहादुर : तो मैं कह रहा था कि जो रिजर्वेशन आफ सीट्स का मामला है है यह भी जो 1971 में तय हुआ था वही आज भी कन्टीन्यू हो रहा है, जबकि 1981 में सेन्सस के आधार पर डीलिटेमिशन करके उसमें भी परिवर्तन किया जा सकता था जिससे शेड्यूल्ड कास्ट्स के लोगों को और अधिक रिप्रेजेन्टेशन मिल सकता था। लेकिन वह करने का इरादा सरकार का नहीं है, केवल कहना भर ही है कि हम कमजोर वर्ग के लिए काम करते हैं। लेकिन वास्त-

*अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

विकता यह है कि कमजोर वर्गों को फायदा देने का कोई इरादा नहीं है, केवल बात करने का इरादा है। इसलिए इस तरह की कोशिश नहीं की गई। इसलिए अध्यादेश जारी करके दिल्ली में जो चुनाव हुआ था वह एक मुखौल उड़ाया गया है, और ऐसा अध्यादेश जारी ही नहीं करना चाहिए था। यह विधेयक उस अध्यादेश को कानूनी रूप देने के लिए लाया गया है, इसलिए मैं इस प्रकार के किसी भी कानून का जो जन विरोधी और जन हित के विपरीत है और सरकार के निहित स्वार्थ को फायदा पहुंचाने वाला है, ऐसे किसी भी कानून या विधेयक का मैं विरोध करता हूं।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) उपाध्यक्ष जी, जीत और हार दोनों को सहन करना सीखना चाहिए। मैं तारीफ करूंगा माननीय वाजपेयी जी की जो बी० जे० पी० के सर्वेसर्वा हैं उन्होंने त्याग-पत्र दिया। इसके बाद कहने की कम गुंजायश रहती है। आपने खुद सोचा था कि दक्षिण की जो हवा बह रही है वह शायद उत्तर में भी आ जायेगी और आपने आवाज की थी, किसी ने अपोज नहीं किया इस बात का। सब एक साथ मिल गए, अगर आप "इन्डिया टूडे" में फोटो देखें सारे के सारे लीडर्स एक जगह इकट्ठा हो गए और उन्होंने कहा है कि :

> "दुनिया की नजर दिल्ली में लगी हुई थी; कृष्णा से कावेरी तक एक हवा वह रही तथा दिल्ली को यह मौका मिला कि वह उसे बढ़ाए या कम करे।"

(सभापति श्री एफ० एच० मोहसीन पीठासीन हुए)

इन सारे के सारों ने जो कहा लहर चली, जहां से हमारे सभापति जी, आये हुए हैं कृष्णा और कावेरी से जो लहर आयी, इन सबने सोचा कि हम जीत गये।

आचार्य भगवान देव : जमुना जी में डूब गये।

श्री मूल चन्द डागा : यह तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन इतना कहता हूं कि हिम्मत के साथ उस बात को मान लें। जो आप कहना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं कि 25 इलैक्शन पेटीशन्श पेश कर दी गई हैं। 36 लाख वोटर्स ने वोट दिया। जनता जर्नादन का निर्णय आपको मानना चाहिए जो लोकतन्त्र में विश्वास करते हैं। इलैक्शन कमीशन ने चुनाव करवाया। पहले यहां कई बार कहा गया कि दिल्ली में चुनाव क्यों नहीं कराते हैं। मैं तो गृह मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि देश में जितनी भी लोकतांत्रिक इकाइयां हैं नगरपालिका, नगर निगम, उन सबका चुनाव नियमित रूप से होना चाहिए और प्रशासक मुकर्रर नहीं होना चाहिए। जो हमारे मूलभूत अधिकार हैं यह प्रशासन के हाथ में नहीं जाने चाहिए। पहले ही सरकार को मालूम हो जाना चाहिए हमारी सारी नगरपालिकायें, नगर निगम, सारी की सारी स्वायत्तशासी हों, और यह लोकतन्त्र की इकाइयां ही जनतन्त्र का आधार हैं।

हिन्दुस्तान में कई नगरपालिकाओं और नगर निगमों में प्रशासक द्वारा शासन किया जाता

है, यह काम ठीक नहीं है। कानून में परिवर्तन होना चाहिए कि प्रशासक के द्वारा शासन नहीं होना चाहिए।

जिस प्रकार पार्लियामेंट बनती है उसी प्रकार से नगर-निगम आदि संस्थाओं में राज्य होना चाहिए। नौकरशाही का राज्य होने लग जायेगा तो यह ठीक नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि लोग बढ़ें, यह हमारा अधिकार है। जिसने जिसको चाहा चुन लिया। जब कांग्रेस की झोली में वोट लोगों ने डाल दिये, सारी बातें हो गई तब आप छानबीन कर रहे हैं। आपके मल्होत्रा साहब ने यह कहा कि हम छान-बीन कर रहे हैं कि हमारी हार के क्या कारण हैं ? उन्होंने अभी रिपोर्ट नहीं दी है।

श्री एन० के० शेजवलकर : वह अलग बात है।

श्री मूलचन्द डागा : वह अलग बात नहीं है। आप सारी बातें जानते हैं। उन्होंने कहा है कि हम इसकी छानबीन कर रहे हैं।

उसमें लोकदल भी शामिल हो गया। एक मन्च पर बड़े-बड़े नेताओं ने भाषण दिये। जब आप पीछे रह गये हैं तो इस तरह की बातें कर रहे हैं। पीपल्स रिप्रेजेन्टेशन एक्ट में सैक्शन 100 में एक रूल है कि आप पैटीशन करें। आप कर रहे हैं। यह बात खराब लगती है कि हारने के बाद यह कहना कि आपने यह कर दिया, वह कर दिया। 5 फरवरी को हिन्दुस्तान में और जगहों पर भी चुनाव हो रहे थे। सरकार ने सिर्फ दिल्ली की ही बात नहीं सोची थी।

दिल्ली में एशियाड गेम्स हुए, उधर की तरफ बैठने वालों ने बाद में उसका विरोध किया। एशियाड गेम्स से हिन्दुस्तान का नाम संसार में बढ़ा है, यह दुनिया ने माना है। लोगों का मनोबल बढ़ा है, नौजवानों का हौसला बढ़ा है, लेकिन आप लोगों ने विरोध किया। लोगों ने इसको एप्रीशिमेट किया है कि ऊंचे दर्जे का काम दिल्ली में हुआ है। आप यह क्यों नहीं कहते हैं कि इन कामों के कारण यहां कृष्णा और कावेरी की लहर का कोई असर नहीं हुआ।

दिल्ली जैसा एक माननीय सदस्य ने कहा था कि मिनी भारत है इसकी जीत यह बताती है कि सारी पार्टियां एक हो जायें तो भी काग्रेस की छवि धूमिल नहीं होगी। कांग्रेस शासन करेगी, यह बात निश्चित हुई है। सबने पूरी कोशिश की, पूरी बाजी लगाई, लेकिन उसके बाद जो परिणाम निकले हैं, वह सबके सामने हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या इलैक्शन अमीशन के सामने इन्होंने कोई पैटीशन की है कि यहां चुनाव हो रहे हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है ? इलैक्शन कमीशन के सामने क्या अपने किसी प्रकार की शिकायत की कि 1981 से चुनाव नहीं कराये हैं ? क्या आप कोई ज्ञापन लेकर वहां गये ? आपने सोचा था कि जीत निश्चित है। पासवान जी अभी आ गये हैं, वह भी सोच रहे थे कि हमारी जीत निश्चित है। लेकिन दिल्ली में जो हमारी पार्टी की जीत हुई है, पासवान जी के

मुंह पर हवाइयां उड़ने लगीं और अब तक यह नजर आ रही हैं।

श्री राम विलास पासवान : वह तो सहारा दे दिया।

श्री मूलचन्द डागा : यह आपको जान लेना चाहिए कि सारे नेताओं ने एक मंच पर खड़े होकर, लोक-दल, जनता पार्टी सबने भाषण दिये, लेकिन सब पार्टियां साफ हो गई।

भारतीय जनता पार्टी ने तो जो कोशिश की, ओहों, उन्होंने पता नहीं कितनी मालाएं मंगा रखी थी, वह सूख गई या क्या हुआ ? सब हमारे गले में पड़ गई। इसके बाद यह कहना कि मत-पेटियों में गड़बड़ हो गई, ठीक नहीं। अमेंडमैंट 42 का गृह-मन्त्री ने बिल्कुल सटीक उत्तर दे दिया है।

अमेंडमैंट 42 के बाद जब हमने चुनाव कराए तो मैं एक बात चाहता हूं कि जितने शासन हैं, उसमें यह नगर निगम अलग-अलग अथौरिटी नहीं होनी चाहिये। एक ही संख्या होनी चाहिए जो हमारी सुविधाओं की तरफ ध्यान दें। यह डूअल सिस्टम जो चल रहा है यह ठीक नहीं है।

जहां तक चुनावों का सवाल है, चुनाव तो हो गए, हार-जीत भी हो गई और जीत के लिए हम गर्व भी नहीं करते हैं। जनता ने हमारे ऊपर अपना विश्वास प्रकट किया है, हम भी अपना काम पूरी तरह से करेंगे। इस कार्य में अगर विरोधी दलों ने अपना सहयोग नहीं दिया तो सारा दोष उन्हीं पर जायेगा। पासवान जी जरा इस बात को सुन लें कि अगर दिल्ली में कोई गड़बड़ हुई और आपने विकास कार्यों में अपना सहयोग नहीं दिया तो उसकी सारी जिम्मेदारी उन्हीं पर होगी।

श्री चन्द्रपाल सिंह (अमरोहा) : सभापति महोदय, जो अध्यादेश लाया गया उसका मैं विरोध करनें के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि 1971 की जनगणना पर चुनाव तो करा दिये और 1981 की जनगणना पर अब सीमांकन करने की बात हो रही है। लाखों नौजवान जो इन दस सालों में वोट के अधिकारी बन गए थे उनको उनके अधिकार से वंचित कर दिया गया। यह अन्याय जो हुआ, उसको बदला भी नहीं जा सकता है।

दूसरी बात यह है कि सीमांकन का एक तरीका होता है। उसके लिए एक कमेटी बनती, है, आब्जेक्शन्स इन्वाइट किए जाते हैं, कांस्टूएन्सीज बदली जाती हैं, शेड्यल्ड कास्ट्स, शेड्यूल्ड ट्राइब्ज, सभी बातों का असर उस पर पड़ता है। अब क्या सरकार इस बात का उत्तर देगी कि जैसा दिल्ली में किया जा रहा है, उसी प्रकार से सारे देश के स्तर पर सीमांकन करायेगी। इस लोकसभा की सवा तीन साल की अवधि बीत गई है। यदि सरकार की नियत साफ है तो वह इस बात का उत्तर दें क्योंकि इसका काम दो साल पहले फैलाया जाता है, विभिन्न पार्टियों के लोग बैठते हैं एम.एल. एज. एम., पीज और सभी पार्टीज की राय ली जाती है इसलिए क्या सरकार 1981 की जनगणना के आधार पर सारे देश के लिए तैयारी कर रही ?

तीसरी बात यह है कि दिल्ली में बहुत दिनों से यह मांग रही है कि चूंकि यहां जो दोहरा प्रशासन है वह किसी तरह से ठीक नहीं है इसलिए दिल्ली को राज्य का दर्जा दिया जाए और यहां पर विधान सभा बनाई जाए। इस मांग को क्यों नहीं मान लिया जाता? आज मेट्रोपोलिटन कौंसिल, दिल्ली नगर निगम और डी. डी. ए. में जिस प्रकार का पक्षपात और गड़बड़ चल रहा है उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना नहीं चाहता लेकिन मैं चाहूंगा कि देश की धारा में बहने के लिए यहां पर विधान सभा का निर्माण किया जाए।

यहां के चुनाव में जो कांग्रेस की जीत हो गई उससे डागा साहब ने समझ लिया कि कोई बहुत बड़ा काम कर लिया। आप दक्षिण से हार कर आए थे और यहां पर भी आप समझते थे कि हार जायेंगे। लेकिन यह कोई ऐसी बात नहीं है, चुनाव होते रहे हैं और आगे भी होंगे। लेकिन जो अध्यादेश लाया गया है, उसका मैं विरोध करता हूं।

श्री जेवियर अराकल (एर्णाकुलम) : विपक्ष द्वारा आर्थिक, सामाजिक व अन्य तर्क रखे गए थे। जहां तक मतदाता सूचियों और डीलिमिटेशन का सम्बन्ध है विपक्षी सदस्य उसकी कमियों का बखान करने में लगे हैं क्योंकि उन्होंने चुनाव बड़े जोर-शोर से किया था। परन्तु मैं इस मुद्दे के दूसरे पहलू पर बात करना चाहता हूं। मैं माननीय मन्त्री से यह जानना चाहता हूं कि किसी क्षेत्र के संघ राज्य के घोषित करने का क्या मानदण्ड है। मैं विशेष तौर पर इसका उत्तर जानना चाहता हूं। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि बम्बई और कलकत्ता दोनों शहरों को संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए। यदि हम माननजातीय गठन विशाल जनसंख्या उसके स्वरुप व अन्य मुद्दों पर ध्यान दें तो इन दोनों शहरों को भी संघ राज्य क्षेत्र घोषित किया जाना चाहिए।

श्री नारायण चौबे : तो *

श्री जेवियर अराकल : मैं उनके इस तर्क से सहमत हूं।

श्री नारायण चौबे : *

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : कृपया ऐसे मत कहिए।

श्री जेनियर अराकल । वह उनसे क्यों डरते हैं ? सरकार को यह बात कहने दीजिए।

श्री नारायण चौबे : किस लिए ?

सभापति महोदय : आप किसी सदस्य को ऐसे नहीं कह सकते। आप उनके विचारों से असहमत हैं परन्तु उन्हें वहां मत भेजिए।

* अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : *

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : ऐसा कहना भी उचित नहीं है। आपको एक दूसरे के खिलाफ आरोप नहीं लगाने चाहिए।

श्री नारायण चौबे : भारतीय तथा पूरे संसार की बड़ी शक्तियों की यह बहुत पुरानी मांग है।

श्री जेवियर अराकल : नहीं, नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं मालूम। क्या मैं इस विषय पर अपने विचार प्रकट नहीं कर सकता। (**व्यवधान**) यह मुद्दा यहां उठाने से आप मुझे कैसे रोक सकते हैं।

श्री नारायण चौबे : मैं तो आपको रोक नहीं सकता परन्तु मैं चाहता हूं कि इसे कार्य-वाही वृतांत में शामिल कर किया जाए ?

सभापति महोदय : आप इस संबंध में अपने विचार बता चुके हैं।

(व्यवधान)

श्री जेवियर अराकल : मैं अपने आपको केवल इसी पहलू का सीमित रखना चाहता हूं क्योंकि दोनों पक्षों द्वारा कानूनी तथा राजनैतिक उत्तर दिए गए हैं। मैं तो यह सुझाव देना चाहता हूं कि बम्बई और कलकत्ता दोनों के स्वरूप बनावट और महत्व को देखते हुए इन्हें संघ राज्य क्षेत्र घोषित कर दिया जाना चाहिए तथा वहां उपयुक्त प्रशासन होना चाहिए ! धन्यवाद

सभापति महोदय (श्री एफ. एच. मोहसिन) : अब मन्त्री महोदय इन तीनों का उत्तर देंगे।

श्री एन. के. शेजवलकर (ग्वालियर) : तीसरे मुद्दे पर मुझे बाद में बोलने की अनुमति दी जाए क्योंकि नगर निगम अधिनियम और दिल्ली प्रशासन अधिनियम में काफी अन्तर है।

सभापति महोदय ((श्री एफ. एच. मोहसिन) : मैं इस पर विचार करूंगा।

श्री एन. के. शेजवलकर : नगर निगम के सम्बन्ध में तो मैं उसी समय बता सकता हूं। यदि आप मुझे आज्ञा दें तो मैं बैठ जाऊं। मेरी बात बेकार नहीं जाएगी।

सभापति महोदय (श्री एफ. एच. मोहसिन) : ठीक है।

---

* अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दिया गया।

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बया) : मैं उन सभी माननीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस विचार विमर्श में भाग लिया खासतौर पर मेरे मित्र श्री शेजवलकर जिन्होंने कल इस अध्यादेश के विरोध में एक प्रस्ताव पेश किया था। मैंने कल ही यह बात स्पष्ट कर दी थी कि यह विधेयक उन अध्यादेशों के स्थान पर लग जायेंगे जिन्हें लागू किया जा चुका है यह विधेयक इस सभा के अनुमोदन के लिये हैं। यहां तक कि उद्देश्य और कारण बताने वाले वक्तव्य में भी स्पष्ट रूप से इन दोनों विधेयकों को सभा में पेश करने का बताया गया है। कुछ विपक्षी सदस्यों की टिप्पणियों से मुझे हैरानी हुई है कुछ विपक्षी दलों की डरने की प्रवृत्ति बन गई है उन्हें केवल दो बातों का भय रहता है यदि ऐसा है तो तो क्यों है यदि ऐसा नहीं है तो क्यों नहीं है? यदि चुनाव होने वाले हैं तो क्यों हो रहे हैं, यदि चुनाव नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं। कुछ विपक्षी दलों का यह रवैया है। मैं सरकार की स्थिति स्पष्ट करना चाहता हूं। सरकार बरावर चुनाव करना चाहती है चाहे वह दिल्ली में हो या असम में या किसी और स्थान पर। हमारे कुछ मित्र ऐसे हैं जो असम में चुनाव नहीं कराना चाहते। हम तो बरावर चुनाव कराना चाह रहे हैं चाहे वह असम हो या दिल्ली।

दूसरे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ मुद्दे उठाए हैं कि मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं किया जा रहा है। जिन सदस्यों ने राज विचार-विमर्श में भाग लिया है मैं उनकी इस गलत धारणा को दूर करना चाहता हूं। यह विधेयक उन निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना चाहता है जहां पर 1971 की जनगणना के आधार पर जनसंख्या का निर्धारण किया गया है। यह संविधान के बयालीसवें संशोधन के अनुरूप किया गया है जिसे वह सभा पारित कर चुकी है जैसा कि 1971 की जनगणना से पता चलता है कि 2000 ई० तक जनसंख्या के आधार पर निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना होगा और उस समय तक परिसीमन स्थगित रखा जाएगा। हम कह चुके हैं कि मतदाता सूचियों में संशोधन नहीं किया जायेगा तथा शेजवलकर व अन्य माननीय सदस्य जिन्होंने यह मामला उठाया है उनकी सूचना के लिए मैं एक बात कहना चाहता हूं। उनका कहना है कि वह नए मतदाता जो व्यस्क हो गए हैं अथवा जो 1971 के बाद दिल्ली में आकर बस गए हैं वह इन विधेयकों के पारित होने के बाद मतदाता सूची में शामिल नहीं हो पायेंगे। मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि मतदाता सूचियों में समय-समय पर संशोधन किया जाता रहता है। दिल्ली में 1979 के बाद मतदाता सूचियों में विस्तृत रूप से संशोधन किया गया और उसके बाद 1980-81 और 1983 में बराबर संशोधन किये जाते रहे हैं तथा मतदाताओं के पंजीकरण के प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी सन्दर्भ की तिथि के रूप में ली जाती है। इसलिए मतदाता सूचियों से व्यस्क मतदाता वंचित रह जाते हैं इसका तो प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री शास्त्री जी ने पहली जनवरी 1983 का प्रश्न उठाया है। सभा में तथा सभा के बाहर भी माननीय सदस्यों द्वारा बार-बार यही मांग की जती रही है कि इन दोनों सदनों के चुनाव अनिश्चित काल के लिए स्थगित किए जा रहे हैं। क्योंकि सरकार चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि उन्हें डर है कि उनका दल हार जाएगा, हम कह चुके है कि इन लोगों की इच्छा का सम्मान करते हुए शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे। यही कारण है कि इस सूची में संशोधन नहीं

किया जा रहा है क्योंकि इसमें बहुत समय लगेगा। इसलिए सरकार की कदापि यह इच्छा नहीं है कि दिल्ली के व्यस्थ मतदाताओं को मत डालने से वंचित रखा जाए। मैं यह बात बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह ध्यान रखा गया है कि सभी व्यस्क मतदाता मतदाता सूची में शामिल किया जाए तथा उनमें संशोधन किए जाए।

वर्ष 1977 दिल्ली में कुल मतदाताओं की संख्या 2741 लाख थी वर्ष 1979 में व्यापक संशोधनों के बाद यह संख्या 30,95 लाख हो गई। वर्ष 1980-1981 और 1982 के संशोधनों के बाद मतदाताओं की संख्या क्रमश: 32,44 लाख, 32,55 लाख और 33,59 लाख हो गई है।

अभी तक प्रशासन ने किसी भी व्यस्क मतदाता को वोट डालने के हक से वंचित नहीं किया है। यह बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं।

कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए दिल्ली को राज्य का दर्जा देने या यहां विधान सभा बनाने के प्रश्न पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। कुछ सदस्यों ने यह प्रश्न भी उठाया है कि सरकार संघ राज्य क्षेत्र दिल्ली को राज्य का दर्जा देने या यहां विधान सभा बनाने की बात क्यों नहीं मानती है

इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कुछऔर लोगों ने यह भी पूछा है कि महानगर परिषद और नगर निगम—दो निकाय क्यों होने चाहिए। माननीय सदस्यों को शायद इन दो निकायों के विभिन्न कार्यों तथा उत्तरदायित्वों के बारे में मालूम नही होगा। महानगर परिषद कुल मिलाकर विधान-सभा के कर्त्तव्यों तथा उत्तरदायित्वों को पूरा कर रही है। मैं महानगर परिषद के कार्यों को पढ़ सकता हूं।

"आर्ध नियम की व्यवस्थाओं के अनुरूप महानगर परिषद को विचार-विमर्श करने तथा जहां तक दिल्ली से संबंधित निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिफारिशें करने का अधिकार प्राप्त है जैसे :

(क) संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में उपयुक्त किसी ऐसे मामले का जहां तक सम्बन्ध है संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए किन्हीं ऐसे मामलों के सम्बन्ध में विधान बनाने के लिए प्रस्तावों को रखना।

(ख) एक राज्य में लागू किसी अधिनियमन को जो राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए किसी मामले से संबंधित हो उसे दिल्ली में लागू करने के लिए प्रस्तावों को रखना।

(ग) राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गए किन्हीं मामलों के सम्बन्ध में प्रशासक द्वारा इसे निर्दिष्ट विधान के लिए प्रस्तावों को रखना।

(घ) दिल्ली से संबंधित अनुमाति प्राप्नित और व्यय भारत की समेकित निधि में जमा किया

जाए और दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 में निहित किसी बात के होते हुए, दिल्ली विकास प्राधिकरण की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय भारत की समेकित निधि में से किया जाए।

(ङ) प्रशासन के मामले जिनमें सामान्य नीति और विकास की स्कीमें शामिल हैं, जहां तक कि जिनका सम्बन्ध राज्य सूची अथवा समवर्ती सूची में दिए गग मामलों से है।

(च) प्रशासक द्वारा इसे निर्दिष्ट अन्य कोई मामला।

ये कार्य हैं। कई ऐतिहासिक कारणों के कारण विधान सभा के कार्यों को पूरा करने के लिए महानगर परिषद का गठन किया गया है लेकिन इसमें भी कई सीमायें हैं। नगर निगम एक नागरिक निकाय है। यह उन सभी कर्त्तव्यों को पूरा करता है जो कि किसी राज्य में कोई अन्य निगम पूरा करता है। इसलिए इन दो निकायों के कर्त्तव्य और उत्तरदायित्व भिन्न है।

जहां तक दिल्ली को राज्य का दर्जा देने की मांग का सम्बन्ध है में इस सदन में एक प्रश्न का उत्तर पहले ही दे चुका हूं कि इस प्रकार की मांग में इसके सभी पहलुओं में और अध्ययन की आवश्यकता है। मैं इस समय केवल इतना कह सकता हूं कि सरकार दिल्ली को राज्य का दर्जा या विधान सभा प्रदान करने के संबंध में मामले की इसके सभी पहलुओं पर गम्भीरता से और अध्ययन कर रही है।

संघ राज्य क्षेत्रों की स्थापना कई एतिहासिक कारणों के अधीन की गई है पश्चिम बंगाल से मेरे माननीय मित्र उत्तेजित हो उठे जब मिस्टर अराकल ने कहा था कि कल कलकत्ता को संघ राज्य क्षेत्र बना दिया जाएगा। मैं अपने माननीय मित्र को विश्वास दिला सकता हूं कि बम्बई और कलकत्ता को संघ राज्य क्षेत्रों का दर्जा देने की कोई बात इसमें बिलकुल दिखाई नहीं देती। विशेष कारणों के लिए हमने अन्य राज्य क्षेत्रों जैसे गोवा, दमन और दीव तथा चन्डीगके को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है। इन राज्य क्षेत्रों की संघ राज्य क्षेत्रों के रूप में स्थापना का भी ऐतिहासिक पृष्टभूमि है। सरकार वहां रहने वाली जगता के विचारों को भी ध्यान में रखती है।

कुछ सदस्यों ने अपनी आशंका व्यक्त की है कि यहां कानून और व्यवस्था की स्थिति कुछ बिगड़ी है और अपराध दर बढ़ रही है। सरकार अपराध तथा कानून और व्यवस्था पर नियंत्रण करने के लिए सभी उपाय कर रही है। इसका मतलब यह नहीं है कि हम उससे सन्तुष्ट हैं। हम भी अनुभव करते हैं कि अपराध दर को कम करने तथा कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए हमें और अधिक जोरदार प्रयत्न करने चाहिए।

नई कालोनियों को नियमित करने तथा उन कालोनियों को सुविधाएं प्रदान करने, ईट भट्ठों में काम करने वाले श्रमिकों को राशन कार्ड देने, डी० डी० ए० के कार्यों के बारे में जांच करने यह सभी मामले मेरे मंत्रालय के अधीन नहीं आते हैं। लेकिन उचित कार्यवाही के लिए उनकी भावनाएं संबंधित मंत्री को बता दी जाएगी। हम इस तथ्य के बारे में भी सचेत है जैसा कि व्यास

जी ने कहा है, कि यहां दिल्ली में राजस्थान के अनुसूचित जातियों के दस हजार लोग हैं और मैं एक बार फिर यह साफ तौर से बता रहा हूं कि सरकार की यह इच्छा है कि जहां कहीं भी यह लोग हैं, ये शोषित और दलित तथा दमित, गन्दी बस्ती निवासियों, झुग्गी झोंहड़ी निवासियों, वे भारत सरकार की प्रथम प्राथमिकता प्राप्त करेंगे । सभी प्रयत्न किए जाएगें और हम भी विभिन्न राज्य सरकारों के पीछे लगे हुए हैं कि बीस सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को जोरदार तरीके से कार्यान्वित करे । बीस-सूत्री आर्थिक कार्यक्रम एक पार्टी का कार्यक्रम नहीं हैं, यह एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बन गया है। यह स्वीकार कर लिया गया है। इस संबंध में मैं आपको याद दिलाना चाहता हुं कि प्रधान मंत्री ने विभिन्न राज्यों का दौरा किया है और राज्य सरकारों के साथ विचार विमर्श किया है, यह देखने के लिए कि क्या बीस-सूत्री कार्यक्रम ठीक ढंग के कार्यान्वित किया जा रहा है या नहीं। हम इस तथ्य के बारे में सचेत है कि ये लोग जो वर्षों से अपेक्षित है उन्हें अपना देय सिस्सा मिलना चाहिए और उनका सामाजिक, आर्थिक विकास भारत सरकार की प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए ।

महोदय, दिल्ली भारत का एक छोटा रूप है। यहां देश के सभी भागों के लोग रहते हैं। यह संश्लेषण, पूर्ण भारत की विविधता में एकता को दर्शाता है। दिल्ली महानगर परिषद चुनावों ने देश का ध्यान आकर्षित किया था यद्यपि वास्तविकता यह है कि विपक्षी दलों ने इन चुनावों में निर्वाचित होने के लिए कई प्रयास किये। महोदय, हार और जीत एक सिक्के के दो पक्ष की तरह है और मेरे मित्र बी० जे० पी० के लोगों का रवैया चुनावों से पहले और चुनावों के बाद रवैया भिन्न है। यह एक राजनीतिक खेल है जो जारी है लेकिन वास्तविकता यह बताती है कि भारत का छोटा रूप, जो कि दिल्ली है, ने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्क में और कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रमों में अपने विश्वास की पुष्टि की है इसको हमें नजर अन्दाज नहीं करना चाहिए। मैं केवल इतना कहुंगा कि इन चुनावों के महत्व को कम नहीं समझना चाहिए भले ही ये महानगर परिषद के चुनाव ही है। यह चुनाव है जो संक्षिप्त रूप में भारत के लोगों की आकाक्षाओं और मनोभावों को दर्शाता है और उन्होंने श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में अपने विश्वास की पुष्टि की है। इन थोड़े से शब्दों के साथ मैं एक बार फिर कहता हुं कि ये केवल दो विधेयक हैं जो अध्यादेश का स्थान लेने जा रहे हैं और मुझे विश्वास है माननीय सदस्य इन दो विधेयकों को अपना समर्थन देगें ।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मिस्टर शेजवलकर, आपका प्रस्ताव केवल दिल्ली प्रशासन के लिए है। इसलिए आपको अपने आपको केवल उस तक सीमित रखना होगा।

श्री एन० के० शेजवलकर (ग्वालियर) : मेरे पास अन्य मामलों के सम्बन्ध में केवल एक मुद्दा है। असल में दोनों मुद्दें आम है। यदि आप इस समय मुझे आज्ञा देगें तो यह बहुत अच्छा होगा अथवा अन्यथा मैं भी एक मौका ले सकता हूं ।

मैं आपका और माननीय मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों का जिन्होंने इसमें हिस्सा लिया है बहुत अधिक कृतज्ञ हूं मैं कल दो मुद्दे लाया था विशेषकर इस अध्यादेश को लागू करने के लिए दिए गए कारणों के सम्बन्ध में। प्रथम समय नष्ट करना, उनके अनुसार सीमा निर्धारित करने

में और दूसरा चुनावों की अत्यावश्यकता । ये दो मुद्दे हैं जिसके आधार पर वे कहते हैं वे अध्यादेश लाए हैं । मैं कह चुका हूं कि इसके लिए केवल 40 या 45 दिनों के समय की आवश्यकता है । माननीय मंत्री कहते हैं नहीं, यह यह ऐसा नहीं है यह छः महीने या उसके बाद कुछ समय है । यहां तक जो कुछ उन्होंने कहा उसे मान लिया जाए, निगम तथा महानगर परिषद को मार्च, 1980 में भंग कर दिया गया था, यदि मैं सही हूं । ठीक उस समय से दो जनवरी, 1983 तक इस बीच मोटे तौर पर दो वर्ष से मामूली कब समय था । गुट-निरपेक्ष सम्मेलन को भूल जाओ । नवम्बर, 1982 में एशियाड को भूल जाओ, सरकार ठीक 1981 से, भंग करने की तारीख से, अक्तूबर 1982 तक क्या कर रह रही थी । उनके पास काफी समय था । यदि वे असल में चाहते , वे इसे करवा सकते थे । लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया ।

वे पिछले सत्र में, नवम्बर में, विधेयक क्यों नहीं लाए थे । जबकि गुर निरपेक्ष सम्मेलन एक नई चीज नहीं थी । वे एक वर्ष से अधिक समय पहले से जानते थे कि कब सम्मेलन होने जा रहा है । यह एक आकस्मिक चीज नहीं थी । इसलिए फिर भी अध्यादेश क्यों लाया गया था ? यह विधेयक, जिसे वे अध्यादेश के स्थान पर अब लाए हैं, स्थिति का वर्णन करते हुए और संसद को विश्वास में लेते हुए पिछले सत्र में लाया जा सकता था । लेकिन आपने उस मार्ग को चुनना स्वीकार नहीं किया ।

अत्मावश्यकता की ओर आते हुए, फिर भी आपने मार्च तक इन्तजार क्यों की ? आपने चुनाव 1982 के पहले दो या तीन महीनों में क्यों नहीं कराए ? यह कराए जा सकते थे । वास्तविकता में जब इसके लिए सभी मांग कर रहे थे, यह क्यों नहीं कराए गए ?

तब जनसंख्या की ओर आते हुए, 1901 में दिल्ली की जनसंख्या 2,36,000 थी । यह 1971 तक 17 गुणा बढ़ गई थी । यदि आप 1981 की जनगणना रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ा शुरु वाक्य में लिखा है कि जनसंख्या में वृद्धि का सबसे अधिक अनुपात दिल्ली शहर का है । 1981 में जनसंख्या 61, 96 414 है वृद्धि अधिकतर श्रमिक वर्ग में है जिसका अधिकतर हिस्सा, अनुसूचित जातियों में से है । इसलिए इस सीमा निर्धारण से बचने के लिए अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित लोगों को सही प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है । 1961 में दिल्ली में अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 22.92 या 23 था । यह बढ़कर 1971 में 32;45 हो गया । इसलिए निस्सन्देह, यह बढ़कर 1981 में कम से कम 42 प्रतिशत हो गया होगा । लेकिन अनुसूचित जातियों की बढ़ी हुई जनसंख्या को अतिरिक्त प्रतिनिधित्व से वंचित रखा गया है । इसलिएमैं क्यों कहता हूं कि आपने बिल्कुल थोड़े लोगों को विशेषकर अनुसूचित जातियों से संबंधित लोगोंको अपने प्रतिनिधित्व के अधिकार से वंचित रखा है ।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : आपका कहने का अर्थ यह है कि आप सीट को सुरक्षित कर दिया जाना चाहिए ?

श्री एन० के० शेजवलकर : जी हां । मन्त्री ने कहा कि बयालीसवें संशोधन के अनुसार

निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ गई है। यह बिल्कुल ठीक है। जब वह कल बहस का उत्तर दे रहे थे, मैंने यह स्पष्ट करने के लिए हस्क्षेप किया था कि मेरा विवाद यह नहीं है कि जनसंख्या में वृद्धि नहीं की है, बल्कि अनुसूचित जातियों को उनकी जनसंख्या में वृद्धि के अनुसार आपने उन्हें अधिक निर्वाचन क्षेत्र नहीं दिए हैं। आपको उनकी संख्या में वृद्धि के अनुसार उन्हें अधिक निर्वाचन क्षेत्र देने चाहिए, जो कि आपने नहीं दिए हैं। संविधान में यह व्यवस्था है कि आपको जनसंख्या के अनुपात में सीटें प्रदान करनी होगी। इसलिए आपने उन्हें अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित रखा है। मैं संविधान में संशोधन (बयालीसवां) के विरुद्ध नहीं हूं; मैं सहमत हूं कि आप अनिश्चित काल तक संख्या में वृद्धि को जारी नहीं रख सकते हैं। लेकिन यह दिल्ली निगम पर लागू नहीं होता है। आप निगम के निर्वाचन क्षेत्रों की एक सीमा नहीं रख सकते हैं। यदि निगम में और क्षेत्रों को शामिल किया जाता है तो आपको उन्हें और स्थान देने होंगे क्योंकि जहां तक निगम का सम्बन्ध है। बयालीसवां संशोधन इसके बीच में नहीं आता है। इसलिए वर्तमान मामले में यह तर्क लागू नहीं होता है। निगम के लिए आप पुनर्वितरण न करके अधिक स्थान बढ़ा सकते हैं।

जहां तक सूचियों का सम्बन्ध है आपने उन्हें 1980 में तैयार किया था। 1980 के बाद तीन वर्ष बीत गये हैं इन तीन वर्षों में काफी लोग व्यस्क बन चुके होंगे। जो 18 वर्ष के थे अब 21 वर्ष के हो गए हैं। उन्हें मतदान का अधिकार है। दुर्भाग्यवश, इन तीन वर्षों में कुछ लोग मर भी गए होंगे। वही सूची बनी रहने से कुछ जाली मतदान भी अवश्य हुआ होगा आपने सूची की जांच-पड़ताल क्यों नहीं करवायी और उसे अद्यतन क्यों नहीं करवाया ? यह 15 दिन या एक महीने के अन्दर करवायी जा सकती थी। सूची को दोबारा प्रकाशित करवाया जा सकता था। लेकिन ऐसा नहीं करवाया गया है।

श्री डागा यहां नहीं हैं मुझे उनका धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि उन्होंने यही कहा कि इसके पीछे सरकार का कोई विचार रहा होगा। मैंने शुरू से ही सरकार के विचार का विरोध किया है। राज्य सरकारों में भी उपबन्ध की उपेक्षा की जाती है। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वे इस प्रकार के प्रशासक बिल्कुल नहीं बनें। यदि किन्हीं विशेष कारणों से यह आवश्यक है तो प्रशासन केवल एक नए निकाय के चुनाव कराने के उद्देश्य के लिए होना चाहिए। किसी भी हालत में यह छः महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। छः महीने के अन्दर उन्हें अगले चुनाव की कार्यवाही शुरू कर देनी चाहिए। यह दिल्ली पर भी लागू होना चाहिए।

राष्ट्रपति को प्रशासन अपने हाथ में लेने और राष्ट्रपति शासन लागू करना प्राप्त है। ऐसा दो दर्जन से अधिक किया गया है।

ऐसा कहा जाता है कि यदि हम कुछ करते हैं तो लोग कहते हैं आप यह क्यों कर रहे हैं और यदि हम नहीं करते तो वे कहते हैं आप क्यों नहीं करते हैं ? यह कहा जाता है कि हम कोई चीज तभी करेंगे, जब हमारे लिए सुविधाजनक होगा। इसलिए कृपया मत पूछिये। यही आपकी नीति प्रस्तुत होती है। उनका धारणा के प्रति, मान दण्डों के प्रति कोई आदर नहीं है

जिस तरीके से राज्य विधान सभाओं को भंग किया गया है वह सही नही है। जो 1977 में जनता ने किया वह भी अच्छा नहीं था। लेकिन 1971 में संसद को भंग करने का एक पूर्वोदाहरण था। कई बार विधान सभाओं को भंग किया गया है। जब कभी भी सत्तारूढ़ दल को ठीक लगता है वह कर देताभंग है या संविधान की व्यवस्थ.ओं का प्रयोग करती है इसी प्रकार की परिस्थितियों में इस तथ्य का ध्यान किए बिना कि वे सदन का विश्वास प्राप्त नहीं कर सकते वे बिधान सभाओं का कार्यकाल बढ़ाते चले जाते हैं। यह इतिहास है।

मध्य प्रदेश में मुगेली नगर पालिका थी। इसे बरखास्त कर दिया गया। एक यचिका उच्च न्यायालय में दायर की गई। उच्च न्यायालय ने सरकार के निर्णय को रद्द कर दिया। यह बहाल किया गया। उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद यह दोबारा भंग कर दी गई। नगर पालिका के सदस्य दोबारा उज्च न्यायालय में गए। दोबारा निर्णय को रद्द कर दिया गया। इस तरह 3 या 4 वर्ष व्यर्थ हो गए। वे कार्यभार नहीं ले सके। वे काम नहीं कर सके। क्या यह न्यायसंगत है? क्या इसी की आवश्यकता है? क्या कोई मानदण्ड है? जब कभी आपकी इच्छा हो, किसी समय बिना किसी कारण के आप यह सारी चीचें कर सकते हो। यह जारी नहीं रह सकता। जहां तक पहले मुद्दे का सम्बन्ध है मुझे कोई औचित्य दिखाई नहीं देता है। आप कोई युक्ति-युक्त कारग नहीं दे सके। 1981 के बाद आप क्या कर रहे थे।? आपके पास एक पूरा वर्ष था और यह किया जा सकता था। लेकिन आपने नहीं किया।

अन्य राजनीतिक बातों में पड़े बिना जोकि मेरे मित्र बता चुके हैं; मैं भारी दिल से निवेदन कर रहा हूं मि मानदण्डों को, इस माननीय सदन के निर्णयों को अथवा अध्यक्ष द्वारा दिए गए निर्देशों का कोई आदर नहीं किया जा रहा है। महोदय गलत प्रथा का अनुकरण किया जा रहा है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इसे दोहराया न जाये। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं क्योंकि कम से कम आपने कल स्वीकार किया है कि असाधारण उपाय को बार-बार नहीं अपनाया जाना चाहिए। आपके स्पष्ट कथन के लिए मैं धन्यवाद करता हूं लेकिन उपरोक्त कथन के बाद भी मुझे अफसोस है कि आप दोबारा उस कर्मचारी का समर्थन कर रहे हैं जो कि समर्थन के योग्य नहीं है। निसन्देह अब कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि अध्यादेश जारी किया जा चुका है और एक विधेयक लाया गया है। लेकिन कम से कम इस सदन को विश्वास दिलाईये कि आप स्थानीय निकायों की कशक्तियां अथवा राज्य विधान सभाओं कीश क्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। विचारों की स्वतन्त्रता चुनावों की स्वतन्त्रता और इन सभी चीजों की स्वतन्त्रता की सामान्य प्रणाली को जारी रहने दिया जाए। तदनुसार इस ओर केन्द्रीय सरकार की तरफ से बिना किसी हस्तक्षेप के मामला निपटा लिया जाये।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं यहां कुछ मुद्दों को स्पष्ट करना चाहता हूं। मेरे पास दिल्ली की जनसंख्या के और अनुसूचित जातियों के आंकड़े हैं। शेजवलकर जी, शायद आपके आंकड़े पूर्णतया ठीक नहीं हैं।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे बतलाईये मैं जांच करूंगा ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : 1971 में कुल जनसंख्या 40,65,698 थी । 1981 में यह 62,-20,406 है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आपकी बात ठीक है मैंने 61,96,414 के आंकड़े दिए हैं जो मैंने पुस्तकायल से उपलब्ध एक पुस्तक से लिए हैं ।

सभापति महोदय : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : वह जनगणना के प्रभारी भी हैं ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैंने अभी-अभी पुस्तकालय से इसका हवाला दिया है । कोई बात नहीं, इससे कोई अधिक अन्तर नहीं पड़ता ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 1971 में 15.64 था; और 1981 में यह 18.3 है । अनुसूचित जातियों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या निर्धारित करते समय यद्यपि 1971 की जनगणना के आधार पर अनुसूचित जातियों का प्रतिशत 15.64 थी, हमने 16.07 के आधार पर इसका हिसाब लगाया था और स्थानों की संख्या 9 निर्धारित की गई थी। यदि 1981 की जनगणना के प्रतिशत को ध्यान में रखा होता तो और स्थान की वृद्धि हो जाती । यदि हम 1971 की जनगणना को आधार बनाते हैं तो स्थानों की संख्या थोड़ी अधिक है । यद्यपि 1971 की जनगणना के आधार पर प्रतिशत 15.64 था हमने 16.07 को लेकर हिसाब लगाया है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : मुझे समय लेने दीजिए । जो स्थान निर्धारित किए गए हैं 1981 की जनगणना के अनुसार उनमें एक स्थान कम है। क्या आप स्वीकार करते हैं ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : यह सत्य है कि यदि हम 1981 की जनगणना को हिसाब में लेते हैं तो इनमें एक स्थान कम है ।

श्री एन० के० शेजवलकर : आखिरकार संख्या महत्वपूर्ण नहीं है ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं सहमत हूं कि संख्या महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन 1971 की जनगणना से पहले भी सरकार का यह इरादा रहा है कि अनुसूचित जातियों को जहां तक सम्भव और व्यवहार्य हो पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए । हम संविधान के अधीन उन्हें दिये गए वैद्य अधिकारों से उनको वंचित नहीं रखना चाहते हैं ।

सभापति महोदय : (श्री एफ० एच० मोहसिन) : भारतीय जनता पार्टी जल्दी चुनावों के लिए कह रही थी ।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जी हां, यह जल्दी चुनावों के लिए कह रही थी।

श्री एन० के० शेजवलकर : मैं बीच में नहीं बोलूंगा। जब वह अपना भाषण समाप्त कर लेंगे उसके बाद मैं कुछ मुद्दों को उठाऊंगा।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : जो कुछ भी मैंने अपने पहले भाषण में कहा है, यद्यपि श्री शेजवलकर उससे सहमत नहीं है, फिर भी मुझे यकीन है कि......

सभापति महोदय : (श्री एफ०एच० मोहसिन) : एक और मुद्दा जो उठाया गया था वह था, आप निगम चुनावों को देर से करा सकते थे। यह केवल दिल्ली महानगर परिषद् पर लागू था।

श्री पी. वेंकटसुब्बय्या : आप जानते हैं कि निगमचुनाव भी पहले हो जाने चाहिए थे। बर्खास्तगी अप्रैल तक समाप्त हो जानी थी और सदन में माननीय सदस्य भी मांग कर रहे थे कि अब इसे और नहीं बढ़ाया जाना चाहिए और यह कि चुनाव कराए जाने चाहिए। यह परिषद तथा निगम दोनों पर लागू होता था। इसको ध्यान में रखते हुए, हमने सोचा कि ये दोनों चुनाव अवश्य कराए जाएं।

श्री एन०के० शेजवलकर : यदि माननीय मन्त्री उचित समझें तो वह कृपया हमें एक आश्वासन दें। आखिरकार; इस दायित्व को स्वीकार करना ही है। क्या वह नहीं चाहते कि निगमों के अथवा स्थानीय निकायों के चुनाव कराने के सम्बन्ध में इस प्रकार की प्रथा या उदासीनता खत्म होनी चाहिए ? उदाहरण के लिए, ग्वालियर नगर निगम के लिए 15 वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए हैं। जहां कहीं भी वे सत्ता में हैं, वर्षों तक बिना किसी कारण के, वह जैसा चाहते हैं, निगम के कार्यकाल को बढ़ा रहे हैं। कुछ स्थानों पर तो पिछले 20 वर्षों से चुनाव नहीं कराए गए हैं। मैं बहुत प्रसन्न हूंगा यदि वह इसे सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं, यदि वह हमें आश्वासन देते हैं कि हस्तक्षेप नहीं होंने दिया जाएगा, और यह कि वे स्थानीय निकायों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और यह कि जब भी चुनावों का समय आएगा तब चुनाव कराए जाएंगे।

श्री पी० वेंकट सुब्बय्या : हम अनावश्यक रूप से हस्तक्षेप नहीं करते जब तक कि बहुत मजबूरी न हो अथवा अनिवार्य न हो। दिल्ली नगर निगम के बारे में मैंने बताया है कि 11 अगस्त, 1980 से इसे बर्खास्त कर दिया गया था क्योंकि केन्द्रीय सरकार के विचार में निगम ने अपने कार्यों के निष्पादन में लगातार चूक की थी, अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया था। दिए गए कार्यों को पूरा करने में सक्षम नहीं था। बर्खास्तगी की अवधि को समय-समय पर बढ़ाया गया था और अन्तिम बार बढ़ाई गई अवधि 10 अप्रैल, 1983 को समाप्त होने वाली थी। जब तक मजबूरी न हो, जब तक सरकार यह अनुभव नहीं करती कि ऐसी कार्यवाही से लोगों के हितों की रक्षा होगी ऐसा नहीं किया जाता है। केवल मजबूरी की स्थिति में ही यह किया जाता है।

मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि केन्द्रीय सरकार किसी संस्था चाहे स्थानीय निकाय अथवा भारत सरकार की सीमा के अधीन कोई संस्था हो उनके प्रजातांत्रिक तरीके से

कार्य करने में किसी प्रकार का दखल नहीं देना चाहती है।

ग्वालियर नगर निगम तथा उन सभी के बारे में, वह जानते हैं—वह एक संवैधानिक विशेषज्ञ है—यह कि ग्वालियर नगर निगम मध्य प्रदेश सरकार के अधीन आता है और वे इस मामले को राज्य विधान सभा में उठा सकते हैं।

सभापति महोदय (श्री एफ०एच० मोहसिन) : मैं पहले एन०के० शेजबलकर द्वारा रखे गए वैधानिक संकल्प पर सदन को वोट देने के लिए रखूंगा।

प्रश्न है :

"कि यह सभा राष्ट्रपति द्वारा 2 जनवरी;1983 को प्रख्यापित दिल्ली प्रशासन (संशोधन) अध्यादेश, 1983 (1983 की अध्यादेश संख्या 1) का निरनुमोदन करती है।"

प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : प्रश्न है :

"कि दिल्ली प्रशासन अधिनियम,1966 में संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दिल्ली प्रशासन (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : हम अब विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है ;

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1 अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड दिए गए।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं ;

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : प्रश्न यह है ;

" कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : अब हम मद 16 को लेते हैं।

प्रश्न यह है ;

" कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय (श्री एफ० ए ० मोहसिन) : अब हम विधेयक पर धारावार विचार करेंगे।

श्री भीखू राम जैन : अनुपस्थित हैं।

प्रश्न यह है ;

" कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 3 में कोई संशोधन नहीं है।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : प्रश्न यह है ;

" कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं।

" कि विधेयक पारित किया जाए ।"

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : प्रश्न यह है ;

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

वायुयान (संशोधन) विधेयक

पर्यटन और नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री खुर्शीद आलम खां) : महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं ;

" कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किया जाए ।"

इस विधेयक से वायुयान अधिनियम, 1934 की 5 और 14 क धाराओं में संशोधन किया जाएगा। धारा 5 केन्द्रीय सरकार को निगम बनाने की शक्ति से संबन्धित है और धारा 14 क मूल अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों को संसद के समक्ष रखने से संबन्धित है ।

जहां तक मुख्य अधिनियम की धारा 5 में संशोधन का सम्बन्ध है, ऐसा प्रस्ताव किया गया है कि उपर्युक्त धारा की धारा 2 में एक नई धारा (क ख) सम्मिलित की जाए जिससे नागर विमानन के आर्थिक विनियमन तथा वायु परिवहन सेवाएं जिनसे एयरलाइन्स द्वारा लगाए गए शुल्कों का अनुमोदन, निरनुमोदन अथवा संशोधन, अधिकारियों का बदनाम जो इस शक्ति का प्रयोग कर सकते हैं, अनुमोदन के लिए अपनाई जाने वाली कार्य विधियों, शुल्कों का निरनुमोदन करना अथवा संशोधन करना तथा आदेशों के विरुद्ध अपीलों सम्बन्धी मामले शामिल हैं, से सम्बन्धित नियमों को बनाने का अधिकार सरकार को प्राप्त हो सके।

नई उप धारा में 'शुल्क' की परिभाषा शामिल है । अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन के सम्बन्ध में, अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ जो कि इन्टरनेशनल एयरलाइन्स की एक संस्था है जो कि निर्धारित वायु सेवाएं चलाती है, जिसके पास यात्रियों और जहाजी माल परिवहन के लिए दरों को सुव्यवस्थित करने की एक दर-निर्धारण प्रक्रिया है । इसमें देय कमीशन की शर्तों के बारे में भी दिया गया है । इस प्राधिकरण को भारत सरकार सहित कई सरकारों द्वारा मान्यता प्राप्त है । सदस्य एयरलाइन्स प्राधिकरण के प्रस्तावों के माध्यम से किरायों, दरों विनियमनों और यिनयमों को स्वीकार करते हैं जोकि तब अपनी-अपमी सरकारों को अनुमोदन के लिए भेजते हैं । प्रस्ताव तभी प्रभावी होती है जब अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ सभी सम्बन्धित सरकारों से अनुमोदन प्राप्त कर लेता है । अनुमोदन अथवा निरनुमोदन सरकारों द्वारा जो कि प्रभुसत्ता सम्पन्न संस्थाएं होती है, दी जाती है । यह सुनिश्चित करने के लिए कि सदस्य एयरलाइन्स जो कि अन्तर्राष्ट्रीय वायु

सेवाएं चलाते है, अन्तर्राष्ट्रीय वायु परिवहन संघ द्वारा स्वीकार्य शुल्क को ही लागू करे। कई सरकारों ने आवश्यक कानून बनाये हैं जिसके अनुसार ऐसी एयरलाइन्स ने वैमानिकीन प्राधिकारियों से अनुमोदन प्राप्त किया है ।

1972 में केन्द्रीय सरकार ने विमान अधिनियम, 1934 की धारा 5 के अनुसरण में कानून बनाने का निर्णय लिया था और नए नियम अर्थात नियम संख्या 135, 135 क, 135 ख और 135 ग इस उद्देश्य से बनाए गए कि इन्हें विमान नियमावली 1937 में सम्मिलित किया जाएगा इन नियमों में 1975 में संशोधन किया गया था और इन नियमों के अनुसरण में, शुल्कों के अनुमोदन, निरमोदन अथवा संशोधन की शक्ति नागर कि मानन के महानिदेशक को दी गई थी। यहां यह बताया जाता है कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने अपने बाहरवें प्रतिवेदन में विचार व्यक्त किया है कि शुल्क को अनुमोदन अथवा निरनुमोदन करने की शक्ति, स्वायत्त शक्ति की प्रकृति में है जो कि अवश्य ही स्वयं मूल अधिनियम में मिलनी चाहिए। सरकार ने, इसलिए निर्णय किया है कि प्रस्तावित संशोधन द्वारा, इस अधिनियम में विशेष प्राधिकरण के लिए व्यवस्था की जाएगी। इसलिए विमान अधिनियम की धारा 5 में प्रस्तावित संशोधन उपर्युक्त सिफारिश के अनुरूप में है। मूल अधिनियम की धारा 14 क में संशोधन से संसद के समक्ष नियमों को रखने के लिए नवीनतम सूत्र के साथ समनुरुपता में व्यवस्था लाने का अवसर मिलता है।

सभापति महोदय (श्री एफ० एच० मोहसिन) : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

"कि वायुयान अधिनियम 1934 में और संशोधन करने वाले राज्य सभा द्वारा यथा पारित विधेयक पर विचार किया जाए।" श्री मधुकर।

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोतीहारी) : माननीय मंत्री जी ने बिल प्रस्तुत किया है उसमें कुछ विशेष कहने की बात तो नहीं है फिर भी मैं कुछ बातों की ओर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

हम लोगों को वायु सेवा द्वारा यात्रा करने का मौका मिलता है। हम लोगों को आम आदमी की तरह माना जाता है। कुछ संसद सदस्यों की वायुसेवा के अधिकारियों से जान पहचान हो गई है उनको तो चैकअप नहीं किया जाता है लेकिम हम लोगों के पूरे शरीर को टटोला जाता है। अभी हम मास्को गए थे। वहां पर भी हमारी उस तरह चेकिंग नहीं की गई जिस तरह से यहां पर की जाती है। मैं चेकिंग के विरुद्ध नहीं हूं लेकिन जो संसद सदस्य 12 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हो उसके सारे शरीर को टटोलना कहां तक उचित है। आप यंत्रों का इस्तेमाल कीजिए। इस बारे में ध्यान देने की आवश्यकता है ।

इसी प्रकार वायुयानों में अंग्रेजी का पेपर तो मिल जाता है लेकिन हिन्दी का कोई पेपर या मेगजीन वहां उपलब्ध नहीं होता। इसी प्रकार जो कुछ लिखा जाता है वह भी अंग्रेजी में ही होता है। इस बारे में मेरा निवेदन है कि हिन्दी को बढ़ावा देने के लिए हिन्दी के प्रयोग को बढ़ाया जाना चाहिए।

भोजन और जलपान की व्यवस्था भी अच्छी नहीं है । माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री जी ने इसके बारे में कई बार ध्यान आकर्षित किया है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गई है ।

पटना एयर पोर्ट को कई स्थानों से जोड़ा गया है लेकिन उत्तरी बिहार के स्थानों से नहीं जोड़ा है । रखसौल में एयरपोर्ट है लेकिन वह मंत्रियों के जाने के लिए है । आम जनता के लिए नहीं है । रखसोल काठमांडू रोड पर है और नेपाल से सम्बन्ध जोड़ने के लिए कनेक्टिंग स्टेशन है । वहां के लिए सेवा नहीं है । खासकर उत्तर बिहार के लोगों को, पश्चिम चंपारण के लोगों को इससे कठिनाई होती है । इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए ।

इस बिल के जरिये कुछ आर्थिक पहलुओं को मजबूत करने के लिए कदम उठाए हैं । मैं इसके विरोध में नहीं हूं लेकिन इससे नौकरशाही को बढ़ावा मिल सकता है । उस पर अंकुश लगाने के लिए क्या कदम उठाए जाएंगे यह मैं जानना चाहूंगा ।

[श्री आर० एस० स्पेरो पीठासीन हुए]

अभी हाल ही में माया मैगजीन में डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी का इण्टरव्यू छपा है । मैं उसकी विस्तार से चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि इसकी एक चर्चा करना एक खिलाप बात होगी । लेकिन इस बात की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी जो भी घटनाए होती हैं, उनको कैसे दूर किया जाए ।

जिस प्रकार रेल गाड़ियां विलम्ब से चलती हैं उसी प्रकार हवाई जहाज भी विलम्ब से उड़ते हैं । इसलिए इसको भी ठीक करने की कोशिश कीजिए । मेरे सदर मुकाम मोतीहारी में जो कि डिस्ट्रीक्ट हैडक्वाटर है, वायुयान सेवा की व्यवस्था नहीं है । इसलिए वहां वायुयान सेवा की व्यवस्था कीजिए जिससे लोगों को राहत मिल सके ।

एअर-होस्टल वगैरह को ठहराने में फिजूल खर्चा होता है, मैं चाहता हूं कि ऐसी व्यवस्था हो जिससे फिजूल खर्च न हो सके । मैं खर्च का विरोध नहीं कर रहा हूं क्योंकि उनकी जान काफी जोखिम में रहती है लेकिन उनके ठहराने आदि में खर्च किया जाना चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री पी० नामग्याल (लद्दाख) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं वायुयान (संशोधन) विधेयक लाने के लिए प्रभारी मंत्री महोदय का समर्थन करता हूं कि यह समय की आवश्यकता है । पहले अधिकारी वर्ग द्वारा बनाए गए नियमों की संवीक्षा करने का कोई प्रावधान नहीं था । मैं महसूस करता हूं कि यह नियम देश की अथवा लेह जैसे और अन्य विमान पत्तनों को विभिन्न कठिन परिस्थितियों को महसूस किये बिना बनाया गया था ।

सबसे पहले मैं विभिन्न कारणों से रुके हुए यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था सम्बन्धी नियम के बारे में कुछ कहना चाहता हूं कभी खराब मौसम के कारण अथवा कभी तक-

नीकी कारणों से उड़ान को रद्द किये जाने से यात्रीयों को होटल में ठहराया जाता है आमतौर पर प्राधिकारी रुके हुए यात्रीयों को अगले दिन ही जब दैनिक सेवा शुरू होती है भेज देते हैं किन्तु समस्या तब खड़ी होती है जब खराब मौसम के कारण अथवा तकनीकी कारणों से कोई साप्ताहिक सेवा रद्द हो जाती है। आमतौर पर हमने देखा है कि रुके हुए यात्रियों को लगातार हफ्तों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इसके लिए इन्डियन एयरलाइन उन्हें एक दिन की होटल सुविधा देती है जिसमें कि रहने तथा खाने-पीने की व्यवस्था होती है और अगले दिन वे उन्हें होटल से बाहर कर देते हैं। आप जानते ही हैं कि अधिकतर यात्री ऐसे 5 सितारा होटलों में रहने का व्यय वहन नहीं कर सकते जो कि इन्डियन एयरलाइन ऐसे यात्रीयों को प्रदान करती है। अतः लोगों को सम्बन्धित स्थानीय प्राधिकारियों से सम्पर्क करना पड़ता है तथा सम्बन्धित प्राधिकारी भी ऐसा जब तक कि वे दिल्ली में मुख्यालय से सम्पर्क नहीं कर लेते कोई निर्णय नहीं लेसकते। इस कारण यात्रियों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं लेह में यात्रीयों की स्थिति बता रहा हूं। चण्डीगढ़ से साप्ताहिक सेवा है। श्रीनगर से सप्ताह में दो बार सेवा है। भारी बर्फ गिरने से सड़क के बन्द हो जाने के फलस्वरूप सड़क परिवहन सुविधा न मिलती और यात्रिओं के पास कोई विकल्प नहीं रहता और उन्हें अगली उड़ान के लिए सप्ताहभर प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मैंने कुछ सुझाव दिये थे। नागर विमानन विभाग अथवा इन्डियन एयरलाइन्स पांच सितारा होटल में एक रात रहने की व्यवस्था करता है। मैंने सुझाव दिया था उन्हें होटल में ठहरने के स्थान पर नकद राशि दी जाए क्योंकि लेह चण्डीगढ़ के रास्ते यात्रा करने वाले यात्री तीर्थ यात्री होते हैं जो लद्दाख में विभिन्न स्थानों से आते हैं और वे बड़े होटलों में रहने का व्यय वहन नहीं कर सकते। यह अच्छा होगा यदि आप उन्हें यह विकल्प दें कि वे होटल में रहना चाहते हैं अथवा नकद राशि लेना चाहते हैं। इससे यात्री आसानी से एक सप्ताह तक प्रतीक्षा कर सकेंगे और यह समस्या हल हो सकती है।

जब ये उड़ाने रुक जाती हैं तो आप सभी उड़ानों पर नाश्ता, चाय मध्याह्न भोजन आदि देते हैं किन्तु लेह की उड़ान में ऐसा नहीं किया जाता। कभी-कभी खराब मौसम के कारण अथवा किसी तकनीकी से उड़ान रुक जाती है मध्याह्न, भोजन, चाय नाश्ता आदि जो कि आप उचित समय पर प्रदान करते हैं, लेह हवाई अड्डे के भवन में उपलब्ध नहीं होते। मैं माननीय मंत्री से इस समस्या पर गौर करने और आवश्यक सुधार करने का अनुरोध करता हूं।

इन रुके हुए यात्रियों की समस्या के हल के लिए मैंने एक सुझाव दिया था। यदि यात्री उड़ान रद्द होने के फलस्वरूप रोके जाते हैं तो ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि आप अगले ही दिन कोई दूसरी उड़ान का प्रबन्ध कर सकें। यदि अगले दिन ऐसा करना सम्भव न हो तो दूसरे दिन अथवा तीसरे दिन व्यवस्था की जा सकती है। उन्हें पूरे सप्ताह तक प्रतीक्षा नहीं करवायी जानी चाहिए।

हाल ही में ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी और मैंने मंत्री महोदय से सम्पर्क किया और मैं उनका आभारी हूं कि उन्होंने तत्काल एक विमान की व्यवस्था करने के आदेश दिए।

(श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए)

मेरा अगला मुद्दा यह है कि लेह हवाई अड्डा भवन बहुत पुरानी "निस्सान" कुटीर में स्थित है और यह से नासे किराये पर ले रखा है। कुटीर की हालत ऐसी है कि उसमें न तो खिड़कियों में शीशे लगे हुए है न ही कोई फर्नीचर है और वहाँ कोई सफाई कर्मचारी भी नहीं है। सर्दी के मौसम में वहां कमरे गर्म करने की भी कोई व्यवस्था नहीं है विशेषकर चण्डीगढ़ से इन्डियन एयरलाइन के विमान के उतरते समय। उस समय अधिकतम तापमान आमतौर पर 10 डिगरी सेंटीग्रेट से—20 डिगरी सेंटीग्रेड के बीच होता है। ऐसी स्थिति में वहां पर बिना ताप व्यवस्था के उड़ान के लिए इन्तजार करना काफी दयनीय होता है। मैं नागर विमानन महानिदेशक से यात्रियों तथा वहां के कर्मचारियों की सुविधा हेतु कुछ स्टोवो और ताप की व्यवस्था करने का अनुरोध करता हूं किन्तु मेरे अनुरोध पर कोई ध्यान नहीं दिया गया

अन्य मुद्दा यह है कि विमान पत्तन पर एक विमान पत्तन अधिकारी नियुक्त किया गया है। किन्तु यात्रियों की तत्काल समस्याओं को दूर करने के लिए वह कभी वहाँ उपलब्ध नहीं रहता पिछले दो वर्षों में हमने उसे वहां पर मुश्किल से ही देखा है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह इस मामले पर भी ध्यान दें।

महोदय, वहां पर एक नया भवन भी बनाया जा रहा है। उस भवन का इतिहास यह है कि तीन वर्ष पहले इस भवन के लिए 15 लाख रुपये की राशि को प्राक्कलित करके मंजूर किया गया था और निर्माण के लिए राज्य लोक निर्माण विभाग को कहा गया था। किन्तु राज्य लोक निर्माण विभाग का एक बदनाम इन्जीनियर वहां आया और उसने इन प्राक्कलनों को बढ़ाकर 35 लाख से भी अधिक कर दिया। यह पता नहीं चला कि ऐसा कैसे हो गया। यह बात तो समझ में आती है कि 15 लाख रुपये के प्राक्कलन को 20 लाख अथवा 25 लाख रुपये तक कर दिया जाए किन्तु 30 लाख रुपये से अधिक के संशोधित प्राक्कलन बनाने की तत्काल जांच होनी चाहिए। भवन आदि के निर्माण की लागत चाहे कुछ भी हो, मैं यहां यह बताना चाहता हूं कि उक्त भवन अभी भी निर्माणाधीन है। इसलिए मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाई जाये क्योंकि लेह शीघ्रता से हमारे देश का पर्यटन उद्योग के लिए भी काफी सहायक होगा।

महोदय, श्रीनगर और लेह के बीच अप्रैल के मध्य से एक और उड़ान की मंजूरी देने हेतु मैं मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। हमारा अनुरोध यह था कि हम चंडीगढ़ से लेह के लिए भी एक और उड़ान चाहते हैं। इस सेवा को शुरू न करने का कारण यह बताया गया है कि वापसी उड़ान में वह लगभग खाली होती है। इसके लिए मेरा सुझाव है कि यदि आप सेना अधिकारियों से उनकी सेवाओं में किसी समायोजन की बात करें तो इस समस्या को हल किया जा सकता है क्योंकि वे भी वापसी यात्रा के लिए काफी कठिनाई अनुभव करते हैं और उन्हें भारतीय वायुसेना के विमान की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। आप इस बारे में उनसे लेखा-समायोजन व्यवस्था भी कर सकते हैं। इसमें कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कभी-कभी हमें भी काफी कठिनाईयों का सामान करना पड़ता है विशेषकर इस ओर की उड़ान में स्थान लेने के लिए। अभी भी साप्ताहिक सेवा के लिए 3 से 4 सप्ताह पहले ही स्थान अग्रिम रूप से भर जाते हैं। इसको मद्देनजर रखते हुए

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि लेह और चण्डीगढ़ के बीच एक और उड़ान शुरू करने की मांग स्वीकार करने की कृपा करें।

इन शब्दों के साथ ही मैं सदन के समक्ष रखे गए विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : सभापति महोदय, वायुयान संशोधन विधेयक, 1983 का मैं समर्थन करता हूं। इस बिल के जरिए सैक्शन-2 में प्रावधान दिया है कि किराए-भाड़े और अन्य प्रभार बढ़ाने का जो अधिकार अधिकारियों को दिया गया है, उसके सम्बन्ध में विवरण दिया है।

मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि पिछले वर्षों के अन्दर किराये-भाड़े और सभी प्रकार की व्यवस्थाओं में बहुत भारी बढ़ोत्तरी की गई है। इस बढ़ोत्तरी को देखा जाए तो आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इससे साधारण जनता को कभी भी लाभ नहीं मिलेगा। उनके लिए इसका लाभ उठाना बहुत मुश्किल है। इनके खिलाफ केन्द्रीय सरकार अपील भी सुनेंगी—ऐसा प्रावधान भी दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि केन्द्रीय सरकार ने कभी किसी अपील के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई दखल दिया है? मैं समझता हूं कि किराए-भाड़े की दरें निर्धारित आपके अधिकारी करते हैं, इसमें किसी प्रकार का दखल केन्द्रीय सरकार की तरफ से नहीं रहता है। यही वजह है कि किराए-भाड़े बराबर बढ़ते जा रहे हैं। यह व्यवस्था उन लोगों के लिए ठीक है, जिनको मुफ्त का पैसा मिलता है, बड़ी-बड़ी कम्पनियों के डायरेक्टर्स या जो अधिकारी हैं या जो पब्लिक सैक्टर के जो अधिकारी हैं—उनको पैसा खर्च करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती। जिनके पास काला पैसा है, उनको भी पैसा खर्च करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जो जैन्युइन लोग हैं, जो इसका उपयोग करना चाहते हैं, जिनके लिए आपने यह व्यवस्था की है, उनको लाभ नहीं मिलता है। जिस प्रकार से दिन ब दिन किराया बढ़ाते जा रहे है, उससे यह महसूस होता है कि मिडिल क्लास के लोग इसका कभी भी उपयोग नहीं कर सकेंगे। मेरा आपसे निवेदन यह है कि जिस प्रकार से किराए बढ़ते जा रहे हैं, उस पर आपको चैक लगाना चाहिए, तब जाकर यह व्यवस्था सुचारू रूप से हो सकेगी।

आपने इसमें मितव्ययता के संबंध में भी लिखा है कि मितव्ययता का आपके अधिकारी ख्याल रखेंगे। मेरे ख्याल में मितव्ययता का कोई भी ख्याल नहीं रखता है। एयरक्राफ्ट में जितने खर्चे सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के बढ़े हैं, मेरे ख्याल से किसी और में नहीं बढ़े हैं। आज हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा पैसा कहीं पर है तो इसी में मिलता है या एल. आई. सी. के लोगों को मिलता है। उस हालत में भी जिस प्रकार का काम या कर्तव्य का पालन उनको करना चाहिए, वे नहीं करते हैं। जो एमेनीटीज पैसेंजर्स को दी जानी चाहिए, वह समय पर नहीं मिलती है। न अच्छा नाश्ता मिलता है और न पेट भर कर भोजन मिलता है और दूसरी तरफ आप किराए बढ़ाते जा रहे हैं। इसका सारा फायदा आपके कर्मचारी और एयरलाइन्स में काम करने वाले लोग हैं, उनको मिलता है। हमारे जो पैसेंजर्स हैं, उनको किसी प्रकार का फायदा नहीं

मिलता है। मैं चाहता हूं पैसेन्जर्स के लिए एमेनीटीज बढ़नी चाहिए और निश्चित तरीके से उनको मिलनी चाहिए।

अभी हमारे माननीय सदस्य, जो लेह से आते हैं, कह रहे थे, यदि आप एरोड्रम्स की स्थिति को देखें, तो न वहां पर पीने का पानी है, न अच्छी तरह बैठने की व्यवस्था है। वहां पर यूरिनल्स की भी सफाई की व्यवस्था नहीं है। जो कर्मचारी वहां पर काम करने चाहिए, वे शायद अधिकारी के घर पर जाकर काम करते हैं। जिस प्रकार के एरोड्रम्स पहले साफ-सुथरे रहते थे, अब उनमें अन्तर आ गया है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि वे इस तरफ ध्यान दें। पैसेन्जर्स की एमनिटीज में भी बढ़ोत्तरी होनी चाहिए और निश्चित तरीके से उनकी सुख सुविधाओं का पूरा ख्याल रखा जाना चाहिए। जब आप उनसे जरूरत से ज्यादा पैसा लेते हैं, तो आप उनको फिर सुख-सुविधायें उपलब्ध क्यों नहीं कराते हैं। इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए।

एक निवेदन मेरा यह भी है कि जब आप बहुत बड़े पैमाने पर कर्मचारियों को सहूलियतें देते हैं; तो उसका लाभ आपकी कम्पनी को मिलता है। आप देखिए, बर्डस की वजह से जो एक्सीडेंट होते हैं, जिससे हर साल करोड़ों रुपयों का नुकसान होता है—क्या आपका ध्यान इस ओर गया है? मेरे विचार में इतने एक्सीडेंट शायद दुनिया में और कहीं नहीं होते हैं। इसके लिए कौन जिम्मेदार है, किसको इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जायेगा? मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि एरोड्रम्स को माकूल तरीके से रखने के लिए क्या व्यवस्था अपनाई जा रही है, जिससे जो आपको करोड़ों रुपयों का नुकसान हो रहा है, वह न हो।

तीसरी बात, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो पैसेंजर्स बाहर से आते हैं, उनकी चैकिंग आपके अधिकारी बहुत अच्छी तरह से करते हैं। इधर-उधर हाथ डालकर बहुत अच्छी तरह से करते हैं। मगर अधिकारी और कर्मचारी जो बाहर से सामान लाते हैं, स्मगलिंग का धन्धा करते हैं। उन लोगों के खिलाफ क्यों कार्यवाही नहीं करते हैं। कई बार यह बात आई है कि आपके अधिकारी स्मगलिंग का माल लेते हुए पकड़े गए हैं। उन लोगों के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की है और उनको क्या सजायें दिलाई हैं? इस प्रकार गलत काम करने की बातें पेपर्स में आती आती हैं। जब आप पैसेन्जर्स के खिलाफ सख्त कार्यवाही करते हैं, तो जो अधिकारी या कर्मचारी माल लेते हुए पकड़े गए हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही क्यों नहीं की जाती है। इस बारे में मैं मन्त्री महोदय से जानना चाहता हूं।

आचार्य भगवान देव : हाथी निकल जाते हैं और चूहे पकड़े जाते हैं।

श्री गिरधारी लाल व्यास : आचार्य भगवान देव जी ठीक कह रहे हैं कि हाथी निकल जाते हैं और चूहे पकड़े जाते हैं। इस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

मैं आपसे एक यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जो आपके महत्वपूर्ण एयरपोर्ट हैं, जो अच्छे-अच्छे टूरिस्ट सैन्टर हैं, जहां पर कि ज्यादा पैसेन्जर्स जाते हैं, वहां पर आपके एरोड्राम इस

प्रकार के होने चाहिए कि बड़े-बड़े जहाज भी उतर सकें। अभी तक ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाई है। अभी भी अहमदाबाद का एयरपोर्ट ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। वहां अव्यवस्थायें चल रही हैं। जो काम पिछले तीन चार सालों से चल रहा है, वह पूरा नहीं होता है। उसको सुचारू रूप से करने के लिए आपने अभी तक क्या कदम उठाए हैं ? मैं आपका ध्यान खासतौर से जयपुर के बारे में दिलाना चाहता हूं, वहां पर इस प्रकार का एरोड्रम होना चाहिए, अन्य प्रदेश की राजधानियों भी, जिसमें वहां पर बोईंग आदि जहाज उतर सकें और पैसेंजर्स को ज्यादा फैसिलिटीज उपलब्ध हो सकें। इस प्रकार की व्यवस्था आपको करानी चाहिए।

आखिरी निवेदन मैं जयपुर के बारे में करना चाहता हूं। यहां से सुबह एक प्लेन जाता था, मगर उसको अब बन्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से हमारी तकलीफें बढ़ गई हैं। शाम को एक प्लेन जाता है, लेकिन एक प्लेन जो बम्बई जाता था, वह जयपुर होकर जाता था जिसको कि बन्द कर दिया गया। मैं मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसको पुनः शुरू किया जाए। हमारे डिप्टी'''मिनिस्टर महोदय बैठे हुए हैं, जो जोधपुर से आते हैं। इनको भी बहुततकलीफ होती है पहले जोधपुर सप्ताह में दो-तीन दिन में एक दफा जाता था, इसको भी क्लीयर करना चाहिए। ताकि वहां के पैसेन्जर्स को कुछ न कुछ सुविधाएं मिल सकें। हमारी आपसे प्रार्थना है कि जो हमारी तकलीफें हैं इनके ऊपर आप विशेष तौर से ध्यान देकर, इन तकलीफों को दूर करें।

अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि जिनप्वाएंट्स के बारे में मैंने निवेदन किया है उन प्वाएंट्स के बारे में आप पूरी व्यवस्था करें। मुझे उम्मीद है कि हमारे मन्त्री महोदय, उन पर पूरा ध्यान देकर उनके बारे में पूरी व्यवस्था करेंगे।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री उत्तम राठौर (हिंगोली) : सभापति महोदय, मैं यह संशोधन पेश करने के लिए मन्त्री जी को मुबारकबाद देता हूं। पिछले कुछ समय से कुछ बातें मुझे भ्रमित कर रही हैं। आपको मालूम है कि विमान यात्रा शुरू होने से ही हम यथासम्भव क्षेत्रों तक इस सुविधा का विस्तार करने का विस्तार कर रहे हैं। हम इसके लिए सरकार और निगम के आभारी हैं। किन्तु यह देखा गया है कि ऐसे विमानों को भी सेवा में रखा जा रहा है जो न-लाभ न हानि की स्थिति में भी नहीं है, जो कि उचित नहीं हैं। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि ऐसे विमानों को धीरे-धीरे हटा दिया जाना चाहिए जो हमारे अनुकूल नहीं हैं और इण्डियन एयरलाइन्स के लिए उपयुक्त विमान खरीदे जाने चाहिए। जहां तक 'वायुदूत' का सम्बन्ध है हमने देखा है कि अब तक हमें लाखों रुपये की हानि हो चुकी है। अभी तक हम यह सेवा केवल उत्तर-पूर्व के कुछ क्षेत्रों और लुधियाना में ही करा पाए हैं, अभी इस दिशा में बहुत कुछ करना शेष है। अभी भी इस क्षेत्र में हम बहुत हानि उठा चुके हैं।

मैं जानना चाहता हूं कि कम दूरी के लिए सही विमानों का चयन करने के लिए नियुक्त की गई समिति का क्या हुआ ? इस विषय में अभी तक कोई निर्णय अभी तक क्यों नहीं लिया

गया ? वायुदूत अभी भी इण्डियन एयरलाइन्स से विमान क्यों ले रहा है जिनका संचालन बहुत खर्चीला है जबकि इन विमानों के लिए हम अधिक राशि दे रहे हैं, और इन विमानों में बहुत ही कीमती ईंधन की खपत होती है ? अतः मेरा सुझाव है कि उस समिति को अपनी सिफारिशें शीघ्र देने के लिए कहा जाना चाहिए और सरकार को इन मांगों के लिए उपयुक्त विमानों की खरीद करने के लिए कुछ करना चाहिए ।

आज कल विमान यात्रा बहुत मंहगी हो गयी है। जब मैंने श्री नामग्याल के भाषण को सुना तो मैं कुछ असमंजस में पड़ गया । उन्होंने कहा, "जब कोई यात्री बेसवारी रह जाता है, तो पांच-तारा होटलों में उसके आवास की व्यवस्था की जाती है । मुझे पता है कि विमान कर्मीदल के लिए तीन या पाँच तारा होटलों में आवास की व्यवस्था की जाती है । यह सही है । परन्तु हमारे जैसा निर्धन देश यह व्यय क्यों वहन करे ? क्या हम ऐसे कुछ खर्चों को कम नहीं कर सकते ताकि किरायों में कमी की जा सके ? वास्तव में यही बात आपको बताना चाहता हूं ।

अभी उस दिन श्री नरसिम्हा रेड्डी ने भोजन के विषय में एक प्रश्न उठाया था । उन्होंने पूछा था, कृपया बताएं कि क्या भोजन किसी गैर-सरकारी ठेकेदार से खरीदा जाता हैं या पर्यटन निगम के किसी होटल से।" उन्होंने कहा था, "भोजन किसी ठेकेदार से खरीदा जाता है ।" इस बारे में एक और प्रश्न था । इसके लिए कितनी राशि दी जाती है । मुझे बताया है कि निरामिष और सामिष दोनों प्रकार के भोजन के लिए हमेशा 30-35 रुपये से अधिक देना पड़ता है । मैं नहीं जानता कि इसके लिए इतनी अधिक राशि क्यों दी जाए । यदि यह राशि कम हो तो मुझे खुशी होगी । यदि आप किसी भी प्रकार इसे कम कर सकें तो मुझे खुशी होगी। यदि नहीं तो भगवान के लिए किराये न बढ़ायें ।

किराये के लिए हम साढ़े बारह प्रतिशत अतिरिक्त राशि दे रहे हैं, यह राशि हमें अखरती है । अधिकांश लोगों के लिए जो किसी स्थान विशेष पर समय पर पहुंचना चाहते हैं, यह कठिन हो गया है । मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह यह सुनिश्चित करे कि ऊपरी खर्चों को यथासम्भव कम किया जाए । कम खर्चे पर चल सकने वाले उपयुक्त विमानों का इस्तेमाल किया जाए । यह एक विशाल देश है । हमें विमानों की आवश्यकता है और अधिकांश क्षेत्रों में ये सेवाएं उपलब्ध कराई जानी चाहिए ।

मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वे इस विषय में विचार करें और कुछ करें । मैं यह विधेयक पेश करने के लिए पुनः उन्हें मुबारकबाद देता हूं ।

श्री अमल दत्त (डायमंड हारबर) । महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य वायुयान अधिनियम में संशोधन करना है ताकि कुछ शक्तियां जो मूल अधिनियम में अधिकारियों को प्रदान नहीं की गई थी, अब उन्हें दे दी जाएं । यही इस विधेयक का उद्देश्य है । अनाधिकार रूप से इस प्रकार और शक्तियां प्रदान किए जाने के प्रश्न की जांच सरकार द्वारा अपनाई गई नीति के परिप्रेक्ष्य में की जानी चाहिए । सही नीति को जाने बिना, यह कहना कठिन है कि क्या यह ठीक है अथवा गलत है सरकार ने यह घोषणा नहीं की है कि भारत में महानगरों और ऐसे स्थानों के बीच विमान सम्पर्क

को बढ़ाने के सम्बन्ध में कोई संगत है जहाँ थोड़े समय में सड़क या रेल मार्गों से साधारणतया पहुंचना सम्भव नहीं है। सरकार ने कतिपय अन्य क्षेत्रों में कुछ नीतियों की घोषणा की है। उदाहरणार्थ, उद्योग के विषय में, वे काफी समय से अनेक नीतियों का जिक्र करते रहे हैं कि पिछड़े जिलों को कुछ प्राथमिकता दी जाएगी मुझे नहीं पता कि उनका कार्यान्वियन कहां तक हुआ है कि पिछड़े जिलों को कुछ प्राथमिक्ता दी जाएगी। इस सरकार की यह नीति रही है जैसा कि किसी अन्य सरकार की नीति थी कि भारत के सभी क्षेत्रों का समान विकास होना चाहिए ताकि विकसित क्षेत्रों को प्राथमिकता न दी जाये बल्कि पिछड़े स्थानों को प्राथमिकता मिले। यही मानी गई औद्योगिक नीति है यद्यपि व्यवहार में यह इस प्रकार कार्यान्वित नहीं किया जाता। हमने हाल ही में देखा है कि पिछड़े क्षेत्रों की औद्योगिकीकरण करने के नाम पर कतिपय हल्कों को भारी निवेश के लिए चुना गया है। लेकिन विमान यात्रा के मामले में, सरकार ने ऐसी कोई नीति घोषित नहीं की है। वायुदूत सेवा शुरू करते समय सरकार ने कहा था कि अब महत्वपूर्ण जिला शहरों को महानगरों के साथ जोड़ा जाएगा परन्तु उनकी तथा कथित नीति के कार्यान्वन से विदित है कि ऐसा भारत के सभी क्षेत्रों में न करके केवल कुछ के क्षेत्रों में ही किया गया है। विशेषतौर पर पूर्वी क्षेत्र की बहुत अधिक उपेक्षा की गई है। हम कतिपय सेवाएं शुरू करने की मांग करते रहे हैं उदाहरणार्थ कलकत्ता को मालदा से जोड़ने के लिए और कुछ अन्य स्थानों बकुंरा, पुरुलिया आदि से जोड़ने के लिए। ये सभी क्षेत्र दुर्गम हैं। यद्यपि वे क्षेत्र बहुत दूर नहीं हैं, परन्तु वर्तमान परिवहन व्यवस्था बहुत बुरी है। यदि सर्कुलर विमान मार्ग सेवा शुरू की जाये तो वास्तव में कतिपय औद्योगिक केन्द्रों को परस्पर जोड़ा जा सकता है परन्तु सरकार ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार निरन्तर यह मांग करती रही है। यह न केवल पश्चिम बंगाल के शहरों को जोड़ने के बारे में है बल्कि बिहार और उड़ीसा के औद्योगिक क्षेत्रों से इन शहरों को जोड़ने के बारे में है परन्तु इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। किसी प्रकार से जब, कभी भी किसी रूट का विस्तार करने या नया रूट शुरू करने के बारे में निर्णय लिया जाता है, पूर्वी भारत को भुला दिया जाता है। सरकार कलकत्ता में एक विशाल हवाई अड्डा बना कर इसके बारे में भूल गई है। यह पहला हवाई अड्डा था जिसे बनाया तथा पूरा किया गया था। कलकत्ता हवाई अड्डा अत्यन्त विकट स्थिति में है और अब यह सरकार के लिए एक सफेद हाथी बन चुका है, क्योंकि कलकत्ता हवाई अड्डे से बहुत ही कम उड़ानें होती हैं। सरकार ने अपने उत्तर में कहा है कि वहां पर्याप्त यातायात नहीं है। लेकिन फिर आप पिछड़े क्षेत्रों का विकास क्यों कर रहे हैं? किस कीमत पर? पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर उससे कहीं अधिक व्यय होता है जितना किसी महानगर में जो पहले ही विकसित है, एक उद्योग लगाने पर होता है। सरकार ऐसा राष्ट्रीय एकता के उद्देश्य से कर रही है। यद्यपि इस पर बहुत अधिक लागत आती है तथापि लोगों को वायु-परिवहन सेवा सुविधायें अवश्य उपलब्ध होनी चाहिए। यदि ये सेवायें किसी को भी उपलब्ध नहीं है तो मैं यह नहीं कहूंगा कि आप कलकत्ता को बंकुना से पुरुलिया या मालदा से जोड़ने के लिए शुरू करें। परन्तु यदि भारत के दूसरे कुछ क्षेत्रों में ये सुविधायें प्राप्त हैं तो इस भाग में क्यों नहीं? अतः मैं यह कहूंगा कि सरकार की कोई नीति नहीं है। यदि उनकी कोई नीति है तो वे उसका कार्यान्वयन पक्षपात पूर्ण ढ़ंग से कर रहे हैं और निश्चित रूप से पूर्वी क्षेत्र के साथ पक्षपात किया जा रहा है।

जहां तक एयरंरेंज के कार्यकरण का सम्बन्ध है, इस विषय में ये सभी शक्तियां टेरिफ विनियमों की व्यवस्था की गई हैं। वे किसी न किसी प्रकार से भी टेरिफ को विनियमित करते रहे हैं। यह कोई बिल्कुल नई शक्ति नहीं है। उन्होंने क्या किया है ? विमान भाड़ा अधिक है। पिछले लगभग 2 वर्षों में इनमें अनेक बार संशोधन किए हैं। उदाहरण के तौर पर दिल्ली से कलकत्ता का किराया जो 2 वर्ष पूर्व 500/रुपये था अब बढ़ कर 900/रुपये हो गया है। परन्तु क्या हुआ है ? दिल्ली से रात को 11.00 बजे कलकत्ता पहुंचने वाले यात्री बेसवारी हो जाते हैं। उन्हें हवाई अड्डे से शहर जाने के लिये कोई परिवहन नहीं मिलता आपने ऐसा क्यों किया है ? सरकार ने अन्धाधुन्ध पश्चिमी देशों की नकल की है जहां प्रत्येक व्यक्ति को सवारी उपलब्ध हैं। वहां प्रत्येक व्यक्ति के पास कार है या किसी न किसी प्रकार की अन्य सवारी है या वहां रात्रि बस सेवाएं उपलब्ध हैं। हमारे पास कुछ भी नहीं है और फिर भी हमारी सरकार अन्धाधुन्धा पश्चिमी देशों का अनुकरण कर रही है। हवाई अड्डे और शहर के सभी परिवहन साधन समाप्त कर दीजिए। लोग स्वयं प्रबन्ध कर लेंगे। हो सकता है कि किसी स्थान पर पहुंचने के लिए हजारों रुपये खर्च करके भी वे शहर के मध्य तक पहुंचने में समर्थ न हों वे बीच में अटक जाते हैं। जब आप बार-बार किराए बढ़ा सकते हैं तो आप इस बात को दृष्टिगत क्यों नहीं रखते ? आप कहते हैं कि आपने इतना लाभ कमाया है, इन्डियन एयरलाइन्स ने लाभ कमाया है, एयर इन्डिया ने लाभ कमाया ने। कल ही समाचार पत्रों में यह थी कि एयरइन्डिया ने 50 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। बहुत अच्छा। परन्तु वे अपने यात्रियों को हवाई अड्डे से शहर तक क्यों नहीं ले जा सकते ? उन्हें यह सुविधा प्राप्त होनी चाहिए। आपको यह भी अनुभव होगा कि हवाई-अड्डे पहुंचने वाले लोगों को यह मालूम नहीं होता कि विमान कब चलेगा। कब उतरेगा। उन्हें बताया जाता है कि इसमें देरी है परन्तु कितनी देरी है यह कोई नहीं जानता। पहले उन्हें बताया जाता है आधा घंटा देरी, फिर एक घंटा, पश्चात 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे और इसका कारण नहीं बताया जाता। वे मात्र कह देते हैं कि चालन संबंधी कठिनाई से विलम्ब हुआ है। किस प्रकार की चालन संबंधी कठिनाई ? हो सकता है शायद पायलट न आया हो या विमान परिचारिकायें न आई हों। मैं अपना एक अनुभव सुनाता हूं। एक बार मैं कलकत्ता हवाईअड्डे से पोर्ट ब्लेयर जा रहा था और निर्धारित उड़ान नहीं हुई। एक विशेष विमान चलाला गया और मुझे 3 घंटे प्रतीक्षा करनी पड़ी। इसी बीच, पूछने पर मुझे ज्ञात हुआ कि विमान न उड़ने का कारण यह था कि विमान-परिचारिकायें नहीं आई थीं और इसे चालन सम्बन्धी कठिनाई के रूप में घोषित किया गया था।

सभापति महोदय (श्री एन० के० शेजवलकर) : हम चाय देंगे।

श्री अमल दत्त : वास्तव में बात यह नहीं है। यदि लोगों ने इतना पैसा खर्च किया है, वे विमान से जा रहे हैं, उन्हें यह बताया जाना चाहिये कि विलम्ब का क्या कारण है। इसके अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं होनी चाहिए ? यह कोई चालन सम्बन्धी कठिनाई नहीं है। वैकल्पिक कर्मचारियों की व्यवस्था न रखना प्रबन्ध की असफलता है, न कि मशीनरी चालू नहीं हो रही है या विमान में कोई खराबी है। ये बेरहमी से लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं जिसकी क्षतिपूर्ति आप नहीं कर सकते। इसलिए ऐसा खण्ड कोई होना चाहिए जिससे सरकार द्वारा देय

हर्जाने को सीमित किया जाये। शायद विलम्ब के लिए कोई हर्जाने का खण्ड नहीं है इसलिए सरकार इससे छूट जाती है। दूसरे देशों में वे इस प्रकार छूट नहीं जाते।

दूसरी बात किराया ढांचा है। आप बहुत अधिक लाभ कमा रहे हैं। आप किस आधार पर यह लाभ कमा रहे हैं? आप जो यह लाभ कमा रहे हैं क्या वह इसलिए है कि पूर्ण क्षमतानुसार विमान सेवायें चला रहे हैं, अथवा यात्रियों से अत्यधिक किराया लेने के कारण है। क्या आप लाभ कम किराया ढांचे से कमा रहे हैं अथवा उच्च किराये से। इस स्थिति में लाभ कमाना जबकि आपका एकाधिकार है संगठन की कार्यकुशलता का सूचक नहीं है। यदि प्रतियोगिता हो तो तब तो यह बात मेरी समझ में आजाती। आपका कोई प्रतियोगी ही नहीं है। एयर इन्डिया का भी कोई प्रतियोगी नहीं है क्योंकि विदेश जा रहे भारतीयों पर इसका अधिकार है। इसलिए प्रतियोगिता के बिना जब आप लाभ कमा रहे हैं तो आपको यह भी दर्शाना चाहिए कि आप वास्तव में निम्नतम किराया में लक्ष्य से अधिक यात्रियों को ले जा रहे हैं। हमें अन्तराष्ट्रीय मानकों की बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम किसी को अन्तराष्ट्रीय मानकों से भुगतान नहीं करते हैं।

लोगों के किसी नियत स्थान पर पहुंचने के समय की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। उदाहरणार्थ कलकत्ता,-बम्बई, दिल्ली-मद्रास नामक 'सुनहरी तिकोन' है। ये ऐसे शहर हैं जहां लोगों को किसी कार्य या कारोबार के सिलसिले में जाना होता है। आम-तौर पर इस यात्रा की जरूरत न होती, किन्तु हमारी प्रणाली में अत्यधिक केन्द्रीकरण होने के कारण बहुत से लोगों को अधिकतर अधिकारियों अथवा व्यापारियों को केन्द्र की ओर जाना पड़ता है और अपना कार्य करने के पश्चात वे वापस आते हैं। यही कारण है कि इन मार्गों पर अधिकतर उडानें भरी रहती हैं। अधिकतर यात्रा कुछ सरकारी कर्मचारियों अथवा व्यापारियों द्वारा की जाती हैं। उन्हें सत्ता शक्ति के केन्द्र में आना पड़ता है और इसके बाद वापस जाते हैं क्योंकि सब कुछ केन्द्र में करने पड़ते हैं यहां तक कि अल्प-विराम और पूर्ण विराम में परिवर्तन भी दिल्ली आकर ही किया जा सकता है। यही कारण है कि विमान सेवाओं के पास इन मार्गों पर यात्री हैं। अन्यथा उनके पास इतने यात्री न होते।

तब भी समय निर्धारण की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जबकि लोगों के लिए यहां आकर वापस जाना सुविधाजनक है जिसका परिणाम यह होता है कि उन्हें इन स्थानों पर रात को रुकने के लिये मजबूर होना पड़ता है। आपने इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की है। एक ओर तो सरकार कहती है कि आप इन लोगों के पांच सितारा होटल के व्यय का भुगतान नहीं कर सकती और यह कि यदि आप इसका भुगतान कर भी देते हैं तो आप इसे करो में से कम नहीं कर सकते, दूसरी ओर आपके उड़ान समय इस प्रकार के हैं कि उन्हें एक रात के लिए पांच सितारा में रहना पड़ता है, इसका कोई विकल्प नहीं है।

ये कुछ ऐसी बातें हैं जिनकी ओर मन्त्रालय को अवश्य ध्यान देना चाहिए। यदि उन्हें हवाई सेवा बनाये रखनी है, तो उनके पास एक उचित नीति होनी चाहिए। एक ऐसे देश में हवाई सेवा के पक्ष में नहीं जहां कि हम इसे वहन नहीं कर सकते। किन्तु बुनियादी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट ढांचे और शक्ति के केन्द्रीयकरण के कारण हम हवाई सेवाओं को छोड़ नहीं

सकते । अतः जब हमें इसे करना ही है तो हमें यात्री सुविधाओं की उचित देखभाल करनी चाहिए ताकि लोगों को प्रतीक्षा न करनी पड़े और लोग अपने-अपने स्थानों पर उचित समय पर पहुंच सकें और वे रास्ते में कहीं पर न रूकें । इन सब समस्याओं के लिए बैठकर, सोच-समझकर दिमाग लगाने की जरूरत है, न कि राजनीतिक दबाब में आकर कुछ किया जाये अथवा यह सोचकर कि, "मैं जानता हूं कि श्रेष्ठ क्या है, अतः मैं जो श्रेष्ठ होगा वह करूंगा ।"सरकार की यह धारणा नहीं होनी चाहिए ।

इस शर्त के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री खुर्शीद आलम खां : महोदय, मैं उन सभी माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस बहस में भाग लिया है तथा कुछ अतिमूल्यवान सुझाव दिए हैं । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि माननीय सदस्यों द्वारा दिए गए सुझावों पर उचित विचार किया जायेगा और हम यथासम्भव उनकी जरूरतों को पूरा करने का प्रयास करेंगे । सबसे पहले मैं यह उल्लेख करना चाहता हूं कि यह हमारी हार्दिक इच्छा और प्रयास है कि हम यात्रियों को सभी सुविधाएं प्रदान करें और किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई पैदा करने की हमारी कोई मंशा नहीं है चाहे वह शहरी केन्द्रों और पत्तनों के बीच सड़क परिवहन सम्बन्धी कठिनाई हो अथवा विलम्ब के मामलों में हो । ठीक समय पर उड़ान सुनिश्चित करने के सभी प्रयास किए जाते हैं । किन्तु कभी-कभी, जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा, विलम्ब हो जाता है जिसका कारण हमारे नियन्त्रण में नहीं होता । कुछ परिणामिक विलम्ब भी होते हैं इनके कारण वे असुविधायें हो जाती हैं जिनका हवाला माननीय सदस्यों ने किया है ।

श्री मधुकर ने कहा है कि माननीय सदस्यों के लिए सुरक्षा जांच में ढील दी जानी चाहिए, मैं इसको समझता हूं । हमारे माननीय सदस्यों को कोई असुविधा नहीं पहुंचायी जानी चाहिए । वास्तव में, एक बार तो मैं सोच रहा था कि हम अपने माननीय सदस्यों को और छूटें दें जबकि वे अपने परिचय-पत्रों के साथ यात्रा करते हैं । वे बिना जांच के बाहर जा सकते हैं । किन्तु कठिनाई पर है कि हमें विधायकों तथा अन्य विधान मण्डलों के सदस्यों के बारे में भी विचार करना है । फिर भी, मैंने इन्हें नोट कर कर लिया है और हम यह सुनिचिश्त करना चाहेंगे कि जांच करते समय कोई अनुचित प्रतिबन्ध अथवा कठिनाई न होने पाये । इसी कारण हमने सारी व्यवस्था का मशीनीकरण करने का प्रयास भी किया है । हमारे पास हस्त चलित शरीर की जांच करने के उपकरण हैं । कर्मचारियों को जांच करते समय हाथों द्वारा उनके सारे शरीर को छूना नहीं पड़ता । इससे यह सुनिश्चित किया जाता है कि लोगों को असुविधा न हो ।

अब मैं भाषायी समाचार-पत्रों पर आता हूं । ऐसे अनुदेश है कि भाषायी समाचार-पत्र प्रदान किए जायें । मैं एक बार फिर सुनिश्चित करूंगा कि सभी भाषायी सभाचार-पत्र प्रदान प्रदान किए जायें । यह हमारी नीति है और यदि इस ओर से कोई चूक हुई है तो इसे तुरन्त सुधारा जायेगा ।

श्री नामग्याल ने लेह विमानपत्तन का उल्लेख किया है । मैं उन्हें आश्वासन देता हूं कि हम इस ओर ध्यान दे रहे हैं । विलम्ब राज्य के लोक निर्माण विभाग की ओर से है । अब भी,

जबकि उन्होंने लागत अनुमान बढ़ा दिया है, हमने उसे स्वीकार कर लिया है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास कर रहे हैं कि टर्मिनल भवन इस वर्ष के अन्त से पहले प्रयोग के लिए तैयार हो जाये। हम यह भी सुनिश्चित करेंगे कि जैसे ही यह टर्मिनल भवन तैयार हो जाये वहां आवश्यक सुरक्षा और अन्य सुविधायें दी जायें।

मैं इस सुझाव से सहमत नही हूं कि केवल अधिकारी वर्ग ही किराया ढांचा तैयार करता है किराया ढांचे में मुख्य बात ईंधन की लागत होती है। ईंधन लागत इस समय 45 प्रतिशत है। जैसाकि माननीय सदस्य जानते हैं कि यह लागत समय-समय पर बढ़ती रही है और तदनुसार हमारे लिए संचालन लागत बढ़ाना बहुत जरूरी होता रहा है।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

यह केवल हमारे ही मामले में नहीं हुआ है यह सम्पूर्ण विश्व में हो रहा है कि विमान सेवाओं की संचालन लागत ईंधन की लागत के कारण बढ़ रही हैं। ईंधन लागत से हम भी प्रभावित होते हैं। जब कभी जरूरी होता है हम इस पहलू पर विचार करके किराया बढ़ाते हैं।

मैं इस शिकायत की जाँच करूंगा कि लेह सेवा में नाश्ता व खाना सप्लाई नहीं किया जाता। निश्चय ही इस मामले में ऐसा किया जाना चाहिए। माननीय सदस्य द्वारा विमान-पत्तन अधिकारी के बारे में जो कुछ कहा है मैं निश्चय ही उसकी जांच करूंगा। विमान-पत्तन अधिकारी को हमेशा वहाँ उपलब्ध रहना चाहिए ताकि वह यात्रियों से मिलकर उनकी कठिनाइयाँ सुने और उन्हें दूर करे अथवा उनकी पूछ-ताछ का उत्तर दे।

माननीय श्री गिरधारी लाल व्यास जी ने कहा है कि महानिदेशक नागर विमानन आम लोगों की जरूरतों की ओर ध्यान नही देते। मैंने अभी-अभी कहा है आम लोगों की जरूरतों पर हमेशा ध्यान दिया जाता है। किन्तु कुछ प्रतिबन्ध कुछ कठिनाईयां और कुछ समस्यायें होती हैं। लागत में वृद्धि तथा ईंधन की लागत में वृद्धि किराये के बढ़ने के लिए उत्तरदायी हैं। आम तौर पर हमें ऐसा मजबूरी में करना पड़ता है। संचालन लागत को पूरा करने का और कोई रास्ता नहीं है। यदि हम ऐसा नही करेंगे तो निगम अपनी सेवाएं घाटे पर चलायेगा और कोई भी निगम अपनी सेवाएं लम्बे समय तक घाटे में नहीं चला सकता।

यह भी सत्य है कि इन्डियन एयर लाइन ने लाभ कमाया है। किन्तु इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यह लाभ इसके एकाधिकार के कारण ही नहीं हुआ है क्योंकि एकाधिकार पहले भी था किन्तु ऐसा इस कारण से हुआ कि इस बात की ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है कि बेकार खर्च से बचा जाये। ऐसे सभी ऊपरी-खर्चों और बेकार के खर्चों को जिससे बचा जा सकता है कम करने के बारे में प्रबन्धक निरन्तर ध्यान दे रहे हैं।

माननीय सदस्यों द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि पक्षियों का टकराना एक बड़ी भारी समस्या बन गई है। मैं उनसे सहमत हूं कि यह एक बहुत ही आपत्तिजनक बात है और हमें इसके बारे में काफी चिन्ता है। लेकिन यह बात निश्चित है कि यह ऐसा मामला है जिसमें

हम बहुत ही कम कर सकते हैं, सिवाए इसके कि हम यह सुनिश्चित करने के लिए हर सम्भव तरीके आजमा रहे हैं कि हमारे हवाई अड्डों के 5 से 7 किलोमीटर के व्यासार्ध के भीतर पक्षियों को न जाने दिया जाय। लेकिन कुछ हवाई अड्डे ऐसे स्थानों पर बनाए गये हैं जहां पर लोग बसे हुए हैं और रह रहे हैं। वे कभी-कभी खाना अथवा मरे हुए जानवरों को बाहर फैंक देते हैं और पक्षी विशेष रूप से गीध और अन्य पक्षी वहां आ जाते हैं और वायुयानों के लिए काफी खतरा पैदा कर देते हैं। हम इस समस्या के बारे में काफी सचेत हैं और हम यह सुनिश्चित करने के लिए सभी सम्भव उपाय कर रहे हैं कि यदि इसे पूर्णतया समाप्त नहीं किया जाता है तो इस समस्या को कम से कम कर दिया जाए।

मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य महोदय ने इण्डियन एयरलान्स के कर्मचारियों के विरुद्ध जो कतिमय आरोप लगाए हैं उनके बारे में उनका क्या अनुभव है। यदि विशिष्ट रूप से कोई आरोप है तो मैं निश्चित रूप से उनकी जांच करना चाहूंगा और आवश्यक कार्यवाही करूंगा। लेकिन कर्मचारियों के विरुद्ध गम्भीर आरोप लगान, मैं नहीं समझता कि मैं उस किस्म के आरोप की जांच कर पाऊंगा क्योंकि आखिरकार वे भी कठिन परिस्थितियों में अपना कर्त्तव्य निभा रहे हैं और हमें उनकी और विशेष रूप से ध्यान देना पड़ता है। किसी भी मामले में जब कभी अपना कर्त्तब्य निभाने में असमर्थ रहे हैं अथवा उनके ऊपर कोई विशिष्ट आरोप लगाया जाता है तो हम उन्हें कभी नहीं छोड़ेंगे।

जहां तक उपयुक्तता के प्रश्न का सम्बन्ध है सभी हवाई अड्डो को सभी किस्म के वायुयानों के लिए उपयुक्त नहीं बनाया जा सकता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि किस किस्म के वायुयान की आवश्यकता पड़ती है और कितना यातायात होता है जिसे विशेष किस्म के वायुयानों द्वारा बताया जा सकता है। जयपुर के प्रश्न के बारे में हम पहले ही मामले की जांच कर रहे हैं और जयपुर के विमान क्षेत्र को एयर बसों के चलाने के योग्य बनाया जा रहा है।

मैं अपने वायुयानों में सप्लाई किये जा रहे खाने के बारे में भी बताना चाहूंगा। यह धारणा कि खाना केवल ठेकेदारों से ही ले लिया जाता है पूरी तरह से सही नहीं है। अधिकांश स्थानों पर सरकारी क्षेत्र के उपक्रम यह खाना सप्लाई कर रहे हैं और ऐसे स्थानों पर जहां सरकारी क्षेत्र के लिए खाना सप्लाई करने की कोई व्यवस्था नहीं है तब हमें अन्य गैर-सरकारी स्रोतों से खाना लेना पड़ता है। मैं सदन को यह भी सूचित करना चाहता हूं कि अधिकांश स्थानों पर खाना सप्लाई करने के दो स्रोत होते हैं। यदि किसी एक स्रोत से खाना लेने में कोई कठिनाई होती है अथवा सप्लाई संतोषजनक नहीं होती है तो दूसरे स्रोत से खाना प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि अन्य देशों में अधिकांश देशीय एयरलाइन्स हमारी तरह खाना सप्लाई नहीं करती हैं। हमने खाने की मात्रा को भी 445 ग्राम से बढ़कर 500 ग्राम कर कर दिया है। हमने मिष्ठान के स्थान पर आईसक्रीम देना शुरू कर दिया है जिसकी की काफी अधिक प्रशंसा की गई है।

वायुदूत के बारे में मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए ही वायुदूत का विचार बनाया गया था। वास्तव में पूर्वोत्तर क्षेत्र में हमने

पहली बार यह सेवा चालू की थी। आज वायुदूत 19 स्थानों के लिए सेवा प्रदान कर रहा है। 19 स्थानों में से 2 स्थान पर अस्थायी रूप से कमीशन से बाहर हैं। 17 स्थानों को वायुदूत से जोड़ दिया गया है। मैं माननीय सदस्य श्री अमल दत्त की इस बात से पूर्णतया सहमत हूं कि यह वायुयान सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त वायुयान के चयन करने के बारे में विचार करने वाली समिति की बैठक हो रही है और यह समिति शीघ्र ही यह फैसला करेगी कि कौन से विमानों की इस प्रयोजन के लिए आवश्यकता होगी मुझे विश्वास है कि उस विमान के साथ हमारे लिए यह सुनिश्चित करना सम्भव हो सकेगा कि इनमें से अधिकांश सेवाएं सक्षम हों।

जहां तक नागर विमानन के महा निदेशक का सम्बन्ध है, वह पहले ही भाड़े संबंधी ढांचे को स्वीकृत तथा अस्वीकृत करने की शक्ति का प्रयोग कर रहे थे। समिति की तरफ से केवल यही सुझाव दिया गया था कि इस शक्ति का प्रयोग मुख्य अधिनियम के अन्तर्गत किया जाना चाहिए। अतएव, उस आवश्यकता को पूरी करने के लिए इस संशोधन को लाया गया है।

इन शब्दों के साथ मैं सभी माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दिलाता हूं कि एयर इंड़िया और इंडियन एयरलाईन्स हर सम्भव तरीके से यात्रियों को अच्छी से अच्छी सेवा प्रदान करते रहेंगे और वे यथासम्भव ज्यादा से ज्यादा सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करते रहेंगे।

श्री अजीत कुमार शाह (विष्णु पुर) : कलकत्ता उड़ान का क्या हुआ ? उसके समय बड़े खराब हैं।

श्री खुर्शीद आलम खां : हमारी समस्या केवल यह है कि सीमित वायुयानों से सभी क्षेत्रों में सभी आवश्यकताओं को पूरी करना बहुत ही कठिन है। लेकिन हम समय सारिणी को अंतिम रूप देते समय हमेशा यह सुनिश्चित करते हैं कि माननीय सदस्यों तथा हमारे मन्त्रियों को कम से कम असुविधा हो।

इन शब्दों के साथ मैं उन माननीय सदस्यों का, जिन्होंने इस वाद-विवाद में अपना मूल्यवान सहयोग दिया एक बार फिर धन्यवाद करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि वायुयान अधिनियम, 1934 में और संशोधन करने वाले, राज्य सभा द्वारा यथा-पारित, विधेयक पर विचार किया जाए"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 और 3 विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 और 3 विधेयक में जोड़ दिये गये । खण्ड 1, अधिनियम सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये

श्री खुर्शीद आलम खां : मैं प्रस्ताव रखता हूं कि :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

आसाम के सम्बन्ध में वक्तव्य

उपाध्यक्ष महोदय : ग्रह मन्त्री एक वक्तव्य देगें ।

महोदय, सदन को याद होगा कि मैंने 14 मार्च, 1983 को असम के सम्बन्ध में एक विस्तृत वक्तव्य दिया था, जिसके बाद विचार-विमर्श हुआ और उसके अन्त में मैंने विचार-विमर्श के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों का उत्तर दिया था ।

उस समय राज्य सरकार द्वारा असम दंगाग्रस्त क्षेत्र अधिनियम 1955 और सशास्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 के अधीन 58 पुलिस स्टेशन दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये थे । तब से राज्य सरकार द्वारा 16 और पुलिस स्टेशन दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषित किये गये हैं ।

छुट-पुट घटनाओं को छोड़कर जो यदाकदा होती रही, विधि व व्यवस्था की स्थिति में सुधार के निश्चित संकेत मिले हैं । राज्य सरकार, जिसने अब तक प्राप्त सूचना के आधार पर सूचित किया था, के अनुसार 14 और 17 मार्च 1983 के बीच हत्या के 2 मामले, हत्या करने के प्रयास का एक मामला, सरकारी कर्मचारी पर आक्रमण का एक मामला, मकानों को आग लगाने के 5 मामले और पुलों को आग लगाने के 2 मामले हुए हैं । इस अवधि के दौरान चार बम विस्फोट हुए हैं ।

हत्या के दो मामलों में एक मामला मुख्य मन्त्री के भतीजे से सम्बन्धित था, जिसको कालेज से लौटते समय तिनसुखिया में छुरा मार कर हत्या कर दी गई थी ।

बाद में 18-3-1983 को अखिल असम, छात्र संघ/अखिल असम, गणसंग्राम परिषद ने 21-3-1983 को प्रातः 5 बजे से 24 घंटे के "पूर्ण असहयोग" करने का आह्वान किया जो हाल में गठित विधान सभा के अधिवेशन का पहला दिन भी था । अखिल असम संघ छात्र संघ/अखिल असम गणसंग्राम परिषद के नेताओं द्वारा अनेक उत्तेजक भाषण दिये जाने और काफी आपत्तिजनक इस्तिहार निकालने की भी सूचना है । 18 से 20 मार्च, 1983 तक की अवधि के दौरान हिंसक घटनाओं विशेषतः बम विस्फोट साम्प्रादायिक स्वरूप के झगड़ों में मौतें और आग-जनी द्वारा मकानों को नष्ट करने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई जिसके परिणामस्वरूप 30 हत्याएं 8 बम विस्फोट और 800 से अधिक मकानों को आग लगा दी गई ।

दारंग जिले में लगातार कई गंभीर घटनाएं हुई। राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार 17 मार्च को एक व्यक्ति जो अपनी बहन और तीन भतीजों के साथ था को जब दारंग जिले में पानपुर में एक फैरी में बैठने के लिए गए तो उन्हें 10/15 लड़को द्वारा एक देशी नाव में बैठने के लिए मजबूर किया गया। बीच धार में लड़कों ने उस व्यक्ति के एक भतीजे की बताया जाता है, हत्या कर दी। जबकि उस व्यक्ति ने नदी में छलांग लगाई और बच गया परन्तु जीवित बचने वाले अन्य तीन व्यक्ति लापता हैं और संदेह किया जाता है कि उनकी हत्या कर दी गई है। उक्त घटना के परिणामस्वरूप 19 मार्च को घातक हथियारों से लैस कुछ व्यक्तियों ने पानपुर में पानपुर-सिलघाट फैरी के यात्रियों पर आक्रमण कर दिया। चार व्यक्तियों की हत्या कर दी गई जबकि अन्य कई जख्मी हो गए। बताया जाता है कि पाँच यात्री अभी लापता हैं। उनको खोज निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं। सिलघाट-पानपुर फैरी के यात्रियों पर हमले के परिणामस्वरूप 20 मार्च, 1983 को एक भारी भीड़ ने ललतापुर गाँव के निवासियों पर हमला कर दिया और लगभग 800 मकानों को आग लगा दी। गाँव में 16 शव बरामद हुए। पुलिस तथा सेना की कुमुक तुरन्त प्रभावित क्षेत्र में गई। मृतकों में एक व्यक्ति तेजपुर अखिल असम छात्र संघ की यूनिट का जिला अध्यक्ष था।

18 और 19 मार्च, को गोहाटी शहर के भिन्न-भिन्न स्थानों पर 5 बम विस्फोट हुए। यह स्पष्ट रूप से कार्यालय जाने वाले कर्मचारियों को डराने तथा अखिल असम छात्रसंघ/अखिल असम गणसंग्राम परिषद द्वारा 21 मार्च को पूर्ण असहयोग के लिए किये गए आहवान का पालन करने का नोटिस देने के इरादे से था। जब गोलपाड़ा जिले में बोगईगाँव में मुद्रणालय, जिसका मालिक पिछले चुनाव में कांग्रेस (आई) का उम्मीदवार था, में एक बम विस्फोट हुआ, तो 9 व्यक्ति जख्मी हुए। 19 मार्च की रात्रि में बोगई गाँव-जोगीपाड़ा बी० जी० लाइन पर कुइया रेलवे पुल के पास एक बम विस्फोट हुआ, जिसके कारण एक स्लीपर के एक छोटे से हिस्से को नुकसान पहुंचा। 18/19 मार्च, की रात्रि में उदलगुड़ी के निकट रेलवे ट्रैक पर अरूणाचल एक्सप्रैस निकल जाने के तत्काल बाद एक दूसरा बम विस्फोट हुआ, जिसके कारण रेलवे लाइन को मामूली क्षति हुई। 18 मार्च की रात्रि को तेजपुर में एक सिनेमा घर के अन्दर इंटरवल के दौरान एक विस्फोट हुआ। 19 मार्च को तेजपुर में एक दूसरे सिनेमा घर में हस्तनिर्मित बिना फटा एक बम मिला। इसी प्रकार 18/19 मार्च की रात्रि को दीपू में डी० एम० ओ० के कार्यालय में एक बम फटा। 19 मार्च को दीपू, डाकघर में लैटरबाक्स में बिना फटा एक बम मिला।

इस बीच हाल के दंगों के कारण उजड़े हुए व्यक्तियों को राहत और फिर से बसाने के कार्य तेजी से किये जा रहे हैं। उपलब्ध सूचना के अनुसार, राज्य सरकार द्वारा स्थापित 226 कैम्पों में इस समय 284206 व्यक्ति रह रहे हैं। 25 हजार से अधिक व्यक्ति अपने गांवों को लौट गये हैं। अपने गांवों को लौटने वाले लोगों को सुरक्षा के लिए 137 पुलिस टुकड़ियां तैयार की गई हैं, खाद्य सामग्री तथा दवाइयां पर्याप्त मात्रा में हैं और उनकी किसी कमी की खबर नहीं मिली है, राज्य सरकार ने शिविरों के लिए कपड़े कम्बल, तिरपाल आदि वस्तुयें भी दी हैं। किसी महामारी के बारे में सूचना नहीं मिली है। अतिसार के कुछ मामले जो कुछ शिविरों से सूचित सूचित किए गए थे को भी नियंत्रित कर लिया गया है। पूर्ण पुनर्वास के एक भाग के रूप में निःशुल्क बीज वितरण की मात्रा को 5 किलोग्राम प्रति बीघा से बढ़ाकर 10 किलोग्राम प्रति बीघा

करने का निर्णय किया गया है बशर्ते कि यह प्रति परिवार 20 कि० ग्राम से अधिक न हो। राज्य को मिट्टी के तेल का मासिक आवंटन 12,000 किलो लीटर से बढ़कर 14000 कि.ली. कर दिया गया है सरकार ने जनवरी और फरवरी, 1983 के लिए चावल गेहूं तथा कंट्रोल की चीनी जिनको वे दंगों के कारण नहीं उठा सके थे के आवंटन की वैधता को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार के अनुरोध को मान लिया है। बंद और जनता कर्फ्यू आदि की रुकावट के बावजूद राज्य सरकार के मंत्री राहत कार्यों की देखभाल करने के लिए राहत शिविरों का दौरा करने में सक्रिय रहे हैं।

हाल ही में गठित विधान सभा का बजट सत्र 21-3-1983 को गोहाटी में शुरू हुआ।

राज्य सरकार शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने और हाल के दंगों से प्रभावित व्यक्तियों की सहायता करने और उनका पुनर्वास करने पर पूरा ध्यान देती रही है। जबकि आमतौर पर विधि व व्यवस्था की स्थिति में सुधार के निश्चित संकेत नजर आ रहे थे, असहयोग कार्यक्रम के आह्वान से स्थिति बिगड़नी थी। इसके अतिरिक्त अत्यधिक बम विस्फोट से सरकारी कर्मचारियों और आम जनता को डराने के असफल प्रयास किए गए हालांकि राज्य सरकार स्थिति पर नियंत्रण रखने और सामान्य करने के लिए सभी कदम उठा रही है, फिर भी असममें समाज के सभी वर्गों को सामान्य स्थिति लाने के लिए सरकार के साथ सहयोग करना चाहिए और कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे इन प्रयासों में कोई बाधा आए। केन्द्रीय सरकार सामान्य स्थिति बहाल करने और प्रभावित लोगों के पुनर्वास के इस महान कार्य में राज्य सरकार के साथ पूर्ण सहयोग करती रहेगी और आवश्यक सहायता देती रहेगी।

गुट निरपेक्ष देशों के सम्बन्ध में राष्ट्राध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन के बारे में प्रस्ताव

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम अगली मद के बारे में विचार करेंगे।

श्री कमल नाथ।

श्री कमल नाथ (छिन्दवाड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं...

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : इस विषय पर चर्चा हेतु कितना समय रखा गया है ?

उपाध्यक्ष महोदय : दो घन्टे।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : इस शिष्टमण्डल में सफलतापूर्वक अपना नाम शामिल करवाने के लिए श्री कमल नाथ को बधाई दी जानी चाहिए।

श्री कमल नाथ : पहले हम इस प्रस्ताव को पारित करेंगे तत्पश्चात मैं इस संशोधन को स्वीकार कर लूंगा।

महोदय, मद संख्या 24 के अन्तर्गत मैं प्रस्ताव पेश करता हूं :

"यह सभा इस बात पर सन्तोष व्यक्त करती है और गर्व अनुभव करती है कि हाल ही में

नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष के राष्ट्राध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है। नई दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन से गुट निरपेक्ष समुदाय की एकता को बल मिला है तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका सुदृढ़ हुई है।

यह सभा भारत से अनुरोध करती है कि यह राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों और विभिन्न प्रतिनिधिमन्डलों के नेताओं का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति तथा अपने सक्रिय योगदान द्वारा इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाया है, इस सभा की ओर से धन्यवाद करे तथा इसकी सराहना करे। यह सभा भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के कार्य तथा सभाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किये गए नेतृत्व की भी सराहना करती है।

भारत को इस आन्दोलन की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सभा का विश्वास है कि हमारा देश साम्राज्यवाद विरोधी तथा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की आत्म-निर्भरता की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप इस उत्तरदायित्व को निभाने में सफल होगा।

यह सभा शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई घोषणा तथा "नई दिल्ली का संदेश" का स्वागत करती है, जिसमें परमाणु अस्त्रों का निर्माण तथा संग्रह को समाप्त करने का उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच बातचीत आरम्भ करने के लिए अधिक सार्थक प्रयत्न करने, दक्षिण-दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की अपील की गई है तथा यह सभा विश्वास करती है कि इनके द्वारा उन सब के हाथ मजबूत हुए हैं, जो स्वाधीनता, शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के समर्थक हैं।"

इस प्रस्ताव को पेश करते हुए मैं कुछ शब्द कहना चाहूंगा।

लगभग तीन वर्ष पूर्व लोक सभा में आने के बाद मैंने कभी यह नहीं सोचा था कि अपने पहले ही कार्यमास के दौरान मुझे ऐसे प्रस्ताव को पेश करने तथा एक ऐसे विषय पर बोलने का अवसर मिलेगा, जिससे हमें ऐसे गौरव, सन्तोष तथा कार्यपूर्ण करने की दिल्ली खुशी मिलेगी जोकि सभी राजनैतिक दलों के सदस्यों के द्वारा अनुभव की जायेगी। 5 मार्च को सभा स्थगित होने के बाद 14 मार्च को पुनः एकत्र होने पर हम ऐसे देश के विधायकों के रूप में मिले थे जिसकी प्रतिष्ठा में बहुत अधिक वृद्धि हुई थी। सम्पूर्ण विश्व हमारी ओर देख रहा है—मैं ऐसा अपनी पार्टी-सत्तारुढ़ पक्ष के सदस्य के रूप में नहीं अपितु एक ऐसे भारतीय के रूप में कह रहा हूं जोकि चेतन तथा गौरवान्वित है। हमारे चाहे जो भी मतभेद रहे हों, हम भारतीय पहले हैं तथा राजनैतिक दलों के सदस्य तथा राजनीतिज्ञ बाद में है। भारतीय के रूप में हम सातवें निर्गुट सम्मेलन के सफल संचालन द्वारा देश को प्राप्त हुई अत्यधिक अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा तथा उपलब्धियों को नजर अन्दाज नहीं कर सकते। सातवें निर्गुट सम्मेलन, जिसमें भारतीय शिष्टमंडल के एक सदस्य के रूप में निर्वाचित होने का गौरव मुझे मिला था, सामयिक इतिहास पर अपनी व्यापकता तथा सदस्य संख्या के कारण निश्चय ही अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। इस भाग लेने वाले मानवता जैसे विविध प्रकृति के व्यक्ति थे जो एक ही छत के नीचे सभी भाषाओं, धर्मों, मानवजातीय दलों तथा विचारधाराओं के प्रतिनिधिकरते थे। कम से कम मेरी याददाश्त के अनुसार किसी भी अन्य अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में एक ही समय में इतने अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने शायद ही एक साथ

भाग लिया हो। विशेषरूप से यह बात उल्लेखनीय है कि यह सब उस देश की राजधानी में हुआ जो कि विकासशील तथा गरीब है। समस्त निर्गुट देशों में से कोई भी देश भारतवर्ष जैसा नहीं है। यद्यपि इसमें अमीर तथा बड़े-बड़े देश भी है परन्तु कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपनी गुट-निरपेक्षता असन्दिग्ध नैतिक शक्ति तथा तटस्थता के कारण भारतवर्ष के समान विश्वव्यापी प्यार आकृष्ट करता हो। हमारे स्वर्गीय प्रधान मंत्री, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा हमारे देश की गुठ-निरपेक्षा के बारे में दिए गए दिशा निर्देशों तथा हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा अपनाई गई नीतियों की सराहना इसलिए की जाती है क्योंकि हमने महाशक्तियों के गुट से अलग रहने का रास्ता सैनिक दृष्टिकोण के कारण नहीं अपितु सिद्धान्तों के आधार पर अपनाया है। 1963 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के बारे में चर्चा पर बोलते हुए राज्य सभा में कहा था—मैं उद्धृत कर रहा हूं :

> "गुट निरपेक्षता का अर्थ है कि हम किसी सैनिक खेमे में शामिल न हों। गुट निरपेक्षता से हमें कार्य करने की आजादी मिलती है जो कि हमारे अनुसार हमारी स्वतन्त्रता का एक भाग है।"

विश्व के अनेक देशों के अनुसार भारतवर्ष अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गौरवशाली अस्तित्व तथा ईमानदारी की मिसाल के रूपमें एक आदर्श राष्ट्र है क्योंकि यह न केवल गुट निरपेक्ष है अपितु यह किसी भी गुट में उलझा हुआ नहीं है। आज हम रंग-भेद के विरुद्ध संघर्ष तथा अफ्रीका में स्वाधीनता के लिए संघर्ष, लातिन अमरीका में निरन्तर संघर्षों, मध्य-पूर्व में फिलस्तीनियों के लिए अपने देश की खोज तथा एशिया में दमन काल से गुजर रहे हैं और इसीलिए गुट-निरपेक्ष आन्दोलन और भी महत्वपूर्ण हो गया है। कोई भी देश अन्य देशों से असम्पृक्त नहीं है तथा न ही असम्बद्ध रह सकता है। वस्तुतः आज के विश्व में किसी भी परिस्थिति, समस्या, संघर्ष संकट से असम्बद्ध नहीं रहा जा सकता। आज हम सब परस्पर एक-दूसरे पर निर्भर हैं। अर्थव्यवस्था तथा निर्धनता के कारण संसार का विद्यमान राजनीतिक एवं सामाजिक ढांचा अस्त-व्यस्त हो सकता है जिससे ऐसी समस्तायें पैदा होंगी जिनका प्रभाव समूची मानव जाति पर पड़ेगा। इन समस्याओं के समाधान अन्तर्राष्ट्रीय रूप ले रहे हैं और हमें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन को इसी दृष्टि से देखना होगा आज हमें इसे विश्वव्यापी अवधारणा के दृष्टिकोंण से देखना होगा।

हमें लोगों तथा राष्ट्रों के बीच आपसी समझ बूझ, वचनबद्धता तथा एकता स्थापित करनी है। परन्तु यह किस प्रकार की जा सकती है। यह तभी हो सकता है जब एक समान विचारों तथा हितों वाले राष्ट्रों की एक साथ बैठकें हों तथा यही बात निर्गुट आन्दोलन का आधार है।

निर्गुट आन्दोलन में वे राष्ट्र हैं जो विकसित राष्ट्रों की ऐसी गुटवाजी से अलग हैं जो यह समझते हैं कि उनके पास न केवल गरीबी अपितु मानवता को भी समाप्त करने की शक्ति है।

आर्थिक स्थिरता तथा उत्थान राजनीतिक स्थिरता तथा विकास का एक अत्यन्त महत्वपूर्ण अंग है। यह आश्चर्य की बात है पर सच्चाई भी है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थायें दूसरे महायुद्ध के अन्त में स्थापित हुई थीं और उनके नियम आदि वैसे ही चल रहे हैं जबकि अनेक राज्य स्वतन्त्र हो चुके हैं तथा परिस्थितियां बदल चुकी हैं। नई दिल्ली के

निर्गुट सम्मेलन में समृद्ध एवं निर्धन देशों के बीच विचार और निर्धन देशों के आपसी सहयोग के लिए आह्वान् किया गया जिससे एक नई आर्थिक व्यवस्था बन सके जो कि दो-तिहाई से अधिक की जन-संख्या की आवश्यकता है । आज सभी अन्तर्राष्ट्रीय एजेंसियां पश्चिमी देशों के नियंत्रण में हैं कोई भी ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय एजेंसी नहीं है जिसमें गुटनिर्पेक्ष देशों की आवाज को महत्व दिया जाए। गुटनिर्पेक्ष देशों को ही नई व्यवस्था लानी है विनिमय दर, रिजर्व प्रणाली, भुगतान सन्तुलन प्रणाली आदि में सुधार द्वारा अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक प्रणाली हेतु अधिक व्यापक आधार के नेतृत्व के लिए इसकी शुरूआत नई दिल्ली सम्मेलन में की है । अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक क्षेत्र में यह आश्चर्यजनक है कि प्रतिवर्स शस्त्रों के लिए 650 विलियम अमरीकी डालर की राशि का निवेश किया जा रहा है तथा 1990 तक यह राशि बढ़कर 1.5 ट्रिलियन अमरीकी डालर हो जाएगी । इसका अर्थ यह होगा कि 20 वर्षों में शस्त्रों पर कुल 15 ट्रिलियन अमरीकी डालर की राशि खर्च होगी जोकि इस पृथ्वी की विकास सम्बन्धी आवश्यकताओं का 60 प्रतिशत से भी अधिक है । अर्थात आगामी 3 वर्षों में भारत को न केवल एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था तथा राजनीतिक व्यवस्था, के लिए अपितु एक नये नीतिशास्त्र के लिये भी आह्वान करना पड़ेगा। सम्मेलन में हमारी प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये अपने भाषण में उनकी प्राथमिकताओं की स्पष्ट झलक मिलती है ।

यह दुःख की बात है परन्तु यह सच है कि आज विश्व में 160 राष्ट्रों में से 46 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय विवादों में तथा अन्य 52 छोटे मोटे विवादों में उलझे हुए हैं । परन्तु दिल्ली के गुट-निर्पेक्ष सम्मेलन ने निश्चित रूप से अन्तर्राष्ट्रीय संबंधों के नये युग की शुरूआत की है क्योंकि भूत-काल में संयुक्त राष्ट्र में कभी भी इतना संगठित तथा शक्तिशाली ग्रुप नहीं दृष्टिगोचर हुआ । अगले तीन वर्षों के लिए भारत तथा श्रीमती गाँधी द्वारा इसकी अध्यक्षता के कारण भारत ने विश्व चेतना का नेतृत्व संभाला है । भारत के प्रति यह नया अन्तर्राष्ट्रीय विश्वास वस्तुतः राष्ट्र के लिए गर्व का विषय है ।

आज भी मेरे कानों में विभिन्न राष्ट्राध्यक्षों तथा शास्नाध्यक्षों के शब्द—चाहे वे गुयाना या ग्रेनेडा, क्यूबा या केपवर्ड, पी. एल. ओ. या स्वावो जाम्बिया या युगोस्लाविया, किसी भी देश के हों—अभी भी गूंज रहे हैं जो उन्होंने भारतीय जनता हमारी संस्कृति तथा गत 100 वर्षों के दौरान साम्राज्यवाद, रंगभेद, अन्याय तथा शोषण के विरुद्ध हमारे देश की भूमिका के बारे में कहे थे । नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में यद्वपि राजनीतिक रूप से, आर्थिक रूप से और विचारों की दृष्टि से भिन्न प्रकार के देशों ने भाग लिया परन्तु नई दिल्ली की घोषणा, आर्थिक संकल्प एवं राजनैतिक संकल्प में वे बातें आड़ें नहीं आने दी गयीं जिसके लिए हम इस सम्मेलन में भाग लेने वालों के आभारी हैं ।

यहां मुझे यह याद आता है कि जब एक जटिल प्रश्न पर विचार-विमर्श चल रहा था तब एक राष्ट्राअध्यक्ष ने मुझे बताया कि नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में कोई भिन्नता या विवाद नहीं आना चाहिए और कि इसको सफल बनाने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ रहें । उन्होंने जो कुछ भी कहा वह संसार के दो-तिहाई देशों के नेताओं का मत है । संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि विश्व के दो तिहाई भाग में हमारे देश को बहुत सम्मान से देखा जाता है ।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने गुटसिरपेक्ष देशों में एकता बढ़ाई है तथा उनकी अन्त राष्ट्रीय भूमिका को बढ़ावा दिया है हम भारतीयों को एक और सफलता मिली है कि हमारी

प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी को मानव जाति की प्रमुख नेता तथा संसार की ऐसी नेता के रूप में स्वीकार किया गया जो स्थानीय विरोध से ऊपर उठकर मानव जाति को निर्देश दे सकती हैं। यदि हमारी प्रधान मंत्री के व्यक्तित्व में चमत्कार न होता तो इतने अधिक राष्ट्राध्यक्ष व शासनाध्यक्ष कदापि यहां न आते और इससे निःसदेह यह साबित हो जाता है कि भार की छवि हमारी प्रधान मंत्री श्रीमती गांधी से जुड़ी हुई है दोनों एक दूसरे के पूरक तथा एक दूसरे पर निर्भर हैं। इससे इस तक की भी पुष्टि हो जाती है कि इस समय विश्व को नेहरू टीटो और श्रीमती गांधी जैसे व्यक्तियों की आवश्यकता है न जो केवल नैतिक बल और मानव जाति के प्रति सहानुभूति के ही प्रतीक है वरन जिन्हें जनता के मत का समर्थन प्राप्त होने के कारण स्थामित्व के भी प्रतीक हैं। विश्व इतिहास के ऐसे कठिन समय में जब कि देश दो विपरीत दिशाओं को खींचा तानी में फंसे हैं हमारी प्रधान मंत्री द्वारा आन्दोलन का नेतृत्व संभालने से आन्दोलन को बहुत बल मिला है। जब उन्होंने यह कहा कि वह आन्दोलन को फिर से सही रास्ते पर लाएंगी तो यह स्पष्ट था कि उनका तात्पर्य उसी रास्ते से है जिस पर चलकर शांति की त्रिमूर्ति-नेहरू टीटो और नासर विश्वसनीयता के उच्चतम शिखिर पर पहुंचे थे। यह तीनों नेता आज हमारे बीच नहीं हैं परन्तु आज उनकी आत्मा का इस पीढ़ी के एक नए विश्व नेता द्वारा पुनरुद्धार किया गया मुझे याद है शिखर सम्मेलन के दौरान एक राष्ट्राध्यक्ष ने दूर से श्रीमती गांधी की ओर देखते हुए मुझे बताया गया था कि :

> "आज से तीन वर्ष पूर्व जब हम गुट-निरपेक्ष देशों के शिखर सम्मेलन के लिए मिलेगें तो हो सकता है कि इसमें से बहुत यहां नहीं, परन्तु एक महिला अवश्य यहां रहेगी"

थोड़ा रुककर उन्होंने यह कहा कि वह हमेशा सत्ता में रहेगी "ताकत के बल पर नहीं वरन इसलिए कि उनकी जनता उन्हें वहां रखेगी।" राष्ट्राध्यक्ष के इस विचार से यह स्पष्ट हो जाता है कि विश्व में श्रीमती गाँधी के प्रशंसक क्यों हैं। इस समय विश्व में ऐसे नेता भी हैं जिन्होंने खून की नदियां वहा कर सत्ता प्राप्त की है या जो अपनी ही जनता द्वारा एकदम चुने जाते हैं। और एकदम ही हटा दिये जाते हैं। जैसाकि राष्ट्राध्यक्ष ने कहा कि "श्रीमती गाँधी को देखकर मुझे बहुत बल मिलता है, क्योंकि जनता उनके पीछे है।"

श्रीमती इंदिरा गांधी केवल एक राजनैतिक दल की ही अध्यक्ष नहीं हैं— वह सरकारी पक्ष तथा विपक्ष दोनों की प्रधान मन्त्री भी हैं चाहे वह संसद में हो या राज्य विधान सभा में। हमारे देश की जो प्रतिष्ठा है वह है हमारी प्रधान मन्त्री की प्रतिष्ठा से सम्बद्ध हैं तथा इस वास्तविकता को कम नहीं किया जा सकता और न ही किया जाना चाहिए। इसलिए चाहे हम सरकार के पक्ष में हो या विपक्ष में हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि साम्राज्यवादी विरोधी की ओर आत्मनिर्भरता के हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की सर्वोत्तण परम्पराओं के अनुसार हमारा देश गुट-निरपेक्ष आन्दोलन-की अध्यक्षता का दायित्व निभा सके। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने अपने विचार-विमर्शों को सफलता पूर्वक पूरा किया तथा श्रीमती इंदिरा गाँधी की अध्यक्षता में विभिन्न शासनाध्यक्षों राष्ट्राध्यक्षों और विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों के नेताओं की उपस्थिति और योगदान ने विश्व के विचारकों विधायकों और लोगों को कुछ करने के लिए मजबूर और तत्पर कर दिया। सातवें गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन जैसी महत्वपूर्ण घटना से ही तत्परत की भावना पैदा हुई। यह शिखर

सम्मेलन विभिन्न मूल्यों, विभिन्न सामाजिक मूल्यों और विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन था परन्तु सबको मानव जाति के भविष्य की चिन्ता थी। यह हमारे देश का सौभाग्य है कि हमारा देश भी इस प्रकार की भावनाओं में शामिल था। इन शब्दों के साथ मैं प्रस्ताव पेश करता हू।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन् (बडागरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में—

पैरा 2 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये—

"यह सभा गुट निरपेक्ष आन्दोलन में निवर्तमान अध्यक्ष, फीडल केस्ट्रो द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व और अन्य महानुभावों सहित फिलिस्तीनी मुक्ति संगठन के प्रतिनिधि मंडल के श्री यासिर अराफत और राष्ट्रपति नेरेरे द्वारा नई दिल्ली शिखर सम्मेलन को सफल बनाने के लिए दिये—विशिष्ट योगदान की भी हार्दिक प्रशंसा करती है।" (1)

कि प्रस्ताव में,—

पैरा 3 में,-

"की आत्म-निर्भरता" के स्थान पर "के लक्ष्यों" प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

कि प्रस्ताव में,-

पैरा 4 में,-

"निरस्त्रीकरण तथा" के पश्चात् "स्वावलम्बी" अन्तः स्थापित किया जाये। (3)

श्री रामवातार शास्त्री (पटना) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में,-

पैरा 1 में,-

"करती है कि" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये।

"साम्राज्यवादी शक्तियों और उनके एजेन्टों द्वारा फूट डालने के लिए जानबूझकर किए गए प्रयासों के बावजूद" (4)

कि प्रस्ताव में,-

पैरा 3 में,-

"साम्राज्यवाद विरोधी" के पश्चात् "नव-उपनिवेशवाद-विरोधी और रंगभेद नीति विरोधी अन्तः स्थापित किया जाये। (6)

श्री कमला मिश्र मधुकर (मोती हारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में,-

पैरा 4 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाये -

"कि यह सभा आग्रह करती है कि 'नई दिल्ली का सन्देश' जिसमें विश्व शांति, साम्राज्यवादियों द्वारा सीमित परमाणु युद्ध की धमकी के प्रति विरोध, नव उपनिवेशवाद के प्रति विरोध, हिन्द महासागर को शांति-क्षेत्र बनाये रखने संबंधी घोषणा, सभी शक्तियों द्वारा नयी आर्थिक व्यवस्था' और विश्व शांति को मान्यता का उल्लेख है, का विश्वव्यापी प्रचार किया जाये, ताकि नई दिल्ली का सन्देश' भारत की 70 करोड़ जनता की अन्तरात्मा की आवाज बन सके और यह जन-चेतना युद्ध-समर्थक ताकतों को परास्त करने में सक्रिय योगदान दे सके तथा विश्व शांति के लिए कार्य कर रही सभी ताकतें संगठित हों सकें।" (7)

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में,

पैरा 2 से 4 'के स्थान पर' निम्नलिखित

'प्रतिस्स्थापित किया जाए',

"यह सभा गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन के संचालन पर, जिसे अल्पकालिक सूचना पर नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, सन्तोष व्यक्त करती है।

तथापि, यह सभा खेद व्यक्त करती है कि इस सम्मेलन में भाग लेने वाले राष्ट्रों का स्पष्ट

रूप से यह मांग करने के लिए बहुमत प्राप्त नहीं किया जा सका कि अफगानिस्तान से रूस की सेनाएं और कम्पूचिया से वियतनाम की सेनाए वापस बुला ली जाएं।

ऐसा करने में असफल रहने के कारण यह सभा महसूस करती है कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन की गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के वास्तविक संघ के रूप में विश्वसनीयता को क्षति पहुंची है।"

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

कि प्रस्ताव में,—

(एक) पैरा 2 में,—

"यह सभा भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के कार्य तथा सभाध्यक्ष श्रीमति इन्दिरा गांधी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की भी सराहना करती है" 'का लोप किया जाए।'

(दो) पैरा 3 ,के स्थान पर' निम्नलिखित 'प्रतिस्थापित किया जाए',

"सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन के मेजबान देश के रूप में, भारत, जो अपनी परम्पराओं के प्रति सचमुच निष्ठावान है, सातवें शिखर सम्मेलन का श्रेय स्वयं अपने लिए लेने के बदले नम्रता का रवैया अपनाना अधिक पसन्द करेगा और उन सभी विकासशील राष्ट्रों को, जिन्होंने इस गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन में भाग लिया और शांति तथा राष्ट्रों की स्वतन्त्रता व समानता पर आधारित नई विश्व व्यवस्था का निर्माण करने की अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया, मुबारकबाद देना चाहेगा।"

श्री राम जेठमलानी (बम्बई, उत्तर-पश्चिम) : मैं प्रस्ताव करता हूं : कि प्रस्ताव में,

पैरा 2 से 4 'के स्थान पर' निम्नलिखित 'प्रतिस्थापित किया जाये' :

"यह सभा इस बात पर सन्तोष व्यक्त करती है कि गुट-निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों अथवा उनके प्रतिनिधियों का सातवां सम्मेलन हमारी राजधानी, नई दिल्ली में हुआ। यह सभा हमारे प्रतिष्ठित मेहमानों के लिए तथा सम्मेलन की बैठकों और सत्रों को आयोजित करने के लिए की गई दक्षतापूर्वक तथा ध्यानपूर्वक व्यवस्था की सराहना करती है। यह सभा हमारे देश में आये उन विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के प्रति आभार व्यक्त करती है। जिन्होंने सम्मेलन में उपस्थित होकर उसे महत्व और गौरव प्रदान किया।

चूंकि भारत को आन्दोलन का सभापतित्व करने की जिम्मेवारी सौंपी गई है, इसलिए यह सभा आशा करती है कि आन्दोलन का विकास उसके मूल प्रयोजनों और सिद्धान्तों के अनुसार ही होगा। इसे पूरा करना इस देश की भारी जिम्मेवारी होगी।

यह सभा शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई घोषणा तथा "नई दिल्ली सन्देश" का स्वागत करती है, जिसमें परमाणु शस्त्रों के निर्माण तथा संग्रह को समाप्त करने, उत्तर तथा दक्षिण के देशों के बीच बातचीत आरम्भ करने हेतु अधिक सार्थक प्रयत्न करने, दक्षिण-दक्षिण देशों के बीच सहयोग बढ़ाने तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने के लिए कहा गया है।"

प्रो० अजित कुमार मेहता (समस्तीपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में,

पैरा 1 से 3 'के स्थान पर' निम्नलिखित 'प्रतिस्थापित किया जाए' :

"यह सभा नोट करती है कि नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के राष्ट्रों-

ध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन की कार्यवाही गुट-निरपेक्ष विश्व की ज्वलन्त समस्याओं का समाधान किए बिना ही समाप्त हो गई है।

यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं को, जिन्होंने सम्मेलन में उपस्थित होकर तथा अपना योगदान देकर सम्मेलन को सफल बनाया है, का धन्यवाद करे और उनकी सराहना करे।"

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि प्रस्ताव में,

पैरा 1 से 3 'के स्थान पर' निम्नलिखित 'प्रतिस्थापित किया जाए' :

"यह सभा सम्मेलन की कार्यवाही को ऐतिहासिक सफलता प्रदान करने, साम्राज्यवाद विरोधी तथा नव-उपनिवेशवाद विरोधी प्रेरणादायक परम्पराओं जिनकी स्थापना करने का गौरव हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन के नेताओं अर्थात महात्मा गांधी, नेहरू, कृष्ण मेनन तथा अन्य नेताओं को प्राप्त है, में दृढ़ विश्वास करने के लिए विकासशील देशों के गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के नेताओं के प्रयासों के प्रति आभार व्यक्त करती है और उनकी सराहना करती है।"

निवर्तमान अध्यक्ष, प्रेजीडेंट केस्ट्रो ने एशिया, अफ्रीका और लेटिन अमरीका में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता आन्दोलनों को समर्थन देकर इस आन्दोलन को सार्थक बनाया है। हम विश्वास करते हैं कि भारत की प्रधानमन्त्री सभाध्यक्ष, श्रीमति इन्दिरा गांधी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की प्रतिष्ठा को बढ़ाने और नेहरू, टीटो, नासिर और केस्ट्रो आदि इस आन्दोलन के नेताओं द्वारा स्थापित परम्पराओं को बनाए रखने तथा सामूहिक आत्म-निर्भरता को वास्तविक रूप देने की दिशा में ठोस प्रयास करने हेतु पूर्ण उत्साह और विश्वास के साथ कार्य करेंगी। अपने-अपने देश की आत्म निर्भरता : बिना सामूहिक आत्म-निर्भरता केवल प्रचार मात्र बन कर रह जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय : इस प्रस्ताव के लिए 2 घन्टे नियत किए गए हैं और दोनों पक्षों से ही 20 वक्ताओं ने अपने नाम दिए हैं, मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रत्येक को कितना समय दिया जाए।

श्री कमलनाथ : मुझे भी उत्तर देने का अधिकार है···

(व्यवधान)

श्री एम. सत्यनारायण राव (करीम नगर) : प्रत्येक को दस मिनट दीजिए।

कुछ माननीय सदस्य : सत्ताधारी दल के सदस्यों को पांच मिनट और विरोधी पक्ष के प्रत्येक सदस्य को पन्द्रह मिनट दिए जाएं।

उपाध्यक्ष महोदय : हम यदि प्रत्येक वक्ता को दस मिनट भी देना चाहें तो भी सभा को 9.30 बजे तक बैठना होगा।

श्री चक्रवर्ती।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस समयानुसूची का सख्ती से पालन न करें क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण मामला है। हालांकि मैं बहुत संक्षेप में केवल अपने मुद्दे पर ही बोलूंगा फिर भी आप मुझे टोकिएगा नहीं।

राज्याध्यक्षों और सरकारों का यह सातवां गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन केवल भारतीय

दृष्टिकोण से ही नहीं वरन् विकासशील अन्य देशों के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है और समग्र मानवजाति के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। महोदय, यह केवल इसीलिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि सैकड़ों देशों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग नहीं लिया था बल्कि इसीलिए महत्वपूर्ण है कि ये वे देश हैं जिन्होंने पश्चिमी साम्राज्यवाद से टक्कर ली थी और पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने चार शताब्दियों तक बड़ी बेरहमी से इनका शोषण किया और अत्याचार किया था। महोदय, इस शिखर सम्मेलन में हमने देखा कि जिन लाखों लोगों का शोषण किया गया था जिन्हें राजनैतिक दृष्टि से अधीन रखा गया था, अब उनके प्रतिनिधि विश्वराजनीति में आगे आ रहे हैं और ससम्मान समानता से जीने के अपने अधिकार के लिए दावा कर रहे हैं और अपने को विकसित देशों के समान माने जाने के अपने अधिकार के लिए भी दावा कर रहे हैं। महोदय, खुशी की बात तो यह है कि यह सम्मेलन गुट-निरपेक्ष देशों की एकता को बनाए रखने में सफल हुआ है। गुट-निरपेक्ष देशों की एकता बनाए रखना अत्यन्त महत्वपूर्ण है जब पश्चिमी साम्राज्यवादियों ने खासतौर से जबकि स्वयं अमरीका ने इस आन्दोलन में अड़चनें डालने की अत्यन्त स्पष्ट कोशिश की है। महोदय, हवाना शिखर सम्मेलन के आरोपन से पहले संयुक्त राज्य अमरीका ने वस्तुतः इस शिखर सम्मेलन के खिलाफ प्रचार किए थे और कुछ सदस्यों को क्यूबा, वियतनाम और अन्य समाजवादी देशों के खिलाफ बोलने के लिए बोलने और खड़े होने के लिए भड़काया गया था। वे यह आशंका भी जता रहे थे कि इस शिखर सम्मेलन में फीदेल कास्त्रों के अध्यक्ष बन जाने पर एक खास तरह की विचारधारा का प्रभाव हो जाएगा। किन्तु छठे शिखर सम्मेलन में एकता बनाई रखी गई, गुट-निरपेक्षता की परम्परा बनाई रखी गई इससे अमरीका को बहुत निराशा हुई। और यू. एस. न्यूज एण्ड वर्ल्ड रिपोर्ट जैसे पत्र के सितम्बर, 79 के अंक में इस सम्मेलन की सफलता का विवरण अमरीका भारी पराजय के रूप में दिया गया था क्योंकि वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को आमूल परिवर्तन की दिशा में नहीं मोड़ सका था। संयुक्त राज्य अमरीका शुरू से ही गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों की एकता के खिलाफ काम करने की कोशिश रही है। जान फास्टर डलेस ने गुटनिरपेक्षा को अनैतिक माना है और वह कहता है : यदि आप हमारे साथ नहीं हैं, तो हमारे खिलाफ ही हैं, और यहां तक कि अमरीकी सीनेट के कुछ सदस्यों ने पंडित नेहरू को साम्यवादी कहा था क्योंकि वे गुट-निरपेक्षता के प्रजेता थे, क्योंकि अमरीकी नजरों में अन्य विकासशील देशों का कोई भी व्यक्ति यदि अपने देश को प्यार करे और लोगों की ओर से बोले तो देश साम्यवादी ही है क्योंकि आधारभूत रूप से गुट-निरपेक्ष देश के लोगों ने पश्चिमी और पश्चिमी शासन के विरुद्ध संघर्ष किया था। किन्तु महोदय, संयुक्त राज्य अमरीका ने छठे दशक से ही अपना रवैया बदल लिया था। अब वे गुट-निरपेक्षता से दिखावटी सहानुभूति रखते हैं और हमें चेतावनी देते हैं कि यह बिलकुल अतिवादी है अर्थात् साम्राज्यवाद विरोधी और जाति भेद विरोधी है।

साम्राज्यवादियों और दुर्भाग्यवश गुट-निरपेक्ष आंदोलन के कुछ सदस्यों जो इससे पहले संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तर्गत अर्थात् सीएटो (सी. ई. ए. टी. ओ) और सेन्टो (सी. ई. एन टी. ओ.) के सैनिक गठबंधन के सदस्य थे, के माध्यम से तथा कुछ ऐसे देशों, जो संयुक्त राज्य अमरीका की विदेशी नीति के पूरी तरह समर्थक हैं—के माध्यम से यह प्रयास किया गया कि इस आंदोलन में बाधाएं डाली जाएं और साम्राज्य-वाद विरोधी रवैये को कमजोर किया जाए और अन्ततः आंदोलन को भी असफल कर दिया जाए। दिल्ली में आयोजित शिखर सम्मेलन से गुट-निरपेक्षता के शत्रु खासतौर से संयुक्त राज्य अमरीका को निराशा हुई क्योंकि उसे आशा थी और अपने प्रसार माध्यमों से उसने यह भविष्य वाणी की थी कि वहां झगड़ा होगा और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी जिससे यह आंदोलन ठप्प हो जाएगा। किन्तु आखिरकार इस शिखर-सम्मेलन ने एकमत होकर बिल्कुल सही घोषणा को स्वीकार किया जिसमें साम्राज्यवाद, जातिवाद और

विश्व की आर्थिक प्रणाली के असमानता मूलक और शोषक स्वरूप की निन्दा की गई है। एकता की भावना को वास्तविक रूप दे पाना कोई घटिया बात नहीं है क्योंकि स्वयं आंदोलन में संसदीय प्रजातन्त्र से सैनिक तानाशाही के प्रतिनिधि हैं। विचारधाराओं और लक्ष्य प्राप्ति के साधनों में अन्तर है और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि ये गुट-देश अपनी विदेश नीतियों को निर्धारित करते समय कुछ स्थानीय सीमाओं का भी ध्यान रखते हैं ; अतः उनके विदेश-नीति निर्धारणों और उनके कार्य रूप दिए जाने में अन्तर होना स्वाभाविक ही है किन्तु किस वजह से यहां आन्दोलन एकजुट है ? आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि विश्व-युद्ध की आशंका से वे एकजुट हो गए हैं। ये सभी इनमें से अधिकांश देश विश्व में शांति चाहते हैं; परमाणु युद्ध, परमाणु विध्वंश के विरोधी हैं, क्योंकि आधारभूत रूप में इन देशों का आर्थिक विकास ही अत्यावश्यक है। इन देशों के सामने मूल समस्याएं भोजन, आवास, स्वास्थ्य और विरक्षश्ता से सम्बन्धित हैं।

इन सब देशों के एकजुट होने का दूसरा कारण उनकी साम्राज्यवाद विरोधी परम्परा है। ये सब देश साम्राज्यवादी-आधिपत्य के विरुद्ध लड़े ; और आज भी विश्व में आप देखेंगे कि अल-सल्वाडोर या निकारागुआ या दक्षिण अफ्रीका या नामीबिया में लोग साम्राज्यवादी ताकतों के राजनीतिक तथा आर्थिक अधिपत्य विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरीकी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं।

दृष्टिकोण तथा आर्थिक प्रणाली में अन्तर होते हुए भी इन देशों के एकजुट होने का तीसरा कारण यह है कि आज भी इन देशों की गरीबी का कारण विकसित पश्चिमी साम्राज्यवादी देशों द्वारा शोषण जारी रखना है। उपनिवेशवाद खत्म होने का सिलसिला दूसरे विश्व युद्ध के पश्चात शुरू हुआ ; और आज कुछ देशों को छोड़कर, ये सब देश राजनीतिक तौर पर स्वतन्त्र हैं। पर पश्चिमी साम्राज्वादियों द्वारा आरम्भ की गई आर्थिक प्रणाली अभी बरकरार है और यदि यह प्रणाली, जो कि मूलतः असमतापूर्ण तथा शोषणकारी है,जिसमें विकसित पश्चिमी देश तीसरे विश्व के संसाधनों का फायदा उठा रहे हैं, यथावत बनी रही, और जब तक कोई नई आर्थिक व्यवस्था-अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था—जिस पर संयुक्त राष्ट्र सहमत हुआ, जिस पर कोलम्बो सम्मेलन में विचार-विमर्श हुआ। जिस पर हवाना सम्मेलन में भी विचार-विमर्श हुआ, जिस पर दिल्ली सम्मेलन में भी विचार-विमर्श हुआ, जब तक आर्थिक व्यवस्था की आमूल पुनर्रचना नहीं की जाती तब तक तीसरे विश्व की जनता की गरीबी, असमानता तथा कठिनाइयां कभी भी दूर नहीं की जा सकती हैं ; इसी कारण ये सब देश इस बात से सहमत हुए कि आर्थिक व्यवस्था की पुनर्रचना होनी चाहिए। अब स्थिति क्या है ? अमरीकी साम्राज्यवाद के कट्टर विरोधी फिदेल कास्त्रो के भाषण में आप देखेंगे कि तीसरे विश्व का किस प्रकार शोषण किया गया है ; वे कैसे दो तरीकों से तीसरे विश्व का शोषण कर रहे हैं ; सर्वप्रथम, वे युद्ध की स्थिति, युद्ध का खतरा, पैदा कर वे तीसरे विश्व के देशों को अपने हथियार खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं, जिसके लिए तीसरे विश्व के देश अपने संसाधन रक्षा सम्बन्धी प्रयोजनों हेतु खर्च करने पर मजबूर किए जा रहे हैं। वे इन देशों को अपने महंगे हथियार खरीदने के लिए बाध्य कर रहे हैं। शोषण का दूसरा तरीका उन वस्तुओं की कीमतें गिराना है जिन्हें हम विकसित देशों को बेचते हैं, क्योंकि आज भी इनमें से अधिकांश देश प्राथमिक उत्पादक हैं। प्रौद्योगिकी तथा रक्षा उत्पादन में उनका एकाधिपत्य होने के कारण वे हमें उनसे हथियार तथा अन्य वस्तुएं ऐसे मूल्य पर खरीदने के लिए मजबूर करने का प्रयास कर रहे हैं जो कि हमारे लिए लाभप्रद नहीं है, हम उनसे जो वस्तुएं खरीद रहे हैं, उनकी वे अधिक कीमत वसूल कर रहे हैं, अपने एकाधिपत्य के कारण वे हमें लूट सकते हैं। स्थिति ऐसी है। इसलिए, वस्तुतः उपनिवेशीकरण तो समाप्त हुआ है पर उपनिवेश वादी अर्थव्यवस्था का मूल लक्षण यथावत मौजूद है। यह भारी समस्या है, कास्त्रो ने स्पष्ट किया है कि वे हमें किस

तरह लूट रहे हैं। विकसित तथा विकासशील देशों के बीच बढ़ते हुये तथा असमान आदान-प्रदान की प्रवृत्ति जिसमें, तेल की कीमतें शामिल हैं, को उजागर करने की दृष्टि से मैं कुछ उदाहरण दे रहा हूं :—

"1960 में एक टन चीनी की बिक्री से 6·3 टन तेल की खरीद की जा सकती थी। 1982 में चीनी की इत ी ही मात्रा से 0·7 टन तेल खरीदा जा सका।

1960 में, एक टन काफी के बदले 37·3 टन उर्वरक खरीदा जा सकता था। 1982 में इतनी ही मात्रा की काफी के बदले मात्र 15·8 टन उर्वरक खरीदा जा सका।

1959 में, 6 टन पटसन के रेशे की बिक्री से हुई आय से 7-8 टन का पटसन का ट्रक खरीदा जा सकता था, 1982 के अन्त में, इतनी ही मात्रा का पटसन का ट्रक खरीदने के लिए 26 टन पटसन के रेशे की जरूरत हुई···।"

इसका क्या अर्थ है? हम उनके लिए काम कर रहे हैं। यद्यपि वे राजनीतिक तौर पर इन देशों पर शासन नहीं कर रहे हैं पर वे तीसरे विश्व के देशों को उसी तरीके से लूट रहे हैं; विश्व अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या यही है। यही दूसरा तरीका है।

अल्प-विकसित देशों पर विदेशी ऋण कितना है? यह 600 अरब डालर की सीमा को पार कर चुका है तथा 1999 तक यह लगभग 1400 अरब डालर हो जाएगा। इसलिए, हमारे ऊपर ऋण के बोझ आदि के कारण, आज क्या स्थिति हो गई है? पश्चिमी देश, साम्राज्यवादी देश सूदखोर हो गये हैं। अर्थव्यवस्था की उसी उपनिवेशी प्रणाली के आधार पर ये देश जो कुछ चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। यही बड़ा खतरा है।

दूसरी बात यह है। युद्ध पर कुल कितना वार्षिक व्यय होता है। आप यह सुन कर हैरान होंगे कि विश्व हर वर्ष 650 अरब डालर खर्च कर रहा है। इस धनराशि पर गौर करें। मानवता स्वयं के विनाश के लिए इतना खर्च कर रही है। बढ़ते हुए तनाव के संदर्भ में, शीत युद्ध की सम्भावना को प्रखर करने, सम्पूर्ण विश्व में युद्ध के खतरे को बढ़ाने, स्थानीय युद्ध को भी आणविक बनाने तथा संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रथम मारक क्षमता हासिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं;

विश्व युद्ध में जहां इस तरह की असमानता मौजूद है, मैं यह स्वीकार करूंगा कि निर्गुट सम्मेलन, मतभेदों के बावजूद सफलतापूर्वक सम्पन्न हुआ तथा खतरों एवं सम्भावनाओं को जाहिर किया गया, इसमें हिन्द महासागर में सैन्यीकरण द्वारा उत्पन्न खतरे का उल्लेख किया गया, इसमें दक्षिण अफ्रीका के जातिवादी शासन के खतरे का उल्लेख किया गया, इसमें इस बात का जिक्र किया गया कि सियोनवादियों ने संयुक्त राज्य अमेरिका की सहायता से लेबनान में कैसी स्थिति उत्पन्न कर दी है तथा किस प्रकार फिलस्तीनी मुक्ति संगठन पर आक्रमण किया गया है तथा लेबनान जैसे निर्गुट देश को नष्ट कर दिया, निकारागुआ तथा अलसल्वाडोर का भी उल्लेख किया गया जहां संयुक्त राज्य अमेरिका उन पर आधिपत्य जमाने के लिए खून की नदियां बहाकर उनके वैध तथा नैतिक अधिकारों का हनन कर रहा है। सम्मेलन में असमानता का भी ि क्र किया गया पर मेरे विचार से ऐसी सम्मेलन की कूटनीति महत्वपूर्ण तो है पर पर्याप्त नहीं है। विकासशील देश मांग कर रहे हैं कि विकसित देशों के कुल राष्ट्रीय उत्पाद का कम से कम एक प्रतिशत भाग अल्प-विकसित देशों के विकास-कार्यों पर खर्च किया जाए। यदि ऐसा किया भी जाता है तो भी समस्या हल होने वाली नहीं है। यह भी सोचना ठीक नहीं होगा कि साम्राज्यवादी देश अपने देश की अर्थव्यवस्था के ढांचे की वजह से इन देशों के विकास हेतु अपने संसाधन खर्च करने के लिए स्वेच्छापूर्वक तैयार हो जायेंगे। उनकी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है तथा इसलिए वे अन्य देशों पर खर्च नहीं कर सकते। वे अल्प-विकसित देशों के शोषण से ही सम्पन्न हो रहे हैं। इसलिये यह

आवश्यक है कि अमीर और गरीब देशों के बीच तथा गरीब देशों में परस्पर वार्ता होनी चाहिए तथा गरीब देशों की एकजुटता से विकसित देशों को बाध्य किया जाना चाहिए कि हमें सहायता नहीं बल्कि अपनी बिक्री वस्तुओं के उचित मूल्य चाहिये। हमें सहायता की जरूरत नहीं है। वे वित्तीय संस्थानों के माध्यम से सहायता देकर हमें कमजोर बना रहे हैं। हमें एकजुट होकर ही उन पर जोर डालना चाहिए कि जिमसे हम इन देशों से उचित मूल्य प्राप्त करें तथा एकजुट होकर ही हम उनके संरक्षणवाद के विरुद्ध लड़ सकते हैं।

महोदय, आप जानते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध कैसे आरम्भ हुआ, उस समय आर्थिक स्थिति क्या थी? चौथे दशक में सम्पूर्ण पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में मंदी आयी हुई थी तथा इसके फलस्वरूप दूसरा विश्व युद्ध हुआ। आज हम वही स्थिति देख रहे हैं, सम्पूर्ण पश्चिमी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई है। ज्यों-ज्यों बेरोजगारी तथा उत्पादन में हानि अधिक हो रही है त्यों-त्यों वे सम्पूर्ण विश्व को युद्ध की विभीषिका में धकेलने का अधिक प्रयास कर रहे हैं, हमें इसके विरुद्ध लड़ना है। पर मुझे खासकर अपने विदेश मन्त्री महोदय से यह कहना है कि 1981 में आपने दियागो गार्सिया का जिक्र नहीं किया क्योंकि आपने यह कहा कि 1982 में कोलम्बो में एक सम्मेलन होगा और अगर हम दियागो गार्सिया का जिक्र करते हैं तो, संयुक्त राज्य अमेरिका उसमें भाग नहीं लेगा। उस समय यह बहाना किया गया था।

इस बार भी आपने प्रत्यक्ष रूप से दियागो गार्सिया से अमरीकी अड्डे को उखाड़ फेंकने के बारे में कोई जिक्र नहीं किया तथा परोक्ष रूप से चागोस आर्किपिलागों तथा उस पर मारीशस के अधिकार का जिक्र किया है, पर विदेश मन्त्री जी आपने अपने प्रारूप में दियागो गार्सिया का जिक्र किया था पर कुछ अन्य देशों के दबाव के कारण आपने उसे छोड़ दिया। यह ठीक नहीं है। यह सही दृष्टिकोण नहीं है। मैं यह भी कहूंगा कि कुछ सदस्य निर्गुट आन्दोलन की परिभाषा को संशोधित करने का प्रयास करते हैं तथा अपने कुछ तर्कों को निरुपित कर रहे हैं तथा श्री कमल नाथ ने भी यह कहा कि निर्गुट आन्दोलन सम-दूरस्थ है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यही आपकी दल-नीति है? मैं ऐसा नहीं समझता, निर्गुट आंदोलन कभी सम-दूरस्थ नहीं होता है। निर्गुट आन्दोलन का अर्थ है, साम्राज्यवाद-विरोधी, जातिवाद-विरोधी होना तथा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना, अपना स्वतंत्र निर्णय लेने का आपका संप्रभु अधिकार है, पर यह नैतिक सिद्धान्तों से कदापि वंचित नहीं है तथा यह सम-दूरस्थ नहीं है, विशुद्ध-निर्गुट जैसी कोई वस्तु है, क्यों? क्योंकि विश्व दो गुटों में विभाजित है, विश्व राजनीति में सत्ता की दृष्टि से दोनों गुट बराबर जिम्मेदार हैं; इसलिए मैं किसी भी गुट में शामिल न होकर स्वयं को तटस्थ रखता हूं। पर मैं पूछता हूं; तथ्यों से जो प्रदर्शित होता है। अनुभवों से जो प्रदर्शित होता है, उसके आधार पर आप यह कह सकते हैं कि दुश्मनी दो महाशक्तियों के बीच है तथा सारी समस्यायें इसी कारण हैं? जी नहीं, महोदय। आप देखेंगे कि सभी निर्गुट देश पश्चिमी साम्राज्यवाद के विरुद्ध लड़े तथा उन्हें समाजवादी देशों से सब तरह की नैतिक तथा साज-समान की मदद प्राप्त हुई। इसीलिए, समाजवादी देश निर्गुट देशों को उनकी राजनीतिक स्वतन्त्रता कायम रखने, स्वतन्त्रता-संग्राम में तथा आर्थिक आत्म-निर्भरता के प्रयास में सहायता कर रहे हैं, आप सीधे यह नहीं कह सकते हैं कि "दो महाशक्तियों के बीच दुश्मनी है, मुझे कोई नहीं चुनना है," इसका अर्थ हुआ कि आप अपराधी और अपराध के विरुद्ध लड़ने वाले देश को समान समझते हैं, ऐसा नहीं किया जाना चाहिए।

हर घोषणा-पत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका का नाम लिया गया, हवाना में सं० रा० अमेरिका का नाम लिया गया, दिल्ली में सं० रा० अमेरिका का नाम लिया गया, तब, आप कैसे कह सकते हैं कि यह महाशक्तियों की दुश्मनी है?

यह गलत है। सर्वप्रथम, यह दो प्रणालियों-समाजवाद तथा पूंजीवाद के बीच संघर्ष है, दूसरा यह नव-स्वाधीन देशों तथा उनके पिछले स्वामियों, पश्चिमी देशों के बीच संघर्ष है।

इसलिए यदि इसके द्वारा इस किस्म की शक्ति की वकालत की जाती है तो गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में इसके मित्र समाजवादी देश शामिल नहीं होंगे, यह समाजवादी देशों के बिना रह जाएगा, यही सब संयुक्त राज्य अमरीका चाहता है। गुट-निरपेक्ष देशों को समाजवादी देशों के समर्थन तथा उनकी मित्रता से वंचित नहीं रखा जाना चाहिए। उस मामले में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन कमजोर पड़ जाता है; तो संयुक्त राज्य अमरीका के लिए इस आन्दोलन को छिन्न-भिन्न तथा समाप्त करना और तीसरी दुनिया पर अपना प्रभुत्व बनाना आसान होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के हित को सुदृढ़ बनाने के लिए हमें अवश्य ही विश्व शांति कायम रखने में उनके प्रयास में, शोषण के विरुद्ध उनकी लड़ाई में, हमारी सहायता करने के, उनके प्रयास में समाजवादी देशों के साथ चलना चाहिए।

महोदय, यह सदन इस संकल्प को स्वीकृत करेगा। लेकिन मुझे यह अवश्य कहना चाहिए ...(व्यवधान) । यह एक बहुत बड़ी घटना थी जिसमें सभी पक्षों की ओर से सहयोग मिला था यह सफलता एक सामूहिक सफलता है। यह सच है कि प्रधान मंत्री महोदया ने भी इसमें भाग लिया था। ऐसा कोई कारण नहीं हैं जिसकी वजह से ... (व्यवधान)। इसके भाग के रूप में, वह अध्यक्ष बन गई हैं। लेकिन उसका उपयोग केवल एक व्यक्ति के गुणगान के लिए ही नहीं किया जाना चाहिए। वैसा नहीं किया जाना चाहिए। इससे हमारे देश के बिम्ब का कम महत्व हो जाएगा। यह सभी भारतीयों, सभी राजनीतिक दलों, सभी नेताओं के लिए गौरव की बात है। किसी एक व्यक्ति का गुणगान करना गलत होगा। इससे आपको थोड़े समय के लिए राजनीतिक लाभ तो मिल जाएगा। लेकिन इससे कोई मतलब सिद्ध नहीं होगा ...(व्यवधान)। आखिरकार, यह सच है कि वह ... हैं (व्यवधान)। यह सच है कि वह अध्यक्ष बन गई हैं। हम सबको इस बात की खुशी है कि वह अध्यक्ष बन गई हैं। हम सबको इस बात की खुशी है। लेकिन तभी हमें यह भी कहना चाहिए कि श्री फाइडल कास्ट्रो निवर्तमान अध्यक्ष थे। आपको यह भी स्वीकार करना चाहिए ...(व्यवधान)। दुर्भाग्यवश, आप सामान्य तौर पर इजराइल जाते हैं, लेकिन आप वहां नहीं जाते। क्या बात है? (व्यवधान)। इसके बाद मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हमारी सबकी सफलता है, यह हमारी सबकी उपलब्धि है। हम सबके द्वारा हमारी सफलता हमारी जिम्मेदारी, हमारे दायित्वों को बराबर-बराबर बांटा जाना चाहिए ताकि जिस कार्य को हम कर रहें हैं उसे हम अच्छी तरह कर सकें।

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव पर बोलना अपना विशेष अधिकार समझता हूं। इस सदन के माध्यम से मैं हाल ही में आयोजित किए गए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने वाले सरकार के अध्यक्षों, राज्य के अध्यक्षों, प्रतिनिधियों तथा सदस्यों को बधाई देना चाहूंगा। मैं आशा करता हूं कि मुझे भारत के प्रधान मंत्री को अपनी बधाइयां तथा मुबारकवाद देने का जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है इसके लिए मेरे माननीय मित्र मुझसे ईर्ष्या नहींकरेंगे। उन्हें इस सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था। इस अवसर पर मैं अपने मित्रों को यह याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसी घटनांए किसी देश के ऐतिहासिक घटनाक्रम में केवल एक बार ही घटतीहैं। इस घटना को हमने विशेष महत्व दिया है। हम इसके अधिकारी हैं। अतएव, इस अवसर का राजनीतिक मतभेद का प्रकट करने के लिए प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। इससे गुट-निरपेक्षता के सिद्धान्तों में प्रतिष्ठापित किए गए विचारों को बल नहीं मिलता है।

मैं सदस्यों को इस बात की याद दिलाना चाहता हूं कि यह सम्मेलन भारत में कैसे आयो-

जित किया गया ; इसका प्रस्ताव कैसे आया। आप सभी लोग इस बात से अवगत हैं कि यह सम्मेलन इस देश में आयोजित नहीं किया जाना था। यह बगदाद में आयोजित किया जाना था। लेकिन वहां की अव्यवस्थित हालत के कारण सभी गुट-निरपेक्ष देशों की सर्वसम्मत राय थी कि यह सम्मेलन भारत में और श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत में आयोजित किया जाए।

भारत में विभिन्न मतों, विभिन्न धर्मों तथा विभिन्न जीवन-पद्धत्तियों के साथ सहनशीलता एवं सहास्तित्व की एक लम्बी पवित्र परम्परा चली आ रही है। इस देश को इसी विशिष्ठता के लिए चुना गया था। मेरे विचार में आपकी ओर से यह कृपणता तथा कंजूसी होगी, यदि आप अपने देश की उपलब्धियों की सराहना नहीं करते हैं। इस प्रकार के सम्मेलन की तैयारी के लिए विश्व के अत्यधिक विकसित देश तीन या चार वर्ष लेते हैं। हमारा देश, जो कि एक विकासशील देश है और पिछड़ा हुआ देश है उसने इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए केवल तीन महीने लिए। आपको इस बात का गर्व होना चाहिए कि भारत को सभी भाग लेने वालों ने जो यहाँ आए और इस सम्मेलन में भाग लिया, शाबासी दी। मुझे गर्व है कि भारत ऋषि महात्माओं की भूमि है जहाँ से ऐसे विचार विदेशों में गए हैं। यही भारतीय सभ्यता है जिसका जिक्र श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपने भाषणों में किया था। उन्होंने यह श्रेय स्वयं नहीं लिया। अपने उद्घाटन भाषण में उन्होंने खुद यह कहा।

"मैं इस बात को स्वीकार करती हूं कि यह व्यक्तिगत रूप से मेरे लिए नहीं है बल्कि एक महान परम्परा के एक प्रतिनिधि के रूप में है"

वह भारत की परम्परा की बात करती हैं। इस महान भूमि की परम्परा यह थी कि महान विचारों का आह्वान तथा समस्त मानवजाति के कल्याण के लिए शुभकामनाओं का विस्तार करना :

सर्वे भवन्तु सुखिन,
सर्वे सन्तु निरामयाः।

इस भूमि की यही शुभकामना तथा दार्शनिकता थी।

वसुधैव कुटुम्बकम्

हमारा दर्शन महात्मा बुद्ध से महात्मा गांधी तथा पं० जवाहरलाल नेहरु से आता है। हमारी ऐसी परम्परा हैं जिसका हमें सच्चा गर्व हो सकता है।

जब हम गुट-निरपेक्षता की बात करते हैं तो हमें इतिहास की याद आ जाती है जिसने हमारी स्वतंत्रता तथा समस्त विश्व में स्वतंत्रता आन्दोलनों का मार्ग दर्शन किया। भारत महात्मा गांधी के नेतृत्व में अगणी था। यह सही पसन्द थी क्योंकि निन्दा करने वाले आलोचक तथा नियति के भविष्यदृष्टा यह भविष्यवाणी कर रहे थे कि यह गुट-निरपेक्ष सम्मेलन जहाँ से शुरु हुआ था, जिस जगह से यह गुट-निरपेक्ष सम्मेलन पैदा हुआ था उसी जगह ही समाप्त हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इस विभिन्न पहलुओं में, यदि आप देखें, श्री चक्रवर्ती बराबर दूरी के बारे में बात कर रहे थे। मैं एक-एक करके दूसरे मामलों को उठाऊंगा। श्री चक्रवर्ती मैं आपको बताना चाहता हूं कि श्रीमती गांधी ने पण्डित जवाहरलाल नेहरु के समय से इसके बारे में बताया है। हमने हमेशा इस सन्देह का निवारण किया है कि हमारी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की नीति कभी भी बराबर-दूरी से देखने की नीति नहीं रही है। हमारी यह नीति रही है कि हम निर्णय करने की अपनी स्वतन्त्रता बनाएं रखें। यह न्याय देने की स्वतन्त्रता है जो किसी भी पूर्वग्रह से मुक्त है क्योंकि हम वास्तविक रूप से गुट-निरपेक्ष हैं। इसलिए हम मामले के आधार पर, मामले के गुणावगुण के आधार पर निर्णय लेने में स्वतन्त्र हैं। इसलिए हमने हमेशा यह कहा है कि हम समान दूरी पर स्थित नहीं हैं। हम तटस्थ नहीं हैं बल्कि हम गुट-निरपेक्ष हैं। यह स्पष्ट धारणा

है। गुट-निरपेक्षता का समस्त ढांचा एक स्पष्ट धारणा है और यह हमारी गतिशीलता को उपलक्षित करता है, यह हमारे उस विश्वास की गति शीलता है जो सभी की तरफ दारी करती है जिन्हें पद्दलित रखा गया है।

महोदय, भारत हमारे 100 वर्षों के संघर्ष के दौरान, यदि आप भारत की स्वतंत्रता के इतिहास की महान घटनाओं को याद करें, स्वतन्त्रता के लिए भारत के संघर्ष का केन्द्रीय मूल प्रसंग शोषण के विरुद्ध लड़ना, अन्याय के विरुद्ध लड़ना रहा है, चाहे वह देश में हो अथवा वह विदेशी दासता, किसी उपनिवेशिक शक्ति की प्रभुत्ता तथा शोषण के विरुद्ध रहा हो इसलिए, महोदय, मुझे कहना चाहिए कि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के आयोजन की विवेकशीलता यह रही है कि उन लोगों की तरफदारी की जाए जिन्हें वंचित रखा गया है। इसलिए पंडित जवाहरलाल नेहरु, यूगोस्लाविया के नेता मार्शल टीटो तथा मिश्र के अब्दुल नासर तथा नकरोमाह तथा सुकर्णो के नेतृत्व में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के इतिहास के दौरान हर समय हम उपनिवेशिक शक्तियों के विरुद्ध लड़े हैं और हमने उन लोगों का साथ दिया है जिन्हें शताब्दियों से वंचित रखा गया है जिन्हें पैतृक सम्पत्ति से वंचित रखा गया है और जिनकी मातृ-भूमि, जिनके संसाधनों जिनकी संस्कृति पर साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा डाका डाला गया था तथा लूट-मार की गई थी। इसलिए यह ईर्ष्या करने की कोई बात ही नहीं है कि श्रीमती इंदिरा गांधी जबसे वह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की अध्यक्ष बनी हैं, जैसा कि अभी-अभी मेरे कुछ मित्रों ने बताया है, इसका राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास कर रही हैं। मैं कहता हूं कि यह हमारे राजनीतिक विश्वास तथा देश की उन परम्पराओं के अनुरुप नहीं है जिसका हमने पालन किया है और उन परम्पराओं के अनुरुप नहीं है जो सहस्राब्दियों तक चलती रहती हैं। मुझे यह अवश्य कहना चाहिए कि मैं अकेला ऐसा आदमी नहीं हूंजो ऐसी बात को मानता है बल्कि समस्त विश्व अब इस बात को मानता है कि श्रीमती गाँधीभारत जैसे बड़े देश का नेतृत्व करने के लिए असाधारण गुणों वाली नेता हैं। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ही राय होती है।

एक माननीय सदस्य : आप खुद ईर्ष्या क्यों करते हो ? **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : श्री चक्रवर्ती की तरह आप भी अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं कम से कम यहाँ भाषण देने की तो स्वतंत्रता अवश्य होनी चहिए। सब ठीक है।

प्रो० के० के० तिवारी : श्री उन्नीकृष्णन जो कि एक राजनीतिक दल के किसी प्रकार के नेता हैं को भी श्रीमती गाँधी के नेतृत्व में रहने का विशेष विशेषाधिकार प्राप्त हुआ था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : निश्चित रूप से।

प्रो० के० के० तिवारी : मेरे विचार में उन्हें श्रीमती गांधी के नेतृत्व में रहने की प्रतिष्ठा मिली थी।

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : उन्हें उनके द्वारा गुमराह किए जाने का भी विशेष अधिकार प्राप्त हुआ था।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैं उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा।

प्रो० के० के० तिवारी : मैं कभी भी उनका मुकाबला नहीं कर पाऊंगा। मैं एक भिन्न धातु का बना हुआ हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : आप एक पत्रकार हैं ; वह एक प्रोफेसर हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : शिखर वार्ता का आयोजन करने के बारे में मैं समस्त विश्व की पूर्ववर्ती भूमिका का उल्लेख कर रहा था। **(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय : आप गम्भीरता से बात करें। शिखर सम्मेलन के बारे में भारतीय संसद में चर्चा की जा रही है। कृपया इसे गम्भीरता से लें। इसे इतने हल्के रूप में लेना अच्छा

नहीं लगता। इसे रिकार्ड में दर्ज किया जाएगा। इसलिए, कृपया इसे गम्भीरता से लें। छोटे-छोटे मामलों पर इधर-उधर की बातें न करें। विश्वभर में इसकी चर्चा होती है। यह चर्चा राष्ट्र के नेता, गुट-निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष, की संसद में हो रही है।

प्रो० के० के० तिवारी: इस टिप्पणी के बाद मैं यह विश्वास करने के लिए विवश हूं कि विरोधी पक्ष में बैठे मेरे मित्र इस मामले को गम्भीरता से लेंगे जो कि उचित भी है।

यह सम्मेलन ऐसे समय आयोजित किया गया है जब अन्तर्राष्ट्रीय धरातल पर मतभेद की राजनीति ने एक निश्चित आकार ले लिया है। हम ऐसे समय में रह रहे हैं जो आतंक का समय है आतंक की राजनीति का समय है। संतुलन की राजनीति का समय है, जब समस्त विश्व में आणविक हथियारों के बढ़ते हुए भय के द्वारा मानवता को विनाश का सामना करना पड़ रहा है, जब समग्र विश्व में साम्राज्यवादी शक्तियां तथा नए उपनिवेशक नए अड्डों की तलाश में हैं, जब अवरोध के नये सिद्धान्त को खोजा जा रहा है, जब लोगों को उल्लू बनाने के लिए शून्य के विकल्प का प्रयोग किया जा रहा है, जब समुद्री गस्त लगाने वाली तथा विनाशकारी मिसाइलें प्रयोग में लाई जा रही है। जब सीमित आणविक युद्ध की धारणा की खोज की जा रही है और जब समस्त विश्व की अर्थ-व्यवस्था मैं न केवल उन देशों की बात कर रहा हूं जो विकाशसील हैं अथवा जो अविकसित हैं-पूर्णतया समाप्त होने के खतरे का सामना कर रहे हैं।

व्यापारिक मन्दी बढ़ती जा रही है। आज औद्योगिकी कृत पश्चिम की कुल श्रम शक्ति का 15 प्रतिशत बेरोजगार है। विकासशील देशों में यह विशेष घटना, यह अन्यायपूर्ण शोषक आर्थिक प्रणाली ने विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए सर्वनाशी तथा विनाशकारी परिणाम निकाले हैं।

हम जिन वस्तुओं का निर्यात करते हैं उनके मूल्य उतने कम हो गए हैं जितने कि इस शताब्दी के चौथे दशक में थे और हमारे भुगतान शेष की स्थिति अतिरिक्त या यह कहना चाहिए बहुत ही खराब हो गई है। जब विश्व में राजनीतिक नाटक की रूपरेखा इतनी धुन्धली है, जबकि आंतक ने विश्व को घेरा हुआ है, जबकि लेबनान में लोगों का वध किया जा रहा है, जबकि फलस्तिनियों की हत्या की जा रही थी तथा उन्हें कत्ले आम किया जा रहा है, जबकि ऐसे-ऐसे लोग तथा देश हैं जो कम्पूचिया के उस घिनौने हत्यारे, पोल-पोत का समर्थन कर रहे है, जो उन मानदण्डों तथा अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों की बात कर रहे हैं, जो लोग प्रजातन्त्र, पवित्र प्रकृति, राजनीतिक प्रणाली की पवित्रता की बात कर रहे हैं, उन्हें कम्पूचिया के पोलपोत के शासन के खतरे को महसूस करना चाहिए जिसने उस देश की आधी जनसंख्या का सर्वनाश कर दिया, जिसने उस देश की आधी जनसंख्या का संहार कर दिया।

नीमिबिया में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के कानून के लाभ से बहिष्कृत व्यक्तियों, जैसा कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने बताया कि दक्षिणी अफ्रीका, ने साम्राज्यवादी शक्तियों की सहायता से समस्त विश्व में उनके कातिल, उनके पिट्ठू, उनके प्रतिनिधि नीमिबिया में आपराधिक कार्य कर रहे हैं। उपनिवेशवाद के अवशेषों के रूप में ये मामले अभी भी वहां मौजूद हैं।

ऐसी स्थिति में, ऐसे राजनीतिक परिदृश्य में, निर्गुटता की प्रासंगिकता काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यह मामला अति महत्वपूर्ण है। अगर मैं यह कहूं कि ऐसे अवसर किसी देश के इतिहास में एक बार ही आते हैं तो शायद आप आश्चर्य करेंगे। मैंने ऐसा विशिष्ट कारण से कहा है क्योंकि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी भूमिका एक भिन्न किस्म की है। आज हमें अगुआई करने का श्रेय भी प्राप्त है। हमारी तटस्थ रहने की परम्परा रही है। महात्मा गांधी के प्रेरक नेतृत्व में स्वतंत्रता प्राप्ति की हमारी परम्परा रही है। हमारे पास आवश्यक आर्थिक शक्ति है, लम्बा-चौड़ा क्षेत्र है तथा देश की जनसंख्या है। यह प्रत्येक भारतीय की सामान्य विरासत है चाहे आप कांग्रेस (ई) से सम्बन्धित हैं अथवा सी. पी. एम. अथवा जनता पार्टी से सम्बन्धित हैं। इसलिए

आज हमारे शंदश जिन्हें विश्व की इस अनिश्चित स्थिति में हमारा मार्ग निर्देश करना है, हमारे स्थिर व्यवहार में समझदारी पूर्वक और आमूल-चूल पुनर्मूल्यांकन के लिए आमंत्रित करते हैं।

निर्गुट आंदोलन का एक लम्बा इतिहास है। कम से कम 1961 से इसने निर्गुटता का का रूप धारण किया। किन्तु इससे भी पहले, आपको और प्रो० एन० जी० रंगा को पुराने कांग्रेसी के रूप में याद होगा चाहे वे इस ओर बैठते हैं अथवा उस ओर···

उपाध्यक्ष महोदय : प्रो० एन० जी० रंगा, हमेशा "सुनिए, सुनिए" कहते रहते हैं। इस-लिए वे आपको सुन रहे होंगे।

प्रो० के०के० तिवारी : स्वतन्त्रता से पहले, पण्डित नेहरू ने विभिन्न कांग्रेस अधिवेशनों में बहुत से संकल्प रखे थे। जब हम स्वतन्त्र नहीं थे पण्डित नेहरू ने कहा था कि :

"जब तक कि सभी उपनिवेश शक्तियां अथवा ये सभी उपनिवेशवादी अफ्रीका और एशिया के देशों से चले नहीं जाते, तब तक भारत की स्वतंत्रता अधूरी रहेगी।"

उन्होंने यह भी कहा था कि :

"भारत की स्वतंत्रता एक अन्तर्राष्ट्रीय मसला अथवा अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है।"

अत: भारत के पास एक संदर्भ है जो निश्चय ही अन्तर्राष्ट्रीय है और हमारा यह सौभाग्य कि हमें पण्डित नेहरू और महात्मा गांधी जैसे नेता मिले।

1947 में, निर्गुट आंदोलन के जन्म से पहले, पण्डित नेहरू ने एशियाई राष्ट्रों का एक सम्मेलन बुलाया था जिसे 'एशियाई सम्मेलन' नाम से पुकारा गया था।

मैं उन लोगों से यह आग्रह करूंगा जो विपक्ष की अगुआई करते हैं कि वे इन मुद्दों पर वस्तुपरक ढंग से चिंतन करें।

अब उनके विचार चाहे कुछ भी हों—प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती सिद्धांतों की विवधता के बारे में बोल रहे थे—मैं उसमें नहीं पड़ता। वह पहले इसे विघटित करने के लिए प्रयोग की गई हैं—हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं। इसका श्रेय श्रीमती गांधी को जाता है कि उन्होंने कहा कि :

"एक आंदोलन के रूप में हम ऐसे मुद्दों पर एकाग्रता करेंगे जो हमें मिलाने हैं न कि ऐसे मुद्दों पर जो हमें विभाजित करते हों क्योंकि उससे उन लोगों के दिलों को प्रसन्नता होगी जो हमें रात और दिन विभाजित करने का प्रयास करते रहते हैं चाहे वे डल्लेम हो अथवा सम्पूर्ण पश्चिमी विश्व में फैले उसके शिष्य हों वे हमेशा इस आंदोलन को समाप्त करने के प्रयास में रहे हैं।"

इसलिए श्रीमती गांधी ने कहा था कि :

"केवल उन मुद्दों पर जो हमें मिलायें, हमें इकट्ठा करें न कि उन मुद्दों पर जो हमें विभाजितकरें।"

इसलिए निर्गुट आन्दोलन के विरोधी तब निराश हो गए जब अफगानिस्तान, कम्पूचिया, हिन्द महासागर और दियागो गर्सिया जैसे विस्फोटक मुद्दों दर इस सम्मेलन में शांतिपूर्वक विचार किया गया।

लगता है प्रो० सत्यसाधन चक्रवर्ती ने अपना गृह-कार्य ठीक ढंग से नहीं किया। वह हिन्द महासागर की बात कर रहे थे। निस्सन्देह दिमागो-गार्सिया से सम्बन्धित सभी विषयों को महासागर प्रारूप में से निकाल दिया गया था किन्तु दियामो गर्सिया को एक अलग शीर्षक दिया गया था। एकविशिष्ट घोषणा की गयी है कि दियागो गर्सिया के आणविकीकरण से, न केवल उसका सैन्यीकरण किया गया है अपितु आणविधीकरण भी किया गया है, मारीशस तथा अन्य तटवर्ती देशों को निश्चित खतरा है।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

यह भारत के लिए विजय है। यह 'विजय' ही नहीं बल्कि इसके नैतिक प्राधिकार की स्थापना है कि इसकी राजनीतिक घोषणा, इसकी अर्थिक घोषणा और इसकी अफगानिस्तान

सम्बन्धी घोषणा जैसे विभिन्न मुद्दों पर प्रारूप स्वीकार किए जा सके। देखिये अफगानिस्तान के बारे में क्या हुआ। श्रीमती गांधी के नेतृत्व में एक चमत्कार हुआ है। अफगान समस्या में उलझे दोनों पक्ष पाकिस्तान और अफगानिस्तान, बैठक से पहले ही किसी समझौते पर आ गए थे और उन्होंने किसी प्रकार का हल निकाल लिया था। भारत ने उनके बीच मध्यस्थ का काम किया और अफगानिस्तान ने कोई ऐसी विस्फोटक स्थिति पैदा नहीं की जिसकी कि पश्चिमी प्रचार माध्यमों और भारतीय प्रचार माध्यमों ने भी उम्मीद की थी।

इसी प्रकार कम्पूचिया के बारे में भी हुआ। प्रो० चक्रवर्ती, आपको याद होगा, संयुक्त राष्ट्र में एक संकल्प आया था और वहां पर 53 देशों ने पोल-पाट शासन का अथवा इसके मित्र राजकुमार बोरोदम सिहानूक का समर्थन किया और केवल 47 ने हेंग सेमरिन शासन का समर्थन किया था किन्तु जब वे यहां आए क्या आप जानते हैं कि कि कितने पोल-पाट और उसके मित्र राजकुमार नेरोदम सिहानूक के पक्ष में रहे? केवल 31 देश। ऐसे जटिल मामलों को निपटाने में भारत की सहनशीलता को श्रेय मिलता है। शेष ने या तो हेंग सिमरिन का समर्थन किया और या फिर स्थान खाली रखने का समर्थन किया। ये मामले काफी महत्वपूर्ण और महान उपलब्धियों वाले हैं। ये मामले काफी विवादास्पद थे और झगड़ालू शक्तियां इनके सहारे इस आंदोलन की एकता को भंग करने पर उतारू थीं। उन्हें शांत किया गया और अन्ततः इन सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर सर्वसम्मत निर्णय लिए गए। इसलिए, मैं अब भी यही कहता हूं कि यह एक अच्छी शकुन है, तथा यह एक अच्छी शुरुआत है।

इसका श्रेय भी श्रीमती गांधी को जाता है। आपको याद होगा अल्जीरिया में क्या हुआ। अल्जीरिया से हवाना और नई दिल्ली तक श्रीमती गांधी ने अगुआई की। यद्यपि कुछ आर्थिक मामलों पर कोलम्बो में भी कुछ संकल्प पारित किए गए थे। नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की विचारधारा और विश्व स्तरीय वार्ताओं के पीछे भी वे ही रही हैं।

आप व्यापार, व्यापारिक मामलों में संरक्षण के विरुद्ध बोल रहे थे। ये ऐसे मामले हैं जिनसे हमारा बाहुबल सुदृढ़ होना चाहिए। इनसे साम्राज्यवाद की धमकी का सामना करने, नव-उपनिवेशवाद की धमकी जो कि वाणिज्य, सहायता और सांस्कृति के विभिन्न मनोहर और आकर्षक रूपों में सामने आती है, का सामना करने हेतु तृतीय विश्व के देशों के लड़ने वाले बाजुओं में जान पड़ जाएगी।

इसलिए मैं इस पर जोर देना चाहता हूं। यह एक राष्ट्रीय गौरव है और मेरे सभी मित्र, राजनीतिक अथवा दलीय बंधनों का ध्यान किये बिना, इस गौरव में हिस्सा लेंगे। यह हजारों वर्ष पुरानी भारतीय परम्पराओं और उसकी समकालीन उपायदेयता की मान्यता में है। केवल आप ही अपनी परम्पराओं अपनी संस्कृति और अपनी समर्पण तथा बलिदान की भावना से विश्व को निश्चित विनाश से बचा सकते हैं। इसलिए, हम सबको अपने देश और अपने नेता का धन्यवाद करना चाहिए जिसने यह गौरव भारत को और भारतीय लोगों को दिलाया है।

इन शब्दों के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री बी०डी० सिंह।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) : दियागो गार्सिया के बारे में मैं मारीशस की प्रभुसत्ता के बारे में कहना चाहता था।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। यह एक सारवान प्रस्ताव है और इसे स्पष्ट शब्दों में कहना चाहिए। नियम 173 से यही अर्थ निकलता है। किन्तु यहां एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा कर दिया गया है। प्रस्तावक महोदय ने समदूरी की बात की है जबकि प्रस्ताव के समर्थक ने इससे इन्कार किया है।

एक माननीय सदस्य : संयुक्त प्रस्ताव।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : और वे दोनों एक ही दल के हैं। इसलिए इस मुद्दे को मंत्री अथवा प्रधान मंत्री के विशेषज्ञ कथन द्वारा स्पष्ट किया जाना जरूरी है।

श्री भगवत झा आजाद : ठीक है, आपने अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी है।

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रस्ताव पर आज सदन में चर्चा हो रही है, प्रस्तावक महोदय के भाषण को सुनने के बाद मैं ऐसा महसूस करता हूं कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी इस प्रस्ताव को नॉन-एलाइनडेंट मीट के फौरन बाद ही लाना चाहिए था। जिस प्रकार से यहां व्यक्ति की प्रशंसा की बात हो रही है, वह स्वयं नॉन-एलाइनडेट मूवमेंट की की भावना के खिलाफ है। हमारे उधर के साथियों की आस्था मूल्यों में उतनी नहीं है। जितनी कि व्यक्तिवाद में या व्यक्ति की प्रशंसा में है। इसी पर आधारित होकर वे बात कर रहे हैं। लोगों में कुछ ऐसी आशंका उत्पन्न हो रही है कि क्या नॉन-एलाइनडेंट मूवमेंट जिन आदेशों, सिद्धान्तों या मूल्यों को लेकर चलाई गई थी उन मूल्यों का जाने-अनजाने तरीके से क्षरण हो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसमें जो देश भाग ले रहे हैं वे किसी तरह से या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ सुपर पावर्स से प्रभावित हैं। मेरी मान्यता है कि धर्म राजनीति से अलग रखना चाहिए। राजनीति का लाभ लेने के लिए धर्म का भी समावेश ऐसे आयोजनों में कर दिया जाता है।

अध्यक्ष महोदय : तिवारी जी, जाइए नहीं, यहीं बैठिए।

श्री बी० डी० सिंह : इसमें जिन लोगों को इन्वाइट किया गया उसमें मैं यह चाहूंगा कि जब माननीय विदेश मन्त्री इन्टरवीन करें तो इस बात को स्पष्ट करें कि किस आधार पर इस्लामिक कान्फ्रेंस को आमन्त्रित किया गया और अन्य धार्मिक संगठनों को आबजरवर के तौर पर क्यों नहीं आमन्त्रित किया गया।

जिस प्रकार अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, पान अफ्रीकन कांग्रेस आफ अजानिया तथा सोशलिस्ट पार्टी आफ प्यूरटो राइस को आमन्त्रित किया गया उसी आधार पर अफगानिस्तान के मजाहीदीन्स और तिब्बत के फाइटर्स फॉर लिबरेशन को क्यों नहीं आबजरवर के तौर पर आमंत्रित किया गया, इसको स्पष्ट करें।

नॉन-एलाइनडेंट मूवमेंट की टेक्निकलिटीज पर नहीं जाना चाहिए बल्कि उसकी जो भावना है, स्प्रिट है और जिस आदर्श या लक्ष्यों को लेकर के इस संगठन का आविर्भाव हुआ है, उनकी पूर्ति होनी चाहिए। अगर कोई देश किसी सुपर पावर से फ्री आर्म्स लेता है या मिला-जुला सैनिक अभ्यास करता है तो वह भी नॉन-एलाइनडेंट मूवमेंट में सम्मिलित है तो वह नॉन-एलाइनडेंट मूवमेंट की भावना के विपरीत जाता है। यह देखना होगा कि जो देश इसकी सफलता चाहते हैं उनको इसकी भावना या स्प्रिट के अनुरूप चलना होगा।

मान्यवर, कुछ बात जो यहां पर सातवें निर्गुट सम्मेलन में हुई इनसे कुछ बातें हमारे दिमाग में पैदा होती हैं। एक तो अभी हमारे प्रस्तावक महोदय ने यह बात कही है कि विभिन्न भाषाओं के लोग यहां पर एकत्रित हुए लेकिन क्या हमारे राष्ट्र की भी कई राष्ट्र भाषा है? और अगर हमारी कोई राष्ट्र भाषा है तो उनके साथ हमने इस सम्मेलन में क्या किया? एक भी शब्द हिन्दी का वहां पर प्रयोग नहीं किया गया। यहां तक कि उसके ट्रांसलेशन की भी कोई व्यवस्था नहीं थी और जब सब कुछ समाप्त हो गया तो उसके पश्चात् प्रधान मन्त्री ने प्रैस कानफरेंस में इस बात पर खेद व्यक्त किया कि हिंदी के ट्रांसलेशन की व्यवस्था क्यों नहीं की गई? जब सारी बातों को उन्होंने घूम-घूम कर देखा था तो प्रारम्भ में ही उनका ध्यान इस तरफ क्यों नहीं गया कि हिन्दी भाषा के ट्रांसलेशन की वहां पर व्यवस्था होती? लेकिन इसके साथ न्याय नहीं किया गया, और मैं समझता हूं कि हमारी राष्ट्र भाषा की इस प्रकार अवमानना हुई।

दूसरी बात यह कि विभिन्न राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष यहां आये और ऐसा लोग महसूस करते हैं कि हमारे राष्ट्र का भी कोई अध्यक्ष है। जब हमारे राष्ट्रपति महोदय की ऐरोड्रम पर विभिन्न राष्ट्रों के अध्यक्षों को रिसीव करने के लिए जाना आवश्यक था, या दो दिन वहां पर रहे, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारे राष्ट्रपति महोदय को राष्ट्र के अध्यक्ष के नाते उद्घाटन पर जरूर उपस्थित रहना चाहिए था। ठीक है उसका सभापतित्व प्रधान मंत्री करतीं, लेकिन उद्घाटन राष्ट्रपति महोदय द्वारा होना चाहिये था और राष्ट्रपति को वहां रहना चाहिए था।

इसके अतिरिक्त नॉन-ऐलाइनडेट को हम केवल यह नहीं समझते कि यह हमारे देश की विदेश नीति है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह एक हमारे राष्ट्र की भावना रही है, सुधर्म रहा है और

महात्मा बुद्ध के उपदेश मध्यम अभ्यम् का सिद्धान्त हम मानते रहे हैं। हमेशा हमने इन बातों पर विश्वास किया है और महात्मा गांधी का भी यही संदेश रहा है और आजादी की लड़ाई का यह संबल रहा है। इसमें सारे देश की भावना निहित है। लेकिन तकलीफ तब होती है जब इस प्रकार के प्रस्ताव से शासक पार्टी अपने राजनीतिक उद्देश्य पूरा करने की बात सोचती है और करती है। इससे तकलीफ होती है। मैं समझता हूं इससे पूरे राष्ट्र की भावना को ठेस पहुंची है।

अभी कुछ साथियों ने इस बात पर जोर देने का प्रयास किया कि बहुत से लोगों ने नान-ऐलाइडडेंट मूवमेंट को समाप्त करने के लिए या बाधा डालने के लिए प्रयास किया या करते रहते हैं, या हम इस बात पर बड़ा गर्व करते हैं कि बड़ी सफलता पूर्वक यह सम्मेलन पूरा हो गया। मैं समझता हूं इस प्रकार की आशंका व्यक्त करना अपने में आत्म-बल की कमी दिखाना है। यह मूवमेंट के सम्मान के खिलाफ भी है। हममें इतना आत्मबल होना चाहिए कि इस मूवमेंट को कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है और इसको तोड़ नहीं सकता है। इस भावना से हमें आगे बढ़ना चाहिऐ।

जो नान-ऐलाइनमेंट मूवमेंट का सम्मेलन हुआ, उसमें जिन समस्याओं को लेकर यहां पर विचार विनियम हुआ यह एक बहुत अच्छी बात थी, अच्छी मैदरिंग हुई, करीब तीन चौथाई राष्ट्रों के अध्यक्ष यहां पर सम्मिलित हुए। लेकिन यही सारे राष्ट्रहमारे संयुक्त राष्ट्र संघ में उपस्थित होते हैं।

लेकिन इन समस्याओं के प्रति वहां पर इनकी आवाज क्यों नहीं जोर पकड़ पाती? इसके पीछे ऐसा लगता है कि जब यह राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र संघ में होता है तो कोई न कोई सुपर पावर वहां डोमीनेट करने लगती है। इसलिये प्रत्यक्ष रूप से उसकी छाया पड़ती रहती है। इसलिए हम अपनी बात में सफल नहीं हो पाते। ऐसा लगता है कि कहीं अप्रत्यक्ष रूप से सुपर-पावर की छाया कुछ देशों को प्रभ वित तो नहीं कर रही है।

इसमें जो डिक्लेयरेशन हुआ है, प्रधान मंत्री ने जो बातें कहीं हैं, उसमें एक तो अफगानिस्तान की बात है। बहुत ही औपचारिक ढंग से इसका केवल मैंशन कर दिया गया। बहुत गहराई से विस्तार से इस पर कोई बात नहीं कही गई। जो रशियन फौजें अफगानिस्तान में हैं, क्या इस प्रकार से नहीं हो सकता था कि उनसे कोई बात करके अफगानिस्तान से या मुजाहदीन से, उन रशियन फोर्सेज को हटाकर नान-एलाइन्ड फोर्सेज वहां पर लगाई जाती? इस प्रकार की कोई न कोई बात होनी चाहिये थी।

कम्पूचिया में विदेशी फौजें पड़ी हुई हैं। उनको हटाने के लिए भी कोई बात मजबूती से प्रधान मंत्री के द्वारा की जानी चाहिए थी, लेकिन इस पर प्रकाश नहीं डाला गया है।

मुख्य रूप से सबसे महत्वपूर्ण बात अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की आई है। जहाँ तक मैं समझता हूं, आर्थिक व्यवस्था के तीन स्तर हैं। एक तो अपने देश की आन्तरिक अर्थ-व्यवस्था है, दूसरे नान-एलाइन्ड कंटरीज की अर्थ-व्यवस्था है और तीसरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था की बात कर सकते हैं। जब तक हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं होगी, तब तक नान-एलाइन्ड कन्टरीज की आर्थिक व्यवस्था की बात नहीं सोच सकते हैं। जितने भी नान-एलाइन्ड कंटरीज हैं, उनको कोशिश करनी चाहिये कि अपने देश की आर्थिक व्यवस्था कैसे मजबूत हो, इस पर विचार करें। दूसरों को दोष देने से या दूसरों के कन्धे पर उत्तरदायित्व डालने से हम आर्थिक व्यवस्था मजबूत नहीं कर सकते हैं यह मुनासिब नहीं है।

एक सामूहिक आत्म-निर्भरता की बात होनी चाहिए, एक दूसरे पर इंटरडिपेंस की जो बात कही जाती है कि दूसरों की हम निन्दा करें और अपनी मांग पूरी करावें, इसको छोड़कर इंटर डिपैंडस की बात होनी चाहिये।

कई उदाहरण हैं कई साउथ के कन्ट्रीज ऐसे हैं, उनके द्वारा ही साउथ के देशों का एक्सप्लायटेशन होता है। इस प्रकार से जो नान-एलाइन्ड कन्टरीज हैं, उन्हें आपस में बातचीत करके हल निकालना चाहिए क्योंकि यह समस्या पैदा होती है कि कोई देश एलाइन्ड क्यों होता है उसकी अपनी अनेक समस्याएं होती हैं, कहीं आंतरिक्त समस्याएं होती हैं, कहीं आपस में कन्फलिक्ट पैदा होता है, लड़ाई होती है। इससे वह दूसरों पर आधारित हो जाता है। इस समस्या को दूर

करने के लिए आपस में हल निकालना चाहिए। दूसरों की निन्दा करने से कुछ नहीं होगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया (अमृतसर) : अध्यक्ष महोदय, मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं। विश्व भर में विदेश नीति कुछ ही लोगों द्वारा तय की जाती है, किन्तु भारत में विदेशी नीति से सम्बन्ध-रखने वाले ज्यादा हैं। किन्तु इस 7 वें निर्गुट राष्ट्रों के सम्मेलन ने भारत के 70 करोड़ लोगों को इसमें शामिल किया और इस सम्मेलन के बाद एक नई प्रकार की एकता ने जन्म लिया है क्योंकि प्रत्येक भारतीय ने स्वयं को इस सम्मेलन में सम्बद्ध किया और इस बात में गर्व महसूस किया कि यह सम्मेलन काफी सफल रहा।

विश्व के इतिहास में कभी भी इतने राष्ट्राध्यक्ष मानवता की समस्याओं पर विचार करने के लिए इकटठे नहीं हुए, इतिहास में कभी भी विश्व के इतने लोग मानवजाति क दो-तिहाई से भी अधिक लोग, सम्पूर्ण विश्व की समस्याओं से सम्बन्धित नहीं रहे।

महोदय, ऐसा इसलिए हुआ कि कुछ युद्धोलोलुपों, उपनिवेशवादियों साम्राज्यवादियों, फासीवादियों, सियोनवादियों ने विश्व में ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जिसने विश्व के लोगों को इकट्ठे बैठकर इसका हल ढूंढ़ने के लिए मजबूर किया है। महोदय, शस्त्रों की होड़ चल रही है। यूरोप में मारक प्रक्षेपास्त्रों की तैनाती ने यूरोप के लोगों को डरा दिया है। इतिहास में कभी भी यूरोप के लोग—बर्लिन में पेरिस में अम्सटर्डम, लन्दन में और यहां तक कि अमरीका में भी—युद्ध के प्रति विरोध-प्रकट करने तथा विश्व में जो कुछ हो रहा है उस पर विरोध प्रकट करने इतनी बड़ी संख्या में सड़कों पर नहीं आए हैं। इसी प्रकार मध्य-पूर्व में सेना की तैनाती से उस क्षेत्र के लिए भी समस्या पैदा कर दी है। हमारे हिन्द महासागर में भी एक केन्द्रीय कमान के अन्तर्गत आणविक अड्डों के सुदृढ़ीकरण से हिंदमहासागर के तटवर्ती तथा अन्तः प्रदेशीय, दोनों देशों के लोगों के जीवन खतरे में पड़ गए हैं।

महोदय, हमें प्रसन्नता हुई है कि इस सम्मेलन में लिए गए निर्णय सर्वसम्मत थे। पिछले वर्ष जब निर्गुट राष्ट्रों के विदेश मन्त्रियों का सम्मेलन हुआ था तब भारतीय प्रारूप में काफी परिवर्तन किया गया था, किन्तु इस सम्मेलन में भारतीय को, न्यूनाधिक, स्वीकार कर लिया गया। भारतीय होने के नाते, हमें इस पर गर्व है। यह भारत की विजय है और भारतीय लोगों की यह उत्कृष्ट विजय है कि हमारा प्रारूप, न्यूनाधिक, स्वीकार कर लिया गया और यह कि निर्गुट राष्ट्रों के लोगों ने भारत में अपना विश्वास प्रकट किया है।

महोदय, जहां तक स्थल का सम्बन्ध है, जैसा कि हम जानते हैं, कोई अन्य स्थान इस प्रकार एक मत से स्वीकार नहीं किया जा सकता था। यह हमारी विजय है। परन्तु सर्वसम्मत निर्णय केवल इसीलिए और उसी समय हो पाया जब श्रीमती इन्दिरा गांधी इसकी अध्यक्ष थीं। परिणामतः अब हमारे पास एक संगठित बल है, यह एक बहुत बड़ा नैतिक बल है, जैसा कि उन्होंने इस विषय में कहा है।

महोदय, यह एक अद्भुत बात है कि एक सौ से अधिक राष्ट्रों के नेतागण भारत आए और उन्होंने यहां मानवता के समक्ष पेश आ रही समस्याओं पर विचार किया, विशेष तौर पर ऐसे हालात में जबकि कुछ लोगों ने गुट-निरपेक्ष आन्दोलन को असफल बनाने के लिए शोर-शराबा करने की कोशिश की। महोदय, हमें यह देख कर दुःख हो रहा है कि शिमला सम्मेलन में हुए करार को स्वीकार करने के बावजूद, राष्ट्रपति जिया को एक द्विपक्षीय मुद्दा उठाना चाहिए था क्योंकि इस सम्मेलन की परम्परा के अनुसार, कोई द्विपक्षीय मुद्दा नहीं उठाया जा सकता। लेकिन उसके बावजूद, गुट-निरपेक्ष आंदोलन शक्ति आंदोलन के रूप में उभरा है न कि किसी मतैक्य सहित सदन के रूप में।

महोदय, गुट-निरपेक्ष आंदोलन के पास कोई सैनिक शक्ति नहीं है, फिर भी हम देखते हैं कि सभी देश और विशेष तौर पर वे देश जिन्हें हाल ही में स्वतन्त्रता प्राप्त हुई है, इस सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। शुरू में हम केवल 25 सदस्य थे, परन्तु आज हमारी संख्या 101 है जोकि बहुत बड़ी है। ऐसा क्या हुआ? इसका कारण है इसका एतिहासिक आधार और इस आंदोलन का उपनिवेशवाद के अधीन राष्ट्रों के हितों के लिए कार्य करना। वे अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं। चाहे वे निर्धन हैं, चाहे वे इतने मजबूत नहीं हैं परन्तु कम से कम उन्होंने उपनिवेशवाद,

साम्राज्यवाद के विरुद्ध विश्व जनमत तैयार किया और इस प्रकार स्वतन्त्र हुए सभी राष्ट्र आंदोलन के सदस्य हैं।

आगामी तीन वर्षों के लिए भारत को इस आंदोलन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इससे सभी राष्ट्रों को इस आंदोलन से और अधिक आशा हो गई है, क्योंकि भारत ने इसमें बहुत सक्रिय भूमिका निभाई है। जब कभी भी किसी राष्ट्र के समक्ष कोई चुनौती आती है, हमने सदैव ही आवाज उठाई है, चाहे यह स्वेज हो, चाहे वियतनाम, चाहे कम्पूचिया हो, भारत ने सबसे पहले आवाज उठाई। हमने चीन को मान्यता दी जबकि उस समय समस्त विश्व कह रहा था कि हम गलती कर रहे हैं। और आज सारे संसार ने चीन को मान्यता दे दी है। हम कम्पूचिया को मान्यता दे चुके हैं। अब 25 राष्ट्र इसे मान्यता दे चुके हैं और एक दिन समस्त विश्व इसे मान्यता दे देगा। और उन सभी लोगों की बात गलत साबित होगी जो कह रहे हैं कि भारत ने गलती की है क्योंकि हमारी सिद्धांतवादी विदेश नीति है और हम उस पर अमल करते हैं। कुछ लोगों ने कहा कि गुट-निरपेक्ष सम्मेलन एक आरकेस्ट्रा की तरह था। ठीक है। यह एक आर्केस्ट्रा था। परन्तु समान धुन किसने बनाई। यह श्रीमती इन्दिरा गांधी थीं जिन्होंने समान धुन बनाई। यह कोई छोटा काम नहीं है कि विभिन्न विचारों वाले 100 राष्ट्र जिनकी सामाजिक परम्पराएं भिन्न* हैं, इकट्ठे हुए। इसका श्रेय श्रीमती इन्दिरा गांधी को जाता है तथा यह उन्हीं की महानता है कि वे उन्हें एक मंच पर ला पायीं और उन्होंने एक नीति अपनाई।

सम्मेलन समाप्त हो चुका है। हमें अवश्य ही आगे के काम को देखना चाहिए। हमारा कार्य समाप्त नहीं हुआ है, यह तो शुरुआत है और हमें अपने संसाधनों को इकट्ठा करना है। हमें मिलकर सोचना है। इसका श्रेय न केवल हमें बल्कि उन 101 राष्ट्रों को भी जाता जिन्होंने सर्वसम्मत निर्णय लिया। यह गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के अन्य नेताओं को भी जाता है जिन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता। परन्तु नया काम है कि दक्षिण और दक्षिण के बीच बात-चीत हो, ईरान और ईराक का युद्ध रुके। इस कार्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। एक नया आर्थिक ढांचा तैयार किया जाए। इस बारे में मैं यह कहूंगा कि विश्व में नए नेता उभरे हैं—फिडल कैस्त्रो लैटिन अमरीका में जुलियस नामरोरे अफ्रीका में और श्रीमती इंदिरागांधी एशिया में इन तीनों नेताओं के एक साथ कार्य करने से यह आन्दोलन उसी तरह से आगे बढ़ेगा जैसे पंडित जवाहरलाल टीटो और नासिर ने इसे शुरू किया था।

श्री कमल नाथ (छिंदवाड़ा) : मैं कुछ गलती ठीक करना चाहता हूं। बोलते समय मैंने कहा था, समान दूरी। मेरा अभिप्राय स्वतन्त्रता मार्ग से था और निम्नलिखित दो क्रिया जो मैंने बाद में कहीं मेरी बात को पर्याप्य रूप से स्पष्ट करती हैं आपकी अनुमति से मैं यह गलती ठीक करना चाहूंगा कि समान दूरी की वजाय यह स्वतन्त्रता होनी चाहिए।

श्री प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, चूंकि हम सातवें गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए एकत्र हुए हैं प्रारम्भ में आईये हम यह महसूस करे कि गुट-निरपेक्षता किसी भी सरकार का लक्ष्य नहीं होगी, गुटनिरपेक्षता इन देश की राष्ट्र सम्मत साथ रही है, और हम सब गुट-निरपेक्षता की इस संकल्पना के प्रति वचनबद्ध हैं, जहां तक गुट-निरपेक्षता की संकल्पना का सम्बन्ध है, मेरा विश्वास है कि वास्तव में यह उन्हीं मूल्यों का एक अंग है जिन्हें हमने महात्मा गांधी के सक्रिय नेतृत्व में स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान संजो कर रखा था यही परम्पराएं हैं।

एक माननीय सदस्य : आप ऐसा क्यों कहते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : स्पष्टता आजकल एक अन्य गांधी की चर्चा होती है। इन गांधी जी को भुला दिया गया है। (**व्यवधान**) क्योंकि किसी ने उनका हवाला दिया था, इसलिये मैंने इस बारे में यह कह दिया है। जहां तक गुट निरपेक्षता की संकल्पना का सम्बन्ध है, क्योंकि मैंने कहा था कि यह वास्तव में गांधी जी के नेतृत्व में हुए राष्ट्रीय संघर्ष की बपौती है। गुट निरपेक्षता की हमारी संकल्पना का आधार सदैव ही साम्राज्यवाद बिरोधी और जातिवाद विरोधी विश्व शान्ति और सभी राष्ट्रों की स्वतन्त्रता रहा है। मैं इस बारे में श्री तिबारी जी से पूर्णतया सहमत हूं मुझे खुशी है कि प्रस्ताव ने बात स्पष्ट कर दी है पंडित नेहरू ने बार-बार यह स्पष्ट किया था कि विश्व गुट निरपेक्षता का अर्थ यह न लगाए कि दोनों शक्ति ब्लाकों से समान दूरी पर रहना।

उन्होंने यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया था कि गुट निरपेक्षता और तटस्थवाद में अन्तर है । गुट निरपेक्षता उपलब्ध सभी विकल्पों में से गुण-दोष के आधार पर विकल्प चुनने की स्वतन्त्रता पर बल देती है और तटस्थता का अर्थ है चुनने का मार्ग त्यागना । इन दोनों में बुनियादी अन्तर यही है । भारत ने कभी भी तटस्थता का मार्ग नहीं स्वीकार किया है । भारत सदैव ही गुट निरपेक्षता का हामी रहा है अर्थात, प्रत्येक राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय मामलों को गुणा-दोष आधार पर देखना निसन्देह इसमें कई अन्तर्राष्ट्रीय बाधायें आती हैं। जब हम राष्ट्रों के बीच बैठते हैं हमें एक-दूसरे के विचारों को समझना पड़ता है और जब एक राय तैयार की जाती है तो कभी-कभी हमें उस स्थिति से थोड़ा हटना पड़ता है जो कोई भी राष्ट्र मूलतः उस विषय में अपनाता। परन्तु समूचा राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की संकल्पना के विकास के सिद्धान्त के प्रति वचनवद्ध है ।

मैं बेलग्रेड में हुए पहले गुट-निरपेक्ष सम्मेलन से दिल्ली में आयोजित सातवें शिखर सम्मेलन की एक बहुत ही दिलचस्प विशेषता के बारे में सदन के समक्ष बताना चाहता हूं । एक बुनियादी बात जो प्रत्येक गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में दिखाई दी है वह यह है कि उस समय विशेष में जन-सवातन्त्रय की भावना प्रतिबिंबित तथा गुंजित हुई हैं ।

जब बेलग्रेड में प्रयास गुट-निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था आपको याद होगा कि उस सयय आणविक परीक्षण किए गए थे इसलिए प्रथम बेलग्रेड सम्मेलन का प्रमुख विषय शान्ति की समस्या था।

दूसरा सम्मेलन काहिरा में हुआ था । उस समय अनेक उपानिवेश स्वतंत्र हो रहे थे और कुछ अन्य उपनिवेश अपनी स्वतन्त्रता की शुभ घड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे । अतः यह स्वाभाविक था कि काहिरा में हुए दूसरे सम्मेलन का प्रमुख विषय उपनिवेशवाद विरोध और साम्राज्यवाद विरोध था।

तीसरा गुट-निरपेक्ष संम्मेलन लुसाका में हुआ था । उस समय अनेक अफ्रीकी उपनिवेश जातिवादियों के शिकजे से स्वतंत्र हुए थे । कुछ और भी अधिक स्वतंत्र होने के लिए प्रयास कर रहे थे । अतः लुसाका सम्मेलन में मुख्य विषय जातिवाद-विरोध था ।

अगला सम्मेलन अलजीरिया में हुआ था। इतिहास इस बात का साक्षी है कि विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक समस्याएं अयन्त गम्भीर होती जा रही थी । इसलिए, पहली बार, गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के अलजीरिया में हुए सम्मेलन में विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक रुप रेखा तैयार की गईथी ।

इससे अगला सम्मेलन कोलम्बो में हुआ था । उस समय सांस्कृतिक पहचान और स्वतंत्रा का प्रश्न के बारे में चर्चा बहुत की जा रही थी। इसके साथ-साथ हिन्द महासागर से सम्बन्धी प्रश्न भी गरम था । अतः सम्मेलन में उस समस्या पर भी काफी चर्चा हुई ।

इस पहलू का मैं स्वागत करता हूं । कुछ लोग इस बात से क्षुब्ध हैं कि भिन्न विचारों के लोग गुट-निरपेक्ष आन्दोलन से जुड़ते जा रहें है । मैं इससे खुश हूं । इसका साधारण सा यह कारण है कि मैं चाहता हूं कि अधिक से अधिक राष्ट्र दोनों शक्ति गुटों से अलग हों और गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में शामिल हों। इसलिए मुझे इस बात की खुशी हुई कि स्पेन और पुर्तगाल जैसे देश भी जो पहले "नाटो" से संबंधित थे, उन्होंने भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के निकट आने का निर्णय ले लिया और कोलम्बो सम्मेलन में जब उन्होंने इसके लिए आवेदन किया तो इस बात को स्वीकार कर लिया गया कि यदि उन्हें पर्यवेक्षक के रूप में न स्वीकार किया जाए तो उन्हें मेहमान के रूप में स्वीकार कर लिया जाए । इसी प्रकार एक अन्य देश, रुमानिया, जिसका सम्बन्ध सोवियत संघ से होना स्वाभाविक था । ने भी यह निर्णय किया कि वारसा समझौते से सम्बद्ध होने के बावजूद, उनकी स्वतंत्र विदेश नीति होनी चाहिए, वे राष्ट्रों की प्रमुखता का आदर करेंगे और वे नहीं चाहेंगे कि सेना का इस्तेमाल किसी देश की प्रमुखता का आदर करेंगे और वे नहीं चाहेंगे कि सेना का इस्तेमाल किसी देश की प्रमुखता तथा स्वतंत्रता को समाप्त करने के लिए किया जाए। अतः रुमानिया ने भी गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लेने के लिए आवेदन कर दिया । मैं इस बात का स्वागत करता हूं ।

मेरे विचार में गुट-निरपेक्ष आन्दोलन की विजय इसी बात से सिद्ध होती है कि शुरू में इसमें में 25 देश थे और आज 101 देश इसके सदस्य बन चुके हैं । मैं इसका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि यह आन्दोलन और अधिक मजबूत बनेगा और अधिक से अधिक देश राष्ट्र दोनों शक्ति गुटों से निकल कर इस आन्दोलन में शामिल होंगे ।

मैं एक अन्य पहलू की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा। वह है हवाना का सम्मेलन। यह सम्मेलन इस आशंका के परिवेश में आयोजित हुआ था कि शायद गुट निरपेक्ष आन्दोलन का झुकाव एक ओर हो जाए। मुझे इस बात की खुशी हुई कि एक बार फिर हवाना में हुए गुट निरपेक्ष सम्मेलन ने सिद्ध कर दिया कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन गुट निरपेक्ष ही रहेगा। कुछ लोगों को शायद "वास्तविक गुट-निरपेक्षता" शब्द से कुछ 'एलर्जी' हो। लेकिन मुझे खुशी हुई कि हवाना में वास्तविक गुट निरपेक्षता कायम की गई।

अब हम इसके बाद दिल्ली में हुए सम्मेलन पर आते हैं। यहाँ भी वही विशेषता दृष्टिगत हुई। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि विश्व की सभी मौजूदा और ज्वलंत समस्याओं पर इस सम्मेलन में विचार हुआ। मुझे खुशी है कि एक विकासशील राष्ट्र ने दिखा दिया कि गुट निरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि ज्वलंत समस्याओं को पीछे छोड़ दो बल्कि इसका अर्थ है कि उन पर साहचर्य की भावना से विचार कर उनका हल ढूँढ़ने का प्रयास किया जाए। हो सकता है कि दिल्ली सम्मेलन में निकाला गया हल प्रत्येक राष्ट्र को पसन्द न आये। कुछ देशों ने उन्हें आस्थगित रखने की कोशिश की लेकिन गुट निरपेक्ष आन्दोलन में काफी देश थे जिन्होंने उन मुद्दों पर स्वतंत्र रूप से चर्चा करने की स्वीकृति प्राप्त की और अंततः, हिन्द महासागर, कम्पूचिया, अफगानिस्तान जैसे विभिन्न मसलों पर निर्णय लिया गया।

यह प्रत्येक देश के लिए सन्तोष का कारण नहीं हो सकता, यह मेरे लिए सन्तोष का कारण नहीं हो सकता लेकिन उनके लिए सन्तोष का कारण हो सकता है जिन्होंने गुट निरपेक्ष आन्दोलन का समर्थन किया है कि उन सभी विषयों पर किसी प्रकार का एक आम प्रतिपादन निकाला गया था और वह सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन, जो कि दिल्ली में हुआ था, का वास्तविक सारांश था।

अन्य महत्वपूर्ण निर्णय जो लिए गये हैं, निरस्त्रीकरण, विश्व शान्ति और परमाणु हथियारों के उत्पादन को भी समाप्त करने की मांग। मुझे इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मैं चाहता हूं कि सभी परमाणु हथियारों का उत्पादन रोक दिया जाए, लेकिन मैं वह मांग नहीं करता क्योंकि मुझे डर है कि इससे सोवियत ब्लाक तथा एंग्लो-अमेरीकन ब्लाक के मध्य परमाणु युद्ध होने की संभावना है। मुझे विश्वास है कि इससे पहले वे शक्ति सन्तुलन की शर्तों के संबंध में बातचीत करना चाहते थे लेकिन अब वे महाशक्तियाँ आतंक सन्तुलन की शर्तों के संबंध में बातचीत करती हैं। आज सोवियत रूस और अमरीका के मध्य एक आतंक सन्तुलन है और यह आतंक सन्तुलन ही है कि ये दो महाशक्तियाँ सभी को अपनी बात स्वीकार कराती हैं, और यह कि यदि वे एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध में परमाणु हथियारों का प्रयोग करने की कोशिश करते हैं, कौन जीतता है और कौन हारता है यह महत्वपूर्ण नहीं है। सोवियत ब्लाक और अमेरीकन ब्लाक के मध्य परमाणु विध्वंस में जो भी विजेता हो और जो भी पराजित हो, दोनों ही समाप्त हो जाएंगे और, इसलिए, दोनों ही काफी चालाक हैं जो अपनी ही भूमि पर परमाणु युद्ध लड़ना नहीं चाहते हैं। वे कभी नहीं लड़ेंगे। इसलिए, मुझे डर नहीं है कि वहाँ सोवियत रूस और अमरीका के मध्य में परमाणु युद्ध होगा। वह किसी और के क्षेत्र में होगा और इसलिए परमाणु युद्ध के बारे में विकासशील देश अधिक चिंतित हैं। सोवियत संघ और अमरीका को बहुत अधिक चिन्ता नहीं है, लेकिन भारत को अधिक चिन्ता

है, विकासशील देशों को अधिक चिन्ता है क्योंकि यह हमारी ही भूमि है कि जिस पर हथियारों का उपयोग किया जाएगा। यह वियतनाम की भूमि थी कि अमरीका ने बेशर्मी से जीवाणु युद्ध और रोगाणु युद्ध किया लेकिन बम स्वतत्रता के संकल्प को नष्ट नहीं कर सकते। वह इतिहास का पाठ नहीं है। और, महोदय, दूसरे विश्व युद्ध को याद करो जो कि हीरोशिमा और नागाशाकी पर परमाणु बम गिराने से अचानक समाप्त हुआ।

मैंने अभिलेखागार में उपलब्ध सभी रिकार्ड को देखने की कोशिश की है लेकिन मैंने यह नहीं पाया कि यहाँ तक कि अमरीका के मित्र राष्ट्रों ने उस समय अमरीका को समझाने का प्रयत्न किया था कि वह परमाणु बम न डाले। सभी यह महसूस करते हैं कि यदि सर्वमान्य शत्रु को समाप्त करना है उस मामले में परमाणु बम बिलकुल ठीक होगा। वे बाद में भावी इतिहास के लिए पाठ याद करेंगे। लेकिन यह पाठ विकासशील देशों के लिए लिखना होगा। इसलिए, यह विकासशील देशों के हित में है कि उन्होंने सही समय पर निर्णय लिखा है कि वे चाहते हैं सभी परमाणु उत्पादन, परमाणु बम उत्पादन समाप्त हों और हम पूर्ण निरस्त्रीकरण चाहते हैं। हम विश्व शान्ति चाहते हैं। यही पाठ है जो हमने इतिहास से प्राप्त करना है और मुझे खुशी है कि वह विशेष पाठ पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। विश्व में ब्लाक शक्ति के शिथिल होने के बारे में बात पर, मैं इसके बारे में प्रसन्न हूं। वहाँ कुछ दबाव है और यही प्रक्रिया आगे भी बनाई रखनी है।

मैं खुश हूं कि गुट निरपेक्ष सम्मेलन ने उस पर ध्यान दिया है। कुछ ऐसे सम्मेलन विश्व के सामने आर्थिक समस्याओं के बारे में अधिक चिन्ता नहीं करते। मैं बहुत खुश हूं कि दिल्ली में गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में वाद-विवादों और विचार-विमर्शों में विकासशील देशों के आर्थिक विकास की समस्याओं की गहराई से चर्चा की है और उन्होंने यह मालूम करने की कोशिश की है कि विश्व में विकसित देशों द्वारा किस प्रकार का शोषण किया जाता है। वहाँ विश्व बैंक और आई० एम० एफ० जैसी अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय समस्याओं के बारे में विचार-विमर्श किया गया और लंका के मिस्टर जय वर्धन जैसे विख्यात व्यक्ति, जिनका रूढ़िवादी दृष्टिकोण है, जिसे एक समाजवादी नहीं माना जा सकता, जो एक साम्यवादी होने से बहुत दूर है, यहाँ तक कि उस व्यक्ति ने गुट निरपेक्ष सम्मेलन में राष्ट्रों की शिष्टता पर आवाज उठाई कि कुछ विकसित देश और उनके नेता विकासशील देशों पर कुछ सोपयाधिकताए थोपने की कोशिश कर रहे हैं। वह विकासशील विश्व के लिए अपमानजनक है और इससे देश के लिए आर्थिक निर्णयों को लेते समय प्रभुसत्ता नष्ट होती है।

मैंने इस सदन में आई० एम० एफ० पर एक चर्चा शुरू की थी और मेरा मुख्य आधार यह था कि ये यही संस्थाए हैं जो कि आर्थिक मामलों में हमारी प्रभुसत्ता को नष्ट करने की कोशिश कर रही हैं और मुझे खुशी हुई है कि यहाँ तक कि जयवर्धन जैसे एक व्यक्ति ने, जो कि अपनी समाजवादी अथवा साम्यवादी प्रवृत्ति से नहीं जाने जाते, इस विषय को गुट निरपेक्ष विश्व के मंच पर उठाया था और मुझे खुशी हुई है कि इस सम्मेलन ने आर्थिक विकास की समस्याओं, आई० एम० एफ० और विश्व बैंक जैसी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के पुनः संरचना की समस्याओं और विकासशील देशों को ऋण देने के मानदण्डों को भी बदलने के प्रति बहुत अधिक चेतना दिखाई है। वर्तमान रूढ़िवादी बिश्व में, अमूल-चूल परिवर्तन की तो बिल्कुल बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि

बरान्डट रिपोर्ट की तरह एक रूढ़िवादी रिपोर्ट कुछ देश जिन पर आई० एम० एफ० और विश्व बैंक का अधिकार है, स्वीकार नहीं करते। इस विषय पर, इस विशेष सम्मेलन द्वारा जिस पर ध्यान केन्द्रित किया गया था, मैं इसका स्वागत करता हूं और उस विचार से, मैं महसूस करता हूं कि हमें सभी विकासशील देशों को अवश्य बधाई देनी चाहिए।

मेरे द्वारा रखे गए इस प्रारूप में किए गए संशोधन में, जान-बूझकर, मैंने कुछ सुझाव दिए हैं, वह इसलिए नहीं हैं कि मैं उनको ध्यान दिलाना नहीं चाहता जिन्होंने सम्मेलन नेतृत्व किया है, लेकिन मुझे बताना है कि हम मेजबान देश हैं और इस महात्मा गांधी की भूमि में, प्रत्येक सगठन के साथ विनमृता के एक महानतम गुण को अपनाना चाहिए। हमें बहुत विनम्र होना चाहिए। जब हमारा देश सातवें शिखर सम्मेलन के लिए मेजबान है, मैं अपने को बधाई देना, अपनी प्रधानमंत्री को बधाई देना, अपनी सरकार तथा अधिकारियों को बधाई देना पसन्द नहीं करूंगा, बल्कि मैं सम्मेलन की सफलता के लिए, जबरदस्त सफलता जो कि आगे बढ़ने की नीति और दिशा देने में प्राप्त हुई है, के लिए सभी विकासशील देशों को काफी विनम्रता से बधाई देना पसन्द करूंगा। मैं जानता हूं कि जितना कुछ मैंने कहा है आपके द्वारा पसन्द नहीं किया गया है। **(व्यवधान)**

श्री सी० एम० स्टीफन (गुलबर्गा) : मैं कहता हूं 'शानदान।'

प्रो० मधु दंडवते : आपका धन्यवाद, हम आपसे इस प्रकार की टिप्पणी प्राप्त करने के आदी नहीं हैं। वह प्रयोजन है जिसके लिए मैंने संशोधन पेश किया है। हमारा देश मेजबार है, मैं अपनी प्रधान मंत्री को यहां तक कि अपने देश देश को बधाई देना नहीं चाहता हूं लेकिन मैं सभी विकासशील देशों को, जिन्होंने सम्मेलन में भाग लिया है और जिन्होंने राष्ट्रों की स्वतन्त्रता, शान्ति और समानता पर आधारित अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए कार्य करने के लिए अपनी इच्छा का प्रदर्शन किया है, बधाई देना पसन्द करूंगा।

श्री सी० एम० स्टीफन : भारत को छोड़कर सभी?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने भारत को शामिल किया है। आपकी सूचना के लिए, यदि आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, मैं आपको बता सकता हूं कि भारत भी एक विकासशील देश है। मैंने सम्मेलन में भाग लेने वाले उन सभी विकासशील देशों को, जिनमें भारत भी शामिल है, बधाई दी है। मैंने इस तरीके से बधाई दी है जिससे हमारे प्रस्ताव में भारत में महात्मा गांधी की विनमृता दिखाई देगी। जब यहाँ गांधी ही गांधी है, मैं महात्मा गांधी के पक्ष में रहना पसन्द करूंगा और इसलिए मैंने विशेष परिप्रेक्ष्य के साथ यह विशेष संशोधन आगे रखा है।

आधा मिन्ट और तथा मैं समाप्त करूंगा। मैं अत्यधिक प्रसन्न हुआ होता यदि यह विचार-विमर्श नियम 193 के अधीन कराया गया होता। तब लाभ यह हुआ होता कि इसमें कोई संशोधन न कराया जा सका होता - वहाँ इसमें अच्छे विचार व्यक्त किए गए होते, थोड़ी सी असहमति व्यक्त की गई होती—इसका कोई फर्क नहीं पड़ता--लेकिन हम किसी संशोधन पर सदन के विभाजन के बिना चले होते। इसलिए सी० पी० एम० जनता पार्टी, बी० जे० पी०, लोक दल और डी० एस० पी० ने जोर दिया था कि हमें नियम 193 के अधीन विचार-विमर्श करना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण विचार विनियम के लिए संसदीय कार्यों के मंत्री को राजी करना होता है और उन्होंने नियम 184 के अधीन आगे विचार-विमर्श करने का निर्णय लिया जिससे वहाँ एक प्रस्ताव हो सके वहाँ

वोटिंग हो सके और यदि वहाँ एक प्रस्ताव हो सकता है और वहाँ वोटिंग हो सकती है वहाँ संशोधन भी हो सकेंगे। इसलिए संशोधन रखे गये हैं। संशोधन इसलिए नहीं रखे गए कि इससे सम्मेलन बदनाम हो बल्कि विषय को स्पष्ट करने के लिए रखे गये हैं। मुझे आशा है, यह केवल उस प्रसंग में है, हमारे संशोधनों पर ध्यान दिया जाएगा और संशोधनों सहित प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाएगा।

श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : प्रस्ताव में सभी राज्याध्यक्षों और सरकारों की बात कही गई है। आप क्या नई बात कह रहे हैं?

प्रो० मधु दंडवते : मैंने नई क्या बात कही है? मैं काफी विनम्र था मैंने न केवल अपनी सरकार और अपने देश का उल्लेख किया है लेकिन सभी विकासशील देशों का उल्लेख किया है।

श्री माधवराव सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, गुट निरपेक्ष आन्दोलन का मूल आधार जिस पर यह आधारित है 7 सितम्बर, 1946 को श्री जवाहर लाल नेहरू द्वारा स्थापित किया गया था उस समय उन्होंने कहा था :

> "हम अपनी पसन्द का इतिहास बनायेंगे। हमारा प्रस्ताव है, जहाँ तक सम्भव हो, एक दूसरे के विरुद्ध जो गुट है उनके दलों की राजनीति की शक्ति दे अलग रहो, जिन्होंने बीते समय में विश्व युद्धों का संचालन किया है जो कि दोबारा यहाँ तक कि बहुत बड़े पैमाने पर यहां विपदा का संचालन कर सकते हैं।"

यह वही नीव थी जिस पर पिछले 30 वर्षों में ईंट-प्रति ईंट, एक दूसरे के ऊपर लाइन में रखकर गुट निरपेक्ष की इमारत बनाई गई थी।

अध्यक्ष महोदय : क्या सदन की यही इच्छा है कि हमें देर तक बैठना चाहिए?

कई माननीय सदस्य : जी हां।

श्री माधवराव सिंधिया : यह वही नीव थी जिस पर पिछले 30 वर्षों में ईंट के ऊपर ईंट और लाइन के ऊपर लाइन लगा कर गुट निरपेक्ष की इमारत बनाई गई थी। और भारत के लिए, इस आन्दोलन की नीव को जन्म देने वाला होने के कारण, 1983 वर्ष विश्व और आन्दोलन दोनों के प्रसंग में एक शानदार उपलब्धियों को वर्ष की तरह याद रखा जाएगा। एक पाण्डित्यपूर्ण पिता की एक पाण्डित्यपूर्ण बेटी ने आन्दोलन का अध्यक्ष पद संभाला हैं। यह एक विचार था जिस पर उसके द्वारा अपना रचनात्मक उर्वर मस्तिष्क में विचार किया गया—एक मस्तिष्क जो न केवल उस काल के बारे में विचार करता है जिसमें वह रहता है लेकिन उसके बाद के काल पर भी विचार करता है। एक सुहावनी सुबह को एडरीएटिक में एक तेज चलने वाली नाव पानी में से नाक की सीध की ओर चली। इसमें तीन व्यक्ति आमोद-यात्रा पर दिखाई देते थे। यह वही दिवस था कि जब सबसे पहले गुट निरपेक्ष का विचार पैदा हुआ था। तीन पदाधिकारी थे पण्डित जवाहर लाल नेहरू, गैमल अब्दुल नासर, और जौसेफ बरोज टीटो, और यह वही विचार है जिसने आज 101 देशों को सम्मिलित किया है जिसकी पराकाष्ठा नई दिल्ली में ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन से हुई है— यह एक ऐसी सभा थी जो समकालीन इतिहास में अद्वितीय है। यहाँ अपनी प्रधानमंत्री को जिन्होंने थोड़े समय की सूचना में इस सम्मेलन को आयोजित करना स्वीकार किया है तथा उसके लिए जो पहल की है उसके लिए उन्हें कीर्ति प्रदान में कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। उनकी सफलता और

उनकी टीम की सफलता एक प्रभावशाली संगठन और दक्ष कूटनीति की कहानी है और उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने विश्व कार्यों में सार्थकता प्राप्त की है जिसे विकसित राष्ट्र केवल अपने आपको खतरे में डालकर अवहेलना कर सकते हैं। यह असल में एक अन्तर-निर्भरता का विश्व है, दूसरे पर शासन करने की प्रवृत्ति को समाप्त करना होगा और साझेदारी के लिए प्रवृत्ति को अपनाना होगा। असलियत में, इन 'उत्तर' के बहुत से देशों के लिए, गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन का होना एक बहुत बड़ी निराशा थी।

यह आंदोलन सहमति के आधार पर समाप्त हुआ है और इसका परिणाम अफ्रीकी एकता संगठन की तरह नहीं रहा, जैसी कि आशा की जाती थी। इस शिखर सम्मेलन में इसी भावना पर काफी जोर दिया गया है ओर 9 वें दशक में भी यही भावना सभी देशों में रहनी चाहिए। यदि हमें परमाणु अस्त्र की उन धमकियों को खतम करना है जो आज संसार के सामने भीषण खतरा बनी हुई हैं तो यही भावना अपनानी पड़ेगी।

प्रधान मंत्री द्वारा नयी दिल्ली घोषणा में बार-बार इस बात पर स्पष्ट रूप से जोर दिया गया है कि संसार में शांति, निरस्त्रीकरण और विकास का वातावरण व्याप्त हो। नामिबिया और फिलिस्तीन को छोड़कर विश्व विकासशील राजनीतिक स्वतंत्रता के दौर से गुजर चुका है और इस साम्राज्यवाद के चुंगल से निकलकर राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और प्रगति की राह अपनायी है जो बहुत ही उलझा हुआ और कठिन कार्य है। परन्तु इस कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि संसार को सैनिक-सर्वोच्चता की होड़ से बचाया जाए। निर्गुट शिखर सम्मेलन में साम्राज्यवाद की आंतकवादी विचारधारा की कड़ी आलोचना की गई है क्योंकि यह विचारधारा इस नकारात्मक महत्त्वाकांक्षा की प्रेरक है। यह रास्ता स्वयं के विनाश का रास्ता है।

इस शिखर सम्मेलन में उस परमाणु खतरे की भी स्पष्ट रूप से चर्चा की गई है जो आज हमारे ही नहीं बल्कि सारी मानव जाति के सिर पर मंडरा रहा है। इसमें यह भी माँग की गई है कि हथियारों पर जो धनराशि खर्च की जा रही है उसे आर्थिक विकास पर लगाया जाए। क्या यह उचित है कि विकसित देश हथियारों पर एक ही दिन में इतना पैसा खर्च कर दें जितने से वो सारे संसार को पूरे वर्ष तक खिला सकते हैं। इस बात पर ठीक ही जोर दिया गया है कि विकसित देशों के जो वर्तमान पैमाने हैं उनमें परिवर्तन आना जरूरी है और यह भी आवश्यक है कि एक नयी अर्थ-व्यवस्था कायम की जाए और इस तरह की बातचीत सार्वभौमिक होनी चाहिए तथा संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर होनी चाहिए इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण-दक्षिण सहयोग के सिद्धान्त को आधार मानते हुए सामूहिक आत्मनिर्भरता पर जोर दिया गया है।

इसके अलावा सदैव खाद्य की कमी वाले विकासशील देशों को खाद्य की कमी से छुटकारा दिलाने के लिए खाद्य और वित्तीय सहायता का एक विशेष अन्तर्राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने का भी निर्णय किया गया ताकि गुटनिरपेक्ष और अन्य विसासशील देशों के लिए खाद्य सुरक्षा प्रणाली की शीघ्र स्थापना हो सके।

इस शिखर सम्मेलन की सफलता का आकलन दक्षिण-दक्षिण आर्थिक सहयोग बढ़ाने की दिशा में वास्तविक रूप से की गई अनुवर्ती कार्यवाही से किया जा सकता है। नये उपनिवेशवादों द्वारा

उपयोग किये गये तीनों हथियारों की अर्थात् शस्त्र, आर्थिक साम्राज्यवाद और खाद्य की भरपूर आलोचना की गई। इससे संगठन और एकता की एक नयी भावना का जन्म हुआ है और इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए इस आंदोलन के माध्यम से एक इच्छाशक्ति का उदय हुआ है तथा इसके कार्यान्वियन के लिए नये आदेशों का भी प्रतिरूपण किया गया है।

राजनीतिक मोर्चे पर फिलिस्तीन के बहादुर लोगों के लिए उनकी अपनी मातृभूमि के अधिकार के लिए व्यक्त की गयी एकता भी सराहनीय रही है और फिलस्तिनी मुक्ति मोर्चे के नेता यासर अराफात के सुझाव पर दक्षिण एशिया विषयक एक अनुवर्तन समिति गठित की गयी है जिसके सदस्य भारत और सात अन्य देश हैं।

जहां तक अफगानिस्तान और कम्पुचिया का संबंध है इस सम्मेलन में पारित किये गये संकल्प की आलोचना कैसे की जा सकती है क्योंकि यह इस विषय में सही और वास्तविक दृष्टिकोण के अनुरूप है यह सही है कि अफगानिस्तान में सोवियत सैनिक मौजूद हैं, क्या इस बात से इंकार किया जा सकता है कि सक्रिय विद्रोहियों को अफगान-पाक सीमा पर सहायता दी जाती है और उन्हें शस्त्र दिये जाते हैं ? क्या यह हस्तक्षेप नहीं है ? या इस हस्तक्षेप की व्याख्या करने के लिए किसी अलग शब्दकोष की आवश्यकता है जो विभिन्न परिस्थितियों में इसके उपयुक्त हो ? मुझे स्वीकृत किये गये प्रस्ताव को यहां पूरा नहीं पढ़ना है। इतना ही कहना ठीक है कि इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि विदेशी सैनिकों की वापिसी पर और अफगानिस्तान की स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, क्षेत्रीय अखंडता और उसके निर्गुट दर्जे के आधार पर एक समझौता किया जाना चाहिए और इसमें हस्तक्षेप न किये जाने के सिद्धान्त का कड़ाई से पालन करना भी शामिल है।

इसी प्रकार कम्पुचिया के मामले में की गयी घोषणा में यह जोर दिया गया है कि एक व्यापक राजनीतिक हल के माध्यम से वहां के तनाव को दूर करने की जरूरत है। जिसमें यह प्रावधान किया गया है कि वहां से सभी विदेशी ताकतें हटायी जायें और इस प्रकार इस क्षेत्र में कम्पुचिया सहित सभी देशों की सार्वभौतिकता स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता को पूरा-पूरा सम्मान मिल सके। क्या कोई और घोषणा इससे अधिक उपयुक्त और सही हो सकती है जो कि सभी को मान्य हो ?

प्रो० तिवारी ने दियागो गार्सिया के बारे में बताया है जिसे हिन्द महासागर के परिवार से अलग रखा गया है। हालांकि दियागो गार्सिया को हिन्द महासागर के परिवार से अलग रखा गया है, फिर भी दियागो गार्सिया विषयक एक विशेष पैरा एक अलग शीर्ष में जोड़ा गया है जिसमें दियागो गार्सिया में सैनिक अड्डे की स्थापना और उसे मजबूत बनाये जाने का उल्लेख किया गया है जिससे मौरिशस और अन्य राष्ट्रों को खतरा पैदा हो गया है।

नामिबियन लोगों को स्वतंत्रता संघर्ष को समर्थन देने वाला तथा दक्षिण अफ्रीकी सरकार की दमनकारी नीतियों की आलोचना करने वाला एक प्रस्ताव भी स्वीकृत किया गया है।

ऐसी भी कुछ आलोचना की गयी है कि निर्गुट सम्मेलन का झुकाव सोवियत रूस की ओर है। यह आंदोलन हर मसले पर गुणावगुण के आधार पर विचार करता है। क्या यह निर्गुट आंदोलन का दोष है कि अमरीका अधिकांश निर्गुट देशों की अनेकों मामलों में कितनी आलोचना करता है जितनी अन्य कोई देश नहीं करता।

इस संदर्भ में दक्षिण अफ्रीका, इजराइल और नामिबिया का उल्लेख किया जा सकता है और इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि यह मांग कितनी भ्रामक है कि निर्गुट सम्मेलन को हमेशा ही सर्वोच्च शक्तियों से बराबर का फासला बनाए रखना चाहिए, चाहे उनके विशिष्ट कार्य कैसे भी हों। यदि अफगानिस्तान और कम्पुचिया के मामले में निर्गुट आंदोलन ने कम आलोचना की है तो इसका यह कारण है कि इन मुद्दों और इजरायली आक्रमण एवं क्रूरता के बीच या दक्षिणी अफ्रीकी सरकार की दमनकारी और अमानवीय नीतियों के बीच भारी अन्तर है। निर्गुट आंदोलन का महत्व एक ऐसी नैतिक शक्ति सृजित करने के लिए एक मंच तैयार करना है, जो विकसित देशों पर यह दबाव डाले कि वे देश आर्थिक और क्षेत्रीय अर्थात् दोनों ही तरह के साम्राज्यवाद के रास्ते से हट जायें। इसका उदारतावादी स्वरूप इसकी कमजोरी न होकर इसकी शक्ति है। इसकी विविधताओं में इसकी एकता उन नैतिक सिद्धांतों पर कायम है जो एक स्थायी एवं शांतिपूर्ण विश्व व्यवस्था के निर्माण के लिए उचित वातावरण तैयार करते हैं और ये एक ऐसी व्यवस्था है जो समानता तथा अहिंसा के सिद्धान्तों पर आधारित है।

ससार आज एक चौहारे पर खड़ा है। हम विनाश के कगार पर खड़े हैं। और फिर भी यदि कूटनीतिज्ञ निर्णय किये जायें तो मानवजाति को विनाश से बचाया जा सकता है। आर्थिक रूप में और आदेशों के रूप में दोनों में ही निर्गुट आंदोलन को एक बहुत बड़ी भूमिका निभानी है और यह आंदोलन विश्व का सबसे बड़ा आंदोलन बन सकता है।

खासकर इस मौके पर जबकि हमारी प्रधान मंत्री जो एक ऐसे देश की नेता के रूप में जहां वेदों और महात्मा बुद्ध के समय से लेकर महात्मा गांधी के समय तक अहिंसा और विश्व बंधुत्व के आदर्शों का पालन होता रहा है, और एक विश्व नेता के रूप में जो विकासशील देशों की भावनाओं की प्रतीक है, हमारे महान नेता जवाहर लाल नेहरू के विचारों एवं आकांक्षाओं की जीती-जागती आदर्श हैं।

ऐसे भी कई मामले हैं जिसे विरोधी दल अपनी-अपनी पार्टी के अनुसार उनकी विवेचना कर सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जब हमें ऐसे ऐसे कार्यों के लिए एक होना चाहिए जो न केवल किसी एक देश का है न ही एकराष्ट्र का, बल्कि सम्पूर्ण विश्व की व्यापक प्रगति के लिए है।

ऐसा ही एक अवसर हमारे सामने है। हमें अपने दलगत स्वार्थों को छोड़कर विश्व बंधुत्व की भावना को फैलाने के लिए एक हो जाना चाहिए।

हमें एक होकर इस प्रस्ताव को स्वीकार करना और अपनी प्रधानमंत्री की तथा अन्य विश्व नेताओं के राजनीतिक कौशल की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने निर्गुट शिखर सम्मेलन को सफल बनाने में योगदान दिया है।

नयी दिल्ली इतिहास का एक ऐसा मोड़ होना चाहिए जहां से सहयोग, भाईचारे, आम सहमति और नये आदेशों का युग शुरू हो सके।

श्री राम जेठमलानी (बम्बई उत्तर पश्चिम) : महोदय, मुझे इस बात के लिए क्षमा करें कि

मैं सदन के समक्ष इस प्रस्ताव को लाने वाले सदस्यों की भावनाओं से थोड़ा सा अलग हट रहा हूं और साथ ही उन सदस्यों की भावना मे भी जिन्होंने इसका समर्थन किया है। हो सकता है कि जो कुछ मैं कह रहा हूं उसके बारे में मुझे कुछ चीजों के बारे में पूरी जानकारी न हो, जो इस सम्मेलन के दौरान हुई है।

(व्यवधान)

मैं विदेश मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति का सदस्य रह चुका हूं। इस शिखर सम्मेलन से पहले हमें एक परिपत्र भेजा गया था जिसमें इस भावी शिखर सम्मेलन के बारे में कुछ जानकारी दी गयी थी। इसमें उस बहुत अच्छे प्रबन्ध के बारे में हमें बताया गया था जो हमारे विदेशी महमानों के लिए, उनकी परिवहन व्यवस्था के लिए, उनके रहने-सहने की व्यवस्था, उनके मनोरंजन, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि के बारे में किये गये थे। परन्तु वास्तव में ऐसा कोई प्रबन्ध नहीं किया गया। इस सम्मेलन के बाद हमें आशा थी कि प्रशंसा संबंधी इस प्रस्ताव को इस सदन में लाने से पहले आप हमें बुलायेंगे। हमें बताया गया होता और हमारे कुछ संदेहों को दूर किया गया होता। यह प्रजातंत्र है और सत्ता पक्ष के मेरे मित्र प्रजातन्त्र की भावना का गलत अर्थ लगाते हैं। यदि वे समझते हैं कि इस सदन का हर सदस्य एकदम उनके साथ सहमत हो जाएगा चाहे वे कुछ भी कहें या चाहें वे कुछ भी करना चाहें तो यह गलत है। वे इस मान्यता पर भी चल रहे हैं कि वे ही पूर्ण हैं। और उनकी कभी आलोचना नहीं की जा सकती चाहे वे कुछ भी करें।

अतः महोदय, यदि मैं जो आंकड़े प्रस्तुत करूं उसमें कोई गलती हो तो वह गलती मेरी न होकर विदेश मंत्री महोदय की होगी। लेकिन इस सबके बावजूद मैंने उन आंकड़ों को समाचार पत्रों सहित अन्य स्रोतों से भी जांच की है और मुझे बाध्य होकर यह संशोधन प्रस्तावा लाना पड़ रहा है जिसके परिणामस्वरूप मेरा प्रस्ताव इस सदन के समक्ष एक वैकल्पिक प्रस्ताव के रूप में बन गया है। जो कुछ मैं कहना चाहता हूं उसका आशय यह है कि मैं इस बात से बहुत ही खुश हूं कि यह सम्मेलन भारत की राजाधनी में संपन्न हुआ है लेकिन यह एक ऐसा तथ्य है जिसे समुचित परिवेश में देखा जाना चाहिए। हम सभी ने ईरान-इराक युद्ध को खत्म कराने का प्रयास किया था। यदि हमारे वे प्रयास सफल हो गये होते और समय पर युद्ध बन्द हो गया होता तो इस सम्मेलन का आयोजन स्थल बगदाद हुआ होता। अब इस सम्मेलन का आयोजन स्थल बगदाद न होकर नयी दिल्ली था जो कि परिस्थितियों का परिणाम था क्योंकि इस तथाकथित आन्दोलन के प्रयासों के बावजूद युद्ध बन्द नहीं हुआ है।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : क्यों तथाकथित कैसे ?

श्री राम जेठमलानी : इसके बारे में भी बताऊंगा।

भारत की प्रधान मंत्री ने इस निर्गुट आंदोलन का नेतृत्व संभाला है। यह भी एक तथ्य है जिसे भी समुचित परिवेश से देखा जाना चाहिए। यदि यह सम्मेलन बगदाद में हुआ होता तो श्री सद्दाम हुसैन परम्परानुसार इस आंदोलन के नेता हुए होते और तब मुझे यह पूरा विश्वास नहीं है कि उस समय मेरे मित्र इस सदन में इस प्रकार का प्रस्ताव लाते।

मुझे यह जान कर प्रसन्नता है कि यह सभा हमारे सम्मानित अतिथियों की देखभाल तथा सम्मेलन, बैठकें आदि की व्यवस्था करने में दिखाई गई कुशलता व सावधानी की सराहना करना चाहती हैं। मैं भी उन सभी प्रतिनिधि मंडलों का आभारी हूं जिन्होंने अपनी उपस्थिति से इस सम्मेलन का महत्व व प्रतिष्ठा बढ़ाई।

मेरे मित्र श्री कमल नाथ ने बताया है कि इस सम्मेलन के बाद देश की प्रतिष्ठा बहुत अधिक ऊंची हो गई है। उनकी इस ऊंचाई से मैं सहमत नहीं हूं इस समय मुझे एक घटना याद आती है कि एक पत्नी अपने-पति से बहुत परेशान थी क्योंकि उसका पति खूब शराब पी कर सुबह होने पर नशे में चूर घर आता था। उसने अपने पड़ोसी से पूछा कि अपने पति को सुधारने के लिए उसे क्या करना चाहिए। (व्यवधान) पड़ोसी ने उस महिला को बताया कि जब अगली बार उसका पति नशें में चूर होकर घर आये तो तुम यह दिखाना कि तुम शैतान हो और खूब डरावनी आवाजें निकाल कर उसका नशा खत्म कर देना। एक रात जब उसका पति खूब नशे में घर आया तो उससे ऐसा ही किया। जब पति ने शैतान की डरावनी आवाजें सुनी तो उसने बड़ी नमृता से कहा कि 'मेरा विवाह आपकी बहिन से हुआ है। देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है। परन्तु एक बात तो सच है कि अब हम बहुत खुश हो कर यह कह सकते हैं कि श्री अराफात की बहिन हमारे भारत की प्रधान मंत्री हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : कितनी बुरी बात है।

श्री राम जे० मलानी : यदि मेरे मित्रों को इस बात का गर्व है तो हुआ करे। श्री उन्नीकृष्णन जो मेरी बांई ओर मेरे पड़ोस में बैठते हैं उन्होंने यह संशोधन उठाया है कि इसे प्रस्ताव का अंश बताया जाए कि श्री अराफात की उपस्थिति से सम्मेलन की जो प्रतिष्ठा बढ़ी है उसके प्रति आभार व्यक्त किया जाए तथा उसकी सराहना की जाए। इस पर कुछ कहने से पहले मैं दो बातों का जिक्र करना चाहूंगा।

मुझे उम्मीद है कि सम्मेलन शुरू होने के समय 7 मार्च को दो समाचारपत्रों दि टाइम्स आफ इंडिया तथा दि स्टेटसमैन में दो विभिन्न प्रकार के समाचार थे दि टाइम्स आफ इंडिया में लिखा था :—

> "सातवां गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन कल प्रारम्भ हो रहा है, बहुत से सदस्य देशों का यह मत है कि यह आन्दोलन, जो कि अन्य विकासशील देशों की महत्वाकांक्षाओं का प्रतिबिंब है, भारत के नेतृत्व में अपने आधारभूत सिद्धांतों को फिर से अपनाएगा।"

दि **स्टेट्समैन** में बहुत से प्रतिनिधिमंडलों का सर्वेक्षण करते हुए कहा कि :

> "जैसाकि कई प्रतिनिधिमंडलों ने कहा है कि भारत को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह आन्दोलन उसी राह पर लौट आए जो राह इसके संस्थापकों ने अपनाई थी। श्रीमती गांधी यह सब बखूबी जानती है। वह यह भी जानती हैं कि सदस्यता बढ़ने से यह आन्दोलन बड़ी-बड़ी ताकतों के प्रभाव से अधूरा नहीं है।"

यह विचार अधिकतर सभी प्रतिनिधिमंडलों का है जिन्होंने इस सम्मेलन में भाग लिया है इसलिए मैंने अपने स्थानापन्न प्रस्ताव में कहा कि :

"चूंकि भारत को इस आन्दोलन की अध्यक्षता का दायित्व मिला है इसलिए यह सभा आशा करती है कि यह आन्दोलन अपने मूल उद्देश्यों और सिद्धान्तों के अनुसार ही आगे बढ़ेगा। इसे पूरा करने का दायित्व इस देश पर तथा हमारी प्रधान मंत्री पर होगा जो कि अगले कुछ वर्षों तक इसकी अध्यक्षता करेंगी।"

मेरा मुख्य विरोध तो इस बात का है कि, जैसाकि मेरे मित्र श्री मधु डण्डवते ने भी कहा है कि, हमारा देश गुट निरपेक्ष आन्दोलन अथवा उसके सिद्धान्तों के प्रति वचन बद्ध है वह मूल सिद्धांत जो इसके संस्थापकों द्वारा बनाए गए थे। मेरा यह दावा है कि यह आन्दोलन पर कहीं पर अपनी राह से भटक कर विपरीत दिशा में जाने लगा है···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुन्टर) : नहीं, नहीं।

श्री राम जेठ मलानी :···तथा अब इसके जो सिद्धांत व उद्देश्य हो गए हैं वह इसके संस्थापकों को स्तब्ध कर देंगे।

सबसे पहले तो मैं आपका ध्यान उस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि जिसका जिक्र प्रधान मंत्री ने दो बार अपने भाषण में किया था। उन्होंने कहा कि यह इस आन्दोलन की परम्परा है कि हम आन्दोलन के अन्दरुनी विरोधों की चर्चा नहीं करते हैं यदि हम ऐसा करें तो श्रीमती गांधी के शब्दों में ही "हम उग्र परस्पर संहारक विरोधों में ही लिप्त रहेंगे।"

कोई भी आन्दोलन जो अपनी कमियों पर विचार नहीं कर सकता वह दूसरों की कमियों पर कैसे विचार कर सकता है तथा मानव जाति की अंतरात्मा की नैतिक पुकार कैसे बन सकता है। कोई भी व्यक्ति यह तो नहीं कह सकता कि 'मैं जो चाहूं कर सकता हूं, मेरी ओर मत देखो, परन्तु मैं तुम्हें उपदेश दे सकता हूं।' यदि आन्दोलन अपने उद्देश्य में असफल रहा है क्योंकि वह अपनी कमियां दूर नहीं कर सकता तो वह किसी दूसरे पर कोई गंभीर नैतिक प्रभाव डालने की स्थिति में नहीं है।

इस आन्दोलन के पीछे यह उद्देश्य था कि यह उन देशों का समूह है जिसके पास अपनी सैनिक शक्ति तो नहीं है परन्तु नैतिक व आध्यात्मिक बल है और यदि यही बल नहीं है तो हम उन शक्तियों पर क्या प्रभाव डाल सकते हैं जो इस स्थिति में हैं कि वह पूरे विश्व को अपने सस्त्रों से तहस-नहस कर सकते हैं।

मेरा दूसरा मत यह है कि इस आन्दोलन का आधारभूत सिद्धान्त इस समय के परिवर्तित अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अनुरूप नहीं है। आधुनिक अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का एक नया पहलू नया सिद्धांत बन गया है कि किसी भी सरकार के आन्तरिक मामले अब उसे सरकार के आन्तरिक मामले नहीं रह गए हैं। जहां तक स्वतंत्रता है आधारभूत मानवीय अधिकारों का सम्बन्ध है, अब पूरे अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को इसकी चिन्ता होती है। एक समय वह भी था जब कोई मामला इस शासन के अन्दरुनी न्यायक्षेत्र में आता था, पड़ोसी देशों की आखें उस देश के अन्दरुनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती थीं। तथा कोई भी सरकार अपने नागरिकों से किसी भी प्रकार का व्यवहार कर सकती थी। महोदय,, यह अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धान्तों का विचार नहीं है और इसलिए हम दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद

नीति के खिलाफ प्रस्ताव पारित करते हैं, क्या हम यह दावा कर सकते हैं कि जिस प्रकार दक्षिण अफ्रीका सरकार अपने नागरिकों से व्यवहार करती है उसके बारे में कुछ कहने का हमें हक है। जब हमने इन्यनस्मिथ सरकार पर प्रतिरोध लगाया था तो ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वह शासन अपने नागरिकों के आधारभूत मानवीय अधिकारों का उल्लंघन कर रहा था तथा हमारा यह विचार था कि अपनी अश्वेत जनता के अधिकारों को छीन कर उन्होंने ऐसी स्थिति पैदा कर दी है जो किसी भी युद्ध की स्थिति से कम नहीं है। इसीलिए काफी पहले ही हमने यह सिद्धांत अपना लिया था कि प्रत्येक पड़ोसी देश को यह अधिकार है कि वह अपने देश की सीमाओं के पार यह देखे कि कितने आधारभूत मानवीय अधिकार या स्वतंत्रता वहीं प्रदान की जा रही है।

गुट निरपेक्ष आन्दोलन ने अन्तर्राष्ट्रीय सिद्धांतों के इस नए सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है; इसलिए महोदय मेरा यह आरोप है कि गांधी जी और नेहरु के इस महान देश में सम्मेलन करते हुए हम उन देशों के नेताओं को सम्मान दे रहे हैं जो अपने नागरिकों को आधारभूत अधिकारों से वंचित रख रहे हैं। यही मामला उठाना मेरा उद्देश्य है। एक सौ एक सदस्य देशों में से केवल दो-भारत और श्रीलंका-को छोड़कर कोई भी ऐसा देश नहीं है जहां लोकतन्त्र हो। जितने भी अतिथिगण यहां आए उसमें से एक भी लोकतान्त्रिक रूप से अपनी जनता द्वारा नहीं चुना गया है। कोई भी देश ऐसा नहीं है जिसने मानवीत अधिकारों-नागरिक व राजनैतिक दोनों—से सम्बन्धित घोषणा कर रखी हो। महोदय मैं कुछ कहना नहीं चाहता क्योंकि ये सभी जानते हैं कि सच्चाई क्या है ?

प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर) : माननीय सदस्य हमारे मेहमानों के विरोध में बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : वह उनके खिलाफ नहीं बोल रहे हैं;

प्रो० के० के० तिवारी : महोदय इसे कार्यवाही वृतांत से निकाल दिया जाना चाहिए।

श्री राम जेठ मलानी : वह हर व्यक्ति की प्रशंसा करते रहते हैं जो मैं नहीं करता।

प्रो० के० के० तिवारी : उनके वक्तव्य का यह अंश कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव (अजमेर) : जेठमलानी साहब ने सिर्फ दो राष्ट्रों का उल्लेख किया है, बाकियों का विरोध कर रहे हैं। क्या यह सच नहीं है कि ये सैनिक तानाशाह जैनरल जिया से मिल कर आए हैं ? ये जिया के यहां होकर आए हैं और यहां इस तरह की बातें कर रहे हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : वे राष्ट्राध्यक्ष हैं, और हमारे अतिथि हैं। वह उनकी आलोचना कर रहे हैं तथा उनके देशों के आंतरिक मामलों की चर्चा कर रहे हैं। यह उनका आन्तरिक मामला है। ऐसा कभी नहीं किया जाता। यह कार्यवाही वृतांत में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए।

प्रो० के० के० तिवारी : यह सभा की परम्परा के खिलाफ है।

अध्यक्ष महोदय : कौन सी परम्परा ?

प्रो० के० के० तिवारी : पड़ोसी देशों के आंतरिक मामलों पर सभा में विचार विमर्श नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : ये उनके अपने विचार हैं।

प्रो० के० के० तिवारी : वह सब पर आरोप लगाएगे ; क्या वह अब सब कार्यवाही वृत्तांत में शामिल किया जाएगा ? **(व्यवधान)**

आचार्य भगवान देव : अध्यक्ष जी यहां से हाउस को गुमराह करें और उधर जैनरल जिया से स्वयं मिलते हैं—यह क्या है ? यहां ये टीका करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। उन्हें अपने विचार व्यक्त करने का पूरा हक है।

प्रो० के० के० तिवारी : सभा की परम्परा व नियमों के अनुसार, यह हमारे अतिथि देशों का आंतरिक मामला है। ऐसा नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, इसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री राम जेठ मलानी : महोदय मैं आपसे नियम सीख सकता हूं, परन्तु इन महोदय से नहीं (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाए रखें। **(व्यवधान)**

श्री राम जेठ मलानी : क्या आप यह कहलवाना चाहते हैं कि ये किसी और व्यक्ति के विचार हैं। इसका क्या मतलब है ? यदि आप इससे प्रसन्न हैं तो जाने दीजिए। मेरा तीसरा विचार व टिप्पणी यह है कि —

अध्यक्ष महोदय : आपका समय समाप्त हो गया है। कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री राम जेठमलानी : आपने दो घन्टे का समय आधे से कम बक्ताओं में समाप्त कर दिया है। आपने अब तक केवल सात मिनट दिए हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री राम जेठमलानी : कहीं पर कुछ गलती हुई है।

महोदय, गुट निरपेक्ष आंदोलन और उसमें हमारे भाग लेने से अन्ततः हमारी बिदेश नीति, समग्र विदेश नीति, प्रतिलक्षित होनी चाहिये, महोदय, प्रत्येक देश की विदेश नीति के अन्तिम विश्लेषण से उस देश के आधारभूत मूल्य और देश की आन्तरिक नीति प्रदर्शित होनी चाहिए हमारी आन्तरिक राजनीति के तीन आधारभूत मूल्य हैं प्रजातंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस सम्मेलन के दौरान इस सरकार या इसके नेताओं ने किस तरह प्रजातंत्र के मूल्यों का विस्तार करने की कोशिश की प्रजातंत्र के क्षेत्र का विस्तार करने की कोशिश की ? किस तरह से उन्होंने धर्मनिरपेक्षता के क्षेत्र को फैलाया ? समाजवाद के क्षेत्र का विस्तार करने के लिए यदि कोई प्रयास भी किया तो किस प्रकार ?

इस देश के लिए यह अत्यधिक चिन्ताजनक बात है कि उसकी सीमाओं के चारों ओर हर दिन नये गणतंत्र बनते हैं जिनके धार्मिक नाम-उपनाम हैं। इस धर्मनिरपेक्ष देश के लिए यह चिन्ता

का विषय है। महोदय, हम लोगों ने तो इनकी चुप्पी साध ली है और हमारा नैतिक बल इस हद तक समाप्त हो गया है कि हम अपने पड़ोसियों को कान में भी यह नहीं कह सकते कि कुछ गलत हो रहा है।

तो महोदय इन टिप्पणियों के साथ कुछ खास बातों की चर्चा कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। सबसे पहले मुझे बहुत खेद है और विदेश मंत्री बताएंगे कि इस सम्मेलन के दौरान अफगानिस्तान पर किए गए कब्जे को खाली कराने के लिए क्या ठोस कदम उठाए गए हैं ? इस समय अफगानिस्तान एक पराधीन देश है। मेरे मित्र संभवतः इस पर विश्वास नहीं करेंगे किन्तु यह देश पराधीन है और बबराक करमाल**ऐसे व्यक्ति हैं जिसमें कोई साहस नहीं है...(**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय यह गलत है। इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपकी आपत्ति स्वीकार कर ली है।

श्री चन्द्रजीत यादव : क्या यह सही है कि कोई किसी भी देश के अध्यक्ष को कुछ भी कह डाले ? यदि हमारे प्रधान मंत्री को इस तरह कोई कहेगा तो आप क्या जवाब देंगे ? (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : उन्हें ऐसा नहीं कहना चाहिए। (**व्यवधान**)

श्री चन्द्रजीत यादव : इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जाए।

अध्यक्ष महोदय : आपकी आपत्ति मान ली गई है। इसे कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया जागगा। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष मोहदय : आप आलोचना कर सकते हैं। आपका मतभेद भी हो सकता है। किन्तु यह कुछ और बात है। आप असंसदीय शब्दावली का इस्तेमाल नहीं कर सकते।

श्री राम जेठमलानी : उस देश में बिना किसी रुसी सलाहकार की उपस्थिति के कोई राजनीतिज्ञ नेता प्रेस कांफ्रेंस आयोजित नहीं कर सकता। (**व्यवधान**)

अध्यक्ष महोदय : इस तरह की टिप्पणी नहीं कीजिए।

श्री राम जेठमलानी : महोदय, मेरा ख्याल है कि प्रेस विज्ञप्ति और सम्मेलन तथा सम्मेलन की अन्तिम रूप से प्रस्तुत अपील में हिंद महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किए जाने का अनुरोध प्रशंसनीय है, हालांकि यह एक ढोंग ही है क्योंकि जो लोग हिन्द महासागर को शांति का क्षेत्र निर्धारित करने की बात करते हैं वे भारतीय भूमि के आस-पास शान्ति का क्षेत्र घोषित नहीं करना चाहते। भारत का उत्तरी क्षेत्र जो केवल पाकिस्तान से विभाजित है, वहां एक सर्वोच्च शक्ति सशस्त्र बल समेत विद्यमान है फिर भी हम हिन्द महासागर को शांन्ति का क्षेत्र घोषित करने की मांग कर रहे हैं और मैं उनसे यह पूछना चाहता हूं कि हिन्द महासागर को वे शान्ति का क्षेत्र क्यों बनाना चाहते हैं ?

**पीठाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

क्या आपने अपने आप से कुछ पूछा है ? वे केवल यही चाहते हैं कि एक सर्वोच्च शक्ति जाये और दूसरी सर्वोच्च शक्ति पूरे क्षेत्र पर आधिपत्य जमा ले। इससे उस शक्ति के प्रशंसकों, एजेन्टों, मित्रों, को यह संतोष होगा कि एक दिन यह देश भी अफगानिस्तान की तरह उस शक्ति के अधीन होगा। अगले दिन पाकिस्तान उसके अधीन होगा और उसके बाद इस देश की बारी आएगी···(व्यवधान)

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : ऐसा कभी नहीं होगा।

श्री राम जेठमलानी : इस बात का हवाला जो दिया गया है कि ईरान-इराक युद्ध को रोकने की कोशिश की गई है। मैं यह जानना चाहता हूं कि उन्हें रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई थी ताकि उनके बीच युद्ध को समाप्त किया जा सके। जब तक आप अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से बातचीत नहीं करते जब तक आप सही को सही और गलत को गलत नहीं कह सकते, जब तक आप ईरान को जब उन्होंने दूतावास के सदस्य को बन्धक बना लिया था यह नहीं कह सकते कि उन्होंने अन्तर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन किया था और जब तक आप ईरान को यह नहीं कह सकते कि भूमि के टुकड़े के लिए यदि वह युद्ध करता है तो अन्तर्राष्ट्रीय कानून की दृष्टि से वह अपराधी है—जैसी भाषा का इस्तेमाल आप नहीं सीख सकते जिसको इस्तेमाल गांधी जी और नेहरु जी कर सकते थे तब तक आप इस समस्या का समाधान नहीं कर सकते। यह आन्दोलन अब काफी शक्तिशाली हो गया है और इसे तभी शक्तिशाली कहा जाएगा जब इस देश की प्रधान मंत्री अन्तर्राष्ट्रीय कानून की भाषा बोलने के लिए तैयार होंगी और अन्तर्राष्ट्रीय नैतिकता पर बल देंगी।

यह प्रयास किया गया है कि एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का निर्धारण किया जाए। मैंने यह अपेक्षा की थी कि जब नयी अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग की जाएगी तो कम से कम एक भारतीय प्रवक्ता तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेगा। जब ये लोग अन्तर्राष्ट्रीय अर्थव्दवस्था की चर्चा कर रहे थे तो क्या किसी ने यह नहीं कहा कि अन्तरराष्ट्रीय कानून सम्मेलन में हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी के सिद्धांन्त की स्वीकृति के लिए तर्क दे रहे थे जिसके अन्तर्गत अमीरों द्वारा न्यास गठित किए जाने की बात कही गयी थी और यह कहा गया था कि सभी देशों की राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों···(व्यवधान)। कम से कम हम गुटनिरपेक्ष देशों से यह कह सकते हैं कि आइये हम उत्तर के अमीर देशों से बात करें और उन्हें यह बताएं कि उनकी सभी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियाँ इस विश्व की समग्र मानव-जाति के लिए एक न्यास के रूप में समझी जानी चाहिए। किन्तु, महोदय गुटनिरपेक्ष आन्दोलन यह स्वीकार नहीं करेगा क्योंकि गुट-निरपेक्ष आन्दोलन में ऐसे लोग हैं जो राजनीतिक स्तर पर ब्लैक मेल करने के लिए ही नहीं वरन इस देश तथा अन्य अनेक देशों की अर्थव्यवस्था को पंगु बनाने के लिए अपनी राष्ट्रीय परिसम्पत्तियों का शोषण करने के लिए तैयार हैं। यह स्मरणीय है कि 1973 में इस देश को जो आर्थिक दृष्टि से धक्का लगा था वह उत्तर के अमीरों से नहीं वरन गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के तथा कथित मित्र देश के कारण लगा था। इसलिए प्रधान मंत्री को चाहिए कि वे सबसे पहले अपने घर की मेज, जिस पर बहुत गन्दगी पड़ी है, उसे साफ करें और अपने मित्र देशों के यहां भी यही कार्यवाही करें, पूर्व इसके कि यह आन्दोलन नैतिक बल बनें और प्रधानमंत्री प्रशंसा की पात्र बनें।

मुझे आशा है कि यदि यह सभा जारी रहेगी तो हम तीन वर्ष बाद फिर मिलेंगे और हममें से कुछ लोग यहाँ रहेंगे तो वे उन्हें संभवतः बधाई दे पाएंगे, बशर्ते कि वे कुछ प्रयोजनों को पूरा कर पाएं, किन्तु उससे पहले मैं इस बेकार के संकल्प में भाग लेने के लिए तैयार नहीं हूं।

श्री सी० एम० स्टीफन (गुलबर्गा) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तथाकथित भाषण के बाद जिसे कि सभा के रिकार्ड में रखा जाएगा, जो किसी भी देशभक्त के लिए शर्म की बात है और इसके बाद मुझे बोलना होगा। यदि देश के किसी माने हुए शत्रु, उसकी स्थायी नीति के विरोधी, उसकी उपलब्धियों के प्रति निन्दनीय नीति अपनाने वाले, उसके अतीत पर विश्वास न करने वाले और उसके भविष्य में आस्था न रखने वाले को, इस देश की भलाई के अलावा सब कुछ करने वाले व्यक्ति को भी बोलने का मौका दिया जाता तो वह श्री जेठमलानी से ज्यादा नहीं बोलता।

मुझे यह जानकर दुःख हुआ कि श्री जेठमलानी जैसा व्यक्ति महात्मा गांधी और पंडित नेहरु का नाम ले रहा है। श्री जेठमलानी द्वारा उन नामों के उच्चारण मात्र से वे नाम मलिन हो जाते हैं उन्हें महात्मा गांधी से क्या मतलब, उन्हें श्री जवाहर लाल नेहरु से क्या मतलब। जिस दर्शन में उन्हें विश्वास है, जो भाषा वह बोलते हैं, वह उन सब के खिलाफ है, जिसके पंडित नेहरु व गांधी जी प्रबल समर्थक थे। बाइबिल में एक जगह कहा गया है कि ईसा मसीह ने गुस्से में किसी को सफेद कब्र कह दिया था। मैं श्री जेठमलानी से सिर्फ यह कहूंगा कि उनके रूप में एक ऐसा व्यक्तित्व है जो अच्छी भाषा तो बोलता है किन्तु वास्तव में वह पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी है और विध्वंसक रवैया अपनाये हुए हैं। ऐसे हैं जेठमलानी।

मुझे कहा गया था कि मैं उन्हें अवश्य उत्तर दूं। मैं उनके सभी तर्कों का उल्लेख कर खुद को भ्रष्ट नहीं करूंगा। उनके इन तर्कों का उत्तर इस देश के लोग देंगे। अतः मैं कुछ और नहीं कहना चाहता। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, इस सभा में उनका कोई समर्थक नहीं है। यहाँ तक कि उनके दोनों मित्र जो उनके दायें और बायें बैठे हैं वे भी उनके सकर्थक नहीं हैं।

श्री राम जेठमलानी : ईसा मसीह भी अकेले थे।

श्री सी० एम० स्टीफन : बस मुझे इतना ही कहना था। हमें इतना ही याद रखना है कि आज रात हमें क्या करना है। इस देश के लिए हम जो महसूस कर रहे हैं आज हमें उसी पर विचार करना है। हमारी यह जिम्मेदारी है कि समय-समय पर अपने लाखों लोगों की अभिव्यक्ति को मूर्त-रूप दें। हमारी यह जिम्मेदारी है कि हम लोगों की भावना को व्यक्त करें प्रश्न यह है कि क्या यह संकल्प उन लाखों लोगों की भावना को परिबर्तित कर रहा है। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कि हम भारत वासियों को बधाई देने के लिए मिल बैठे हैं, या हमने किसी खंड विशेष के भारत-वासियों को बधाई दी है। एक महत घटना घटित हुई है। यह सभा एक संकल्प पास करने के लिए तब बैठी थी जबकि एपल उपग्रह परिक्रमा पथ चल पड़ा था और उस संकल्प को हमने तालियों की गडगडाहट में पास किया था उसमें हमने अपने वैज्ञानिकों को बधाई दी थी। उसने जब बंगला देश की लड़ाई लड़ी गई थी तब हमने जवानों को बधाई देने के लिए संकल्प पास किया था। देश के इतिहास में ऐसे अवसर आते हैं जब देशवासी अपने देश पर गर्व करते हैं।

जब देशवासी देश की उपलब्धियों पर गर्व करते। लोग अपने शिष्ट मण्डलों पर गर्व करते हैं और तब यह महसूस करते हैं कि यह अत्यन्त शुभ अवसर है। इसीलिए आज हम बैठे हैं। यह केवल विजय उल्लास का प्रश्न नहीं है। क्या इतने बढ़िया ढग से इस शिखर सम्मेलन की मेजबानी करना कोई महान उपलब्धि नहीं है ? क्या यह गर्व की बात नहीं है कि यह सम्मेलन यहाँ आयोजित किया गया ? क्या यह महत्वपूर्ण नहीं है कि देश के लाखों लोगों ने यह महसूस किया कि दिल्ली में कुछ महान घटना हुई है ? वे इसका विश्लेषण नहीं करते, वे विभिन्न दस्तावेजों का पैरा-दर-पैरा विश्लेषण नहीं करते, किन्तु वे यह जरूर समझते हैं कि कोई महान घटना घटित हुई है। क्या यह महत्वपूर्ण बात नहीं है ? वे यह समझते हैं कि यह घटना अद्वितीय है और इसीलिए आज हम यहाँ बैठे हैं। संकल्प हमारे समक्ष प्रस्तुत है और इस संकल्प को इससे अधिक विनम्र ढंग से पेश नहीं किया जा सकता था। इसी दृष्टि से हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि आखिरकार यह है क्या ?

श्री चक्रवर्ती ने कहा था कि "कि आप प्रधानमंत्री की तारीफ क्यों करते हैं ?" बात तारीफ करने की नहीं है। मेरे माननीय मित्र श्री मधु दण्डवते ने कहा था कि "हमें विनम्र होना चाहिए।" हम विनम्र हैं। यहां यही कहा गया है कि "यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों तथा विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं को जिन्होंने सम्मेलन में उपस्थित होकर तथा अपना योगदान देकर सम्मेलन को सफल बनाया है, को धन्यवाद करें और उनकी सराहना करें।"

यह सच है कि हमने शिखर सम्मेलन में अपना शिष्ट मण्डल भेजा था। यह भी सच है कि उसने अपने कुछ कर्तव्य निभाये थे। क्या देश का यह दायित्व नहीं है कि वह उस शिष्ट मण्डल को यह कहे कि आपने जो किया उसकी हम सराहना करते हैं ? यह सच है कि इस सम्मेलन का नेतृत्व श्रीमती इंदिरा गांधी ने किया। आप इसे पसन्द करें या न करें किन्तु सच तो सच ही है कि कोई तो पीठासीन था ही ; यह भी सच है कि जो व्यक्ति पीठासीन था उसने सम्मेलन के विचार विमर्श को नेतृत्व दिया। यह भी सच है कि कुल मिला कर सम्मेलन के अध्यक्ष के प्रयास से भी यह सफल हुआ और असमानताओं को दूर किया गया। इसीलिए यहां जो कुछ कहा गया वह कम ही है। इसमें भारतीय शिष्ट मण्डल के कार्य की सराहना के साथ ही अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व की भी सराहना की जानी चाहिए। इस संकल्प में बहुत विनम्रता से इसके बारे में कहा गया है।

क्या यह सही नहीं है कि उन्होंने नेतृत्व किया था ? क्या यह सही नहीं है कि हमारा एक शिष्ट मण्डल था ? क्या यह सही नहीं है कि हमारे शिष्ट मण्डल ने यह परिणाम पाने के लिए कठोर परिश्रम किया था ? क्या हम जनता के प्रतिनिधियों को उन लोगों की सराहना नहीं करनी चाहिए जिनके लिए जनता चाहती है कि जो भी काम उन्होंने किया उसकी सराहना की जाए ? यह कर्तव्य हमने पूरा कर दिया है। यदि आप इस कर्तव्य को पूरा नहीं करते, यदि आप इसे अभिलेख में दर्ज नहीं करते तो हम अपनी जनता और अपने देश के प्रति अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर पायेंगे और इतिहास में यह दर्ज किया जाएगा कि हम वे लोगों हैं जिन्होंने अपने कर्तव्यों का पालन नहीं किया।

इसीलिए मेरा निवेदन है कि हम इस पावन कर्तव्य को निभा रहे हैं। आइए, इसे सही तरीके से पूरा करें। लगभग सभी ने एकमत होकर यह मंजूर किया था कि कुछ न कुछ किया ही जाना है। और यदि यह मानें कि किसी कांग्रेसी को संकल्प लिखना होगा तो हम बड़े खुश होंगे और हम मनमाना लिखेंगे, हम तारीफों के पुल बाँध देंगे, किन्तु हमने इस तरह से प्रशंसा की है जो सभी को स्वीकार्य हो, और बहुत कम शब्दों में ज्यादा बात कही गई है ताकि किसी तरह का मतभेद न हो, और इस रूप में इसे पेश किया जाना है। यदि कुछ संशोधन पेश होते हैं तो मंत्री महोदय इसका उत्तर देंगे।

श्री उन्नीकृष्णन ने जो नोटिस दिया है उसके अनुसार फिदेलकास्त्रों का जिक्र किया जाना चाहिए और अराफात का भी अवश्य जिक्र किया जाना चाहिए। क्या किसी को इस पर आपत्ति है? किन्तु जरा सोचिए। हमने राज्याध्यक्षों और माननीय प्रधानमंत्रियों आदि-आदि का उल्लेख कर ही दिया है। सभी जानते हैं कि हमारे श्री अराफात से कितने अच्छे सम्बन्ध हैं, सभी जानते हैं कि श्री फिदेलकास्त्रों के हम कितने प्रशंसक हैं।

श्रीमती इंदिरा गांधी ने जितनी प्रशंसा सम्भवतः उनकी की थी उतनी किसी ने भी नहीं की है। इस बारे में कोई दो राय नहीं हैं। किन्तु मुद्दा यह है कि जब सभी शासनाध्यक्षों का उल्लेख कर दिया गया हो उसके बाद क्या यह उचित होगा कि भारतीय संसद अन्य प्रतिनिधियों की तुलना में खास तौर से दो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करे? क्या हमें ऐसा भेदभाव करना चाहिए। यह तो बड़ी स्पष्ट बात है। वह चाहें तो श्री नरसिंह राव पर बहुत ज्यादा दबाव डालकर यह कह सकते हैं कि आप इसे मंजूर करेंगे कि नहीं? यदि इसे मंजूर कर लिया जाए तो भेदभाव हो ही जाएगा; यदि इसे नामंजूर किया जाए तो हममें से कुछ कह सकते हैं कि ऐसा किया जा सकता है। हमें ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (वदागरा): श्री नरसिंह राव का इससे कोई मतलब नहीं है।

(व्यवधान)

श्री सी० एम० स्टीफन : बहुत-बहुत धन्यवाद। कुछ भी हो अब मैं यहीं अपनी बात खत्म करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : इसकी यहां चर्चा नहीं कीजिए।

श्री सी० एम० स्टीफन : जिन लोगों ने गुट निरपेक्षता को समुचित स्वरूप प्रस्तुत किया है और उसके बारे में वक्तव्य दिया है उन सभी का मैं आभारी हूं। मेरे कुछ मित्र कह रहे थे मैं वास्तव में गुटनिरपेक्ष हूं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि गुटनिरपेक्ष की धारणा गलत हो गई है। यह प्रश्न पूछा गया था कि आप इसे ऐसे क्यों नहीं पेश करते या वैसे क्यों नहीं पेश करते?

इस समय मेरे पास आरगेनाइजर नामक समाचार पत्र है जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ सम्भवतः भारतीय जनता पार्टी का उद्घोषक है। उन्होंने यह प्रश्न किया था कि :

"एक सप्ताह तक लगातार प्रदर्शन के बाद क्या यह आन्दोलन अपने गुटनिरपेक्षता के

चरित्र को उभार पाया है ?...सबका उत्तर यह है कि जो घोषणा की गई उसमें यह नहीं दर्शाया जा सका कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन दो उच्च शक्तियों के बीच सन्तुलन बनाये रखने का काम भी कर रहा था।"

यह सभी तर्क गुटनिरपेक्षता की इसी अवधारणा के कारण उत्पन्न होते हैं। मानो यह समान दूरी रखने सम्बन्धी कोई मामला हो और हमारा इन दो शक्तियों के बीच सन्तुलन बनाना ही कर्तव्य हो। किन्तु वस्तुतः यह बार-बार कहा गया है कि गुटनिरपेक्ष आन्दोलन यह नहीं है। इस वजह से ही ऐसी आलोचना की जाती है। जब हमारी प्रधान मंत्री ने अध्यक्ष का पद सम्भालते समय गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में जो भाषण दिया था वह सबसे बड़ा योगदान था। उन्होंने गुटनिरपेक्षता संबंधी अवधारणा को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा:

"गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय स्वाधीनता और स्वतन्त्रता है। यह शान्ति के लिए है और संघर्ष से बचाव के लिए है। इसका उद्देश्य है सैनिक गठबन्धनों से दूर रहना। इसका अभिप्राय है राष्ट्रों के बीच समानता लाना और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक और राजनीतिक सम्बन्धों का प्रजातांत्रीकरण। यह एक दूसरे को लाभ पहुंचाने के आधार पर विश्व में विकास के लिए सहकारिता की भावना लाना चाहता है। यह विश्व की अनेकता को पहचानने और उसे सुरक्षित बनाए रखने की नीति हैं।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन की यह स्वतःपूर्ण परिभाषा है। यह तटस्थता नहीं है निराशावादिता भी नहीं है। यह दो ब्लाकों के बीच समानान्तराल भी नहीं है। समानान्तराल का तो प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि ध्रुवीकरण की स्थिति बदल गई है। अब हम अनेक ध्रुव वाले विश्व में रहते हैं। ऐसी स्थिति में समानान्तराल का कोई प्रश्न नहीं उठता। आज सब कुछ बदल गया है। बहु-ध्रुव की स्थिति विद्यमान है। इसीलिए इस ब्लाक या उस ब्लाक का तो प्रश्न ही नहीं है। बल्कि यह हर देश के व्यक्तित्व को जताने का प्रश्न है। वस्तुतः गुटनिरपेक्ष आन्दोलन 1961 में ही नहीं जन्मा था। गुटनिरपेक्षता उस धारणा की अभिव्यक्ति है जो पराधीन और पीड़ित लोगों के दिलों में सपने की तरह पल रही थी।

विश्व के सभी उपनिवेशों के लोगों के अपने-अपने सपने थे। भारत की तरह उनकी भी अपेक्षाएं थीं और राष्ट्र की स्वतन्त्रता तो एक लम्बे पथ पर चलने की शुरुआत थी और वह अभी भी जारी है। पीड़ित मानवता से शान्ति की खोज के लिए अपने घाटों पर एक लम्बी तीर्थयात्रा की थी। यह एक लम्बी तीर्थयात्रा ही है कि लोग चरण-दर-चरण आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जो लोग अधीन थे उनका सपना था आजादी, आर्थिक स्वतन्त्रता, अपनी नियति को पूरी तरह से अपने नियंत्रण में रख पाने का सपना, एक मानव की तरह आजाद होने का सपना। जिन लोगों ने भी ये सपने देखे वे इकट्ठे हुए, और एक आन्दोलन शुरू हुआ और आगे बढ़ने लगा। यही तो हुआ है। चरण-दर-चरण यह आन्दोलन अधिक उदार हो गया है। यह अपने आप में एक उपलब्धि थी, वर्ष 1961 में यह आन्दोलन शुरू हुआ और एक उद्घोषणा की गई। यह उद्घोषणा बिल्कुल स्पष्ट थी। उन्होंने अन्य देशों की आजादी की मांग की थी।

दूसरी बात यह थी कि उन्होंने साम्राज्यवाद के कमजोर होने को नोट किया था और स्वतंत्र होने वाले नये देशों का स्वागत किया था। जिसके कारण आर्थिक दासता बड़ी थी और उनसे सहयोग करने के लिए कहा गया था। उन्होंने संघर्षों को भी नोट किया। उन्होंने इस मुकाबले को नोट किया। दो ब्लाकों के बीच यह मुकाबला वास्तव में स्वतन्त्र हुए लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत नहीं था। इसीलिए उन्होंने आजाद हुए लोगों से नया काम करने के लिए कहा। इस तरह से नयी यात्रा शुरू हुई। चरण-दर-चरण जैसे-जैसे नयी-नयी समस्याएं सामने आती गयीं नयी-नयी चुनौतियों का का सामना करना पड़ा। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने उन चुनौतियों का जवाब दिया। अब हम एक खास दौर में पहुंच गए हैं जहां गुटनिरपेक्ष आन्दोलन ने एक निश्चित दर्शन का रूप ले लिया है।

अब आपने देखा कि दिल्ली में यह किस प्रकार आयोजित किया गया। इसे बगदाद में आयोजित किया जाना था। किन्तु यह सम्भव नहीं हो सका। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आन्दोलन को ही श्रेय जाता है क्योंकि जब उन्होंने देखा कि इसे बगदाद में आयोजित नहीं किया जा सकता है तो उन्होंने जनमत जानना चाहा और अनौपचारिक विचार-विमर्श से उन्होंने एक मत से इसे दिल्ली में आयोजित करने का प्रस्ताव किया। यह दिल्ली या भारत के लिए गर्व की बात नहीं, बल्कि यह आन्दोलन के परिपक्व होने का गौरवपूर्ण प्रतीक है। आन्दोलन के उन सदस्यों के परिपक्व होने का प्रतीक है जो स्थिति का सामना करने पर किसी समाधान के बारे में सोच सकते हैं और ऐसे समाधान दे सकते हैं जिसे सब लोग मंजूर करें।

गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का सदस्य होने के नाते भारत के लिए यह गर्व का विषय है कि जब उनके सामने चुनौती आई तो उन्होंने उसे मंजूर किया और सम्मेलन आयोजित करने का कार्य भार सम्भाला। हमारे तकनीशियनों और हमारी जनता के लिए गर्व की बात है जिनका हमने सकल्प में भी उल्लेख किया है, जिनके अनथक प्रयास से सम्मेलन बहुत सुचारु ढंग से चल सका और सम्पन्न हो सका। इससे आन्दोलन की प्रौढ़ता देश की प्रगति के बारे में तो मालूम होता ही है वरन् नेताओं की परिपक्वता का भी पता चलता है जिन्होंने पूरे देश का मार्ग निर्देश किया।

वर्ष 1951 में इसके 25 सदस्य थे। एक के बाद एक देश आजाद होते गए। ऐसा नहीं है कि किसी भी देश को जबर्दस्ती इसका सदस्य बनाया गया बल्कि प्रत्येक देश जो स्वतन्त्र हुआ, प्रत्येक देश जो अपने उन अत्याचारों के प्रति सचेत हुआ जिसे वह झेल रहा था, प्रत्येक देश आजाद होने के बाद यह जान पाया है कि नव-उपनिवेशवादी शक्तियाँ उनकी ऊर्जा का शोषण कर रही थीं इसलिए वे इस धारा में शामिल हो गए और स्वाभाविक है कि यह धारा अधिक चौड़ी, गहरी और विस्तृत होकर आगे बढ़ने लगी।

अब हम 25 से 120 तक हो गये हैं जिनमें कि पर्यवेक्षक देश और अतिथि देश भी शामिल हैं। यह इस आन्दोलन की समग्रता है, जो उभर बढ़कर आई है। हम उस मानवीयता के आन्दोलन का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो शान्ति के लिए जीवित रहने के लिए और आर्थिक विकास के लिए संघर्ष कर रहा है। और अत्याचारी ताकतों से नफरत करता है, अपने स्रोतों को एकत्र करने का निर्णय ले रहा है, सहकारिता की शुरुआत कर रहा है और संसार को अपना रहा है। वे आगे बढ़

रहे हैं। एक बात पर भारत को गर्व होना चाहिए। जवाहर लाल नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिनके कुछ अपने सपने थे और उनके स्पष्ट विचारों की चर्चा सब ओर हुई थी। हां, मैं यहाँ तक कहूंगा कि 1964 में आन्दोलन के आर्थिक पहलू पर पूरा बल दिया गया था। वर्ष 1970 में लुसाका सम्मेलन में मैं उपस्थित था जहां प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थीं। उन्होंने अपने भाषण में कहा था :

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

> "नये आवरण में पुराने वापिस आते हैं। हमारे आत्म-विश्वास को नष्ट करने के लिए और हमारे आपसी विश्वास को हिलाने के लिए कुछ लोग बड़ी धूर्तता से षडयंत्र कर रहे हैं। शक्तिशाली स्वदेशी और विदेशी निहित स्वार्थ एकजुट होकर नव उपनिवेशवाद का नया ढांचा खड़ा कर रहे हैं।"

उन्होंने गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का एक दूसरे से मिलकर ताकत जुटाने और अपने राजनीतिक और आर्थिक अधूरे आन्दोलन को आगे बढ़ाने के लिए आह्वान किया। यह अपील इंदिरा गांधी ने अध्यक्षा होने के नाते नहीं वरन् पुनरुत्थानशील भारत की प्रतिनिधि होने के नाते की थी जो अधूरी क्रान्ति को पूरा करने के लिए विश्व का आवाहन कर रहा था। यह एक कदम था और फिर से आर्थिक पहलू पर बल दिया गया था। इसके बाद 1964 में लाल बहादुर शास्त्री ने पूरे आन्दोलन के आर्थिक पहलू पर बल दिया और उसके आगे चरण-दर-चरण आर्थिक उन्नति पर बल दिया जाता रहा। पहली बार अल्जीयर्स में सम्मेलन में देशों के अपने कच्चे माल के प्राकृतिक स्रोतों के राष्ट्रीयकरण के अधिकार के पक्ष में तर्क दिए गये और बहुराष्ट्रीय निगमों की गतिविधियों की कटु आलोचना की गयी थी। इस तरह यह चरण-दर-चरण आगे बढ़ता गया और इस दौरान सामूहिक आत्म-निर्भरता का नारा प्रबल होता गया। हम एक सीमा रेखा पर आ गये हैं और खास तौर से इस सम्मेलन की यही विशेषता है।

ये—नये दृश्यों में फैलाव आया है क्योंकि इसी दौरान नयी चुनौतियाँ भी उभरी हैं। आर्थिक समस्या की चुनौती सामने आई है, विकासशील देशों पर ऋण के बोझ की चुनौती सामने आई है, ऐसी स्थिति आ गई है कि जब हम जितना भी विकसित हो पाए हैं वह सब खत्म हो जाएगा और हम आगे नहीं बढ़ पायेंगे। जिसे आजादी का साधन बनना था वह शीत युद्ध का साधन बन गया है और दमनकारी तत्व वह उभर कर सामने आ गया है।

उत्तर-दक्षिण के बीच बातचीत में गतिरोध उत्पन्न हो गया है। दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार किया गया था कि हमें वास्तव में क्या करना चाहिए। अब बल किन्हीं अन्य बातों पर दिया जाता है। उत्तर-दक्षिण के बीच बातचीस जब तक चलती है, इसी बीच, "सामूहिक आत्म निर्भरता" के आधार को सामने रखा जाये। मैं यह नहीं कहता कि पिछले सम्मेलन में ही पहली बार इस बात का उल्लेख किया गया था, बल्कि सामूहिक आत्म निर्भरता की बात रखी गई है और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्षों को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एकत्र हो और अपने निजी विचारों तथा माँगों को पेश करने के लिए कहा गया था।

काम करने का एक नया तरीका पेश किया गया है, अब एक नया नारा दिया गया है, आशा की एक नई किरण का संचार किया जा रहा है, अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा सम्मेलन के लिए आह्वान किया जा रहा है। आज का मुख्य मुद्दा यह है कि गुट निरपेक्ष राष्ट्र स्वयं परस्पर विचार विमर्श और अपने संसाधनों को बढ़ाकर आर्थिक विकास करें। यहां कोई नया गुट बनाने वाली बात नहीं है। यह प्रश्न है मानवता की प्रगति का, जबकि यह कठिन स्थिति का सामना कर रही है। हमें इस विषय को इस दृष्टि से देखना है। सवाल इस बात का नहीं है कि गुट निरपेक्ष आन्दोलन का जन्मदाता कौन था। जैसा कि मैंने पहले कहा है, यह उन लोगों का एक आन्दोलन है जो दासता से मुक्ति पाने के लिए, प्रगति करने के लिए कर रहे हैं और कोई भी इस सफल प्रगति अभियान को नहीं रोक सकता।

जब भी गुट-निरपेक्ष आन्दोलन का इतिहास लिखा जाएगा, तो 1983 के नई दिल्ली सम्मेलन का उल्लेख एक कीर्तिमान के रूप मे किया जाएगा क्योंकि इसमें नए नारे, नये निर्देश दिए गए थे और नई आशाओं का संचार हुआ था। गुटनिरपेक्ष आन्दोलन का आग्रह अब स्वतन्त्रता पर बल देना है। जैसा कि श्रीमती गांधी ने कहा है कि वह स्वाधीनता, स्वाधीनता नहीं है जिस पर मैं किसी भी तरह प्रतिछापा होने दें।

यदि आप कोई ऐसा आधार लेते हैं जिससे संयुक्त राज्य अमरीका को लाभ पहुंचता है, तो हमारा कोई विवाद नहीं। जब आप ऐसा आधार लेते हो, जिससे सोवियत संघ को लाभ पहुंचता है, तब भी हमारा कोई झगड़ा नहीं। परन्तु सवाल यह है कि क्या आपने स्वतन्त्रपूर्वक विचार करने के बाद यह आधार अपनाया है। आपको प्रत्येक मनचाही वस्तु नहीं मिल सकती। कम्पूयिया के बारे में, अफगानिस्तान के बारे में और इसी प्रकार अन्यानेक मसलों पर आप अपने विवेकानुसार आधार बना लेते हैं। इस आन्दोलन में शामिल हो रहे लोग विभिन्न परिस्थितियों, विकास की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इन प्रश्नों के बारे में उनके बहुत भिन्न दृष्टिकोण हैं। परिपक्वता, बुद्धिमानी और एकता की यही मांग है कि तालमेल होना चाहिए और सर्वसम्मत सिद्धांतों को स्वीकार किया जाना चाहिए। किसी बात पर अड़ना अच्छा नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि आन्दोलन में एकता रहे और यह आन्दोलन अपने लक्ष्य से विचलित न हो।

इस सम्मेलन की शान यही है कि इसमें भाग लेने वाला प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक राष्ट्राध्यक्ष यद्यपि दृढ़ विचार रखता था परन्तु उसमें किसी ऐसे दस्तावेज को तैयार करने के लिए एकजुट होने के लिए पर्याप्त लचीलापन भी था, जो मानवता के इस महान आन्दोलन को आगे बढ़ाने में सहायक सिद्ध हो सकता था। और इकट्ठा होने की वह स्थिति उत्पन्न हुई, प्रकाश का दीप जला और मार्ग बिल्कुल साफ हो गया है। इसीलिए मैंने कहा कि यह आन्दोलन एक अत्यन्त महत्वपूर्ण आन्दोलन है।

उस आन्दोलन और उसकी सफलता की समीक्षा करते समय एक प्रश्न यह उठता है कि सर्वसम्मत राय तैयार करने में किसने अधिक सहायता की, इस आन्दोलन का नेतृत्व एव मार्ग दर्शन करने में किसने सबसे अधिक सहायता की और इसके विचारों के प्रसार में किसने सबसे अधिक समर्थन दिया। मुझे कहना चाहिए कि सम्मेलन के उद्घाषण भाषण ने सम्मेलन के लक्ष्य व स्तर को इतना ऊंचा उठा दिया कि छिटपुट झगड़ों की सम्भावना ही नहीं रही और प्रत्येक को स्तर विशेष तक

उठना पड़ा तथा छिटपुट बातों को भूलना पड़ा ताकि यह आन्दोलन आगे बढ़ सके । इस विषय में श्रीमती इन्दिरा गांधी ने योगदान दिया और हम उसी को कार्यवाही वृतान्त में शामिल कर रहे हैं।

एक वाक्य के साथ ही मैं अपना भाषण समाप्त कर रहा हूं। जब यह लिखा जाए तब कृपया इस प्रश्न पर विचार करें कि क्या इस संकल्प से राष्ट्र का गौरव बढ़ेगा या नहीं, जो जनसाधारण की दृष्टि से बहुत बढ़ चुका है । मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि इस देश की जनता, कश्मीर से कन्याकुमारी तक यह महसूस करेगी कि "इस संकल्प में हमारी वाणी गूंज रही है, हमारी संसद ने इसे अपनी कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया है।" इसलिए मेरा अनुरोध है कि इस संकल्प को सर्वसम्मति से पारित किया जाए।

श्री सी० टी० दंडपाणि (पोल्लाची) : उपाध्यक्ष महोदय, शुरू में, मैं अपने प्रिय सहयोगियों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर कुछ टिप्पणी करना चाहता हूं ।

महोदय, हाल ही में हुए गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने अतीत में थोड़े समय के लिए अन्तरराष्ट्रीय क्षेत्र में भारत की प्रतिष्ठा को जो नुकसान हुआ था, उसे पूरा कर दिया है। बैठक में स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू मिश्र के अब्दुल नासर और यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो द्वारा बताए गए सिद्धांतों को ही आधार बनाया गया। जब उन्होंने देखा कि यह आन्दोलन राष्ट्रों का संगठन है तो उन्होंने शक्ति गुटों से स्वतन्त्र रहना चाहा। महोदय, यह महसूस किया जाता है कि कुछ समय के बाद ही गुट निरपेक्षता का वास्तविक अर्थ सामने आया।

महोदय, सम्मेलन से भारी प्रभाव पड़ा है। नवउपनिवेशवाद, जातिवाद, मानव अधिकारों का अतिक्रमण, हथियारों की दौड़ आदि जैसे मुद्दों पर समझौता करना आसान है लेकिन इसके आगे आन्दोलन के भीतर स्वार्थी राष्ट्र गुट निरपेक्षता को किसी न किसी गुट की ओर मोड़ देते हैं। हमारे भारतीय प्रतिनिधि मण्डल ने एक सहायक वातावरण पैदा कर दिया कि यह सम्मेलन सार्थक कार्यों के लिए हैं।

महोदय, इस सम्मेलन का अपना ही महत्व है। सदस्य देशों ने इसलिए अधिक उत्साह प्रदर्शित किया क्योंकि यह आन्दोलन ऐसे व्यक्ति के हाथों में जा रहा है जो तीन वर्ष की अवधि तक निष्पक्ष हो कर कार्य करेगा। इसीलिए विचारार्थ लिए गए मसलों का कुछ समाधान हो सका।

ईरान-इराक युद्ध, कम्पूचिया का मसला आदि जैसे मुद्दों को दक्षिण एशिया क्षेत्र पर छोड़ दिया गया था ताकि बातचीत द्वारा उनमें समझौता कराया जा सके । दक्षिण अफ्रीका में जातीय भेदभाव उप निवेशीय अत्याचार-शोषण आदि की इस सम्मेलन में भर्त्सना की गई है और सम्मेलन में नामीबिया की जनता के अधिकारों की पुष्टि की है। सम्मेलन ने सभी प्रकार से एस० डब्ल्यू० ए० पी० ओ० और पी० ली० ओ० जैसे स्वतन्त्रता आन्दोलन के समर्थन की बात पुनः दोहराई।

सम्मेलन का तमिल लोगों और श्रीलंका के तमिल इलम लिबरशन फ्रंट के नर संहार के बारे में चर्चा करने का अवसर नहीं मिला। इसके विषय में श्रीलंका के तमिल लोगों द्वारा प्रतिनिधियों को बांटी गई पुस्तिकाओं के माध्यम से सूचित किया गया था कि उन्हें किस प्रकार से दुःख दिया जा रहा है और उनका आन्दोलन क्या है जो कि आत्मनिर्णय की लड़ाई है।

13-सूत्री घोषणा पत्र, जिसे नई दिल्ली घोषणा पत्र कहा गया है, में लेटिन अमरीका, यूरोप, कोरिया, कम्पूचिया आदि से संबद्ध राजनैतिक मसलों समेत अफगानिस्तान समस्या से ईरान-इराक युद्ध तक से सम्बद्ध समस्याओं को शामिल किया गया है।

महोदय, आणविक और रसायनिक हथियारों पर प्रतिबन्ध लगाये जाने से सम्बद्ध मामले पर भी विचार किया गया और उन्होंने महाशक्तियों से अपील की गई कि वे आणविक ऊर्जा का इस्तेमाल निर्माण कार्यों के लिए करें। पहली बार, सम्मेलन ने अपनी चर्चा का विषय राजनैतिक मुद्दों से बदल कर आर्थिक विकास रखा। हमारी प्रधान मंत्री के अनुसार, यह सम्मेलन न्याय और समता पर आधारित एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था के लिए अपनी बचनबद्धता को पुनः दोहराता है।

इस सम्मेलन का एक अन्य महत्वपूर्ण परिणााम है—हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान के साथ एक समझौता आर्थिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक सहयोग पर पाकिस्तान सरकार के साथ समझौता करने की बात शुरू करने के लिए मैं भारत सरकार की ईमानदारी की प्रशंसा करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण घटना है जिससे दोनों देशों के बीच और अधिक मेल मिलाप का वातावरण तैयार होना चाहिए।

संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने विश्व-अर्थ-व्यवस्था को सुधारने के लिए छह सूत्र रखे हैं। इस बारे में कानकुन जैसे सम्मेलन में और गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के आर्थिक मंत्रियों की वार्षिक बैठक में आर्थिक करार और योजनागत संस्थाकरण के विषय में एकमत निर्णय हो गया था।

केवल मात्र राजस्व बढ़ाने या उत्पादन और निर्यात बढ़ाने या बाहर से ऋण लेने से आर्थिक विकास नहीं किया जा सकता। इसे केवल सह-अस्तित्व और युद्ध न करने के सिद्धांत से किया जा सकता है।

श्रीमती इन्दिरा गांधी ने सही कहा है कि :

> "विकास, स्वतन्त्रता, निरस्त्रीकरण और शान्ति का निकट संबंध है। विश्व भर में सेना पर होने वाला व्यय विकास संबंधी कुल सरकारी सहायता से 20 गुणा अधिक है। प्रत्येक आणविक विमान का मूल्य 4 बिलियन डालर है जो 53 देशों के कुल राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक है।"

इस सन्दर्भ में मैं श्री विली ब्रांड जिन्होंने इस पहलू का विश्लेषण किया है की एक टिप्पणी का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा है :

> "केवल आधे दिन का सेना व्यय विश्व और स्वास्थ्य संगठन के मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के लिए वित्त व्यवस्था करने के लिए पर्याप्त है। इससे भी कम राशि अन्धेपन को रोकने के लिए सावश्यक होगी, जिससे लाखों लोग पीड़ित हैं।

एक आधुनिक टेंक पर लगभग 10 लाख डालर खर्च होते हैं; इस राशि से 1,00,000 टन चावल के संग्रह के लिए व्यवस्था की जा सकती है, जिससे प्रतिवर्ष 4000 टन चावल

की बचत हो सकती है ; एक व्यक्ति एक दिन में केवल 1 पौंड चावल के सहारे रह सकता है। इसी राशि से 30,000 बच्चों के लिए 1000 कक्षा के कमरों की व्यवस्था हो सकती है।

एक जेट लड़ाकू विमान के मूल्य (2 करोड़ डालर) से लगभग 40,000 ग्राम फार्मेसियां खुल सकती हैं।"

उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बात कही है कि शस्त्रों के लिए निर्धारित राशि को कैसे कम किया जा सकता है। यह बात गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सभी राष्ट्रों पर लागू होती है।

जहां तक भारत के आर्थिक कार्यक्रम का सम्बन्ध है, माननीय विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव ने इसका प्रारूप तैयार किया था और इसे 23 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम के रूप में स्वीकार किया गया था। सम्मेलन शुरू होने से पूर्व श्री पी० वी० नरसिंह राव की सुयोग्य अध्यक्षता में, प्रारूप उद्घोषणा में भारत का संतुलित दृष्टिकोण परिलक्षित हुआ। इससे इस क्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए सम्मेलन का मार्ग प्रशस्त हुआ। गुट निरपेक्ष सम्मेलन के सदस्य राष्ट्रों ने जब यह महसूस किया कि संकल्पना अस्पष्ट है और इसका दिशा-निर्देश अनिश्चित है और वे निराश हो गए कि आन्तरिक तनाव और विरोधाभास समाप्त करना असम्भव है, तब श्रीमती इन्दिरा गांधी ने अध्यक्ष की हैसीयत से अपने उद्घाटन भाषण में दिशा-निर्देशन किया और इस प्रकार गुट निरपेक्ष सम्मेलन की बातचीत सफल रही। मेरे विचार में, इसीलिए हमारे मित्रों, ने प्रस्ताव रखा ताकि यह सदन उनके द्वारा किए गए कार्य और सम्मेलन की भारी सफलता के लिए प्रशंसा कर सके।

द्रमुक दल पार्टी की ओर से, मैं गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में प्रधान मंत्री जी को मुबारकबाद देता हूं।

मैं इस सफल कार्य के लिए प्रतिष्ठित विदेश मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव और उनके अधिकारियों द्वारा निभाई गई भूमिका की भी प्रशंसा करता हूं।

एक अन्य महत्वपूर्ण बात यह है कि संकल्प के प्रारूप के विषय में कुछ मतभेद है। मेरे साथ बैठे सदस्यगण मेरी बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि उनके विचार में प्रधानमंत्री का नाम शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : जैसा कि नेहरू के मामले में था।

श्री सी० टी० दंडपाणि : यह एक सुविदित तथ्य है कि सम्मेलन का आयोजन सफलतापूर्वक हुआ। विश्व के सभी नेताओं ने श्रीमती गांधी की भूमिका की प्रशंसा की। हम प्रधान मंत्री या कांग्रेस पार्टी के नेता के रूप में उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं बल्कि हम गुट निरपेक्ष सम्मेलन के अध्यक्ष के के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा कर रहे हैं। वे एक संगठन की अध्यक्ष हैं। अतः हम उनकी प्रशंसा करते हैं।

कई बार दुश्मनी के कारण अन्य राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष श्रीमती गांधी के कार्यों के प्रति निहित स्वार्थों की बात करते हैं।

एक भारतीय समाचार पत्र लिखता है :

"गुट निरपेक्ष आन्दोलन की निस्प्रभाविता तथा निरर्थकता का और परदाफाश होने से रोकने में श्रीमती गांधी का भारी योगदान है।"

दूसरे समाचार पत्र ने कहा :

"ब्यौरों की ओर में श्रीमती गांधी का विवेकशील ध्यान और आत्मविश्वास जिसके साथ उनका चारों ओर से अभिनन्दन किया गया, सम्मेलन के सौहार्दपूर्ण वातावरण, इसकी मैत्री, एकता और सहयोग की भावना ने उन्हें काफी प्रभावित किया जिससे यह पता लगा कि सातवें गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने विश्व को शांति और मैत्री के दरवाजे पर ला खड़ा किया।"

एक और विदेशी समाचार पत्र का कहना है :

"नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से शांति की ओर वापसी को निर्देशित करता है। इसका मुख्य कारण भारतीय प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी का प्रभाव ही था।"

लंदन से हेराल्ड ट्रिब्यून ने लिखा है :

"श्रीमती गांधी के सहयोगी अनुभवी, तथा प्रतिभाशाली कूटनीतिज्ञ हैं, जिनकी वह अध्यक्षता कर रही हैं।"

एक अन्य समाचार पत्र का कहना है :

"राहत की एक आम भावना बनी कि गुट-निरपेक्ष समुदाय की अगुआई अब उदारवादी हाथों में चली गई है और कि प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी की अध्यक्षता की अवधि के दौरान भारत पर निर्भर रहा जा सकता है। इससे अप्रत्यक्ष रूप से इस विश्वास की अभिव्यक्ति हुई कि भारत इस आंदोलन को अधिक सार्थक दिशा प्रदान कर सकेगा।"

ये ऐसे तथ्य हैं जिन्हें मैं सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगा। उद्घाटन के महान दिवस पर हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि यह एक महान दिन है। महान दिवस महान नेता श्रीमती गांधी के लिए था।

न केवल कुछ सदस्यों ने ही बल्कि रूस, अमरीका और चीन जैसे विभिन्न, देशों के विश्व नेताओं ने भी, भविष्य में अध्यक्ष के नाते, श्रीमती गांधी के नेतृत्व में विश्वास प्रकट किया है।

अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं इस ओर बैठे अपने मित्रों से अपील करूंगा कि हमें अवश्य ही इस प्रस्ताव को सर्वसम्मति से पास करना चाहिए।

मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जहां तक गुट-निरपेक्ष आंदोलन का सम्बन्ध है श्रीमती गांधी ही केवल उदीयमान नेता हैं केवल यही नहीं, वह सम्पूर्ण भारत की भी उदीयमान नेता हैं।

केवल मात्र वही नेता हैं । दक्षिण श्रीमती गांधी के सिवा किसी दूसरे को नेता स्वीकार नहीं कर सकता ।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : क्या उन्हें बोलने की स्वतंत्रता नहीं है ?

एक माननीय सदस्य : उन्हें गलत समझा जायेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय : वह 'दक्षिण भारत' कहने में असफल रहे हैं । उन्होंने केवल 'दक्षिण' कहा है ।

श्री सी० टी० दण्डपाणि : दक्षिण भारत । मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं । मैंने यहां पर अपने एक मित्र का भाषण सुना है । उन्होंने इस मामले में भाषा के प्रश्न को उठाया । हमें श्रीमती गांधी में विश्वास है कि वह दक्षिण भारत के लोगों की समस्याओं को सुनेंगी। हमारा उनमें विश्वास है। कभी-कभी कुछ ताकतें उन्हें प्रभावित करती हैं । किन्तु हम निश्चय ही यह सोचते हैं कि दक्षिण से हमारी शिकायतें वे सुनेंगी और वह दक्षिण भारतीय लोगों को कुछ राहत देंगी । यही एक वजह है जिसके लिए मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं जिसे द्रमुक की ओर से मेरे मित्र ने रखा है ।

श्री भेरावदन के० गधावी (बनासकांठा) : महोदय, मैं इस संकल्प का समर्थन करने खड़ा हुआ हूं । श्री जेठमलानी को सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने श्री अराफात का हवाला दिया । शायद, श्री जेठमलानी अरबों की समस्या को नहीं जानते । अरबों की समस्या का स्वयं महात्मा गांधी ने बहुत समय पहले 1920 में समर्थन किया था । और तब से ही अरब लोगों की समस्या को भारत ने न केवल किसी एक दल द्वारा बल्कि सम्पूर्ण राष्ट्र द्वारा भी स्वीकार किया है। इसलिए, उन जैसे योग्य सदस्य के लिए ऐसा कटाक्ष और हास्यास्पद प्रदर्शन अनावश्यक हैं ।

गुट निरपेक्ष की धारणा के बारे में मैं, कहूंगा कि यह धारणा निर्धन लोगों की, जो कि पीड़ित हैं, जो कि उत्पीड़ित तथा पद दलित किये गए हैं, की हालत सुधारने के प्रति समर्पित है । यह भारत का विशेषकर स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कांग्रेस दल का सपना था । यह हमारे राष्ट्र का हमारे नेताओं का सपना था जब वे स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सपने को साकार रूप देना था तथा इस संबंध में कार्यवाही शुरू की गई । स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इस विचार को सरकारी तौर पर अमल में लाया गया । उस समय गुट-निरपेक्षता एक छोटा सा बांजफल थी ।

मैं राष्ट्रों के संयोजन के बारे में कुछ नहीं कहूंगा । जैसे-जैसे राष्ट्र स्वतंत्रता प्राप्त करते गए, उन्होंने गुट निरपेक्षता की मुख्य धारा में मिलना शुरू कर दिया । किन्तु मैं गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के बारे में जरूर बोलूंगा । गरीबी को समाप्त करने के सिद्धांत, दमन के विरुद्ध लड़ने के सिद्धांत, तानाशाही के प्रति लड़ाई का सिद्धांत, भेदभाव के विरुद्ध लड़ाई का सिद्धांत चाहे वह जातीय हो अथवा रंगभेदीय या अन्य हो ; से छोटे बांजफल से यह एक शक्तिशाली बांज बन गया है । यदि हम इस पहलू पर विचार नहीं करते हैं, तो हम इनको उचित रूप से देखने के अपने कर्त्तव्य से असफल रह जायेंगे ।

आज हम उन सभी राष्ट्रों का धन्यवाद करते हैं जो यहां इस सम्मेलन के लिए एकत्र हुए थे। हम अपनी प्रिय प्रधान मंत्री सहित उन लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने यहां सम्मेलन को प्रायोजित किया। इसका उद्देश्य क्या था ? आज विश्व में संघर्ष हो रहा है क्योंकि पददलित लोगों, निर्धन लोगों, अर्ध-विकसित देशों के नेता गरीबी पर प्रहार करना चाहते हैं। आप तब तक गरीबी को कैसे दूर कर सकते हैं जब तक कि युद्ध के सुख-साधन मौजूद रहेंगे ? यह शीतयुद्ध था कि वास्तविक युद्ध हो सकता है किन्तु युद्धोत्तेजक प्रवृत्ति स्वयं ही एक दूषित सुख-साधन हैं जिसे कि दूर किया जाना है। गुट-निरपेक्ष आंदोलन इसके विरुद्ध लड़ रहा है। सम्मेलन यहां हुआ। इसकी आलोचना हुई किन्तु इसका उत्तर हमारे वरिष्ठ नेता श्री स्टीफन ने बखूबी दिया है। हम यहां क्या करते हैं ? हम किसी प्रकार का अपना गुणगान नहीं करते हैं। यह अपने मुँह मियां मिटठू बनना नहीं है। यह संसद इस देश के लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, और लोग आते हैं और हमारे नेताओं को शाबासी देते हुए कहते हैं 'बहुत अच्छा कार्य किया' क्योंकि लगभग तीन वर्ष पहले 'यथार्थ गुट निरपेक्ष' शब्दावली का प्रयोग किया गया था और हम जानते हैं कि बहुत से अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों में देश के विख्यात प्रतिबिंब फीका पड़ गया था। क्या ऐसा नहीं हुआ था ? अब यह फिर से उज्जवल हो गया है··· (व्यवधान) जी हाँ, ऐसा ही था। मैं किसी और का हवाला दे रहा हूं न कि आपका।

इसलिए, इस सम्मेलन से भारत को क्या लाभ हुआ है ? भारत ने न केवल अपनी उचित और मूल प्रतिबिम्ब को उज्जवल किया है, किन्तु भारत एक ऐसा देश है जिसने सभी विकासशील देशों की प्रगति के मामले में उनका पथ प्रदर्शन किया है। आज आर्थिक आंकड़ों का उल्लेख किया जाता है। विकसित देशों द्वारा शोषण किये जाने का हवाला दिया जाता था। बहुत से तरीकों द्वारा शोषण किया जाता और यह सब कुछ किया जाता था।

इसलिए जब सब लोग इकटठे हो गए, सभी राष्ट्र स्वावलम्बी अर्थ-व्यवस्था चाहते हैं, सभी राष्ट्र अपनी सम्पूर्ण प्रभुसत्ता चाहते हैं जिसमें कोई दखल अन्दाजी न हो और न ही किसी का प्रभुत्व हो। जब तो वे सब मिल गए तथा भारत ने उनका नेतृत्व किया तथा इसे सफलतापूर्ण परिणाम पर पहुंचाया, क्योंकि यह एक कठिन कार्य था, हम अपने नेताओं को बधायी देते हैं तथा साथ ही सभी राष्ट्राध्यक्षों को भी। यह काफी कठिन कार्य था क्योंकि विभिन्न मतों वाले बहुत से राष्ट्र यहां एकत्र हुए थे। वे एक दिशा तथा एक ही ढग से आर्थिक विमुक्ति के बारे में घोषणा कर सकते थे। वे अन्य लोगों को दासता से मुक्त कराने, गरीबी के दबाव को हटाने और अन्य लोगों को साम्राज्यवाद के प्रतिबन्धों की हटाने के बारे में घोशणा कर सकते थे। इससे एक महत्वपूर्ण आशा और नई आशा बनी। इसलिए यह संकल्प लाया गया। यह बहुत अहानिकर संकल्प है इसमें संशोधन की शायद ही कोई गुंजाइश हो क्योंकि इस संकल्प में राष्ट्राध्यक्षों को जैसाकि श्री स्टीफन ने कहा है, सभी राष्ट्राध्यक्षों को बधाई देने की बात कही गई है और यहां दिल्ली में जो लोग इस सम्मेलन के प्रभारी थे वे स्वतः ही इसके पात्र हैं।

जहां तक श्रीमती गांधी के नेतृत्व का सम्बन्ध है, प्रारम्भ से ही जब से उन्होंने पहली बार गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में भाग लिया, यदि हम इसे पढ़ें तो यह एक निरन्तर लड़ाई है और वह इन राष्ट्रों के हकों हेतु लड़ रही हैं।

जो विकासशील हैं और जिन्हें अभी स्वावलम्बी बनना है। यही कारण है कि सभी देशों और राष्ट्राध्यक्षों ने यह स्वीकार किया है कि "उनकी दृष्टि से एक नई रोशनी आ रही है जो न केवल भारत के लिए प्रकाशस्तम्भ हैं बल्कि सम्पूर्ण विश्व के लिए है।" इसलिए, हमने उन्हें बधायी देने का उल्लेख किया और मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। मैं अपने मित्रों से अनुरोध करता हूं कि जो संशोधन उन्होंने रखे हैं वे केवल छिछोरे संशोधन हैं—वे अपने संशोध पर दबाव न डालें और सम्मानीय सदन द्वारा सर्वसम्मत संकल्प पारित किया जाना चाहिए।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : वाद विवाद के इस चरण में मैं कार्यवाही वृत्तांत में शामिल करने हेतु औपचारिक रूप में बोलूंगा। हमारे दल की नीति सर्वविदित है। हमने एक सार्वजनिक वक्तव्य जारी किया है। अनियोजित ढंग से इस बहस का आयोजन करने पर मैं अपना विरोध अवश्य प्रकट करूंगा। सबसे पहले मैं यह कहूंगा इसमें दो घन्टे लगेंगे कि उस ओर से कुछ लोग बोलें तथा इस ओर से कुछ लोग बोलें। फिर इसे जारी रखा जा रहा है। कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी हैं जो स्वयं माननीय अध्यक्ष द्वारा स्वय निर्धारित किए गए थे जिससे हम सभी कठिनाई में पड़ गए हैं यह वाद विवाद आसानी से कुछ घन्टे पहले शुरू की जा सकती थी।

मैं समझता हूं कि किसी ने उचित गणना नहीं की है और न ही कोई वास्तविक सराहना की गई है। मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय कब उत्तर देते हैं तथा उठाए गए सभी मुद्दों के साथ कब न्याय करेंगे। पूर्ण वाद-विवाद का यह कोई तरीका नहीं है। फिर भी, मैं भी एक या दो बातें कहना चाहूंगा।

सबसे पहले पिछले एक अवसर पर जब सदन में लेबनान पर इजराइली हमले के बारे में वाद-विवाद चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पुनः मेरे मित्र श्री जेठमलानी को अपने प्रमुख प्रवक्ता के रूप मे आगे किया था और वह उस सवसर पर, आपे से बाहर हो रहे थे।

उपाध्यक्ष महोदय : इन्द्रजीत जी, आप उसी समय की बात कर रहे हो जब श्री वाजपेयी आए थे और उन्होंने स्पष्टीकरण दिया था।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : श्री वाजपेयी ने कहा था कि जो कुछ श्री जेटमलानी ने कहा था वह उनकी व्यक्तिगत राय थी न कि उनके दल की। मैं नहीं जानता कि क्या वही बातें पुनः दोहराई जाएगी। दरवाजे के पीछे से बोलने वाले शैतान की आवास को, जैसाकि उन्होंने उस कहानी में कहा था जो उन्होंने सुनाई थी, जो हमने उस अवसर पर सुनी थी, हमने आज दुबारा सुना है। कोई बात नहीं मैं उससे परेशान नहीं हूं क्योंकि इस सदन में यह तर्क, जहां तक इस बात का सम्बन्ध है कि कोई तर्क दिया गया है, नहीं दिया गया है क्या हम गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के विरुद्ध हैं या कि हम इसके पक्ष में हैं। मुझे यह सोचना चाहिए था, यह एक स्वयं सिद्धि है। सच यह है कि हम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से काफी वर्षों से गुट निरपेक्षता के इस आदर्श के प्रति वचन देते आए हैं और इस आन्दोलन के लिए केवल भारतीय जनता पार्टी ही अपवाद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस आन्दोलन पर ही खुले रूप से आक्रमण करती है, ऐसे शब्दों में जो बहुत·· (एक माननीय सदस्य: सभ्य) नहीं होते हैं। अच्छा मैं 'सभ्य' नहीं कहूंगा, लेकिन यह सदन की मान मर्यादा बढ़ाने में बहुत अधिक सहायक नहीं होगा। (व्यवधान) कुत्ते भौंकते रहेंगे लेकिन कारवां चलता जाएगा। कोई भी

व्यक्ति गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के इस मार्च को रोक नहीं सकता है जो मानवता के 2/3 हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। मैंने आपके भाषण में कभी भी व्यवधान नहीं डाला, श्री जेठमलानी मैं नहीं जानता कि क्या अदालत में व्यवधान डालते रहते हैं और प्रति व्यवधान डालते रहते हैं।

श्री राम जेठमलानी : मैं कुछ सीखने के लिए तैयार हूं यदि आप अच्छी भाषा का प्रयोग करें।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं आपकी भाषा की तुलना में काफी अच्छी भाषा का प्रयोग करता आ रहा हूं। आपने अभी अभी अत्यधिक गन्दे अस्तबलों की गन्दगी की सफाई करने के बारे में बात की थी। उस सम्मेलन में भी आप जैसे कुछ व्यक्तियों ने भी ऐसा ही कहा था। क्योंकि जब उसे यह पता चला कि उसके विचारों को स्वीकार नहीं किया गया था तो उसने कहा था वह वेश्यालय के क्षेत्र में जा रहा है। तत्पश्यात् बस शायद यह सम्मेलन की समाप्ति से काफी पहले उठ कर आ गया था और घर लौट गया था। मैं इस बात को समझ सकता हूं कि कौन-सा तर्क सामने रखा जा रहा है क्योंकि मैंने इसे अन्य स्थानों में भी बोलते हुए सुना है। इस सम्मेलन का क्या लाभ है ? यह सब खोखलापन की बात है।

जैसाकि श्री जेठमलानी ने स्वयं कहा है यह गुट-निरपेक्ष शक्तियों का सम्मेलन है। ये वे शक्तियां नहीं हैं, जो अपनी सैनिक शक्ति के आधार पर लोगों से तर्क कर सकता है। और इसलिए यदि हमें विकास तथा जनमत को तैयार करके ही उस पर भरोसा करना हो, तो हमारे पास केवल यही एक हथियार है। यह कभी कभी खोखलेपन जैसी आवाज आ सकती है लेकिन मेरा अनुमान है कि संयुक्त राष्ट्र संघ में संचालन सम्बन्धी दर्जनों निर्णय तथा संकल्प स्वीकृत किए जाते हैं जो कभी भी किसी एक देश के दुराग्रह अथवा व्यतिक्रमण के कारण कार्यान्वित नहीं किए जाते हैं।

संयुक्त राष्ट्र संघ के संचालन सम्बन्धी कितने ही निर्णय केवल कागज पर ही रह गए ; और यह भी कहा जा सकता है कि यह कुछ नहीं है बल्कि केवल खोखलापन है, लेकिन उस कारण से कोई भी व्यक्ति यह कहने का साहस नहीं कर सकता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ को समाप्त किया जाना चाहिए अथवा हमें संयुक्त राष्ट्र संघ से अपनी सदस्यता समाप्त कर देनी चाहिए। इसके अलावा और कोई विकल्प नहीं है, लेकिन परमाणु युद्ध, विध्वंशकारी युद्ध का भूत जो समस्त विश्व को तथा समस्त मानवता को निगल जाएगा ; और इसका सबसे अधिक नुकसान विश्व के विकासशील देशों, निर्धन देशों को उठाना पड़ेगा।

इसलिए, महोदय, यह देश गुट-निरपेक्षता के प्रति वचनबद्ध है। मैं इन सबकी गहराई में नहीं जा रहा हू। अब विभिन्न तरह की परिभाषाओं तथा अन्य सभी बातों की गहराई में जाने का समय नहीं है। मुझे खुशी है कि श्री कमल नाथ ने यह कहा। मैं उन पर या अन्य सभी पर दोष नहीं लगा रहा हू, उन्होंने कहा है कि वह सापेक्ष रूप से इस सदन के लिए नए हैं।

मुझे खुशी है कि उन्होंने महान शक्तियों से बराबर की दूरी बनाए रखने सम्बन्धी शब्द को वापस ले लिया है। गुट-निरपेक्षता के बारे में हमारा यह दृष्टिकोण बिल्कुल नहीं है। लेकिन उन्होंने दो अन्य मुहावरों का भी प्रयोग किया है, उन्हें भी बराबर की दूरी, बनाए रखना शब्दों के

साथ ही हटाया जाना चाहिए, एक सही गुट-निरपेक्षता' वास्तविक गुट-निरपेक्षता की तरह हम पहले सुनते आ रहे हैं। दूसरा शब्द जो प्रयोग में लाया गया है वह है 'तटस्थता'। तटस्थता क्या है? तटस्था किसके लिए? तटस्था किसके विरुद्ध? किसी भी परिस्थिति में गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य यह है कि हम हर मामले में गुणावगुण के आधार पर कोई निर्णय लेने में स्वाधीन हैं प्रथमतया हमारे अपने राष्ट्र हित में और दूसरे गुट-निरपेक्ष देशों के सामान्य हित में। मैं यही सब कुछ कहना चाहूंगा।

जैसाकि श्री दण्डवते ने अपने भाषण में बड़ी ही सुस्पष्टता से सोदाहरण बताया है कि किस एक शिखर वार्ता से दूसरी शिखर वार्ता में कतिपय मामले सामने आए थे। कतिपय मामले सामने आए थे जिनके बिम्ब उन विशेष शिखर सम्मेलनों, घोषणाओं में प्रतिलक्षित हुये थे इसलिए इस बात से मैं यह कहना चाहूंगा कि 1983 में नई दिल्ली में मार्च में हुए सम्मेलन में ऐसी कौन सी चीजें थीं जो उन लोगों, जो यहां 100 से भी अधिक देशों से आए थे, की भावनाओं के विवेक पर छायी हुई थी? हमें उनके बारे में सोचना है। ऐसा क्यों है कि इन घोषणाओं और प्रलेखों में अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के अनुसार आर्थिक सहयोग तथा आर्थिक संरचना के प्रश्न पर, इन विकासशील देशों के बीच सहयोग के प्रश्न पर इतना अधिक बल दिया गया है? इसका भी एक कारण है। आप इस तथ्य से उसका कोई संकेत प्राप्त कर सकते हैं कि केवल इस सम्मेलन की पूर्व सन्ध्या पर ही मैडम किरक पेट्रिक, जो संयुक्त राष्ट्र संघ में अमरीका की राजदूत हैं और जो कि काफी प्रसिद्ध महिला हैं, जो अपने कार्यकलापों से काफी बदनाम हैं, ने एक खुला वक्तव्य जारी किया है जिसमें यह चेतावनी दी गई है कि उस गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में यदि ये विकासशील देश, विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे संस्थानों की वैधता को चुनौती देते हुए समस्त आर्थिक प्रणाली की पुनः संरचना करने के बारे में बात करेंगे तो ऐसे देशों को भविष्य में अमरीका तथा उन विभिन्न अभिकरणों, जिनपर अमरीका का नियंत्रण है, की नाराजगी वहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। उन्होंने एक खुला वक्तव्य दिया था। मैं अभी उसका हवाला नहीं दे सकता क्योंकि वह वक्तव्य यहाँ इस समय मेरे पास नहीं है। यह सच है कि इसके बावजूद इन देशों ने इकट्ठे होकर यह कहते हुए ठीक-ठीक यह संकल्प लिया है कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था के ढांचे के अन्दर कोई छोटा-मोटा सुधार कर देने का प्रयास करना ही काफी नहीं होगा। यही दृष्टिकोण था जो इस सम्मेलन में पाकिस्तान के प्रवक्ता श्री महबूब उलहक द्वारा अपनाया गया था लेकिन सम्मेलन द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था और इस सम्मेलन में इस प्रणाली का सम्पूर्ण पुनर्गठन करने की मांग की थी जिससे विकासशील देशों को न्याय मिल सकता है।

शायद, उन्होंने विकसित देशों को यह दलील दी है कि यह उनके हित में भी है, जैसा कि इसमें सन्देह नहीं है, चाहे वे इसे समझें अथवा इसकी प्रशंसा करें अथवा नहीं, यह एक भिन्न मामला है; लेकिन मेरे विचार में सम्मेलन की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि इन विकासशील देश सामूहिक रूप से दृढ़ता से जमे रहे और समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से दृढ़ता पूर्वक अपने अधिकार मांगे एवं दृढ़ता पूर्वक अपनी ये मांगे कि वे शोषित निर्धन देशों की स्थिति में रहने से इन्कार करते हैं। अन्य घटनाएं जो उस समय हुई—सम्मेलन की पूर्व संध्या पर, कुछ सप्ताह पहले—संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा खुले रूप से यह घोषणा की गई थी कि वे एक नए केन्द्रीय कमान की स्थापना कर

रहे हैं। श्री रघुनन्दन लाल भाटिया ने तेजी से फैलने वाले एक बल का उल्लेख किया है जिसे 'केन्द्रीय कमान' कहा जाता है जिसका कार्य क्षेत्र इस इलाके 19 देश हैं। वे सभी विकासशील विश्व का ही भाग है। तथा 233,000 अमरीका के सैनिक कर्मचारियों—यह सब उनके अपने विवरणों में उपलब्ध हैं—की सेवाएं इस केन्द्रीय कमान को सौंपी जानी हैं जिसने विश्व के इस हिस्से के 19 देशों के क्षेत्र करना है। ये ही सब बातें हैं यदि सम्भवत ये विकासशील देश समझ गए हैं तो इसका क्या तात्पर्य है ?

इसलिए हिन्द महासागर पर जल॰ दिया गया है। पिछले वर्ष एक सम्मेलन आयोजित किया जाना था जिसे रोक दिया गया था क्योंकि आप जानते हैं अमरीका ने इसमें भाग लेने से मना कर दिया था। यह समझा जाता है कि अब यह सम्मेलन दुबारा होगा और श्री जयवर्धन ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के विरुद्ध बड़े ही प्रभाव पूर्ण ढंग से यह बात कही और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने उसके देश के लिए क्या किया है ?

लेकिन यहाँ हिन्द महासागर का प्रश्न है। वह नहीं चाहते कि इस मामले को दियगो गार्शिया, जो इसके प्रदेश का एक भाग था, को वापस लेने के लिए मारीशश के प्रभुत्व सम्पन्न अधिकार के प्रश्न के साथ न मिलाया जाए। उन्होंने कहा कि इन दोनों प्रश्नों को अलग-अलग रखा जाए अन्यथा अमरीकी इस बात से नाराज हो जाएंगे और वे इस सम्मेलन में नहीं आएंगे। किसी भी परिस्थिति में उस बात पर समझौता हो गया था अथवा एक प्रकार की सहमति हो गई थी। इन दोनों मामलों को अलग रखा गया था। हिन्द महासागर तथा सम्मेलन, जिसका हिन्द महासागर के लिए बुलाने का प्रस्ताव किया गया था, का अलग से वर्णन किया गया था ; और दियगो गार्शिया के बारे में, सम्भवत, एक बहुत ही कड़ा संकल्प, परन्तु अलग से एक संकल्प स्वीकार किया गया था जिसमें चागोस आर्चिपेलगो जिसमें दियगो गार्शिया भी शामिल है, पर देशों के पूर्ण अधिकार की पुष्टि की गई थी।

इसलिए यदि हम सभी मामलों, जिन पर विचार किया गया है की तह तक जाते हैं तो मेरे विचार में उन्हें राजनीतिक घोषणा के रूप में, आर्थिक घोषणा के रूप में तथा इसी प्रकार बड़े ही व्यापक ढंग से निपटाया गया। यह प्रथम शिखर-सम्मेलन है जिसमें इतने अधिक मामलों पर विचार किया गया है।

प्रो० मधु दण्डवते ने यह बिल्कुल सही कहा था कि एक भी मामले को विचार किए बिना नहीं छोड़ा गया है। किसी भी व्यक्ति ने यह नहीं मांग की कि उन मामलों को विचार किए बिना छोड़ दिया जाए। ऐसे मामलों पर विचार किया गया है जिन्हें कभी भी पिछले सम्मेलनों में विचार नहीं किया गया था। उदाहरण के तौर पर, दोनों कोरिया के पुनः एक हो जाने का प्रश्न पहले कभी नहीं उठाया गया था, क्यूबा का आर्थिक बहिष्कार करने का प्रश्न, केन्द्रीय अमरीका के अधिकाँश देशों, जो अब आर्थिक तथा राजनीतिक प्रभुत्व का कष्ट भोग रहे हैं किसके द्वारा यह किया जा रहा है? हम साइप्रस के विभाजन के प्रश्न तथा तुर्की द्वारा साइप्रस पर कब्जे का प्रश्न, इन सभी मामलों पर पहले कभी भी विचार नहीं किया गया था। इस सम्मेलन में बड़े ही व्यापक क्षेत्र को शामिल किया गया है और वे इस प्रश्न पर तटस्थ अथवा समदूरस्थ नहीं रह सके क्योंकि प्रत्येक मामले में दोषी व्यक्ति वही था। इसलिए संयुक्त राज्य अमरीका का नाम लेकर 22 बार जिक्र

किया गया है जिससे, सम्भवत: वे बहुत नाराज हो गए हैं। और बी० बी० सी ने अपने प्रसारण में इस तथ्य पर चिन्ता व्यक्त की है कि दिल्ली सम्मेलन में जो घोषणाएं की गई हैं तथा जो संकल्प स्वीकार किए गए हैं वे हवाना में स्वीकृत किए गए संकल्पों तथा घोषणाओं से अत्यधिक मौलिक हैं।

इसलिए, महोदय, हम समझते हैं कि इस सम्मेलन ने कुछ उपलब्धि हासिल की है; और अब सम्भवत: प्रत्येक बात, इसके द्वारा की जाने वाली अनुवर्ती कार्रवाई इसके कार्यान्वियन, विशेष रूप से, मुझे आर्थिक घोषणा के बारे में कहना चाहिए, पर निर्भर करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ श्री इन्द्रजीत गुप्ता कहते हैं उस पर मुझे आश्चर्य नहीं है क्योंकि मैंने समाचार-पत्रों में देखा था कि विश्व में अध्यक्षता करने वाले किसी भी अधिकारी का रिकार्ड हमारी प्रधान मंत्री द्वारा लगातार 15 घन्टे तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठकर तोड़ दिया गया है।

श्री इन्द्र जीत गुप्त : मैं उस विषय पर भी बात करने वाला हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं केवल इसलिए बता रहा हूं क्योंकि उन्होंने कहा है कि सभी विषयों पर चर्चा की गई थी। प्रधान मंत्री अध्यक्षता कर रही थीं। समाचार पत्रों को यह सूचना दी गई थी कि यह 15 घन्टे तक अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठी रही थीं।

श्री सतीश अग्रवाल (जयपुर) : महोदय, आप इस उदाहरण का अनुपालन क्यों नहीं करते और कम से कम आज आप रिकार्ड तोड़ दें।

उपाध्यक्ष महोदय : पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिए गए थे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, क्या मैं अपना भाषण जारी रख सकता हूं?

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं यह सब कहना चाहता हूं कि भारत ने सबसे ज्यादा अब से, क्योंकि अध्यक्ष का पद हमारे देश को मिल गया है, इन अत्यधिक महत्व के संकल्पों तथा घोषणाओं, जिन्हें स्वीकार किया गया है, के कार्यान्वियन पर व्यवहार में गम्भीरता से संलग्न रहने का प्रदर्शन किया है। यह विशेष जिम्मेदारी हमारे ऊपर डाली गई है।

और श्रीमती गांधी ने संवाददाता सम्मेलनों, जो उन्होंने इस सम्मेलन की समाप्ति के बाद बुलाया था, मैंने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा अन्य अन्तर्राष्ट्रीय एजेन्सियां अपनी शर्तें पूरी करवा लेने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने इस शब्द का प्रयोग किया है।

महोदय, पहले बजट पर बोलते हुए मैं इस तथ्य को बताना चाहता था। अब, चूंकि आपने एक संयुक्त घोषणा --थोड़े से विकसित तथा अमीर देशों के प्रयासों के प्रतिरोध की घोषणा, जो इस विश्व की अधिकांश देशों का शोषण करने का प्रयास कर रहे हैं, के लिए वचनबद्ध हैं, आप बार-बार इस बात को नहीं कह सकते कि हम शोषण की इस प्रणाली के विरुद्ध जिन वस्तुओं को हम बेचते हैं उनके मूल्यों को कम करके तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं, जिनका हमें उन देशों से आयात करना

पड़ता है, के मूल्य बढ़ाकर, ब्याज की अधिक दर वसूल करके संरक्षणकारी नीतियों को अपनाकर, हमें ऋण के फंदे में फंसाकर हमारे व्यापार शेष के घाटों, हमारे विदेशी ऋणों में वृद्धि करने के प्रयासों के समस्त व्यापार के खिलाफ अपने गुट-निरपेक्ष साथियों के साथ लड़ेंगे। आप इन बातों के खिलाफ उन नीतियों, जिनका हमारी सरकार इस समय अनुशीलन कर रही है, के द्वारा नहीं लड़ सकते। इसी बात की मुझे अधिक चिन्ता है।

यदि आप इस सम्मेलन की आर्थिक घोषणाओं, जो कि एक बहुत श्रेष्ठ प्रलेख हैं, तथा आर्थिक और वित्तीय एवं व्यापारिक नीतियों, जिनका हमारी सरकार द्वारा व्यवहार में पालन किया जाता है के वास्तविक व्यवहार में लाए जाने के बीच अन्तर का अध्ययन करें तो आप निश्चित रूप से यह पाएंगे कि इन दोनों के बीच जोरदार अन्तर है। इसलिए, मैं कहूंगा कि इस तरह हमारा परीक्षण भी हो जाएगा, हमारा हर तरह से परीक्षण हो जाएगा। मैं सरकार से इस बात को सुनिश्चित करने के लिए भी अनुरोध करूंगा कि सरकार इन बातों को केवल कागजों में ही न रखें बल्कि अपनी नीतियों को वास्तव में पुनः आकार दें और साहसी रुख अपनाएं। केवल तभी वे निश्चित रूप से मानवता के अधिकांश बहुमत का समर्थन प्राप्त कर लेंगे, जिनका इस गुट-निरपेक्ष सम्मेलन में संघर्ष करने के लिए, अनुचित प्रणाली, जो कुछ शक्तियों द्वारा हमारे ऊपर थोपी जा रही है, को तोड़ने के लिए प्रतिनिधित्व किया गया है।

महोदय, अब मैं इस प्रस्ताव के बारे में बोलूंगा। सम्भवतः मेरे विचार में इसका मसौदा बहुत ही खराब ढंग से तैयार किया गया है। लेकिन जहां तक इस बात का सम्बन्ध है मुझे इसमें ऐसी कोई आपत्तिजनक बात नहीं मिल रही है जिसकी मेरे कुछ मित्रों द्वारा सदन में प्रस्तुत कराए जाने की मांग की गई है; क्योंकि राज्यों और सरकारों के अध्यक्षों और विभिन्न प्रतिनिधि मण्डलों के नेताओं, जिन्होंने स्वयं उपस्थित होकर तथा अपना योगदान देकर इस सम्मेलन की सफलता को सुनिश्चित किया है, को धन्यवाद दिए गए हैं तथा उनकी प्रशंसा की गई। मेरे विचार में कोई भी व्यक्ति इस पर आपत्ति नहीं कर सकता।

फिर इसमें कहा गया है :

> "भारतीय प्रतिनिधिमंडल का कार्य तथा अध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी का नेतृत्व भी प्रशंसनीय है।"

अध्यक्ष चुने जाने के बाद श्रीमती गांधी ने भाषण दिया, उसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा, और इसे मैं उद्धृत कर रहा हूं क्योंकि उन्होंने जो कहा वह बात मुझे अच्छी लगी, इस प्रस्ताव में यह बेहतर ढंग से स्पष्ट हो जानी चाहिए थी उन्होंने कहा :

> "हमारे आंदोलन में सभी समान हैं, हम साझेदार हैं, हममें से कोई नेता और अनुयायी नहीं है। नेतृत्व की धारणा से पर्याप्त नुकसान हुआ है।"

प्रो० मधु दंडवते : वह अपने ही अनुयायियों को यह बता रही हैं।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : महोदय, इसलिए जहां तक मैं समझता हूं इस संकल्प का यह पैराग्राफ

उनके द्वारा प्रदान किया गया या किया जाने वाला नेतृत्व आंदोलन के बारे में नहीं है, यह इस सम्मेलन को प्रदान किए गए नेतृत्व के बारे में है।

वह अध्यक्ष पद पर चुनी गईं वास्तव में यह एक परम्परा है। लोग ठीक कहते कि अगर सम्मेलन किसी अन्य देश में होता, तब उस सरकार का राष्ट्राध्यक्ष ही स्वयमेव अध्यक्ष चुना जाता यहां यह प्रासंगिक नहीं, सम्मेलन दिल्ली में हुआ तथा प्रधानमंत्री अध्यक्ष पद पर चुनी गईं। मैं समझता हूं, इस तरह के विशाल अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन के अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति को बहुत कुछ करना पड़ता है। इस पद पर निष्क्रिय रूप से बैठना अपेक्षित नहीं है। वस्तुतः मेजबान देश को कई काम करने होते हैं। महोदय, जैसाकि आप जानते हैं, उन्हें सभी प्रमुख दस्तावेजों के मूल प्रारूप तैयार करने होते हैं; यह काम मेजबान देश का है, ये दस्तावेज निर्गुट के आंदोलन सभी सदस्यों को भेजने होते हैं तथा हमारे देश से लोग को उन सब देशों में जाना होता है तथा यह स्पष्ट करने का प्रयास करना होता है कि इस दस्तावेज का मुख्य विषय तथा महत्व क्या है।

उन्हें अन्य लोगों की प्रतिक्रियाएं जाननी होती हैं, उन्हें दस्तावेजों में सुधार, तथा बार बार प्रारुप तैयार करना होता है, यह सर्वविदित है कि जब सम्मेलन शुरू होता है एक-एक वाक्य पर घन्टों कठिन परिश्रम करना पड़ता है। कभी-कभी तो सर्वसम्मति प्राप्त करने के लिए पूरी रात लग जाती है। इसलिए मेरे विचार से इस सारे काम में मेजबान देश को मैं प्रतिनिधिमंडल के प्रत्येक सदस्य के बारे में नहीं जानता, कि उन्होंने क्या किया तथा क्या नहीं किया और मेरे लिए यह अनुमान लगाना संभव नहीं है—हमारे देश की ओर से जिन प्रमुख लोगों को इसका दायित्व सौंपा था, उदाहरणतः जिसमें विदेश मंत्री शामिल थे, इसमें अध्यक्ष श्रीमती गांधी और कुछ अन्य लोग भी शामिल थे। उनको ही इस कार्य की जिम्मेदारी वहन करनी होगी। यह उनकी जिम्मेदारी है, वे यह कह कर किनारे नहीं हो सकते कि उन्हें कुछ नहीं करना है जो लोग बाहर से आएगे वेही सब करेंगे। मेरा विश्वास है, सम्मेलन ने इस ढग से ही चलना है। इसलिए मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि कामरेड फिदेल कास्ते तथा अन्य लोग जिन्होंने राज्याध्यक्षों की हैसियत से इस आंदोलन के कर्णधारों के रूप में अग्रणी भूमिका निभाई है जहां तक इस सम्मेलन के अध्यक्ष पद का सम्बन्ध है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रीमती गांधी ने भी बड़ी ठोस भूमिका अदा की है। मुझे यह मानने में कोई संकोच या कठिनाई नहीं है और ऐसा किसी डर के कारण नहीं है—कि उन्होंने सह-अध्यक्ष के रूप में अच्छा काम किया है, मैं जानता हूं कि कुछ मित्र इसे पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि श्रीमती गांधी की नीतियों से हम सब अवगत हैं, यह सर्वविदित है कि उन पर इस सदन में प्रतिदिन चर्चा तथा वाद-विवाद होता है; और उन नीतियों में से 99 प्रतिशत पर उनका विरोध करते हैं और हम यह विरोध तब तक जारी रखेंगे जब तक नीतियां बदली नहीं जाती, पर मैं समझता हूं इस प्रस्ताव के जिस मामले पर हम चर्चा कर रहे हैं हमें मात्र इसी कारण से इतनी भावुकता या झुंझलाहट नहीं दिखानी चाहिए कि उनका जिक्र नेतृत्व प्रदान करने तथा इस सम्मेलन के सह-अध्यक्ष के रूप में किया गया है। यह कार्य बहुत अच्छे ढंग से संपन्न किया गया। हम यत्र-तत्र जो कुछ पढ़-सुन रहे हैं उससे इस बात का निर्णय कर सकते हैं।

प्रो० मधु दंडवते : यदि आपको आपत्ति न हो तो मैं पूछता हूं कि प्रधान मंत्री पंडित नेहरु के समय में, क्या कभी इस तरह का प्रस्ताव स्वीकार किया गया था ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मैं नहीं जानता, (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : तब कोई और सम्मेलन नहीं हुए थे ; अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन हुए थे। मैंने यहां आने से पहले सम्बन्धित रिकार्डों की जांच कर ली है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : स्मरण-शक्ति के बल पर मैं नहीं कह सकता हूं। पर मैं समझता हूं कि उस समय सभवतः यह नहीं किया गया था। मैं यह कह रहा हूं कि यह प्रस्ताव गलत ढंग से प्रारूधित किया गया है, इसमें बड़ी बड़ी व्याकरणिक त्रुटियां हैं, इसे ठीक किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की आत्मनिर्भरता के बारे में कहा गया है।

प्रो० मधु दंडवते : हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की आत्म-निर्भरता का कोई अर्थ नहीं है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : यदि यह राष्ट्रीय आन्दोलन है तो इसे आत्म निर्भर होना ही है यदि यह आत्म निर्भर नहीं है तो यह स्पष्टतः कोई आंदोलन नहीं है। यह कुछ और है। जो भी हो इन्हें ठीक किया जाना चाहिए और आशा है ऐसा किया जाएगा।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मैंने इसीलिए इसके संशोधन का सुझाव दिया है।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे विचार से इस समय सम्मेलन में प्रस्ताव पारित करना ही पर्याप्त नहीं हैं। हमारा विश्वास है कि हमें इन्हें लागू करने के लिए लोगों को तैयार करना होगा। प्रमुख बात तो जनमत तैयार करने तथा मेरे माननीय मित्र श्री जेठमलानी और अन्य द्वारा खड़ी की जाने वाली बाधाओं का सामना कर इन्हें क्रियान्वित करना है, और यह काम किया जा सकता है। हमें इसका पूरा विश्वास है।

अतः मैं समझता हूं कि सम्मेलन में मूलतः आधारभूत सिद्धांतों के बनाये रखा गया है क्यों कि इस आंदोलन के आधारभूत सिद्धांत के बारे में यहां बहुत कुछ कहा गया है, मेरे विचार से ये सिद्धांत हैं—साम्राज्यवाद, उपनिवेशवाद, जातिवाद, सियोनवाद, युद्ध की आशंका का विरोध करना तथा शांति की रक्षा करना सम्मेलन में कुल मिलाकर इन सब मूल प्रश्नों पर बड़ा सकारात्मक तथा स्पष्ट रुख अपनाया गया तथा हम इसका बहुत स्वागत करते हैं। पर मेरे विचार से जहां तक हमारा संबंध है, हम इस प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं हालांकि यह अपेक्षाकृत अधिक संतोषजनक तथा स्पष्ट हो सकता था।

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य चर्चा आरम्भ करते समय, अध्यक्ष महोदय द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हमने लगभग दो घन्टे का समय इसके लिए नियत किया है, अब 8 बज चुके हैं—हमने करीब चार घंटे लगा लिए हैं। अभी कई वक्ताओं को बोलना है और इस तरह विदेश मंत्री बिल्कुल भी उत्तर नहीं दे सकेंगे। इसमें 10 बज जाएंगे। अतः, मैंने संसदीय कार्य मंत्री से इस सम्बन्ध में अनुरोध किया है और उन्होंने कृपापूर्वक अपने दल के सदस्यों के नाम वापस ले लिए हैं विपक्ष से चार नाम आए हैं। यदि उनमें से कोई सदस्य सद्भावनापूर्वक अपना नाम वापस ले लें तो यह अच्छी बात होगी। ये सदस्य हैं—श्री अशफाक हुसैन, श्री उन्नी कृष्णन, श्री अब्दुल समद तथा श्री चन्द्रजीत यादव, ये माननीय सदस्य अधिक समय नहीं लेंगे। मैंने समय निश्चित नहीं

किया है क्यों कि वे जानते हैं कि सत्ताधारी दल के सदस्यों के नाम वापस लिए जा चुके हैं, अतः मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वे अधिक समय न लगायें।

श्री एम० सत्यनारायण राव (करीम नगर) : चर्चा शुरू करते समय आपने कहा था कि प्रत्येक सदस्य को 10 मिनट दिए जाएंगे। दुर्भाग्यवश, आपने कुछ सदस्यों को आधा घंटे बोलने की अनुमति दे दी। हम 4 बजे से यहां यही सोच कर बैठे हैं कि हमें बोलने के लिए आमंत्रित किया जाएगा, अब आप हमारा नुकसान कर रहे हैं। खैर, संसदीय कार्य मंत्री यहां मौजूद हैं। यह बड़ी गलत बात है।

उपाध्यक्ष महोदय : अतः विदेश मंत्री लगभग रात्रि 8.15 बजे के करीब उत्तर दे सकेंगे। श्री अब्दुल समद।

श्री अब्दुल समद (वैल्लोर) : हमारी राजधानी में निर्गुट आंदोलन सम्मेलन के सफलतापूर्वक संचालन के लिए भारत सरकार को हार्दिक बधाई देता हूं।

निस्संदेह यह एक उल्लेखनीय उपलब्धि है और इससे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। यह निर्विवाद तथ्य है कि विश्व जन संख्या के दो-तिहाई भाग का प्रतिनिधित्व करने वाले 101 देशों के प्रतिनिधियों, जिसमें 60 राज्याध्यक्ष शामिल हैं, द्वारा भाग लिये जाने वाले शिखर सम्मेलन में तीन वर्ष से भी अधिक की अवधि तक गहन एवं विस्तृत तैयारी अपेक्षित होती है। पर इसका श्रेय भारत सरकार के सम्मिलित प्रयासों को जाता है कि सम्मेलन की तैयारी यथा समय पूरी हो गई।

सम्मेलन की सफलता बहुत कुछ मेजबान देश के प्रयत्नों तथा समझबूझ पर निर्भर करती है जिसे इस वैचारिक आदान-प्रदान को सार्थक तथा प्रभावी बनाने में अग्रणी भूमिका निभानी होती है, सम्मेलन में हुआ विचार बिलम्ब सहायक तथा फलप्रद सिद्ध हुआ है।

हमारी प्रधान मंत्री, श्रीमती इंदिरा गांधी को आन्दोलन की अध्यक्षता का भार सौंपा गया है, इस नाजुक तथा कठिन दायित्व के लिए उन्हें हमारे देश की जनता का समर्थन तथा आन्दोलन में भाग ले रहे देशों का ही नहीं वरन् सम्पूर्ण विश्व का विश्वास प्राप्त है, हम उनकी सफलता की कामना करते हैं।

सौभाग्यवश हमारी प्रधानमंत्री श्री जेठमलानी की बहन नहीं हैं, यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि उन्होंने असंसदीय कहानी सुनाई है। फिलस्तीनी मुक्ति संगठन के अध्यक्ष तथा आज के लोकप्रिय नेता श्री यासर अराफात ने जब हमारी लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्रीमती गांधी को आदर तथा स्नेह से अपनी बहन सम्बोधित किया तो श्री जेठमलानी को इस पर आपत्ति क्यों? जो लोग वीरता की प्रशंसा कर सकते हैं वही उन्हें अपनी बहन कह सकते हैं न कि श्री जेठमलानी जैसे लोग।

सम्मेलन ने एक घोषणा जारी की है जो कि नई दिल्ली के संदेश का सही प्रतिनिधित्व करता है। मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि यह संदेश शान्ति, स्वतन्त्रता कायम करने तथा निरस्त्रीकरण

में बड़ा सहायक सिद्ध होगा, यह वस्तुतः एक नयी अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था कायम करने, विकासशील देशों में न्याय तथा सम्पन्नता लाने में एक प्रभावी माध्यम होगा।

हम, निर्गुट सम्मेलन में भाग लेने वाले सभी राज्याध्यक्षों तथा प्रतिनिधियों का धन्यवाद करते हैं। हमारी ऐतिहासिक राजधानी में उनकी उपस्थिति निस्संदेह हमारे देश के लिए गौरव की बात थी।

निर्गुट आन्दोलन को अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ा।

हम, इराक तथा ईरान के मध्य दुश्मनी की समाप्ति, लेबनानियों के अधिकार तथा स्वतन्त्रता कायम रहने तथा फिलस्तीन मुक्ति संगठन तथा उसके वीर नेता श्री यासर अराफात के नेतृत्व में फिलस्तिनियों को उनकी भूमि पर अधिकार प्राप्त होने की आशा करते हैं।

आज निर्गुट आन्दोलन पर मानवता की आशा टिकी हुई है। इस्लामी सम्मेलन संगठन के सदस्य 42 मुस्लिम देशों में से 41 इस महान आन्दोलन के सदस्य हैं जो कि प्रायः सम्पूर्ण इस्लाम जगत की इस आन्दोलन में आस्था को प्रकट करता है। भारत को इसमें अग्रणी स्थिति प्राप्त है और वह इस आन्दोलन की मजबूती का सदैव आधार बना रहेगा।

मैं इन शब्दों के साथ श्री कमल नाथ द्वारा रखे गए प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन (बदागरा) : उपाध्यक्ष महोदय, सत्तारूढ़ दल तथा अन्य मित्र सदस्यों के वक्तव्य सुनकर मैं यह सोचकर चिंतित था कि हम वाद-विवाद के सही रुख को छोड़ते जा रहे हैं। किसी महान समसामयिक महत्व की घटना का मूल्यांकन करने वाला वाद-विवाद बेहतर धरातल पर होना चाहिए। यह विशेष ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य के साथ अत्यधिक वस्तुपरक ढंग से तथा मेजबान देश की संसद के रूप में विनम्रता तथा जिम्मेद्वारी की भावना से करना होगा।

जैसा कि मैंने कहा है, हम ऐसे सम्मेलन का मूल्यांकन कर रहे हैं जिसमें विश्व के अल्पविकसित बहुसंख्यक-मानव समुदाय गम्भीर चिंता तथा परिणाम वाली समस्याओं पर चर्चा करने के लिए एकत्रित हुआ है, इसीलिए मैंने यह सोचा कि यह अवसर भावुकता में बहते, स्तुतिगान करने या अभिनन्दन करने का नहीं, आप तथा अन्य मित्रगण मुझे क्षमा करें, मैं कहता हूं कि चाटुकारिता निर्गुट सम्मेलन की शत्रु है क्योंकि चाटुकारिता से विभाजन तथा गुटबन्दी पैदा होती है, और ऐसे आन्दोलन में जहां कोई एक नेता या पथ-प्रदर्शक न होकर कई कर्णधार रहे हों, हमारे लिए यह ऐतिहासिक तथ्य याद रखना महत्वपूर्ण था और हम स्वयं निर्गुट देशों के महान नई दिल्ली सम्मेलन का मूल्यांकन कर रही महान भारतीय संसद के वाद-विवाद में अपने झगड़ों में लग गए। इसीलिए प्रो० दण्डवते ने श्री जवाहरलाल नेहरू के दृष्टिकोण का उल्लेख किया था। यदि मुझे उनकी बात यहां उद्धृत करने की अनुमति प्राप्त हो,—क्योंकि हम सब को इसे याद रखना बड़ा महत्वपूर्ण है—उन्होंने इसी सदन में यह कहा था कि हमारी विदेश नीति को नेहरू नीति कहना सर्वथा गलत है, उन्होंने कहा कि यह गलत है क्योंकि मैंने उस नीति को मूर्त रूप दिया है, जो कि मेरी बनाई हुई नहीं है। यह भारत की परिस्थितियों, उसकी विगत परिस्थिति जन्य विचारधारा, भारत के समग्र सात

सिक दृष्टिकोण, हमारे स्वतन्त्रता संग्राम के दौरान भारतीय दृष्टिकोण वर्तमान विश्व की परिस्थितियों में अन्तर्निहित नीति हैं। ऐसा नहीं है। यह श्री राम जेठमलानी सुब्रह्मण्यम स्वामी जैसे लोगों के कथन के बावजूद राष्ट्रीय सहमति है, मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : अत्यन्त संतुलित

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं है कि देश निर्गुट सिद्धान्तों का पालन जारी रखेगा क्योंकि इस देश या इस सम्बन्ध में विश्व के अल्प विकसित देशों के लिए अन्य कोई विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त, सातवां सम्मेलन अपने विशेष सम-सामयिक संदर्भ की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इसलिए नहीं कि यह नई दिल्ली में हो रहा था, यह जहां कहीं भी होता, बड़े महत्व की महान घटना सिद्ध होता। हथियारों की बढ़ती होड़ के संदर्भ में उत्पन्न वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति, जहां युद्ध के बादल क्षितिज में मंडरा रहे हैं। और जहां सर्वत्र नये संकट पैदा हो रहे हों तथा शान्ति की लालसा दृढ़ हो रही हो और विश्व भर में मंदी के संदर्भ में जिसका निर्गुट देशों की अल्प-विकसित जनता पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा हो, यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, मेरे मित्र श्री जेठमलानी ने एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया, जो कि उनके लिए ही महत्वपूर्ण था, जब अधिकांश निर्गुट देश लोकतन्त्र में आस्था नहीं रखते, उनके पास ऐसे लोकतांत्रिक संस्थान नहीं हैं जैसे कि वह चाहते हैं, तो आप किसकी बात कर रहे हैं। पर मैं याद दिलाना चाहता हूं, यह सैद्धांतिक छलावा नहीं है। यदि मेरे परम मित्र श्री जेठमलानी मुझे अनुमति दें तो मैं इसे पूर्णतः असंगत कहूंगा, मुझे यह नहीं कहना चाहिए क्योंकि वे मुझसे बहुत वरिष्ठ हैं। इसलिए मैं इसे केवल असंगत कहूंगा।

अपने राष्ट्रीय संघर्ष के संदर्भ में ही हमने निश्चित धारणा बनाई, जो कि हमारी विदेश नीति के रूप में विकसित हुई और निर्गुट आन्दोलन कोई मन्त्र या रामबाण औषधि नहीं है; यह मूलतः हमारी स्वतन्त्रता तथा प्रभुसत्ता की अभिव्यक्ति है, इसीलिए यह पूरी तरह से उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी है। इसे इस संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। इसे यहां से हटाकर किसी दूसरे संदर्भ के साथ नहीं जोड़ा जा सकता है। यह इसलिए कि हमें गुटों से दूर रहना है, इस शताब्दी के पांचवे, छठे दशक में, जब शीत युद्ध की आशंका प्रबल हो गई थी, उत्पन्न संदर्भ को देखते हुए शान्ति और विकास के उद्देश्य को एक साथ लेकर चलेंगे। विकास करना तथा विश्वव्यापी असमानता खत्म करना इन देशों का मुख्य लक्ष्य है। इसीलिए शांति इस आन्दोलन का प्रथम लक्ष्य है।

महोदय, हमने विगत में जो बड़ी भूमिका निभाई है उससे आप परिचित हैं। हमारे लिए शर्मिंदगी की कोई बात नहीं है। श्री जवाहर लाल नेहरू के समय से श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल तक हम इस मूल धारणा पर अडिग रहे हैं, 1955 में बांडुंग में सम्मेलन हुआ था। श्री माधवराव सिंधिया ने ब्रिओनी का उल्लेख किया था। इससे नैतिक दबाव के लिए एक वातावरण बना तथा इसके परिणामस्वरूप यह मामला हमारे विख्यात प्रतिनिधि स्वर्गीय श्रीकृष्ण मेनन द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया गया। उन्होंने इसे उपनिवेशवाद समाप्त करने का मन्त्र बना दिया। इन्हीं सब महत्वपूर्ण घटनाओं के फलस्वरूप बेलग्रेड सम्मेलन हुआ। निशस्त्रीकरण सम्मेलन में हमारी भूमिका

तथा संयुक्त राष्ट्र संघ में वाद-विवाद भी उतना ही महत्वपूर्ण था, क्योंकि, जैसा कि मैंने कहा, निर्गुट देशों की शान्ति के बारे में गहरी चिन्ता होनी ही थी। इसलिए यह शान्ति अभियान बन गया, और हमें इन सब बातों के लिए क्षमायाचना की जरूरत नहीं है। इसे कोई अनैतिक बता सकता है, श्री जेठमलानी का यह मत हो सकता है क्योंकि उनकी अपनी एक खास धारणा है, पर यह इस देश का अभिमत नहीं है।

इस आंदोलन में भाग लेने वाले देशों की बढ़ती हुई संख्या के संदर्भ में जो कि बेलग्रेड में 25 के आसपास थी बढ़कर लगभग 100 हो गई है—एक प्रश्न उठाया गया है। मैं यह नहीं कहूंगा कि इस का गुणात्मक अपकर्ष आरम्भ हो गया है; मैं इसे गुणात्मक जटिलता कहूंगा जो कि वर्तमान परिस्थिति में अन्तर्निहित है। चिन्ता-विषयक प्रमुख मुद्दों में भी बहुत परिवर्तन हुआ है, वे युद्ध और शांति शस्त्र-होड़ निशस्त्रीकरण, विकास की समस्या इस देश में व्याप्त गरीबी, गन्दगी व दुःखदूर करने की समस्या के जटिल प्रश्न बन गए हैं। इस सम्मेलन में स्वीकार की गई घोषणाओं में इनकी स्पष्ट अभिव्यक्ति हुई है। पर इसमें कुछ ऐसे मुद्दे या द्विपक्षीय मामले हैं जिनका हमें समाधान ढूंढ़ना है, जैसे ईरान और इराक क्षेत्रीय संघर्ष। मुझे यह देखकर खुशी हुई है कि इसमें हमारी भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही है। दुर्भाग्यवश यदि, श्री समद के शब्दों में कहूं तो हमारे समय के बड़े लोकप्रिय व्यक्ति श्री यासर अराफात का उल्लेख किया गया। अरब देश समग्र निर्गुट आंदोलन का बड़ा महत्वपूर्ण घटक है। हम अरब राष्ट्रवाद के हामी हैं, यह कुछ गिने चुने शेखों को शह देने का प्रश्न नहीं है। अरब राष्ट्रवाद ऐतिहासिक घटना है। यह असफल हो सकता है, इसमें कुछ ऐसे तत्व, प्रवृत्तियां हो सकती हैं जिन्हें हम नापसंद करते हों। पर यह इस देश की परंपरा रही है। चूंकि उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया है तो मैं यह कहूंगा कि महात्मा गांधी के समय से ही हमने अरब तथा फिलस्तीनियों के हितों का समर्थन किया है। यह हमारी पृष्ठ भूमि है। चूंकि उन्होंने महात्मा गांधी का जिक्र किया, मैं आज उन्हें यह याद दिलाना चाहता हूं कि महात्मा गांधी इसके पक्ष में अटल रहे। यही कारण है कि मैं यह चाहता हूं कि यह संकल्प, यह प्रस्ताव, आज भारत की संसद में—हमने इस सम्मेलन में जो भूमिका निभाई न केवल उ। व्यक्त करते हुए बल्कि एक दो वाक्यों में उन लोगों के उल्लेख के साथ स्वीकार किया जाना चाहिए, जिन्होंने इसमें अपना योगदान दिया। महोदय, मैं हिंद महासागर आदि जैसे उठाए गए बहुत से प्रश्नों के संबंध में कुछ नहीं कहना चाहता। विदेश मंत्रालय संबंधी वाद-विवाद में जब ये प्रश्न उठाए जायेंगे, तब हम इन पर चर्चा कर सकते हैं।

मैं केवल यह कहना चाहता हूं कि इस सम्मेलन की आर्थिक घोषणा बहुत आवश्ययक तथा एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। महोदय, यह हमारे लिए बहुत आवश्यक है क्योंकि आज हम विकास सम्बन्धी कुछ अड़चनों का सामना कर रहे हैं। प्रधान मंत्री ने कानकुन सम्मेलन में अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की अन्य भूमिका के संदर्भ में कुछ कहा था, उन्होंने जिस ढंग से अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा उनके महाननी दबाव के सम्बन्ध में कहा उससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, हम इस सभा में यही कहते रहे हैं। हमने इसे मृत्युजाल कहा है।

मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि उनके राजनयिक द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट—मैं जानता हूं इस

रिपोर्ट को तैयार करने में हमारी राजनयिक सेवाओं के कुछ युवा अधिकारियों की कुशाग्र बुद्धि का योगदान है—बहुत अच्छी है और मैं इस अवसर पर उनका अभिनन्दन करता हूं। इन्हीं लोगों के सहयोग से यह सम्मेलन सफल हुआ क्योंकि उन्होंने विचार-विमर्श का आधार तैयार किया। महोदय, 1979 के हवाना सम्मेलन के बाद से विकासशील देशों के ऋणों में 600 अरब डालर की और बढ़ोत्तरी हो गई है। यह इस देश सहित हर देश के ध्यान देने योग्य बात है। अतः चाहे आप ओटावा, कानकुन में सम्मेलन करें या समझौतावादी रवैये अपनायें और विकास नीति में परिवर्तन करें, जैसी कि मैंने शिकायत की है कि हमने इस देश में—वाशिंगटन में बैठे लोगों के हितों के अनुकूल नीतियों में परिवर्तन हैं—पर वे आपके साथ समझौता करने वाले नहीं हैं। हमने जो घरेलू नीतियां तथा विकास का मार्ग चुना है उसे सही धरातल दिया जाना आवश्यक है।

मैं यही कहना चाहता हूं, हमारी जिम्मेदारी अब बढ़ गई है क्योंकि हमने अध्यक्षता स्वीकार कर ली है; हम पर इसकी जिम्मेवारी सौंपी गई है और इससे न केवल हमारे विदेश कार्यालय, विदेश मंत्रालय पर कुछ जिम्मेदारियां आ पड़ी हैं बल्कि इससे हमें अपनी घरेलू नीति संचालन में भी बड़ा दायित्व आ पड़ा है, मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम यह सब कर पायेंगे पर यह हमारी विश्वसनीयता का प्रश्न है। यह मात्र लोकवादी नीति या भावनाओं में बहने या किसी व्यक्ति विशेष का बखान करने की बात नहीं है। इससे हमारा कोई भला नहीं होने वाला है।

महोदय, मैं अन्त में यह कहूंगा कि यदि हमें अपने राजनयिक प्रयासों को मजबूत बनाना है तो हमें अपनी घरेलू नीति के प्रयासों को भी मजबूत करना होगा। अन्यथा, विश्व हमें कुछ दूसरी निगाह से देखेगा, आप जानते हैं कि राजनेताओं की किस हद तक अवनति हो रही है।

मैं अपने संशोधन के बारे में दो शब्द कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं पहले ही उस पर कह चुका हूं। दुर्भाग्यवश, मेरे मित्र श्री स्टीफन ने निन्दनीय दबाव की बात कही है। मुझे दुख है कि उन्होंने ऐसा कहा है क्योंकि इससे विदेश मंत्री को परेशानी हुई है। नहीं, मैंने जो संशोधन रखा है, मेरे विचार से, वाद-विवाद के संदर्भ में वह उस महत्वपूर्ण भावना की एक और कड़ी है जिसे इस पर बहस करते समय कार्यवाही वृत्तान्त में शामिल किया जाना चाहिए, मैंने इसीलिए इसे सदन में रखा है और इस संशोधन को सदन के विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

धन्यवाद।

श्री अशफाक हुसैन (महाराजगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, यह अभिनंदनीय है कि नई दिल्ली में हाल ही में हुए सातवें गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के सम्मेलन पर बोलने का संसद को अवसर दिया गया है। यह और भी उचित होता यदि सम्मेलन में प्रस्तुत किए गए सभी कागजात और प्रारूप संसद सदस्यों को बांटे जाते तथा इस पर सम्पूर्ण बहस की अनुमति दी जाती ताकि सदस्यों को अपने विचार प्रकट करने का पूरा अवसर मिलता क्योंकि गुट-निरपेक्ष आंदोलन राजनीतिक मतभेदों के लिए कोई दलीय विषय नहीं है।

विकासशील देश बिना शांति से प्रगति नहीं कर सकते क्योंकि शांति और विकास अविभाज्य

हैं। यह जानकर दुःख होता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के गठन के बाद भी करोड़ों लोग बेघर, भूखे और निरक्षर हैं जबकि मानवजाति के विनाश हेतु शस्त्र बनाने के लिए प्रत्येक पल दस लाख डालर खर्च किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रीगन के कार्यकाल में अमरीकी सरकार ने 1981 और 1985 के बीच 1600 अरब डालर खर्च करने का निर्णय लिया था। हमें यह सोचकर ही घबराहट होती है कि भारत में रक्षा पर 6000 करोड़ रु० के खर्च की दर से हमें इस व्यय तक पहुंचने में 266 वर्ष लगेंगे। 1970-71 के मूल्यों पर हमारा सकल राष्ट्रीय उत्पादन आज 5,0000 करोड़ रु० के लगभग है।

यदि हम सम्पूर्ण सकल राष्ट्रीय उत्पादन को रक्षा पर ही व्यय कर दें तो भी 1500 अरब डालर व्यय करने में हमें 32 वर्ष लगेंगे। यदि शस्त्रों पर व्यय किए जा रहे धन को विकास की ओर लगाया जाये तो सम्भवतः 30 वर्षों की अवधि में मानव में भूख, निरक्षता और रोग खत्म हो जायेंगे। दुर्भाग्यवश, भारत को भी साम्राज्यवाद, हमारे पड़ौसियों को सहायता तथा उन्हें उकसाने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। गुट-निरपेक्ष सम्मेलन द्वारा हिन्द-महासागर को शांति का क्षेत्र बनाने के बारे में की गई घोषणा के होते हुए भी, अमरीका दियागो गार्सिया को आणविक अड्डे के रूप में परिवर्तित करने के सभी प्रयास कर रहा है। प्रधानमंत्री को, अगले तीन वर्षों के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष होने के नाते दियागो गार्सिया को मारीशस को वापस दिलाने के मुद्दे को तत्काल उठाना चाहिए तथा इस उद्देश्य के लिए गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों का सहयोग लेना चाहिए। आंदोलन के नेतृत्व के लिए यह एक महत्वपूर्ण परीक्षा है।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि कम्पूचिया के सही प्रतिनिधियों को गुट-निरपेक्ष आंदोलन से बाहर रखा गया। यह उचित समय है कि इस गम्भीर गलती को सुधारा जाये तथा भारत को इस दिशा में अगुआई करनी चाहिए।

लेबनान और पी० एल० ओ० गुट-निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं। यह जानकर दुःख हुआ कि कुछ दबी-दबी आवाजों को छोड़कर गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने अमरीकी साम्राज्यवाद द्वारा सुसज्जित, प्रशिक्षित निर्देशित तथा वित्तपोसित इजरायली सेना द्वारा लेबनान में मासूम औरतों और बच्चों तथा अन्य लोगों के नरसंहार को रोकने में प्रभावशाली ढग से बीच-बचाव नहीं किया। इजरायली सेना की प्रत्येक गतिविधि की योजना अमरीकी संरक्षकों द्वारा बनाई जाती है। स्वयं इजरायल लातीनी अमरीकी देशों को लगभग 13000 लाख पौंड के शस्त्र बेचता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे इजरायल अमरीका के सैनिक औद्योगिक क्षेत्र का विक्रय एजेंट का कार्य करता हो। गुट-निरपेक्ष आंदोलन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इजरायल आक्रमण द्वारा हथियाये गए अरब क्षेत्रों को खाली कर दे तथा वहां शांति स्थापित हो जाये। फिलस्तीनियों को उनकी अपनी मातृभूमि प्राप्त हो जाये जिस पर उनकी अपनी प्रभुसत्ता हो। गुट-निरपेक्ष आंदोलन के लिए यह एक और परीक्षा है।

अराफात को भारत में बुलाकर मैत्रीपूर्ण स्वागत ही पर्याप्त नहीं है। पी० एल० ओ० की सहायता के लिए बीच-बचाव करने की हमारी क्षमता ही वास्तव में महत्वपूर्ण है। यह हमारे समय की एक त्रासदी है कि इराक और ईरान एक आत्मघाती लड़ाई में लगे हुए हैं जिससे केवल साम्राज्यवाद को हथियार बेचने में मदद मिलेगी, साम्राज्यवाद युद्ध और तनाव में ही पनपता है। ईरान और इराक लड़ाई को बढ़ा कर साम्राज्यवाद की सहायता ही कर रहे हैं।

आर्थिक घोषणा में गुट निरपेक्ष राष्ट्रों के बैंकों के गठन, सामूहिक स्वावलंबन और गुट-निरपेक्ष राष्ट्रों के बीच आर्थिक सहयोग तथा नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में अनेक सहायक कथन शामिल हैं।

कोई भी देश जो आंतरिक स्वावलंबन को अपने विकास की नींव नहीं बनाता है सामूहिक स्वावलंबन की प्रेरणा नहीं दे सकता और उसका आयोजन नहीं कर सकता यद्यपि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव स्वागतयोग्य है किन्तु उसे बहु-राष्ट्रीय निगमों के लिए एक सुखद शिकारगाह बनने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। निर्यातोन्मुखी आर्थिक विकास का प्रतिपादन करने वाली 1980 की सरकारी औद्योगिक नीति स्वावलंवन तथा सामूहिक स्वावलंबन के विपरीत नीति है। इसमें बहु-राष्ट्रीय निगमों को प्रत्यक्ष आमंत्रण है जिसकी स्वयं प्रधानमंत्री ने भर्त्सना करते हुए 1973 में अल्जीरिया में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अभिभाषण में चापलूसी नव-उपनिवेशवादी ताकतों का हथियार बताया था।

मेरा विचार है कि आज की नीतियां उस समय की निर्धारित की गई नीतियों से एक दशक परे हट गई हैं। इण्डिया सीमेंट्स और अशोक पेपर मिल्ज में भारतीय औद्योगिक विकास बैंक तथा भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा अपने शेयरों को आई० टी० सी० को जो कि बहुराष्ट्रीय कंपनी की एक सहायक कंपनी है, बेचने से यह प्रवृत्ति स्पष्ट हो जाती है और प्रत्येक देशभक्त को, जो स्वाबलंबन में विश्वास रखता है, इससे धक्का लगना जरूरी है। जिस प्रकार भारत हैवी इलैक्ट्रीकल्स लि० को विखण्डित किया जा रहा है, उसका विकास रोका जा रहा है तथा उसकी निविदाएं निम्नतम दरों के होने पर भी विदेशी कंपनियों को बुलाया जा रहा है और इलैक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया को विकसित नहीं होने दिया जा रहा है उससे हमारे देश के भविष्य के बारे में कोई भी देशभक्त कंपकपा उठेगा। जब तक कि हम स्वाबलंबन और शान्ति के लिए लड़ने के लिए आवश्यक राजनीतिक ताकतें पैदा नहीं करते, हमें आश्चर्य है कि क्या गुट निरपेक्ष आन्दोलन में विरोधी पक्ष स्वयं को बनाये नही रखेंगे।

गुट निरपेक्ष आंदोलन ने बिश्व के करोड़ों पीड़ित लोगों के बीच आशा की किरण जगायी है। इस आशा को विज्ञान और प्रौद्योगिकी को प्रयोग करते हुए विकास के बिना साकार रूप नही दिया जा सकता है। विकास बिना शान्ति के नहीं हो सकता है। प्रत्येक देश में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक प्रणालियों के होते हुए भी लोग शान्ति की मांग कर रहे हैं किन्तु उन लोगों का जिनके हाथों में आर्थिक शक्ति है अपने को बनाये रखने में निहित स्वार्थ है। अतः वे युद्ध में अथवा कम से कम युद्ध के वातावरण में विश्वास रखते हैं ताकि वे उनका अधिकतम उत्पीड़न कर सकें। अधिकतम लाभ न कि अधिकतम उत्पादन ही एकमात्र उनका ध्येय है। अतः गुट निरपेक्ष आंदोलन को शान्ति और विकास को एक मानकर उसके लिए लड़ना चाहिए। यह लड़ाई ही समकालीन इतिहास की कार्यसूची में एक महत्वपूर्ण मद है।

इसी लड़ाई का संदेश गुट निरपेक्ष आंदोलन के निवर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो ने सातवें गुट निरपेक्ष आंदोलन को दिया था।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रस्ताव का उद्देश्य काफी सीमित है। सम्पूर्ण गुट-निरपेक्ष आंदोलन, इसकी संकल्पना और विदेश नीति आदि पर चर्चा करना इस प्रस्ताव का उद्देश्य नहीं है। हमारी राजधानी में एक ऐतिहासिक घटना हुई और विश्व के लोगों की ओर से काफी महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए आज हम सभी आणविक युद्ध के खतरे से चिंतित है। उन लोगों द्वारा नई दिल्ली के एक शक्तिशाली सामूहिक आवाज उठायी गई जो अपने लिए नए जीवन हेतु लड़ रहे हैं और उन लोगों द्वारा जो स्वयं को सामाजार्थिक उत्पीड़न से मुक्त कराना चाहते हैं।

अतः यह ठीक ही था कि हमारी संसद इसे नोट करती यही एक सीमित उद्देश्य था और मैं समझता हूं कि एक भारतीय के रूप में सभी लोग इस पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि नई दिल्ली से भेजा गया सन्देश शांति और प्रगति का सन्देश है। सातवें गुट निरपेक्ष सम्मेलन से भेजा गया नई दिल्ली का सन्देश विश्व इतिहास का एक अन्य बनेगा।

एक संकटकालीन समय में यह आवाज वहां से उठायी गई। दुर्भाग्यवश, इस चर्चा को इस मुद्दे तक सीमित कर दिया गया है कि क्या हमें सम्मेलन की सफलता के लिए प्रधानमंत्री के योगदान की प्रशंसा की जाये या नहीं? यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है। इस सम्मेलन से पहले सम्पूर्ण विश्व में काफी अफवाह उड़ रही थी कि क्या वह सम्मेलन साम्राज्यवाद अपना उपनिवेशवाद की भूमिका पर ध्यान दिया नहीं। बहुत सी ताकतें काम कर रहीं थीं और बहुत सी बातें कही जा रही थीं। यह भी कहा गया था कि गुट-निरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी भूमिका की चर्चा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि वह युग समाप्त हो गया है; उपनिवेशवादी उत्पीड़न का उल्लेख करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इससे हमारे आंदोलन विभाजित हो जाएगा। इस प्रकार की भी सब बातें की जा रहीं थीं।

किन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि भारत की प्रधान मंत्री ने—सम्मेलन की अध्यक्ष के नाते नहीं, उस समय उन्होंने सम्मेलन की अध्यक्षता नहीं सम्भाली थी किन्तु भारत की प्रधान मंत्री के नाते-उद्घाटन भाषण में सम्पूर्ण सम्मेलन का भावी वातावरण स्थापित किया उन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन की भूमिका के बारे में ठोस राय प्रकट की कि इसकी भूमिका साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद विरोधी भूमिका है। वास्तव में यही शुरुआत थी। बाद में वह सम्मेलन की अध्यक्ष चुनी गई। यह ठीक है जो भी देश का प्रधान मंत्री होता उसका चयन हुआ होता किन्तु व्यक्ति विशेष की भी भूमिका होती है। इसके कोई इन्कार नहीं कर सकता।

श्रीमती गाँधी ने प्रधान मंत्री के रूप में तथा अध्यक्ष के रूप में जब, यह कहा कि गुट-निरपेक्ष वास्तविक स्वतंत्रता की साहस संकल्प था है, गुट-निरपेक्ष विश्व में शांति का सबसे बड़ा आंदोलन है; गुट निरपेक्ष अब भी साम्राज्यवाद विरोधी है, मैं समझता हूं कि वह न केवल भारत के करोड़ों लोगों की भावनाओं को आवाज दे रही थीं बल्कि विश्व को सभी शांति पसंद लोगों तथा उन सभी ताकतों जो अपनी स्वतंत्रता को बनाये रखना चाहते है, की भावनाओं और विचारों को आवाज दे रही थीं। इसलिए यह कहना कि हम इस योगदान को नहीं मानते उचित नहीं है। इस सदन में, यदि कोई सदस्य किसी संसदीय समिति का सभापति चुना जाता है तो हम उसके पास जाकर उसे बधाई

देते हैं। जब भारत की प्रधान मंत्री सबसे बड़े गुट निरपेक्ष आंदोलन की अध्यक्ष चुनी जातीं तो हमें इस पर आपत्ति है कि उनकी प्रशंसा की जाए।

मैं समझता हूं कि यह हमारी परम्परा नहीं है यह भारतीय परम्परा के विरुद्ध है। श्री स्टीफन ने उचित ही कहा है कि वे काफी संकोची हैं। उन्होंने प्रधान मंत्री के सम्मेलन के अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई नहीं दी। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि हम उनके अध्यक्ष के रूप में किए गए कार्यों की प्रशंसा करेंगे। इससे अधिक संकोच और क्या हो सकता है ? मुझे वास्तव में अफसोस और दुख हुआ है जब सम्पूर्ण चर्चा को इसी मुद्दे पर सीमित रखा गया। मैं कहूंगा कि इस सम्मेलन को काफी बड़ी उपलब्धियों का श्रेय है। हमने नई दिल्ली शिखर सम्मेलन से क्या प्राप्त किया है ? इस सम्मेलन में गुट निरपेक्ष आंदोलन विश्व में संगठित सुदृढ़ और राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। नई दिल्ली सम्मेलन से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन की साम्राज्यवाद-विरोधी और उपनिवेशवाद-विरोधी नीति जारी रहेगी और यह विश्व के लोगों के स्वतंत्रता आंदोलन का अग्रणी है।

नई दिल्ली सम्मेलन में हमने यह साबित कर दिया कि गुट निरपेक्ष स्वतंत्रता आंदोलन का, चाहे वह पी. एल. ओ. अथवा नामीबिया अथवा दक्षिण अफ्रीका में चल रहा आंदोलन क्यों न हो, कट्टर समर्थन रहा है। नई दिल्ली गुट निरपेक्ष सम्मेलन ने यह साबित कर दिया कि हम आणविक शस्त्र दौड़ के विरुद्ध शक्तिशाली आवाज उठाते रहेंगे। और इसलिए हम विश्व भर के शांति-प्रिय लोगों की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये लोग ही हैं जो सड़कों पर आकर कहते हैं कि वे शांति चाहते हैं और वे आणविक शस्त्र दौड़ के विरुद्ध हैं। गुट-निरपेक्ष आंदोलन ने विश्व के शांतिप्रिय लोगों की भावनाओं और उम्मीदों को साकार किया है।

दिल्ली गुट निरपेक्ष शिखर सम्मेलन ने सामूहिक रूप से विश्व की मूल समस्याओं पर विचार किया। यह 101 देशों के लिए कोई मामूली उपलब्धि नहीं है कि उनके नेताओं, उनकी सरकारों के अध्यक्षों और राष्ट्राध्यक्षों ने एक जगह बैठकर सम्पूर्ण मानवता की मूल समस्याओं पर विचार करके सामूहिक विश्व स्तरीय निर्णय लिया।

दिल्ली सम्मेलन की एक और उपलब्धि यह है कि हम एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते हैं और हम सम्पूर्ण वित्तीय आर्थिक प्रणाली को पुनर्गठित करना चाहते हैं ताकि विकासशील देश, नए स्वतंत्र हुए देश, निर्धन लोग विश्व स्त्रोतों में अपना हिस्सा प्राप्त कर सकें। एक सामूहिक स्वावलम्बन, गरीब देशों के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग और महत्वपूर्ण मुद्दों पर और अधिक समझदारी—इसकी बड़ी उपलब्धियां हैं।

मैं कहूंगा कि दिल्ली सम्मेलन की और बड़ी उपलब्धि यह है कि इसने आंदोलन को एक नयी दिशा दी है, एक नया तेवर दिया है। उससे भी बढ़कर, इसने एक नया आत्म विश्वास प्रदान किया है, आंदोलन को एक नया आत्म विश्वास प्रदान किया है जिसमें कि हम एक साथ खड़े हो सकते हैं और हम सामूहिक रूप में अपनी आवाज उठा सकते है।

मेरे विचार में, मुख्य उपलब्धि जो मैंने नोट की है और जिसके बारे में मैं सन्तोष अनुभव कर रहा हू कि इसको एक नया नेतृत्व प्राप्त हुआ है। शुरू में, नेहरु, नासर, और टीटो, 3 नामों को

अधिक याद किया जाता है। यह तीनों संस्थापक थे। उन्होंने सामूहिक रूप से इसका नेतृत्व किया। यद्यपि गुट निरपेक्ष आन्दोलन काफी लम्बे समय से विकसित हो रहा था और आगे बढ़ रहा था लेकिन यह एक क्षेत्र नेतृत्व के बिना था। मैं कहूंगा कि दिल्ली सम्मेलन ने एक नया नेतृत्व प्रदान किया है और यहां मैं इन्दिरा गांधी, फीडल कैस्टरो और मास्टर अराफात का उल्लेख करूंगा। ये तीन व्यक्तित्व हैं जो इस नए युग में इस आंदोलन का नेतृत्व करने योग्य होंगे। गुट निरपेक्ष अन्दोलन को दोबारा विश्व व्यक्तित्व, सामूहिक नेतृत्व, स्पष्ट बोध के लोग, ऐसे लोग जो साहस के साथ खड़े हो सकते हैं और बोल सकते हैं और विश्व की नई पीढ़ी के लोग जो उनको बोलने के लिए कहेंगे, बोल सकते हैं, प्राप्त हुए हैं।

अन्त में, मैं सम्मेलन के प्रबन्ध के बारे में कहूंगा। ऐसा कहा गया है — इस सम्मेलन से भारत को क्या ख्याति प्राप्त हुई है ? मैं कहूंगा कि भारत ने शुरूआत से ही अनुग्रह के साथ कार्य किया है। भारत ने मान-मर्यादा के साथ कार्य किया है। भारत इस सम्मेलन को नई दिल्ली में आयोजित कराने का इच्छुक नहीं था। भारत ने इसके लिए आवेदन नहीं किया और भारत ने सम्मेलन के लिए अनुयाचन नहीं किया। हमने यहां देखा, बहुत सारे देश अगले सम्मेलन के लिए अनुयाचन कर रहे थे। एक विशेष परिस्थिति में जहां इराक और ईरान-आप जानते है, वे एक होटल में नहीं ठहर सकते और उन्होंने मंच पर एक पंक्ति में बैठने से इन्कार कर दिया, दोनों देश सहमत थे कि भारत को सम्मेलन का मेजबान होना चाहिए। इराक और ईरान दोनों ने कहा, भारत को सम्मेलन का मेजबान बनाया जाए। लेकिन भारत ने कहा 'नहीं जब तक कि सम्पूर्ण आन्दोलन सर्वसम्मति से यह नहीं कहता-हम सम्मेलन मेजबान बनने के उत्सुक नहीं है। हमने मान-मर्यादा के साथ कार्य किया। हमने उत्तरदायित्व के साथ कार्य किया और मैं सोचता हूं कि यही कारण था जिसके लिए क्यों एक ऐसा वातावरण बनाया गया जिसमें सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया कि भारत को सम्मेलन का मेजबान होना चाहिए...

एक माननीय सदस्य : और वह भी एक अल्प सूचना पर।

श्री चन्द्रजीत यादव : ठीक है, वह एक छोटी बात है। वह भी एक महान कौशल के साथ और महान दक्षता के साथ किया गया। उसकी सभी ने प्रशंसा की थी। इसकी सभी ने प्रशंसा की थी, जैसाकि मैं कह रहा था, न तो भारत और न ही इन्दिरा गांधी इस सम्मेलन को कराने की कोई उत्सुकता दिखा रही थीं। श्रीमती इन्दिरा गांधी इसे जानती थीं हमारे विदेश मंत्री इसे जानते थे कि यदि सम्मेलन दिल्ली में होता है, भारत अध्यक्ष बनेगा और इन्दिरा गांधी उसकी अध्यक्षता बनेगीं ; लेकिन वे बहुत उत्सुक नहीं थीं और वे जब तक कि सम्पूर्ण आंदोलन इसे नहीं चाहता सम्मेलन अपने यहां नहीं कराएंगे।

कुछ मित्र कह सकते हैं, क्योंकि सोवियत संघ ने सम्मेलन के निष्कर्षों का स्वागत किया है, क्योंकि समाजवादी विश्व ने सम्मेलन के निष्कर्षों का स्वागत किया है, क्योंकि फीडल कैस्टरों आए और सम्मेलन में भाग लिया। क्योंकि मास्टर अराफात आए और इन्दिरा गांधी को अपनी बहन पुकारा, इसलिए, वे इसे शक के साथ देखेंगे। मैं सोचता हूं यह ठीक नहीं है। यदि यह बात गंभीरता से नहीं कही गयी है, तो मैं इसे समझ सकता हूं।

श्री जेठ मलानी ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हलके पन से बात कहें वह जो कुछ कहते हैं वह इसे

महसूस करते हैं। इसलिए इससे पता चलता है कि ये प्रतिक्रिया वाली शक्तियां पूरी तरह निराश हो चुकी हैं। नई दिल्ली सम्मेलन एक अगला अभियान है।

एक भारतीय की तरह, मैं गर्व का अनुभव करता हूं। अब, इस विषय में, उस प्रस्ताव में कहा गया है? यह कहा गया है कि हम नई दिल्ली सन्देश का स्वागत कर रहे हैं। क्या नई दिल्ली सन्देश का स्वागत करना गलत है? यहां जो स्वागत करना नहीं चाहते हैं, वे विरोध कर रहे हैं। उन राष्ट्र प्रमुखों को जिन्होंने आकर इस सम्मेलन में भाग लिए क्या उनको सम्मान और बधाइयां देना गलत है? क्या इससे अपनी महान परम्पराओं को नहीं रखा गया है? मुझे इस पर अभिमान है, और मैं गर्व अनुभव कर रहा हूं, क्या यह गलत है? मैंने पूरे देश की यात्रा की है विश्व से लोगों का विश्वास है कि भारत ही एक देश है जहां न्याय को बनाए रखने के लिए, मार्क्सवाद और साम्राज्यवाद का विरोध करने के लिए; शान्ति स्थापित करने के लिए परम्परा है। एक भारतीय की तरह मैं गर्व अनुभव करता हूं कि यह आवाज बुद्ध के देश में, गांधी के देश में, नेहरु के देश में आवाज उठाई गई है।

इन शब्दों के साथ, मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब माननीय विदेश मंत्री बोलेंगे। श्री कमल नाथ उत्तर देंगे।

अब, माननीय मंत्री।

विदेश मंत्री (श्री पी० वी० नरसिंह राव): कल से दो दिनों के लिए हम विदेश कार्यों पर एक पूर्ण वाद-विवाद करेंगे। मुझे बताया गया है कि विदेश कार्यों के लिए 8 घन्टे रखे गए हैं। यह जानकर मुझे कुछ निराशा हुई। परन्तु, महोदय, अब मुझे जैसाकि आप ने कहा है कि उत्तर प्रस्ताव को रखने वाले की तरफ से दिया जाएगा। मैं यहां केवल कुछ वास्तविक जानकारी देने के लिए खड़ा हुआ हूं, जिससे माननीय सदस्य शिखर सम्मेलन के संबंध में सही निष्कर्षों तक पहुच सकें।

कुछ सन्देश उठाए गए है। श्री कमल नाथ सामान्ततः सूचना अपने पास नहीं रखते हैं, इसलिए मुझे हस्तक्षेप करना पड़ा और सदन के सामने वह जानकारी रखनी पड़ी। यह कहा गया कि कई संगठनों को शिखर सम्मेलन में अतिथियों और प्रेक्षकों के रूप में आमंत्रित किया था कई अन्यों को नहीं मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा कि प्रतिनिधि मंडलों के या तो प्रेक्षकों के रूपमें अतिथियों के रूप में या पूर्ण सदस्यों के रूप में आमंत्रण देने के संवध में, 1979 में हवाना में हुए पिछले शिखर सम्मेलन में जो कुछ हुआ यहां उसमें कोई अंतर नहीं हुआ था। यह माननीय सदस्यों या कम से कम उस सदस्य के लिए, जिन्होंने यह उठाया है, दिलचस्पी पैदा कर सकता है, जब उनको यह पता चलेगा कि 1976 में कोलम्बों शिखर समेंलन में इस्लामिक देशों के संगठन को 1970 में लूसाका शिखर समेंलन में अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को और 1972 में जार्ज टाउन में मंत्री स्तरीय बैठक में पान अफ्रीकी कांग्रेस को आन्दोलन के प्रेक्षक के रूप में प्रवेश दिया गया था। प्यूएंरटों रीको की समाजवादी पार्टी, 1973 में अलजीयर्स शिखर सम्मेलन में इसके प्रवेश लिए जाने के समय से ही, गुट निरपेक्ष बैठकों में प्रत्येक के रूप में भाग लेती रही हैं।

इसलिए, एक मेजबान देश के रूप में, जब प्रतिनिधि मण्डलों को प्रेक्षकों तथा अतिथियों को आमंत्रित करने की बात आई, हमने, असल में, पिछले शिखर सम्मेलन से प्राप्त हुई सूची का पालन

किया है। इसलिए हम सम्भवत: उसमें त्रुटि नहीं निकाल सकते। यह जानकर भी आपको दिलचस्पी लगेगी कि इस शिखर सम्मेलन में नए देशों को भाग लेने की अनुमति स्वयं शिखर सम्मेलन द्वारा दी गई थी। जब तक कि उन सदस्यों या प्रेक्षकों या अतिथियों को शिखर सम्मेलन में प्रवेश नहीं दिया गया था, किसी अन्य स्तर पर भी उनको अपनी सीटें लेने के लिए नहीं पुकारा गया था। वे अलग बैठ रहे थे। इसलिए, उस समय एक, हम अति सावधान रहे और इन प्रत्येक को सर्व सम्मति से प्रवेश किया गया था। प्रदेश के मामले में यहां तक कि हमने सर्वसम्मति को नहीं छोड़ा हमने सर्वसम्मतता पर बल दिया। मेरे ध्यान में ऐसा कोई मामला नहीं जहां किसी देश या किसी व्यक्ति को किसी अन्य तरीके से प्रवेश किया गया था।

इस विषय में वनजूएल का एक मामला है। सितम्बर, 1982 में, महा सभा के सत्र के समय, विदेश मंत्रियों की बैठक के सामने, सम्मेलन के सामने, वेनजूएल को प्रवेश देने का प्रश्न आया, हमें खेद हुआ कि वहां सर्व सम्मत नहीं थी। एक या दो या तीन देशों का अलग मत था। यह देख कर कि मतभेदों को दूर किया जाए। हमने उनके साथ बैठकर उनको एक साथ लाने की पूरी कोशिश की, जिससे कि वेनजूएला जो कि ग्रुप 77 का एक सम्मानित सदस्य है, ग्रुप 77 का अध्यक्ष रह चुका है और जहां तक हम जानते हैं, गुट निरपेक्ष के सिद्धान्तों में प्रबल विश्वास रखता है, को शामिल किया जा सके अथवा यहां उसके प्रवेश के लिए सिफारिशों को सर्व सम्मति से स्वीकार किया जा सके। दुर्भाग्यवश, यह नहीं हो सका। लेकिन हम अपनी व्यक्तिगत पसन्द अथवा नापसन्द पर नहीं गए। किसी देश को प्रवेश करने के लिए यहां तक कि कुछ देशों के विशेष विरोध अथवा मतभेदों, सही अथवा गलत, के बावजूद, हमने अपनी व्यक्तिगत धारणा नहीं अपनाई। इसलिए मामले को अस्थगित रखा गया था। इसे नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में दोबारा अस्थगित रखा गया था क्योंकि दोबारा हमने देखा कि मतों को व्यक्त करने में देर लगाई जा रही है, यद्यपि स्थिति पहले की तुलना में कम कठिन दिखाई देती थी, फिर भी, क्योंकि हम सर्व संमतता के आधार पर देशों को प्रवेश देते हुए आ रहे हैं और हम वह नहीं कह सकते कि सर्व सम्मतता को प्राप्त कर लिया गया है, वेनजूएला के प्रवेश पर जोर नहीं दिया गया था।

हमें आशा है कि आने वाले महीनों में, जितनी जल्दी व्यवहार्य हो सकेगा, वेनजूएला को एक पूर्ण सदस्य के रुप में प्रवेश देना संभव हो सकेगा, जब कि कुछ अन्य देशों ने जिन्होंने काफी देर से आवेदन किया था, उनको पूर्ण सदस्यों के रूप में प्रवेश कर लिया गया था क्योंकि उनके प्रवेश में वहां सर्व सम्मतता थी। इसलिए, मैं माननीय सदस्यों से सम्मान पूर्वक निवेदन करना चाहूंगा, जिन्होंने यह प्रश्न उठाया है, कि प्रवेश के मामले में, हम पूर्णतया सावधान रहे हैं और सूची और प्रथा जो हमें हवाना से मिली उसके अनुसार काम किया।

अगला मुद्दा हिन्द महासागर के संबंध में है, जिस पर कई मानवीय सदस्यों द्वारा चर्चा की गई है। मुझे इसको दोहराना नहीं होगा। मर्यादा यह कहती है कि मुझे विस्तार पूर्वक बोलना शुरु नहीं करना चाहिए जिस पर इस तरह विस्तृत चर्चा की जा चुकी है। केवल एक मुद्दा जो कि प्रो० चक्रवर्ती द्वारा उठाया गया है, मैं शामिल होना चाहूंगा। यह शिकायत कि दियागो गार्शिया का उल्लेख नहीं किया गया है अथवा विषयान्तर में उल्लेख किया गया है। अब कुछ वर्षों से वहां हैं, लेकिन मैं उसको याद दिलाना चाहता हूं कि दियागो गर्शिया को गुट निरपेक्ष सम्मेलन द्वारा की गई

घोषणा से बाहर रखने की यह सहमति 1981 में नई दिल्ली में ही नहीं हुई थी। यह हवाना शिखर सम्मेलन में हुई थी। यह क्यों हुई थी? इसकी एक पृष्ठ भूमि थी।

यदि आप वास्तव में ही अपने आप इस प्रस्ताव को पारित करना चाहते हो और यह कहते हो कि हिन्द महासागर को एक शांति क्षेत्र बनाना है, तो आप ऐसा बखूबी कर सकते हैं। आप इस प्रस्ताव में जो कुछ भी रखना चाहते हैं, रख सकते हैं, कोई भी इस पर आपत्ति नहीं करेगा। लेकिन अन्त में इसका भी वही परिणाम होगा जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा समय-समय पर पारित प्रस्तावों का हुआ है जिसका उल्लेख अभी अभी श्री इन्द्रजीत गुप्त ने किया है, अर्थात् वह सब कागजी बनकर ही रह जायेगा। उनके कार्यान्वयन होने की जरा भी संभावना नहीं है और ऐसा भी कोई रास्ता नहीं है कि उन्हें किसी तरह से कार्यान्वित कराने का प्रयास किया जा सके। इस मामले में, मैं यह नहीं कहता कि इस प्रस्ताव को कार्यान्वित कराने की संभावनायें रातों रात ही बहुत बढ़ गई हैं। लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूं कि इसे संयुक्त राष्ट्र संघ में रद्दी की टोकरी में नहीं फेंक दिया गया है। इस पर अभी भी विचार किया जा रहा है तथा इस विषय में निरन्तर बैठकें हो रहीं हैं और बैठकें भी शीर्ष स्तर पर की जा रही हैं। विशेष रूप से जब वे देश, जिन्हें इस प्रस्ताव के पारित हो जाने पर हिन्द महा सागर को खाली करना पड़ेगा, इस तदर्थ समिति में आगे और उन्होंने कहा, 'जी हां' हम अपने विचार-विमर्श में भाग लेंगे, हम इसमें सहयोग करेंगे और हम इसके सदस्य भी होना पसन्द करेंगे। उनके इस समिति में शामिल हो जाने के बाद, यह स्वाभाविक है कि उनकी बात भी सुनी गई और जब उन्होंने अपनी आपत्तियां बताई, अपने सन्देह व्यक्त किये, उन्होंने हमारी ही नहीं अनेको देशों के विचारों से असहमति प्रकट की, और उन्होंने इसे प्रस्ताव का खण्डन करना चाहा। जो कुछ भी वह कर रहे हैं या जो कुछ भी उन्होंने किया है, उसे आप कोई भी नाम दे सकते हैं, लेकिन यह तथ्य अपनी जगह है कि वे तदर्थ समिति के सदस्य हैं और जो कुछ भी तदर्थ समिति तय करेगी, तदर्थ समिति के सदस्य होने के नाते उन्हें इस समिति को कार्यान्वित करना ही पड़ेगा। कार्यान्वित करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की है। जिस क्षण भी वे तदर्थ समिति की सदस्यता छोड़ते हैं या आप उनसे समिति की सदस्यता छुड़ाते हैं, उसी क्षण वे इस जिम्मेदारी से मुक्त हो जाते हैं। आप उस समय इस प्रस्ताव को चाहे कितना भी कठोर बनाकर अपने आप पारित कर लीजिए लेकिन वास्तव में इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सही स्थिति तो यह है।

हमें यह दिशा हवाना सम्मेलन से विरासत में मिली है। तदर्थ समिति के अध्यक्ष के रूप में श्रीलंका ने 1981 में यह कहा था कि "यदि आप वास्तव में यह चाहते हैं कि श्री लंका इस समिति की अध्यक्षता की जिम्मेदारी निभाये और इस सम्मेलन को सफल बनाने के कुछ ठोस प्रयास किये जायें तो आप इन देशों का नाम लेकर ऐसा नहीं कर सकते'''आपको सामान्य रूप से ही कुछ कहना चाहिए। मैं भी इस बात को दोहराता हूं कि हिन्द महासागर के मामले में केवल दो ही शक्तियां नहीं हैं इसमें अनेकों शक्तियां शामिल हैं। हिन्द महासागर में उनकी सैनिक शक्ति मौजूद है। इसलिये यह मामला एक या दो देशों का नहीं है और न ही यह मामला परस्पर विरोध का है; यह मामला तो दो से अधिक शक्तियों की उपस्थिति का है। इसलिये, यह प्रश्न उस प्रश्न से कहीं ज्यादा उलझा हुआ है जिसे हम दो शक्तियों या दो देशों के बीच के परस्पर विरोध का नाम दे सकते हैं।

इसलिये, महोदय, संक्षेप में यही वास्तविक स्थिति है। परन्तु क्या हमने वास्तव में हवाना से अधिक सुधार किया है या हम हवाना जैसा ही कार्य कर रहे हैं ? यही वह प्रश्न है जिस पर हमको विचार करना है। यदि हमने केवल डीगो गार्थिया को ही भुला दिया होता, जैसा कि हमने 1981 के विदेश मंत्री सम्मेलन में लिया था, और ऐसा करने के भी ठोस कारण थे, और यदि हमने इस शिखर वार्ता में भी यही दृष्टिकोण अपनाया होता तो स्वाभाविक था कि आप यही कहते कि हमने हवाना सम्मेलन से लेकर अभी तक कोई प्रगति नहीं की है। लेकिन हमने ऐसा नहीं किया है। हमने डीगो गार्थिया का मामला, जिसे खाली किया जाना है न केवल आधार रूप में उठाया है बल्कि किसी अन्य देश के उस मार्ग के रूप में इसका उल्लेख किया है जिसे खाली कराकर उस देश को वापस दिया जाना है। इसलिये हमसे जो प्रश्न उठाया है वह उपनिवेशवाद विरोधी भी है। इस प्रश्न के उपनिवेशवाद विरोधी यह प्रश्न—यह सिर्फ हिन्द महासागर को ही शांति क्षेत्र बनाने का नहीं है—न केवल इसी मंच पर ही उठाया गया है बल्कि और भी अन्य मंच हैं जहां उपनिवेशवाद विरोधी प्रश्न निरंतर उठाये जा रहे हैं। अतः आपने इसके लिए एक और मंच तैयार कर दिया है। हम इस बात से प्रसन्न हैं कि निर्गुट आन्दोलन इस प्रश्न को इन विभिन्न मंचों पर बार-बार उठा सकेगा और इसके लिए भारी मात्रा में ऐसा जनमत तथा विश्व मत तैयार कर सकेगा जो अभी तक संभव नहीं हो पाया था। इसलिए जो कुछ भी हमने पैरा 81 में कहा है वह यह है कि राज्याध्यक्षों तथा सरकारों ने डीगो गार्शिया सहित चागोज, आर्किपैलगो पर मारीशस की संप्रभुता के लिए विशेष रूप से अपना पूरा-पूरा समर्थन दिया है, जिसे भूतपूर्व उपनिवेशवादी शक्तियों आदि के मारीशस से अलग कर दिया था। अब प्रश्न आता है वहां अड्डे स्थापित करने का और उन अड्डों को मजबूत बनाने का। हमने अपने मूल तर्क या मूल आधार को नहीं छोड़ा है—डीगो गार्शिया में सैनिक अड्डों की स्थापना से और उन्हें मजबूत बनाने से मारीशस तथा अन्य देशों की क्षेत्रीय अखंडता एवं उनके शांतिपूर्ण विकास को खतरा पैदा हो गया है। उन्होंने डीगो गार्टीया मारीशस को शीघ्र से शीघ्र वापस करने की माँग की है। अब हमने इन दोनों विचारधाराओं को यहां एक साथ मिला दिया है, जब कि इसका ड्राफ्टिंग कमेटी में या जो भी कमेटी इस पर विचार कर रही थी विरोध हुआ था, लेकिन हमने इस विरोध को समाप्त कर दिया।

हमने उन्हें यह बताया कि डीगो गार्शिया को अड्डे के रूप में इस्तेमाल किये जाने के बारे में हम बहुत समय से विचार कर रहे हैं। हम इस विषय को सिर्फ इसीलिए ही नहीं छोड़ सकते क्योंकि आप हिन्द महासागर के बारे में कोई सम्मेलन बुलाना चाहते हैं और तदर्थ समिति के अध्यक्ष का यह विचार है कि यदि डीगो गार्शिया का उल्लेख होता है तो इससे और भी कठिनाइयां पैदा हो सकती हैं। इसलिये हमने इस समस्या को एक अन्य संदर्भ में हिन्द महासागर संबंधी धारा के तत्काल बाद ही अलग से एक पैरा बनाकर हल कर लिया है।

इस विषय का उल्लेख इससे अलग नहीं लिया गया है। पैरा 80 तक घोषणा में हिन्द महासागर के संबंध में विचार किया गया है और पैरा 81 में डीगो गार्मिया था। अब यह माननीय सदस्यों को निर्णय करना है कि क्या 1981 में हवाना में हुए सम्मेलन से नई दिल्ली में हुए सम्मेलन में निश्चित प्रगति हुई है अथवा नहीं। मेरा कहना है कि यह एक निश्चित सुधार है और निर्गुट आन्दोलन सभी अपेक्षित कदम उठाकर इस घोषणा का पालन करना चाहता है ताकि इस प्रश्न को हर सभव मंच पर उठाया जा सके।

महोदय, निर्गुट आन्दोलन के विषय में बहुत कहा जा चुका है। जैसा कि मैंने कहा है कि मैं इस विषय में और विस्तार से कुछ नहीं कहूंगा लेकिन मैं यह जरूर कहूंगा कि मैं कुछ सदस्यों की चिन्ता को समझता हूं जिन्होंने चेयरमैन अराफात के बारे में किसी सदस्य द्वारा की गई टिप्पणी के बारे में अपने विचार व्यक्त किये हैं।

सदन को याद होगा कि 1980 में जब हमने फिलिस्तनी मुक्ति मोर्चे के मिशन को यहां दूतावास का दर्जा प्रदान किया था। सदन के सभी वर्गों ने इसका स्वागत किया था और इसीलिए भारतीय जनता के हर वर्ग ने भी इसकी सराहना की थी।

दशाब्दियों से हम अरबों और फिलिस्तीनियों की मांगों से सहमत रहे हैं। हमारे उनके साथ सदियों के सम्बन्ध हैं, और अराफात, जैसा कि हमारे कुछ मित्रों ने कहा है, हमारी नजरों में वीरता और साहस के प्रतीक हैं। इसलिये, कम से कम मुझे इस बात की कतई आशा नहीं थी कि इस सदन में ऐसी स्थिति भी पैदा हो जायेगी, हमें ऐसी अवांछनीय स्थिति का भी सामना करना पड़ेगा जिसे इस सेदन की सीमा में इजरायल की आवाज की संज्ञा दी जा सकती है। (व्यवधान) मुझे यह देख कर दुख होता है। क्योंकि मेरा ख्याल है और मैं जानता भी हूं कि यहां पर सदस्यों का भारी बहुमत और देश की जनता का विशाल बहुमत भी इस बात से दुखी होगा। मैं इससे अधिक कुछ नहीं कह सकता।

श्री सी० एम० स्टीफन : इतना ही काफी है।

श्री पी० वी० नरसिंह राव : हां, इतना ही काफी है। नई दिल्ली घोषणा के राजनैतिक पहलू के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है लेकिन मैं कुछ और ऐसी बातें बताना चाहूंगा जिनका उल्लेख नहीं किया गया था और वे बातें आर्थिक पहलू से सम्बन्धित हैं। सदस्यों ने समाचार पत्रों में पढ़ा होगा कि घोषणा के आर्थिक अंश की भारी सराहना की गई है; चाहे सराहना करने वाला वह व्यक्ति किसी भी सामाजिक अथवा आर्थिक प्रणाली से सम्बन्धित हो अथवा किसी भी सरकार विशेष का प्रतिनिधित्व करता हो। सभी ने इस अंश की सराहना की है।

लेकिन यह बहुत अजीब बात है कि राजनीतिक पहलू के बारे में भारी आपत्तियां की गई हैं। ऐसा करने में इस तथ्य की भी भरपूर उपेक्षा की गई है कि राजनीतिक पहलू तथा आर्थिक पहलू एक दूसरे के पूरक होते हैं और इस पूरक सम्बन्धों को एक दूसरे से कभी भी अलग नहीं किया जा सकता। आप उन्हें कभी अलग नहीं कर सकते और न ही उन पर अलग-अलग विचार किया जा सकता है।

हो सकता है कि राजनीतिक घोषणाओं से कुछ वर्गों में बेचैनी फैल गई हो, यह स्वाभाविक भी है। लेकिन ज्वलंत तथ्य तो यह है कि सिक्के के दूसरे पहलू की अर्थात आर्थिक पक्ष की हर वर्ग ने अत्यधिक सराहना की है। राजनैतिक पहलू का अपना अलग औचित्य है जिसे स्वीकार किया ही जाना चाहिए। इसलिए एक ही सिक्के के दोनों पहलुओं को अलग अलग नहीं किया जा सकता।

संक्षेप में मैं यह कहूंगा कि घोषणा का आर्थिक भाग शायद ऐसा सबसे लायक दस्तावेज है जिसे किसी सम्मेलन में, विशेष रूप से निर्गुट सम्मेलन में, अभी तक स्वीकृत किया गया है। मैं तो यहां तक कहूंगा कि किसी सम्मेलन में क्योंकि मुझे किसी ऐसे सम्मेलन की जानकारी नहीं है जिसमें इतनी पेचीदी आर्थिक स्थिति के बारे में चर्चा हुई हो, जितनी कि इस शीर्ष सम्मेलन में हुई थी:

हमने अनेकों बार विश्वव्यापी वार्ताओं के बारे में बातचीत की हैं। हमने नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था के बारे में वार्ता की है। हम इस बारे में 1974 से ही बातचीत कर रहे हैं। परंतु दिल्ली शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकृत घोषणा यहीं समाप्त नहीं हो जाती : इसका उद्देश्य कहीं ज्यादा व्यापक है। सबसे पहले इसमें दीर्घ कालीन लक्ष्यों को स्थान दिया गया है। स्वाभाविक है कि विश्वव्यापी वार्ताओं में लम्बा समय लगेगा। दर असल, विश्वव्यापी वार्ताओं के सम्बन्ध में अभी तक कार्य सूची पर समयावधि पर अथवा किसी अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी ब्यौरे पर कोई समझौता तक भी नहीं हुआ है। यदि कोई समझौता होता हैं अथवा कोई समझौता होता हुआ प्रतीत होता है तो विश्व अर्थ व्यवस्था की कुछ हद तक पारस्परिक निर्भरता को देखते हुए विश्वव्यापी वार्ताएं करना अपेक्षित हैं। इस बारे में सभी एक मत हैं। इस स्थिति में केवल यही कहा जा सकता है।

मैं बहुत ही सावधानी पूर्वक यह वक्तव्य दे रहा हूं। परन्तु कहने और करने में बड़ा अन्तर है। मुझे वे कठिनाइयां दिखाई दे रही हैं। एक बार यदि आप विश्वव्यापी वार्तायें प्रारम्भ कर दें या विश्वव्यापी वार्तायें करने का निश्चय भी कर लें तो इसमें अनेकों समस्यायें, रुकावटें एवं बाधायें खड़ी हो जाएंगी। इतना होने पर भी विश्वव्यापी वार्ताओं को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा जा सकता क्योंकि उनमें बाधायें खड़ी हो जाती हैं, विशेष रूप से इस तथ्य को देखते हुए कि औद्योगिक देशों के वर्सेल शिखर सम्मेलन में, एक घोषणा की गई थी जो विश्वव्यापी वार्ताओं की सम्भावनाओं को रद्द नहीं करतीं बल्कि इसकी वांछनीयता को स्वीकार करती है चाहे इसमें कुछ शर्तें ही क्यों न रखी जायें। यह स्वाभाविक भी है कि वे इसे बिना शर्तों के स्वीकार नहीं कर सकते। यदि वह यह सब स्वीकार कर लेते तो उनके और हमारे बीच कोई अन्तर नहीं रहेगा। इसलिए हमें इस सम्बन्ध में अनुवर्ती कार्यवाही करनी होगी। कल इसकी कोई सम्भावना नहीं है। परन्तु यह कहने में भी कोई तुक नहीं है कि हम इसे छोड़ रहे हैं क्योंकि पिछले 3, 4 या 5 वर्षों में हम कोई प्रगति नहीं कर पाए हैं। यह हमारा लक्ष्य नहीं है। एक नई अन्तर्राष्ट्रीय अर्थ व्यवस्था है—यह एक दीर्घकालीन विचार, दीर्घकालीन धारणा, दीर्घकालीन प्रस्ताव है।

ब्रैटनवुड्स इंस्टीट्यूशन का पुनर्गठन भी समस्याओं से पूर्ण है। परन्तु नई दिल्ली शिखर सम्मेलन ने दीर्घकालीन प्रस्तावों पर अधिक जोर न देकर तत्कालिक प्रस्तावों पर अधिक जोर दिया है। सम्मेलन शुरू होने से पहले राष्ट्राध्यक्षों ने यहां आने से पूर्व हमारी प्रधानमंत्री को लिखा था कि वे उनका निमंत्रण स्वीकार करके बहुत प्रसन्न हैं, वे अवश्य आएंगे परन्तु अपने पत्र के अगले पैरे में सभी ने लिखा था कि वे इस सम्मेलन में आर्थिक मुद्दों पर अधिक जोर देना चाहेंगे, तथा वे नहीं चाहते कि सम्मेलन का समय गैर-महत्वपूर्ण मुद्दों पर बेकार किया जाए। हम आर्थिक मामलों पर ही चर्चा करना चाहेंगे यहां ऐसा ही हुआ। इसलिए यह व्यापक दस्तावेज निकाला गया है।

इस दस्तावेज में अन्य बातों के साथ-साथ यह भी कहा गया है कि दीर्घकालीन मुद्दों के अलावा पूंजी व वित्त पर एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन भी शीघ्र ही बुलाया जाए। इसमें ऐसे उपाय करने के लिए कहा गया है जिसमें विशेषकर विकासशील देशों में वसूली की प्रक्रिया शुरू की जा सकें। इसमें विकासशील देशों में विकास प्रक्रिया तीव्र करने खाद्यान्न और ऊर्जा की आधारभूत आवश्यकताओं, अदायगी के संतुलन की समस्या के निदान, अपनी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि करने जोकि बहुत सस्ती बेची जाती हैं यह विचार किया गया।

इसमें यह भी कहा गया है कि विकसित देशों के बजारों में विकासशील देशों के उत्पाद मिलने चाहिए। विकसित और वि ासशील देशों के बीच जो असमान आदान प्रदान है उसे समाप्त करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया है तथा अन्त में इसमें यह भी जोर दिया गया है, अत्यन्त आवश्यक भी था, कि विकासशील देशों को ऋण संबंधी दायित्व पूरा करने में जो कठिनाई होती है उसमें भी मदद दी जानी चाहिए। एक प्रस्ताव यह भी था कि ऋण स्थगन की मांग भी रखी जानी चाहिए। इसे अच्छा नहीं समझा गया उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व रूपये ऋण स्थगन की मांग करना विकासशील देशों के लिए हितकर नहीं होगा।

इसलिए यह सोचा गया कि ऐसे उपाय सोचने चाहिए जो देश अपने ऋण संबंधी दायित्व पूरे करने की स्थिति में नहीं हैं उनकी भी मदद की जानी चाहिए। फिर भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का केन्द्र बनने तथा सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि दक्षिण-दक्षिण देशों के बीच वार्तालाप पर जोर दिया गया। मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि पहली बार नई दिल्ली सम्मेलन में एक विस्तृत कार्यवाही-कार्यक्रम स्वीकार किया गया। यह विषय इस प्रकार हैं—कच्चा माल, व्यापार परिवहन, उद्योग, आर्थिक और वित्तीय सहयोग, बीमा, वैज्ञानिक व प्रौद्योगिकीय विकास, तकनीकी सहयोग व परामर्शदात्री सेवाएं, खाद्यान्न और कृषि, मात्स्यिकी, स्वास्थ्य, रोजगार और मानवीय संसाधनों का विकास, पर्यटन, अन्य देशों के साथ सहयोग, खेल, अनुसंधान और सूचना प्रणाली—निक्षेपम नई अन्तर्राष्ट्रीय सूचना आर्डर कहते हैं तथा इस संबंध में कुछ और व्यवहार्य प्रस्ताव, विकास में महिलाओं की भूमिका, परमाणु-शक्ति का शांतिपूर्ण प्रयोग, दूर संचार, लोक उद्यम, गुट निरपेक्ष देशों के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए सालिडेरिटी फंड बनाना आदि भी शामिल हैं। यह आत्मनिर्भरता की ओर एक प्रयत्न है। यह बहुत कम राशि से ही प्रारंभ किया जाएगा।

हम यह नहीं सोच रहे हैं कि अरबों डालरों से हम इसे शुरू करेंगे परन्तु यदि वाकई एक दूसरे की मदद करनी हैं तो कोई तो शुरूआत करनी पड़ेगी इसलिए यह बहुत व्यावहारिक और विशेष प्रस्ताव रखा गया है तथा विकास के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग, आवास, शिक्षाव संस्कृति, मानकीकरण, माप और गुण प्रकार निर्मत्रण इन विषयों पर विस्तार से बातचीत की गई है। प्रत्येक मदे पर क्या निर्णय लिया गया है यह मैं विस्तार से बता तो सकता हूं परन्तु इसमें बहुत समय लगेगा। यह जरूरी भी नहीं है। जब आपको दस्तावेज मिल जाएगा तो पता चल जाएगा कि कितने विस्तार से इन प्रस्तावों पर विचार किया गया है।

इस विस्तृत दस्तावेज को नई दिल्ली संदेश में संक्षेप में बताया गया है। यह महसूस किया गया कि जब 200 पृष्ठों का दस्तावेज निकाला जाएगा तो केवल विशेषज्ञ ही का इसमें रुचि रखने वाले विद्वान ही इसे पढ़ेंगे तथा अधिकतर लोग इसे नहीं पढ़ेंगे। इसलिए इसका संक्षेप रूप निकाला गया जिसका नाम नई दिल्ली संदेश रखा गया। इसे सदस्यों को वितरित भी किया गया। इसे बहुत अच्छी तरह से तैयार किया गया है तथा इसमें दस्तावेज के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को रखा गया है अर्थात गुट निरदेक्ष आंदोलन का क्या उद्देश्य है, हम अन्य देशों से क्या चाहते हैं, हम अपने लिए क्या करने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभा यह दस्तावेज पढ़े।

प्रस्ताव के संबंध में मैं जानता हूं कि इस प्रस्ताव को उठाने वाला इसका उत्तर देगा परन्तु में कहूंगा कि जब मैं इसे पढ़ता हूं तो मुझे लगता है इसका महत्व कम करके बताया गया है। इसमें

ऐसा कुछ नहीं है जिस पर इस सभा को या भारत के नागरिकों को कुछ आपत्ति हो। इसमें और भी बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है परन्तु इसे कम नहीं किया जा सकता। यह मेरा दावा है। इससे सभा के विचारों का पता चलता है जिससे कि सब सहमत हैं। और व्यक्ति यही चाहते कि इसमें कुछ और बातें जोड़ी जा परन्तु इस पर सब एकमत हैं। सर्वसंपत्ति का यदि यह तरीका कहीं अपनाया जाना चाहिए तो वह इस समेलन में, यही सबसे उत्तम तरीका है जिसके द्वारा हम इस समेलन के प्रति रचनात्मक दृष्टिकोण जाहिर कर सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमलनाथ, मुझे आशा है कि कम से कम समय लेंगे।

श्री कमल नाथ : चूंकि अन्त माननीय सदस्यों ने इतना समय ले लिया है, मुझे कम से कम उत्तर देने के लिए पांच मिनट तो अवश्य मिलेंगे।

जिन सदस्यों ने इस प्रस्ताव पर अपने विचार व्यक्त किए मैं उनका धन्यवाद करता हूं तथा जिन्होंने इस प्रस्ताब का समर्थन किया है उनका मैं आभारी हूं। इस वाद विवाद से एक बात स्पष्ट हुई है कि हम सभी अन्तराष्ट्रीय मामलों तथा जो समस्याएं आज मानव जाति के समक्ष हैं उनसे अवगत है।

गुट-रिरपेक्षता एक सिद्धांत है। यह संयुयत राष्ट्र का पूरक नहीं है। यह तो एक विश्वास एक अस्था है। बहुत कुछ इसके बारे में कहा जा चुका है बहुत कुछ विस्तार पूर्वक तथा स्पष्टता से भी बताया गया। इसलिए मैं इसकी कोई नई परिभाषा या पुर्नमूल्यांकन तो नहीं करूंगा। मैं अपने सहयोगी श्री इन्द्रजीत गुप्त का भी बहुत आभारी हूं जिन्होंने इसकी बहुत अच्छी परिभाषा दी है।

अभी तक महीने पहले मुझे भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में संयुक्त राष्ट्र सभा के आवें सत्र में भाग लेने का मौका मिला। इस संयंध में सभा का एक मिनट समय लेकर कुछ कहना चाहूंगा। हमारे देश की वहां जो प्रतिष्ठा और नाम है उसे देख कर मैं स्तध्ध रह गया। यदि मेंने उसमें काम नहीं लिया होता तो मुझे पढ़कर भी कभी यकीन नहीं होता। मेरा विचार है कि हमारी जो प्रतिष्ठा और नाम वह हमारी नीतियों के कारण है जिसमें से एक नीति गुट निरपेक्षता की भी है, साथ ही जिस प्रकार हमारी विदेश सेवा के अधिकारी हमारी नीतियों को सफलतापूर्वक प्रस्तुत करते है, केवल नीतियों से ही कुछ नहीं होता, हमारी नीतिया किस तरह औरों के सामने पेश की जाती हैं यह भी महत्वपूर्ण है।

मैं अपने उन सहयोगियों को भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस प्रस्ताव का समर्थन किया है अन्य दलों के सदस्यों का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जो कि पार्टी से ऊपर उठे हैं क्योंकि यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है न कि किसी पार्टी या सरकार का।

अपने सहयोगियों द्वारा उठाए गए दो तीन मुद्दों पर मैं कुछ कहना चाहूंगा। सबसे पहले मैं अपने विदेश मंत्री को धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्हें इस विषय का सबसे अधिक ज्ञान है। मेरे संकल्प और प्रस्ताव का उद्देश्य बहुत सीमित या मैं चाहता था कि केवल सराहना की जाए न कि विदेश नीति के सभी पहलुओं पर विचार किया जाए जोकि विदेश नीतियों के बाद विवाद के समय किया जा सकता था। क्योंकि उसका उत्तर विदेश मंत्री देते जो कि इसके विशेषज्ञ है इस समय मुझे लगता है कि मैं उनके क्षेत्र में अनधिकार प्रवेश कर रहा हूं।

मेरे सहयोगी प्रो० चक्रवती ने पूछा है कि केरल एक व्यक्ति था एक दल को ही इसका श्रेय क्यों मिलें। मैं शुरू में ही यह कहा था कि सम्मेलन की सफलता का श्रेय एक व्यक्ति या एक दल का नहीं वरन पूरे देश का है। अपने माननीय मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त का मैं आभारी हूं क्योंकि उन्होंने मेरे माननीय मित्र श्री राम जेठमलानी के वक्तव्य का उत्तर दिया तथा गुट निरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों व परिभाषा का वर्णन किया। मैं प्रो० मधु दण्डवते का काफी आभारी हूं, मैं फिर कहूंगा कि प्रो० दण्डवते जो कि फिजिक्स के प्रोफेसर हैं उन्होंने भी यही कहा कि गुट निरपेक्षता एक राष्ट्रीय सिद्धांत है। हम सभी जानते हैं कि जिस सरकार के वह सदस्य थे उन्होंने पिछली कांग्रेस सरकार के के सभी कार्यों की निन्दा की थी परन्तु गुट निरपेक्षता की नीति में उन्हें कोई दोष नजर नहीं आया। इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि...

श्री सुब्रम्हण्यम स्वामी : नहीं, नहीं ?

श्री कमलनाथ : अपने मित्र वा सहयोगी श्री राम जेठमलानी के बारे में हम सभी जानते हैं कि वह वकील हैं और वकील का काम कमी निकालना और संशोधन करना है।

एक माननीय सदस्य : वह तो फौजदारी के वकील है।

श्री कमलनाथ : इसलिए उन्होंने गुटनिरपेक्षता की नीति में कमिया निकालनी और संशोधन पेश करते शुरू कर दिए। यह सब उनसे किसने कहा मुझे नहीं मालूम। उनका वक्तव्य सुनकर मुझे यह समझ में नहीं आया कि वह रुलाने के लिए है या हंसाने के लिए मुझे नहीं मालूम नहीं मालूम कि वह किसकी ओर से बहस कर रहे हैं तथा ऐसे जिन्दगी वक्तव्य दे रहे हैं। मैं श्री चन्द्रजीत यादव का आभारी हूं कि उन्होंने इसका समर्थन किया तथा श्री उन्नीकृष्णन का भी आभारी हूं क्योंकि उन्होंने राष्ट्रपति कास्ट्रो और श्री यासर अराफात की भूमिका की सराहना की। हमारी प्रधान मंत्री विदेश मंत्री पहले ही उनकी भूमिका की सराहना कर चुके हैं। इसलिए मैं सोचता हूं कि वह इससे संतुष्ट हैं। **(व्यवधान)**

पिछले पांच घन्टों में दो मुद्दे सामने आए हैं। यह सदन-सभी दलों के सभी सदस्य-अतिक्रमण अत्याचार साम्राज्यवाद अथवा शोषण को न तो बर्दाश्त कर सकते हैं और नसी करें में हमारी गुट-निरक्षता की नीति में अतैक्य और इस बात को पर्याप्त रूप से दोहराया गया है। अब हम इस पर 5 घन्टे बहस कर चुके हैं और मैं सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन पेश किए केवल इतना ही कहूंगा और अपील करूंगा कि वे उस विषय जिस पर हम आज बहस कर रहे हैं कि भावना के अनुरूप अपने संशोधनों के लिए दबाव न डालें। सम्बन्धित मामला राष्ट्रीय स्वरूप का है। अतएव, इस बारे में इस सदन के भिन्न भिन्न मत नहीं होने चाहिए। धन्य-वाद।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए सभा में रखूं ?

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : महोदय, उन्हें अलग से मतदान के लिए रखा जाए। हम यहाँ बैठे रहें हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : जी, हां। मैं उन्हें अलग से मतदान के लिए रखूंगा।

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : लेकिन महोदय, नियमों के अन्तर्गत हमें एक ही शब्द कहने का अधिकार है ।

उपाध्यक्ष महोदय : कौन-से नियम के अन्तर्गत ?

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : नियम 184 के अन्तर्गत । आप मुझे एक शब्द...कहने के लिए अवश्य अनुमति दें ।...

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है । विशेष मामले के रूप में मैं आपको केवल एक शब्द कहने की अनुमति दूंगा ।

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : महोदय, सबसे पहली बात यह है कि मेरे लिए अधिकांशतया कोई संशोधन मतदान के लिए रखना आसान नहीं है क्योंकि मैं इस बात को मान्यता देता हूं कि इस गुट निरपेक्ष सम्मेलन के कार्य संचालन में काफी मात्रा में विशेषज्ञता सुविज्ञता तथा कूटनीतिक विद्यमान थी । लेकिन, महोदय, नियम 184 के अन्तर्गत जब अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को रखना सम्भव नहीं हो पाया था, उसके बाद ही इसे लाया गया है । और, इसलिए, संसद का सदस्य होने के नाते मेरा यह कर्त्तव्य है...

संसदीय कार्य खेल तथा निर्माण तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री बूटा सिंह) : यदि अध्यक्ष महोदय इसका अनुमोदन न किया था तो किसने किया था ?

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : इसमें फर्क नहीं पड़ता चाहे यह नियम 184 के अन्तर्गत है अथवा...

श्री बूटा सिंह : मुझे रिकार्ड ठीक से रखने दीजिए । इसे अध्यक्ष महोदय की स्वीकृति से लाया गया है ।

प्रो० मधु दन्डवते: नियम 184 के अन्तर्गत प्रस्ताव को अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकार करना होता है, न कि अनुमोदन ।

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : आप केबल 1 मिन्ट का समय चाहते थे लेकिन...

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : मुझे संसदीय कार्य मंत्री महोदय को शिक्षित करना है जो कि नए हैं । इसलिए, यह कहना मेरा कर्त्तव्य है कि सत्ताधारी दल के सदस्यों द्वारा नियम 184 के अन्तर्गत एक प्रस्ताव लाया जा रहा है । उनकी भावनाओं से मैं काफी सहमत हूं । लेकिन जनता पार्टी के सदस्य के रूप में हमारी सरकार सत्ता में होने के नाते, मैं स्वयं भी अप्रैल, 1977 में नई दिल्ली में आयोजित गुट-निरपेक्ष ब्यूरो की बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मण्डल का एक सदस्य था । इसलिए मैं इतना ही कहूंगा कि मैं कर्त्तव्य को निभा नहीं रहा हूंगा यदि मैं इसके बारे में न बताऊं कि यह देश इस बात का ध्यान रखने की विशेष जिम्मेदारी लेता है कि देशों को सभी प्रकार के विदेशी कब्जों से मुक्त कराया जाए, और उसमें साम्राज्यवाद शासन का पक्षपाती भी शामिल है, उसमें विभिन्न स्थानों पर अमरीका की गतिविधियां भी शामिल हैं लेकिन मुझे खेद है कि गरीब अफगान लोग जो इस समय कब्जे में हैं । (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : उस नोट में आपकी पार्टी का नेता पहले ही बोल चुका है।

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : उस बात का प्रश्न नहीं है। वास्तव में मैं पहले ही एक संशोधन दे चुका हूं और मैंने 1 संशोधन मतदान के लिए रखा है, मुझे आशा है सभी सदस्य इससे सहमत होंगे। मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि कृपया गरीब अफगानियों को भुला न दिया जाए जो विदेशी कब्जे के अन्दर हैं, कृपया उस क्षेत्र को खाली कराने और सोवियत संघ की सेनाओं को अफगानिस्तान अथवा अन्य स्थानों से वापस हटाने का काम करने में हिचकिचाहट न बरतें।

उपाध्यक्ष महोदय : इसलिए आप संशोधन को वापस ले रहे हैं। क्या मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ रखूं ?

कुछ माननीय सदस्य : नहीं, नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : ये संशोधन हैं न कि कटौती प्रस्ताव।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की अनुमति से मैं सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रख सकता हूं।

कई माननीय सदस्य : जी, हां।

उपाध्यक्ष महोदय ! इसलिए मैं माननीय सदस्यों द्वारा पेश किए गए सभी संशोधनों को एक साथ रखता हूं।

श्री के० पी० उन्नीकृष्णन : आप सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ नहीं रख सकते। ये कटौती प्रस्तस्व नहीं हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : सदन की अनुमति से मैं ऐसा कर सकता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : यहां तक कि आप सदन की अनुमति से भी ऐसा नहीं कर सकते।

उपाध्यक्ष महोदय : सदस्यों की सहमति से मैं ऐसा कर सकता हूं। मैं माननीय सदस्यों से पूछता हूं कि क्या मैं सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ रख दूं।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं कहता हूं, ऐसा नहीं किया जा सकता। ये कटौती प्रस्ताव नहीं है, ये संशोधन हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं सदस्यों की सहमति चाहता हूं। जिन सदस्यों ने संशोधन दिए हैं वे इस पर सहमत नहीं हैं। इसलिए मैं इन संशोधनों को मतदान के लिए अलग अलग रख रहा हूं। लेकिन मैं उन सदस्यों से जिन्होंने संशोधन दिए है यह पूछ सकता हूं कि क्या वे इस बात पर सहमत है कि सभी संशोधनों को मतदान के लिए एक साथ रख दिया जाए। वे इस बात पर सहमत नहीं हैं। ऐसा पूछने के लिए मुझे कोई व्यक्ति नहीं रोक सकता है।

डा० सुब्रम्हण्यम स्वामी : इस सम्बन्ध में आप मुझे श्री उन्नीकृष्णन के साथ कैसे जोड़ सकते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : पहले मैं श्री के० पी० उन्नीकृष्णन द्वारा रखे गए संशोधन सं० 1,2 तथा 3 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 1, 2 तथा 3 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री रामावतार शास्त्री द्वारा रखे गए संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री : मैं इसके लिए जोर नहीं दे रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या माननीय सदस्य श्री रामावतार शास्त्री ने अपने संशोधन संख्या 4 तथा 6 वापस लेने के लिए सदन की अनुमति ले ली है।

माननीय सदस्य : जी, हां।

संशोधन सं० 4 तथा 6 सदन की अनुमति से वापस लिए गए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री कमला मिश्र मधुकर अनुपस्थित। मैं श्री कमला मिश्र मधुकर द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 7 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 7 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी के संशोधन की बारी है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मुझे आशा है कि सरकार मेरे संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी द्वारा रखे गए संशोधन संख्या 8 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं प्रो० मधु दण्डवते द्वारा रखे गए संशोधस संख्या 9 को सदन के मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन सं० 9 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय। अब मैं संशोधन संख्या 10 को मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 10 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 11 मतदान के लिए रखूंगा

संशोधन सं० 11 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ

उपाध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 12 मतदान के लिए रखूंगा।

संशोधन सं० 12 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

'यह सभा इस बात पर संतोष व्यक्त करती है और गर्व अनुभव करती है कि हाल ही में नई दिल्ली में हुए गुट-निरपेक्ष देशों के राष्ट्राध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के सातवें सम्मेलन की कार्यवाही सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई है। नई दिल्ली में हुए इस शिखर सम्मेलन से गुटनिरपेक्ष समुदाय की एकता को बल मिला है तथा अन्तर्राष्ट्रीय भूमिका सुदृढ़ हुई है।'

यह सभा भारत सरकार से अनुरोध करती है कि वह उन राष्ट्राध्यक्षों तथा शासनाध्यक्षों और विभिन्न प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं का, जिन्होंने अपनी उपस्थिति तथा अपने सक्रिय योगदान द्वारा इस शिखर सम्मेलन को सफल बनाया है, इस सभा की ओर से धन्यवाद करे तथा उनकी सराहना करे। यह सभा भारतीय प्रतिनिधिमंडल के कार्य तथा सभाध्यक्ष श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा प्रदान किए गए नेतृत्व की भी सराहना करती है।

भारत को इस आन्दोलन की अध्यक्षता करने का उत्तरदायित्व दिया गया है। इस सभा का विश्वास है कि हमारा देश साम्राज्यवाद विरोधी तथा हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन की आत्मनिर्भरता की सर्वोत्तम परम्पराओं के अनुरूप इस उत्तरदायित्व को निभाने में सफल होगा।

यह सभा शिखर सम्मेलन द्वारा स्वीकार की गई घोषणा तथा 'नई दिल्ली का सन्देश' का स्वागत करती है, जिसमें परमाणु अस्त्रों के निर्माण तथा संग्रह को समाप्त करने तथा उत्तर और दक्षिण के देशों के बीच बातचीत आरम्भ करने के लिए अधिक सार्थक प्रयत्न करने, दक्षिण-दक्षिण के देशों के बीच सहयोग को बढ़ाने तथा एक नई अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था स्थापित करने की अपील की गई है तथा यह सभा विश्वास करती है कि इनके द्वारा उन सब के हाथ मजबूत हुए हैं, जो स्वाधीनता शांति, निरस्त्रीकरण तथा विकास के समर्थक हैं।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9.26 म० प०

तत्पश्चात् लोक सभा बुद्धवार, 23 **मार्च,** 1983/2 **चैत्र,** 1905 (**शक**) **के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

प्रबन्धक—आर० आर० गुप्ता प्रेस, 472, रामचन्द्र देहलवी मार्ग दिल्ली-110006
द्वारा मुद्रित